

00088

119L



भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

1985-86

संघ सरकार (सिविल)

भाग I

०००८८

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक


का

प्रतिवेदन

1985-86

संघ सरकार (सिविल)

भाग I



विषय-सूची

	संदर्भ	
	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्रस्तावनात्मक टिप्पणी		
अध्याय I		v
सामान्य	1	1
अध्याय II		
विनियोग लेखा परीक्षा और व्यय पर नियंत्रण	2-3	7
अध्याय III		
सिविल विभाग		
कृषि मंत्रालय		
दालों का विकास कार्यक्रम	4	12
राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना	5	34
मूल अभिलेखों के अनुरक्षण में ऋटियां एवं अनियमितताएं	6	55
परमाणु ऊर्जा विभाग		
नाभिक ईंधन समूह हैदराबाद के ट्यूब संयंत्रों का कार्यापालन	7	58
स्टैनलेस स्टील की अधिक अधिप्राप्ति और पूंजी का अबरोधन	8	66
बहिष्कारों के निपटान हेतु व्यवस्था में ऋटिपूर्ण आयोजन	9	66
वाणिज्य मंत्रालय		
शुष्कित लहसुन के निर्यात हेतु नकद सहायता की अनुचित अदायगी	10	67
विदेश में कार्यान्वित आवासीय परियोजना हेतु एक सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान को परियोजना सहायता का अनियमित भुगतान	11	68
इंसबगोल के निर्यात पर नकद सहायता का अनियमित भुगतान	12	69
जंगली जानवरों के बालों वाले चमड़े की पोशाकों के निर्यात पर नकद सहायता का परिहार्य भुगतान	13	71
इलेक्ट्रोनिक्स विभाग		
नौसेना के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा ली गई विकास एवं उत्पादन परियोजनाओं की समीक्षा	14	72
लघु कम्प्यूटरों की आपूर्ति तथा देशज विकास पर निष्फल व्यय	15	76
विद्युत शक्ति प्रतीपक की खरीद पर निष्फल व्यय	16	77
अपरिष्कृत कम्प्यूटरों का विकास	17	77
विदेश मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय		
बंद/रद्द किये गए विदेशी सैनिक बिक्री मामलों पर अधिक जमाओं की वापसी का दावा न करने के कारण ब्याज/राजस्व की हानि	18	78
विदेश मंत्रालय		
6.05 लाख रुपये का गबन	19	80
विदेश भत्ते के स्थान पर दैनिक भत्ते/नकद भत्ते के अनियमित आहरण पर 1.12 लाख रुपये का अधिक भुगतान	20	81
उचित सरकारी विनिमय दर न अपनाये के कारण 4.02 लाख रु. की अधिक अदायगी	21	81
कैनबरा में उच्चायुक्त भवन की आवासीय इकाई का प्रयोग में न लाया जाना	22	81
सातवां निर्गुट सम्मेलन तथा राष्ट्र मंडलीय राज्याध्यक्षों का सम्मेलन 1983	23	82
राज्य अतिथि गृह का अल्प उपयोग	24	85
अधिक अदायगी (2.61 लाख रु.) की गैर बसूली	25	86
अनुचित विलम्ब के कारण बैलिंगटन में इंडिया हाऊस के नवीकरण/मरम्मत पर 9.86 लाख रु. से अधिक का, परिहार्य व्यय	26	86
विदेश में एक मिशन की स्टाफ कार की चोरी	27	86

	संदर्भ	
	पैराग्राफ	पृष्ठ
पर्यटन मंत्रालय		
"भारत का उत्सव" हेतु पर्यटक साहित्य पर निष्कल व्यय	28	87
विदेश मंत्रालय		
घरेलू प्रयोग हेतु उष्म जल प्रवाह पर किये गए व्यय की अस्वीकार्य प्रतिपूर्ति	29	87
भवन निर्माण में विलम्ब के कारण परिहार्य व्यय	30	88
वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों का विभाग)		
विशेष जमा योजना पर ब्याज का अधिक/कम भुगतान	31	88
सीधे भुगतान प्रक्रिया के अंतर्गत आयातकों द्वारा कम जमा	32	89
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		
एक संभरक से 3.89 लाख रुपयों की गैर वसूली	33	89
विद्युत प्रभारों की परिहार्य अदायगी	34	90
गृह मंत्रालय		
परिहार्य अतिरिक्त व्यय	35	90
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (संस्कृति विभाग)		
वृत्तचित्र के निर्माण एवं प्रदर्शन में विलम्ब	36	91
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग)		
6 से 14 आयु वर्ग में सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा	37	92
15 से 35 आयु वर्ग में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम	38	111
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय		
रवीन्द्र रंगशाला को लोकप्रिय बनाने में विफलता	39	135
13.61 लाख रुपये का परिहार्य व्यय	40	136
मूल अभिलेखों के अनुरक्षण में अनियमितताएं एवं त्रुटियां	41	136
कार्मिक मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)		
रे-आयोग	42	138
अंतरिक्ष-विभाग		
एक गश्ती नाव की खरीद में पूंजी का अवरोधन	43	138
आयातित मशीनरी की निकासी में विलम्ब तथा फलतः सार्वजनिक निधि और विदेशी मुद्रा की हानि	44	139
खरीद आदेश प्रस्तुत करने में विलम्ब के कारण परिहार्य व्यय तथा विदेशी विनिमय की हानि	45	140
विद्युत शक्ति उपयोग का अवास्तविक निर्धारण तथा परिहार्य व्यय का किया जाना	46	140
जापान से उपस्कर के आयात में प्रशासनिक चूकें	47	141
किराये के स्थान के अधिक अनुमान/उपयोग न करने के कारण परिहार्य व्यय	48	142
विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय		
भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग द्वारा नी-स्पान सी चादरों का अत्यधिक आयात एवं निधियों का अवरोधन	49	142
इस्पात एवं खान मंत्रालय (इस्पात विभाग)		
नव स्टील संयंत्रों के स्थापन पर निष्कल व्यय	50	143

	संदर्भ	
	पैराग्राफ	पृष्ठ
परिवहन मंत्रालय (नागर विमानन विभाग)		
निधियों का अवरोधन-निष्क्रिय उपकरण	51	145
एक निगम से 1972-73 से 1977-78 के दौरान		
विमान संचालन सेवाओं पर किये गए प्रभारों की गैर वसूली	52	147
बूटे खाते डाली गई/छोड़ी गई हानियां एवं अप्राप्य राशियां		
तथा अनुग्रहपूर्वक दी गई अदायगियां	53	148
अध्याय IV		
निर्माण कार्य व्यय		
शाहरी विकास मंत्रालय		
दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर, हैदराबाद तथा		
चंडीगढ़ में सामान्य समूह आवास के निर्माण के लिए		
द्रुतगामी गृह निर्माण कार्यक्रम	54	149
नई दिल्ली नगर पालिका को किये गए भूमि के आबंटन की		
शर्तों का पालन न किया जाना	55	160
दिल्ली के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के भण्डार मण्डलों तथा		
यांत्रिक तथा वर्कशाप मण्डलों के लेखों में अनियमितताएं/कमियां	56	161
वैद्य अवधि के दौरान प्रत्याभूति बन्ध पत्रों को भुनाने में विफलता	57	169
ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग)		
विभाग की निष्क्रियता के कारण हानि	58	170
अध्याय V		
भण्डार खरीद/बिक्री		
वाणिज्य मंत्रालय (आपूर्ति विभाग)		
कम्बल बैरक की खरीद	59	171
कास्टिक सोडा लाई की खरीद	60	171
परोपधियों के कार्यों द्वारा सविदा भंग होने के बाद ठेके		
को जिंदा रखने से अप्राप्य व्यय	61	172
वैद्य जोखिम खरीद करने में चूक	62	174
जोखिम खरीद हानि/सामान्य क्षतियों की वसूली के लिए		
अपर्याप्त अनुवर्ती कार्यवाही	63	177
क्रेन मोबाईल की बिक्री	64	178
ट्रेलरों की बिक्री	65	179
फालतू क्रेनों और ट्रेक्टरों की बिक्री	66	180
अध्याय VI		
विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम		
सामान्य	67	182
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय		
किराये पर लिये गये स्थान पर 3.50 लाख रु. का		
परिहार्य व्यय	68	187
परिवहन मंत्रालय		
प्रकाश स्तंभ तथा दीप नौका विभाग के कार्यचालन	69	187

परिशिष्ट

परिशिष्ट I	अनुपूरक अनुदानों/विनियोगों के उपयोग की सीमा	197
परिशिष्ट II	दत्तमत्त अनुदानों के अंतर्गत बचत	199
परिशिष्ट III	31.12.85 तक जारी की गई लेखा परीक्षा रिपोर्टों के वर्षवार ब्यौरे जो 30.6.86 (कृषि विभाग) को कार्यवाही बिना पड़े रहे।	200
परिशिष्ट IV	31.12.85 तक जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन/पैरों के वर्षवार ब्यौरे जो 30.6.86 (ग्रामीण विकास विभाग) तक कार्यवाही बिना बकाया पड़े रहे	201
परिशिष्ट V	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं पैराग्राफों की स्थिति	202
परिशिष्ट VI	वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाली गई/छोड़ी गई हानियां, अप्राप्य राजस्व, शुल्क, पेशगियां इत्यादि तथा अनुग्रहपूर्वक दी गई अदायगियों को दर्शाने वाला विवरण	203
परिशिष्ट VII	नौ संचालन उपकरणों के बारे में योजनाओं को दर्शाने वाले ब्यौरे का विवरण	204
परिशिष्ट VIII	पिछले 5 वर्षों में असंचालित रहे दीप स्तम्भों का विवरण	206


प्रस्तावनात्मक टिप्पणी

संघ सरकार (सिविल विभाग) के व्यय पर वर्ष 1985-86 का प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तीन पृथक भागों में तैयार किया गया है। यह भाग महालेखा-नियंत्रक द्वारा तैयार किए गए वर्ष 1985-86 के संघ सरकार (सिविल) के विनियोग लेखों (कुछ अपवादों सहित) तथा लेखा परीक्षा में नमूना परीक्षण से उद्भूत मामलों, तथा संघ सरकार के सिविल विभागों, सिवाय संघ शासित क्षेत्र दिल्ली प्रशासन के विभाग, तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अधिनियम, (कर्तव्य, अधिकार तथा सेवा की शर्तों) 1971 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत लेखा परीक्षा किए गए केन्द्रीय स्वायत्त निकायों, जो इस प्रतिवेदन के क्रमशः भाग-II तथा III में दिए गए हैं, के वित्तीय लेन-देन की लेखा परीक्षा से उद्भूत अन्य मुद्दों से संबंधित हैं।

2. महालेखा-नियंत्रक द्वारा समेकनाधीन वर्ष 1985-86 के संघ सरकार के वित्त लेखों से उद्भूत एवं महालेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत किए गए वित्त लेखा के विवरणों तथा अन्य सूचना पर आधारित कुछ रुचिकर तथ्य इस भाग के अध्याय-1 में सम्मिलित किए गए हैं।

3. इस भाग में दूसरों के साथ दालों का विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना, नाभिक ईंधन समूह हैदराबाद में ट्यूब संयंत्र, नौसेना के लिए इलैक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा ली गई विकास एवं उत्पादन परियोजना, वर्ष 6-14 के आयु वर्ग में सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा, वर्ष 15-35 आयु वर्ग में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर, हैदराबाद तथा चंडीगढ़ में सामान्य समूह आवास के निर्माण के लिए द्रुतगामी गृह निर्माण कार्यक्रम तथा प्रकाश स्तम्भ तथा दीप पोत विभाग के कार्यचालन पर पैराग्राफ/पुनरीक्षण भी सम्मिलित है।

4. प्रतिवेदन के समस्त तीन भागों में उल्लिखित मामले वे हैं जो 1985-86 के दौरान की गई नमूना लेखा परीक्षा के दौरान देखने में आए और वे भी, जो पिछले वर्षों में देखने में तो आए किन्तु जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किया जा सका था, जहां कहीं आवश्यक समझा गया है 1985-86 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी शामिल कर लिए गए हैं। कुछ पुनरीक्षण/पैराग्राफ जो सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों से उत्तर प्राप्त न होने के कारण इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं किए जा सके, पूरक प्रतिवेदन में शामिल कर लिये जाएंगे।



अध्याय I
सामान्य

उर्वरकों के लिए आर्थिक सहायता और पूंजीगत व्यय के लिए रेलवे ब
डाक तथा दूर संचार के आन्तरिक स्रोतों से पूरे किए गए समायोजनों के
अध्याधन महालेखा नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत विनियोग लेखों एवं वित्त लेखों से

अविभाजित वर्ष 1984-85 के लिए संघ सरकार के लेखों की संक्षिप्त स्थिति
निम्न लिखित विवरणों में दी गई है।

1. 31 मार्च 1986 को भारत सरकार की वित्तीय स्थिति* का विवरण।

(करोड़ रुपयों में)

देयताएं		परिसम्पत्तियां		
31.3.1985		31.3.1986	31.3.1986	31.3.1986
को राशि		को राशि	को राशि	को राशि
39085.00	आन्तरिक ऋण (सरकारी हण्डियों के अलावा)	45025.10	55390.84	
			सकल पूंजीगत परिव्यय (अनुसूची-क) कंपनियों, निगमों, सहकारियों, आदि के शेरों में निवेश	25670.09
29704.81	लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	36858.96	अन्य पूंजीगत व्यय	39378.08
			ऋण एवं पेशगियां:	65048.17
19452.31	सरकारी हण्डियां	26014.28	केन्द्रीय परियोजनाओं/योजनाओं आदि के विकास हेतु	22309.43
16636.65	बाह्य ऋण	18152.61	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें	38719.64
50.00	आकस्मिकता निधि	50.00	विदेशी सरकारें	388.70
1370.82	आरक्षित निधियां	1453.93	सरकारी कर्मचारी एवं विविधा	348.64
				61766.41
6847.07	जमा एवं पेशगियां	9468.37	उच्चत एवं विकास शेष	357.32
5007.04	पूंजीगत व्यय के वित्त पोषण हेतु रेलवे, डाक तथा दूर संचार तथा अन्यों द्वारा अंशदान (प्रतिपक्षी अनुसार- अनुसूची क देखिये)			
			1212.17	प्रेषण शेष
			4.57	रोकड़ शेष निवेश
			1660.41	अन्त में रोकड़ शेष (विभागीय शेषों एवं स्थायी पेशगियों सहित)
				1006.68
			7307.13	घाटा
				वर्ष 1985-86 के लिए राजस्व घाटा
				5888.23
				घटा: विविध प्राप्तियां (निबल)
				7.14
				5881.09
				जमा: पूर्व अवधि समायोजन
				130.99
				जमा: 31 मार्च 1985 को घाटा
				7307.13
				13319.21
118153.70		142774.62	118153.70	142774.62

* संलग्न व्याख्यात्मक टिप्पणियों के अध्याधीन।

टिप्पणी:— 31 मार्च 1985 को महालेखा नियंत्रक द्वारा लोक ऋण, कर्ज एवं पेशगियां, आरक्षित निधियों उच्चत एवं विविध प्रेषणों इत्यादि के अन्तःशेषों में प्रोफार्मा संशोधन कर लिए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप डेबिटों शेषों में 468.08 करोड़ रुपयों की निबल वृद्धि हुई तथा उसी तिथि को प्रगामी पूंजीगत व्यय में 337.09 करोड़ रुपयों की प्रोफार्मा वृद्धि हुई जिससे 130.99 करोड़ रुपयों का निबल पूर्वावधि समायोजन हुआ।

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1. संक्षिप्त वित्तीय विवरण, महालेखा नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत वित्त लेखों एवं संघ सरकार के विनियोजन लेखों पर आधारित है और ये उसमें दी गई टिप्पणियों एवं स्पष्टीकरणों के अधीन है।

2. सरकारी लेखे मुख्यतः नकद पर आधारित होने से, राजस्व अधिशेष या घाटे को नकद आधार पर निकाला गया है। फलतः देय या प्राप्त मदे अथवा मूल्यहास या स्टाक के आंकड़ों में भिन्नता आदि जैसी मंदे लेखों में नहीं दर्शाई गई हैं।

3. वित्त लेखे में राजस्व लेखे के बाहर प्रगामी पूंजीगत व्यय की सूचना अन्तर्निहित है। लेखा-वर्गीकरण के योजितकरण से पूर्व लघु पूंजीगत व्यय भी राजस्व से पूरा किया गया। इन पूंजीगत व्ययों का विवरण उपलब्ध न होने से इन्हें लेखे में नहीं दर्शाया गया है।

4. पूंजीगत परिव्यय, रेल डाक तथा दूर संचार विभागों के आंतरिक स्त्रोतों से पूरा किया गया तथा आयातित उर्वरकों पर आर्थिक सहायता के समायोजन को छोड़कर लेखों में लिए गए पूंजीगत व्यय को दर्शाता है।

5. यद्यपि, राजस्व व्यय तथा ऋणों का एक भाग प्राप्तकर्ताओं द्वारा पूंजी के सृजन में उपयोग किया जाता है, संघ सरकार के लेखे में इसका वर्गीकरण अन्तिम प्रयोग द्वारा अप्रभावित रहता है।

6. सरकारी लेखा प्रणाली के अन्तर्गत राजस्व अधिशेष या घाटा सरकारी खाने में वार्षिक रूप से संवृत किया जाता है, परिणामस्वरूप ऐसे अधिशेष या घाटे की संचयी स्थिति का पता नहीं लग पाता। अतः 31 मार्च 1982 के संतुलन आंकड़ों को वर्ष 1982-83 की वित्तीय स्थिति का प्रथम विवरण जिसने तुलन-पत्र का स्थान लिया, तैयार करने के लिए संचयी अधिशेष माना गया।

7. उच्चत तथा त्रिविध शेषों में निर्गमित चैकों जिनका भुगतान नहीं हुआ, राज्यों एवं अन्य की ओर से किए गए भुगतान जिनका निपटारा होना बाकी था, लोक क्षेत्र के बैंकों द्वारा संगृहीत राशि जिनको सरकारी खातों में लिया जाना था, सिक्कों के शेष इत्यादि सम्मिलित हैं।

8. डाक एवं दूर संचार के आन्तरिक स्त्रोतों में ओ.वाई. टी. इत्यादि योजनाओं के अन्तर्गत पेशगी किराया राशियों को निरूपित करते हुए 294.10 करोड़ रुपए सम्मिलित हैं।

9. भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अन्त शेष 484.95 करोड़ रुपये था। इस अन्तर का समाधान प्रतीक्षित है।

अनुसूची-क

(31.3.1986 की वित्तीय स्थिति के विवरण से संलग्न)

I. पूंजीगत परिव्यय के व्योरे 31.3.85 को (करोड़ रुपयों में)
31.3.1986 को

52826.81	लेखे के अनुसार सकल पूंजीगत परिव्यय	62063.52
2443.01	घटा: पूंजी को प्रभातित राजस्व व्यय आयातित उर्वरक पर परिदान	2766.72
(क) 5007.04	जमा: रेलवे तथा डाक-तार के आन्तरिक साधनों से वित्तपोषित उनके पूंजीगत परिव्यय तथा दूसरों से अंशदान	59296.80 5751.37
** 55390.84	कुल पूंजीगत परिव्यय	65048.17

** 1985-86 में लेखों में महालेखा नियंत्रक द्वारा किया गया 337.09 करोड़ रु. का पूर्व अर्वाध समायोजन

II. क्षेत्रवार पूंजीगत परिव्यय

क्षेत्र	वर्ष के दौरान पूंजीगत परिव्यय	1985-86 के अन्त में
सिविल	6252.00	40071.22
रक्षा	967.36	7068.53
रेलवे	1199.77	11937.19
डाक तथा दूर संचार	901.11	5971.23
	9320.24	65048.17

III. पूंजीगत व्यय वित्तपोषण के लिए रेलवे, डाक तथा दूर संचार तथा अन्यो से अंशदान

	रेलवे	अन्य	डाक	दूर संचार	योग
1984-85 के अन्त तक	2091.50	8.30*	49.61	2857.63	5007.04
1985-86 के दौरान	322.28		3.40	418.65	744.33
	2413.78	8.30	53.01	3276.28	5751.37

* राज्यों, जिला बोर्डों आदि

IV. 1985-86 के लिए निधियों के स्रोत एवं उपयोग

(i) स्रोत	(करोड़ रुपयों में)	(ii) उपयोग	(करोड़ रुपयों में)
1. राजस्व प्राप्तियां	34833.19	1. राजस्व व्यय	40721.42
2. कर्जों की वृद्धि	7455.35	2. विकास एवं अन्य प्रयोजनों के लिए ऋण	13805.39
3. लोक लेखे से निवल प्राप्तियां	9733.34	3. पूंजीगत व्यय	9320.24
4. सरकारी हण्डियों में वृद्धि	6561.97		
5. कर्जें तथा पेशागियों से वसूलियां	3865.14		
6. पूंजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त रेलवे तथा डाक तर के आंतरिक स्रोत	744.33		
7. रोकड़ शेष में कमी	653.73		
	<u>63847.05</u>		<u>63847.05</u>

(iii) 1985-86 के लिए प्राप्तियां एवं सवितरणों का सार

(करोड़ रुपयों में)

प्राप्तियां	सवितरण				
	अनुभाग-क राजस्व	योजनागत	योजनात्तर	योग	
1. राजस्व प्राप्तियां	I. राजस्व व्यय				
कर राजस्व	26805.03	सविधान के अन्तर्गत राज्यों को अनुदान	20.00	975.31	995.31
ब्याज प्राप्तियां	4594.75	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र			
लाभांश	188.29	सरकारों को अन्य अनुदान	5167.65	903.61	6071.26
भारतीय रिजर्व बैंक/जीवन बीमा निगम तथा राष्ट्रीयकृत बैंक से लाभ के भाग अन्य लाभांश तथा लाभ	302.25	संघ उत्पादन शुल्कों में राज्य का अंश		5625.47	5625.47
सहायता सामग्री एवं उपकरण	24.66	ब्याज और ऋण सेवा आभार		7511.88	7511.88
अन्य गैर कर राजस्व	74.04	पेंशन (स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन सहित) तथा अन्य विविध खर्च		1401.33	1401.33
बाह्य अनुदान सहायता	2431.02	खाद्य पारधान		1650.47	1650.47
	413.15	देशी उर्वरक पर परिदान		1600.00	1600.00
	<u>34833.19</u>	निर्यात प्रोत्साहन तथा बाजारी विकास हेतु सहायता		602.81	602.81
II. अनुदान को ले जाया गया राजस्व घाटा	5888.23				
	40721.42	ब्याज परिदान		337.44	337.44
		अन्य अनुदान तथा अंशदान	0.27	120.27	120.54
		डाक व्यय	1.98	161.58	163.56
		रक्षा व्यय	—	7020.14	7020.14
		लाभांश राहत आदि के लिए रेलवे को परिदान		128.14	128.14
		अन्य व्यय	1718.83	5450.53	7169.36
			<u>6908.73</u>	<u>33488.98</u>	<u>40397.71</u>
1. क-अनुभाग ख से आयातित उर्वरक पर पूंजी परिदान को प्रभारित राजस्व व्यय					323.71
					<u>40721.42</u>

अनुभाग-ख-अन्य

III	विभागीय रोकड शेषों तथा स्थायी पेशगी सहित अर्ध रोकड शेष	1660.41	I	सकल पूंजीगत व्यय जैसा लेखे में लिया गया है	8899.62	
IV	(क) रेलवे डाक तथा दूर संचार विभाग के पूंजीगत व्यय के लिए प्रतिपक्षी अंशदान	744.33		घटा: अनुभाग "क" को अंतरित पूंजी को प्रभारित राजस्व व्यय	323.71	
					<u>8575.91</u>	
V	कर्जें और पेशगियों की वसूलियां			जमा: डाक तथा दूर संचार तथा रेलवे के आंतरिक स्रोतों से वित्तपोषित प्रतिपक्षी पूंजीगत व्यय	744.33	9320.24
	(क) राज्य तथा संघ राज्य सरकारों से	2739.32				
	(ख) सरकारी कर्मचारियों से	99.18				
	(ग) अन्यो से	975.85				
	(घ) विदेशी सरकारों से	50.79				
		3865.14				
VI	लोक ऋण प्राप्तियां (सरकारी हंडियों के अलावा)	8761.89	III	केन्द्र सरकारों द्वारा दिए गए कर्जें और पेशगियां		
VII	सरकारी हंडियों हेतु प्राप्तियां (निवल)	6561.97		(क) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को	10101.16	
VIII	लोक लेखा प्राप्तियां (निवल)	9733.34		(ख) अन्य विकास कर्जें	3486.63	
				(ग) सरकारी कर्मचारियों	159.89	
				(घ) विदेशी सरकारों को	57.71	13805.39
			IV	कर्जें की अदायगी (सरकारी हंडियों के अतिरिक्त)		1306.54
			V	वर्ष के अंत में नगद बकाया:		
				(क) सामान्य नगद बकाया	107.30	
				(ख) विभागीय अधिकारियों के साथ नगद	890.27	
				(ग) स्थायी नगद अधिम	9.11	1006.68
			VI	अनुभाग "क" से लाया गया राजस्व घाटा		5888.23
						<u>31327.08</u>

टिप्पणी:- (1) रेलवे और दूर संचार की राजस्व प्राप्तियां तथा व्यय सम्मिलित नहीं करता।

(2) रक्षा व्यय तथा डाक व्यय निवल प्राप्तियों से खर्च होता है।

(3) प्राप्तियां, राज्य के आयकर और सम्पदा कर तथा कृषि पर सम्पदा कर के संघ राज्य क्षेत्रों के भाग की निवल राशियां हैं (1865.19 करोड़ रुपये)

IV. उपर सारांश में दिए गए वार्षिक वित्तीय विवरणों का विश्लेषण निम्नलिखित दर्शाता है:-

1. 7450.26 करोड़ रुपये (पूरक सहित) के बजट अनुमानों के प्रति 541.53 करोड़ रुपये की कमी दर्शाते हुए, वर्ष के दौरान योजनागत राजस्व व्यय 6908.73 करोड़ रुपये था। 33783.64 करोड़ रुपये (पूरक सहित) के अनुमानों के प्रति 294.66 करोड़ रु. की कमी दर्शाते हुए वर्ष के दौरान योजनेत्तर राजस्व व्यय 33488.98 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष के दौरान 26727.40 करोड़ रुपये) था। 41233.90 करोड़ रुपये के अनुपूरक को जोड़ते हुए बजट अनुमानों के उपर 836.19 करोड़ रुपये की सम्पूर्ण कमी के लिए कारण, संघ सरकार विनियोग लेखे 1985-86 में दिए गए हैं।

1984-85 के दौरान 32406.50 करोड़ रुपये के प्रति वर्ष के दौरान राजस्व व्यय (पूँजी प्रभारित राजस्व व्यय को छोड़कर) 40397.71 करोड़ रुपये था। विभिन्नता के विस्तृत कारण संघ सरकार के वित्त लेखे 1985-86 के विवरण-1 में दिए हैं।

2. पूंजीगत व्यय बजट अनुमानों से (अनुपूरक सहित) 854.95 करोड़ रुपये कम रहा। पूंजीगत व्यय में विभिन्नता के मुख्य कारण संघ सरकार विनियोग लेखे 1985-86 में दिए हैं।

3. 32486.63 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों तथा 34,646.86 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों के प्रति वर्ष के दौरान वास्तविक राजस्व प्राप्तियां 34,833.19 करोड़ रुपये थीं। 1983-84 के और 1984-85 के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष	* बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
1983-84	24,616.20	25,021.71	24,549.96
1984-85	28,451.96	29,456.83	28,908.92

* आयकर तथा सम्पत्ति कर का राज्य का भाग तथा कृषि भूमि पर सम्पत्ति कर का संघ राज्य क्षेत्रों का भाग शामिल नहीं है।

नये वित्तीय उपायों के कारण कर राजस्व से अतिरिक्त धन संग्रहण 440 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया था।

4. वर्ष के अन्त में सामान्य रोकड शेष 1984-85 के अन्त में 487.93 करोड़ रुपये तथा 1983-84 के अन्त में 537.24 करोड़ रुपये के शेष की तुलना में 107.30 करोड़ रुपये था।

5. 1984-85 के दौरान सम्पूर्ण घाटा 3745.00 करोड़ रुपये था। वर्ष 1985-86 के लिए सम्पूर्ण घाटा बजट के समय 3316 करोड़ रुपये तथा संशोधित अनुमानों के समय 4490 करोड़ रुपये विचारा गया था जिसके

प्रति वास्तविक घाटा 6943 करोड़ रुपये था। बजट अनुमानों के संदर्भ में 3627 करोड़ रुपये की घाटे में वृद्धि मुख्यतः व्यय (राजस्व 2170 करोड़ रुपये, पूंजी 1141 करोड़ रुपये) में समय वृद्धि तथा सरकारी हुण्डियों से इतर लोक ऋण (3263 करोड़ रुपये) से प्राप्तियों में कमी और (597 करोड़ रुपये) के ऋण एवं पेशागियों की कम उगाही के कारण थी जिसके लिए अनुपूरक अनुदानों तथा सरकार द्वारा अधिक ऋण एवं पेशागियों (138 करोड़ रुपये) के माध्यम से व्यवस्था की गई थी। इन वृद्धियों का अंशतः प्रतिसंतुलन बढ़ी हुई राजस्व प्राप्तियों (2483 करोड़ रुपये) लोक लेखे के अन्तर्गत बढ़ी हुई प्राप्तियों (1199 करोड़ रुपये) से हुआ था। बजट अनुमानों के ऊपर घाटे में बढ़ोत्तरी (3627 करोड़ रुपये) सरकारी हुण्डियों के अन्तर्गत 3247 करोड़ रुपये के बढ़े हुए कर्जों में तथा 380 करोड़ रुपये के रोकड़ शेष की कमी में दिखाई गई थी।

6. आयातित उर्वरकों पर 323.71 करोड़ रुपये के परिदान सहित (लेखों में पूंजीगत व्यय के रूप में लेखाबद्ध) जो चालू उपयोग पर वास्तविक व्यय है 1985-86 के दौरान राजस्व घाटा 5888.23 करोड़ रुपये था। 1985-86 के अन्त तक 21026 करोड़ रु. का पूंजीगत व्यय तथा दीर्घकालीन ऋण, घाटे की वित्त व्यवस्था से वित्तपोषित किए गए।

प्रचलित लेखा विधि प्रणाली के अन्तर्गत आयातित उर्वरकों की लागत मुख्य शीर्ष "505-कृषि, खादों एवं उर्वरकों पर पूंजीगत परिव्यय को डेबिट की जाती है। भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य एजेंसियों को दिए गए निर्गमों को व्यय की कमी में बसूलियों के रूप में लिया जाता है। इस शीर्ष के अन्तर्गत सब मिला कर निवल समायोजन रोकड़ के आधार पर उर्वरकों की खरीद पर परिदान को दर्शाती है।

7. 1985-86 के दौरान 5888.23 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा निम्नलिखित को सम्मिलित करता है:-

	(करोड़ रुपयों में)
खाद्य परिदान	1650.47
देशी उर्वरकों पर परिदान	1600.00
निर्यात प्रोत्साहन एवं बाजार विकास सहायता	602.81
ब्याज परिदान	337.44
लाभांश आदि के लिए रेल्वे को परिदान	128.14
	<hr/>
	4318.86

8. 1984-85 के दौरान 2011.66 करोड़ रुपयों की तुलना में कर्ज सेवा बाध्यताओं पर निवल खपत 4594.75 करोड़ रुपयों की ब्याज प्राप्तियों को घटाने के पश्चात 2917.13 करोड़ रुपये थी।

9. संघ उत्पाद करो (5625.47 करोड़ रुपये) का राज्यों का हिस्सा तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान (7066.57 करोड़ रुपये) का योग 12692.04 करोड़ रुपये था जो कुल राजस्व खर्च के 31 प्रतिशत से कुछ अधिक तथा संघ सरकार के कुल कर राजस्व के 47 प्रतिशत अपर था।

10. वर्ष के दौरान राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वितरित निवल ऋण पेशागियों (7361.84 करोड़ रुपये) (संघ सरकार के दीर्घकालीन ऋणों से निवल प्राप्तियों के 98 प्रतिशत से अधिक बनी।

11. 31 मार्च 1986 को सरकार का साविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों अन्य संयुक्त स्टील कम्पनियों, सहकारी बैंकों एवं समितियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों इत्यादि में कुल निवेश 25670.09 करोड़ रुपये था। अन्तर्राष्ट्रीय निकायों में 314.60 करोड़ रुपये के निवेश पर तथा निर्माणाधीन उद्यमों में लगाए गए 2904.64 करोड़ रुपयों पर कोई लाभांश प्राप्त नहीं है। 992.82 करोड़ रुपये के कुल निवेश पर भारतीय रिजर्व बैंक, औद्योगिक विकास बैंक, जीवन बीमा निगम तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों से लाभ का अंश 302.25 करोड़ रुपये था। 21458.03 करोड़ रुपये के निवेश पर वर्ष के दौरान दूसरों से प्राप्त लाभांश 188.29 करोड़ रुपया था जो निवेश का केवल 0.87 प्रतिशत वापसी को निरूपित करता था।

12. 31 मार्च 1986 को कुल आन्तरिक ऋण (सरकारी हुण्डियों को छोड़कर) बाह्य तथा लघु बचतें 1,00,036.67 करोड़ रुपये थी जिनमें से बाह्य ऋण 18152.61 करोड़ रुपये था जो कि कुल ऋण का 18 प्रतिशत से अधिक था वर्ष के दौरान बाह्य ऋण पर दिया गया ब्याज, 537.61 करोड़ रुपये था जो कि कुल ब्याज के भुगतान 7 प्रतिशत से अधिक था।

13. कुल मिलाकर 6661.84 करोड़ रुपये की सहायता सामग्रियां एवं उपकरण, विदेशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से 31 मार्च 1986 तक प्राप्त हुए तथा प्रतिवेदन के वर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियां 487.19 करोड़ रुपये थी। इन्हें राजस्व प्राप्तियां माना जाता है। 31 मार्च 1986 को 13319.21 करोड़ रुपए के संचयी घाटे को अब तक प्राप्त 6661.84 करोड़ रुपये की बाह्य अनुदान सहायता के संदर्भ में अवलोकन करना होगा।

14. कुल मिला कर 2.08 करोड़ रुपये के ऋणों, जिनका बिबरण नीचे दिया गया है, के नियम और शर्त अभी तक तय नहीं की गई है।

15. 1985-86 के अन्त में 1863.20 करोड़ रुपये के मूलधनों की तथा (2159.78 करोड़ रुपये) के ब्याज (कुल 4022.98 करोड़ रुपये) की बसूली, जैसा नीचे उल्लिखित है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र सरकारों तथा सरकारी निगमों/कम्पनियों और गैर सरकारी संस्थाओं आदि से बकाया नहीं।

	(करोड़ रुपयों में)	
	मूलधन	ब्याज
राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से	8.52	6.29
सरकारी निगमों/कम्पनियों गैर		
सरोरी संस्थाओं से	1854.68	2153.49
	<hr/>	<hr/>
	1863.20	2159.78

16. 1985-86 के दौरान विभिन्न सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों आदि को मूल ऋण की वापसी तथा ब्याज के भुगतान हेतु 53.21 करोड़ रुपयों के नए ऋण संस्वीकृत किए गए थे।

17. 31 मार्च 1986 को प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि जिसके सरकार ने समझौता किया था और गारन्टी वाली बकाया राशियाँ क्रमशः 23905.62 करोड़ रुपये और 20419.68 करोड़ रुपये (लगभग) थी।

1985-86 के दौरान मांगी गई प्रत्याभूतियों तथा सरकार द्वारा किए गए भुगतानों का विवरण निम्नतः था

(I) सरकार ने ब्रांच लाइन रेलवे कम्पनियों की प्रदत्त शेयर पूंजी पर 3 से 3½ प्रतिशत/5 प्रतिशत प्रति वर्ष के निवल प्रतिफल की गारंटी दी थी। 2 कम्पनियों के मामले में 1985-86 के दौरान प्रत्याभूतियाँ मांगी गई थी तथा सरकार द्वारा 13.50 लाख रुपयों के भुगतान किए गए थे।

(II) लघु उद्योगों के लिए केन्द्रीय गारंटी योजना के अन्तर्गत मांगी गई गारंटियों के फलस्वरूप कर्ज/पेशागियों की वापसी में चूक के कारण सरकार द्वारा 5275 मामलों में 1713 लाख रुपए भुगतान किए गए थे।

18. 1985-86 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय निकायों को दिए गए अंशदान की सम्पूर्ण राशि 26.75 करोड़ रुपये थी, मुख्य अंशदान सं. रा. वि. का. (8.73 करोड़ रुपये) संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाढ़ आपात निधि (2.18 करोड़

रुपये) खाद्य तथा कृषि संगठन (0.63 करोड़ रुपये) संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (1.22 करोड़ रुपये) अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ (1.02 करोड़ रुपये), संयुक्त राष्ट्रसंघ (2.96 करोड़ रुपये), विश्व खाद्य कार्यक्रम (0.85 करोड़ रुपये) तथा यूनेस्को (0.70 करोड़ रुपये) को दिया गया।

19. भारत सरकार, कोलम्बो प्लान विशेष राष्ट्रमण्डल अफ्रीका सहायता योजना के अन्तर्गत, विभिन्न देशों की सहायता करती रही है। नेपाल तथा भूटान सरकारों को दी गई सहायता जो कि 1985-86 के दौरान कोलम्बो प्लान के अन्तर्गत सहायता के मुख्य प्राप्तिकार है, क्रमशः 15.88 करोड़ रुपये और 38.56 करोड़ रुपये थी। 1985-86 के दौरान विशेष राष्ट्रमण्डल अफ्रीका सहायता योजना के अन्तर्गत दी गई सहायता 17.28 लाख रुपये थी तथा 1985-86 के अन्त तक 331.98 लाख रुपये थी।

20. वर्ष के दौरान सरकारी हुण्डियों से कुल सकल प्राप्तियाँ 139566.86 करोड़ रुपये थी जबकि सकल विर्जन 133004.89 करोड़ रुपये था, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के अन्त में इस स्रोत से 6561.97 करोड़ रुपये के उधार में निवल वृद्धि हुई।

अध्याय II

विनियोग लेखा परीक्षा और व्यय पर नियंत्रण

2. सामान्य

1985-86 के दौरान अनुदानों/विनियोगों के प्रति वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति निम्न है:-

	मूल अनुदान/ विनियोजन	पूरक	जोड़	वास्तविक व्यय	अन्तर वृद्धि (+) बचत (-)
	1.	2.	3.	4.	5.
			(करोड़ रुपयों में)		
1. राजस्व : दत्तमत्त प्रभारित	17773.64 13658.19	2515.73 586.12	20289.37 14245.03	19274.68 14316.99	(-)1014.69 (+)71.96
2. पूंजीगत दत्तमत्त प्रभारित	8150.75 8.07	1409.71 10.74	9560.46 18.81	8806.15 17.92	(-)754.31 0.89
3. लोक ऋण प्रभारित	151379.78	-----	151379.78	134311.44	(+)17068.34
4. ऋण और पेशगियां दत्तमत्त प्रभारित	3474.45 7103.45	548.63 3191.91	4023.08 10295.36	3899.82 9907.36	123.26 (-)388.00
5. अन्य अन्तर्राज्यीय निपटारा:- कुल जोड़	201549.05	8262.84	209811.89	190534.36	(-)19277.53

* अन्तर्राज्यीय निपटारा के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश सरकार को 0.20 लाख रुपये के प्रावधान के प्रति 0.03 लाख रुपये की राशि अदा की गयी थी।

3. विनियोग लेखा परीक्षा के मुख्य परिणाम निम्न प्रकार है

3.1 1985-86 के दौरान प्राप्त किये गये समग्र पूरक अनुदान और विनियोग मूल अनुदानों और विनियोगों के 4 प्रतिशत बने।

3.2 25 मामलों में 76.88 करोड़ रुपए का पूरक प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि इन सभी मामलों में बचत, प्राप्त पूरक प्रावधान से अधिक थी। ब्यौरे परिशिष्ट I में दिये गये हैं।

3.3 19277.53 करोड़ रुपये (निबल) की समग्र बचत दत्तमत्त अनुदानों और प्रभारित विनियोगों के कुल प्रावधान के 9.2 प्रतिशत और पूरक प्रावधान के 233.3 प्रतिशत की द्योतक थी। यह 230 मामलों में 19419.10 करोड़ रुपये की बचत और 10 मामलों में 141.57 करोड़ रुपए की अधिकता का निबल परिणाम था, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

	बचत		आधिक्य		निबल बचत-आधिक्य(+)	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
दत्तमत्त अनुदान (96 अनुदानों में)	1040.52	879.84	25.83	2.27	(-)1014.69	(-)877.57
प्रभारित विनियोजन (44 विनियोजनों में)	39.98	17458.76	111.94	1.53	(+)71.96	(-)17457.23

3.4 27 अनुदानों में, बचतें प्रावधानों के 20 प्रतिशत से अधिक थी जबकि 18 अनुदानों में, बचतें 30 प्रतिशत से अधिक थी, ब्यौरे परिशिष्ट-II में दिये गये हैं।

3.5 दत्तमत्त अनुदानों के अन्तर्गत 1920.36 करोड़ रुपए और प्रभारित विनियोगों के अन्तर्गत 17498.74 करोड़ रु. की अन्तिम बचतों में से 23 अनुदानों एवं 4 विनियोगों में बचतें क्रमशः 1410.71 करोड़ रु. तथा

17446.09 करोड़ रु. आंकी गई, जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

क्र.सं	अनुदान	बचतों की राशि (बचतों की प्रतिशतता)	मुख्य कारण
1.	2.	3.	4.
(करोड़ रुपयों में)			
	दत्तमत अनुदान	38.35	छोटे तथा मझोले किसानों की कृषक उत्पादकता को बढ़ाने के लिए तथा राज्य सरकारों द्वारा अनुदान के लिए मांग की कमी की योजना के कार्यान्वयन में देरी (23.70 करोड़ रु.) पूर्वी राज्यों में चावल की उत्पादकता तथा उत्पादन को बढ़ाने के लिए विशेष प्रोग्राम के अन्तर्गत धन राशि को अनुकूल करने के प्रावधानों की अनुपयोगिता/ असुलभता (7.83 करोड़ रु.) तथा सहायता सामग्री व उपकरण के अन्तर्गत जापान सरकार से सामान अनुदान के बजाय नगद की प्राप्ति (6.00 करोड़ रु.)
1.	कृषि: राजस्व	14.9	
2.	11-विदेशी व्यापार तथा निर्यात उत्पादन	28.00 (3.4)	राज्य तथा व्यापार निगम द्वारा चीनी के आयात पर हानि के कुछ समायोजन तथा रा.व्या.नि. द्वारा अधिमान्य क्षेत्र को चीनी के निर्यात के रोक के कारण राशि के प्रावधानों की अनुपयोगिता।
3.	25— शिक्षा	86.05 (13.9)	विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन/अनुमोदन अन्तिम रूप न देना, मॉडल स्कूलों के प्रशासन के लिये संगठन स्थापित करने में देरी, ग्रामीण कार्यरत साहित्यिक परियोजना के अन्तर्गत कम व्यय तथा राज्य सरकारों में उपलब्धता की वजह से 9-14 आयु वाले के अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम शिक्षा में पिछले राज्यों में महिला अध्यापिकाओं की नियुक्ति के लिये पिछले वर्ष के दौरान अनुदानों का बकाया हिसाब तथा राज्यों को कम राशि का वितरण।
4.	38— राज्य सरकारों को अन्तरण	72.92 (2.6)	बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजना पर व्यय की कमी सुतलज-यमुना परियोजना पर धीमी प्रगति (56.13 करोड़ रु.) तथा बाढ़ पर विभिन्न सहायता कार्य के मदों के अन्तर्गत राज्य सरकारों को दिये अनुदानों की राशि के प्रावधानों का अनुपयोग (12.37 करोड़ रुपए)
5.	39— वित्त मंत्रालय के अन्य खर्च	313.36 (30.7)	अपने अपने अनुदानों में विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा तदनु रूप प्रावधान को सम्मिलित करने के कारण अनुदान के अंतर्गत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ते की अदायगी के लिए किये गये एक मुश्त प्रावधान (300.00 करोड़ रु.) का अनुपयोग।
6.	58— ग्रामीण तथा लघु उद्योग	44.83 (17.6)	बेरोजगार शिक्षित युवकों के लिये स्वयं नियोजित योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय बैंकों

1.	2.	3.	4.
			द्वारा कर्जों के वितरण में धीमी प्रगति के कारण पूंजीगत आर्थिक सहायता का कम उपयोग (40.60 करोड़ रुपए)
7.	63— सिंचाई मंत्रालय	29.39 (18.3)	कमाण्ड एरिया विकास कार्यक्रम के बारे में राज्य सरकारों द्वारा अनुदानों के लिए मांगों में कमी
8.	66— श्रम तथा रोजगार	21.04 (11.7)	औद्योगिक कर्मचारियों के लिये जमा संयुक्त योजना के बारे में खर्च में मितव्यय (7.30 रु.) बीडी कर्मचारियों के कल्याण के लिये योजनाओं की आंशिक कार्यान्वयन (2.18 करोड़ रु.), राज्य सरकारों से उपयोगिता प्रमाण पत्र न प्राप्त होने के कारण अनुदानों का कम जारी होना (1.78 करोड़ रु.) आवास योजनाओं को अन्तिम रूप न देना (1.50 करोड़ रु.) रिक्त पदों को न भरना तथा मोटर गाड़ियां न खरीदना।
9.	85— कोयला विभाग	22.21 (15.0)	कोयला मैदानी क्षेत्र में मडक के विकास के लिये योजना को अन्तिम रूप न देना (17.00 करोड़ रु.) तथा सरकारी चिकित्सालयों का कोयला खाना भजदर कल्याण संघ में कोयला इण्डिया लिमिटेड को हस्तांतरण के कारण बचत (2.53 करोड़ रु.)
10.	96— परमाणु ऊर्जा परियोजनायें	30.81 (13.3)	ईंधन के आयात के सीमा शुल्क में कमी तथा तारापुर परमाणु शक्ति स्टेशन के बारे में ईंधन गठुओं के निर्माण पर कम व्यय (15.97 करोड़ रु.) तथा ईंधन की खरीद का स्वगत तथा राजस्थान परमाणु शक्ति स्टेशन के बारे में स्टोर्स तथा स्पेअर्स का कम उपयोग (14.41 करोड़ रु.)
	पूंजीगत		
11.	2— कृषि	103.49 (4.7)	उर्वरक के आयात की प्रमात्रा में कमी तथा चढ़ाई उतराई प्रभागों के अर्नान्तिम दर में गिरावट।
12.	5— सहकारिता	55.11 (23.4)	परियोजना के पूंजीगत मूल्य के गिरावट के कारण, कृषक भारतीय सहयोग नि. की जर्जरता में कमी, गुजरात में अमानिया/एरिया परियोजना के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति।
13.	11— विदेशी व्यापार और निर्यात उत्पादन	82.04 (72.5)	देशों के साथ व्यापार के आकार में लिभिन्नता के कारण व्यापार समझौता में तकनीकी कैंडिटों के अन्तर्गत कम आहारणा।
14.	14— संचार मंत्रालय	22.22 (52.0)	सरकार की वित्तीय नीति में परिवर्तन के कारण भारतीय टेलीफोन उद्योग में कम पूंजी निवेश।
15.	39— वित्त मंत्रालय के अन्य व्यय	86.75 (6.5)	कतिपय परियोजनाओं को अन्तिम रूप न दिए जाने, विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए कृ.सा.वि.रा. बैं. को प्रतिदायी निर्धियां जारी न करने तथा न्यूनतम आवश्यकता प्रोग्राम का मध्यवर्ष समीक्षा के कारण कृषि

1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
16.	64— विद्युत शक्ति का विभाग	120.15 (6.9)	तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक (कृ.प्रा.वि.रा.बैं.) की निधियों की आवश्यकताओं में गिरावट। (1) सोवियत विशेषज्ञों से तकनीकी सलाह प्राप्त न होने (11) चमेरा दुलस्त होईडो उपकरण परियोजना तथा जयपुर टलचर प्रसारण लाइनों पर कम खर्च (111) क्रमशः विद्युत शक्ति परियोजना उपकरणों तथा निगम की आन्तरिक स्थिति में सुधार पर सीमा शुल्क में कमी (71.76 करोड़ रु.) तथा मध्य प्रदेश में सादर नदी परियोजना के बारे में भारत सरकार का कमी वाले साधनों के योगदान में सम्मिलित होने में कम योगदान (47.66 करोड़ रु.) के कारण (1) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम, (11) भारतीय जल विद्युत शक्ति निगम तथा (111) भारतीय थर्मल पावर निगम के बजट संबंधी समर्थन में कमी।	21.	92-आवास तथा शहरी विकास	20.08 (19.7)	माल की कमी, देरी से अधिनियम/निर्माण कार्यों की शुरुआत, जमीन की अधिप्राप्ति का पूरा न होना तथा नक्शों, व्यय मंजूरी का देरी से/अप्राप्ति के कारण निर्माण कार्यों में धीमी प्रगति (8.68 करोड़ रु.) आवास तथा शहरी विकास निगम द्वारा ऋण के लिये राशि की कम मांग (6.00 करोड़ रु.) तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण को अर्धोपाय अग्रिम के रूप में कम ऋण देना (5.00 करोड़ रु.)	
17.	70— पेट्रोलियम मंत्रालय	42.75 (10.4)	रिंग के किराया सूची के लिए निविदाओं के अन्तिम रूप देने/विस्तार/नवीनीकरण में विलम्ब, तेल तथा प्राकृतिक आयोग को ऋणों के जारी होने में कमी के कारण (32.07 करोड़ रु.) तथा केपटिव पावर संयंत्र को वित्तीय सहायता देने के लिये देरी से अनुमोदन के कारण हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड द्वारा विश्व बैंक ऋणों का कम उपयोग (9.75 करोड़ रु.)	22.	95-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान विकास तथा औद्योगिक परियोजनायें	48.75 (10.8)	उपकरण के कुछ मर्दों के वितरण में विलम्ब/स्थगन, काम की धीमी प्रगति तथा भारी पानी के प्राप्त करने में कमी।	
18.	79-सड़क	31.45 (11.3)	राज्य लोक निर्माण विभाग से प्रतिपूर्ति के लिये दावों को प्राप्त करने में अप्राप्ति/देरी तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के बड़े कार्यों के लिये निविदाओं को अन्तिम रूप न देना।	23.	96-केन्द्रक विद्युत शक्ति योजनायें प्रभारित विनियोजन राजस्व	30.61 (15.5)	उपकरणों की समय सुपुर्दगी में देरी तथा आयात की माल कम होने के कारण सीमा शुल्क के कम प्रभाव।	
19.	85-कोयला विभाग	57.68 (5.4)	प्रक्रिया संबंधी अनौपचारिकता के पूरा न होने के कारण भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से कोयला इण्डिया लिमिटेड (के.इ.लि.) को चार केन्द्रीय धुलाई कारखानों का स्थानान्तरण पूरा न होना (23.00 करोड़ रु.) तथा कम्पनी के आन्तरिक स्त्रोतों में सुधार के कारण सिगरोनी कोलरीज कम्पनी लि. को बजट सहायता में गिरावट (18.00 करोड़ रु.)	24.	59-ग्रामीण तथा लघु उद्योग	20.42 (68.1)	जमा बीमा तथा साख गारंटी निगम द्वारा धन राशि का धीमी प्रगति से उपयोग।	
20.	90-लोक निर्माण	22.67 (32.7)	योजनायें, खाका तथा डिजाइन के अनुमोदन/अन्तिम रूप न होने निविदाओं का देर से प्रकाशित करना, कोडल औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण व्यय की मंजूरी को देरी से/प्राप्त न होना, जमीन तथा सामान के अनुपलब्धता तथा समुद्री तट पर आधारित एकेडमी बम्बई के निर्माण कार्यों की रुकावट तथा कार्यों की धीमी प्रगति।	पूंजीगत	25.	38-राज्य सरकारों को हस्तान्तरण	337.23 (3.4)	प्राकृतिक संकट के कारण कुछ राज्य सरकारों द्वारा राहत से सम्बन्धित दावों का अन्तिम रूप न देना राज्य सरकारों को ब्लॉक ऋणों तथा अर्धोपाय में कमी।
				26.	ऋण की अदायगी	17068.34 (11.3)	प्रत्याशा से कम जारी किए खजाना बिल। (16000.00 करोड़ रुपये)	
				27.	63-सिंचाई विभाग	20.10 (33.6)	कमाण्ड एरिया विकास कार्यक्रम के बारे में राज्य सरकारों द्वारा ऋणों के लिए मांग की कमी (17.27 करोड़ रु.) तथा राज्य सरकार द्वारा समुद्री कटाव कार्यों के रुकावट के कार्यान्वयन में धीमा उत्साह (1.89 करोड़ रु.)	

3.6 अनुदानों पर आधिक्य

राजस्व अनुदान में 3 अनुदानों में कुल 25.83 करोड़ रु. का एवं 3 विनियोगों में 111.94 करोड़ रु. का आधिक्य था जबकि पूंजीगत अनुदान

में 2 अनुदानों में 2.27 करोड़ रु. तथा 2 विनियोगों में 1.53 करोड़ रु. का आधिक्य था। संविधान के अनुच्छेद 115 के अन्तर्गत इन आधिक्यों का नियमन अपेक्षित है। आधिक्य के ब्यौरे निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	अनुदान	कुल अनुदान रु.	वास्तविक व्यय रु.	आधिक्य रु. (आधिक्य की प्रतिशत)	मुख्य कारण
राजस्व					
1.	19-रक्षा पेंशन ए	512,87,25,000	524,88,81,527	12,01,56,527 (2.3)	महंगाई भत्ता/अतिरिक्त महंगाई भत्ता को तनख्वाह के साथ 568 अंक तक मिलाने के कारण बड़े दर पर पेंशन सम्बन्धी लाभों की मंजूरी, मूल्य निवृत्ती उपदान (मृ.नि.उ.) की सीमा में वृद्धि तथा संशोधित दरों पर इनामों की अधिक अदायगी।
2.	36-पेंशन ए	188,54,99,000	198,11,17,020	956,18,020 (5.1)	पेंशन, उपदानों, पारिवारिक पेंशन के परिवर्तित कीमत के अधिक मामले का भुगतान तथा पेंशन भोगियों को राहत की अतिरिक्त किश्त का भुगतान तथा प्रत्याशा में अधिक नये मामले की प्राप्ति।
3.	90-लोक निर्माण	123,66,65,000	127,91,92,067	4,25,27,067 (3.4)	स्थानीय निकायों द्वारा बकाया का भुगतान तथा शूल्क सूचि में बढ़ोत्तरी, भारत के इस्पात प्राधिकरण के खरीद तथा अग्रिम भुगतान तथा आयातित इस्पात की खरीद मूल्य समर्थन संचालन पर हानियों के लिए भारतीय पटसन निगम लि. को आधिक्य सहायता के बजाए ऋण के रूप में, तथा सहकारी कर्ताई मिलों के अधिक खर्च के लिए वित्तीय सहायता।
पूंजीगत					
4.	12-टैक्साइल हैंडलूम तथा दस्तकारी	273,84,35,000	275,77,68,402	193,33,402 (0.7)	गन्टोक तथा जबलपुर में नई परियोजनाओं के लिए स्थान के लिये प्रावधान तथा प्रत्याशा में अधिक आपूर्ति के अधिक कर्ज की प्राप्ति।
5.	62-पसारण प्रभारित विनियोजन राजस्व	127,88,88,000	128,23,04,418	34,16,418 (0.3)	कोर्ट डिप्री के संतुष्टी में भूमि के अधिग्रहण के लिये मुआबजे का भुगतान।
6.	4-पशुपालन तथा दुग्धशाला विकास	20,000	27,647	7647 (40.0)	
7.	ब्याज भुगतान	7400,00,00,000	7511,88,30,927	111,88,30,927 (1.5)	खजाना बिलों के अधिक जारी करने के कारण बट्टे का अधिक भुगतान, बचत बैंक में अधिक जमा/बचत प्रमाण पत्रों का जारी होने, जिसके परिणाम स्वरूप ब्याज दायित्वों में अधिकता तथा विभिन्न लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत अधिक प्राप्तियां जिसके कारण योजनाओं की व्यवस्था पर व्यय में बढ़ोत्तरी।
8.	92-आवास तथा शहरी विकास	1,83,97,000	1,89,94,332	5,97,332 (3.2)	नई दिल्ली म्युनिमिपल कमिटी को बिजली तथा जल प्रभारों का आवश्यक तथा अपरिहार्य भुगतान।
पूंजीगत					
9.	53-चंडीगढ़	75,00,000	121,83,000	46,83,000 (62.4)	कारण अपेक्षित है (जनवरी 1987)
10.	92-आवास तथा शहरी विकास	17,70,28,000	1875,89,983	1,06,61,983 (6.0)	कोर्ट डिप्री/मनवानी मध्यम के संतुष्टी में भूमि/सम्पत्ति की प्राप्ति के बारे में मुआबजे का भुगतान।

3.7 नई सेवा/सेवा के नये दस्तावेज पर व्यय

लोक लेखा समिति की सिफारसों पर, सरकार ने, अन्य बातों के साथ साथ व्यय के विभिन्न वर्गों के लिए कुछ वित्तीय सीमायें निर्धारित की हैं जिसके परे व्यय नई सेवा या "सेवा के नये दस्तावेज" माना जाता था तथा

जिसके लिये संसद की पूर्व मंजूरी की जरूरत थी। 1985-86 के लेखाओं की लेखापरीक्षा में जांच के दौरान, निम्नलिखित मामले सामने आये जिनमें विहित सीमाओं का उल्लंघन किया तथा व्यय "नई सेवा" या "सेवा के नये

दस्तावेज" बने लेकिन न तो आक्समिक निधि से अग्रिम प्राप्त हुये और न संसद की पूर्व मंजूरी ली।

(i) वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय
(अनुदान संख्या 11-विदेशी व्यापार तथा निर्यात उत्पादन)

900 लाख रु. के बजट प्रावधान के प्रति मंत्रालय ने निर्यात प्रोन्नति तथा बाजार विकास संगठन को 1139.36 लाख रु. की राशि के अनुदानों का भुगतान किया था, 239.36 लाख रु. का अतिरिक्त भुगतान 200.00 लाख रु. की विहित सीमा से अधिक था तथा अनुदान के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा पूरा किया।

(ii) सिंचाई तथा ऊर्जा मंत्रालय
(अनुदान संख्या 63/सिंचाई विभाग)

बजट अनुमानों 55.00 लाख रु. के प्रावधान के प्रति राष्ट्रीय हायड्रोलोजी संस्थान को सिंचाई विभाग ने 68.00 लाख रु. के अनुदान के रूप में भुगतान किया। 13.00 लाख रु. के अतिरिक्त भुगतान 10.00 लाख रु. विहित सीमा से अधिक था तथा अनुदान के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा पूरा किया।

(iii) पर्यटन और विमानन मंत्रालय
(अनुदान संख्या 87-विमानन)

बजट अनुमानों में 1.00 लाख रु. के प्रावधान के प्रति हवाई खेलों के विकास के लिये 1985-86 के दौरान 25.00 लाख रु. की राशि का सहायक अनुदान के रूप में एयरो क्लब को भुगतान किया गया। 24.00 लाख रु. का अतिरिक्त भुगतान 10.00 लाख रु. के विहित सीमा से अधिक था तथा अनुदान के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा पूरा किया।

(iv) कार्मिक तथा प्रशासन सुधार विभाग
(अनुदान संख्या 101- कार्मिक तथा प्रशासन सुधार विभाग)

कार्मिक तथा प्रशासन सुधार विभाग ने बजट अनुमानों में 48.25 लाख रु. के प्रावधान के प्रति भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को 63.48 लाख रु. के सहायक अनुदान के रूप में भुगतान किया था। 15.23 लाख रु. के अतिरिक्त भुगतान 10.00 लाख रु. के विहित सीमा से अधिक था तथा अनुदान के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा पूरा किया।

अध्याय III
सिविल विभाग
कृषि मंत्रालय

4. दालों का विकास कार्यक्रम

4.1 प्रस्तावनात्मक

4.1.1 दालों में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होने के कारण, भारत में अत्यावश्यक शाकाहारी आहार के रूप में पंहुले से ही प्रमुख रूप से माती जाती रही है। पौषणिक गुण के अतिरिक्त, जीव विज्ञान नाइट्रोजन नियतन के माध्यम से भूमि उपजाऊपन को बनाए तथा पुनः स्थापन रखने तथा इनकी गहरी जड़ पद्धति के कारण, प्रत्यक्ष भूमि गुणों में सुधार बनाए रखने के कारण, दाल फसल एक मात्र गुण सम्पन्न है।

भारत में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के हिसाब से दालों के उत्पादन में

प्रगति नहीं हुई है तथा वस्तुस्थिति में रही तथा इसके परिणामस्वरूप खाद्य एवं कृषि संगठन (खा. एवं. कृ.सं.) तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (वि.स्वा.सं.) की सिफारिश के अनुसार 80 ग्राम मानक के प्रति 1961 में 69 ग्राम प्रति दिन से 1971 में 51 ग्राम प्रति दिन की दर से प्रति व्यक्ति दालों की उपलब्धता में गिरावट आई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (भा.चि.अ.प.) ने तथापि दैनिक प्रोटीन के विभिन्न अन्य साधनों के भत्ते देने के बाद प्रतिदिन 47 ग्राम की प्रति व्यक्ति ज़रूरत की सिफारिश की थी। 1971 में 54.82 करोड़ से, 1981 में 68.52 करोड़ जनसंख्या वृद्धि होने के कारण 1981 में प्रति व्यक्ति दालों की उपलब्धता में 37.5 ग्राम प्रतिदिन की गिरावट आई थी। यह 1985 में 38.9 ग्राम थी। अनुमानित क्षेत्र, उत्पादन, प्रति हैक्टेयर फसल तथा प्रति व्यक्ति दाल और अनाज की उपलब्धता को तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है:-

	1960-61		1970-71		1980-81		1984-85	
	दालें	अनाज	दालें	अनाज	दालें	अनाज	दालें	अनाज
क्षेत्र (मिलियन हैक्टेयर)	23.56	92.02	22.53	101.78	22.46	104.21	22.73	103.94
उत्पादन (मिलियन टन)	12.70	69.31	11.82	96.60	10.63	118.96	12.20	134.03
उपज (कि.ग्रा.पति हैक्टेयर)	539	753	524	949	473	1142	537	1290
* प्रति व्यक्ति उपलब्धता (ग्राम प्रति दिन)	69.0	399.7	51.2	417.6	37.5	416.2	38.9	424.4

* प्रति व्यक्ति उपलब्धता आंकड़े 1961, 1971, 1981 तथा 1985 से संबंधित हैं।

4.1.2 कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) जिसका नाम अब कृषि मंत्रालय (कृषि तथा सहकारिता विभाग) है को इसके बाद मंत्रालय के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, इसने दालों के उत्पादन को बढ़ाने, तथा इसकी मांग और आपूर्ति के बीच को भरने के लिए 1972-73 में दालों के विकास के लिए एक केन्द्रीय (प्रायोजिता प्रवर्तित योजना (के.प्र.यो) चलाई थी। तेरह दाल उगाने वाले मुख्य राज्यों में (उत्पादन तथा कुल क्षेत्र के 98 प्रतिशत से अधिक को लिया गया है) 56 अधिक दाल उगाने वाले जिले चुने गए थे। बाकी के राज्यों/संघ राज्यों (सं.रा.) में दालों के उत्पादन के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र बहुत थोड़ा था, दा.वि.का. समस्त जिलों में बढ़ाया गया था।

4.1.3 पंचवर्षीय योजना तथा बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत दालों के उत्पादन को उच्च प्राथमिकता दी गई थी।

4.1.4 कार्यक्रम उद्देश्य तथा योजना

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, किसानों को खेतीबाड़ी के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना, विभिन्न सुधरी हुई किस्मों के बीजों के सवितरण करके प्रति हैक्टेयर उत्पादकता बढ़ाना, कृषि के क्षेत्र में सुधरी हुई तकनीक लागू करके लघु अर्वाध में जुताई करना, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। छठी योजना तथा सातवीं योजना के प्रथम वर्ष में, उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति में अन्तर्गत योजना के आवश्यक लक्षण निम्न थे:-

— सुधरी हुई किस्म की दालों के बीजों का प्रदर्शन।

- सुधरी हुई किस्मों के प्रजनक बीजों के उत्पादन और उनके स्थापना प्रमाणिक तथा सत्यता पूर्वक लेबल चिपकाए बीजों में गुणन।
- मानव परिचालित छिड़काव पम्प तथा धूलित्र का उपयोग।
- हवाई छिड़काव तथा भूमि के परिचालन प्रभार बहन करना।
- पौधा सुरक्षा रसायन का उपयोग,
- रिजोबियम (चतुर्मुखी प्रमद) संवर्धन का उत्पादन तथा इसके उत्पादन के लिए प्रयोग शालाओं को मजबूत करना।
- स्टाफ मदद उपलब्ध कराना।

1982-83 से सात राज्यों के 20 जिलों में फसल के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "श्रीधम-ऋतु मूंग उत्पादन" पर भी चलाई थी।

इस अर्वाध के दौरान निम्नलिखित केन्द्रीय खण्ड योजनाएँ भी लागू की गई थी:

- विभिन्न नवीनतम दालों के बीजों को तेजी से फैलाने के लिए तथा अन्तर्मुखी फसल और अन्तः अन्तर्मुखी फसल प्रक्रिया के अंतर्गत अधिक क्षेत्र को लाने के लिए 1981-82 से किसानों को निःशुल्क दाल लघु धैलियों का सवितरण,

— 1984-85 में मध्य प्रदेश से "केसरी दाल" को बदलने के लिए, दाल के बीजों की लघु थैलियों का संवितरण।

— विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों को उत्पादन के लिए प्रजनक दाल बीजों की सहायता तथा सुधरी हुई कृषि विज्ञान प्रक्रिया पर विस्तार स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान करना।

उपरोक्त के अतिरिक्त, राष्ट्र के समस्त खण्डों में मंत्रालय द्वारा चलाई गई, केन्द्रीय प्रायोजित योजना "लघु तथा उपान्तिक किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायता (ल.उ.कि.उ.) के अंतर्गत दाल उगाने वाले लाभ उठा सकते थे जिसके अंतर्गत दालों की लघु थैलियाँ संवितरित की गई थी।

4.2 सहायता का प्रतिमान

कार्यक्रम को लागू करने के लिए राज्यों को दी जाने वाली सहायता प्रतिमान में निवेशित मूल्य के लिए आर्थिक सहायता जैसे बीज प्रदर्शन पौधा सुरक्षा रसायन तथा उपस्करों के परिचालन प्रभार भी शामिल थे तथापि कार्यक्रमों के विभिन्न घटकों को समय पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता की दर भिन्न थी जिसका विवरण अनुबन्ध में दिया गया था।

4.3. कार्यक्रम को लागू करने के लिए संगठनात्मक संरचना

कार्यक्रम, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश/प्रशासन के कृषि विभाग के माध्यम से लागू किया जाना था जिन्हें राज्य जिला तथा ब्लाक स्तर पर कार्यक्रम के पर्यवेक्षण/अनुश्रवण के लिए अधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी सौंपते हुए, इसके प्रभावी लागू होने को सुनिश्चित करना था।

केन्द्रीय स्तर पर एक दाल विकास निदेशालय, (दा.वि.नि.) जिसका मुख्यालय लखनऊ में था, जनवरी 1970 से निम्नलिखित कार्यों के लिए गठित किया गया था।

- केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए विकास कार्यक्रम पर विचार करने के लिए समय-समय पर की गई प्रगति का पुनरीक्षण तथा प्रगति की तीव्रता के लिए तरीकों की सिफारिश:
- दालों के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना का गठन और संवीक्षा, कार्यक्रमों का आवधिक निर्धारण, और मौसम के दौरान क्षेत्रीय कार्यक्रमों पर निगरानी रखना,
- फसल विकास कार्य के संबंध में केन्द्र तथा राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाए रखना तथा उनको तकनीकी सलाह देना,
- अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के बीच उचित समन्वय स्थापित करना और उत्पादन की प्रगति पर नजदीक से नजर रखना।
- अपेक्षित निवेशों का आंकना, तथा
- भारतीय दाल विकास परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करना।

4.4. 1980-81 से 1985-86 के दौरान लागू कार्यक्रमों की, 19 राज्यों के कुल जिलों/खण्डों तथा 2 संघ शासित क्षेत्रों की सामान्य रूप से और समस्त 13 मुख्य दाल उगाने वाले राज्यों की विशेष रूप से, लेखापरीक्षा द्वारा मंत्रालय में नमूना जांच-पडताल की गई थी। लेखापरीक्षा के दौरान उत्पन्न महत्वपूर्ण मुद्दे अनुवर्ती पैराग्राफ में दिए गए हैं।

4.4.1 योजना

पंचवर्षीय योजना की अवधि में उत्पादन और उत्पादकता के अनुसार दालों के उत्पादन में रुकावट को ध्यान में रखने के प्रति छठी योजना में नीति बनाई गई थी। कम उत्पादकता निम्न कारणों से थी:—

- अधिकतर उपान्तीय तथा उप-उपान्तीय भूमि पर मुख्यतः वर्षा पर आश्रित दशाओं के अन्तर्गत दालों की खेती,
- कीड़े काशीजीव तथा बीमारियों की संभावना के कारण,
- रसायन उर्वरकों, रसायन खाद तथा पौधा सुरक्षा प्रक्रिया के उपयोग न करने पर, तथा,
- उर्वरकों के प्रयोग के लिए, विभिन्न किस्मों की दालों के बारे में अपर्याप्त कार्यवाही।

मंत्रालय ने बताया कि दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाते हुए घोर प्रयास करने के विचार में था।

- कृषि सिंचाई पद्धति में दालों की फसल को प्रारम्भ करना,
 - उर्द मूँग आदि भी विभिन्न किस्मों, रबी मौसम में अवशिष्ट आद्रता का उपयोग करते हुए पश्चिमी भूमि में चावल तथा तिलहन, गन्ने आलू और गेहूँ के बाद सिंचाई करके लघु अवधि के दौरान अतिरिक्त क्षेत्र को लाना,
 - सिंचाई तथा गैर सिंचाई की स्थिति दोनों के अन्तर्गत, अरहर, सोयाबीन, बाजरा, कपास तथा मूँगफली की अन्तः पैदावार
 - दालों के बीजों का सुधरी हुई किस्म का गुणात्मक उपयोग
 - पौधा सुरक्षा पद्धति को अपनाना
 - फास्फोरस उर्वरकों का उपयोग
 - फसल उपरान्त सुधरी तकनीकी का अपनाना
 - दालों के व्यापार तथा मूल्य निर्धारण सहित लोक नीतियां, तथा
 - दाल फसलों के उत्पादन, उपलब्धि तथा व्यापार में एक समेकित पहुँच को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न ब्लाकों सिंचाई तथा वर्षा पर आश्रित क्षेत्र दोनों में दाल फसल गांव की व्यवस्था।
- ऐसी आशा की गई थी कि उपरोक्त प्रयासों के परिणाम स्वरूप उत्पादन में 28.9 लाख टन की वृद्धि होगी (14.5 लाख टन अतिरिक्त क्षेत्र बढ़ाने से

तथा 14.4 लाख टन सुधरी हुई तकनीक का उपयोग करने से फसल में वृद्धि) तदनुरूप छठी योजना के अन्त में मंत्रालय ने 145 लाख टन की उत्पादन लक्ष्य नियत किया था।

अनुवर्ती पैराग्राफों से निकाले गए तथ्यों के आधार पर देखा जायेगा कि कार्यक्रमों के लागू करने से इच्छुक परिणाम प्राप्त नहीं किए गए थे। क्षेत्र, उत्पादन, प्रति हैक्टेयर उपज के साथ पिछली उपलब्धियों पर कोई भी बढ़ोत्तरी नहीं दर्शाई गयी थी।

4.4.2 अपर्याप्त कार्यान्वयन मशीनरी

केन्द्रीय स्तर पर कार्यक्रम की देखरेख कृषि आयुक्त/संयुक्त आयुक्त (खाद्य उपज) द्वारा की जा रही जो अन्य खाद्य फसल के प्रभारी अधिकारी भी थे। जिला दाल विभाग लखनऊ में 3 अधिकारी अर्थात्:-

1 निदेशक तथा 2 उप निदेशक (एक उप निदेशक जुलाई में तथा दूसरा जनवरी 1986 में भेजा गया था) क्षेत्रीय निरीक्षण सहित कार्यान्वयन तथा प्रबोधक कार्यक्रमों की देखरेख कर रहे थे।

आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, मणीपुर तथा सिक्किम राज्ज में संगठनात्मक गठन पूर्ण रूप से अनुकूल नहीं था चूँकि बहुत से पद, जैसे ग्राम एक्सटेन्सन अधिकारी, क्षेत्रीय निरीक्षक, दाल विकास अधिकारी, तकनीकी सहायक, सहायक निदेशक, अन्वेषक तथा अन्य स्टाफ, जिनका प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रबोधन कार्यक्रम के लिए होना अति आवश्यक था, अभी तक भरे नहीं गए थे।

असम में केवल राज्य स्तर के पदों को ही भरा गया था तथा परिचालन यूनिट स्तर पर स्टाफ उपलब्ध नहीं कराया गया था।

जम्मू काश्मीर, तमिलनाडू तथा पश्चिमी बंगाल में, कार्यक्रम के प्रभाव को आंकने के लिए राज्य स्तर कार्यक्रम समितियाँ संस्थापित नहीं की गई थी। उड़ीसा में इसका गठन केवल 1985 में किया गया था।

4.4.3 वित्तीय प्रगति

वर्ष 1980-81 से 1985-86 दौरान विभिन्न दाल विकास कार्यक्रमों/ योजनाओं के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा जारी की गई राशि निम्न प्रकार थी:-

वर्ष	दा.वि.का. ग्रीष्म मूंग सहित	दालों की छोटी धैलियों का संवितरण	दाल तकनीक पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम	केसरी दाल का पुनः स्थापन	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			(लाख रुपयों में)			
1980-81	273.42	—	0.40	1.77	—	275.59
1981-82	296.98	22.86	0.80	2.61	—	323.25
1982-83	387.86	81.35	0.55	0.73	—	470.49
1983-84	349.92	79.97	0.48	—	—	430.37
1984-85	399.69	95.48	0.78	—	37.58	533.53
1985-86	321.10*	108.80	बन्द कर दिया	—	बन्द कर दिया	429.90
योग	2028.97	388.46	3.01	5.11	37.58	2463.13

*गोवा, दमन तथा दीप, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली अन्डमान निकोबार दीप समूह को जारी की गई राशि शामिल नहीं की गई थी क्योंकि यह उपलब्ध नहीं थी।

1980-81 से 1985-86 की अवधि के दौरान दाल विकास योजना के अंतर्गत तथा 1983-84 से 1985-86 की अवधि के दौरान (ल.उ.कृ.का.) के अंतर्गत बहन किए गए व्यय का संघटक वार विवरण मंत्रालय से मांगा गया था (मई 1986) तथा अभी प्रतीक्षित था (जनवरी 1987)।

13 राज्यों को छठी योजना अवधि के दौरान दाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई वित्तीय सहायता की मात्रा, जो 98 प्रतिशत से अधिक उत्पादन के लिए उत्तरदायी थी, निम्न प्रकार थी:-

राज्य	मंत्रालय द्वारा चुने गए जिलों की संख्या	वास्तव में लिये गए जिलों की संख्या	मंत्रालय द्वारा जारी की गई केन्द्रीय सहायता	राज्यों द्वारा सूचित केन्द्रीय सहायता की प्राप्ति	(राज्य तथा केन्द्र शोयर) (कुल उपलब्ध निधियाँ)	कुल व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			(लाख रुपयों में)			
आन्ध्र प्रदेश	3	3	57.35	44.58	120.13	95.81
बिहार	3	33	85.11	120.34	455.86	153.02
गुजरात	2	2	143.59	152.95	258.11	244.32
हरियाणा	2	2	107.80	107.81	135.70	97.44
कर्नाटक	3	3	48.51	48.52	78.00	66.64
मध्य प्रदेश	12	45	224.83	200.53	399.12	422.87
महाराष्ट्र	4	29	285.94	285.95	682.71	576.46
उड़ीसा	2	13	61.67	61.18	163.03	100.72
पंजाब	1	1	25.20	25.22	42.52	35.46
राजस्थान	8	8	118.81	92.24	199.61	170.73
तमिलनाडू	3	3	72.73	72.75	105.69	103.81
उत्तर प्रदेश	12	12	354.06	345.03	524.35	584.25
पश्चिमी बंगाल	1	17	46.42	24.36	76.53	42.39
कुल	56	171	1,632.02	1581.46	3241.36	2,693.92

छठी योजना अर्वाधि के दौरान बाकी के राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को जारी की गई केन्द्रीय सहायता की राशि 75.85 लाख रुपये (4.4 प्रतिशत) थी जो उत्पादन के 2 प्रतिशत से कम थी।

निम्नलिखित टिप्पणियों को दृष्टिगत रखते हुए, दाल विकास कार्यक्रम पर बहन किए गए व्यय पर विचार किया जाना है।

— उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश को छोड़ते हुए अन्य राज्यों को उपलब्ध करायी गई निधियों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया था।

— केवल आंध्र प्रदेश को छोड़कर, जहां पर बीजों की आपूर्ति न होने के कारण, आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के बीजों के उत्पादन तथा आर्थिक तरीकों के दावों को अंतिम रूप न देने के कारण, निधियों के उपयोग में गिरावट, आरोपित थी। राज्यों द्वारा गिरावट के कारण नहीं बताए गए थे।

— राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को जारी की गई केन्द्रीय सहायता की मात्रा की दालों की खेती बाड़ी के लिए जानी जाने वाले जिलों की संख्या के साथ, कोई भी संबंध नहीं रखा था। मंत्रालय से बैठक के कार्यवृत्त को प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध (जुलाई 1986) किया गया था जिसमें राज्यवार सहायता की मात्रा पर निर्णय लिया गया था। मंत्रालय ने बताया (जनवरी 1987) कि प्रतिवेदन के अंतर्गत अर्वाधि के दौरान अनाज उत्पादन में कमी को पूरा करने पर अधिक जोर था तथा अनाज उत्पादन जैसे गेहूं तथा चावल में बढ़ोत्तरी करने में अधिकतर प्रयत्न सभी राज्यों में केंद्रित थे।

— जिलों की संख्या, जहाँ पर कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया था, बिहार, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल में केन्द्रीय सरकार द्वारा चुने गए जिलों की संख्या से बढ़ गयी थी।

— निधियों के उपयोग में, आगे निम्नलिखित अनियमितताएँ/कमियाँ ध्यान में आई थी।

आन्ध्र प्रदेश:— 95.81 लाख रुपये के कुल व्यय में से स्टाफ घटकों पर 35.86 लाख रु. (37 प्रतिशत) के व्यय का लेखाकन किया गया था।

आसाम:— 1985-86 के अंत तक बीजों की उपलब्धी तथा उत्पादन के लिए आर्थिक सहायता के रूप में 5.75 लाख रुपये की राशि बाहरी एजेंसियों को भुगतान की गई थी लेकिन इन एजेंसियों से अभी तक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए थे।

गुजरात:— वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 की पिछली तिमाही में, कुल व्यय की प्रतिशतता क्रमशः 91.90, 90.97, 90.47, 87.80 तथा 35.99 थी।

यद्यपि केन्द्रीय सरकार द्वारा गहन विकास के लिए बनासंकथा तथा पंचमूलाम जिलों को चुना गया था, 1980-81 से 1985-86 की अर्वाधि के दौरान इन जिलों पर केवल 4.44 लाख रु. तथा 7.05 लाख रुपये की व्यय किया गया था जो 281.66 लाख रुपये के कुल व्यय का 1.58 प्रतिशत तथा 2.50 प्रतिशत निकाला गया था।

मध्य प्रदेश:— प्रजनन बीज तथा गिराये जाने वाले बीजों को छोड़कर निदेशक कृषि के पास व्यय के संघटक-वार विवरण उपलब्ध नहीं थे।

मणीपूर:- क्रमशः 2.19 लाख रु. तथा 1.16 लाख रु. की राशि जिनका 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान उपयोग नहीं किया जा सका था बैंक ड्राफ्ट के रूप में रखी हुई थी। यद्यपि विभाग द्वारा इन वर्षों में शतप्रतिशत वित्तीय लक्ष्यों की उपलब्धी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

उड़ीसा:- 8.52 लाख रुपये की राशि की विपणन गांजा खेती बाड़ी के लिए कर दिया था। आगे, मार्च 1985 में सिंचाई आर्थिक सहायता के रूप में आहरित 3.13 लाख रुपये की राशि की उपयोगिता के विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

पश्चिमी बंगाल:- जिलों को निधियों के आवंटन में विलम्ब होने के कारण, खरीफ के मौसम में समस्त वर्षों में जैसे 1980-86, कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया जा सका था।

यद्यपि मुर्शीदाबाद और नादिया जिलों में (मुर्शीदाबाद 1.62 लाख रु. तथा नादिया 0.06 लाख रु.) कुल 1.68 लाख रु. 1984-85 तथा 1985-86 अवधि में उपयोग नहीं लिए जा सके थे। राशि प्रगति रिपोर्ट में व्यय के रूप में दर्शाई गई थी।

4.1.4 प्रत्यक्ष प्रगति:-

उप पैरा 4.1.4 में केन्द्रीय प्रयोजित योजना, दाल विकास कार्यक्रम के विभिन्न संघटकों पर चर्चा की गई है। छठी योजना के दौरान निम्नलिखित संघटनों से संबंधित बताई गई लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ निम्न प्रकार हैं:-

	छठी योजना का लक्ष्य	छठी योजना के दौरान उपलब्धियाँ
1. प्रदर्शन (हेक्टेयर में)	64,355	66,315
2. प्रजनन बीज (क्विंटल में)	7,625	9,561.26
3. बोने वाले बीज (क्विंटल में)	10,552	1,20,067
4. प्रमाणित बीज (क्विंटल में)	4,20,847	8,57,000
5. आच्छादित क्षेत्र (पैकेज पहुँच हेक्टेयर में)	1,40,00,000	2,11,37,960
6. अतिरिक्त क्षेत्र पहुँच (हेक्टेयर में)	79,00,000	61,83,582

निम्नलिखित संघटक जिनके लक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, छठी योजना के दौरान उपलब्धियाँ निम्न प्रकार थी:-

	उपलब्धियाँ
1. पौधा सुरक्षा पद्धति के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर में)	47,80,620
2. परिचालन प्रभारों में अंतर्गत आच्छादित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	10,89,071
3. पौधा सुरक्षा उपस्करों का संचितरण (संख्या)	62,992
4. रिजोबियम संवर्धन के अंतर्गत आच्छादित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	19,49,914
5. रिजोबियम संवर्धन पैकेट की संचितरण (संख्या)	28,57,170
6. दाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लघु धैलियों की संचितरण (संख्या में)	14,49,656

ऐसा देखा जायेगा, प्रजनक बीज, प्रमाणिक सही रूप से चिपकाए गए लेबल वाले बीजों तथा अतिरिक्त क्षेत्र पहुँच को छोड़कर, विभिन्न संघटकों के लक्ष्य प्राप्त किए गए थे उत्पादन या प्रति हेक्टेयर उपज की समग्र बढ़ोत्तरी में कोई योगदान नहीं हुआ था।

मंत्रालय ने उन्हें नहीं भेजा था लेकिन बताया (जनवरी 1987) कि निधियों का आबंटन तथा जारी करने का मापदण्ड किसी विशेष राज्य में दाल की संख्या तथा कार्यक्रम के आधार पर निर्भर था तथा कार्यक्रम के हित में विभिन्न राज्यों को बाद में अतिरिक्त निधियाँ जारी की गई थीं ताकि सुरक्षा उपायों के माध्यम से महामारी के विस्तार को रोकने, अप्रत्याशित मांगों को पूरा किया जा सके।

संघटक पैकेज पहुँच के अंतर्गत, कृषकों को प्रेरित करने के लिए, पैकेज प्रक्रिया अवलोकन के लिए जैसे: प्रमाणिक बीजों का उपयोग रिजोबिया (प्रकण्ड) संवर्धन द्वारा बीजों का उपचार, पौधा सुरक्षा उपायों का अपनाना, तथा सिंचाई और वर्षा पर आश्रित दानों में फास्फोरस उर्वरकों का उपयोग करना, विशेष-अभियान चलाए जाने थे। जबकि, पैकेज पहुँच 1980-81 से 1984-85 की अवधि के दौरान 211.38 लाख हेक्टेयर पर आच्छादित बताया गया था, रिजोबियम संवर्धन तथा पौधा सुरक्षा उपाय के अंतर्गत आच्छादित क्षेत्र, अर्थचर्चित असंतुलन दर्शाते हुए क्रमशः 19.5 लाख हेक्टेयर तथा 47.81 लाख हेक्टेयर था।

दाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जिलों में आच्छादित, प्रति हेक्टेयर उपज उत्पादन तथा क्षेत्र के विवरण मांगे गए थे (मई 1986) लेकिन अभी तक प्रस्तुत नहीं किए गए थे। (जनवरी 1987)

मंत्रालय के पास चुने हुए जिलों की सिंचाई खेती तथा अन्तः पैदावार के अंतर्गत आच्छादित क्षेत्रों के विवरण उपलब्ध नहीं थे। तथापि ऐसा देखा गया था कि सिंचाई खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की प्रतिशतता में 1970-71 में 8.98 प्रतिशत से 1982-83 में 7.95 प्रतिशत की गिरावट आई थी।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 1987) कि कुल सिंचाई किये हुए क्षेत्र में दालों के अंतर्गत सींचे हुए क्षेत्र का सही प्रस्तुति नहीं था क्योंकि सही राजस्व सर्वेक्षण नहीं था तथा सींचे तथा सूखी खेती करने की प्रणालियों में अतिरिक्त क्षेत्रों के अंतर्गत विस्तार फसल काटने के अनुभवों के आधार पर अंकित तथा मूल्यांकन नहीं किया था। यह जोड़ा गया था कि जब तक फसल अंकित करने की प्रणाली सभी राज्यों में तत्काल तैयार नहीं की जाती इस कार्यक्रम प्रभाव पर सही तस्वीर उपलब्ध नहीं हो सकेगी। 1980-81 से 1985-86 की अवधि संबंधी आंकड़े, आंध्र प्रदेश (1982-83 से 1985-86 से संबंधित अंतः पैदावार को छोड़कर) गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश (1980-81 से 1982-83 तक सिंचाई स्थिति में आच्छादित क्षेत्र को छोड़कर) उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम तमिलनाडू तथा उत्तर प्रदेश (1980-81 से 1984-85 तक अंतः पैदावार को छोड़ते हुए) राज्यों के पास उपलब्ध नहीं थे। महाराष्ट्र में 1980-81 से 1983-84 से 1985-86 की अवधि के दौरान सिंचित क्षेत्र में दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए तथा 1980-81 के दौरान अंतः पैदावार बढ़ाने के लिए, कोई भी कार्यक्रम नहीं चलाया गया था। पंजाब में इन संघटकों के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया था।

4.4.5 लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ:-

छठी योजना के अंतर्गत दालों की खेती के अंतर्गत आच्छादित अनुमानित क्षेत्र, कुल उत्पादन, प्रति हेक्टेयर उपज तथा आयात, नीचे दिया गया है:	क्षेत्र, कुल उत्पादन, प्रति हेक्टेयर उपज तथा आयात, नीचे दिया गया है:				
	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
(i) क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)	224.57	238.43	228.33	235.42	227.31
(ii) उत्पादन (लाख टन में)	106.27	115.07	118.57	128.93	121.95
(iii) उपज, (प्रति हेक्टेयर किलोग्राम में)	473	483	519	548	537
(iv) आयात मात्रा					
(क) (लाख टन में)	1.75	1.28	0.64	4.12*	3.14*
(ख) मूल्य (लाख रुपयों में)	3028.91	4433.56	2199.26	एन.ए.	एन.ए.

* इन वर्षों में प्रंजीकृत सविदा अंतर्ग्रस्त की मात्रा की छोटक 1985-86 में तदनु रूप आंकड़े 5.16 लाख टन थे।

छठी योजना में 1984-85 तक 145 लाख टन के स्तर तक उत्पादन प्राप्त करने पर 28.9 लाख टन की वृद्धि योजना अवधि के दौरान विचार था। 1984-85 के दौरान 145 लाख टन उत्पादन लक्ष्य के प्रति, वास्तविक उत्पादन 121.95 लाख टन हुआ। छठी योजना के अंत में हुआ समग्र

उत्पादन, वर्ष 1958-59 के दौरान हुए उच्च उत्पादन 131.49 लाख टन से कम था। 537 कि. ग्रा. की प्रति हेक्टेयर उपज वर्ष 1958-59 के दौरान हुई 541 कि.ग्रा. उच्च उपज से कम थी।

13 मुख्य दाल उत्पादन राज्यों में, 1970-71 से 1984-85 की अवधि में, क्षेत्र उत्पादन तथा दाल उपज (प्रति हेक्टेयर) के विवरण निम्न प्रकार थे:—

राज्यों के नाम	आच्छादित क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)		उत्पादन (लाख टनों में)		उपज कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर)	
	1970-71	1984-85	1970-71	1984-85	1970-71	1984-85
आन्ध्र प्रदेश	14.51	13.24 (13.45)	4.50	5.50 (5.03)	310	385 (3.74)
बिहार	16.45	11.81 (12.12)	9.87	8.38 (8.50)	600	710 (701)
गुजरात	4.23	8.29 (8.28)	1.65	5.56	390	671
हरियाणा	11.41 (11.59)	6.77 (6.96)	8.13 (8.32)	3.56 (3.67)	713 (718)	525 (527)
कर्नाटक	11.31	13.56	4.04	4.61	357	340
मध्य प्रदेश	42.46	47.85 (48.43)	19.92	23.18 (23.35)	469	485 (482)
महाराष्ट्र	24.91 (25.66)	28.33	7.76 (6.77)	10.34 (11.14)	312 (264)	365 (393)
उड़ीसा	8.45	17.18	4.67	10.55	552	614
पंजाब	4.14	2.06 (2.16)	3.09 (3.07)	1.52 (1.59)	747 (742)	737 (736)
राजस्थान	36.16	32.65 (32.72)	17.77	13.61	492	417 (416)
तमिलनाडू	4.82	9.11 (10.90)	1.17	3.48 (3.70)	242	382 (340)
उत्तर प्रदेश	37.25	29.75	30.69	27.59	824	927
पश्चिमी बंगाल	6.65	3.78	3.75	2.21	564	586

(कोष्टक में दिए गए आंकड़े सम्बन्धित राज्य सरकारों के कृषि विभाग के अभिलेखों के अनुसार)

उपरोक्त के विवेचित विश्लेषण से पता चला:

बिहार, हरियाणा पंजाब राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल के राज्यों में क्षेत्र तथा उत्पादन में गिरावट आई थी।

हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब और राजस्थान के राज्यों में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में गिरावट आई थी।

आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा तमिलनाडू के राज्यों में 1984-85 में 537 कि. ग्रा. प्रति हेक्टेयर की राष्ट्रीय औसत से, उपज बहुत कम थी।

हरियाणा तथा राजस्थान में, 1970-71 में प्रति हेक्टेयर 713 कि.ग्रा. और 492 कि.ग्रा. से घटकर उपज क्रमशः 1984-85 में 525 कि. ग्रा. तथा 417 कि. ग्रा. हो गई थी।

उड़ीसा में 1981-82 से 1984-85 की अवधि में, विभिन्न फसलों की (5 से 24 काटने की सीमा तक) फसल काटने की कम संख्या लेते हुए, जिला कृषि अधिकारी कटक द्वारा, औसत उपज की दर निकाली गई थी, जो पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं थे। दूसरी तरफ, कोरापूट जिले में, आंकड़े, 1982-83 की खरीफ की फसल काटने पर आधारित नहीं थे बल्कि अनुमानित क्षेत्र

अरहर, बड़ी (उर्द) तथा अन्य दालों को क्रमशः 5 किवटल प्रति हेक्टेयर ओर मूँग 6 किवटल प्रति हेक्टेयर के गुणन से निकाले गए थे। वर्ष 1984-85 के लिए 1983-84 के क्षेत्र (71,203 हेक्टेयर) को 6 किवटल प्रति हेक्टेयर गुणनफल से तथा इसमें से 15 प्रतिशत की हानि को निकालकर इन्हें आंका गया था। दनकनल जिले में मार्च 1982 की प्रगति रिपोर्ट में 116 प्रदर्शन संचालित किए हुए दर्शाए गए थे, यद्यपि, बीजों के उपलब्ध न होने के कारण वास्तव में यह प्रदर्शन संचालित नहीं किए गए थे।

उत्तर प्रदेश में राज्य राजस्व विभाग राज्य कृषि विभाग द्वारा प्रस्तुत दालों के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्र के तथा मंत्रालय के अभिलेख में दिखाए गए आंकड़ों में बहुत अन्तर था, जैसा कि नीचे उल्लिखित है:—

वर्ष	राजस्व विभाग के अनुसार	कृषि विभाग आच्छादित क्षेत्र	मंत्रालय के अभिलेख के अनुसार दर्शाया जाना
	(लाख हेक्टेयर में)		
1982-83	29.79	32.37	29.77
1983-84	28.53	39.50	28.33
1984-85	29.30	41.42	29.75
1985-86	30.42	38.52	एन.ए

फसलवा विश्लेषण (चना, अरहर, मूँग तथा उर्द) ने अंकित किया कि जबकि अरहर के मामले में लक्ष्य प्राप्त किए गए थे लेकिन नीचे दर्शाए गए चने, मूँग तथा उर्द के मामले में वह उपलब्ध नहीं हुए थे।

सार्वभौम संदर्भ को दृष्टिगत रखते हुए (सारणी नीचे दी गई है) 1979 में जबकि भारत में क्षेत्र तथा दालों के उत्पादन विश्व के कुल क्षेत्र तथा उत्पादन के क्रमशः 38.2 प्रतिशत तथा 29.0 प्रतिशत थे, 1984 में यह घटकर क्रमशः 34.5 प्रतिशत तथा 26.3 प्रतिशत हो गई थी। आगे जबकि विश्व में, खेतीबाड़ी तथा उत्पादन के अंतर्गत क्षेत्र की वृद्धि क्रमशः 9.6 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत हुई थी, भारत में क्षेत्रीय कमी 1 प्रतिशत तथा उत्पादन में बढ़ोत्तरी केवल 8.97 प्रतिशत थी।

दाल	छठी योजना से पूर्व उत्पादन, 1967-79 की अवधि में उगाई दर के आधार पर	छठी योजना की अवधि में प्रस्तावित लक्ष्यों की बढ़ोतरी	छठी योजना के अंत में उत्पादन लक्ष्य (कालम 2 + 3)	1984-85 के दौरान वास्तविक उत्पादन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
चना	53.00	9.00	62.00	45.47
अरहर	19.00	6.10	25.10	26.66
मूँग और उर्द	14.60	13.80	28.40	23.79

केलेन्डर वर्ष	क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)			उत्पादन (लाख टनों में उपज)			प्रति हेक्टेयर कि.ग्रा	
	विश्व	भारत	भारत के शोयर की प्रतिशतता	विश्व	भारत	भारतीय शोयर की प्रतिशतता	विश्व	भारत
1979	618.96	236.55	38.2	399.22	115.81	29.0	645	490
1984	678.37	234.14	34.5	479.07	126.20	26.3	706	539
प्रतिशत वृद्धि (+)	(+9.61)	(-1.02)		(+20.00)	(+8.97)		(+9.46)	(+10)
कमी (-)								

जबकि, विश्व के 25 मुख्य दाल उत्पादन करने वाले देशों में प्रति हेक्टेयर औसत उपज 1984 के दौरान 218 कि.ग्रा. से 2175 की सीमा तक थी, उसी वर्ष के दौरान भारत में औसत उपज 539 कि.ग्रा. थी। उत्पादकता के अनुसार, 1984 में भारत का स्थान 21 वाँ था।

गेहूँ तथा चावल जैसे अनाज की तुलना में 1970-71 की तुलना में, 1984-85 में हुए दालों के उत्पादन क्षेत्र तथा उपज में वृद्धि हुई थी:

क्षेत्र = लाख हेक्टेयर में
उत्पादन = लाख टनों में
उपज = प्रति हेक्टेयर कि.ग्रा. में

वर्ष	दालें			गेहूँ			चावल (धान)		
	क्षेत्र	उत्पादन	उपज	क्षेत्र	उत्पादन	उपज	क्षेत्र	उत्पादन	उपज
1970-71	225.34	118.18	524	182.41	238.32	1307	375.92	422.25	1123
1984-85	227.31	121.95	537	236.14	442.29	1873	411.59	586.36	1425
बढ़ोत्तरी की प्रतिशतता	0.87	3.19	2.48	29.46	85.59	43.31	9.49	38.87	26.89

उपरोक्त से यह देखा जाएगा, जबकि गेहूँ तथा चावल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में क्रमशः 29.46 प्रतिशत तथा 9.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी तो दालों के अंतर्गत केवल 0.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। जबकि गेहूँ तथा चावल के उत्पादन के बढोत्तरी क्रमशः 85.59 प्रतिशत तथा 38.87 प्रतिशत की हुई थी परन्तु दालों में केवल 3.19 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 1987) उत्पादकता के प्रति जननिक अलगाव जैसा कि चावल और गेहूँ के मामले में प्रकट हुआ था, दालों के मामलों में नहीं हुआ था और इस प्रकार दालों पर कोई परिणामी उत्पादन प्रभाव नहीं था।

4.4.6 निरूपण:-

किसानों को सम्भाव्य लघु अवधि में, नव उत्पादन तकनीक को स्थानान्तरित करने के लिए, विभिन्न दाल उपज निरूपण कार्यक्रम उपलब्ध कराए गए थे। इन्हें चुने हुए ग्रामों में जो दाल उत्पादन के लिए सम्पन्न थे। विस्तारण स्टाफ द्वारा समीप निरीक्षण के अन्तर्गत किया जाना था। मुख्य उद्देश्य, प्लाटों में निरूपण कृषकों को यह दिखाना था कि प्रति हेक्टेयर उपज, उनके नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले प्लाटों की उपज से अधिक होगी। निस्तारण स्टाफ को निवेश सहित जैसे विभिन्न सुधरी हुई किस्म के बीजों, फासफोरस उर्वरकों, कीटनाशी दवाई आदि को समय पर कृषकों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उपलब्ध कराया जाना था। छठी योजना के दौरान, ऐसी निरूपण के अभिन्यास के लिए 375. रु. प्रति हेक्टेयर के मूल्य के निवेश को निःशुल्क उपलब्ध कराया गया था।

छठी योजना के दौरान, 64,355 हेक्टेयर निरूपण लक्ष्यों के प्रति विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा 66,315 हेक्टेयर निरूपण को कार्यान्वित किया गया बताया गया था।

यद्यपि, भुगतान की गई आर्थिक सहायता के निरूपण के लिए वास्तविक आंकड़े (केन्द्र तथा राज्य दोनों के भाग के) मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं थे और कच्चे तौर पर 2.49 करोड़ रु. आंके गए थे। क्योंकि विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में, प्लाटों पर निरूपण द्वारा उपलब्ध प्रति हेक्टेयर उपज के विवरण भी मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं थे, निरूपण की सफलता नहीं जांची जा सकी थी।

निरूपण संचालन में कमियाँ:-

विभिन्न राज्यों, में भिन्न दाल उपज निरूपण संगठित करने में निम्नलिखित कमियाँ तथा दोष ध्यान में आए थे:-

आन्ध्र प्रदेश:- कृष्णा जिले में, 1985-86 के खरीफ मौसम के दौरान कोई भी निरूपण संचालित नहीं किया गया था। बीजों के उपलब्ध न होने के कारण 1980-81, 1984-85, तथा 1981-82 और 1982-83 के दौरान क्रमशः अनन्तपुर और नालगोन्दा जिले में कोई भी निरूपण संचालित नहीं किया गया था। 1982-83 से 1985-86 के दौरान, चार जिलों में बीजों की आपूर्ति सामान्यतः बिलम्ब से की गई थी। 39.4 निरूपण प्लाटों के लिए, बीजों की आपूर्ति बिल्कुल नहीं की गई थी जबकि ऐसे 71 प्लाटों के लिए उर्वरकों की आपूर्ति नहीं की गई थी।

बिहार:- रांची, पालामाऊ सिंहभूमि तथा संथाल परगना जिले में 1980-81 से 1985-86 की अवधि के दौरान निरूपण की संख्या तथा उन पर किए गए व्यय को दर्शाते हुए कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

गुजरात:- बनासकांठा तथा पंचमहलस जिलों में, 1980-81 से 1985-86 के दौरान किए गए 13,181 तथा 1267 हेक्टेयर के लिए संचालित निरूपण पर प्रति हेक्टेयर किया गया व्यय क्रमशः 245 रु. तथा 269 रु. निकाला गया था तथा दोनों जिलों के 1981-82 तथा 275 रु. तथा इसके बाद 375 रु. आर्थिक सहायता की दर से बहुत कम था। आगे बनासकांठा जिले में, योजना के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए, 1985-86 के दौरान 10 कृषकों को 3750 रु. आर्थिक सहायता की राशि का भुगतान किया गया था।

हरियाणा:- भिवानी, हिसार तथा रोहतक जिलों में रिजोबियम (प्रकण्ड) संवर्धन पैकेट की आपूर्ति निरूपण प्लाटों पर नहीं की गई थी। हिसार तथा रोहतक जिलों में प्रायोजित निवेशों की मात्रा किसानों द्वारा अपने आप पड़ोसी प्लाटों पर स्वयं खेती करने के साथ-साथ निरूपण प्लाटों से उपज, के कोई अभिलेख नहीं रखे थे।

महाराष्ट्र:- 1981-82 से 1985-86 के दौरान कोई भी निरूपण नहीं किया गया था।

उड़ीसा:- संपूर्ण पैकेज पद्धति सहित समय पर निरूपण संचालित नहीं किया गया था। देनकनल जिले में, बीजों के उपलब्ध न होने के कारण, दालों के 252 निरूपण (174, 1981-82 में तथा 78, 1982-83 में संस्वीकृत किए गए थे) नहीं किए गए थे। किर्योनझर सीमा के दो ब्लॉकों में मार्च तथा अप्रैल 1983 की अवधि में 7 हेक्टेयर में दर्शाए ग्रीष्म मूँग बीजों (पूसी वैसाखी) जून 1983 तक पुष्पण नहीं हो सका था (इन किस्म के बीजों के अंकुरण के एक माह बाद पुष्पण होता है। निदेशक ने बाकी के बचे बीजों के स्टॉक के निरीक्षण की सलाह दी लेकिन निरीक्षण की कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी। कोरापूट सीमा में, 1984-85 के दौरान कीटनाशक तथा रिजोबियम (प्रकण्ड) संवर्धन पैकेटों की 91 निरूपण के लिए आपूर्ति नहीं की गई थी। निदेशक कृषि और खाद्य उत्पादन, उड़ीसा ने, 1983-84 के दौरान हुए निरूपणों की उपलब्धियों को (मूल्य 3.00 लाख रुपये) बढ़ाकर बताया था यद्यपि, ये सितम्बर 1984 तक नहीं हुए थे। 1984-85 तक भी उपयोगिता समर्थित विवरण उपलब्ध नहीं थे।

राजस्थान:- छठी योजना अवधि के दौरान निरूपण प्रयोजनों के लिए, 11,492 हेक्टेयर आच्छादित लक्ष्यों के प्रति, केवल 8325 हेक्टेयर को पूरा किया गया था।

पश्चिमी बंगाल:- मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया तथा दक्षिणी जिलों के 24 परगनों में, 1980-81 से 1985-86 के दौरान कुल 1208 निरूपण किए गए थे, रिजोबियम (प्रकण्ड) संवर्धन का उपयोग नहीं किया गया था।

निरूपण के परिणाम:-

गुजरात:- पंचमहल जिले में हुए निरूपणों का विवरण देते हुए किसी भी अभिलेख का अनुरक्षण नहीं किया गया था तथा बनासकांठा जिले में, 1983-84 तक बनाया गया रजिस्टर भी अपूर्ण था।

पंजाब, राजस्थान, तथा पश्चिमी बंगाल की सरकारों ने निरूपण की सफलता को आंकने का कोई आधार निर्धारित नहीं किया था। राजस्थान में निरूपण सफलता मानकर लिए गए थे, जबकि निरूपण प्लाटों ने उपज की सीमा को ध्यान में रखते हुए कुछ उपज प्रदान की। फिर भी 8 जिलों में, 7641 निरूपणों में से 1138 निरूपण फेल हो गए बताए गए थे।

बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में निरूपण के परिणाम न तो उपलब्ध कराए गए थे या उनका विश्लेषण नहीं किया गया था। दूसरी तरफ कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल तथा आंध्र प्रदेश के 7 जिलों, हरियाणा के 3 जिलों में ऐसे परिणाम केवल आंशिक रूप से उपलब्ध हुए थे।

आंध्र प्रदेश, (18 निरूपण प्लाटों) हरियाणा (3 जिलों में 684 हेक्टेयर) उत्तर प्रदेश (2383 हेक्टेयर) तथा पश्चिमी बंगाल (347 निरूपण प्लाटों) में कृषकों के नियंत्रण में (फसलों की कम से कम औसत उपज से औसत उपज कम थी।

हरियाणा, कर्नाटक (6 जिलों) तथा मध्य प्रदेश (होशंगाबाद के सिवाय) किसी भी अभिलेख का अनुरक्षण नहीं किया गया था, निरूपण प्लाटों का दर्शाया जाना कृषि विभाग के कर्मचारियों द्वारा आवधिक निरीक्षण के अध्यक्षीन, यह सुनिश्चित करने के लिए था कि निरूपणों का निर्धारण सिफारिश की गई पैकेज प्रक्रिया के अनुसार था।

4.4.7 लघु धैलियों का संवितरण

एक केन्द्रीय सेक्टर योजना व दालों की छोटी धैलियों को निःशुल्क कृषकों का संवितरण करने के लिए, 1981-82 में सुधरी हुई किस्मों की मशहूरी/पूर्वजारी करने का वादा/कृषकों के भाग लेने के माध्यम से नई

चीजों का जारी करना, कृषकों के स्तर पर सुधरी हुए बीजों के स्टॉक का निर्माण सुधरी हुई तकनीक का तेज फूकना, गुणन कृषि के अंतर्गत अधिक क्षेत्र लाना। अन्तः उपज, बीजों के वास्तविक रूप से जारी होने के पूर्व बढ़ाए गए कर्मचारियों को किस्मों से अवगत कराना तथा अनुसंधान कर्ताओं को और आगे किस्मों में सुधार के लिए पुनर्निवेशन को दृष्टिगत रखते हुए एक योजना चलाई गई थी। यह योजना, दाल विकास कार्यक्रम योजना की अनुपूरक थी।

एक लघुधैली में दालों के बीज (लोबिया, अरहर, मूँग, मोठ तथा उर्द के मामले में 2 कि.ग्रा. चना तथा मटर के मामले में 6 कि.ग्रा. मसूर के मामले में 4 कि.ग्रा. (रिजोबियम संवर्धन के छोटे पैकेट, बीज प्रतिसारण रसायन, तथा सिफारिश की हुई पैकेज प्रक्रिया की रूपरेखा दर्शाते हुए पत्रें होते थे। बीजों के पैकेट राष्ट्रीय बीज निगम, (रा.बी.नी.)/भारतीय राज्य कृषि निगम (भा.रा.कृ.नि.) या राज्य बीज निगम (रा.बी.नि.) द्वारा मंडलीय दाल विभाग, लखनऊ के निदेशों पर तैयार किए जाते थे।

योजना में अग्रिम रूप से कृषकों की पहचान, तथा/बीज बोने के मौसम से पूर्व समय पर लघु टोकरीयों का संवितरण होना बताया गया। कृषकों के नाम, सर्वेक्षण संख्या, संवितरण की तारीख, तथा वो कृषक जिनको लघु टोकरीयाँ वितरित की गई थी, को ग्राम वार आधार पर रजिस्टर में दर्ज किया जाना था तथा रजिस्टर में ही इस आशय की पावती भी लेनी थी।

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को दाल बीजों की लघु धैलियों के वितरण की केन्द्रीय सैक्टर योजना के अंतर्गत, 1981-82 से 1984-85 के दौरान दालों के बीजों की लघु टोकरीयाँ वितरित करने तथा एस.एम.एफ.पी. के अंतर्गत 1983-84 से 1985-86 के दौरान, लघु टोकरीयाँ संवितरण की संख्या निम्न प्रकार थी:-

वर्ष	केन्द्रीय सैक्टर योजना के अंतर्गत संवितरित की गई लघु टोकरीयाँ		एस. एम. एफ. पी. के अंतर्गत बांटी गई लघु टोकरीयाँ		राज्यों के नाम जिनके आंकड़े शामिल नहीं किए गए थे।
	संख्या	मात्रा (क्विंटल में)	संख्या	मात्रा (क्विंटल में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1981-82	63,804	1,350.64	—	—	—
1982-83	4,02,854	12,683.96	—	—	—
1983-84	4,62,675	14,151.30	15,13,362	30,267.24*	अरणाचल प्रदेश, जम्मू एवं काश्मीर और नागालैंड
1984-85	5,20,323	15,289.84	15,50,467	31,009.34	अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम
1985-86	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	16,84,526	62,644.56	आसाम

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वयन से प्रकाश में आई कमियों का विवरण/नीचे दिया गया है:-

विभिन्न बीज उत्पादन एजेंसियों द्वारा बिहार, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल को, लघु टोकरीयों में 13.96 लाख कि.ग्रा. की पुरानी किस्म के बीजों की आपूर्ति

लघु धैलियों में की गई थी।

विभिन्न बीज उत्पादक एजेंसियों द्वारा, फसल उपजाऊ मौसम के उपरान्त, बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल को 3.24 लाख कि.ग्रा. बीजों की आपूर्ति विलम्ब से की गई थी।

आसाम, हरियाणा, पंजाब (3 ब्लाकों) और पश्चिमी बंगाल में या तो लघु टोकरियों के संवितरण के अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था या वे क्रमानुसार अनुरक्षित नहीं किए गए थे।

बिहार गुजरात (बनासकांथा तथा पंचमहल जिलों में 7989 लघु टोकरियों के संवितरण के संबंध में) मणीपुर तथा तमिलनाडू (4009 लघु टोकरियाँ), में कृषकों की पहचान तथा भूमि अधिपत्य संबंधी सूचना की संख्या से संबंधित रजिस्ट्रों का अनुरक्षण नहीं किया गया था।

हरियाणा, केरल, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल में लघु टोकरियों के प्रभाव परीक्षण परिणामों को नहीं आंका गया था, 1982-83 से 1985-86 की अवधि के दौरान, राजस्थान के चार जिलों (भीलवाड़ा, दौसा, हनुमानगढ़ तथा जयपुर में) में निर्धारित 527 लघु टोकरियों में से केवल 134 लघु टोकरियों का निरीक्षण किया गया था। जोधपुर जिले में 1983-84 तथा 1984-85 की अवधि के दौरान संचालित 723 लघु टोकरियों के परीक्षण के परिणाम अभी प्रतीक्षित थे।

हरियाणा, राजस्थान तथा पश्चिमी बंगाल (मालदा तथा मुर्शिदाबाद जिले में) लघु टोकरियों के पर्यवेक्षण के लिए कोई भी प्रबन्ध नहीं किए गए थे।

गुजरात में, 1981-82 से 1982-83 की अवधि के दौरान गुजरात राज्य बीज निगम द्वारा आपूर्ति की गई 17303 लघु टोकरियों में से 15467 लघु टोकरियाँ तथा 1985-86 की अवधि में पश्चिमी बंगाल द्वारा संवितरित की गई 79.73 लाख रु. मूल्य की लघु टोकरियों के साथ रिजोबियम (प्रकन्द) संवर्धन की आपूर्ति नहीं की गई थी। मणीपुर में बीजों की टोकरियों के जारी करने के साथ-साथ रिजोबियम संवर्धन संवितरित नहीं की गई थी।

आंध्र प्रदेश:- 1982-83 में रबी के लिए लाभ पाने वालों की पहचान किए बिना लघु टोकरियों की आपूर्ति विलम्ब से की गई थी। इसी प्रकार 1983-84 की खरीफ के लिए अनन्तपुर तथा नालगोन्दा आदि जिलों में लघु टोकरियाँ विलम्ब से प्राप्त हुई थी। अनन्तपुर में खरीफ के मौसम में 1983 के दौरान अरहर की लघु टोकरियों की आपूर्ति नहीं की गई थी। ऐसा सूचित किया गया था कि अनन्तपुर जिले में, 1982-83 में खरीफ के लिए आपूर्ति की गई लघु टोकरियों से संबंधित उपज तथा नालगोन्दा जिले में रबी के लिए 1983-84 में उपज बहुत कम थी चूंकि वर्ष के अंत में बीजों की आपूर्ति की गई थी।

बिहार:- 1983-84 से 1984-85 के दौरान (अन्य वर्षों से सम्बद्ध विवरण उपलब्ध नहीं थे) विभिन्न दालों के पैकेटों की लघु टोकरियाँ बिहार राज्य सहकारी विपणन (यूनियन) संघ लिमिटेड (बि. रा. स. वि. सं. लि.) विस्कोमाऊन एक सहायक सहकारी निकाय द्वारा, प्राधिकृत एजेन्सियों रा. बी. नि., या खा. नि., रा. बी. नि. आदि से गैर उपलब्धता प्रमाण पत्र लिए बिना प्राप्त की गई थी। विस्कोमाऊन के गोदामों से, ब्लाकों में प्राप्त लघु टोकरियों के पैकेट का किसानों के बीच वितरित करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बीज अच्छी किस्म सही प्रकार तथा विशिष्टता के अनुसार थे, कोई भी सत्यापन नहीं किया गया था। 1981-82 से 1985-86 के दौरान केन्द्रीय सैक्टर योजना के अंतर्गत 1,67,534 लघु टोकरियाँ संवितरित की गई थी तथा 1983-84 तथा 1985-86 के दौरान एस. एम.

एफ. पी. तथा विस्कामाऊन के अंतर्गत 6,38,962 लघु टोकरियाँ बांटी गई थी।

एक प्राइवेट बीज आपूर्ति एजेन्सी पटना जो जिला कृषि अधिकारी को 11000 क्विंटल बीजों की टोकरियाँ प्रदान करने के लिए प्राधिकृत की गई थी, गोदामों की जिला मजिस्ट्रेट पटना के आदेशों के अन्तर्गत आकस्मिक की गई जाँच (अक्टूबर 1984) से पता चला कि मानवीय खपत के लिए, खाद्य सामग्री के रूप में लघु टोकरियाँ आपूर्ति के लिए थैले गोदाम के स्टाफ में थे जिनका मूल्य लगभग बीजों के मूल्य का लगभग 50 प्रतिशत था। गोदाम को सील कर दिया गया था प्रथम सूचना रिपोर्ट नवम्बर 1984 में दायर की गई थी। खरीफ तथा रबी उपज दौने के बीज उपजाने वाले मौसम के बाद बुन्दु तथा तोमर ब्लाकों (एंजी जिला) में विभिन्न दाल उपज की लघु टोकरियाँ प्राप्त हुई थी तथा 1982-83 से 1985-86 तक प्रति वर्ष संवितरित की गई थी। रिजोबियम संवर्धन, उर्वरक, बीज छटाई सामग्री तथा पैकेज प्रक्रिया पर साहित्य, लघु टोकरियों के साथ उपलब्ध नहीं कराये गये थे। ब्लाक विकास अधिकारी ने बताया, कि जब भी लघु टोकरियाँ प्राप्त हुई थी बीज बोने के मौसम पर विचार किए बिना उनको तुरन्त ही बांट दिया गया था तथा और बताया कि लघु टोकरियों के पैकेटों के भी उर्वरक तथा रिजोबियम संवर्धन प्राप्त नहीं हुए थे।

हरियाणा:- (1982-83 से 1984-85 तक) 19105 लघु टोकरियों के निर्धारित प्रयोग में से 10,447 के परीक्षण परिणाम केवल जांच किए गए जिलों के अभिलेखों में उपलब्ध थे। सम्बद्ध जिलों के 6 क्विंटल औसत उत्पादन के प्रति 5420 परीक्षणों में से, उपज 3.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी। कम निष्पादन के कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया था।

मणीपुर:- स्थानीय भाषा में मुद्रित संवितरण की पैकेज प्रक्रिया अंकित करने वाले कोई भी अभिलेख नहीं दिखाए गए थे।

पांडीचेरी:- 1983-84 से 1985-86 के दौरान लघु टोकरियों में जारी किए गए 9561 कि.ग्रा. बीजों में से केवल 1959 कि.ग्रा प्रमाणित बीज तथा 6402 कि.ग्रा. सच्चे अर्थों में लेबल चिपकाए गए बीज थे तथा बाकी के 1200 कि.ग्रा. बीज न तो प्रमाणित बीज थे न ही सच्चे अर्थों में लेबल चिपकाए बीज थे।

उत्तर प्रदेश:- जिला कृषि अधिकारी अलीगढ़ तथा परियोजना अधिकारी (आई. आर. डी. पी.) अलीगढ़ के अनुसार लघु निम्न प्रकार की हानियाँ हुई थी (क) लघु जोत के कारण दालों की खेतीबाड़ी तथा सुधरी हुई पैकेज प्रक्रिया को अपनाने के लिए लघु टोकरि कार्यक्रम को तथा सीमांत कृषक पूरी तरह से तैयार नहीं थे (ख) रिजोबियम संवर्धक की उपयोगिता तथा इसके सही उपयोग के बारे में, कृषकों, को, क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा सही शिक्षा प्रदान नहीं की गई थी। (ग) ग्रामविकास अधिकारी, जिनके माध्यम से ब्लाक स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया था, उन्होंने कोई अधिक रुचि नहीं ली चूंकि उनको अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जैसे गोबर गैस परिवार कल्याण आदि को कार्यान्वित करने का काम सौंपा गया था।

पश्चिम बंगाल:- 1983-84 की अवधि के दौरान, एग्री औद्योगिक निगम, पश्चिम बंगाल द्वारा 3.80 लाख रुपये के मूल्य के घटिया बीजों की किस्म की आपूर्ति के बारे में शिकायत थी इसके सिवा 0.10 लाख चने की लघु

टोकरीयों की जांच निदेशक कृषि द्वारा नहीं की गई थी (जुलाई 1986) जिसको मुख्य कृषि अधिकारी, मालवा द्वारा मामला भेजा गया था। (नवम्बर 1983) तथापि मंत्रालय ने बताया (जनवरी 1987) कि कृषकों को सुधरी हुई किस्म के बीजों के थैलियों को अन्तः दुर्गम क्षेत्रों में पहुँचाने हेतु अत्यधिक उद्देश्य पूर्ति हुई थी।

4.4.8 बीज उत्पादन तथा संवितरण:-

बीज का मूल कृषिक निवेश होने के कारण यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि संतुलित मूल्य पर कृषकों को पर्याप्त तथा समय पर आपूर्ति की जाय। छठी योजना में बताया गया कि लघु अवधि में बीजों का उत्पादन तथा सुधरी हुई किस्म के प्रमाणिक बीजों को बढ़ाया जाना था। योजना में तीन स्तरों पर जैसे प्रजनक स्थापना तथा प्रमाणिक सत्यता के साथ लेबल चिपकाए बीजों के अंतर्गत उत्पादन, स्थापना, के लिए सहायता उपलब्ध कराना था।

प्रमाणिक बीजों के उत्पादन के लिए सामान्यतः 3-4 फसल बोनो के मौसम लगते हैं जिसको वाणिज्यिक खेतीबाड़ी के लिए कृषकों को प्रदान

1982-83 से 1985-86 (मंत्रालय के अधिलेखों के अनुसार) विभिन्न दालों के प्रजनक तथा स्थापना बीजों का उत्पादन निम्न प्रकार था:

दालों की किस्म	प्रजनक बीज					स्थापना बीज
	1982-83	1983-84	1984-85	1983-84	1984-85	1985-86
	(क्विंटलों में)					
चना	568.416	1,215.36	965.25	20,161.00	14,685.00	12,465.00
मसूर	67.38	87.74	94.75	783.00	1,176.00	573.00
मटर	267.67	277.50	201.48	2,023.00	2,140.00	835.00
उड़द	222.52	283.84	214.06	3,619.00	5,630.00	4,182.00
मूंग	1,403.61	392.17	448.26	5,502.00	7,186.00	5,613.00
अरहर	154.61	208.38	72.56	1,223.00	3,059.00	1,491.00
लोभिया	116.60	186.45	11.80	1,256.00	322.00	622.00
मोठ	15.50	19.56	2.00	—	—	—
योग	2,816.306	2,671.00	2,010.16	34,567.00	34,198.00	25,781.00

प्रजनक बीजों को स्थापना बीजों तथा स्थापना बीजों को प्रमाणिक बीजों के गुणन अनुपात के अनुसार (अर्थात् चना 1:10, मसूर 1:30, मटर 1:10, उड़द, 1:40 मूंग 1:40, अरहर 1:100, लोभिया 1:20, तथा मोठ 1:20 दोनों मामलों में) स्थापना तथा प्रमाणिक बीजों का उत्पादन निम्न प्रकार होना चाहिए:-

दालों की किस्म	स्थापना बीज			प्रमाणिक बीज	
	1983-84	1984-85	1985-86	1984-85	1985-86
	(क्विंटलों में)				
चना	5,684.16	12,153.60	9,652.50	56,841.60	1,21,536.00
मसूर	2,021.40	2,632.20	2,842.50	60,642.00	78,966.00
मटर	2,676.70	2,775.00	2,014.80	26,767.00	27,750.00
उड़द	8,900.80	11,353.60	8,562.40	356,032.00	4,54,144.00
मूंग	56,144.40	15,686.80	17,930.40	22,45,776.00	6,27,472.00
अरहर	15,461.00	20,838.00	7,256.00	15,46,100.00	20,83,800.00
लोभिया	2,332.00	3,729.00	236.00	46,640.00	74,580.00
मोठ	310.00	391.20	40.00	6,200.00	7,824.00
योग	93,530.46	69,559.40	48,534.60	43,44,998.60	34,76,072.00

1984-85 और 1985-86 (प्रत्याशित) के दौरान गुना/प्रमाणिक बीजों का विवरण क्रमशः 2.09 लाख क्विंटल तथा 2.32 लाख क्विंटल था। उपर्युक्त स्थिति के विश्लेषण से पता चला कि

- 1982-83 से 1984-85 की अवधि के दौरान उत्पादित प्रजनक बीजों में से, 1983-84 से 1985-86 की अवधि के दौरान प्रत्याशित स्थापना बीजों में उत्पादन के मध्य, सामान्य गुणन अनुपात में (2.12 लाख क्विंटल) जैसा कि मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया (0.95 लाख क्विंटल), व्यापक अन्तर था।
- 1984-85 और 1985-86 के दौरान, क्रमशः प्रत्याशित उत्पादन 43.45 लाख क्विंटल और 34.76 लाख क्विंटल के प्रति प्रमाणित/उच्च कोटि के बीजों का संवितरण, केवल 2.09 लाख क्विंटल तथा 2.32 लाख क्विंटल (प्रत्याशित) था।

आगे यह देखा गया था कि मंत्रालय को पुरानी तथा यातयायाम किस्मों के लिए मांग पत्र प्राप्त हो रहे थे यद्यपि नवीन सुधरी हुई किस्मों अधिसूचित की गई थी। मांग कर्ताओं से मांग पत्र में संशोधन करने तथा राज्यों के लिए उपयोगी सुधरी हुई नवीनतम किस्मों को शामिल करने के लिए कहने के स्थान पर मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.) रा.बी.नि., भारतीय खाद्य बीज निगम के माध्यम से पुराने बीजों की किस्मों को प्राप्त करता रहा। जिसके परिणाम स्वरूप भा.कृ.अ.प. के वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयोग तथा दाल उत्पादन में बढोत्तरी लाभ के लिए गैर उपयोगी रही।

1978 तक अधिसूचित 13960.44 क्विंटल पुराने बीजों की आपूर्ति से संबद्ध 145 मामलों की नमूना जाँच से पता चला कि 1983-84 से 1985-86 के दौरान 10 सम्भाव्य राज्यों में 13,160.74 क्विंटल बीज (मूल्य 109 लाख रु.) संवितरित किए गए थे।

मंत्रालय, पुरानी किस्म की आपूर्ति/लगातार प्रजनन को रोकने में कामयाब नहीं था। वास्तव में ब्लाक/जिलों में, कृषि मौसम स्थिति, भूमि की उपयुक्तता (आदि) को आंके बिना तथा देश के समस्त ब्लाकों में एस.एम.एफ.पी. के अंतर्गत लघु टोकरियों के संवितरण से कमी हुई। यदि सम्भाव्य क्षेत्रों में, मंत्रालय ने प्रमाणिक तथा सुधरी हुई किस्मों के बीज उपलब्ध कराने के प्रयास किए होते तथा दाल अनुसंधान निदेशालय कानपुर (दा.अ.नि.) द्वारा बताई गई तथा प्रसारित की गई सुधरी हुई कृषक तकनीक को अपनाने से उत्पादकता दुगुनी हो गई होती।

इसके अतिरिक्त, निरूपण के अंतर्गत आच्छादित क्षेत्र/प्लाटों पर उत्पादित बीजों और लघु टोकरियों को भविष्य में उपजाने के लिए प्रयोग किया जा सकता था। नवीनतम तकनीकी प्रावधान, निवेश, (जैसे कि नवीनतम सुधरी किस्मों के बीज, पौधा सुरक्षा रसायन, रिजोबियम संवर्धन आदि) तथा इन प्लाटों/क्षेत्रों पर विस्तारण अधिकारियों/स्टाफ के पर्यवेक्षण से, 1980-81 से 1985-86 की अवधि में, बीज/वास्तविक उत्पादन/राष्ट्रीय औसत उपज कम से कम 1.20 गुणन अनुपात लेने के परिणाम स्वरूप प्रमाणिक/अच्छी किस्म के बीजों का 36.87 लाख क्विंटल तक का उत्पादन हुआ होता। इससे प्रमाणिक/अच्छी किस्म के बीजों की

उपलब्धता की स्थिति सरल हो गई होती तथा सत्यतापूर्वक लेबल चिपकाए बीजों की उपलब्धता से बचा जा सकता।

योजना को लागू करने के दौरान ध्यान में आई अन्य कमियों का विवरण नीचे दिया गया है:—

- बिहार, गुजरात, हरियाणा पंजाब तथा पश्चिमी बंगाल राज्यों में प्रजनक/स्थापना/प्रमाणिक बीजों की आवश्यकता को अग्रिम रूप से नहीं आंका गया था और न ही इसकी बीज उत्पादन एजेन्सियों को सूचना दी गई थी।
- हरियाणा में 1980-1981 से 1985-86 के दौरान प्रजनक बीज/स्थापना बीज प्रमाणिक बीजों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, बिना कोई मात्रा दशाते हुए, 5.23 लाख रु. की अग्रिम आर्थिक सहायता का भुगतान हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार को किया गया था। इसी प्रकार 1.80 लाख रु. की वित्तीय सहायता (1980-81 से 1985-86 के दौरान 1.23 लाख रुपये प्रजनन बीजों के उत्पादन तथा 1982-83 से 1985-86 के दौरान 0.57 लाख रुपये स्थापना बीजों के उत्पादन के लिए) पंजाब कृषि विश्वविद्यालय पंजाब को प्रदान की गई थी जिसके प्रति 1983-84 से 1985-86 के दौरान केवल 325 क्विंटल प्रजनक बीजों की आपूर्ति की गई थी। क्रमशः 1980-81 से 1982-83 तथा 1982-83 से 1985-86 के दौरान प्रजनक बीजों तथा स्थापना बीजों के उत्पादन तथा आपूर्ति के विवरण उपलब्ध नहीं थे। हरियाणा के हिसार जिले में 1981-82 के दौरान केन्द्रीय आर्थिक सहायता के अतिरिक्त 1.69 लाख रुपये की अतिरिक्त आर्थिक सहायता को एजेन्सियों में संवितरित करने की अनुमति प्रदान की गई थी। आगे, केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त आर्थिक सहायता दर पर, कृषकों की बीजों की बिक्री करने पर, राज्य बीज निगम को 2.04 लाख रुपये की राशि का भी अनियमित रूप से भुगतान किया गया था।
- केन्द्रीय आर्थिक सहायता के अतिरिक्त, केरल में, राज्य बीज विकास योजना के अंतर्गत, 100 रु. प्रति क्विंटल की दर से आर्थिक सहायता की छूट देकर, बीजों को कृषकों को बेचा गया था, जिसके परिणामस्वरूप, अनाज तथा दालों के मार्केट मूल्य से भी नीचे बीजों के मूल्य में कमी आई थी। 23 विकास यूनियनों में, यह दशाते हुए कि बीज उचित खेतीबाड़ी के लिए प्रदान किए गए थे न तो कोई आवेदन थे और न ही कोई प्रलेख/अभिलेख उपलब्ध कराए गए थे।
- गुजरात तथा केरल में, थोक मूल्य तथा खुदरा मूल्य को निर्देशन में लिए बिना 200 रु. या 100 रु. की समान दर पर आर्थिक सहायता राशि का भुगतान किया गया था जिसके फलस्वरूप (गुजरात) में 3.21 लाख रु. की राशि तथा (केरल) में 2.16 लाख रुपये की राशि का अधिक भुगतान हुआ था।
- बिहार के मुंगेर तथा भागलपुर जिले में, 1981-82 से 1985-86 के दौरान 886.64 क्विंटल स्थापना बीजों के उत्पादन के प्रति

71.18 किंवटलों का समायोजन श्रमिकों लागत के प्रति किया गया था। प्रक्रिया के लिए उपलब्ध 815.46 किंवटल में से बिहार राज्य बीज निगम द्वारा केवल 150.97 किंवटल उठाए गए थे तथा बाकी के न उठाए गए 664.49 किंवटलों का खुले बाजार में मानवीय खपत द्वारा जब्ती बिक्री द्वारा निपटान किया गया था।

- गुजरात में, 1981-82 से 1985-86 के दौरान बीजों की आपूर्ति के लिए, गुजरात राज्य बीज निगम (गु.रा.बी.नि.) को 10.86 लाख रु. की आर्थिक सहायता का भुगतान किया गया था। तथापि, कृषकों की सूची, जिनको गु.रा.बी.नि. द्वारा बीजों की आपूर्ति की गई थी, उपलब्ध नहीं थी।
- कर्नाटक में, कृषि विभाग केवल 0.6 प्रतिशत से 1.28 प्रतिशत तक उच्च कोटि के बीजों की अपेक्षित मात्रा की पूर्ति कर सकता था।
- मध्य प्रदेश में (i) 1982-83 से 1985-86 के दौरान, निदेशक कृषि के पास भुगतान की गई आर्थिक सहायता से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं थी (ii) 1980-81 से 1984-85 के दौरान 1156 किंवटल प्रजनक बीजों के उत्पादन लक्ष्य के प्रति, उपरोक्त अवधि में जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (ज.ला.ने.कृ.वि.वि.) जबलपुर केवल 219.35 किंवटल प्रजनक उत्पादित कर सका था (iii) यद्यपि, 1980-81 से 1981-82 के दौरान, प्रजनक बीजों के उत्पादन के लिए (145.30 किंवटल), आर्थिक सहायता के प्रति 0.44 लाख रुपये की राशि अदा की गई थी इन वर्षों के दौरान कोई भी स्थापना बीज उत्पादित नहीं किए गए थे। इसके विपरीत, 1984-85 के दौरान एम.पी. बीज खाद्य कृषि विकास निगम को, 998.70 किंवटल स्थापना बीजों के उत्पादन के लिए निदेशक कृषि द्वारा आर्थिक सहायता की भुगतान किया गया था, फिर भी ज.ने.कृ.वि.वि ने सूचित किया कि 1983-84 और 1984-85 के दौरान प्रजनक बीजों का कोई भी उत्पादन नहीं किया गया था। कृषि निदेशालय के पास यह दशाति हुए कि प्रमाणिक तथा सत्यतापूर्वक लेबल चिपकाए बीजों के उत्पादन के लिए, स्थापना बीजों का कैसे उपयोग किया गया था, कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। (iv) गुना, मंडसूर तथा ग्वालियर जिलों में, 1980-81, 1982-83 तथा 1983-84 से 26.86 किंवटल विभिन्न दालों के बीज क्रमशः 8.09 किंवटल उर्द बीज, तथा 1.05 किंवटल मूंग बीज स्टॉक में पड़े हुए थे, जिन्होंने 2 वर्षों और पांच वर्षों से अधिक पारगमन के कारण अपनी अंकुरण शक्ति खो दी थी।
- मणीपुर:- रबी 1985 के संबंध में, 10 दिसम्बर 1985 तथा 2 जनवरी 1986 को मटर के 96.90 किंवटल बीज प्राप्त हुए थे तथा बीज उपजाने के मौसम की समाप्ति के बाद भी बीजों का संवितरण 3 जनवरी 1986 तक जारी रहा।
- उड़ीसा:- (क) उपरोक्त अवधि के दौरान बताई गई 137 किंवटल मात्रा के प्रति, 1980-81 तथा 1984-85 के बीच नया गढ़, दाल उत्पादन स्टेशन पर दाल विशेषज्ञों द्वारा उत्पादित प्रजनक बीजों की मात्रा केवल 34.98 किंवटल थी।

(ख) 5.94 लाख रु. वास्तविक ग्राह्य आर्थिक सहायता के प्रति अक्टूबर 1981 और मार्च 1982 के बीच, 4655 किंवटल प्रमाणिक/सत्यतापूर्वक लेबल चिपकाए बीजों का संवितरण किया गया था, 7.15 लाख रुपये की राशि केन्द्रीय आर्थिक सहायता के प्रति प्रभारित की गई थी।

(ग) 1982-83 से 1984-85 की अवधि के दौरान कृषकों को विभागीय बीजों की आपूर्ति अपेक्षित शून्य से 7.8 प्रतिशत तक परिवर्तित थी।

(घ) 41.07 किंवटल घटिया बीजों की संवितरण किया गया था।

(ङ) पुरी सीमायें, बिक्री से पूर्व 290.28 किंवटल दालों के बीजों की स्थानीय अंकुरण जांच नहीं की गई थी।

(च) कटक सीमा में 1983-84 के अंत तक 92.36 किंवटल बीरी (उर्द) बीज (मूल्य : 0.58 लाख रु.) को गैर अंकुरण क्षमता वाला पाया गया था और नीलामी के लिए बताया गया था। चूँकि, सतर्कता द्वारा अभिलेखों को कब्जे में ले लिया था, मूल्य तथा निपटाई गई मात्रा को सुनिश्चित नहीं किया गया था।

(छ) कोरापूत सीमा में, 1979-80 से मार्च 1985 तक 4.45 लाख मूल्य के 710.85 किंवटल दालों के बीजों का संचयन हुआ था तथा निपटान के लिए कोई कार्यवाही किए बिना आगे ले जाया गया था। सम्बल पुर सीमा में, 1981-82 तथा 1982-83 से सम्बद्ध (1.62 लाख रु. मूल्य के) दालों के बीजों को फरवरी 1984 में 0.33 लाख रुपये के मूल्य पर नीलामी द्वारा बेच दिया गया था जिसके परिणाम स्वरूप 1.29 लाख रुपये की हानि हुई।

(ज) उप-निदेशक कृषि, पुरी सीमा ने बाढ़ के कारण तुरन्त आवश्यकता पड़ने पर, 360 रु. प्रति किंवटल मार्किट दर पर, उड़ीसा राज्य बीज निगम से खरीदने के बजाय, सितम्बर और अक्टूबर 1982 के बीच, 450 रु. प्रति किंवटल की दर से 3606.5 किंवटल स्थानीय "बीरी बीज प्राप्त किए थे 1 अप्रैल 1983 तक बीजों की बिक्री की गई थी।

राजस्थान:- 1980-81 से 1985-86 के दौरान 76,705 किंवटल दालों के प्रमाणिक बीजों के उत्पादन के लक्ष्यों के प्रति, राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा केवल 21,305 किंवटल बीज उत्पादित किए थे।

तमिलनाडू:- कृषि डिपो में मार्किट दरों की विलम्ब से प्राप्ति होने के कारण, 1983-84 से 1985-86 के दौरान 3 जिलों के 8 उप-मंडलों में बीज प्राप्त करने के लिए 3.30 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय वहन किया गया था।

उत्तर प्रदेश:- (क) 1980-81 से 1985-86 के दौरान 861 किंवटल लक्ष्यों के प्रति, कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा केवल 219 किंवटल दालों के प्रजनक बीजों का उत्पादन किया गया था।

(ख) 1983-84 के दौरान प्रत्यक्ष सत्यापन करने पर अलीगढ़ जिले के

विभिन्न बीज भंडारों में 1.13 लाख रु. मूल्य के दालों के बीज कम पाए गए थे, जिसके लिए विभागीय कार्यवाही अभी की जानी थी (मार्च 1986)।

(ग) 1983-84 के दौरान सर्वेक्षण करने पर (0.97 लाख रु. मूल्य में) दालों के बीजों को अलीगढ़ झांसी तथा बरेली जिलों में उपयोग में न लाए जाने वाला पाया गया था चूंकि ये दो से अधिक वर्षों से बीज भंडारों में बिना वितरण के पड़े हुए थे। बरेली के विभिन्न भंडारों में 0.32 लाख रु. की राशि के दालों के प्रमाणिक बीज बड़ी लम्बी अवधि से असंवितरित पड़े हुए थे और अपनी अंकुरण शक्ति खो बैठे थे। उनके निपटान या असंवितरण का उत्तरदायित्व नियत करने के लिए कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी (मार्च 1986)

— पश्चिमी बंगाल:— 328 क्विंटल बीजों के उत्पादन के लिए 2.17 लाख रु. श्रमिक लागत के प्रति 11.31 लाख रु. अतिरिक्त व्यय का बहन करते हुए, 13.48 लाख रुपये का उपयोग किया गया था।

4.4.9 पौधा सुरक्षा रसायन/उपस्कर:—

दालों में, कीड़े कीटनाशी तथा बीमारियाँ जल्दी प्रवृत्त होती हैं जिससे फसलों की भारी हानि होती है। कृषकों को पौधा सुरक्षा रसायन/उपकरण तथा भूमी तथा हवाई छिड़काव के लिए परिचालन प्रभागों के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

राज्यों में कार्यक्रम के विभिन्न संघटकों को कार्यान्वित करने में विभिन्न कमियाँ ध्यान में आयी हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है:—

- आंध्र प्रदेश:— 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 में खरीफ के दौरान नालगोन्दा और कृष्णा जिलों में पौधा सुरक्षा रसायन जारी नहीं किए गए थे।
- आसाम:— ऐसे रसायन परिचालन के लिए कोई भी प्रबन्ध नहीं किए गए थे।
- गुजरात:— 1980-81 से 1985-86 के दौरान बनासकांठा तथा 1980-81 से 1985-86 के दौरान पंचमहल जिलों में कृषकों को पौधा सुरक्षा के लिए कोई भी आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की थी यद्यपि, दाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इन दोनों को चुना गया था। पौधा सुरक्षा उपकरणों से संबंधित उपलब्धियाँ पंचायतों को जारी की गई अनुदान राशि पर आधारित थी। 2500 छिड़काव करनेवाले पम्प जो वास्तव में संवितरित नहीं किए गए थे को गलती से प्रगति रिपोर्ट में दर्शाया गया था।
- हरियाणा:— विभागीय तौर पर छिड़काव परिचालन नहीं किए गए थे। कृषकों को, रसायन तथा पौधा सुरक्षा उपकरणों की आर्थिक सहायता दरों पर आपूर्ति की मांग को पंजीकृत करने के लिए किसी भी अभिलेख का अनुरक्षण नहीं किया गया था।
- मध्य प्रदेश:— संवितरण केन्द्रों को पौधा सुरक्षा रसायनों की आपूर्ति करने के लिए, 1980-81 के दौरान मध्य प्रदेश एग्री को 26.78 लाख रु. अग्रिम भुगतान किया गया था परन्तु अग्रिम के प्रति लेखा अभी प्रतीक्षित था (जुलाई 1986)

— मणीपुर:— 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता के बजाय 30 प्रतिशत आर्थिक सहायता पर कृषकों को कीटनाशी दवाई (बी. एच. सी. 10 प्रतिशत) जारी की गई थी इस प्रकार कृषक योजना के पूर्ण लाभ से वंचित रह गए थे। इसके अतिरिक्त अप्रैल 1983 में प्राप्त की गई 30 टन उपरोक्त कीटनाशी दवाई (0.59 लाख रु०) 2 वर्ष की जीवन अवधि के उपरान्त मई से जुलाई 1986 की अवधि के दौरान कृषकों को बेच दिया था दूसरे 16 टन (मूल्य 0.31 लाख रु.) जिसकी जीवन अवधि समाप्त हो गई थी, स्टॉक में पड़े हुए थे (जुलाई 1986)

— उड़ीसा:— बहुत से जिलों में शरीख 1984 तथा रबी 1985-86 के दौरान दाल उपज पर कीड़ों के आक्रमण की सूचना प्रकाश में आई थी। नियंत्रण एवं लिए गए सुरक्षात्मक तरीकों के सूचना संबंधी सीमाओं के उप-निदेशक कृषि द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी। उप-निदेशक कृषि (मुख्यालय) ने उप-निदेशक कृषि, कटक को यह भी बताया था कि कीटनाशी दवाई की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं थी तथा कृषकों को, उसे पूरे पौधा टिड्डे को नियंत्रित करने की खरीद के लिए कहा था।

— उत्तर प्रदेश:— पौधा सुरक्षा पद्धति के अंतर्गत आच्छादित क्षेत्र, 1980-81 से 1985-86 के दौरान दालों के अंतर्गत स्टाफ कमी के तथा भारी व्यय के कारण वार्षिक आच्छादित क्षेत्र का केवल 1.38 प्रतिशत तथा 2.8 प्रतिशत की सीमा के बीच था। झांसी जिले में, 1983-84 तक प्राप्त 93 पौधा सुरक्षा उपकरण (मूल्य 0.64 लाख रु.) संवितरित नहीं किए गए थे, (मार्च 1986)। आगे, कानपुर देहात जिले में (सिकन्दरा/राजपुर ब्लाक) पौधा सुरक्षा उपकरणों की बिक्री से प्राप्त 0.20 लाख रुपये दुर्धनियोजन 1983-84 में कामदार तथा सहायक कृषि अधिकारी द्वारा किया गया था।

— पश्चिम बंगाल:— पौधा सुरक्षा के लिए आर्बिट्रिट 1980-81 से 1985-86 के दौरान 0.61 लाख रुपये की समस्त निधियाँ (माल्दा: 0.29 लाख रु. तथा नादिया 0.32 लाख रु.) का उपयोग नहीं हुआ था। इसी प्रकार, माल्दा तथा दारिण जिले के 24 परगनों में 1980-81 से 1985-86 के दौरान परिचालन प्रभागों के लिए आर्बिट्रिट निधियों (0.36 लाख रु.) का उपयोग नहीं हुआ था।

4.4.10 रिजोबियम संवर्धन:— दालें फलीदार फसल हैं, तथा रिजोबियम संवर्धन उपयोग, भूमी में नाइट्रोजन नियतन करने में सहायता करता है। इस उपयोग से उपज में 10-15 प्रतिशत की वृद्धि होती है। अवधि जिसके लिए रिजोबियम संवर्धन संचित की जा सकती है भंडारण सुविधाओं की स्थिति पर निर्भर करती है। कार्यक्रम के इस संघटक के अंतर्गत मुख्यतः सहायता (1) रिजोबियम संवर्धन की मात्रा की आकस्मिक उत्पादन के लिए प्रयोगशालाओं को सूक्ष्म जैविकी से सज्जत करना (11) पैकेटों के 50 प्रतिशत मूल्य पर संवर्धन का आर्थिक सहायता के रूप में संवितरण के लिए उपलब्ध कराई गई थी।

डी.पी.आर. कानपुर के ध्यान में आया (फरवरी 1986) कि संवितरण तथा विनिर्माताओं के स्तर पर संवर्धन के गुण नियंत्रण की गारंटी के लिए कोई संस्थानिक यंत्रीकरण नहीं था। आगे उसने ऐसा देखा कि (i) रिजोबियम संवर्धन का भण्डारण सही रूप से नहीं किया गया था तथा उसे

संवितरण निकासी में लम्बी अवधि तक रखा गया था, परिणामस्वरूप जीवाणु घातकता हुई और (ii) रिजोबियम संवर्धन के टीका संचरण पद्धति का निरूपण, विस्तारण एजेंट्सियों द्वारा कृषकों के लिए विरलता से किया गया था। यद्यपि छोटी योजना के दौरान, प्रयोगशालाओं में सूक्ष्मजैविकी को मजबूत करने तथा संवर्धन उत्पादन पर व्यय के रूप में 35 लाख रुपये की लागत को बताया गया था, वास्तव में किए गए व्यय के विवरण उपलब्ध नहीं थे। तथापि योजना अवधि के दौरान रिजोबियम संवर्धन के 28,57,170 पैकेट संवितरित किए थे।

कार्यक्रम के संघटकों को कार्यान्वित करने में विभिन्न कमियाँ सूचना में आई है जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

- आंध्र प्रदेश:— सूक्ष्मजैविकी प्रयोगशालाओं के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। ब्लाक/जिला अधिकारियों द्वारा संवर्धन की आवश्यकता को नहीं आंका गया था। जबकि खरीफ का बीज बौने का मौसम जून से प्रारम्भ हुआ सीमित अवधि के लिए सुरक्षित संवर्धन इसके बहुत बाद जारी की गई थी (जादचरला, अगस्त-अक्तूबर 1984 में 2683 पैकेट तथा अक्तूबर 1985 में 600 पैकेट)। जनवरी 1985 से मार्च 1986 के दौरान जादचरला प्रयोगशाला में तथा अक्तूबर 1984 से राजेन्द्र नगर प्रयोगशाला में रिजोबियम संवर्धन का कोई उत्पादन नहीं हुआ था।
- असम:— पिछले छह वर्षों के दौरान रिजोबियम संवर्धन केवल 3833 पैकेट निर्मित किए गए थे। जिला स्तर के कुछ कार्यालयों में संवर्धन पैकेट देरी से प्राप्त हुए थे तथा उनका संवितरण नहीं किया गया था।
- बिहार:— राज्य सरकार से आपूर्ति आदेशों की विलम्ब से प्राप्ति। अप्राप्ति के कारण बिरसा कृषि विश्वविद्यालय सूक्ष्म जैविकी यूनिट के प्रतिस्थापित एक लाख रिजोबियम संवर्धन पैकेटों की वार्षिक क्षमता वान का 1980-81 से 1985-86 के दौरान पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया था। ऐसे अवसरों की भी सूचना मिली थी जब पैकेट बिल्कुल भी नहीं उठाए गए थे या भाग के रूप में उठाए गए थे। आगे, कृषि विश्वविद्यालय पूसा में 1 लाख रिजोबियम संवर्धन पैकेटों की वार्षिक प्रतिस्थापित उत्पादन क्षमता के प्रति राज्य सरकार राज्य बीज निगम आदि द्वारा 1.24 लाख पैकेट मांगे गए थे जिसके प्रति 1980-81 से 1985-86 के दौरान केवल 0.83 लाख पैकेटों की आपूर्ति की गई थी। 1984-85 की अवधि के दौरान 1.20 लाख रुपये की निधियाँ उपलब्ध होने के बावजूद रिजोबियम संवर्धन पैकेटों की कोई आपूर्ति नहीं की गई थी चूंकि विभाग द्वारा कोई भी रिजोबियम संवर्धन उपलब्ध नहीं कराई गई थी।
- गुजरात:— रिजोबियम संवर्धन के जिलावार वितरण के ब्यौरे कृषि निदेशक के पास उपलब्ध नहीं थे। वहन किए गए व्यय तथा संवितरित हुए दर्शाए गए पैकेटों की संख्या के बीच में कोई भी समन्वय नहीं था। 1980-81 से 1985-86 के दौरान मंत्रालय को भेजी गई त्रैमासिक रिपोर्ट में 6.23 लाख रु. के दर्शाए गए

रिजोबियम संवर्धन पैकेटों के प्रति, गुजरात राज्य सहकारी विपणन फेडरेशन द्वारा लेख्य परीक्षा को प्रदान की गई सूचना के अनुसार (जनवरी 1987) संवितरित किए गए पैकेटों की संख्या, तथा जिसका संवितरण और उत्पादन का कार्य सौंपा गया था, केवल 3.10 लाख रुपये थी।

- हरियाणा:— न तो रिजोबियम संवर्धन पैकेटों के उत्पादन के लिए लक्ष्य नियत किए गए थे और न ही हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को आवश्यकताओं से अवगत कराया गया था।
- कर्नाटक:— 1980-81 से 1984-85 के लिए 2.75 लाख रुपये के प्रावधान के प्रति रिजोबियम संवर्धन के संवितरण के लिए केवल 1.15 लाख रु. की राशि का उपयोग किया गया था।
- केरल:— 1980-81 से 1984-85 के दौरान 20,505 कि.ग्रा. रिजोबियम संवर्धन के लक्षित उत्पादन के प्रति सूक्ष्म जैविकी प्रयोगशाला पटाम्भी द्वारा उत्पादन की मात्रा केवल 6,199 कि. ग्रा. थी। 200 ग्राम के 335 रिजोबियम संवर्धन पैकेट समाप्त तारीख के उपरान्त जारी किए गए थे।
- मणीपुर:— यद्यपि, 1982-83 से 1985-86 के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत आच्छादित 0.47 लाख हेक्टेयर के लिए 4.70 लाख पैकेट मांगे गए थे, केवल 1.06 लाख पैकेट प्राप्त किए तथा 0.73 लाख पैकेट संवितरित किए गए थे।
- पांडिचेरी:— पांडिचेरी जिले में 1983-84 (खरीफ रबी) के दौरान तथा 1984-85 (खरीफ) में तथा करमैल और यनम जिलों में 1983-84 के दौरान कृषकों को रिजोबियम पैकेट जारी नहीं किए गए थे।
- उड़ीसा:— 1.40 लाख पैकेटों को वार्षिक क्षमता के प्रति, 1980-85 के दौरान भुवनेश्वर प्रयोगशाला में उत्पादन 6832 पैकेटों (1982-83) से 13695 पैकेटों (1981-82) में परिवर्तित था। इस प्रकार उत्पादन क्षमता का उपयोग 10 प्रतिशत से कम था। उपरोक्त अवधि के दौरान, क्षति, दूषण तथा समय समाप्त पैकेटों को नष्ट करने से हानि, 0.55 लाख रुपये निकाली गई थी। देनकनल तथा कोरपूत सीमा और खुर्दा के कृषि जिले में क्रमशः 1981-82 से 1983-84 तथा 1982-83 से 1983-84 के दौरान, वहाँ रिजोबियम संवर्धन पैकेटों की न कोई प्राप्ति और न ही संवितरण था।
- सिक्किम:— यद्यपि 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान कृषि विभाग के पास प्रयोगशाला तथा अनुसंधान सुविधाएँ थी लेकिन संवर्धन बाहर से प्राप्त की गई थी।
- उत्तर प्रदेश:— यद्यपि, आजमगढ़ जिले की प्रयोगशाला में, निर्धारित तापमान पर, उत्पादित रिजोबियम संवर्धन को सुरक्षित रखने की कोई सुविधा नहीं थी, जून 1984 में उत्पादित 1064 पैकेट, फरवरी और जून 1985 के बीच, जैसे कि परिदृश्य अवधि की समाप्ति के बाद, संवितरित कर दिए गए थे। इसके अतिरिक्त

अक्तूबर 1985 में उत्पादित 8,363 पैकेट अभी तक बिना वितरण के पड़े हुए थे (जून 1986)। 12 जिलों के 172 बीज भंडारों में 1 से 3 वर्ष की सीमा अवधि में, 0.64 लाख रु. के रिजोबियम संवर्धन पैकेट स्टॉक में पड़े हुए थे।

- पश्चिमी बंगाल:— 1980-86 के दौरान रिजोबियम संवर्धन की 21 टन उत्पादन क्षमता के प्रति टोलीगंज प्रयोगशाला में केवल 2.81 टन उत्पन्न हुए थे।

4.4.11 ग्रीष्म मूँग:— ग्रीष्म मूँग लगभग 65-70 दिवसीय एक लघु अवधि उपज है तथा अभिभावी उपज पद्धति के उपयुक्त है। छठी योजना के दौरान 28.9 लाख टन दालों का उत्पादन बढ़ाने की योजना में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात तथा बिहार राज्य के 20 जिलों में ग्रीष्म मूँग के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाना शामिल था। 1982-83 से 1984-85 के दौरान इस प्रयोजन के लिए 447.80 लाख रुपये का आबंटन किया गया था।

उत्पादन बढ़ाने की बड़ी योजना थी:—

- अप्रैल तथा मई माह के दौरान आर्थिक सहायता देकर, ऊर्जा, विद्युत, डीजल में चलने वाले नलकूपों के माध्यम से बढ़ाए गए क्षेत्र के अंतर्गत आस्वासित सिंचाई आपूर्ति।
- प्रमाणिक/सत्यतापूर्वक लेबल चिपकाए बीजों की आर्थिक सहायता के रूप में आपूर्ति।
- निरूपणों को संगठित करना तथा प्रचार

परियोजना में बताया गया कि 1984-85 तक 9 लाख टन उत्पादन सहित 14.7 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त आच्छादन हुआ जिसके प्रति 395 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर उपज देते हुए 3.9 लाख टन उत्पादन सहित, 9.88 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र सहित वास्तविक उपलब्धियां थी जिसकी राष्ट्रीय औसत उपज 403 कि.ग्रा. की तुलना से अनुकूल नहीं थी। यद्यपि, उत्तर प्रदेश में, ग्रीष्म मूँग, 1981-82 में 4.13 लाख हेक्टेयर से 1984-85 में बढ़कर 5.81 लाख हेक्टेयर हो गई थी, तदनु रूप वर्षों के दौरान उत्पादन में 1.80 लाख से 1.70 लाख टन की गिरावट आई थी।

योजना को कार्यान्वित करने में निम्नलिखित कर्मियाँ ध्यान में आई थी जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

- बिहार:— उपलब्ध कराई गई तथा खर्च की गई निधियाँ प्राप्त तथा उपयोग की गई आर्थिक निधियाँ, उपलब्ध नहीं थी। क्षेत्र की विभिन्न विशेष उपयोगिता का अंकन किए बिना कृषकों के बीच मूँग की लघु टोकरियाँ संवितरित की गयी थी। मुजफरपुर जिला कृषि अधिकारी ने, फरवरी/मार्च 1985 में प्राप्त 5040 लघु टोकरियाँ, (180 किबटल) साध लगने वाले जिलों में (2540 लघु टोकरियाँ) कृषि निदेशालय (2500 लघु टोकरियाँ) का इस आधार पर स्थानान्तरित/वापिस कर दिया था कि लघु टोकरियाँ में भरी गई विभिन्न किस्में भूमी तथा क्षेत्र के उपयुक्त नहीं थी।

- गुजरात:— यद्यपि, 1982-83 में, बड़ोदरा तथा खेड़ा जिलों में योजना लागू की गई थी कोई निधियाँ उपलब्ध नहीं करायी गई थी। इसके बावजूद, 1983-84 तथा 1984-85 में कार्यान्वित योजना से बड़ोदरा में ग्रीष्म मूँग उत्पादन में 1982-83 के 2400 टन से 1983-84 के 65 टन और 1984-85 के 135 टन की गिरावट आई थी। इसी प्रकार खेड़ा जिले में उत्पादन में, 1982-83 में 845 टन से 1983-84 में 435 टन और आगे 1984-85 में 245 टन की गिरावट आई थी।

4.4.12 दालों की प्राप्ति के लिए समर्थित मूल्य:—

मंत्रालय, समय समय पर दालों की प्राप्ति के लिए कम से कम समर्थित मूल्य नियत कर रहा है जो नीचे दिया गया है:—

वर्ष	समर्थित मूल्य (प्रति किबटल रु.)			
	चना	अरहर	मूँग	उड़द
1980-81	145	190	200	200
1981-82	घोषित	घोषित	घोषित	घोषित
	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
1982-83	वहीं	215	240	230
1983-84	235	245	250	245
1984-85	240	275	275	275
1985-86	260	300	300	300
1980-81 के मूल्य पर 1985-86 में प्रतिशतता की बढ़ोतरी	79.31	57.89	50.00	50.00

तथापि 1980-81 से 1985-86 के दौरान, 1982-83 के उपज वर्ष जब केन्द्रीय सरकार के निर्देश के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय सहकारी विपणन फेडरेशन (भा. रा. स. वि. फे.) 10026 टन चने (मूल्य: 263 लाख रु.) उपलब्ध कराए थे, के सिवाय 1980-81 से 1985-86 के दौरान सरकारी/अर्धसरकारी एजेंसियों द्वारा समर्थित मूल्य पर दालों की प्राप्ति नहीं की गयी थी। वर्ष 1983-84 से 1985-86 की अवधि के दौरान प्राप्त चावल तथा गेहूँ की मात्रा के विवरण नीचे दिए गए हैं:—

	1983-84	1984-85	1985-86
	(लाख टनों में)		(दिसम्बर 1985 तक)
गेहूँ	82.92	93.00	103.45
चावल	75.52	99.15	69.25

मंत्रालय ने देखा था (छठी योजना के अंत में) कि दालों की उत्पादकता/मूल्य पर दालों की मूल्य स्थिति से कोई चमत्कारी प्रभाव नहीं था। बगैर छांटी गई दालों की मूल्य से उत्पन्न आय, जो कृषकों की आय पर प्रभाव डालती है, कोई विशेष आकर्षक नहीं थी। छांटी गई दालों के मूल्य (उपभोक्ताओं द्वारा अदा किया गया) तथा बगैर छांटी गई दालों के मूल्य

(कृषकों द्वारा प्राप्त) बीच का अन्तर बहुत अधिक था जो सामान्यतः मध्यमवर्गीय लोगों को जा रहा था। मंत्रालय ने आगे विचार प्रकट किया यदि दालों की विपणन प्रणाली को तेजी से बढ़ाया जाता तो मूल्यों का लाभ कृषकों को होता, जिससे आगे आने वाले समय में दालों की उत्पादकता/मूल्यों में, सामान्यतः दालों को अधिक लाभकारी बनाने से, वृद्धि होती। निर्णीत मार्केट मूल्य के एवज में, समस्त दाल उपज के मामले में समर्थित मूल्य को बढ़ाने की आवश्यकता थी। उपलब्ध कराने वाली एजेन्सियाँ जैसे नेफेड, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी फेडरेशन आदि को, मार्केट में फसल आने के शीर्ष मौसम के दौरान दालों की अम्बार उपज की खरीद को बढ़ाना चाहिए था ताकि लाभ कमाने वाली एजेन्सियाँ को उत्पादकों/उपभोक्ताओं की कीमत पर बढ़ावा न मिले। इस संबंध में कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई थी (अक्टूबर 1986)।

4.4.13 अनुश्रवण:— कार्यक्रम का अनुश्रवण यह सुनिश्चित करने के लिए अति आवश्यक है कि कार्यक्रम नेमी रूप में कार्यान्वित नहीं किया जाता है और कि इसके लिए अभिन्न पहुँच है। यह अति आवश्यक है कि इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए समय पर पूर्ति की जाए ताकि समय पर तेजी से सही कार्यवाही की जा सके।

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के दौरान आई कठिनाइयों सहित, जिला दाल विभाग लखनऊ को, दाल विकास कार्यक्रम में की गई प्रगति की मासिक/त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। जिला दाल विभाग, लखनऊ को राज्यों में विभिन्न अधिकारियों को बार-बार निरीक्षण करने का कार्य सौंपना था। एक समेकित रिपोर्ट प्रतिमाह मंत्रालय को भेजी जानी थी। इन रिपोर्टों से सन्निहित फाइलें, तथा दौरे से संबंधित प्रतियाँ यदि कोई हो, जहाँ पर अधिकारियों ने राज्यों को निरीक्षण किया हो मांगी गई थी (मई तथा अगस्त 1986) लेकिन उन्हें न तो मंत्रालय और न ही जिला दाल विभाग लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराया गया था।

सिंचित और गैर सिंचित खेती के लिए पृथक आच्छादित क्षेत्र, अन्तः पैदावार के अंतर्गत आच्छादित क्षेत्र सत्यतापूर्वक लेबल चिपकाए गए आपूर्ति किए गए बीजों की मात्रा आदि, विशेषकर जहाँ पर कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया था, निर्धारित निरूपणों के परिणाम तथा संवितरित लघु टोकरियों के माध्यम से उपलब्ध उपज से संबंधित उत्पादन आंकड़े मंत्रालय के पास नहीं थे। अनुश्रवण की राज्यवार स्थिति निम्न प्रकार थी:—

- आंध्र प्रदेश में निरूपण तथा लघु टोकरियों का न तो अनुश्रवण किया गया था और न ही तेजी से परिणाम प्राप्त किए थे।
- बिहार तथा मणीपुर राज्यों में किसी भी अनुश्रवण कक्ष का सुजन नहीं किया गया था।
- गुजरात तथा मणीपुर राज्यों में प्रत्यक्ष उपलब्धियों की प्रगति रिपोर्ट अनुदानों/आर्बाइत निधियों तथा बहन किए गए व्यय पर आधारित थी जिसके विपरीत उत्तर प्रदेश में, राजस्व विभाग के अभिलेखों के आधार पर दोनों प्रत्यक्ष तथा वित्तीय प्रगति रिपोर्टें, जिला दाल विभाग, लखनऊ को भेजी गई थी।

— हरियाणा में, निरूपण प्लाटों पर उपज का अनुश्रवण नहीं किया गया था तथा अनुश्रवण समेकित प्रगति रिपोर्ट तक था।

— कर्नाटक, केरल में (28 में से 13 यूनिट) पंजाब तथा सिक्किम में राज्यों में/पर्यवेक्षण/अनुश्रवण निरूपणों/परीक्षणों प्रगति रिपोर्ट आदि के किसी भी अभिलेख का अनुरक्षण नहीं किया गया था और न ही लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराए गए थे।

— मध्य प्रदेश में मासिक रिपोर्टों के स्थान पर केवल त्रैमासिक रिपोर्टें भेजी गई थीं और इनमें भी दो माह से एक वर्ष की अवधि तक का विलम्ब किया गया था।

— राजस्थान में प्रत्येक उपज की लघु टोकरियों के निरीक्षण के किसी भी अभिलेख की अनुरक्षण, जांच किए गए किसी भी जिले में नहीं किया गया था और न ही मासिक रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी गई थी।

— पश्चिम बंगाल में, दाल विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के मामले में, निधियों तथा क्षेत्रीय कार्यों की उपयोगिता सहित, जिला अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर पर्याप्त नियंत्रण रखने के लिए कोई यंत्रीकरण नहीं था।

4.4.14 मूल्यांकन:— राज्य स्तर पर कार्यक्रम समिति, कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने तथा इस पर विस्तृत रिपोर्ट बनाकर पदार्थ निदेशालय तथा मंत्रालय को भेजने के लिए जिम्मेदार थी।

यद्यपि, मूल्यांकन कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण भाग था, मंत्रालय ने कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन 1972-73 में से इसके प्रारम्भ होने से इस बात को जांचने के लिए कि क्या कार्यक्रम सफल रहा था, कार्यक्रम की सफलता में कमियों को दूँडना तथा दूर करना, नहीं किया।

आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणीपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल और संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ और पांडीचेरी ने इसके प्रारम्भ होने से कार्यक्रम की मूल्यांकन नहीं किया था। उत्तर प्रदेश में, राज्य योजना संस्थान द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ अप्रैल 1983 में किए गए मूल्यांकन से पता चला कि:—

- पिछले 30 वर्षों के दौरान दालों के अंतर्गत आच्छादन कुल दर्शाए गए क्षेत्र से, 22 प्रतिशत से घटकर 11 प्रतिशत हो गया था,
- पर्याप्त उच्च उपज तथा दाल बीजों की बीमारी प्रतिरोधी किस्में उत्पन्न नहीं की गई थी,
- आवश्यक दाल उपज के अंतर्गत दर्शाए गए क्षेत्र में रिजोबियम संस्कृति का उपयोग 3 प्रतिशत तक किया गया था, तथा
- कीड़ों तथा प्रचण्ड बीमारियों के प्रकोप के बावजूद, पौधा सुरक्षा पद्धति के अंतर्गत 2 प्रतिशत से कम क्षेत्र लिया गया था।

इन परिणामों पर, अनुवर्ती कार्यवाही के विवरण लेखा परीक्षा को नहीं दिखाए गए थे।

सार:

निम्न मुख्य बातें प्रकट होती हैं:-

- दालें देश में प्रमुखता से शाकाहारी भोजन का एक मुख्य अंग बनाती हैं। इसका उत्पादन जनसंख्या की तेज बढ़ोत्तरी के साथ कदम नहीं मिला सका। प्रति एकड़ खेतीबाड़ी तथा उत्पादन दोनों ही गिरे हैं। 1960-61 में प्रति एकड़ 23.56 मिलियन हेक्टेयर से 1970-71 में 22.53 मिलियन हेक्टेयर तथा 1980-81 में 22.46 मिलियन हेक्टेयर तथा उत्पादन 1960-61 में 12.70 मिलियन टन से 1970-71 में 11.82 मिलियन टन तथा 1980-81 में 10.63 मिलियन टन। फलस्वरूप दाल की प्रति व्यक्ति उपलब्ध डब्ल्यू. एच. ओ./एफ. ए. ओ. ने 80 ग्राम तथा भा. आ. नि. भ. द्वारा 47 ग्राम मानदंड की सिफारिश के प्रति 1961 में 69 ग्राम प्रति दिन से 1971 में 51 ग्राम, 1981 में 37.5 ग्राम तथा 1985 में 38.9 ग्राम गिर गई थी।
- दालों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं प्रवर्तित की गई थीं जिन में सब से मुख्य 1972-73 में शुरू की गई दालों के विकास के लिए केन्द्रीय प्रवर्तित परियोजना (पी.डी.पी.) थी। इनको विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं तथा 20 सूत्री कार्यक्रम में उच्च प्राथमिकता दी गई थी तथा बीच पौधा रक्षण रसायन तथा भूमि/वायु छिड़काव के लिए संचालन प्रभार प्रदर्शन करना, प्रजनक/मूल बीजों का उत्पादन तथा प्रमाणित/सत्यतापूर्वक लेबल चिपकाए गए बीजों की प्राप्ति तथा दाल बीज, रसायन आदि रखने वाले छोटी बैली का निशुल्क वितरण जैसे निवेश मूल्य के रूप में आर्थिक सहायता शामिल था।
- मंत्रालय ने 1983-84 में देश के सभी ब्लॉकों में चाहे वे राज्य/संघ शासित प्रदेश दालों के मुख्य उत्पादक हैं या नहीं "कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए छोटे तथा सीमान्त किसानों को सहायता" (एस एम एफ पी) दूसरी परियोजना चालू की थी जिस में पी डी पी के अंतर्गत छोटी बैलियों के वितरण पर भी विचार किया था।
- पांचवीं योजना के दौरान दालों के उत्पादन में प्रगति रोधकी पृष्ठभूमि से समक्ष छोटी योजना का कौशल निर्मित किया गया था। पांचवीं योजना के अंत में कम उत्पादकता मुख्य रूप से वर्षा स्थिति पर निर्भर दालों की खेती बाड़ी, जन्तुओं के लिए संदिग्धता, रसायन खादों/खादों का प्रयोग न करना, उर्वरकों के प्रयोग के लिए दालों के प्राप्त किस्मों का अपर्याप्त प्रतिक्रिया के कारण थी। तथापि ये अभाव छोटी योजना के अंत में भी बिना जांच किए जारी रहे फलस्वरूप पी डी पी/एस एम एफ पी ने लक्ष्य प्राप्त नहीं किए।
- 1984-85 के दौरान प्राप्त पूर्ण उत्पादन 121.95 लाख टन तथा प्रति हेक्टेयर पैदावार 537 किलोग्राम 1958-59 की उच्च उत्पादन 131.49 लाख टन तथा 541 कि.ग्रा. पैदावार से कम था।
- लक्ष्यों को प्राप्त करने की असफलता के परिणाम स्वरूप दालों का आयात 1980-81 में 1.75 लाख टन से 1985-86 में 5.16 लाख टन बढ़ गया था।
- विश्व संबंध की दृष्टि से जबकि 1979 में विश्व के क्षेत्र एवं उत्पादन का देश में क्षेत्र एवं उत्पादन क्रमशः 38.2 प्रतिशत तथा 29 प्रतिशत था, 1984 में यह क्रमशः 34.5 प्रतिशत तथा 26.3 प्रतिशत नीचे आ गया था। इसके अतिरिक्त जब कि खेती बाड़ी के अंतर्गत क्षेत्र एवं उत्पादन संसार में 9.6 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत बढ़ गया था तब भारत में क्षेत्र 1 प्रतिशत घट गया था तथा उत्पादन केवल 8.97 प्रतिशत बढ़ गया था। जबकि 1984 के दौरान संसार के 25 मुख्य दाल उत्पादक देशों में औसत पैदावार प्रति हेक्टेयर 218 कि.ग्रा. से 2175 कि.ग्रा. फैली हुई थी, उत्पादकता के संबंध में देश में पैदावार 539 कि.ग्रा. थी, भारत 21 वें स्थान पर था।
- दालों के उत्पादन में बढ़ोत्तरी अनाज जैसे चावल तथा गेहूं के उत्पादन में बढ़ोत्तरी प्रतिशतता से तुलनीय नहीं थी। जब कि 1984-85 में गेहूं तथा चावल का उत्पादन क्रमशः 85.59 प्रतिशत तथा 38.87 प्रतिशत बढ़ा दालों का उत्पादन 1970-71 से 3.19 प्रतिशत बढ़ा।
- सिंचाई युक्त खेती बाड़ी तथा अंतर्पज में पी डी पी के अंतर्गत आवृत जिलों में अलग अलग से उत्पादन तथा क्षेत्र की आवृत्ति के आंकड़े मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं थे।
- दालों के अंतर्गत सिंचाई क्षेत्र 1970-71 में 8.98 प्रतिशत से 1982-83 में दालों के अंतर्गत पूर्ण फसल उत्पादक क्षेत्र में 7.95 प्रतिशत कम हो गया था।
- मुख्य दाल उत्पादक राज्यों बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल जहां 1970-71 की तुलना में 1984-85 के दौरान क्षेत्र तथा उत्पादन में गिरावट थी, पी डी पी का कोई प्रभाव नहीं था। आंध्रप्रदेश, हरियाणा कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा तमिलनाडू में प्रति हेक्टेयर उपज राष्ट्रीय औसत से बहुत कम था।
- छोटी योजना के दौरान 13 मुख्य दाल उत्पादक राज्यों को उपलब्ध कराए गए 3241.36 लाख रुपए में से केवल 2693.92 लाख रुपए व्यय किए गए थे। उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के अतिरिक्त दूसरे राज्य वास्तव में प्रवाहित की गई निधियों का उपयोग करने में समर्थ नहीं थे।
- यद्यपि कौशल घटक अनुसार पहुंच का विचार करता था, घटक अनुसार व्यय न तो मंत्रालय अथवा न राज्य सरकारों के पास उपलब्ध था।
- "एस एम एफ पी" के अंतर्गत 1983-84 से 1985-86 की अवधि में दालों के लघु बैली निशुल्क वितरण पर निर्गमित/व्यय की गई वास्तविक राशि मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं थी।

- राज्यों को निर्गमित केन्द्रीय सहायता की प्रमाणा पी डी पी के अंतर्गत राज्य अनुसार सघन दालों की खेती के लिए आवृत्त तथा पहचाने गए जिलों की संख्या के साथ कोई संबंध नहीं था।
- विभिन्न राज्यों द्वारा उपयोग की गई निधियों में त्रुटियां थी। उड़ीसा में 8.52 लाख रुपये की पी डी पी निधियां "गाजा" उत्पादन के लिए उपयोग की गई।
- जबकि 211.38 लाख हेक्टेयर "पैकेज एप्रोच" के अंतर्गत कहे गए थे रिजोबियम संवर्धन तथा पौधा संरक्षण साधनों से आवृत्त क्षेत्र केवल मिश्रित कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण असंतुलन दर्शाते हुए क्रमशः 19.5 लाख हेक्टेयर तथा 47.81 लाख हेक्टेयर था। निदर्शी तौर से उत्तर प्रदेश में पौधा संरक्षण साधन से आवृत्त क्षेत्र छठी योजना के दौरान वार्षिक आवृत्त कुल क्षेत्र का 1.38 प्रतिशत से 2.8 प्रतिशत के बीच था।
- प्रदर्शन तथा उनका किसानों पर प्रभाव के परिणाम मंत्रालय के पास नहीं थे। राज्यों ने यह भी सुनिश्चित नहीं कराया कि सिफारिश किए गए पैकेज के अभ्यासों का अनुपालन किया गया था। विभिन्न राज्यों/जिलों में, जहां प्रदर्शन के परिणाम उपलब्ध थे, प्रदर्शन-भूखण्डों में कम उत्पादन के बहुत से मामले थे।
- यद्यपि नई किस्म के उन्नत बीजों को अधिसूचित किया गया था, मंत्रालय ने पुरानी किस्मों का उत्पादन कराया।
- बहुत से राज्यों में, लघु थैली निशुल्क वितरण योजना के अंतर्गत लघु थैली में नई किस्मों के बीजों के स्थान पर पुरानी किस्मों के बीज रखे गये थे, इस प्रकार नई किस्मों को लोकप्रिय बनाने का योजना का उद्देश्य विफल रहा।
- बहुत से राज्यों ने लघु थैली देरी से या जुताई का मौसम समाप्त हो जाने के पश्चात मुहैया करवायीं। अधिकांश राज्यों के पास लघु थैली के वितरण को प्रदर्शित करने वाले रिकार्ड नहीं थे, या कृषकों के नामों, किसानों के पास जुताई हेतु भूमि/लाभ भोगियों की श्रेणी आदि के विषय में सूचना नहीं थी।
- छठी योजना के दौरान निर्धारित प्रजनक बीजों के उत्पादन और प्रमाणित बीजों की प्राप्ति का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ था। मंत्रालय के पास 1980-81 और 1981-82 के दौरान उत्पादित हुए आधार बीजों, प्रजनक बीजों में से बहु-प्रयोजित बीजों के उत्पादन का विवरण नहीं था। प्रजनक बीजों में से आधार बीजों का वास्तविक उत्पादन न्यूनतम गुणन प्रत्याशा की दर से बहुत कम था।
- बीजों की गंभीर कमी का कारण देश के सभी ब्लाकों में कृषि मौसम की स्थिति और मिट्टी की उपयुक्तता को जाने बिना एक अन्य आरंभ की गई योजना के अंतर्गत दालों की लघु थैली का वितरण था।
- 36.87 लाख क्विंटल बीजों की कमी को आसानी से निपटा जा सकता था यदि प्रदर्शन के अंतर्गत भू-खण्डों/क्षेत्रों में अनुकूल उत्पादन होता और लघु थैली के वितरण का लक्ष्य प्राप्त किया गया होता।
- जबकि एक तरफ बीजों की कमी सूचित की गई थी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में, उपलब्ध बीज इस्तेमाल नहीं किये गए थे।
- रिजोबियम संवर्धन समुचित विधि में संचित नहीं की गई थी, और वितरण हेतु बाजार में अधिक समय तक रखे जाने के परिणामस्वरूप इनमें मर्त्यता के कीटाणु उत्पन्न हो गये थे।
- रिजोबियम के संचारण की विधि यद्यपि आसान थी, विस्तार एजेंसियों द्वारा इसका बिरला ही प्रदर्शन किया गया। संवर्धन के उत्पादन हेतु बहुत सी कृषि प्रयोग शालायों का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया था।
- ग्रीष्मकालीन मृग कार्यक्रम के अंतर्गत 1984-85 के दौरान 14.7 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र और 9 लाख टन उत्पादन की प्रत्याशा के विपरीत वास्तविक उपलब्धि केवल 9.88 लाख हेक्टेयर थी तथा उत्पादन 3.9 लाख टन था।
- यद्यपि समर्थन मूल्य सूचित किया गया था, मूल्य समर्थन का प्रचलन नहीं किया गया था। वास्तव में कोई उपलब्धि नहीं की इस प्रकार दालों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु बनाई गई योजना के लक्ष्यों में से एक लक्ष्य, उदाहरणार्थ, मूल्यों और विपणन सहित सार्वजनिक नीतियां गैर कार्यान्वित पड़ी रहीं।
- कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से निष्पादित/अनुष्ठान करने के लिए आवश्यक कार्यान्वयन मशीनरी को केन्द्र/राज्यों/जिल्लों स्तरों पर पूरी तरह से अनुकूल नहीं बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में, यह सूचित किया गया था कि ग्रामीण विकास अधिकारियों, जिनके माध्यम से ब्लाक-स्तरों पर कार्यक्रम लागू किया जाना था, को अन्य कार्यक्रम भी सौंप दिये गये थे।
- यद्यपि राज्य और केन्द्र स्तर पर गहन अनुश्रवण पर ध्यान दिया जाना था, लेकिन इन स्तरों पर अर्थपूर्ण अनुश्रवण कार्यवाही नहीं हुई जैसे चुने हुए जिलों में उत्पादन, संघटन तथा प्रदर्शन के परिणाम और नई किस्मों के बीजों का संघटन संबंधी आंकड़ों की कमी से प्रकट होता है। राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों की फाइलें, डी पी डी लखनऊ द्वारा मंत्रालय को भेजी गयी समेकित रिपोर्ट तथा अधिकारियों द्वारा विभिन्न राज्यों की भ्रमण रिपोर्ट लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।
- मंत्रालय तथा राज्यों ने (उत्तर प्रदेश के सिवाय) 1972-73 में प्रारंभ किए गए कार्यक्रम के प्रभावों का मूल्यांकन नहीं किया था। अप्रैल 1983 में उत्तर प्रदेश राज्य योजना संस्थान ने एक मूल्यांकन किया था, जो अन्य बातों के साथ साथ प्रकट करता है कि:-

- पिछले 30 वर्षों के दौरान दालों का कुल बुवाई क्षेत्र 22 प्रतिशत से घटकर 11 प्रतिशत रह गया,
- अधिक मात्रा में उत्पादन और रोग प्रतिरोधक वाली किस्मों के बीजों को विकसित नहीं किया गया था।
- टिड्डी दल तथा अनेक बीमारियों के प्रकोप के बावजूद भी

आवश्यक दालों के अन्तर्गत बुवाई क्षेत्र के केवल 3 प्रतिशत में रिजोबियम संवर्धन का प्रयोग किया था, 2 प्रतिशत से भी कम क्षेत्र फसल सुरक्षा उपायों के अंतर्गत आवृत था।

उपरोक्त त्रुटियां अत्यधिक थी जिनकी छठी योजना के दौरान दूर होने की आशा थी।

अनुबन्ध

केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय सैक्टर योजना के अंतर्गत दालों के विकास हेतु सहायता का प्रकार

क्रमांक	कार्य की मद	छठी योजना के दौरान ग्राह्य अनुदान की दर	केन्द्र और राज्यों के मध्य अनुदान की साझेदारी के आधार
1	2	3	4
I.	केन्द्रीयकृत प्रायोजित योजना		
1.	प्रदर्शन	375 रु. प्रति हैक्टर	50:50
2.	प्रजनक बीज उत्पादन		
	(क) मूंग, उड़द और लोबियां	500 रु. प्रतिक्विंटल	} 50:50
	(ख) मसूर	350 रु. प्रतिक्विंटल	
	(ग) अरहर और चना	300 रु. प्रतिक्विंटल	
	(घ) मटर	200 रु. प्रतिक्विंटल	
3.	आधार बीज	150 रु. प्रति क्विंटल	केन्द्र द्वारा शतप्रतिशत
4.	अधिसूचित/अनुमोदित किस्मों के प्रमाणित बीजों का उत्पादन	दालों के प्रमाणित और सत्यतापूर्वक चिपकाए गए लेबल वाले	वही
5.	सत्यतापूर्वक चिपकाए गए लेबल वाले बीज	बीजों पर अनुदान की राशि थोक मूल्यों से 20 प्रतिशत अधिक अथवा दालों के खुदरा मूल्यों से 10-15 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, इन शर्तों के साथ कि प्रमाणित बीजों पर अनुदान की राशि, 200 रु. प्रतिक्विंटल से अधिक नहीं हो पर आधारित होनी चाहिए। सत्यतापूर्वक चिपकाए गए लेबलवाले बीजों दालों के बीजों पर अनुदान की अधिकतम सीमा 100 रुपये प्रति क्विंटल होगी।	वही
6.	पौधा सुरक्षा रसायन	लागत का 50 प्रतिशत	वितरित रसायनों पर हुए वास्तविक व्यय को राज्य और केन्द्र के मध्य 50:50 के आधार पर बाँटा जायेगा।
7.	पसल सुरक्षा उपकरण (हस्तचलित फुहारे/झाड़न)	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 250 प्रति पीस	50:50
8.	परिचालन प्रभार		
	(क) भूमि से छिड़काव	15 रु. प्रति हैक्टर	केन्द्र द्वारा
	(ख) हवाई छिड़काव - *	37.50 रु. प्रति हैक्टर	शत-प्रतिशत
9.	दालों के लिये रिजोबियम संवर्धित (पैकिटों का उत्पादन और सूक्ष्म प्रयोगशालाओं को सुदृढ बनाना)	पैकिटों की लागत का 50 प्रतिशत	50:50
10.	प्रचार (केवल प्रीधमकालीन मूंग उत्पादन कार्यक्रम के लिए)	50 प्रतिशत	50:50
11.	कर्मचारियों और पेट्रोल तेल और चिकनाई पर व्यय		50:50
	क. राज्यस्तर		
	संयुक्त निदेशक कृषि (दालें) तकनीकी सहायक, आशुलिपिक, जीप चालक, चपरासी	} प्रत्येक एक कर्मचारियों के अनुमोदित ढांचे अनुसार	
	ख. जिला/परिचालन इकाई स्तर		
	(प्रत्येक इकाई के लिए कर्मचारी)		
	(i) दाल विकास अधिकारी तकनीकी सहायक, आशु-टंकक अवर श्रेणी लिपिक, जीपचालक चपरासी	} प्रत्येक एक	
	(ii) फील्ड कृषि निरीक्षक		पांच
II.	केन्द्रीय सैक्टर योजना		
1.	लघु बैली वितरण कार्यक्रम		शत-प्रतिशत
2.	प्रशिक्षण कार्यक्रम		शत-प्रतिशत

5. राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना

5.1 प्रस्तावना:-

खाद्य वनस्पति तेल की प्रचुर मात्रा में आपूर्ति सात कृष्ट तिलहनों, जैसे मूँगफली, तोरी के बीज (रेपसीड)/सरसों, सोयाबीन, तिल, करडी, सूरजमुखी और रामतिल से निकाल कर की जाती है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सात खाद्य तिलहनों का तेलपदार्थों के अन्तर्गत व्यक्त किया गया वार्षिक औसत उत्पादन, पिछले पांच वर्षों (1975-76 से 1979-80) के दौरान 26 लाख टन और वर्ष 1970-71 से 1974-75 के दौरान 24.5 लाख टन की तुलना में 31.3 लाख टन था।

1976-77 तक देश तिलहनों, खाद्य तेलों, खरल निवल अधिशेष होने की स्थिति में विदेशों से व्यापार करता था, देश में बढ़ती हुई जनसंख्या और रहन-सहन के स्तर में वृद्धि के कारण खाद्य तेलों की अधिक मांग और उनके उत्पादन की गति में वृद्धि न होने के कारण देश बहुत घाटे की स्थिति में पहुँच गया था। तिलहनों का 1970 के दशक में प्रति व्यक्ति खाद्य तेलों की खपत, जो 3 से 3.8 कि. ग्राम के आसपास मंडरा रही थी, वह 1980 के दशक में सुअस्पष्ट आगे की ओर उछल ले रही थी तथा 1984 में उपलब्धता 5.5 कि. ग्रा. अनुमानित की गई थी। खाद्य तेलों पर एक अध्ययन दल ने बताया कि सातवीं योजना की समाप्ति तक प्रति व्यक्ति

खाद्य तेलों की खपत 7.50 किलो ग्राम तक पहुँच जायेगी। इस विस्तृत होते अन्तर को वर्ष 1978-79 के दौरान 8.21 लाख टन (479.83 करोड़ रुपये) से वर्ष 1984-85 में 13.68 लाख टन (1123.11 करोड़ रुपये) के खाद्य तेलों के आयात के द्वारा पूरा किया गया। आयात किये गए खाद्य तेलों की मात्रा घरेलू स्रोतों से प्राप्त तेलों की कुल मात्रा की लगभग आधी थी।

तथापि देश में, प्रति व्यक्ति खाद्य तेलों की खपत (लगभग 6 किलोग्राम) पूरे संसार की औसतन खपत 11 किलोग्राम और विकसित देशों की औसत 26 किलोग्राम, की अपेक्षा कम थी

1984-85 के दौरान, देश में, तिलहनों की खेती 189.24 लाख हैक्टेयर क्षेत्रों में की गयी जिसमें से मूँगफली और तोरी-बीज सरसों की खेती (111.55 लाख हैक्टर) 59 प्रतिशत क्षेत्र में हुई।

अनुमानित क्षेत्र, पैदावार, तिलहनों, दालों और खाद्यान्नों की प्रति हैक्टेयर उपज, और खाद्य तेलों, दालों और खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी हुई है:-

वर्ष	क्षेत्र			पैदावार			उपज			प्रति व्यक्ति उपलब्धता		
	तिलहन	दालें (दस लाख हैक्टर)	खाद्यान	तिलहन	दालें (दस लाख टन)	खाद्यान	तिलहन (किलो ग्राम प्रति हैक्टर)	दालें	खाद्यान	तिलहन	दालें	खाद्यान (ग्राम प्रति दिन)
1970-71	16.64	22.53	101.78	9.63	11.82	96.60	579	524	949	9.59	51.2	417.6
1980-81	17.60	22.46	104.21	9.37	10.63	118.96	532	473	1142	10.41	37.5	416.2
1984-85	18.92	22.73	103.94	12.95	12.20	134.03	684	537	1290	15.07	38.9	424.4

5.1.2 कृषि मंत्रालय ने जिसे आगे मंत्रालय कह कर सम्बोधित किया गया (कृषि एवं सहयोग विभाग) देश में तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने और आयात कम करने के उद्देश्य से 1966-67 से तिलहनों के उत्पादन के विकास हेतु अनेक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं शुरू की थी।

5.1.3 कार्यक्रम के उद्देश्य:

पंचवर्षीय योजना और नये 20 सूत्री कार्यक्रम में तिलहन विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, विभिन्न तिलहन फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाने तथा तिलहने के उन्नत किस्म द्वारा उपजाऊपन बढ़ाने तथा सुधारी पाद्योगिकी अपनाते तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना था।

छठी योजना के दौरान वनस्पति तेलों को अधिक मात्रा में उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम में निम्न सम्मिलित थे:-

— अनुसंधान को बढ़ावा देना,

- विस्तार और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना,
- मूँगफली, सरसों आदि जैसे तिलहनों का वार्षिक उत्पादन बढ़ाना,
- नारियल, ताड़-तेल जैसे बारहमासी तिलहनों का विकास,
- साल, नीम महुआ इत्यादि जैसे पेड़ों से प्राप्त तिलहनों का उपयोग,
- शिल्प वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से तेल की उपलब्धता बढ़ाना, जैसे कि बिनीले, चावल की भूसी से तेल निकालना, तथा,
- मूल्य समर्थन प्रक्रिया द्वारा मूल्यों में गिरावट के प्रति व्यवस्था

छठी योजना में (क) गहन तिलहन विकास कार्यक्रम (ग. ति. वि. का.) का समावेश करते हुए केन्द्र द्वारा प्रायोजित, चलती हुई योजनाओं का जारी रखना, तिलहनों का नये सिंचाई वाले क्षेत्रों में विस्तार, सोयाबीन का विकास, सूरजमुखी के सर्वोत्तम किस्म के बीजों का उत्पादन और अन्य तिलहनों फसलों के प्रजनक बीजों का उत्पादन और (ख) दो विशेष परियोजनाएं, जैसे गुजरात में मूँगफली का गहन विकास और "मध्य प्रदेश

में सोयाबीन का विकास" पर विचार हुआ। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाल ताड़ तेल की खेती और ताड़ का तेल निकालने वाली मिलों की स्थापना की सुविधा पर विचार भी किया गया।

1984-85 से एक राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना (ति. वि. प.) वर्तमान तिलहन विकास योजनाओं और विशेष परियोजनाओं का समाकलन एवं एकीकरण करने के बाद संस्वीकृत की गई और विशेष स्थान और बीजों जैसे सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे गैर परम्परागत बीजों के संदर्भ में भी उसकी उपगम्यता काफी प्रगाढ़ रही।

तिलहन और सूर्यमुखी के अति-उत्कृष्ट और चुनिंदा बीजों और अन्य तिलहनों की फसलों के प्रजनक बीजों पर अनुसंधान का कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा किया जा रहा है (भा. कृ. अ. प.)।

उपर्युक्त के अलावा मंत्रालय द्वारा 1983-84 में देश के सभी खंडों में शुरू की गई केन्द्र द्वारा प्रायोजित "कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु छोटे तथा सीमान्त किसानों को सहायता" (छो. सी. कि. सा.) की योजना वे अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं, जिसमें तिलहनों छोटे थैलों के वितरण की व्यवस्था थी, किसानों द्वारा भी प्राप्त की जायेगी।

5.2. सहायता का प्रतिमान:-

केन्द्रीय योजनाओं की आवश्यक विशेषताओं के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार द्वारा उन्नत बीजों के उत्पादन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता का विस्तार उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठ किस्म के सूर्यमुखी बीजों एवं अन्य तिलहनों के प्रजनक बीजों सहित, सयंत्र सुरक्षा, उर्वरक और फार्म के औजर/उपकरण, खेतों में प्रदर्शन, रिनोबिम संवर्धन का वितरण, सूक्ष्म जीव-विज्ञान प्रयोगशालाओं को बढ़ावा तथा परियोजना के अनुश्रवण हेतु स्टाफ का प्रशिक्षण और उनकी संख्या को बढ़ावा शामिल थे। किसानों को बीज और उर्वरकों के लघु-थैली निशुल्क उपलब्ध कराये जाने थे जिस पर होने वाले व्यय का 50 से 100 प्रतिशत अंश केन्द्रीय सरकार द्वारा बढ़ाया जाना था।

दो विशेष परियोजनाएं अर्थात् "गुजरात में मूँगफली का गहन विकास" (35 करोड़ रुपये) और "मध्य प्रदेश में सोयाबीन का विकास (15 करोड़ रुपये) पर हुये सारे व्यय को केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया गया।

5.3. संगठनात्मक गठन:-

राज्यों और संघशासित क्षेत्रों (स. क्षे.) में कार्यक्रम कृषि विभाग द्वारा जिल कृषि अधिकारियों, राष्ट्रीय बीज निगम, (रा. बी. नि.), राज्य बीज

निगम (रा. बी. नि.), भारतीय राज्य फार्म निगम (भा. रा. फा. नि.), राज्य बीज विकास निगम (रा. बी. वि. नि.), कृषि उद्योग निगमों इत्यादि के माध्यम से कृषि विभाग द्वारा लागू किया जाना था।

केन्द्रीय स्तर पर, तिलहन विकास निदेशालय, जो मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय था, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में था, अप्रैल 1966 में स्थापित किया गया। इसके मुख्य कार्य निम्न हैं:-

- योजना को बनाना, कार्यक्रमों को लागू और उसका अनुग्रहण करना।
- फसल की संभावना के संबंध में पुनर्निवेश सहित आकड़ों का संकलन।
- अनुसंधान और विस्तार एजेन्सियों के बीच समन्वयन।
- निवेश और अन्य सहायक सेवाओं के विषय में आपूर्ति या समन्वय।
- तिलहनों के विकास के कार्यक्रम के लिए राज्य सरकारों से संपर्क,
- विपणन और संसाधन विषय में उद्योग और व्यापार के साथ सम्पर्क।
- पदार्थों के विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन।
- संबंधित पदार्थों के तकनीकी पहलुओं से संबंधित सूचनाओं का प्रचार तथा
- भारतीय तिलहन विकास परिषद् के सचिवालय के रूप में कार्य करना।

5.4. 1980-81 से 1985-86 के दौरान लागू किए गए कार्यक्रम की, मंत्रालय और 18 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों के कुछ जिलों/खण्डों में विशेष रूप से तीन मुख्य फसलों जैसे मूँगफली, रेपसीड/सरसों तथा सोयाबीन की नमूना जाँच की गई थी। लेखा परीक्षा के दौरान देखी गई महत्वपूर्ण बातें आगामी पैरों में दी गई हैं।

5.4.1 लक्ष्य और उपलब्धियां:-

छठी योजना और सातवीं योजना के प्रथम वर्ष में तिलहन की खेती, कुल उत्पादन और प्रति हेक्टेयर उपज के अंतर्गत लिये गये वर्षवार अनुमानित ब्यौरे निम्न प्रकार थे:-

	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86
क्षेत्र (लाख हेक्टर में)	176.03	189.07	177.55	186.89	189.24	188.71
उत्पादन (लाख टनों में)	93.72	120.80	99.95	126.92	129.46	111.54
उपज (प्रति हेक्टर कि. ग्रा. में)	532	639	563	679	684	591

छठी योजना में यह विचार किया गया कि कृष्ट तिलहनों का उत्पादन जो 1979-80 में 101 लाख टन के आधारस्तर से 1984-85 तक 130 लाख टन अर्थात् 29 लाख टन अधिक किया जाए। यद्यपि छठी योजना में 1984-85

तक तिलहनों के उत्पादन के समस्त लक्ष्य पूरे किये गये थे परन्तु मूँगफली के निर्धारित लक्ष्य में गिरावट आई, जिसका कि निर्धारित लक्ष्य 75 लाख टन के प्रति कुल उत्पादन 64.36 लाख टन हुआ। जिस सीमा तक मूँगफली के कम

उत्पादन ने खाद्य तेलों की आपूर्ति को प्रभावित किया उसकी मात्रा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तथापि 1985-86 में तिलहन के समग्र उत्पादन के क्षेत्र में कमी आई जो कि 1981-82 के दौरान हुए 120.80 लाख टन कम के, उत्पादन से भी कम रही और उसके साथ ही मूँगफली की पैदावार 55.47 लाख टन की और गिरावट दिखा रही थी।

भूमण्डल के संदर्भ में देखते हुए, भारत में 1981 के दौरान तीन मुख्य तिलहन की फसलों अर्थात् मूँगफली, रेप-सीड/सरसों और सोयाबीन की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र में इन फसलों की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र का क्रमशः 38.88 प्रतिशत 34.19 प्रतिशत और 1.19 प्रतिशत था।

1984 में जबकि भारत के हिस्से में आने वाले भू-भाग में मूँगफली और सोयाबीन की खेती से कुछ प्रतिशत कुछ सीमा तक वृद्धि हुई, रेप-सीड/सरसों के क्षेत्र में 28.61 प्रतिशत की कमी आई। आगे जबकि विश्व में उपर्युक्त तीन फसलों के भू-क्षेत्र में 2.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई भारत में 0.97 प्रतिशत की गिरावट आई।

1984 में, अन्य तिलहन उत्पादन देशों की प्राप्ति हेक्टर उपज की तुलना में भारत में प्रति हेक्टर औसत उपज में प्रतिकूल कमी दिखाई दी जो निम्न अनुसार है:-

	मूँगफली	रेपसीड	सोयाबीन
भारत	952 कि. घा.	659 कि. घा.	941 कि. घा.
अन्य देश	1140 से 3270 कि.घा. के बीच	697 से 3401 कि.घा. के बीच	1293 से 2601 कि.घा. के बीच

गेहूँ के मुकाबले में, 1970-71 की तुलना में 1984-85 में तिलहन के क्षेत्र, उत्पादन और पैदावार में मामूली वृद्धि हुई थी जैसी कि नीचे दिखायी गई है:-

वर्ष	क्षेत्र (लाख हेक्टर में)		उत्पादन (लाख टनों में)		पैदावार (कि. घा. प्रति हेक्टर में)	
	तिलहन	गेहूँ	तिलहन	गेहूँ	तिलहन	गेहूँ
1970-71	166.44	182.41	96.30	238.32	579	1,307
1984-85	189.24	236.14	129.46	442.29	684	1,873
बढ़ोतरी की प्रतिशतता	13.70	29.46	34.43	85.59	18.13	43.31

मूँगफली के मामले में, 1985-86 के दौरान कुल क्षेत्र के 38.74 प्रतिशत क्षेत्र में इसकी खेती हुई और कुल क्षेत्र के उत्पादन तथा तिलहन उत्पादन का 49.73 प्रतिशत था, जबकि 1970-71 में खेती योग्य क्षेत्र 73 लाख हेक्टेयर पर स्थिर था, 1985-86 के दौरान उत्पादन (55.47 लाख टन) 1970-71 के उत्पादन (61.11 लाख टन) से भी कम था।

5.4.2 वित्तीय परिचय:-

1980-81 से 1985-86 तक मंत्रालय द्वारा विभिन्न योजनाओं हेतु (छे.सी.कि.उ. के अन्तर्गत तिलहन के लघु थैली पर होनेवाले व्यय के अतिरिक्त) जारी की गई राशि इस प्रकार थी:-

वर्ष	विशेष परियोजना					
	गहन तिलहन विकास कार्यक्रम (ग.वि.वि. का)	गुजरात में मूँगफली	मध्य प्रदेश में सोयाबीन	सूर्यामुखी हेतु बीजों का उत्पादन	अन्य तिलहनों के प्रजनक बीजों का उत्पादन	रा. ति. वि.प.
	--लाख रुपयों में--					
1980-81	458.06	342.00	—	19.00	6.50	—
1981-82	345.74	(902.04)	113.24	17.06	11.92	—
1982-83	804.49	1075.20	112.50	21.84	11.00	—
1983-84	646.39	1157.50	304.00	22.88	15.00	—
1984-85	2678.52	—	—	50.00	37.64	—
योग	4933.20	3476.74	529.74	130.78	82.06	—
छठी योजना 1985-86	—	—	—	—	—	2648.12

उपर्युक्त के अतिरिक्त, 1984-85 में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संगठन (रा. कृ. स. वि. सं.) को मध्य प्रदेश में सोयाबीन के समर्थन मूल्य कार्यक्रम हेतु 100 लाख रुपये का ऋण दिया गया तथा 127.68 लाख रुपये केरल तेल बागान लिमिटेड में 1981-82 से 1984-85 के दौरान निवेश किये गए।

छठी योजना के दौरान 1984-85 में 14 राज्यों में तिलहनों के उत्पादन पर उपलब्ध कराए गए वित्तीय परिव्यय तथा खर्च की गई राशि जो 99 प्रतिशत आंकलित की गई, का व्यौरा नीचे सारणी में दिया हुआ है:—

	केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई निधियाँ	उपलब्ध कराई गई कुल निधियाँ (केन्द्र एवं राज्य)	खर्च की गई राशि
	(लाख रुपयों में)		
आन्ध्र प्रदेश	767.33 (758.83)	1,069.43	776.51
असम	27.36 (26.59)	29.33	2.74
बिहार	82.29	136.66	70.51
गुजरात	4,033.93 (3965.33)	4,740.15	2,964.62
हरियाणा	84.39 (82.52)	113.27	84.18
कर्नाटका	345.35 (335.07)	416.77	394.83
मध्य प्रदेश	1113.16 (1637.35)	2915.01*	1,134.14
महाराष्ट्र	629.35	1,904.41	1676.95
उड़ीसा	149.48 (149.43)	154.90	147.79
पंजाब	81.78	107.40	87.58
राजस्थान	243.04	260.86	244.56
तमिलनाडू	795.46 (795.36)	991.90	902.79
उत्तर प्रदेश	533.87	582.56	519.74
पश्चिम बंगाल	37.32	39.10	29.44
	8,924.11	13,461.75	9,036.38

(कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े राज्य सरकारों के अभिलेखों के अनुसार हैं)

* राज्य सरकार के अनुसार राज्य के बजट में 1277.66 लाख रु. का प्रावधान किया गया था।

यह लक्षित होगा कि 14 मुख्य तिलहन का उत्पादन करने वाले राज्यों में, छठी योजना के दौरान (9,036.38 लाख रुपये) उपलब्ध निधियों में से (13,461.75 लाख रुपये) केवल 67.13 प्रतिशत राशि व्यय की गई। जबकि इनमें से कोई भी राज्य वास्तविक रूप से उपलब्ध निधि को खर्च नहीं कर सका, आसाम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों ने केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई निधियों का उपयोग भी नहीं किया।

विभिन्न राज्यों में देखी गई अन्य कमियाँ इस प्रकार थी:—

आंध्र प्रदेश:— संयुक्त निदेशक कृषि, जिला निजामाबाद ने देखा कि (सितम्बर 1984) 1981-82 से 1983-84 के दौरान आर्बाटिट की गई

आर्थिक सहायताएं और अन्य सुविधायें, खरीफ मौसम के दौरान मूँगफली हेतु 2,300 हैक्टेयर के साधारण क्षेत्र पर आधारित थी और उसमें रबी मौसम के समय बढ़े हुये क्षेत्र (1981-82 में 7,000 हैक्टेयर से 1983-84 में 13,325 हैक्टेयर) की हिसाब में नहीं लिया।

1984-85 के दौरान राज्य के लिए फार्स्फेट उर्वरकों पर आर्थिक सहायता के रूप में भी 45.70 लाख रुपये की राशि में से 26.99 लाख रुपये का कम उपयोग हुआ क्योंकि विभाग ने इसके प्रापणहेतु आवश्यक कदम नहीं उठाये थे। अनन्तपुर, कुरनूल और मेहबूब नगर जिलों में बचत 23.17 लाख रुपये थी। आगामी वर्षों में अनन्तपुर जिले में (तिलहन उगाने वालों में महत्वपूर्ण

समझा गया एक जिला) तिलहनों के विकास हेतु आबंटनों के पीछे कोई तर्काधार न था जैसा कि व्यौरा नीचे दिया हुआ है:-

वर्ष	तिलहन का क्षेत्र (लाख हैक्टियर में)	आबंटन	व्यय (लाख रुपयों में)
1980-81	3.27	0.24	0.10
1981-82	3.78	7.70	5.90
1982-83	3.94	1.07	0.96
1983-84	4.47	2.06	1.50
1984-85	5.37	57.25	46.75

बिहार:- 1980-81 से 1985-86 के दौरान केन्द्रीय सरकार से प्राप्त घटकेवार आर्थिक सहायता दशाति समेकित अभिलेख विभाग द्वारा नहीं रखे गये थे। यह विवरण जिलों के उप अधिकारियों द्वारा भी उपलब्ध नहीं कराया जा सका था जहां लेखों की नमूना जांच की गई थी।

गुजरात:- निदेशक कृषि द्वारा 1980-81 से 1984-85 तक बताये गये 3214.49 लाख रुपये व्यय के प्रति लेखों में समायोजित राशि 4,347.06 लाख रुपये थी।

विशेष परियोजना के संबंध में 1980-81 से 1983-84 के दौरान गुजरात कृषि उद्योग निगम (गु. कृ. उ. नि.) को दी गई 995.29 लाख रुपये के अनुदान के प्रति केवल 686.62 लाख रुपये खर्च किये गए और बकाया 308.67 लाख रु. की राशि 31 मार्च 1984 के आगे ले जाई गई जब कि परियोजना बन्द हो गई थी। कुल मिलाकर 380.30 लाख रुपये की अनुदान राशि वर्ष के अन्तिम दिन 1980-81 (10.80 लाख रुपये), 1981-82 (204 लाख रुपये) और 1982-83 में (165.50 लाख रुपये) घटकों का विवरण दिये बिना, जिनको लिए अनुदान दिया गया था नियुक्त की गई थी। 1982-83 के दौरान कुल व्यय 81.81 लाख रुपये में से 18.19 लाख रुपये (22 प्रतिशत), तथा 1983-84 के दौरान कुल व्यय 44.92 लाख रुपयों में से 19.48 लाख रुपये (43 प्रतिशत) राजकोट जिला पंचायत द्वारा संबंधित वर्षों के मार्च के महीनों में खर्च गए।

वर्ष 1981-82 के दौरान गुजरात सहकारी तिलहन प्रजनक संगठन (गु. स. ति. प्र. सं.) को बीजों के लिए दी गई 74.24 लाख रुपयों की आर्थिक सहायता में से, 73 लाख रुपये निदेशक के आदेशानुसार गु. कृ. उ. नि. को अंतरित किये गए। राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 1987) कि बीज ड्रिलों, पैदा सुरक्षा उपकरण तथा छिड़काव सैटों के लिये आर्थिक सहायता का भुगतान गु.कृ.उ.नि. के माध्यम से किया था तथा समूह ही से 73 लाख रु. की न खर्च की गई राशि का अन्तरण किया गया था गु.कृ.उ.नि.के द्वारा इस उद्देश्य के लिये वास्तविक वितरण के संबंध में सूचना नहीं भेजी थी।

कर्नाटक:- वर्ष 1984-85 की समाप्ति पर, कर्नाटक राज बीज निगम द्वारा सरकारी फार्मा द्वारा आपूरित बीजों की बावत 114.99 लाख रुपये की राशि देय थी। तथापि इस राशि में तिलहनों के अलावा सभी श्रेणी के बीजों की लागत शामिल थी।

महाराष्ट्र:- महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास निगम (म. कृ. उ. वि. नि.) को सूक्ष्म जीवाणु प्रयोगशाला और शीत-भण्डार की स्थापना हेतु दिये गये

11.73 लाख रुपये (7.24 लाख रुपये 1980-81 में और 4.49 लाख रुप 1984-85) में से मार्च 1986 तक केवल 6.15 लाख रुपये का उपयोग किय गया। उपर्युक्त को देखते हुए, 1984-85 से 4.49 लाख रुपये क अग्रिम-भुगतान उचित नहीं था। इसके अतिरिक्त एम. ए. आई. डी. सी. क 31 मार्च 1986 को 117.10 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान 2342 छिड़काव सैट खरीदने के लिए, किया गया, जिसके प्रति जुलाई 1986 तक केवल 619 सैट (30.95 लाख मूल्य के) ही लगाये गए।

मध्य प्रदेश:- कार्यक्रम का घटक-वार खर्च का लेखा नहीं रखा गया था।

उड़ीसा:- धनकनाल और जैपूर में क्षेत्रीय कार्यालयों ने 1984-85 के दौरान 6.72 लाख रुपये आहरित किये और बाद में उस को कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय दिखाते हुए उसे "राजस्व-जमा" के अन्तर्गत जमा किया।

सहायक परियोजना अधिकारी, (तिलहन) ने 3.85 लाख रुपये (मार्च 1981 में) (0.17 लाख रुपये और मार्च 1982 में 3.68 लाख रुपये) की निधियों का आहरण किया। यह लौटा दी गई (दिसम्बर 1982 और मार्च 1983 के बीच) तथा इन्हें राज्यप्राप्तियों के अन्तर्गत क्रेडिट किया गया, इस प्रकार केन्द्रीय सहायता से अधिक राशि का आहरण किया। धनकनाल क्षेत्र में मार्च 1985 में 0.56 लाख रुपये की राशि आहरित की गई तथा उसे राजस्व-प्राप्तियों के अन्तर्गत क्रेडिट किया गया। 1984-85 के दौरान सिंचाई अनुदान से रूप में स्वीकृत 6.10 लाख रुपये की राशि डिपॉजिट काल रसीद रूप में निदेशालय में अच्ययित पड़ी थी (मार्च 1986)।

उत्तर प्रदेश:- छठी योजना की अर्वाध के दौरान, कुल 542.66 लाख रुपयों के व्यय में से (519.74 लाख रुपये केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों और 22.92 लाख रुपये राज्य सैक्टर योजना के अंतर्गत) वनस्पति पेड़ों की सुरक्षा के उपायों पर 59 प्रतिशत व्यय किया गया जबकि अन्य क्रियाकलापों जैसे प्रदर्शनों, लघु धैली के विवरण और बीज परिदान पर केवल क्रमशः 10.1 प्रतिशत, 7.4 प्रतिशत और 7.3 प्रतिशत राशि खर्च की गई।

5.4.3 प्रत्यक्ष प्रगति:-

परियोजना के घटकों के विषय में उपर्युक्त पैरा 5.2 में चर्चा की गई है। मंत्रालय से मई 1986 में प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के विषय में घटक वार लक्ष्यों और उपलब्धियों की सूचना मांगी गई थी। वे प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 1986)। इस दृष्टिकोण से कार्यक्रम की घटक वार उपलब्धियों का मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा द्वारा विभिन्न राज्यों में उपलब्धियों की नमूना जाँच के दौरान निम्न बताई गई कमियाँ/त्रुटियाँ देखी गयी:-

आंध्र प्रदेश:- अगस्त 1984 में (जिस समय तक खरीफ फसल की बुआई समाप्त हो गई थी) जिलों को रा. वि. वि. प. की लक्ष्यों और अन्य व्यौरों की विलम्बित सूचना ने 1984-85 खरीफ की रा. ति. वि. प. के विभिन्न घटकों के अंतर्गत अर्जित प्रगति को प्रभावित किया। अनन्तपुर, मेहबूब नगर, कुरनौल, नालगौडा, कृष्णा, निजामाबाद और बारंगल जिलों में उपलब्धियाँ या तो शून्य थी अथवा नगण्य थी। अनन्तपुर जिले में मूँगफली की खेती के अंतर्गत लाये गए क्षेत्र पर असंगत व्यय किया गया था, जबकि

1984-85 के दौरान खरीफ के अन्तर्गत 3,65,090 हैक्टेयर भूमि पर 2.25 लाख रुपये खर्च किये गए, रबी, मूँगफली जो केवल 15,044 हैक्टेयर भूमि पर थी, पर 10.94 लाख रुपये खर्च किये गए। अनन्तपुर, कुरनौल, और मेहबूब नगर जिलों में फास्फेट उर्वरक उपलब्ध नहीं करवाये गए क्योंकि विभाग ने सिंगल सुपर फास्फेट (एस. एस. पी.) की प्राप्ति और भंडारण हेतु समुचित प्रबन्ध नहीं किये थे, जिसके लिए राज्य उपक्रम को 30 लाख रुपये का अग्रिम का भुगतान किया गया था।

कार्यक्रम की अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश के चार चुने हुये जिलों में (अनन्तपुर, मेहबूब नगर, कुरनौल, और नालगोंडा) में (क) मेहबूब नगर में मूँगफली के अन्तर्गत विस्तार में लिया गया क्षेत्र स्थिर पड़ा रहा। (ख) सभी जिलों में उपज में उतार-चढ़ाव रहा, (ग) कुरनौल जिले में 1983-84 के दौरान, अनंतपुर (जिले में यहां बहुत कम वर्षा होती है तथा सिंचाई के मामले में भी नगण्य क्षेत्र है) में प्राप्त हुई उपज से कम थी। अनन्तपुर जिले में सूर्यमुखी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, 14,200 हैक्टेयर निर्धारित लक्ष्य के प्रति 1981-82 से 1983-84 के दौरान केवल 2,109 हैक्टेयर की उपलब्धि हुई। 1984-85 और 1985-86 के दौरान विस्तार के अन्तर्गत लाये क्षेत्र के कोई ब्यारे उपलब्ध नहीं थे।

बिहार:— जिले से उपलब्धियों को दर्शाने वाली रिपोर्ट (तिमाही अथवा वार्षिक) लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई। 1985-86 को समाप्ति पर 2.40 लाख हैक्टेयर कृषिहर क्षेत्र के विपरीत 1979-80 के अंत में यह 2.35 लाख हैक्टेयर था। उपज के तत्सम्बन्धी आंकड़े 1.48 लाख टन और 0.97 लाख टन थे।

गुजरात:— सभी वर्षों में (1981-82 और 1984-85 में क्षेत्र प्रसार को छोड़कर) क्षेत्र में उपलब्धियां और रेप-सीड/सरसों के उत्पादन लक्ष्य से पीछे रहे।

कर्नाटक:— यद्यपि 1985-86 में तिलहन के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार 1980-81 की अपेक्षा 12.51 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 19.56 लाख हैक्टेयर हो गया था, परन्तु 1980-81 में उत्पादन 6.50 लाख टन से 1985-86 में (11.06 लाख टन की अधिकतम उपज 1983-84 के दौरान प्राप्त की गई) 6.40 लाख टन गिर गया।

महाराष्ट्र:— 1981-82 से 1983-84 तक ग्रीष्म कालीन मूँगफली के कार्य को हाथ में लेने हेतु दी गई 7.72 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता के भुगतान के बावजूद, 1980-81 की तुलना में क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं हुई, वास्तव में ग्रीष्मकालीन फसल के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र 1980-81 की अपेक्षा 1982-83 में 1.21 लाख हैक्टेयर से गिर कर 0.99 लाख हैक्टेयर रह गया।

उड़ीसा:— 1984-85 के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रति हैक्टेयर अनुमानित उपज 893 किलो ग्राम थी जबकि वास्तविक उत्पादन 707 किलो ग्राम प्रति हैक्टेयर हुआ जो पिछले तीन सालों में प्राप्त उत्पादन से भी कम था। सिसवसानपुर (जिला कटक) में मूँगफली की खेती के 118 में से 32 भूखण्डों में राज्य सरकार के विभाग द्वारा 1,363 कि. ग्रा. सांख्यिकी और आर्थिक व्यूरो द्वारा 996 कि. ग्रा. और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 1,138 कि. ग्रा. प्रति हैक्टेयर उपज बताई गई। नौरंगपुर कृषि जिले में, वर्ष 1984-85

के लिए तिल्ली और अन्य तिलहनों का क्षेत्र के लिए उत्पादन, 1983-84 हेतु प्राप्त हुए बताये गये उत्पादन को अनुमानित क्षेत्र के साथ गुना करके और सूखे की स्थिति के कारण हुई प्रतिशत हानि को घटा कर निकाला गया था।

तमिलनाडू:— कृषि विभाग और सांख्यिकी विभाग दोनों द्वारा बताये गये विस्तार क्षेत्र के बीच काफी अन्तर था। यद्यपि पहले के अनुसार 1981-82 की अपेक्षा 1983-84 में मूँगफली हेतु क्षेत्र 11.90 लाख हैक्टेयर से घटकर 11.71 लाख हैक्टेयर रह गया था, तथा सांख्यिकी विभाग के अनुसार 8.63 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 8.87 लाख हैक्टेयर की मामूली वृद्धि हुई। दूसरी ओर सूर्यमुखी की फसल हेतु विस्तारित क्षेत्र जैसा कि विभाग द्वारा दावा किया गया था, सांख्यिकी विभाग द्वारा ही गई सूचना की अपेक्षा बहुत अधिक था और सांख्यिकी विभाग के आंकड़ों को आधार मानते हुए, 1980-81 से 1984-85 के दौरान अधिक्य की प्रतिशतता 77 से 90 के बीच वर्गीकृत थी।

उत्तर प्रदेश:— तिलहनों के वार्षिक विस्तार क्षेत्र में 1980-81 में (छठी योजना के शुरु में) 40.10 लाख हैक्टेयर 1984-85 में (छठी योजना के अन्त में) 15.60 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की गिरावट आई। छठी योजना के दौरान (1980-85) तिलहनों के समग्र उत्पादन में गिरावट का रुख दर्शाया यहां तक कि 1980-81 में 16.67 लाख टन से 1984-85 में 11.82 लाख टन का उत्पादन हुआ।

मूँगफली के विस्तार क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता में तेजी से गिरावट आई। पांचवी योजना (1974-75) के प्रारम्भ में कुल विस्तार क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता क्रमशः 4.15 लाख हैक्टेयर, 3.51 लाख टन और 847 कि. ग्रा. प्रति थी, जिसमें छठी योजना के आरम्भ में 1.90 लाख हैक्टेयर, 1.33 लाख टन और 701 कि. ग्रा. प्रति हैक्टेयर की कमी हुई और छठी योजना (1984-85) की समाप्ति पर क्रमशः 1.86 लाख हैक्टेयर 0.89 लाख टन और 520 कि. ग्रा. प्रति हैक्टेयर की और कमी हुई। इस गिरावट के कारणों का विश्लेषण करने के लिए उच्चस्तरीय कमेटी गठित की। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया (फरवरी 1986) कि मूँगफली के उत्पादन को अधिकतम करने में अन्य बातों के साथ-साथ व्यवरोध के कारण (i) उत्तम श्रणी के बीजों का अभाव (ii) किसानों द्वारा अनुमोदित बीजों की मात्रा और पैकेज अभ्यारण को न अपनाना, (iii) उर्वरकों का अपर्याप्त मात्रा में प्रयोग (iv) पौधों के सुरक्षा साधन की अपयाप्तता (v) मूँगफली की पैदावार वाले भू-भाग, जो प्रायः वर्षा आधारित थे में सलफर और कैल्शियम की कमी, इत्यादि थे।

5.4.4 प्रदर्शन:— योजना की सफलता हेतु यह कार्यक्रम में अपेक्षित था कि सहायक उपायों के रूप में इसका प्रदर्शन किया जाए। इसमें किसानों को उन्नत तकनीक के प्रयोग से अवगत कराने के लिये खेतों में सुधरे पैकेज के अभ्यास के प्रदर्शनों पर विचार किया गया। वीजनिवेश, फास्फेटिक उर्वरक, रिजोबिअम संवर्धन तथा पौधों के सुरक्षा रसायन आपूर्ति किये जाने थे। यह प्रदर्शन विस्तार-कर्मचारियों के निजी निरीक्षण में होने थे जिसका उद्देश्य किसानों को उनके नियंत्रण में भूखण्डों से अलग प्रदर्शन निमित्त भूखण्डों के से प्राप्य प्रति हैक्टेयर अधिक उपज का प्रदर्शन करना था।

विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में विभिन्न तिलहन फसलों के प्रदर्शन के आयोजन में निम्न उल्लेखित ऋटियां/कमियां पाई गई:-

- आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, कर्नाटक, चंडीगढ़, हरियाण, और मनीपुर में प्रदर्शन के परिणाम या तो प्राप्त नहीं हुये अथवा आंशिक रूप से प्राप्त हुए।
- पुनः आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में प्रदर्शनों की सफलता का अनुमान लगाने के लिए कोई आकार निर्धारित नहीं किये गये थे।

आन्ध्र प्रदेश:- रा. ति. वि. प. के अन्तर्गत बहुत से प्रदर्शन जो खरीफ फसल के लिए थे, सभी जिलों में, रबी फसल के दौरान किये गए।

कृष्णा जिले में, 1985-86 के दौरान रबी फसल में भूगफली के प्रदर्शनों को संगठित करने हेतु बीजों को 6, 14 और 27 मार्च 1986 को वितरित किया गया जबकि बुआई का सामान्य मौसम समाप्त हो गया था।

नमूना जाँच किये गये सभी जिलों में जिन तिथियों को अधिकारी प्रदर्शन/लघु शैली/भू-खण्डों पर थे, वे विभाग के पास उपलब्ध नहीं थी।

मेहबूब नगर जिले में 1984-85 और 1985-86 की रबी फसल के दौरान प्रदर्शन/लघु शैली भूखण्डों में पैदावार में सार्थक विभिन्नता थी जो निम्न दर्शाई गई है:-

	लघु शैली		प्रदर्शन	
	अधिकतम-न्यूनतम	अधिकतम-न्यूनतम	अधिकतम-न्यूनतम	अधिकतम-न्यूनतम
	(कि. घा. प्रति हैक्टेयर)			
रबी 1984-85	600	180	1,470	300
रबी 1985-86	1,200	625	2,250	1875

बिहार:- 1982-83 और 1983-84 के दौरान निधियों/व्यय का वर्ष वार व्यौरा तथा आयोजित प्रदर्शनों की संख्या उपलब्ध नहीं थी।

1980-81, 1981-82 और 1985-86 के दौरान 11.30 लाख रुपयों की आवंटित राशि के प्रति 3.63 लाख रुपये व्यय किये गए। इसी अवधि के दौरान 10,054 निर्धारित लक्ष्य प्रदर्शनों के प्रति 8,330 प्रदर्शन किये गए। प्रदर्शनों पर किया गया व्यय प्रदर्शनों की संख्या के अनुरूप नहीं था। 1980-81 के दौरान 2.65 लाख रुपयों की लागत से 1,272 प्रदर्शन किये गए थे, तथा एक प्रदर्शन की औसत लागत 208 रुपये पड़ी जबकि 1981-82 से 1985-86 के दौरान 0.98 लाख रुपये खर्च करते हुए, तथा प्रति प्रदर्शन 14 रुपये की लागत प्रस्तुत करते हुए 7,058 प्रदर्शन किये गए।

गुजरात:- अमरेली, जामनगर, जूनागढ़, और राजकोट जिले में निदेशक को प्रदर्शनों के परिणामों की सूचना नहीं दी गई, क्योंकि रिकार्ड अपूर्ण थे।

हरियाणा:- प्रति प्लाट के लिए नियत 125 रुपये की राशि के प्रति 2293 प्रदर्शन भू-खण्डों पर (व्यय: 0.85 लाख रु.) 1980-81 से 1983-84 के दौरान 29 से 50 रुपये निवेश किये गए।

मध्य प्रदेश:- 1981-82 तथा 1983-84 और 1985-86 के दौरान चन्दवारा, गुना, ग्वालियर, हौशंगाबाद और मुरैना जिलों में (जिनके अभिलेख उपलब्ध कराये गये) किये गये 416 प्रदर्शनों में से 204 मामलों में

नियंत्रित भू-खण्ड नहीं रखे गये थे। मुरैना जिले में 1983-84 में किये गए 739 प्रदर्शनों में से 125 मामलों में पौधों के सुरक्षा रसायनों का प्रयोग नहीं किया गया।

महाराष्ट्र:- 1981-82 से आगे कोई प्रदर्शन नहीं किये गये।

राजस्थान:- 1983-84 की रबी के दौरान सरसों के 400 संचटित प्रदर्शनों में अनुमोदित टी-59 किस्म के स्थान पर पुरानी किस्म की आर. एल.-18 फसल का इस्तेमाल किया गया क्योंकि बाद वाली किस्म के प्रमाणित बीज उपलब्ध नहीं थे।

हनुमान गढ़ जिले में, 945 अनुमोदित प्रदर्शनों में से, 1983-84 की रबी फसल के दौरान प्रमाणित बीजों की अप्राप्तता के कारण केवल 52 प्रदर्शन ही आयोजित किये जा सके। प्रदर्शनों के बारे में क्षेत्रीय रिकार्ड ने क्षेत्रीय संचालन की तिथि वार अनुसूचि को नहीं दर्शाया। जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण परिणामों को प्रदर्शित करने वाले रिकार्ड नहीं रखे गये थे।

तमिलनाडु:- 655 प्रदर्शन भू-खण्डों की परख जांच में से, 267 मामलों में बीज संसाधित रसायन की आपूर्ति नहीं की गई थी, 396 मामलों में उर्वरक जारी नहीं किये गए थे, और 309 मामलों में किये गये प्रदर्शन के परिणामों की तुलना नियंत्रित भू-खण्डों की स्थापना करके नहीं की गई थी।

उत्तर प्रदेश:- 1982-83 से 1984-85 के दौरान 6046 हैक्टेयर में से, जिन पर प्रदर्शन किये जाने थे, 4,471 हैक्टेयर पर उत्पादन (आर्थिक सहायता 21.5 लाख रुपये) औसत से भी कम था।

पश्चिम बंगाल:- 24 परगना दक्षिण में, 1984-85 से 1985-86 के दौरान सूर्यमुखी की फसल के 640 प्रदर्शन-भूखण्डों में (सहायता राशि: 1.60 लाख रुपये) उत्पादन औसत उपज से भी कम हुआ।

5.4.5 लघु शैली:- तिलहन विकास कार्यक्रम की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत किसानों को शैली में बन्द नई किस्म के बीजों के साथ सीड-ड्रेसर (रिजोबियम संवर्धन) और कार्यप्रणाली के फेज के विवरण की निशुल्क आपूर्ति करनी थी। उपर्युक्त चालू योजना के अतिरिक्त मंत्रालय में एस. एम. एफ. पी. योजना के अंतर्गत तिलहन उर्वरकों की लघु शैली वितरित करने का निश्चय किया।

लघु शैली के कार्यक्रम तिलहनों के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र को लाने पर जोर देने के लिये था। किसानों को पूरी विस्तारण सहायता और तकनीकी परामर्श मुहैया करवाया जाना था। लघु शैली के लिए बीजों की किस्म का निर्धारण जिला/राज्य स्तर पर बनाई गई कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति द्वारा किया जाना था।

लघु शैली के वितरण और किसानों की पहचान का कार्य बुआई के मौसम से काफी पहले किया जाना था। तसदीक किये हुये किसानों के भूखंड का नम्बर और किस्म जिन्हें लघु शैली वितरित किये जाने थे। गावों-वार उनकी प्रविष्टि एक रजिस्टर में की जानी थी, तथा किसान से लघु-शैली की प्राप्ति की स्वीकृति भी रजिस्टर में ली जानी थी। राज्य के कृषि विभाग को, राज्य, जिलें और ब्लाक स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी देकर कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से लागू करने और उसके समुचित निरीक्षण

को सुनिश्चित करना था। तिलहन निदेशालयस और मंत्रालय के अधिकारियों की खेतों में लघु धैलों के वितरण और उनके प्रयोग को देखने के लिए अचानक निरीक्षण करने थे। राज्य स्तर की कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के कार्यक्रम का मूल्यांकन करना था तथा इसकी विस्तृत रिपोर्ट कृषि आयुक्त को प्रस्तुत करनी थी।

लघु धैलों का आकार फसल, किस्मों और खेती की स्थिति पर निर्भर करता था। बीज के लघु धैले एम. एस. डी. सी इत्यादि द्वारा तैयार किये जाने थे।

एस. एम. एफ. पी. के अन्तर्गत 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान वितरित किये गए लघु धैलें क्रमशः 13.44 लाख, 13.59 लाख और 21.09 लाख थे। इस में तीन वर्षों के दौरान गैर कार्य सक्षम राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में जिनका तिलहन के राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान केवल एक प्रतिशत था, (नहीं बराबर) 1984-85 के दौरान 0.30 लाख 1.24 लाख और 1.99 लाख वितरित किये गए लघु धैले भी शामिल थे।

राज्यों में योजनाओं को लागू करने में देखी गई कमियों का विवरण नीचे दिया हुआ है:-

(क) बीजों के लघु-धैले:-

आन्ध्र प्रदेश:-

सभी जिलों द्वारा पुरानी किस्म के बीज जैसे टी एम बी-2 जारी किये गए यद्यपि नई किस्म के बीज मुफ्त में बहु-संख्या में वितरित करने के कार्यक्रम का उद्देश्य था। एक जिले (कुनौल) में 1984-85 में 2.419 टन प्रति किये गए बीजों के लघु धैलों में से 1845 टन टी एम बी-2 की श्रेणी के थे।

नालगौण्डा और कुरनौल जिलों में, 1985-86 में खरीफ फसल के दौरान मूँगफली के 774 लघु धैले वितरण हेतु देर से प्राप्त हुए थे। पुनः ए. पी. एस. एस. डी. सी. से 22 मई 1984 को, लघु धैलों के रूप में वितरण हेतु प्राप्त जे. एल. 24 बीज (8190 कि. ग्रा.) घटिया किस्म के बताये गये। अतः उन्हें ए. पी. एस. एस. डी. सी. को लौटा दिया गया। जिस समय तक सफाई के पश्चात लघु धैले प्राप्त हुए, बुआई का मौसम बीत चुका था।

बिहार:-

1980-81 से 1985-86 के दौरान लघु धैलों के वितरण हेतु कोई भी निधि निर्धारित नहीं की गई थी।

हरियाणा:-

लघु धैलों के विवरण हेतु लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। 1980-81 से 1985-86 के दौरान कुल 59,068 लघु धैले (बीजों के लघु धैले: 54283 और उर्वरकों के लघु धैले 4785) जिनका मूल्य 17.53 लाख रुपये था, वितरित किये गए थे। इस प्रकार प्रत्येक लघु धैले में केवल 30 रुपये की औसत सामग्री थी। बीजों के लघु धैलों के साथ उर्वरकों के लघु धैले उसी किसान को जारी नहीं किये गए। पर्यवेक्षक कर्मचारियों द्वारा लघु धैलों की जांच का अनुबंध न था, और गुडगांव, हिसार और नारनौल जिलों द्वारा पैदावार के समस्त परिणामों को सूचित नहीं किया गया था। 27,147 लघु

धैलों के उत्पादन परीक्षणों के परिणामों (25,662 बीज लघु धैलों और 1,485 उर्वरक लघु धैलों जिनकी लागत 6.98 लाख रुपये थी) को एकत्र नहीं किया गया था, जबकि संबंधित जिलों में अनुरूप अवधि के दौरान 3568 लघु परीक्षणों धैलों से (लागत: 0.46 लाख रुपये) उत्पादन 8 क्विंटल प्रति हैक्टेयर की औसत उपज से भी कम था।

मध्य प्रदेश:-

लघु धैलों के 13.87 लाख लक्ष्य के प्रति (सोयाबीन 8.65 लाख लघु धैले और अन्य तिलहन 5.22 लाख लघु धैले) फरवरी 1986 तक वास्तव में केवल 9.51 लाख लघु धैले (सोयाबीन 5.45 लाख लघु धैले और अन्य तिलहन : 4.06 लाख लघु धैले) वितरित किये गए थे।

8 जिलों में वांछित मात्रा मूँगफली (ग्रीष्म कालीन मूँगफली सहित) रेपसीड/सरसों और तोरिया के 1980-81 और 1982-83 से 1985-86 के दौरान लघु धैलों की वास्तविक लागत नियम सीमा की आर्थिक सहायता से 11.89 लाख रुपये तक बढ़ गई थी।

1980-81 से 1983-84 के चिदवाड़ा, ग्वालियर, खरगांव और मुरैना दौरान मूँगफली लघु धैले की अनुमोदित मात्रा 0.5 हैक्टेयर प्रति 50 किलोग्राम थी। जिलों में 1980-81 से 1983-84 के दौरान किसानों को बीजों की तरह तरह की मात्रा की 30 किलोग्राम से 80 किलोग्राम तक की आपूर्ति की गई थी।

1984-85 में जहां तैयार लघु धैले विपणन संगठन, भोपाल द्वारा आपूर्ति किये गए थे, बीजों के 84,080 लघु धैलों में से 77,210 धैले जिला इकाइयों के कृषि विभाग को रिजोबिअम संवर्धन के बिना ही मुहैया करवाये गए थे। इस प्रकार किसानों को सघन बीजों के लघु धैले मुहैया करवाने का उद्देश्य बेकार हो गया।

विभिन्न एजेन्सियों द्वारा लघु धैलों में मुहैया करवाये गए बीजों और अन्य निबेरो गुण एवं मात्रा की जांच का राज्य/जिला खण्ड स्तर पर कोई प्रबन्ध नहीं था। संयुक्त निदेशक कृषि (सं. नि. कृ.) इन्दौर ने बताया (जून 1984) कि बीज का स्तर घटिया और अनुपयुक्त था। संयुक्त निदेशक, रीवा ने बताया कि 10 किलोग्राम के लघु धैलों में 2 किलो ग्राम से 5 किलो ग्राम तक वजन कम था।

महाराष्ट्र:-

जिला स्थलों में लघु धैलों के बीजों के सही स्थानों पर पहुँचने में 6 से 14 सप्ताह की देरी हुई थी। इसके साथ ही किसानों को बीज वितरित करने में 10 से 20 दिनों का और विलम्ब हुआ, अतः किसानों को बुआई के समय बीज मुहैया करवाने का जो लक्ष्य था, वह पूरा नहीं हुआ।

अकोला और जालना जिलों में, जहां विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले बीज वितरित कर दिये गये थे, वहां से बाद में प्राप्त जांच-रिपोर्ट से यह पता चला कि अकोला (मई 1984 और फरवरी 1985) और जालना में (खरीफ 1984) सूर्यमुखी बीजों के 2700 पैकेट और 45 क्विंटल एस.बी. मूँगफली XI पैकेट (जालना: फरवरी 1985) परीक्षणों में असफल रहे।

शोलापुर में बीजों के लघु थैलों की प्राप्ति और वितरण का समुचित हिसाब नहीं रखा गया था। जिला परिषद (जि.प.) का रिकार्ड यह दर्शाता था कि 1982-83 से 1984-85 के दौरान 84,805 पैकेट प्राप्त हुये तथा उनका वितरण किया गया, लेकिन सरकार के मुख्य कृषि अधिकारी की रिपोर्ट से केवल 66,337 पैकेटों का वितरण प्रगट हुआ। 18,468 बीजों के लघु थैलों की कमी (मूल्य : 1.51 लाख रुपये) का न तो निदेशालय द्वारा और न ही जि.प. द्वारा मिलान किया गया।

मनीपुर :-

बीज विश्लेषक के अभिलेखों के अनुसार 1985-86 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय (क्षे.का) इम्फाल को 2100 थैले जारी किये दिखाये गए, जबकि जिला अधिकारी, इम्फाल द्वारा 1,012 थैले प्राप्त दिखाए गए।

1985-86 की रबी हेतु बीजों के लघु-थैलों का वितरण जनवरी 1986 तक (अर्थात् बुआई के बाद तक) जारी रहा और 1983-84 रबी के लिये उर्वरक थैलों का वितरण जुलाई 1984 तक भी जारी था।

किसी भी जिला कार्यालय में, गांव वार नाम, जमीन का व्यौरा और शिनाख्त किये गए किसानों की श्रेणी, जिन्हें लघु थैले वितरित किये गए थे, प्रविष्टियों हेतु रजिस्टर नहीं रखे गये थे।

उड़ीसा :-

1983-84 के दौरान बीजों के लघु थैलों के वितरण के लिए 9.32 लाख रुपये की राशि संस्वीकृत की गई। इसमें से 6.12 लाख रुपये व्यय किये गए और 3.20 लाख रुपये इस्तेमाल नहीं किये गए। 1984-85 के दौरान, 13,670 मूंगफली के लघु थैलों (मूल्य 13.67 लाख रुपये) वितरित करने का लक्ष्य था। रिकार्ड से यह पता चलता था कि केवल 1,664 लघु थैले (मूल्य : 1.98 लाख) ही वितरित किये गए, यद्यपि यह सूचित किया गया कि लक्ष्य की प्राप्ति की गई।

राजस्थान :-

लघु थैलों की मैदानी जांच के कोई प्रबन्ध नहीं किये गये थे।

तमिलनाडू :-

1984-85 के दौरान रा.ति.वि.प. के अन्तर्गत 6 खंडों में मूंगफली के बीजों के 1,644 लघु थैले जारी किये गए, जो निम्न प्रकट करते थे :-

- 1,476 लघु थैलों में अप्रमाणित (89.8 प्रतिशत) बीज वितरित किये गए थे।
- 771 मामलों में किसानों द्वारा बीजों के लघु थैले प्रयोग करने का कोई रिकार्ड नहीं था।
- मंडल अधिकारी और जिला अधिकारी द्वारा विहित 822 (50 प्रतिशत) और 329 (20 प्रतिशत) के प्रति केवल क्रमशः 15 और एक मिनीकट प्लाटों का निरीक्षण किया गया था। 1984-85 के दौरान एस.एम.एफ.पी.के अन्तर्गत 10 डिवीजनों को मूंगफली के

4,242 लघु थैले जारी किये गये थे। 2,512 मामलों में (59 प्रतिशत) बीजों के इस्तेमाल और लघु थैलों में मुहैया करवाई गई अन्य वस्तुओं के उपयोग के सत्यापन के लिए की गई अनुवर्ती कार्यवाही रिकार्ड में नहीं थी।

1983-84 और 1984-85 के दौरान 11 डिवीजनों को जारी किये गये सुर्यमुखी के 1,859 लघु थैलों की परीक्षा करने पर प्रकट हुआ कि :-

- (i) 519 थैलों में बीज प्रतिसारण सामग्री जारी नहीं की गई थी और 152 थैलों में यह अधिक मात्रा में जारी की गई थी।
- (ii) 1,340 थैलों में जारी उर्वरकों की मात्रा अपेक्षित मात्रा से कम थी।
- (iii) 121 मामलों में 240 किलोग्राम औसत उत्पादन के विपरीत प्राप्त उपज 100 कि.ग्रा. से कम थी, जबकि 767 मामलों में, उत्पादन का विवरण उपलब्ध नहीं था, और
- (iv) किसी भी मामले में विभाग के अधिकारियों द्वारा किये गए निरीक्षण का कोई प्रमाण नहीं था।

उत्तर प्रदेश :-

1980-81 से 1985-86 के दौरान निर्धारित 2.88 लाख लघु थैलों के लक्ष्य के प्रति 2.24 लाख लघु थैले वितरित किये गए। कमी का कारण (जून 1986) प्रमाणित बीजों का उपलब्ध न होना बताया गया था। झांसी प्रदेश में 1984 खरीफ मौसम के दौरान क्षेत्र के 4 जिलों में तिलहन की खेती हेतु बीजों के लघु थैले वितरित करने के लिए 2.80 लाख रुपये आबंटित किये गए थे, लघु थैले तैयार नहीं हुये थे।

मनीपुर, राजस्थान और सिक्किम राज्यों में लक्ष्यों को पूरा करने में कमियां, लघु थैलों की संख्या के वितरण में अन्तर, लघु थैलों के जारी करने में विलम्ब, भूमि की उपयुक्तता का पता लगाने हेतु मिट्टी जांच का अभाव इत्यादि कमियां भी देखी गई थी।

(ख) उर्वरकों के लघु थैले :-

आन्ध्र प्रदेश :-

कुरनौल जिले में 1984-85 से 1985-86 की दौरान लेखा परीक्षा द्वारा कुछ मामलों में नमूना जांच में यह पाया गया था कि डी.ए.पी. और यूरिया नियत मात्रा में जारी नहीं किया गया था लेकिन आर्थिक सहायता राशि का अनुपात रूप से समायोजित नहीं किया गया जिससे घटकों की अपेक्षित मात्रा में आपूर्ति का लक्ष्य ही पूरा नहीं हुआ, परन्तु 0.43 लाख रुपये की अधिक आर्थिक सहायता राशि का भी भुगतान हुआ।

जम्मू और कश्मीर :-

19 मार्च 1986 को आबंटित जम्मू और कश्मीर सहकारी विपणन संगठन को 207 क्विंटल यूरिया खरीदने के लिए 0.50 लाख रुपये अग्रिम दिये गए थे। उर्वरक 23 अप्रैल 1986 तक नहीं उठाये गये थे जबकि मार्च

1986 की समाप्ति पर प्रगति रिपोर्ट में उर्वरकों के 25,875 लघु थैले जारी दिखाये गये थे।

महाराष्ट्र : शोलापुर जिले में, लघु थैलों की प्राप्ति और वितरण का समुचित हिसाब नहीं रखा गया था।

1,04,194 लघु थैलों की प्राप्ति के प्रति केवल 81,350 पैकेट ही वितरित दिखाये गये थे। 22,844 लघु थैलों (मूल्य : 6.27 लाख रुपये) की कमी का मिलान नहीं किया गया था।

मध्य प्रदेश :-

छिन्दवारा और हीशंगाबाद जिलों में, उप निदेशक कृषि ने 1984-85 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य विपणन संघको उर्वरक के 7,150 लघु थैले हेतु अनुमोदित दर 78.50 रुपये के प्रति 85 रुपये प्रति थैले की दर से भुगतान किया था। इसके परिणामस्वरूप 46,000 रुपयों का अधिक भुगतान हुआ। संघ से इसकी बसूली प्रतीक्षित थी (जुलाई 1986)।

तमिलनाडु :-

सुर्यमुखी के लिए उर्वरक लघु थैलों में एन.पी.के. की प्रति हैक्टर उर्वरक आवश्यकता 40:20:20 थी। इसके आधार पर, वांछित मात्रा इस प्रकार थी- यूरिया: 35 कि.ग्रा., डी.ए.पी.: 22 कि.ग्रा. और पोटाश: 17 कि.ग्रा.। तथापि, 1984-85 के दौरान नमूना जांच हुए 86 मामलों में देखा गया था कि किसी भी थैले में उपर्युक्त अनुपात में उर्वरक नहीं थे।

उत्तर प्रदेश :-

कृषि विभाग द्वारा विभिन्न तिलहनों की खेती में प्रयोग की गई उर्वरकों की वास्तविक मात्रा का कोई रिकार्ड नहीं रखा गया था। तथापि, निदेशालय द्वारा यह अनुमान लगाया गया था कि कुल वितरित किये गए उर्वरकों की मात्रा में से लगभग 15 प्रतिशत का ही तिलहन की खेती में इस्तेमाल किया गया था। इन अनुमानों के अनुसार, 1980-81 से 1985-86 के दौरान तिलहन की कृषि हेतु क्रमशः 4.18 लाख टन, 2.57 लाख टन और 1.95 लाख न्यूनतम आवश्यकता के प्रति 3.56 लाख टन नाइट्रोजन, 0.88 लाख टन फास्फेट और 0.70 लाख टन पोटाश का इस्तेमाल किया गया था। फास्फेट और पोटाश के इस्तेमाल में क्रमशः 66 प्रतिशत और 64 प्रतिशत की उल्लेखनीय गिरावट आई।

पश्चिम बंगाल :-

1984-85 और 1985-86 के दौरान 4 जिलों (मालदा, मुर्शिदाबाद, नाडिया और 24 परगना-दक्षिण) में निर्धारित लक्ष्य 1.415 थैलों के प्रति उर्वरकों के 1,283 लघु थैले (मूल्य 2.55 लाख रुपये) वितरित किये गए। उर्वरकों की अनुपलब्धता को कमी का कारण बताया गया (जुलाई 1986)।

किसानों को उर्वरकों के लघु थैले की आपूर्ति पूर्तिकर्ता द्वारा, कृषि विकास अधिकारियों द्वारा जारी सुपुर्दगी आदेशानुसार सीधे ही की गई।

रिकार्ड की गैर-मौजूदगी में, लेखापरीक्षा में (जुलाई 1986) इस बात का सत्यापन नहीं किया जा सका कि क्या उर्वरकों के लघु थैले जिनका मूल्य 2.55 लाख रुपये था, वास्तव में किसानों द्वारा इस्तेमाल किये गए थे।

नाडिया में, विहित प्रतिमानों के अनुसार वितरित किये गये 226 लघु थैलों में, 6,780 किलो उर्वरक (नाइट्रोजन: 3390 किलो ग्राम और फास्फेट: 3390 कि.ग्रा.) होने का अनुमान किया गया। इसमें यद्यपि, 8983 किलो ग्राम (नाइट्रोजन: 3995 कि.ग्रा., फास्फेट: 3,010 कि.ग्रा. और पोटाश 1,978 कि.ग्रा.) उर्वरक थे। इसके अतिरिक्त विहित प्रतिमानों के अनुसार इन लघु थैलों में पोटाश को शामिल करने और 380 कि.ग्रा. फास्फेट को शामिल न करने का कारण नहीं बताया गया था (जुलाई 1986)।

5.4.6 बीज:-

किसी भी कृषि उत्पादन कार्यक्रम में बीज का प्रारम्भिक योगदान होता है। यह कुल उत्पादन और उत्पादन क्षमता को प्रभावित करता है। किसानों को पर्याप्त मात्रा में उत्तम श्रेणी के सुधरी किस्म के बीज सही समय और उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना किसी कृषि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूर्वापेक्षित है।

बीजों की तीन श्रेणियों जैसे (i) प्रजनक (ii) आधार, और (iii) प्रमाणित, इनमें से प्रजनक बीज की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि बीज उत्पादन की शृंखला में यह प्रथम कड़ी है। जब तक जनन संबंधी शुद्धता के प्रजनक बीजों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं होती बीज उत्पादन शृंखला बनाई नहीं रखी जा सकेगी और बदले में आधार और प्रमाणित बीजों के उत्पादन को बुरी तरह प्रमाणित करेगी। प्रमाणित बीजों के उत्पादन में आमतौर पर यह 3-4 बुआई मौसम लेता है जबकि किसानों को वाणिज्यिक खेती के लिए दिये जा सकते हैं तथा बीजों के उत्पादन और वितरण प्रबन्ध के लिए अग्रिम योजना बनाने की आवश्यकता है। प्रजनक बीजों के उत्पादन के लिए 1986 की खरीफ फसल से पहले मंत्रालय के बीज प्रभाग द्वारा राज्य कृषि विभागों एन.एस.सी., एस.एफ.सी.आई. और निजी बीज उत्पादन करने वाली एजेंसियों से मांग-पत्र इकट्ठे किये थे। इन मांग-पत्रों का फसल वार/किस्म वार संकलन करके भा.प.वि.अ. को उत्पादन का प्रबन्ध करने के लिए अग्रेषित कर दिये गये थे। मांग कर्ताओं में प्रजनक बीजों का आबंटन प्रजनकों/वैज्ञानिकों द्वारा वास्तविक उत्पादन की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। आधार बीज, बीजों की शृंखला में द्वितीय अवस्था है और पहले इसके उत्पादन की व्यवस्था एन.एस.सी. को सौंपी गई थी। 1986 में इस योजना का विकेन्द्रीकरण किया गया था जिसके परिणामस्वरूप राज्य एजेंसियां और निजी उत्पादक विहित गुणता नियंत्रण प्रबन्धों के अन्तर्गत आधार बीजों के उत्पादन में वृद्धि कर रहे थे।

आधार-बीजों को प्रमाणित अच्छे किस्म के बीजों के प्रमाणीकरण हेतु राज्य के कृषि विभागों को प्राप्त अपनी सुविधाओं और एस.एस.सी., एन.एस.सी., एस.एफ.सी.आई. इत्यादि को उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाना था।

जहां पर्याप्त मात्रा में प्रमाणित बीज उपलब्ध नहीं थे वहां प्रामाणिक बीज से अलग, लेबिल लगा विश्वव्यापी बीज-एक भरोसे का बीज, अपने प्रकार

की सही किस्म जैसे बीजों का प्रापण किया गया तथा उन्हें किसानों में वितरित किया गया।

मंत्रालय के रिकार्ड के अनुसार 1983-84 से 1984-85 के दौरान तिलहन के प्रजनक और आधार बीजों का उत्पादन निम्न प्रकार था :-

तिलहन की किस्म	प्रजनक बीज			आधार बीज		
	1983-84	1984-85	1985-86	1983-84	1984-85	1985-86
	(क्विंटलों में)					
मूंगफली	1,677.98	1,428.58	4,177.115	4,081.00	6,370.00	35,345.00
रेप-सीड/सरसों	164.06	114.30	38.49	5,822.00	4,226.00	1,881.00
तिल	8.65	5.72	10.85	618.00	184.00	105.00
सूर्यमुखी	252.58	9.60	272.70	1,682.00	1,309.00	475.00
सोयाबीन	816.72	495.12	1,943.79	3,602.00	10,469.00	3,718.00
लिनसीड	91.45	14.96	24.55	114.00	351.00	258.00
अण्डी	15.97	1.01	43.61	265.00	566.00	682.00
रामतिल	2.05	0.67	2.777	—	—	—
करडी	78.08	82.47	16.73	541.00	794.00	625.00
योग	3,107.54	2,152.43	6,530.612	16,725.00	24,269.00	43,087.00

प्रजनक बीज के आधार बीज में और आधार बीज के प्रमाणित बीज में, गुणन अनुपात के अनुसार (जैसे मूंगफली 1:8, रेप-सीड और सरसों 1:100, शीषम 1:250, सूर्यमुखी 1:50, सोयाबीन 1:16, लिन-सीड 1:50, अण्डी

1:60, तिल्ली 1:25, कुसुम्म 1:60 दोनों मामलों में) आधार और प्रमाणित बीजों का उत्पादन निम्न प्रकार होना चाहिये था :-

तिलहन की किस्म	आधार बीज			प्रमाणित-बीज	
	1984-85	1985-86	1986-87	1985-86	1986-87
	(क्विंटलों में)				
मूंगफली	13,423.84	11,428.64	33,416.92	1,07,390.72	91,429.12
रेपसीड/सरसों	16,406.00	11,430.00	3,849.00	16,40,600.00	11,43,000.00
शीषम	2,162.50	1,430.00	2,712.50	5,40,625.00	3,57,500.00
सूर्यमुखी	12,629.00	480.00	13,635.00	6,31,450.00	24,000.00
सोयाबीन	13,067.52	7,921.92	31,100.64	2,09,080.32	1,26,750.72
लिन-सीड	4,572.50	748.00	1,227.50	2,28,625.00	37,400.00
अण्डी	958.20	60.60	2,616.60	57,492.00	3,636.00
तिल्ली	51.25	16.75	69.425	1,281.25	418.75
करडी	4,684.80	4,948.20	1,003.80	2,81,088.00	2,96,892.00
योग	67,955.61	38,464.11	89,631.385	36,97,632.29	20,81,026.59

प्रमाणित बीजों के 36.98 लाख क्विंटल उत्पादन के प्रति (उपर्युक्त गुणन अनुपात के अनुसार परिकलित किया गया) 1985-86 में प्रमाणित/कोटि बीजों का वितरण केवल 5.86 लाख क्विंटल था।

उपर्युक्त स्थिति का विश्लेषण करने से प्रकट हुआ :-

1983-84 और 1984-85 के दौरान तिल्ली के प्रजनक बीजों के क्रमशः 2.05 क्विंटल और 0.67 क्विंटल उत्पादन के प्रति 1984-85 और 1985-86 के दौरान आधार बीजों अथवा प्रमाणित बीजों का उत्पादन नहीं किया गया था, जबकि सामान्यतः गुणात्मक अनुपात पर आधार बीज 51.25 क्विंटल और 16.75 क्विंटल उपलब्ध होने चाहिये थे। आधार-बीजों की उपर्युक्त मात्रा 1985-86 और 1986-87 के दौरान 1281.25 क्विंटल और 418.75 क्विंटल प्रमाणित बीजों का उत्पादन कर सकती थी। मंत्रालय द्वारा आधार बीजों के उत्पादन के दिये गये आंकड़े सामान्य

उत्पादन अनुपात के अनुसार प्रत्याशित उत्पादन की तुलना में बहुत कम थे। 1984-85 के दौरान मूंगफली के आधार बीजों के प्रत्याशित 13,423.84 क्विंटल उत्पादन के प्रति मंत्रालय ने केवल 6,370 क्विंटल उत्पादन की ही सूचना दी। 1984-85 और 1985-86 के दौरान अन्य तिलहनों की फसल की प्रत्याशित मात्रा और मंत्रालय द्वारा उत्पादन की दी गई सूचना में व्यापक अन्तर था। इन अन्तरों की वित्तीय अन्तवृद्धि इन बीजों के प्रचलित दरों के अभाव में परिकलित नहीं की जा सकी।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न योजनाओं को लागू करने के बावजूद भी मूंगफली के प्रमाणित बीजों के वितरण का कार्य 1983-84 में 5.16 लाख क्विंटल से गिरकर 1984-85 में 4.16 लाख क्विंटल और 1985-86 में 3.77 लाख क्विंटल रह गया।

मंत्रालय द्वारा प्रजनन बीजों के प्रापण की रिपोर्ट मांग करने वाली

एजेन्सियों से नियमित रूप से प्राप्त नहीं हुई थी। इसी प्रकार संबंधित प्रजनकों से, मंत्रालय द्वारा आर्बाटित विभिन्न ऐन्सियों की प्रजनक बीजों की आपूर्ति पर बीजों की किस्मों, आर्बाटित मात्रा, आर्बाटी का नाम, मुहैया की गई मात्रा, उपलब्ध अन्तः शेष, हानि अथवा अधिक आपूर्ति का विवरण देते हुए पाक्षिक रिपोर्ट भी प्राप्त नहीं हुई थी।

नई किस्मों को जारी करने और इनके वाणिज्यिक उत्पादनों के बीच में अन्तर था। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है मूंगफली, जहां नई किस्मों की बहु संख्या में विकास के बावजूद भी ए.यू. 2 (एक किस्म जो 1940 में विकसित हुई) अभी तक आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडू के कृषि विदेशकों द्वारा अनुमोदित की जा रही थी। मंत्रालय ने नई और सुधरी हुई किस्मों के कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के निश्चय के विरुद्ध पुरानी किस्मों को

जिला	अवधि	बीजों की आवश्यकता	मांग की गई मात्रा (टनों में)	प्राप्त की गई मात्रा	टिप्पणी
अनन्तपुर	खरीफ 1985-86	1691	570	181.23	प्राप्त मात्रा को समय पर वितरित नहीं किया गया।
कृष्णा	1984-85	127	एन. ए.	25.04	बीजों के लिए नियत 0.99 लाख रु. की सहायता राशि की नौटा दिया।
मेहबूब नगर	खरीफ 1984-85	40	40	17.43	—

कुरनैल जिले में 1984-85 की स्थानीय रबी फसल हेतु यद्यपि 334 टन बीज प्राप्त किये गए थे, परन्तु केवल 127.110 टन सामान्य बुआई मौसम के दौरान वितरित किए गए थे (शेष मात्रा को फरवरी और मार्च 1985 में बीज आर्थिक सहायता के अन्तर्गत प्रावधान को काम में लाने हेतु, वितरित किया गया)। 1985-86 के दौरान निर्धारित लक्ष्य 652 टन के प्रति, तिलहन उगाऊ संघ के द्वारा आपूर्ति घटिया किस्म के बीजों के लिये अनपुयक्त के अलावा बहुत महंगे होने से (अच्छे बीजों की स्थानीय दर 450 रुपये से 500 रुपये प्रति क्विंटल के प्रति 650 से 750 रुपये प्रति क्विंटल) केवल 30 टन बीज ही वितरित किये गए।

अनन्तपुर, मेहबूबनगर, कुरनैल, नालगोंडा, कृष्णा, निजामाबाद और बारंगल जिलों में 1940 में प्रारंभिक टी.एन.बी-2 किस्मों के मूंगफली बीजों की मांग की गई और कृषकों को वितरित किये गये।

कुरनैल में, 24 लाभग्रहियों को जिनके पास 60 हेक्टर भूमि थी, रबी-1985-86 में प्रयोग करने के लिए 20 मार्च 1986 को बुवाई का मौसम बीत जाने के काफी समय पश्चात 12 टन बीजों की (9 टन की आवश्यकता के प्रति) सहायता जारी की गई। जैसाकि तीन जिलों की बीज सहायता के कुछ दावों की नमूना जाँच से पता चला कि मूंगफली बीजों हेतु दी गई तथा समायोजित की गई, की सहायता की राशि 0.44 लाख रुपये बनी।

रबी 1984-85 के दौरान 2.42 लाख रुपयों मूल्य के 30 टन जी 2 मूंगफली बीज विभाग द्वारा सहायता राशि में से खरीदे और प्रदर्शन हेतु जारी किये गये जिनकी ए.पी. एस.एस.डी. द्वारा आपूर्ति की गई थी, निम्न स्तर के थे तथा उनकी प्रजनन क्षमता 50 प्रतिशत से भी कम थी।

उपजाने/बढ़ाने तथा आपूर्ति करने की भी अनुमति दे दी। इसके परिणामस्वरूप, निष्फल व्यय हुआ और अनुसंधान के प्रयासों के बेकार जाने से उत्पादन की हानि हुई।

विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में इस कार्यक्रम के घटक को लागू करने में कमियां थी जो निम्न प्रकार थी :-

आन्ध्र प्रदेश

जिलों द्वारा आवश्यकताओं का सही अनुमान नहीं किया गया तथा आपूर्ति अभिकरणों को मांग भेजने में विलम्ब हुआ जिसके कारण मांग की गई मात्रा की आपूर्ति करने में देरी हुई थी। कुछ मामलों के उदाहरण नीचे दिए हुए हैं :-

निजामाबाद जिले में, 5,230 किलो मूंगफली के बीज मालधुम्बा बीज फार्म (जून 1983) से प्राप्त किये गये थे जिनकी प्रजनन क्षमता 58 प्रतिशत थी, और जो खुले बाजार में 0.22 लाख रुपये हानि से बेचे गए। जिला अधिकारियों (कृष्णा, गुंटुर, नैलोर, ओगली, वारंगल, करीमनगर, निजामाबाद, चितौर, क्यूडप्पा) से भी बीजों के निम्न श्रेणी के होने की शिकायतें (नवम्बर 1981) आई थी। दूषित प्रेषित माल स्थानीय बाजार की दरों से 100 रुपये से 150 रुपये प्रति क्विंटल अधिक मिला। ए.पी.एस.एस.डी.सी. ने स्वीकार किया कि घटिया किस्म के बीजों की आपूर्ति की गई और शेष बचे हुए बीजों (133.537 टन) को 500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 100 रुपये सहायता राशि सहित जो किसानों की ग्राह्य थी वापिस लेने को सहमत हो गई जिसके परिणामस्वरूप निगम को 1.33 लाख रुपयों की अनाधिकृत सहायता दी गई।

बिहार

पैदा किये गए प्रजनक बीजों और विभिन्न अभिकरणों को बसंख्यक उद्देश्य से आपूर्ति किये गए आधार बीजों के रिकार्ड न तो कृषि विश्वविद्यालय राँची और न पूसा (समस्तीपुर) अथवा विभाग में उपलब्ध थे।

मध्य प्रदेश

परख जाँच के दौरान कोटि बीजों में उत्पादन, उपलब्धियों और उन्हें किसानों में वितरित करने और सोयाबीन के अतिरिक्त अन्य तेल बीजों हेतु किसानों को सहायता राशि के भुगतान (1981-82 और 1982-83 के सिवाय) संबंधी सूचना न तो कृषि निदेशक और न ही छ: जिला इकाइयों के पास उपलब्ध थी।

महाराष्ट्र

1980-81 और 1981-82 के दौरान सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों द्वारा प्रजनक बीज और आधार बीजों के उत्पादन के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। 1982-83 से 1984-85 के दौरान प्रजनक बीजों का उत्पादन 1,416 क्विंटल के निर्धारित लक्ष्य के प्रति वास्तव में कुल 574 क्विंटल था।

छठी योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान तिलहनों के लिये औसतन 21 लाख हेक्टर के शामिल था, इसमें से मूंगफली हेतु 8 लाख हेक्टर क्षेत्र था। मूंगफली हेतु बीजों की आवश्यकता 8 लाख क्विंटल और अन्य हेतु 1.04 लाख टन थी। इसके विपरीत महाराष्ट्र राज्य बीज निगम द्वारा छठी योजना के दौरान 0.36 लाख क्विंटल औसत मात्रा बेची गई।

उड़ीसा

बालासोर क्षेत्र में, अक्टूबर 1984 और जनवरी 1985 के बीच ए.के. 12-24 किस्म की मूंगफली के बीजों की 2.118 क्विंटल मात्रा प्राप्त की गई थी जिनकी अंकुरण क्षमता कम से कम 70 प्रतिशत के स्थान पर 47 प्रतिशत से 68 प्रतिशत विभिन्नता थी। नमी की मात्रा में मानदण्ड 9 प्रतिशत के प्रति 5.9 प्रतिशत से 10.8 प्रतिशत विभिन्नता थी। 88 क्विंटल विकृत हो गये तथा इन्हें अगस्त 1985 में खरीद मूल्य 690 रुपये प्रति क्विंटल के स्थान पर 400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेच दिया गया। 1,948 क्विंटल जो घटिया किस्म का था, अक्टूबर 1984 और फरवरी 1985 के मध्य विक्रय केन्द्रों पर किसानों को मुहैया करवाया गया था।

बलसौर जिले में, उड़ीसा राज्य सहकारी तिलहन उगाऊँ संघ लिमिटेड द्वारा आपूरित 1,021 क्विंटल मूंगफली बीजों को नवम्बर 1985 से फरवरी 1986 के दौरान केन्द्रों को भेजा गया। जनता की घटिया श्रेणी के बारे में शिकायत के कारण, केवल 657 क्विंटल ही बेचा जा सका और 364 क्विंटल (फरवरी 1986) वापिस ले लिया गया था। निरीक्षण से यह प्रकट हुआ कि बीज की उत्पादक क्षमता 55 प्रतिशत से भी कम थी और नीरोग और सिकुड़े दानों का अनुपात 35:20 था।

1980-81 से 1983-84 के दौरान बीज परख प्रयोगशाला, भुवनेश्वर ने तिलहनों और दालों के 35,627 नमूने नीचे। जिनमें से 14,493 नमूने (40.68 प्रतिशत) घटिया स्तर के पाये गये थे।

घनकवाल और कोरोपुत क्षेत्रों में, 1755 क्विंटल (मूल्य 12.11 लाख रु.) तथा 875 क्विंटल मूंगफली के बीजों ने अपनी अंकुरण क्षमता खो दी थी। घनकनाम क्षेत्र में 187 क्विंटल बीजों की कमी थी।

इसके अतिरिक्त, घनकनाल, कटक और सम्मलपुर क्षेत्रों में अप्रैल 1983 और जून 1984 के मध्य की अवाध में बीजों को 2.22 लाख रुपये की हानि की नीलामी पर बेचा गया।

पंजाब

13.41 लाख रुपयों की मुहैया बीज सहायता राशि में से राज्य सरकार ने केवल 2.12 लाख रुपये इस्तेमाल किये (1.12 लाख रुपये छठी योजना और

1 लाख रुपये 1985-86 के दौरान)।

राजस्थान

यद्यपि 1980-81 के दौरान केन्द्रक और आधार बीजों के उत्पादन के लिए 0.24 लाख रुपयों की राशि मुहैया की गई थी। फिर भी कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर अथवा कृषि विभाग द्वारा इनके उत्पादन का कोई कार्यक्रम बनाया गया।

छठी योजना के दौरान प्रमाणित बीजों का उत्पादन 44 प्रतिशत कम रहा। विभाग द्वारा 24,220 क्विंटल के निर्धारित लक्ष्य के वितरण केवल 13,026 क्विंटल ही वितरित किया गया था। यह कमी इस तथ्य के बावजूद भी हुई कि एस.एस.सी. के पास उसके द्वारा उत्पादित बीज काफी थे।

1981-82 और 1984-85 के दौरान सरसों (टी 59 किस्म) के 772 प्रदर्शन नहीं किये गए तथा बीजों के अनुपलब्धता के कारण सरसों के 2,399 लघु थैले और सोयाबीन के 3,302 थैले वितरित नहीं किये गये। यद्यपि राज्य बीज निगम ने राज्य से बाहर बीज बेचे थे।

यद्यपि राज्य बीज निगम का बीजों के वितरण हेतु वर्ष दर वर्ष निर्धियां दी जा रही थी, परन्तु उनके पास उपयुक्त शोध निम्न विवरण अनुसार थे :—

रा.बी.नि.के पास वर्ष के प्रारम्भ में अप्रयुक्त निर्धियां	अतिरिक्त निर्मुक्त की गई निर्धियां	वास्तविक व्यय
	(लाख रु. में)	
1984-85	7.25	9.00
1985-86	10.45	10.92

तमिलनाडू

मुसरावकम के आधार बीज फार्म में, 1982-83 से 1984-85 के दौरान मूंगफली के आधार बीजों हेतु निर्धारित लक्ष्य 591.02 एकड़, विस्तार क्षेत्र के प्रति केवल 417.80 एकड़ क्षेत्र का विस्तार किया गया। विभाग में कमी का कारण प्रजनन बीजों की अनुपलब्धता बताया। इसके अतिरिक्त 417.80 एकड़ हेतु अपेक्षित 38.5 टन प्रजनक बीजों में से केवल 24.7 टन बीज ही प्रजनक बीज फार्मों से प्राप्त किये गए।

1984-85 और 1985-86 के दौरान फार्म में उत्पन्न हुये 46.56 टन मूंगफली के बीजों में से, 22.35 टन बीजों के रूप में प्रयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं थे, इसमें से 7.30 टन बीज सार्वजनिक नीलाम द्वारा बेच दिये (जनवरी 1986) गए जिसके परिणामस्वरूप लगभग 0.18 लाख रुपये की हानि हुई।

1981-82 से 1985-86 के लिए 5,338 टन प्रमाणित बीजों के निर्धारित लक्ष्य में से, केवल 595 टन बीज प्राप्त किये गए जो इन वर्षों के दौरान 46,574 टन बीजों के कुल प्राषण का केवल 1.3 प्रतिशत था।

चेंगलपट्टूर, उत्तर एरकोट, मुदराई और कोंयमबतूर जिलों की 4 डिभिजनों में 9.54 लाख रुपयों की लागत से उपलब्ध 170.54 टन मूंगफली

बीज किसानों में वितरित किए गए यद्यपि उनका अंकुरित औसत 70 प्रतिशत से भी कम था।

8 डिपों में, (3 जिलों की 5 डिवीजनों में) 2.20 लाख रुपयों की लागत को 44.06 टन बीज कमजोर अंकुरण अथवा 8 महीनों ऊपर के भण्डार के काम बीज के रूप में काम में लाने हेतु अयोग्य घोषित के कारण, किसानों को वितरित किये गये तथा जिनमें से 5.09 बीज बिना बटे रह गये थे (फरवरी 1986)।

555.31 टन जे.एल. 24 मूंगफली बीज (59.60 टन 1983-84 में, 95.98 टन 1984-85 में और 399.73 टन 1985-86 में) गुजरात में तमिलनाडू सहकारी तिलहन संघ (ता.स.नि.सं.) के माध्यम से इस आधार पर कि किसानों में इस किस्म के हेतु बहुत माँग थी। 47.67 लाख रुपये की लागत से इस आधार पर कि किसानों में इस किस्म के हेतु बहुत माँग थी, प्रापण किये गये। तथापि चेंगलपुट्टु और दक्षिण एरकोट जिला अधिकारियों ने सूचित किया (मई तथा जुलाई 1985) कि उनके पास इनका पर्याप्त भंडार था और उन्हें इसकी ओर अधिक आवश्यकता नहीं थी। चेंगलपुट्टु कांची पुरम और त्रिवलुर के क्षेत्रीय अधिकारियों ने भी सूचित किया था। (अप्रैल से जुलाई 1985) 1985-86 के दौरान उनके पास वितरण के लिए पर्याप्त भण्डार था। उन्होंने और सूचित किया कि उनके पास आवश्यकता से अधिक मात्रा में बीजों का भण्डार है और किसान उन्हें 6.700 रुपये प्रति टन की दर से खरीदने आगे नहीं आ रहे थे, क्योंकि इस किस्म के बीज स्थानीय दरों पर 4,500 से 5,000 रुपये टन पर उपलब्ध थे। खरीदे हुये बीजों की बीज परख प्रयोगशाला में उनकी श्रेणी की जाँच नहीं की गई थी। कांचीपुरम और त्रिवलुर के क्षेत्रीय कार्यालयों ने आरोप लगाया (1985) कि अंकुरण की कम क्षमता (48 से 60 तक के बीच) इस किस्म के बीजों के कम उठाव का एक कारण थी।

9 क्षेत्रों में, क्षेत्रीय कार्यालयों को सांख्यिकीय विभाग द्वारा बाजार दरों की 6 से 23 दिनों तक देरी से सूचना देने के परिणामस्वरूप अप्रैल 1984 और दिसम्बर 1985 के दौरान प्रापण करने में 12.66 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

माधुरी जिले की दी डिवीजनों में, दिसम्बर 1984 और अप्रैल 1985 के मध्य मंगाये गये 230.760 टन बीज के विषय में पिछले सप्ताह के अंत की दरों के बजाय प्राप्त की तिथि को प्रचलित दरों को अपनाया गया जिसके परिणामस्वरूप 3.32 लाख रुपये का अधिक भुगताना हुआ।

24 कृषि डिपों में, 1980-81 से 1985-86 के दौरान प्राप्त 109.6 टन सूर्यमुखी के बीजों में से 2.01 लाख रुपये मूल्य के 40.3 टन बीज 6 से 24 महीनों के पश्चात बाटे गए था स्थानान्तरित किये गए और 1.34 लाख रुपये मूल्यों के 27.3 टन बीज 6 महीनों से अधिक समय तक (दिसम्बर 1985) अवितरित पड़े हुए थे। सामान्यतः बीज 6 महीनों के बाकि अपनी अंकुरण शक्ति खो देते हैं और घटिया उनकी कोटि में गिरावट शुरू हो आती है।

उत्तर प्रदेश

छठी योजना के दौरान, प्रत्येक वर्ष प्रमाणित बीज तिलहन की कुल

वार्षिक आवश्यकता में से (20.53 लाख क्विंटल) केवल 1.5 प्रतिशत से 4.5 प्रतिशत ही वितरित किये गए।

5.4.7 फसल सुरक्षा

फसल सुरक्षा के उपायों में तेजी लाने के उद्देश्य से छठी योजना के दौरान इस संबंध में उधर-आधार पर, जिस पर होने वाला व्यय केन्द्र सरकार द्वारा किया जाना था, योजना प्रारम्भ की गई। सहायता राशि फसल सुरक्षा रसायनों और परिचालन प्रभागों पर इस्तेमाल हेतु विस्तारित की जानी थी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में फसल सुरक्षा को लागू करने में किये गये उपायों की समीक्षा इस पैराग्राफ में की गई है।

बिहार

1980-81 से 1985-86 के दौरान फसल सुरक्षा उपायों पर किये गये व्यय निदेशालय के रिकार्ड में नहीं था। तथापि, 1983-84 से 1985-86 तक यह देख गया कि 7.22 लाख हेक्टर भूमि जिसमें, राज्य कार्यक्रम के अन्तर्गत तिलहनों को बोया गया था, केवल 0.99 लाख हेक्टर क्षेत्र में फसल सुरक्षा के उपाये किये गये थे।

गुजरात

फसल सुरक्षा रसायनों और उपकरणों की आपूर्ति पर 1,057.25 लाख रु. और 272.12 लाख रुपये के प्रावधान के प्रति 1980-81 से 1985-86 के दौरान इन पर क्रमशः 856.19 लाख रुपये और 169.69 लाख रुपये खर्च किये गए।

हरियाणा

फसल सुरक्षा छिड़काव क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल न किया गया क्षेत्र 55 प्रतिशत (1981-82) से 90 प्रतिशत (1985-86) तक था। 1982-83 के पश्चात हवाई छिड़काव नहीं किया गया।

केन्द्रीय सरकार से जीपों की मरम्मत हेतु किये गये 0.70 लाख रुपये के व्यय का दावा छिड़काव के परिचालन प्रभागों के रूप में किया गया।

मध्य प्रदेश

एम. पी. ऐग्रो को, मार्च 1981 में (1.83 लाख रुपये फसल सुरक्षा रसायनों को उपलब्ध करावाने और 4.09 लाख रुपये भू-परिचालन प्रभागों हेतु) दिये गये 5.92 लाख रुपयों के अग्रिम के समायोजन की प्रतीक्षा थी। इसी प्रकार 1984-85 तथा 1985-86 में 57.52 लाख रुपयों के अन्तिम भुगतान के विस्तृत लेखे की प्रतीक्षा थी (जुलाई 1986)।

महाराष्ट्र

केवल मूंगफली के लिए फसल सुरक्षा अपनाई गई थी। नासिक जिले में महागारी और बीमारियों से प्रभावित 32,268 हेक्टर क्षेत्र में प्रभारित मूंगफली की फसल में से, केवल 17,474 हेक्टर क्षेत्र फसल सुरक्षा उपायों के अन्तर्गत आवृत्त किया गया था।

औरंगाबाद में, घटिया स्तर के कीटनाशक, जिनका मूल्य 8.19 लाख

रुपये था, उन किसानों को वितरित किये गए जिन्हें परिचालन प्रभारों का भुगतान भी किया गया था।

उड़ीसा

बालसोर, कटक, गजम, कोरापुट्ट, कनजौर, मयूरगंज और सुन्दरगढ़ जिलों में तिलहन की फसल पर खरीफ 1984 के दौरान महामारी का हमला देखा गया। उप निदेशक, फसल सुरक्षा (मुख्यालय) ने बताया कि संबंधित क्षेत्रीय उपनिदेशक कृषि द्वारा नियंत्रण और निरोधक उपायों के बारे में सूचना नहीं दी गई थी।

कटक क्षेत्र में, 1984-85 के दौरान 63, 573 हेक्टर क्षेत्र में सरसों की फसल विभिन्न प्रकार की बीमारियों से प्रभावित बताई गई थी। विभाग द्वारा नियंत्रित क्षेत्र केवल 5,400 हेक्टर बताया गया और स्वयं किसानों द्वारा नियंत्रित क्षेत्र 30,203 हेक्टर बताये गये शेष 27970 हेक्टर क्षेत्र बिना किसी नियंत्रित उपायों के पड़ा रहा।

उत्तर प्रदेश

केवल 1980-81 से 1984-85 के दौरान फसल सुरक्षा क्षेत्र की प्रतिशतता के क्षेत्र की प्रतिशतता प्रत्येक वर्ष तिलहन के अंतर्गत कुल क्षेत्र की 2.5 से 8.6 के बीच आती है।

पश्चिम बंगाल

14.63 लाख रु. के आबंटन के प्रति, 1984-85 और 1985-86 के दौरान जांच किए गए चार जिलों के बारे में व्यय नमूना जांच की 10.47 लाख था जिसके परिणाम स्वरूप 4.16 लाख रुपयों की बचत हुई।

मुर्शिदाबाद और नाडिया जिलों में, पश्चिम बंगाल कृषि उद्योग निगम द्वारा आपूर्ति किए गए 1.02 लाख रु. कीमत के 410 फसल सुरक्षा उपकरण अमानक बताये गये थे।

एक फसल-सुरक्षा गाड़ी जो 1984-85 में तिलहन उगाऊ जिलों में प्रयोग हेतु 1.73 लाख रुपयों लागत की खरीदी गई थी, मुख्य कृषि अधिकारी, मुर्शिदाबाद को आर्बाटि की गई, जिसने गाड़ी को अनुपलब्धता के आधार पर स्वीकार नहीं किया। विभाग द्वारा इसके उपयोग का तरीका पता नहीं था (जुलाई 1986)।

5.4.8 रहिजोवियम संवर्धन:— मूंगफली और सोयाबीन पत्तीदार फसलों दोनों, के कारण रहिजोवियम संवर्धन के प्रयोग से मिट्टी में नाइट्रोजन को निर्धारित करने में सहायता होती है। इसके बीजों में प्रतिपादन से उपज 10 प्रतिशत से 17 प्रतिशत तक वृद्धि होती है। लघु धैलों में किसानों को आपूर्ति किया गया रहिजोवियम संवर्धन की प्रावधान तिलहानों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए योजना का एक अनिवार्य अंग है। योजना में बिक्री की मांग स्थिर बनाये रखने के साथ रहिजोवियम संवर्धन के लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए माइक्रोबायलोजिकल प्रयोगशालाओं को मजबूत करने का विचार था। लेखा परीक्षा के दौरान निम्न बातें देखी गईं।

भासाम

कोई व्यय नहीं किया गया था।

मध्यप्रदेश

1981-82 से 1985-86 के दौरान मूंगफली फसलों के लिए वितरित रहिजोवियम संवर्धन के पैकटों की संख्या उपलब्ध नहीं थी।

गुना, ग्वालियर और मन्दसौर जिलों में, 1980-81 से 1984-85 के दौरान किसानों को सोयाबीन और मूंगफली फसलों के लिए (मूल्य 0.23 लाख रुपये) 4587 संवर्धन पैकेट अवितरित रहे जिसके परिणामस्वरूप बेकटेरिया मर गये।

1982-83 और 1983-84 के दौरान 5 विशेष आकार वाली यातायात गाड़ियों को खरीदने के लिए जो पूर्णरूप से जलयोजन पृथक करण के लिए थी, निम्नलिखित व्यय किये गये थे:—

(i) मध्यप्रदेश ऐग्रे ----- 4 लाख रुपये

(ii) मध्य प्रदेश सहकारी तिलहन ----- 4 लाख रुपये

उत्पादक संघ

(iii) अब्दुलगंज प्रयोगशाला ----- 2 लाख रुपये

एक चैरिस (मूल्य 0.94 लाख रुपया) उक्त (ii) के प्रति में प्राप्त किया गया और उसे ढांचा प्रदान करने के लिए मध्यप्रदेश ऐग्रे को स्थानान्तरित कर दिया था जो अभी पूरा होना था और ऐग्रे ने उक्त अग्रिम (i) में से (मूल्य 1.10 लाख रुपये) एक जीप खरीदी। शेष राशि वसूल करने के लिए की गई कार्यवाही तथा जिस उद्देश्य के लिए अग्रिम दी गई थी के समायोजन के और ब्यौरे मांगे गये थे तथा प्रतीक्षित थे।

गण्डेचरी

राशियों के अपर्याप्तता के कारण 1983-84 और 1984-85 के दौरान मूंगफली के लघु धैले (1000 संख्या) के साथ रहिजोवियम संवर्धन पैकेटस किसानों को वितरित नहीं किये गये थे। 1983-84 के दौरान 0.80 लाख रु. की सीमा तक राशियों के लौटाने के प्रति यह देखना पड़ा था।

पंजाब

1980-81 से 1985-86 के दौरान रहिजोवियम संवर्धन के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार ने कोई राशियां प्रदान नहीं की थीं। राज्य सरकार ने भी इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की थी।

राजस्थान

हनुमानगढ़ में, 1982-83 से 1985-86 के दौरान किसानों को मूंगफली वितरित करने के लिए रहिजोवियम संवर्धन के पैकेट प्राप्त नहीं हुये थे।

तमिलनाडू

मदुराई और चेंगलपट्टु जिलों में, 1985-86 के दौरान रहिजोवियम संवर्धन के वितरण के लिए लक्ष्यों की प्राप्ति क्रमशः 58 प्रतिशत तथा 29 प्रतिशत कम हो गई थी।

1984-85 के दौरान इस संवर्धन/से विस्तारित करने का लक्ष्य 0.43 लाख हैक्टर के प्रति उपलब्ध केवल 0.26 लाख हैक्टर थी। एक मण्डल में, एक हैक्टर के लिए 10 पैकिटों के प्रयोग किए जाने के प्रति, 172.5 हेक्टरों के एक क्षेत्र के अंतर्गत करने हुए 108 मामलों में केवल 2 से 5 हैक्टर जारी किये थी।

5.4.9 विशेष परियोजनाएं

(क) गुजरात में मूंगफली और (ख) मध्यप्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए गहन परियोजनाएं।

उपर्युक्त पैरा 5.1.3 और 5.2 में संदर्भ दिया गया है।

(क) मूंगफली

जनवरी 1981 में गुजरात में 35 करोड़ की लागत से मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक गहन परियोजना प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य मूंगफली की खेती के अंतर्गत क्षेत्र 1979-80 में 1983-84 18 हैक्टर से 22 लाख हैक्टर बढ़ाना था तथा उत्तम किस्म के बीजों का वितरण करके, अभियान आधार पर फसल सुरक्षा उपायों को अपनाकर, पूर्व बुवाई सिंचाई के साथ फसल की शीघ्र बुवाई करके सुरक्षात्मक सिंचाई प्रदान करके, रबी/ग्रीम के अंतर्गत सिंचाई किये गए मूंगफली के क्षेत्र का विस्तार करके अत्यधिक फसल सुरक्षा अपनाकर उपयुक्त गहरी बुवाई आर्द करके, के माध्यम से 18 लाख टनों से 27.70 लाख का उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य था। योजना के अंतर्गत जिसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा शत-प्रतिशत सहायता दी गई थी, किसानों को, बीजों की लागत फसल सुरक्षा, सिंचाई सुधारे औजार और उपकरण इत्यादि पर वित्तीय सहायता दी जानी थी योजना के कार्यान्वयन के सम्पूर्ण निर्धारण से निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट हुईं:-

- केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये 3,476.74 लाख रु. के प्रति, केवल 2,499 लाख रुपये ही खर्च किये गये थे।
- कृषि के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र जो 22.08 लाख हैक्टर था 1980-81 में घटकर 21.50 लाख हैक्टर 1983-84 में रह गया।
- 1981-82 में 996 किग्रा. के प्रति हैक्टर उपज घटकर 1983-84 में 842 किग्रा. रह गयी थी।
- 27.70 लाख टनों के लक्ष्य के प्रति, उत्पादन 1983-84 में 18.10 लाख टन था तथा 1981-82 में 21.99 लाख टनों के उत्पादन तुलना में कम था।
- कार्यक्रम के कार्यान्वयन को निम्नलिखित कमियों से नुकसान हुआ,
- बीजों के लिए 900 लाख रुपयों की दी गई आर्थिक सहायता में से केवल 704.20 लाख रुपये ही व्यय किये गए इसमें जी. एस.

एस. पी. को 257.41 लाख रु. अदा किये गए, भी शामिल थे जो कार्यक्रम की समाप्ति तक अनुपयोगी पड़े रहे (31 मार्च 1984)।

- बीजों के वितरण के अंतर्गत 1981-82 में दी गई 31.80 लाख रुपये की सहायता राशि 1982-83 में 249.27 लाख रुपये तथा 1983-84 में 423.08 लाख रुपये हो गयी थी। वितरित किये गये बीज की मात्रा 1982-83 में 2.40 लाख क्विंटलों से 2.98 लाख क्विंटल अतिरिक्त बढ़ गई थी तथा 1983-84 में 1.95 लाख क्विंटल घट गयी थी।
 - रिकार्ड की संविधा से पता चला कि 1983-84 के दौरान जूनागढ़ जिले के निदेशक द्वारा प्रबन्धित किए तथा सूचित (जनवरी 1987) 300 प्रदर्शनों के प्रति (लक्ष्य 1600) जिला पंचायत द्वारा वास्तविक आयोजित तथा सूचित किए गये प्रदर्शन नगण्य थे।
 - आयोजित प्रदर्शनों के रिकार्ड अपूर्ण थे और उनके परिणाम कृषि निदेशक को सूचित नहीं किये गये थे।
 - 1980-81 से 1983-84 के दौरान जी. एम. एस. सी. को दी गई 373 लाख रुपयों की बीज सहायता राशि में 257.41 लाख रुपये (69 प्रतिशत) 31 मार्च 1984 तक अनुपयोगी पड़े रहे।
 - यद्यपि 1980-81 के दौरान जी. एम. एस. सी. द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया था फिर भी 31 मार्च 1981 को इसे 100 लाख रुपये अदा किये गये थे।
 - जूनागढ़ जिला पंचायत को 1980-81 में फसल सुरक्षा उपयों के लिए 38.70 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिए गए जो 1982-83 तक के व्यय (20.63 लाख) हेतु पर्याप्त थे। इसके बावजूद भी, 1981-82 से 14 लाख रुपये तथा 1982-83 में 30 लाख रुपये अतिरिक्त जारी किये गए थे।
 - दो गंभीर अवसरों पर जैसे खूटी लगाना या पौध लगाना तथा खरीफ ऋतु में पौध विकास ग्रीष्म कालीन मूंगफली फसल के लिए उन्नत सिंचाई के अपने साधनों का उपयोग करके किसानों को उत्साहित करने के लिए, एक पौधा विशेष परियोजना ने 1512.50 लाख रु. 3500 लाख रु. के (कुल लागत का 43.21 प्रतिशत) सिंचाई सहायता के व्यय के लिए प्रदान किये थे।
 - 1980-84 के दौरान सिंचाई सहायता पर खर्च किए बताए गए 729.23 लाख रुपये के प्रति, 1980-81 में, 23.14 लाख रुपये सिंचाई के लिए थे तथा शेष 706.09 लाख रुपये योजना के अन्य घटकों पर उपयोग किये गये थे।
- राज सरकार ने महसूस किया (अगस्त 1982) कि खरीफ मौसम के दौरान सुरक्षात्मक सिंचाई के अन्तर्गत लाभ भोक्ताओं के सत्यापन का कोई विश्वासनीय साधन नहीं था तथा गलत किसानों द्वारा सहायता राशि का

दुरुपयोग करने की संभावना थी तथा यह तय किया गया कि इस उद्देश्य के लिए रखी गई राशि को योजना के अन्य घटकों के लिए उपयोग कर लेनी चाहिए जिससे राज्य में मूंगफली का उत्पादन बढ़ने की प्रत्याशा थी। दिसम्बर 1982 में, राज्य सरकार ने तय किया कि 1981-82 के लिए सहायता राशि बीजों, कीट-नाशकों, उर्वरकों, छिड़कावों इत्यादि की किस्मों के रूप में अदा की जायेगी। सितम्बर 1981 में जारी किये गये आदेशों को सिवाय तेल उपयोग के लिए वाउचरों के सत्यापन हेतु रिहा कर दिया गया था जो फरवरी 1983 में अलग कर दिया था। इस परिवर्तन के लिए भारत सरकार का अनुमोदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था। (दिसम्बर 1986)।

(ख) सोयाबीन

1979-80 के दौरान सोयाबीन फसल के अंतर्गत कुल क्षेत्र 1978-79 के दौरान 3 लाख हैक्टर की तुलना में 4.3 लाख हैक्टर था। देश में सोयाबीन की खेती वाले बीजों की किस्म की उपलब्धता के कारण, दोनों सूखे और अधिक नमी में भी रोपी जा सकी थी की तीव्रता से प्रगति हुई थी।

चूँकि मध्यप्रदेश ने सोयाबीन के लिए एक विस्तृत क्षेत्र प्रस्तुत किया था, मंत्रालय ने 1981-82 में एक विशेष परियोजना केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः निधियां दी जाने पर 1981-82 से 1985-86 के लिये 5 करोड़ रु० के परिव्यय पर सज्य में उसके विकास के लिए चलाई थी। कार्यक्रम का सोयाबीन के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार 4.50 लाख हैक्टर 1985-86 में 18 लाख हैक्टर 1980-81 में तथा साथ में उत्पादन में 3.5 लाख टनों से 14.4 लाख टनों की वृद्धि का विचार था। सहायता बीज लघु धैल फसल सुरक्षा रसायनों प्रदर्शन करने के लिए उपकरणों के वितरण, स्टाफ तथा प्रचार के लिए दी गई थी।

मंत्रालय द्वारा राज्य को जारी की गई राशि, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध की गई वास्तविक राशि और वास्तविक व्यय इस प्रकार थे:-

वर्ष	केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई	राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध की गई वास्तविक (लाख रुपयों में)	व्यय	कमी
1981-82	113.24	94.67	72.34	22.33
1982-83	112.50*	185.99	120.28	65.71
1983-84	304.00	305.81	241.21	64.60
योग	529.74	586.47	433.83	152.64

* राज्य सरकार के अनुसार यह आंकड़े 112.60 लाख रुपये थे।

निष्पादन की बजट सांख्यिकीय बुलॉटन भारत की मुख्य फसलों के क्षेत्र तथा उत्पादन तथा राज्य सरकार द्वारा दिए गए क्षेत्र के आंकड़ों में भिन्नता थी। 1984-85 तक, 11 लाख हैक्टर के लक्ष्य के प्रति, फसल के अंतर्गत फैला हुआ कुल क्षेत्र 9.86 लाख हैक्टर था (7.69 लाख टनों के उत्पादन के साथ) अधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाले देशों द्वारा प्राप्त की गई 1293 से 2601 कि.ग्रा. के औसत उपज के प्रति। भारत में, 1984 के दौरान प्राप्त की गई औसत उपज 941 किलोग्राम प्रति हैक्टर थी।

निधियों के कम उपयोग के अलावा, प्रोग्राम के कार्यान्वयन को लक्ष्यों के लक्षित संख्या के वितरण में असमर्थता, बीज की घटिया किस्म तथा अपर्याप्त प्रचार, जिसकी नीचे चर्चा की गई है, के कारण नुकसान उठाना पड़ा था।

निधियां : 1981-82 से 1983-84 के दौरान प्रदान किये गये 586.4 लाख रु. में से केवल 433.83 लाख रुपये खर्च किए थे।

बीज की आपूर्ति : 1981-82 से 1985-86 के दौरान वितरित 2.5 लाख क्विंटल बीजों में से केवल 0.50 लाख टन बीज ही प्रमाणित श्रेणी में थे। बकाया 2.02 लाख क्विंटल विश्वसनीयता के द्योतक थे। राज्य सरकार द्वारा संस्वीकृत 298.50 लाख रु. के प्रति, वास्तविक व्यय केवल 142.89 लाख रुपये था।

एक जिले में, 1982-83 के दौरान 480 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदे गए 412 क्विंटल बीजों में से 0.23 लाख रुपये मूल्य के 46.90 क्विंटल बीज 0.12 लाख रुपयों में नीलाम कर दिये गए थे जिससे परिणामस्वरूप 0.11 लाख रुपयों की हानि हुई। इस बीज को समय पर किसानों में न बांटने के कारण मालूम नहीं है।

1981-82 से 1985-86 वर्षों के दौरान केवल सोयाबीन बीज पर प्रदान की गई आर्थिक सहायता का भुगतान मुहैया की गई 298.50 लाख रु. की राशि में से 155.61 लाख रुपये (5.21 प्रतिशत) बिना उपयोग पड़े रहे थे, इसमें से 42.40 लाख रुपये 1985-86 से संबंधित थे। उपनिदेशक, कृषि हौशंगाबाद ने 1982-83 में 0.23 लाख रुपयों मूल्य के सोयाबीन बीज के 48 क्विंटल बरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी (व.कृ.वि.अ.) हौशंगाबाद, को स्थानांतरण कर दिये थे, जिसका उल्लेख न तो व.कृ.वि.अ. कार्यालय के स्टाफ रजिस्टर में था और न ही इसके वितरण का विवरण उपलब्ध था। ग्वालियर जिले में, 1982-83 के दौरान किसानों को सोयाबीन बीजों के 365.10 क्विंटलों का वितरण के अभिलेख लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

लघु धैले : 115428 लघु धैलों के लक्ष्य के प्रति, 1980-81 से 1983-84 के दौरान केवल 99,009 लघु धैले वितरित किये गये थे।

यद्यपि 0.5 हैक्टर के लिए 50 किलो बीज (1981-82 और 1982-83 के दौरान) तथा 0.1 हैक्टर के लिए 10 किलो (1983-84 के दौरान) बीज लघु धैलों में डाले जाने थे, बीजों की निम्न मात्रायें डाली गई थीं।

राइजोबियम संवर्धन : 1981-82 से 1983-84 के दौरान 7.20 लाख पैकटों की आवश्यकता के प्रति केवल 3.61 लाख पैकट वितरित किये गये थे।

प्रचार : पत्रों, इशतहारों चित्रित-पट्टों, विज्ञापनपट्टों और ग्रामीण और अर्ध-शहरी सिनेमाघरों में स्लाइडों के माध्यम से प्रचार करने के लिए 16.20 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करवाई गयी थी।

यद्यपि 1981-82 में एक वृत्त चित्र के तैयारी के लिए एक लाख रुपये अग्रिम व्यय दिये गए थे न तो फिल्म प्राप्त हुई न ही खर्च का लेखा प्राप्त हुआ (जुलाई 1986)। इसके अतिरिक्त 2.75 लाख रुपयों की लागत से

एक रंगीन वृत्त चित्र तैयार करवाया गया। यद्यपि एक लाख रूपये की प्रथम किश्त का अग्रिम भुगतान किया था (1982-83) जून 1985 में चित्र की एक प्रति प्राप्त हुई और इसकी प्राप्ति के एक वर्ष के दौरान चित्र का प्रदर्शन 45 जिलों में से केवल 6 जिलों में प्रदर्शन किया गया था। चित्र 27 से 131 दिनों की अवधि में अप्रदर्शित रहा।

5.4.10. मूल्य समर्थन:

कृषि विकास को बढ़ाने के लिए कृषि मूल्य नीति सरकार की योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है। किसानों को मूल्यों में अचानक गिरावट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा हर वर्ष विभिन्न तिलहन की फसलों हेतु समर्थन मूल्य घोषित किये गये थे, जैसे नीचे दर्शाये गये हैं :-

तिलहन	समर्थन मूल्य (रु. प्रति क्विंटल)				
	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86
मूंगफली (छिलकामें)	270	295	315	340	350
रेपसीड/ सरसों	अघोषित	अघोषित	355	360	385
सोयाबीन (काली)	210	220	230	240	250
सूर्यमुखी	250	250	275	325	335

एन.ए.एफ.ई.डी. जो तिलहन खरीदने की एजेन्सी थी, ने 1984-85 के दौरान समर्थक मूल्यों पर पहली बार मध्यप्रदेश में सोयाबीन के 78,282 टन तथा राजस्थान और अन्य राज्यों में सरसों 76,784 टनों की खरीद की थी।

कृषि मूल्य आयोग ने अपनी रबी फसलों के लिए (1983-84) मूल्य नीति पर प्रतिवेदन में यह देखा था कि यद्यपि ना.फे.ड. मूल्य समर्थन संचालनों के साथ सौपी गई एजेन्सी थी, इसने उच्च बाजार कीमतों के होने के विचार से समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत कोई रेपसीड/सरसों की खरीद नहीं की थी। ना.फे.ड. द्वारा की गई वाणिज्यिक फसलों की भी इतनी कम खरीद की थी कि इसका बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आयोग ने अपनी पहली सिफारिशों को दुहराते हुये कहा कि वित्तीय संस्थानों को सहकारी और राज्य स्तर की एजेन्सियों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य वाणिज्यिक परिचालनों का समर्थन देना चाहिए। कृषि मूल्य नीति विपणन और व्यापार के कार्यकारी दल ने सातवीं योजना के लिए सूत्रपात करते हुये देखा कि मूल्य नीति का प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वयन के लिये तिलहन तेलों के खरीद प्रक्रिया विपणन तथा वितरण करने की जिम्मेदारी जिसको केन्द्रीय सार्वजनिक अभिकरण के निरन्तर आधार पर संघटित नियंत्रण के अन्तर्गत आने की आवश्यकता थी, ताकि उत्पादकताओं तथा उपभोगकर्ताओं में विश्वास लाया जा सके तथा सिफारिश की कि मूल्य समर्थन के लिये एक सार्वजनिक क्षेत्र एजेन्सी स्थापित करना था तथा इस उद्देश्य के लिये राष्ट्रीय तिलहन तथा तेल निगम उपयुक्त अभिकरण होगा।

5.4.11 राष्ट्रीय तिलहन और खाद्य तेल विकास बोर्ड:

मार्च 1984 में संसद के एक अधिनियम के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय तिलहन और खाद्य तेल विकास बोर्ड की स्थापना खाद्य तेल उद्योग के विकास करने और तिलहन के सम्पूर्ण विकास हेतु की गई। बोर्ड को दीर्घकालीन नीति के

मूल्यांकन की जिम्मेदारी दी गई थी कि जो उत्पादन, प्रक्रिया, विपणन, मूल्यों तकनीकी और अनुसंधान के आधुनिकीकरण इत्यादि पहलुओं को तिलहन और खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सम्मिलित करता है।

राष्ट्रीय तिलहन और खाद्य तेलों के विकास अधिनियम, 1983 की धारा 1, और 12 की उप-धारा 1 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा खाद्य तेलों (खाद्य तेल उपकर अधिनियम 1983 देखें) की उपकर प्राप्तियों में से और राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संगठनों इत्यादि से अनुदान या ऋण देना या दान द्वारा वित्तीय बोर्ड को निधियाँ प्रदान की गई थी। खाद्य तेल उपकर अधिनियम 1983 पहली जनवरी 1984 से लागू हुआ था तथा भारत की किसी भी मिल में विद्युत की सहायता से उत्पादित खाद्य तेलों पर 5 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उपकर निर्धारित किया गया था। कुछ पार्टियों द्वारा उपकर अधिनियम और राष्ट्रीय तिलहन तथा खाद्य तेल विकास बोर्ड अधिनियम की वैधता को चुनौती दी गई थी। न्यायालय द्वारा दिये गए स्थगन आदेश के परिणामस्वरूप जनवरी 1984 से 31 मार्च 1985 तक के अवधि के दौरान केवल उपकर संचयन 1.62 करोड़ रुपये था जो 6-7 करोड़ रुपये की आशा के विपरीत बहुत कम था।

अधिनियम की धारा 7 के अनुसार डी.ओ.डी. हैदराबाद का बोर्ड में विलयन होना था।

यह देखा गया था कि बोर्ड ने सितम्बर 1986 तक कार्य आरम्भ नहीं किया था जबकि दो वर्षों से अधिक की अवधि बीत चुकी थी तथा 31 मार्च 1986 तक 28.02 लाख रुपये व्यय हो चुके थे। बोर्ड ने सूचित किया (सितम्बर 1986) कि प्रथम कार्यकारी निदेशक ने 23 जुलाई 1985 को बोर्ड में कार्य संभाला तथा कार्यालय परिसर अनुपलब्धता तथा अन्य पदों को भरने में कठिनाइयों के कारण वह बोर्ड की पंजिका में 28 जुलाई 1986 तक एकमात्र कार्यकर्ता बना रहा जब एक नियमित सचिव ने कार्य संभाला था। तिलहन पर तकनीकी मिशन के बनने के सन्दर्भ में सरकार द्वारा बोर्ड के कार्यों की उच्च स्तर पर समीक्षा की जा रही थी।

5.4.12 अनुश्रवण:

कार्यक्रम के अनुश्रवण करने का कार्य मंत्रालय और डी.ओ.डी. हैदराबाद द्वारा केन्द्रीय स्तर पर किया जाना था। डी.ओ.डी. को राज्यों/केन्द्रशासित राज्यों के साथ सम्पर्क स्थापित करना था तथा कार्यक्रम में आई अड़चनों को तत्परता से मंत्रालय के ध्यान में लाना था। राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के स्तर पर अनुश्रवण करने का कार्य संबंधित कृषि निदेशकों द्वारा किया जाना था। राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को प्रत्यक्ष और वित्तीय उपलब्धियों की मासिक/तिमाही रिपोर्ट डी.ओ.डी. हैदराबाद को, कार्यक्रम के कार्यान्वयन में आई कठिनाइयों सहित, प्रस्तुत करनी थी जिसे डी.ओ.डी. को प्रत्येक महीने समेकित प्रतिवेदन मंत्रालय को पेश करना था। मंत्रालय द्वारा 1980-81 से 1985-86 के दौरान किये गए दौरों की संख्या के बारे में सूचना, दौरे रिपोर्ट की प्रतिलिपियाँ, भ्रमण के दौरान पाई गई कर्मियों को दूर करने के लिये की गई अनुवर्ती कार्यवाही और जिन जिलों/खण्डों का दौरा किया गया था, उनसे संबंधित सूचना मांगी गई थी (जून 1986), लेकिन वे प्रतीक्षित थी। निम्न पहलुओं पर सूचना जो कार्यक्रम के सफलता पूर्वक कार्यान्वयन के लिए आवश्यक, मंत्रालय से (मई और जुलाई 1986) मांगी गई थी, भी प्राप्त नहीं हुई (दिसम्बर 1986)।

- कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलों को सम्मिलित करने से पूर्व क्या जिलों की कृषि-जलवायु सम्बन्धी शर्तों और भूमि की उपयुक्तता इत्यादि का पता लगा लिया गया था,
- क्या जिलों का चुनाव करने से पहले स्थानीय सम्भावित के निर्धारण तथा स्थानीय साधनों की गतिशीलता के माध्यम से क्या वास्तविक योजना बनाई थी।
- क्या तिलहन की नवीनतम सुधरी किस्में लघुशैलों में आपूर्त की गई थी;
- समय-समय पर तिलहन जैसे बीज, ऊर्वरकता के, रिजोबियम संवर्धन आदि के उत्पादन के लिये अपेक्षित आवश्यक निवेशों के प्राप्ति के लिये व्यवस्था की गई,
- उन पर किये गये व्यय के साथ मूल बीजों के बहुप्रयोजन के लिये उत्तम विशिष्ट वर्ग तथा सूर्यमुखी के विशिष्ट वर्ग बीज के व्यौरे तथा अन्य तिलहन फसलों के प्रजनक बीज विभिन्न अभिकरणों को आपूर्त किये गये थे,
- भुगतान की गई सहायता राशि के साथ विभिन्न उत्पादक अभिकरणों से प्राप्त किये गये प्रमाणित/सत्यता पूर्वक लेबल लगे बीजों की वर्षवार मात्रा;
- वितरित किये हुये लघु शैलों/किए गए प्रदर्शन के कार्य परिणाम प्राप्त हो गये थे तथा,
- तिलहन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत तिलहन के लघु शैलों में अतिव्यापी घटकों को वर्तमान कार्यक्रम के अन्तर्गत एस.एम.एफ.पी. को अवतरित करने की आवश्यकता।

अनुश्रवण की राज्य-वार स्थिति निम्न प्रकार थी:—

आन्ध्र प्रदेश: रिपोर्टों में केवल सांख्यिकी आंकड़े शामिल थे, इसमें योजना को लागू करने पर प्रभाव डालने और अपनाए गए उपचारी उपायों का विश्लेषण नहीं था।

हरियाणा: निदेशक स्तर पर योजना का अनुश्रवण जिलों से प्राप्त केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करने के लिए प्रगति रिपोर्टों के समेकन तक सीमित था। रिपोर्ट में देखी गई कमियों का न तो उल्लेख किया गया था, न ही उपलब्धियों में आई बाधाओं को नियंत्रित करने, उन्हें दूर करने के लिए कोई अनुवर्ती कार्यवाही की गई। राज्य विभाग ने बताया (अप्रैल 1986) कि आवश्यक कार्यवाही नहीं की जा सकी क्योंकि 1983-84 तक योजना हेतु अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध नहीं करवाये गए थे और 1984-85 से उपलब्ध पदों को राज्य सरकार ने संस्वीकृत नहीं किया था।

हिमाचल प्रदेश: जिलों द्वारा रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत नहीं की गई थी और न ही कृषि निदेशालय द्वारा इसे संकलित किया गया।

मध्य प्रदेश: किसी अनुश्रवण सैल की स्थापना नहीं की गई थी। उच्च अधिकारियों को पाक्षिक रिपोर्ट या तो नहीं भेजी गई या देरी से भेजी गई।

नमूना जांच किए गए 8 में से 4 जिलों में गलत प्रगति रिपोर्ट भेजने के मामले देखे गए थे।

पंजाब: मासिक प्रगति रिपोर्टों के स्थान पर केवल तिमाही प्रगति रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार/डी.ओ.डी. हैदराबाद को भेजी गई थी।

सिक्किम: अनुश्रवण संबंधी कोई भी रिपोर्ट लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

पश्चिम बंगाल: निदेशालय के पास तिलहन विकास कार्यक्रम को लागू करने और जिला अधिकारियों के कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए पर्याप्त मशीनरी नहीं थी।

न तो बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों की अग्रिम उपलब्धि की योजना बनाई गई, न ही फसल मौसम से पहले लाभ भोगियों का ठीक प्रकार चयन किया गया था।

आसाम, जम्मू और काश्मीर और मनीपुर में कार्यक्रम के कार्यान्वयन को अनुभवित/आयोजित नहीं किया गया था।

5.4.13 अपर्याप्त कार्यान्वयन मशीनरी:

कार्यक्रम का प्रभावशाली ढंग से निष्पादन करने के लिए कार्यान्वयन मशीनरी आन्ध्र प्रदेश, आसाम, हरियाणा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में पूर्ण से चालू नहीं की गई थी।

5.4.14 मूल्यांकन:

योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने 1976-77 में योजना के लागू करने के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए एक मूल्यांकन कार्यक्रम प्रारम्भ किया था जिसके अन्तर्गत योजना और संगठन, अनुमोदित संवेष्टन अभ्यास, और औसत उपज पर कार्यक्रम का प्रभाव विशेष रूप से शामिल थे। अध्ययन के दौरान उत्पादन के गतिवर्धन में निम्नलिखित आसन्न प्रतिबन्ध देखे गए थे:—

- (i) इन फसलों की वर्षा आधारित खेती बाड़ी का आधिपत्य,
- (ii) कम उत्पादन शक्ति वाली मिट्टी पर खेती
- (iii) महामारी/बीमारियों की उच्च मात्रा में संदिग्धता,
- (iv) प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियां।

रिपोर्ट पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही से संबंधित पत्राचार की फाइले (जून-1986 मंगवाई गई थीं, लेकिन अनुस्मारक के बावजूद भी (जुलाई 1986) यह प्राप्त नहीं हुई (दिसम्बर 1986)। यद्यपि उपर्युक्त मूल्यांकन हुये दस वर्ष बीत गए हैं, मंत्रालय ने यह देखने के लिए कार्यक्रम का फिर से मूल्यांकन नहीं किया कि क्या इन बाधाओं को दूर किया गया था। उपर्युक्त (1) और (2) के संबंध में लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि 1982-83 तक, तिलहनों की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र का केवल 14.9 प्रतिशत सिंचाई खेती के अधीन था (पिछले वर्षों का विवरण उपलब्ध नहीं था)। एस.एम.एफ.पी. योजना के अन्तर्गत, तिलहनों के लघु शैले देश के सभी ब्लॉकों में कृषि मौसम की उपयुक्तता अथवा तिलहनों की कृषि हेतु भूमि की उपयुक्तता के सन्दर्भ में लाये बिना निःशुल्क वितरित किये जाने थे।

आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मध्य-प्रदेश, मनीपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़ और पान्डीचेरी की राज्य सरकारों केन्द्र शासित प्रशासनों ने भी कार्यक्रम का कोई मूल्यांकन अभी तक नहीं किया था।

उत्तर प्रदेश में, राज्य योजना संस्थान ने 1984-85 में कार्यक्रम का एक मूल्यांकन किया था, लेकिन इसकी रिपोर्ट अभी तक (नवम्बर 1986) राज्य सरकार के विचाराधीन थी।

सारांश:

निम्न मुख्य बातें प्रकट होती हैं:-

- 1984 में देश में तेल की खपत लगभग 6 किलोग्राम प्रति व्यक्ति थी जो विश्व की औसत 11 किलोग्राम और विकसित देशों की औसत 26 किलोग्राम से काफी कम थी।
- देश में तिलहनों और खाद्य तेलों के उत्पादन में मांग के अनुसार प्रगति नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप 1976-77 तक विदेशी व्यापार में तिलहनों, खाद्य तेलों, खरल की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, जिसकी देश में बाद में बहुत कमी हो गई।
- खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति का बढ़ता हुआ अन्तर अधिकतर आयात द्वारा पूरा किया गया था जो 1978-79 में 8.21 लाख टन (मूल्य 479.83 करोड़ रुपये) से बढ़कर 1984-85 में यह 13.68 लाख टन (मूल्य 1123.11 करोड़ रुपये) हो गया था। आयातित तेल की मात्रा घरेलू स्रोतों से उपलब्ध तेल की मात्रा से लगभग आधी थी।
- मंत्रालय ने 1966-67 से देश में तिलहनों के उत्पादन को विकसित करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं प्रारम्भ की थी। कार्यक्रम को पंचवर्षीय योजना और नए 20-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत उच्चतम प्राथमिकता दी गई थी। छठी योजना में पिछली योजना की योजनायें चालू रखी जाने पर विचार किया। इसके साथ क्रमशः 1980-81 और 1981-82 में गुजरात में मूँगफली और मध्य प्रदेश में सोयाबीन के विकास हेतु दो विशेष परियोजनाएं प्रारम्भ की गईं। 1984-85 से वर्तमान योजनाओं को एक राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना में परिवर्तित कर दिया गया था।
- कार्यक्रमों में बीजों, फसल सुरक्षा रसायन/उपकरण के निवेश की लागत की आर्थिक सहायता की व्यवस्था। इसमें अधिक प्रदर्शनों को करने, प्रजनक आधार बीजों के उत्पादन तथा प्रमाणित/सत्यनिष्ठता का लेबल लगे बीजों के प्रापण और बीजों और उर्वरकों के लघु थैलों के निशुल्क वितरण हेतु आर्थिक सहायता की भी व्यवस्था थी।

— जबकि परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं पर कार्य हो रहा था, मंत्रालय ने 1983-84 में एक अन्य योजना 4 एस एम एफ पी देश के सभी खण्डों में (इस पर ध्यान दिये बिना कि राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश, तेल बीजों के सम्भावित उत्पादक थे अथवा नहीं) लागू की और बहुत बड़ी तादाद में परस्पर अतिव्यापी घटकों के बीजों के लघु थैले प्रमाणित बीजों की कमी बढ़ाते हुये चल रही योजना में वितरित किये गए।

— यद्यपि छठी योजना के अन्तर्गत तिलहनों के उत्पादन का लक्ष्य लगभग प्राप्त कर लिया गया था, परन्तु मूँगफली की उपलब्धि में गिरावट थी, जो निर्धारित 75 लाख टन लक्ष्य के प्रति 64.36 लाख टन थी। मूँगफली के कम उत्पादन में खाद्य तेलों की आपूर्ति को कहाँ तक प्रभावित किया, इस मात्रा को नहीं ठहराया गया था। 1985-86 के दौरान तिलहन के उत्पादन में सर्वमुखी कमी आई जो 1981-82 के 120.80 लाख टन उत्पादन से भी कम थी। जिसमें मूँगफली के उत्पादन में 55.47 लाख टन की और कमी आई।

— विश्व स्तर के संदर्भ में, अवलोकन करने पर, जबकि विश्व में तीन मुख्य तिलहन (मूँगफली, रेपसीड/सरसों और सोयाबीन) के कृषि क्षेत्र में 1981 की तुलना में 1984 के दौरान 2.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, भारत में इसके क्षेत्र में 0.97 प्रतिशत की कमी आई थी।

— भारत में, 1984 में प्रति हेक्टर उपज अन्य मुख्य तिलहन उत्पादन देशों द्वारा प्राप्त उपज की तुलना में प्रतिकूल थी।

— जबकि गेहूँ के उत्पादन में 85.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, तिलहन के उत्पादन में 1970-71 की अपेक्षा 34.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

— मूँगफली की फसल के हेतु क्षेत्र 1970-71 से (जिसमें जो तिलहन की उपज का कुल 50 प्रतिशत था) 73 लाख हेक्टर पर स्थिर था। वास्तव में मूँगफली के उत्पादन में 1970-71 में 61.11 लाख टन और 1985-86 में 55.47 लाख टन की कमी आई थी।

— राज्य स्तर पर निधियों के इस्तेमाल का विश्लेषण करने पर प्रकट होता है कि छठी योजना के दौरान 14 मुख्य तिलहनों का उत्पादन करने वाले राज्यों में उपलब्ध 13461.75 लाख रुपये में से, जो कुल उत्पादन का 99 प्रतिशत था। केवल 9,036.38 लाख रुपये खर्च किए गए थे। यहाँ तक कि आसाम, बिहार,

- गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश राज्यों ने केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मुक्त अनुदान राशि भी इस्तेमाल नहीं की थी।
- गुजरात में 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में कार्यदिवस के अन्तिम दिन घटकों का उल्लेख किये बिना, जिनसे अनुदान राशि संबंधित थी, 380.30 लाख रुपये निर्मुक्त किये गए थे। 1983-84 में मार्च के महीने में, एक जिला पंचायत द्वारा 44.92 लाख रुपये के कुल खर्चों में से 19.48 लाख रुपये (43 प्रतिशत) खर्च करने का एक उदाहरण था।
 - उड़ीसा राज्य में, निधियां आहरित की गई थी और 1984 तथा 1985 के दौरान 'राजस्व जमा' के रूप में रखी गई तथा माँग प्राप्तियों के रूप में जमा की गई थीं।
 - घटकों वार लक्ष्यों और उपलब्धियों की सूचना मंत्रालय द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। राज्यों में विभिन्न एजेन्सियों द्वारा बताये गये निष्पादन के आंकड़ों में भिन्नता के उदाहरण थे।
 - कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों को सुधरी हुई तकनीक और परिणामित उत्पादन में वृद्धि के लिए शिक्षित करने हेतु प्रदर्शन करने पर विचार किया गया। तथापि, अनेक राज्यों से प्रदर्शनों के परिणाम या तो उपलब्ध नहीं हुये थे अथवा यदि उपलब्ध हुये थे तो अधूरे थे। प्रदर्शनों की सफलता के अनुमान के लिए कोई सिद्धान्त निर्धारित नहीं किये गये थे तथा प्रदर्शनों के पर्यवेक्षण हेतु प्रबन्ध नहीं किये गए थे। इस बात के प्रमाण थे कि प्रति प्रदर्शन में अल्प राशि व्यय की गई तथा जिन भूखण्डों पर प्रदर्शन किये गए, वहाँ उत्पादन में सार्थक उतार-चढ़ाव था-जिसके परिणाम उपलब्ध नहीं थे।
 - अनेक राज्यों में, लघु थैलों में पुरानी किस्म के बीज भर दिये गये थे जबकि योजना का लक्ष्य सुधरे हुये, विश्वासपूर्ण पहले जारी की गई/नई जारी की गई किस्मों के बीजों को लोकप्रिय बनाने का था।
 - अनेक राज्यों ने लघु थैले देरी से अथवा बुवाई के मौसम के पश्चात् मुहैया करवाये गये। अधिकतर राज्यों के पास किसानों का नाम, जिन्हें लघु-थैले जारी किये गए थे, भूमि इत्यादि को दर्शानेवाली रिकार्ड संबंधी सूचना नहीं थी। बहुत से राज्यों में वितरित लघु-थैलों में बीज, उर्वरक और रिजोविअम कल्चर की अपेक्षित मात्रा अथवा निर्दिष्ट अनुपात में बीज नहीं थे।
 - 1983-84 से 1985-86 के दौरान 'एस.एम.एफ.पी.' के अन्तर्गत वितरित 48.12 लाख लघु थैलों में से, 3.53 लाख लघु थैले उन राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में वितरित किये गए जिनका तिलहन के राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान 1984-85 के दौरान नगण्य था (केवल एक प्रतिशत)।
 - मंत्रालय द्वारा बताये गये आधार बीजों का उत्पादन सामान्य गणन अनुपात के अनुसार तुलना में प्रत्याशित उत्पादन सामर्थ्यता से बहुत कम था।
 - नई किस्म के जारी तिलहनों और उनके वाणिज्यिक उत्पादन के मध्य व्यापक अन्तर था। मूँगफली की नई बहुसंख्या में विकसित नई किस्मों के बावजूद भी, दो मूँगफली उगाऊ राज्यों में 40 वर्ष से अधिक पहले विकसित मूँगफली के बीज वितरित किये गए। कृषकों को आवश्यकता अनुसार पूरी मात्रा में बीज मुहैया नहीं करवाये गए थे। बिना परखे, कम अंकुरण शक्ति वाले निम्न स्तर के बीज सिकुड़े हुए दानों का स्वस्थ दानों से अनुपात के अनेक वितरण के मामले देखे गए थे। कुछ राज्यों में ऐसे बीज नीलाम करने पड़े जिनके परिणामस्वरूप हानियां हुईं।
 - बहुत से राज्यों में फसल सुरक्षा हेतु किये गए उपाय अपर्याप्त थे। उत्तर प्रदेश में छठी योजना के दौरान यद्यपि कुल राशि का 59 प्रतिशत फसल सुरक्षा उपायों पर व्यय किया गया था, परन्तु विस्तारित क्षेत्र की कुल विस्तारित क्षेत्र से प्रतिशतता केवल 2.5 और 8.6 प्रतिशत के बीच थी।
 - रिजोविअम कल्चर वितरण हेतु लम्बे समय तक रखे गये थे जिसके परिणामस्वरूप उसमें नश्वरता के कीटाणु उत्पन्न हो गये थे।
 - गुजरात में मूँगफली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए गहन परियोजना के अन्तर्गत (1980-81 से 1983-84) जबकि 4 लाख हैक्टर क्षेत्र और तय किये गये 9.70 लाख टन उत्पादन बढ़ाने हेतु 2499.00 लाख रुपये खर्च गये थे, पर क्षेत्र में केवल 3.50 लाख हैक्टर की वृद्धि हुई और उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई।
 - मध्य प्रदेश में सोयाबीन हेतु 1981-82 से 1983-84 के दौरान लागू विशेष कार्यक्रम, निधियों के कम इस्तेमाल, लक्ष्यों की अनापूर्ति, घटिया किस्म के आपूरित बीजों और अपर्याप्त प्रचार के कारण प्रभावित हुआ। 1981-82 से 1983-84 के दौरान 15 करोड़ रूपयों के परिच्यय के प्रति लगभग 4.34 करोड़ रुपये खर्च गये थे।
 - यद्यपि मंत्रालय विभिन्न तेल बीजों के समर्थनमूल्यों को अधिसूचित करता रहा था, नाफेड द्वारा इन मूल्यों पर कोई खरीद नहीं की गई थी। इस प्रकार छठी योजना के लिए निर्धारित नीति लक्ष्यों में से एक अर्थात् कि मूल्यों में गिरावट को मूल्य समर्थन से प्रश्रय दिया जाये, कार्यान्वयन बिना रहे।
 - केन्द्रीय/राज्य स्तर पर अनुश्रवण अपर्याप्त था। मंत्रालय के अधिकारियों की अनुवर्ती कार्यवाही हेतु कमियों को दूर करने के

लिए राज्यों के भ्रमण की रिपोर्ट मंगवाई गई थी (जून 1986)। लेकिन यह रिपोर्ट प्रतीक्षित थी। कार्यक्रम को लागू करने में बहुत सी कमीयां जैसे निधियों का कम प्रयोग, निधियों का देरी से जारी करना इत्यादि, जिनके परिणामस्वरूप कार्यक्रम का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका, इससे पता चलेगा कि मशीनरी को पूरी तरह कसा नहीं गया था।

- राष्ट्रीय तिलहन और खाद्य तेल विकास बोर्ड की स्थापना कार्य मार्च 1984 में बड़े आशान्वित उद्देश्यों के साथ उसे अभी अपना कार्य आरम्भ करना था।
- योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संघ ने 1976-77 में कार्यक्रम का मूल्यांकन आरम्भ किया था तथा उत्पादन की प्रगति में बाधकों की एक सूची बनाई थी। मंत्रालय द्वारा की गई अनुवर्ती कार्यवाही का विवरण उपलब्ध नहीं था। दस वर्ष की अवधि बीत जाने के पश्चात् भी मंत्रालय ने कार्यक्रम का पुनः मूल्यांकन नहीं किया था। राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों (हरियाणा और उत्तर प्रदेश को छोड़कर) ने भी कोई मूल्यांकन नहीं किया। उत्तर प्रदेश की मूल्यांकन रिपोर्ट राज्य सरकार के पास विचाराधीन थी।

6. मूल अभिलेखों के अनुरक्षण में त्रुटियां एवं अनियमितताएं।

कृषि मंत्रालय (कृषि, सहकारिता एवं ग्रामीण विकास विभाग इसके बाद जिसे मंत्रालय सम्बोधित किया गया) एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों/संगठनों की लेखापरीक्षा के दौरान पायी गयी वित्तीय अनियमितताओं एवं त्रुटियों को विभागीय अधिकारियों को भेजी गई निरीक्षण रिपोर्टों में, समय-समय पर आवश्यक कार्यवाही हेतु, शामिल किया गया था। 260 निरीक्षण रिपोर्टों में अन्तर्विष्ट 776 पैराग्राफ, जो मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयाध्यक्षों को 31 दिसम्बर 1985 तक जारी की गयी थी, का निपटान 30.6.86 तक लंबित था। बकाया के वर्षवार व्यौरे परिशिष्ट III और IV में दिये गये हैं।

कुछ पैराग्राफों के विश्लेषण से पता चला कि एतराज जो निपटान के लिए बकाया थे उनमें मुख्य रूप में इनका समाविष्ट था:—

	राशि लाख रु. में
प्रत्यायोजित शक्तियों से अधिक किया गया खर्च	40.20
सरकारी देयताओं की उगाही में देरी	45.61
विभिन्न राज्य सरकारों के प्रति बकाया दावे	230.47
विभागीय अधिकारियों को दिये गये आकस्मिक	
अग्रिम का असमायोजन	142.52
उपयोगिता प्रमाण पत्रोंकी अप्राप्तियां	21,151.00

बिना निपटान बचे हुए कुछ मुख्य मुद्दे नीचे दिये गये हैं:—

6.1 छ: बी.जी. रैफ्रीजरेटिड रेल वानों के निर्माण में 55.78 लाख रु. का अवरोधन

मंत्रालय ने 1975-77 के दौरान रेल मंत्रालय को 6 बी.जी. रैफ्रीजरेटिड रेलवानों के निर्माण हेतु 55.78 लाख रुपये का अग्रिम भूगतान किया।

मंत्रालय (मत्स्य विभाग) ने मार्च 1979 में विचारा कि रैफ्रीजरेटिड रेलवान का क्रियान्वयन आर्थिक रूप से व्यवहार्य न होगा और इसलिए आदेश को स्थागित करने का निर्णय लिया। तथापि केन्द्रीय रेलवे उस समय तक कार्य पर 13 लाख रुपये (लगभग) खर्च कर चुकी थी। रेलवे बोर्ड ने सूचित किया कि अगर मंत्रालय ने अन्तिम रूप में फैसला कर लिया कि उन्हें वानों की आवश्यकता नहीं होगी तो वानों के लिये जिनका प्रयोग रेलवे की अपनी आवश्यकताओं के लिये किया जा सकता था, के हेतु प्राप्त की गयी। निर्मित की गई वस्तुओं का क्रेडिट दे दिया जायेगा। लेकिन अवशेष वस्तुएं मंत्रालय द्वारा वापस लेनी पड़ेंगी। इस संबंध में अन्तिम कार्यवाही प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 1986)।

13 लाख रुपये (लगभग) अब तक किया गया खर्च अनुत्पादक रहा। 42.78 लाख रु. (55.78 लाख रुपये—13 लाख रुपये) की अप्रयुक्त राशि रेलवे से वापस प्राप्त नहीं की गई थी।

6.2 वित्तीय शक्तियों से अधिक स्टेशनरी वस्तुओं की स्थानीय खरीद

25,000 रुपये की निर्धारित वार्षिक सीमा के प्रति स्टेशनरी वस्तुओं की स्थानीय खरीद क्रमशः वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85, 1985-86 में 1.33 लाख रु., 6.21 लाख रु., 5.97 लाख रु., 8.37 लाख रु., 11.10 लाख रु. तथा 7.22 लाख रु. की गयी। इसको नियमित नहीं कराया गया (31.7.86)।

6.3 राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से कुल 45.61 लाख रु. की हवाई छिड़काव प्रभारों की गैर वसूली।

वर्ष 1965-66 से 1984-85 के दौरान किये गये हवाई छिड़काव के निमित्त राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के प्रति कुल 45.61 लाख रु. की वसूली (वर्षवार व्यौरे नीचे दिये गये हैं) बकाया थी (अक्तूबर 1985) जिनमें से 8.89 लाख रुपये 5 से 20 वर्ष से बकाया थे।

वसूली की अवधि	राशि लाख रुपयों में
1965-66 से 1977-78	2.30
1978-79	3.51
1979-80	3.08
1980-81	5.42
1981-82	15.93
1982-83	4.87
1983-84	4.59
1984-85	5.91
	45.61

6.4 विभिन्न राज्य सरकारों के प्रति 230.47 लाख रुपये के बकाया दावे

विभिन्न राज्य सरकारों के प्रति 31.3.85 को 1977-78 से 1983-84 तक (वर्षवार व्यौरे नीचे दिया गया है) के समय से सम्बन्धित उर्वरक आदि की लागत हेतु 230.47 लाख रुपये के दावे बकाया थे। वर्ष 1984-85 के

दौरान सिर्फ 10.69 लाख रुपये के दावे वसूल किये गये।

वर्ष	राशि (लाख रुपये में)
1977-78	2.80
1978-79	9.68
1979-80	9.01
1980-81	88.64
1981-82	21.93
1983-84	98.41
	230.47

6.5 निरर्थक निवेश

निदेशक भेड़ जनन फार्म, हिसार द्वारा मार्च 1978 में भेड़ों की लाशों को ठिकाने हेतु 1.61 लाख रुपये की खरीदी गयी मशीनरी अभी तक (अगस्त 1986) कुशल स्टाफ की कमी की वजह से लगायी नहीं गयी थी।

6.6. अनुपयोगी भंडार का गैर निपटाव

विभाग की तीन यूनिटों में, 1979-80 से 1982-83 तक 2.43 लाख रुपये मूल्य के अनुपयोगी भंडार बेकार पड़े हुए थे।

6.7. मजदूरी का अधिक भुगतान

भेड़ जनन फार्म, हिसार में लगाये गये मजदूरों को जुलाई 1982 से अक्टूबर 1982 के दौरान निर्धारित दरों में ऊँची दरों पर मजदूरियों का भुगतान किया गया जिसके परिणामस्वरूप 1.19 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ। अधिक भुगतान को अभी तक नियमित नहीं कराया गया (दिसम्बर 1986)।

6.8. आपत्ति के अन्तर्गत रखे गये भारी बकाया

विस्तृत बिलों, उपवाउचरों, भुगतान प्राप्त कर्ता को टिकट लगी रसीद तथा संस्वीकृति आदि की प्राप्ति पर निगरानी रखने के लिए भुगतान हेतु पारित की गई राशियां आपत्ति पुस्तिका में नोट की जाती हैं। यह पाया गया था कि वेतन एवं लेखाधिकारी, कृषि एवं सहकारिता विभाग (मार्च 1985 की समाप्ति पर) तथा वेतन एवं लेखाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग (मार्च 1986 की समाप्ति पर) के खातों में 31.92 लाख रु. की राशि (वर्षवार व्यौरा नीचे दिया गया है) आपत्ति के अन्तर्गत पड़ी हुई थी।

कृषि एवं सहकारिता विभाग

वर्ष	मदों की संख्या	राशि (लाख रुपयों में)
1977-78 से		
1980-81	11	3.09
1981-82	2	3.01
1982-83	15	1.63
1983-84	25	5.87
1984-85	29	5.64
	82	19.24

ग्रामीण विकास विभाग

वर्ष	मदों की संख्या	राशि (लाख रुपयों में)
1977-78 से		
1980-81	—	—
1981-82	—	—
1982-83	2	6.9
1983-84	26	3.5
1984-85	15	2.1
	43	12.6

6.9 142.52 लाख रु. के आकस्मिक अग्रिम का असमायोजन

1976-77 से 1984-85 के दौरान (वर्षवार व्यौरा नीचे दिये हैं) विभागीय अधिकारियों को जारी किया गया कुल 142.52 लाख रुपये का आकस्मिक अग्रिम, वेतन एवं लेखाधिकारियों के खातों में असमायोजित पड़ा हुआ था (31 जुलाई 1985)। कुल 51.52 लाख रुपये की अग्रिम राशि 5 वर्षों में अधिक पुरानी थी। नियमानुसार इन अग्रिमों के खाते, उन कार्यों, के पूरे होने के तुरन्त बाद जिन के लिये अग्रिम दिये गये थे, प्रस्तुत किये जाने जरूर थे।

वर्ष	राशि (लाख रुपयों में)
1976-77 से 1979-80	51.5
1980-81	6.4
1981-82	14.5
1982-83	18.8
1983-84	19.7
1984-85	31.4
	142.5

6.10. मूल अभिलेखों के अनुरक्षण में कमियां

मंत्रालय/उसके अधीनस्थ कार्यालयों के मूल खाता अभिलेखों के अनुरक्षण में निम्न कमियां/त्रुटियां पायी गयी थी।

6.10.1 मूल्यवान वस्तु रजिस्टर

वेतन एवं लेखाधिकारी कार्यालयों में प्राप्त बैंक ड्राफ्टों/या चैकों के मूल्यवान वस्तु रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है और तब उनको बैंक में सरकारी खाते में जमा करने के लिए भेजा जाता है। वे बैंक ड्राफ्ट/चैकों जिनका संगत क्रेडिट बैंक सूची में दृष्टिगोचर नहीं हुआ उनकी छानबीन की जानी थी। यह पाया गया था कि वर्ष 1982-83 से 1985-86 तक (नवम्बर 1985) बैंकों में जमा कराये गये 1,82,723.72 रुपये (व्यौरा नीचे दिये गये हैं) के मांग पत्र/चैक सरकारी खाते में क्रेडिट नहीं कराये गये थे क्यों कि वे

बैंक से प्राप्त क्रेडिट स्क्रोल में नहीं दर्शाये गये थे।

वर्ष	चैकों की संख्या	राशि
1982-83	36	94068.00
1983-84	1	480.00
1984-85	16	76043.47
1985-86		
(नवम्बर 1985 तक)	2	12132.25
		1,82,723.72

6.10.2 लेखापरीक्षा को वाउचरों का प्रस्तुत न किया जाना

निरीक्षण के दौरान 1979-80 से 1983-84 तक से सम्बन्धित 53 प्रदत्त वाउचरों (67,121 रुपये के) को लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। उनकी अनुपस्थिति में रोकड़ बही की प्रविष्टियों की सत्यता तथा उनके भुगतान का सत्यापन नहीं किया जा सका।

6.10.3 भवन निर्माण अग्रिम का रजिस्टर और बाउंड शीट

1976-77 से बकाया मकान निर्माण अग्रिम/ब्याज का बकाया शेष प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर निकाले और सम्बन्धित व्यक्तियों को अभी स्वीकृति हेतु सूचित नहीं किये गये थे। जहां अग्रिम 1976-77 से 1983-84 के दौरान संस्वीकृत किये गये थे वहां 19 मामलों में कर्जदारों द्वारा भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में बन्धक विलेख क्रियान्वित नहीं किये गये थे।

6.10.4 सहायक अनुदान रजिस्टर

सहायक अनुदान की स्वीकृति के 18 महीने के समय के अन्दर संस्वीकृति अधिकारी को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करके वेतन एवं लेखाधिकारी को भेजना अपेक्षित है। कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा राज्य सरकारों/स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को 1976-77 से 1984-85 (30.9.84) के दौरान भुगतान किये गये सहायक अनुदान से सम्बन्धित कुल 106.97 करोड़ रुपये के 31.3.86 तक देय 616 उपयोगिता प्रमाण पत्रों में से 98.78 करोड़ रुपये के 546 मामलों के प्रमाण पत्रों जिनका विवरण नीचे दिया गया है, प्रतीक्षित थे।

(रुपये करोड़ में)

अवधि	देय		प्राप्त हुए		उपयोगिता प्रमाण पत्र	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1976-77 से						
1979-80	236	12.60	21	1.25	215	11.35
1980-81	35	3.43	4	0.77	31	2.66
1981-82	58	9.47	10	1.20	48	8.27
1982-83	74	8.61	8	3.62	66	4.99
1983-84	126	16.12	9	0.89	117	15.23
1984-85						
(9/84 तक)	87	56.74	18	0.46	69	56.28
कुल	616	106.97	70	8.19	546	98.78

ग्रामीण विकास विभाग के मामले में ये कुल 112.73 करोड़ रु. के 402 मामलों में (विवरण नीचे दिया गया है) प्रतीक्षित थे।

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	देय		प्राप्त हुए		उपयोगिता प्रमाण पत्र	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1976-77 से						
1979-80	731	208.62	595	174.89	136	33.73
1980-81	301	69.05	223	52.48	78	16.57
1981-82	402	127.03	344	112.07	58	14.96
1982-83	424	173.58	373	153.03	51	20.55
1983-84	398	183.83	337	160.54	61	23.29
1984-85						
(9/84 तक)	302	71.05	284	67.42	18	3.63
कुल	2558	833.16	2,156	720.43	402	112.73

परमाणु ऊर्जा विभाग

7. नाभिक ईंधन समूह हैबराबाद में ट्यूब संयंत्रों का कार्यचालन

7.1 प्रस्तावनात्मक:

दिसम्बर 1968 में स्थापित, नाभिक ईंधन समूह (ना.ई.स.), अणु ऊर्जा विभाग (विभाग) के अंतर्गत एक संघटित नाभिक ईंधन निर्माण करने वाली सुविधा है, ना.ई.स. नाभिक ईंधन निर्माण संयंत्र रासायनिक एवं धातु विज्ञान संयंत्र एवं सीवनहीन स्टेनलैस-इस्पात ट्यूब और बॉल वीयरिंग ट्यूबों (संयंत्र) के उत्पादन के लिए दो संयंत्र रखता है।

यह अनुमान लगाया गया था (1970) कि नाभिक ईंधन ट्यूबों की वार्षिक जरूरत 50 टन थी जो बढ़कर लगभग 75 टन हो जायेगी। निष्कासन प्रक्रिया माध्यम से नाभिक ईंधन ट्यूबों के निर्माण करने के लिए दो प्रैस (630 टन सीधे और 3150 टन सपाट) 1.50 करोड़ संयंत्रों (लगभग) की लागत के विदेश से प्राप्त (1965-66) किये गए थे।

जबकि ट्पडे प्रैस का पूरा उपयोग किया जा सका, 63 प्रतिशत उपलब्धता के 300 चलाये गये दिनों के परिचालन पर तीन खेप में उपलब्ध 4536 घण्टों के प्रति सपाट प्रैस केवल 800 घण्टे के लिए प्रयोग किये जा सके। सपाट प्रैस की अतिरिक्त क्षमता के उपयोग हेतु विभाग ने प्रतिवर्ष सीमलेस स्टेनलैस स्टील टूल्स के 20,000 टनों के उत्पादन के लिए एक भारतीय परामर्शदाता को एक संभावित प्रतिवेदन तैयार करने के लिए लगाया था। परामर्शदाता ने अपना प्रतिवेदन मार्च 1969 में प्रस्तुत किया। उक्त प्रतिवेदन विभाग तथा अन्य बाजार खुपिया सीमित बाजार सर्वेक्षण के आधार पर विभाग द्वारा सरकार ने प्रतिवर्ष दो हजार टन ट्यूबों के उत्पादन हेतु एक सीमलेस स्टेनलैस स्टील ट्यूबस संयंत्र की स्थापना के लिए संस्वीकृति दी (दिसम्बर 1971) जो केवल 1000 संचालन घण्टों का उपयोग कर सकेगा। यह अनुमान भी लगाया गया था कि उत्पादन के स्थिर होने पर निर्यात बाजार प्रदान करने हेतु तीसरे वर्ष में क्षमता दुगनी हो जायेगी। तथापि अगस्त 1986 तक भी प्रतिवर्ष 2000 टनों का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया था।

चूंकि संयंत्र अभी कम उपयोगी था, उसी परामर्शदाता से बाल-वैयरिंग स्टील ट्यूबस तथा तेल कूचों के ड्रिल-पाइपे के उत्पादन के लिए एक अन्य सम्भावित प्रतिवेदन तैयार करने का अनुरोध किया गया था। प्रतिवेदन में (मार्च 1975) प्रतिवर्ष 15,000 टन बाल-वैयरिंग स्टील ट्यूब और 3000 तकनीकी जानकारी के लिए भुगतान की गई अनुमानित रायल्टी एवं वास्तविक रायल्टी की प्रतिशतता:

वर्ष	उत्पादन मी.ट.	अनुमानित रायल्टी प्रतिशतता	वास्तविक रायल्टी प्रतिशतता	
1978-79	30.49	1.25	82.02	* प्रतिशतता, ट्यूबों की अनुमानित तथा वास्तविक उत्पादन से सम्बन्धित प्रतिटन पर दी गई रायल्टी की प्रतिशतता दर्शाती है
1979-80	106.61	1.25	23.45	
1980-81	665.22	0.10*	3.75	
1981-82	533.68	0.10*	4.68	
1982-83	1104.96	0.10*	2.26	

* यह अनुमान लगाया गया था कि तीसरे वर्ष में सीमलेस स्टेनलैस ट्यूबों का उत्पादन दुगना हो जायेगा और बाल वैयरिंग ट्यूबों की प्रतिस्थापित क्षमता को भी तीसरे वर्ष से लेखे में रखा गया था।

टन तेल कूचों के ड्रिल पाइपों के उत्पादन सुविधा की स्थापना का प्रस्ताव था।

विभाग ने फरवरी और मार्च 1976 में स्वयंने बजार सर्वेक्षण किया। सम्भाव्य प्रतिवेदन में, विभागीय बाजार सर्वेक्षण प्रत्याशित मांग एवं अन्य संयंत्र की क्षमता (सीधे भेदक/बढ़े हुए प्रैस) को ध्यान में रखते हुए विभिन्नता के अंग के रूप में सम्मिलित किया, प्रतिवर्ष अलाप-स्टील ट्यूब के 20,000 टन का लक्ष्य निर्धारित किया था।

7.2 परामर्श एवं शुल्क का भुगतान:

छड़ों से स्टील ट्यूब के गर्म निष्कासन का एक मुख्य पहलू में से एक ग्लास लुब्रिकेशन तकनीक को लागू करना है जो कांस में विकसित उजिन सेजोर्नेट प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है। एक विदेशी परामर्शदाता इस प्रक्रिया के पेटेंट का धारक था। विभाग ने (मार्च 1972) उस प्रक्रिया के उपयोग करने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण एवं उन्नत तकनीकी की हिस्सेदारी सहित दस वर्ष की अवधि के लिए उक्त परामर्शदाता के साथ एक सहयोग सहमति की। विभाग 5.50 लाख डालर (41.50 लाख रुपये) जो 1.50 लाख डालर लाइसेंस शुल्क एवं 4 लाख डालर रायल्टी के रूप में बना हुआ था की एक मुश्त भुगतान के लिए राजी हो गया था। विभाग ने 1.50 लाख डालर के कुल भुगतान की वरीयता में तकनीकी जानकारी की फीस तथा संयंत्र के शुरू होने की तिथि से 10 वर्ष के लिए निष्कासन संयंत्र को आपूर्ति किया गया। प्रतिवेदन धातु की कीमत के 2.5 प्रतिशत की दर से रायल्टी के रूप में भुगतान की इस पद्धति को चुना था।

एक मुश्त भुगतान के लिए मूलाधार इस हिसाब पर आधारित था कि 41.50 लाख रुपये की एक मुश्त तकनीकी जानकारी शुल्क 8 प्रतिशत ब्याज के आदेश देने के बाद 5 वर्ष की अवधि में 10 लाख रुपयों के वार्षिक भुगतान के बराबर था। यह प्रतिस्थापित क्षमता प्रतिवर्ष 2000 टन उत्पादन पर 500 रुपये प्रति टन आंकलित की गई थी। 40,000 रु. प्रतिटन के आयातित ट्यूबों के भूमिगत मूल्य के शर्त में उत्पादन का औसत मूल्य का आश्वासन देकर भुगतान 1.25 प्रतिशत कर निबल था या 2.50 प्रतिशत सकल था। विभाग का विचार था कि शुल्क 5 प्रतिशत से बहुत कम था जो तकनीकी जानकारी की ऐसी हिस्सेदारी के लिए सामान्य था। तथापि, वास्तविक उत्पादन प्रतिस्थापित क्षमता से बहुत कम था और पांच वर्षों के लिए वास्तविक उत्पादन के आधार पर भुगतान की गई रायल्टी निम्न अनुसार आंकलित की गई थी:-

विभाग द्वारा तब निर्धारित प्रक्षेपों और लक्ष्यों के आधार पर बढ़ाया हुआ वार्षिक शुल्क की बरीयता में इस प्रकार एक मुश्त भुगतान अलाभकारी सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक उत्पादन प्रत्याशित उत्पादन से बहुत कम था।

7.3 आर्थिक व्यवहार्यता

व्यवहार्यता प्रतिवेदन (मार्च 1969) के अनुसार ना.ई.स. में उत्पादन लागत और संयंत्र हेतु चुनी गई मिलीजुली उत्पादन सामग्री की भूमिगत लागत निम्नानुसार थी:-

गुण और आकार	ना.ई.स.की		आयतित लागत सी.आई.एफ. सीमा शुल्क सहित
	प्रति टन कुल लागत		
एस एस ए आई एस आई-304 80 मिमी में 140 मिमी ओडी बहिर्वेधित था 50 मिमी से 75 मिमी ओडी कोल्ड पि्लग्रेड 75 मिमी से 115 मिमी ओडी कोल्ड ड्रान	16,857	11,700	17,865
	17,375	12,100	18,285
	17,793	12,110	18,285

(रुपयों में) (रुपयों में)

यद्यपि ना.ई.स. में ट्यूबों की उत्पादन लागत सामग्री की भूमिगत लागत से कम थी, परामर्शदाता ने संयंत्र स्थापित करने की सिफारीश नहीं की थी। परामर्शदाता के अनुसार "स्टील ट्यूबों के उत्पादन के लिए यह अधिक अतिरिक्त निवेश (अपेक्षित) से केवल जिरकालोई निष्कासन प्रेस प्रस्थापना की अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करना है, जो उत्पादन की उंची कीमत के विचार से न्याय संगत नहीं दिखाई देती।" परामर्शदाता द्वारा यह भी बताया गया था कि ना.ई.स. को तकनीकी और परिचालन कर्मचारियों को नई सुविधाओं पर काम करने के लिए प्रशिक्षित करना था के अतिरिक्त विस्तृत वाणिज्य संघ की स्थापना करनी होगी।

विभाग ने परियोजना की स्वीकृति दी (अप्रैल 1971) तथा निवेश की गई पूंजी पर तथा परिचालन तथा विपणन लागत पर 15 प्रति शत के लाभ की आशा की। विभाग से निवेश की गई पूंजी इत्यादि पर लाभांश की दर को परिकलित तथा सूचित करने का अनुरोध किया गया था तथा उत्तर प्रतिक्षित था (दिसम्बर 1986)। यद्यपि, दोनों संयंत्रों में केवल घन्टे इकठ्ठे थे निवेश पर लाभांश शून्य से भी कम है। जब विभाग का ध्यान इस ओर दिलवाया गया तो उसने बताया (दिसम्बर 1986) कि बड़े आणुविक शक्ति कार्यक्रमों के लिए जिरकालोई पैदावार के बड़े उत्पादन के लिए संयंत्र के उपयोग करने की संभावनाओं का परीक्षण हो रहा था।

7.4 वित्तीय संस्वीकृति

समय समय पर ट्यूब संयंत्रों के लिए दी गई वित्तीय संस्वीकृतियां निम्न प्रकार थीं:-

सारणी

वित्तीय संस्वीकृतियों का आवधिक उर्ध्वगामी संशोधन (क) सीमलेस स्टैनलैस स्टील संयंत्र

संस्वीकृति का मास और वर्ष	कुल राशि (रुपयें लाखों में)	इसमें शामिल किये गये विदेशी विनिमय के षटक (लाख रुपयों में)
दिसम्बर 1971	412.70	208.85
अप्रैल 1976	1245.00	599.00
अगस्त 1979	1304.00	620.00

(ख) बाल वेयरिंग ट्यूब संयंत्र

अप्रैल 1976	2326.00 (लाख रुपयों में)	745.00
जून 1978	5186.50	1674.00

संस्वीकृतियों के उर्ध्वगामी संशोधन निम्न कारणों से थीं:-

(i) सीमलेस स्टैनलैस ट्यूब संयंत्र

- आयातित और देशज उपकरणों की लागत में वृद्धि
- सीमा शुल्क में बढ़ोत्तरी और विनिमय दरों में अंतर आदि
- सामग्री, श्रम, जल और विद्युत शक्ति की लागत में वृद्धि के परिणामस्वरूप सिविल तथा संरचनात्मक कार्य की बढ़ी हुई लागत

(ii) बाल वेयरिंग ट्यूब संयंत्र

- उद्योगों की मांगों को उपयुक्त बनाने हेतु मिले उत्पादन में परिवर्तन तथा संयंत्र और मशीनरी के लिए बाद में अतिरिक्त पुर्जों की खरीद
 - कार्य के लिए आवश्यक समझी जाने वाली कुछ अतिरिक्त सुविधाओं का समावेश।
- सी.स्टे. ट्यूब संयंत्र पर कार्य जनवरी 1973 में प्रारंभ हुआ और मार्च 1978 में पूर्ण हो गया था। वाणिज्यिक उत्पादन अप्रैल 1978 में आरंभ हुआ।

बा.वि. ट्यूब संयंत्र पर कार्य दिसम्बर 1976 में आरंभ हुआ और सितंबर 1981 में पूर्ण हो गया था। वाणिज्यिक उत्पादन अक्टूबर 1981 में आरंभ हुआ मार्च 1986 तक, वास्तविक व्यय

सी.स्टे.स्टी. ट्यूब संयंत्र के लिए 1299.62 लाख रुपये और बा.वि. ट्यूब संयंत्र के लिए 4004.08 लाख रुपये था।

7.5 क्षमता उपयोगिता

निम्न सारणियां प्रस्थापित क्षमता, तथा लक्षित तथा सी.स्टे. ट्यूबों के वास्तविक उत्पादन तथा मार्च 1986 तक संयंत्र द्वारा निर्मित बा.वि. ट्यूबों के विभिन्न श्रेणियों को दर्शाती हैं।

सी.स्टे. संयंत्र का निष्पादन

उत्पादन का वर्ष	प्रतिस्थापित वार्षिक क्षमता	लक्षित उत्पादन	वास्तविक उत्पादन	प्रतिस्थापित क्षमता के उत्पादन की प्रतिशतता	लक्षित उत्पादन के उत्पादन की प्रतिशतता
	मीटरी टन	मीटरी टन	मीटरी टन		
1978-79	2,000	अनिर्धारित	30.48	1.52	—
1979-80	2,000	213	106.61	5.33	50.05
1980-81	2,000	480	511.75	25.59	106.61
1981-82	2,000	615	289.76	14.49	47.00
1982-83	2,000	537	301.18	15.06	56.09
1983-84	2,000	405	393.51	18.85	97.16
1984-85	2,000	470	393.89	29.00	83.80
1985-86	2,000	575.40	575.46	28.77	100.01

निर्धारित लक्ष्यों की न प्राप्त करने के लिए जो, प्रतिस्थापित क्षमता की तुलना में बहुत कम थी, के निम्न कारण बताये गये थे:—

— निष्कासित छड़ों की अनुपलब्धता

— कुछ उपभोक्ताओं द्वारा अपेक्षित पाइपों के लिए संकीर्ण सहिष्णुता,
— अधिक अस्वीकृतियां, तथा
— लघु आकार की ट्यूबों इत्यादि का निर्माण

सारणी

सी.स्टी. संयंत्र का निष्पादन

उत्पादन का वर्ष	प्रतिस्थापित वार्षिक क्षमता	लक्षित उत्पादन	वास्तविक उत्पादन	प्रतिस्थापित क्षमता के उत्पादन का प्रतिशत	लक्षित उत्पादन के उत्पादन की प्रतिशतता
	मी. टन	मी. टन	मी. टन		
1980-81	21,000	2,000	153.47	0.73	7.67
1981-82	21,000	2,000	243.92	1.16	12.80
1982-83	21,000	2,000	803.78	3.82	40.19
1983-84	21,000	2,000	1,538.65	7.32	76.93
1984-85	21,000	2,000	2,131.25	10.15	106.56
1985-86	21,000	2,125	2,765.87	13.17	130.15

कमी के कारण निम्न प्रकार बताये गये थे:—

— अनुरक्षण और प्रक्रिया समस्याएँ उत्पन्न करके 1981-82 के दौरान 150 वी.एम. आर. मिल टूट गई थी

— 1982-83 में 150 वी.एम. आर मिल सी.स्टे. ट्यूब के उत्पादन के लिए उपयोग की गयी थी

— निष्कासित छड़ों की अनुपलब्धता तथा 1983-84 में विद्युत की कमी, और

— उत्पादन का आदेशों इत्यादि तक रोक लगाना।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 1986) कि लक्ष्य जो प्रतिस्थापित क्षमता से कम थे, बकाया पड़े और प्रत्याशित आदेशों को लेकर निर्धारित किये गये थे। लेखापरिक्षा में यह भी देखा गया कि बेची गई ट्यूबों वर्ष प्रति वर्ष निर्मित ट्यूबों की तुलना में बहुत कम थी, जैसा कि सारणी प्रदर्शित करती थी।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के लिए ड्रिल-पाइपें (ते. प्रा. गै. आ)

ना.ई.स. ने तेल ड्रिल-पाइपों के उत्पादन करने का निश्चय किया और ऐसी ड्रिल पाइपों की और 32 पाइपों का उत्पादन किया। इन पाइपों की उत्पादन लागत प्रतीक्षित थी (अगस्त 1986)। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की आपूर्ति के लिये 1979-80 में उठाया गया यह एक विकासात्मक प्रयास था। तथापि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोगने, इन ट्यूबों को स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह "टूल ज्वाइंटस" सहित इस्तेमाल के लिए तैयार

ड्रिल-पाइपें चाहते थे। ना.ई.स. तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा वांछित पाइपों का उत्पादन नहीं कर सका अतः आगे और उत्पादन नहीं किया गया।

क्षितिज निष्कासन प्रैस की क्षमता की उपयोगिता

क्षितिज मिलों के उपलब्ध 4536 प्रैस परिचालन घन्टों के प्रति पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमानित परिचालन घन्टों की संख्या विभिन्न उत्पादनों के लिये वास्तविक आर्बिटिट निम्न प्रकार थे:-

सारणी

निष्कासन संयंत्र का अनुमानित और वास्तविक उपयोग

वर्ष	जिरकालौजी		सी.स्टी.		बा.बि.		योग		उपयोगिता/ प्रतिशतता
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
	अनुमानित घन्टे	वास्तविक घन्टे	अनुमानित घन्टे	वास्तविक घन्टे	अनुमानित घन्टे	वास्तविक घन्टे	अनुमानित घन्टे	वास्तविक घन्टे	
1983-84	800	400	1000	1000	2736	1300	4536	2700	59.52
1984-85	800	600	1000	1150	2736	1200	4536	2950	65.04
1985-86	800	600	1000	1200	2736	300	4536	2100	46.30

उपर्युक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि इन तीनों उत्पादनों के लिये मशीन घन्टों की वास्तविक उपयोगिता उपलब्ध घन्टों की तुलना में कम

थी। उसके अतिरिक्त सी.स्टी. और बा.बि. ट्यूबों के वास्तविक उत्पादन को सन्दर्भ में इस्तेमाल किये गए वास्तविक मशीन घन्टों में समानुपात नहीं था।

बिक्रियाँ:- दोनों उत्पादों के बिक्रियों के आंकड़े निम्न प्रकार थे:-

सारणी

ट्यूबों का उत्पादन तथा बिक्री

वर्ष	सी.स्टी.				बा.बि.			
	वास्तविक उत्पादन	बिक्री	बिक्री की कीमत	उत्पादन की बिक्री के साथ प्रतिशतता	वास्तविक उत्पादन	बिक्री	बिक्री की कीमत	उत्पादन की बिक्री के साथ प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1978-79	30.48	182.47	82.16	96.63				
1979-80	106.61							
	137.09							
1980-81	511.75	174.97	119.52	34.19	153.47	114.23	23.59	74.43
1981-82	289.76	277.19	272.82	95.66	243.92	100.21	21.64	41.08
1982-83	301.18	305.78	322.06	101.53	803.78	501.32	98.34	62.37
1983-84	393.51	379.74	555.27	96.49	1538.65	1165.83	221.50	75.77
1984-85	393.89	232.17	320.38	58.94	2132.25	1376.41	370.85	64.55
1985-86	575.46	469.11	684.48	81.52	2765.87	1140.85	283.26	41.25

यद्यपि, प्रतिस्थापित क्षमता की तुलना में स्वयं उत्पादन बहुत कम था, बिक्री उससे भी कम थी, उत्पादन को और कम करने की जरूरत हुई जिसके परिणामस्वरूप क्षमता का गंभीर रूप से कम उपयोग हुआ और स्टॉक जमा हो गया।

7.6 अन्तिम स्टॉक:-

पिछले 6-7 वर्षों के दौरान ट्यूबों के अन्तिम स्टॉक को नीचे दिखाया गया है:-

सारणी

सी.स्टे. संयंत्र का निष्पादन

वर्ष	सी.स्टी				बा.वि. ट्यूब			
	अथ शेष	वास्तविक उत्पादन	बिक्री	अंत शेष	अथ शेष	वास्तविक उत्पादन	बिक्री	अन्तः शेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(टनों में)								
1978-79	—	30.48						
1979-80		106.61						
		<u>137.09</u>	132.47	4.62				
1980-81	4.62	511.75	174.97	341.40	—	153.47	114.23	39.24
1981-82	341.40	289.76	277.19	353.97	39.24	243.92	100.21	182.95
1982-83	353.97	301.18	305.78	349.37	182.95	803.78	501.32	485.41
1983-84	349.37	393.51	379.74	363.14	485.41	1538.65	1165.83	858.23
1984-85	363.14	393.89	232.17	524.86	858.23	2132.25	1376.41	1614.07
1985-86	524.86	575.46	469.11	631.21	1614.07	2765.87	1140.85	3239.09

वर्ष के पश्चात वर्ष में बढ़ते हुये स्टॉक के विशाल भण्डार का परिणाम करोड़ों रुपयों की सीमा तक साधनों का अवरोध हुआ।

7.7 व्यापार देयतायें

कानूनी सलाहकार से मशवरा करके ना.ई.स. द्वारा निश्चय की गई ट्यूबों की बिक्री की मानक शर्तों का या तो पालन नहीं किया गया या प्रत्येक मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा छूट दी गई, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 1986 तक उठाये गये बीजकों के बारे में 30 नवम्बर 1986 को निम्नलिखित राशियों विभिन्न प्राइवेट पार्टियों और एजेंसियों पर देय हो गई थी।

सीमलेस स्टील ट्यूबों के संबंध में व्यापार देयतायें विभागीय इकाइयों और अन्य सरकारी विभागों से देय राशि सहित 15 जुलाई 1986 को कुल 282.47 लाख रुपये हो गई थी।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 1986) कि बकाया राशि को कम करने के लगातार प्रयास किये जा रहे थे। इसके अतिरिक्त, सरकारी विभागों और अन्य इकाइयों से 31 मार्च 1986 तक उठाये गये बीजकों के लिए बकाया नवम्बर 1986 के अन्त तक 202.47 लाख रुपयों से घटकर 65.15 लाख रुपये कम हो गये थे।

7.8 बकाया आदेश

जुलाई 1986 के अंत तक सी.स्टी. ट्यूबों के 57 आदेश और बा.वि. ट्यूबों के 112 आदेश, जैसा नीचे दिखाया गया है कार्यान्वयन के लिए बकाया थे। ना.ई.स. ने बताया कि (अगस्त 1986) कोई भी बकाया आदेश पक्के नहीं थे। यह भी देखा गया था कि ना.ई.ए. ने दिसम्बर 1985 के

सारणी

व्यापार देयताओं का झुकाव

वर्ष	सी.स्टी. ट्यूब संयंत्र (लाख रुपयों में)	बा.वि. ट्यूब संयंत्र
1978-79	0.12	--
1979-80	0.04	--
1980-81	0.16	--
1981-82	0.53	--
1982-83	0.15	--
1983-84	0.33	1.92
1984-85	0.15	3.35
1985-86	<u>3.54</u>	<u>3.22</u>
योग :	5.02	8.49

पश्चात बा.बि. ट्यूबों के लिये कोई आदेश प्राप्त नहीं किये थे।

सारणी

ट्यूबों के बकाया आदेश

वर्ष	सीमलेस स्टील ट्यूबें			बाल बेयरिंग ट्यूबें		
	आर्डर की संख्या	टन भार (मीट्री टन)	कीमत (लाख रु. में)	आर्डरों की संख्या	टन भार (मीट्री टन)	कीमत (लाख रु. में)
1979-80	2	18.75	9.01			
1980-81	2	1.03	1.31	1	29.24	6.14
1982-83	1	4.55	4.54	3	9.93	1.87
1983-84	7	19.30	49.21	10	119.53	27.72
1984-85	19	10.93	17.69	43	312.73	85.67
1985-86	26	70.72	127.57	55	541.53	148.11
जोड़	57	125.28	209.33	112	1012.96	269.51

कारण जिनके लिये आदेश कार्यान्वयन के लिए बकाया थे या इन आदेशों को का.ई.स. द्वारा पक्का क्यों नहीं समझा गया था, प्रतिक्षित थे (अगस्त 1986) विभाग ने बताया कि 30 नवम्बर 1986 को सी.स्टी. ट्यूबों के 86.99 टनों के लिए 45 आदेश और बा.बि. ट्यूबों के 667.88 टनों के लिए केवल 68 आदेश बकाया थे (दिसम्बर 1986)।

7.9 भण्डार

सी.स्टे.स्टी. ट्यूबों और बा.बि. ट्यूबों संयंत्रों के लिये एक सार्वजनिक भण्डार सुविधा 1982 में स्थापित की थी। भण्डार लेखे की जांच नमूनासे पता चला कि आयातित ग्लास पाउडर का हस्तगत स्टॉक अपनी आवश्यकता से अधिक था। यह देखा गया था कि पिछले दो वर्षों के लिये ग्लास पाउडर ट्यूब-(दर 1.8 फ्रैंक प्रति किलो) टाइप-II (दर : 6.05 फ्रैंक प्रति किलो) का स्टॉक मूल्य सहित निम्न प्रकार था :-

श्रेणी	भण्डार की तारीख	मात्रा (मीटर टन में)	मूल्य (लाख रुपयों में)
टाइप-I	31.3.1985	100.74	31.43
	31.3.1986	90.59	28.26
टाइप-II	31.3.1985	70.95	26.54
	31.3.1986	68.02	25.47

1984-85 और 1985-86 के दौरान इन वस्तुओं का उपभोग निम्न प्रकार था :-

वर्ष	ग्लास पाउडर की श्रेणी	उपभोग की गई मात्रा	औसत उपभोग
1984-85	टाइप-I	मीट्रीटन में	मीट्रीटन में
1985-86	..	15.60	12.88
		10.15	
1984-85	टाइप-II	3.34	3.14
1985-86	..	2.93	

वार्षिक औसत उपभोग के आधार पर, आगामी क्रमशः 7 और 22 वर्षों के लिए टाइप-I और II के ग्लास पाउडर की जरूरत को पूरा करने हेतु हस्तगत स्टॉक (31 मार्च 1986) काफी रहेगा।

7.10 ट्यूबों की मूल्य निर्धारण नीति

ना.ई.स. बोर्ड ने (अगस्त 1979) ट्यूबों के लिये मूल्य निर्धारण नीति अनुमोदित की और मार्गदर्शन जारी किये। इस संबंध में यह देखा गया था कि:-

- 1982-83 से ट्यूब संयंत्रों के बारे में लागत शीटें वास्तविक व्यय सहित तैयार की गई थी। नियमित रूप से लागत निर्धारण के लागू करने से पूर्व उत्पादों का मूल्य प्रत्येक आर्डर को रोजगार कार्य समझ कर निर्धारित किया जाता रहा था, जिसके लिये लागत आंकड़ा संयंत्रों से एकत्र किया जा रहा था। बाद में मानक लागत शीटें तैयार की गई थी तथा मूल्य निर्धारण के लिए उपयोग की गई थी।
- यद्यपि ना.ई.स. बोर्ड ने उत्पादन आरम्भ होने के प्रथम वर्ष से (अगस्त 1979) उपयोगिता की कुछ प्रतिशतता हेतु प्रारम्भिक सुझाव दिया था, विभाग ने बाद में, ना.ई.स. को मय हास के मानक कुल लागत के आधार पर कार्यचालन पूंजी कर्ज पर व्याज के साथ वर्तमान स्टॉक की खत्म करने के प्राथमिक उद्देश्य को उदार करने हेतु तथा 30 जून 1981 तक बूक किये हुये आर्डर्स के लिये निस्पक्षता के लिये अधिकृत किया था। इसके अतिरिक्त ना.ई.स. बोर्ड ने बताया था कि बा.बि. उत्पादकों के लिए 10 प्रतिशत तक भूमिगत लागत उद्दत की जानी चाहिए। 1983-84 से आगे, कीमत शीटें 100 प्रतिशत परिवर्ती लागत वसूल करके तैयार की गई थी तथा लागत 60 प्रतिशत की स्तर की उत्पादन क्षमता पर निर्धारित की गई थी।

- (iii) दोनों संयंत्रों की उपयोगिता क्षमता मार्गदर्शनों में दी गई प्रतिशतता से काफी कम थी। ना.ई.स. से अनुरोध किया गया था (मई 1986) कि वह यह स्पष्ट करें कि इसने ट्यूबों के मूल्य ढांचे को किस तरह प्रभावित किया, लेकिन उत्तर प्रतिशत था (दिसम्बर 1986)।

7.11 कार्यचालन परिणाम

विभाग ने ना.ई.स. को अप्रैल 1981 से वाणिज्यिक उपक्रम के रूप में घोषित कर दिया था लेकिन 11 सितम्बर 1984 को यह आदेश हटा दिये गये और 1 अप्रैल 1984 से अन्तर विभागीय भुगतानों के उद्देश्य के लिये ना.ई.स. को केवल ईंधन निर्माण सुविधा को "वाणिज्यिक-उपक्रम" के रूप में समझा गया था। अतः ट्यूबों के संयंत्र, "वाणिज्यिक उपक्रम" नहीं है। ना.ई.स. ने ट्यूबों के संयंत्रों के लिये प्रोफोर्मा लेखे तैयार नहीं किये हैं। वर्ष 1981-82 से आन्तरिक प्रयोग और मार्गदर्शन के लिये तैयार किये गए (प्रयोगात्मक) प्रोफोर्मा लेखे से यह देखा गया था कि दोनों संयंत्रों ने पूँजी पर मूल्य-हास तथा व्याज को बिना लेखाबद्ध किये हानियाँ/घाटे उठाये थे जैसा नीचे दिया है:—

ट्यूब संयंत्रों के कार्य चालन का परिणाम

वर्ष	सी.स्टी.ट.स.		वा.वि.ट.स.	
	अधिशेष/कमी		अधिशेष/कमी	
	(+)	(-)	(+)	(-)
	(लाख रुपयों में)		(लाख रुपयों में)	
1980-81	(-)	95.51	(-)	73.28
1981-82	(-)	121.67	(-)	70.88
1982-83	(-)	235.85	(-)	84.04
1983-84	(+)	185.07	(-)	118.56
1984-85	(+)	9.70	(-)	63.51
	(-)	258.26	(-)	410.27

ट्यूबों के संयंत्रों को "वाणिज्यिक उपक्रम" के रूप में घोषित न किये जाने से उपर्युक्त आंकड़ों की लेखापरीक्षा नहीं हुई थी।

7.12 अन्य रुचिकर बातें

(1) विक्रय एजेंट की नियुक्ति:—

ना.ई.स. बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों में सी.स्टी. ट्यूबों के लिये विक्रय एजेंट नियुक्त करने का निश्चय किया (जुलाई 1979) जिसके लिये जुलाई 1979 में निविदायें आमंत्रित की गई थी। जनवरी 1982 और नवम्बर 1982 के माध्यम 4 क्षेत्रों के लिये तीन एजेंटों के साथ समझौते हुये थे। इसकी समाप्ति पर दक्षिण क्षेत्र के लिये एजेंट के साथ समझौते का नवीनीकरण नहीं किया गया क्योंकि उसने नवीनीकरण में कोई रुचि नहीं दिखाई, और पश्चिम क्षेत्र के लिये एजेंट का समझौता एजेंट द्वारा नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने के कारण रद्द कर दिया गया था। पूर्वी तथा उत्तरी क्षेत्र के लिये एकमात्र एजेंट रह गया था जिसके लिये किया गया समझौता अप्रैल 1986 तक मान्य था।

समझौते को अन्तिम रूप देने में करीब तीन वर्षों के प्रारम्भिक विलम्ब के लिये और दक्षिण क्षेत्र के लिये एक एजेंट की नियुक्ती न करने के कारणों का लेखा परीक्षा को सूचित नहीं किया गया था (अगस्त 1986)।

(2) काफी समय से देय अतिदेय व्याज अभी इकट्ठा करना था:—

समझौते के अनुसार महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, गोवा और राजस्थान के लिये विक्रय एजेंट "क" ट्यूबों और पाइपों उन्हीं शर्तों और नियमों के अनुसार खरीदने का पात्र था जो अन्य पार्टियों की बिक्रियों पर लागू होती थी। "क" ने मार्च 1982 से मार्च 1983 के दौरान 46.19 लाख रुपये मूल्य के विभिन्न विशिष्टियों की 42,879 मीटर स्टील पाइपों को खरीदने के विभिन्न आर्डर दिये। इसमें से अगस्त 1983 और सितम्बर 1983 में 24,800 मीटर की सुपुर्दगी करनी थी और शेष मात्रा स्टाक-बाहर देनी थी। ना.ई.स. ने अप्रैल/मई 1983 के दौरान बैंक माध्यम से दस्तावेज विनिमय करके "क" को 33.96 लाख रुपये मूल्य की 26,822 मीटर भेजे। "क" ने 17 महीने तक बैंक से दस्तावेज वापिस नहीं लिए तथा सामान नवम्बर 1984 में वापिस हैदराबाद लाया गया था। ना.ई.स. ने इन परेशणों के लिये खर्च किया तथा उस अर्वाध, जिसके लिये दस्तावेजों की निकासी नहीं हुई थी, के लिए अतिदेय व्याज भी था। बकायाओं के व्यौरे नीचे दर्शाये गये थे:—

व्यय के विवरण	राशि (अनुमानित लाख रुपये)
(i) हैदराबाद से बम्बई तक का माल भाड़ा	0.26
(ii) बम्बई से हैदराबाद तक का माल भाड़ा	0.11
(iii) माल गोदाम का किराया	0.64
(iv) उत्पादक किराया शुल्क अदा किये गये	0.10
(v) निरीक्षण प्रभारी	0.40
(vi) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया इ.सी.आई.एल. शाखाओं को बैंक प्रभार	0.03
(vii) चुंगी शुल्क	0.23
(viii) प्रतिवर्ष 18 प्रतिशत की दर से उस अर्वाध का अतिदेय व्याज जिसके लिये दस्तावेजों की निकासी नहीं हुई।	8.48
योग	10.25

विभागने बताया (दिसम्बर 1986) कि 0.23 लाख रुपयों की चुंगी में से केवल 0.21 लाख रुपये की वापसी प्राप्त हुई थी तथा विक्रय एजेंट "क" को प्रेषित ट्यूबों के माल पर ना.ई.स. द्वारा किया वास्तविक व्यय 1.56 लाख रु. परिकलित किया गया। इनमें से बैंक प्रत्याभूति को भुना करके एक लाख रुपया पहले ही वसूल कर लिया गया था। 0.56 लाख रुपये की बकाया राशि उसी विक्रय एजेंट को देय विक्री पर कमीशन से समायोजित कर ली जायेगी। उस अर्वाध का अतिदेय व्याज, जहां दस्तावेजों की निकासी नहीं हुई है, के बारे में मामला मध्यस्थ को भेज दिया गया था। मध्यस्थता की कार्यवाही प्रगति पर थी (दिसम्बर 1986)।

बम्बई से वापिस लाई गई सामग्री (नवम्बर 1984) केन्द्रिय उत्पाद की औपचारिकताओं के अनिर्णत होने के कारण फरवरी 1985 तक स्टाक लेखे में नहीं चढ़ाई गई थी और अप्रैल 1986 तक 1.40 लाख रुपये मूल्य की केवल 1412.80 मीटर पाइपें अन्य पार्टियों को बेची गई थीं।

इस संबंध में यह देखा गया था कि:

- (i) मानक शर्तों और नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित इस मामले में आर्डर के साथ 20 प्रतिशत के पेशगी राशि के लिये आग्रह नहीं किया गया था। यह बताया गया था (जून 1986) कि चूँकि "क" ने 1 लाख रुपये की बैंक प्रत्याभूति प्रस्तुत की थी तथा दूसरे आर्डर के प्रति 0.50 लाख रुपये लौटाये जाने थे, कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया गया था। "क" द्वारा प्रस्तुत बैंक गारन्टी ठेके के निष्पादन हेतु एक प्रतिभूति थी तथा 20 प्रतिशत अग्रिम भुगतान प्राप्त करना चाहिए था। एजेन्ट से अग्रिम के रूप में 9.24 लाख रु. देय के प्रति राशि में से (46.19 लाख रुपयों का 20 प्रतिशत) ना.ई.स. के पास केवल 0.50 लाख रुपये थे, जिसके परिणामस्वरूप 8.74 लाख रुपयों की कमी आई।
- (ii) विक्रय एजेन्ट को देय बिक्रीयों पर कमीशन से 1.56 लाख रु. में से 0.56 लाख रु वसूल किये जाने थे (दिसम्बर 1986)।

(3) पाइलजर मिल का उपयोग:-

वा.वि. ट्यूबों संयंत्र का अनुमोदन करते समय यह विचार किया गया था कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के लिये संयंत्र द्वारा प्रतिवर्ष 21,000 मीटरीटन बाल बियरिंग ट्यूबों और 3,000 मीटरीटन तेल खुदाई पाइपों का उत्पादन किया जायेगा। यह देखा गया था कि:-

- (i) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने खुदाई-पाइपों को स्वीकार नहीं किया;
- (ii) परामर्शदाताओंकी सिफारिशों पर, ना.ई.स. ने छोटे आकार की बा.वि. ट्यूबों तथा तेल कुओं की खुदाई पाइपों के निर्माण को अनुमोदित किया और 621.87 लाख रुपये मूल्य की एक बड़े आकार की लम्बी स्ट्रोक मशीन (के.पी.डब्लू 150 बी.एम.आर.) और 409.10 लाख रुपये मूल्य की एक दूसरी छोटे आकार की लम्बी स्ट्रोक मशीन (के.पी.डब्लू. 75 बी.एम.आर.) प्रतिष्ठापित की (1980-81) परामर्शदाता की अभियंत्रिक रिपोर्ट के अनुसार के पी.डब्लू. 150 बी.एम.आर. तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के द्वारा भांगी गई 60 से 140 मी.मी. ओ.डी. आकार की परिष्कृत ट्यूबों के निर्माण में सक्षम था जबकि के.पी.डब्लू. 75 बी.एम.आर. 20 से 60 मि.मी. ओडी के आकार की परिष्कृत ट्यूबों का निर्माण कर सका। चूँकि, सामान्यतः ट्यूबों के आर्डर 20 से 69 मि.मी. ओडी, के क्रम से थे, (कुछ मामलों को छोड़कर जहाँ अधिकतम ओडी आकार 90 मि.मी. था तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा वांछित पाइपों के उत्पादन का उत्तरदायित्व नहीं लिया गया था, के.पी.डब्लू. 150-बी.एम.आर. की खरीद पर व्यय की गई राशि का कोई औचित्य नहीं था।

ना.ई.स. से उक्त 60 मि.मी. ओडी से पाइपों के आकारों के लिये प्राप्त आर्डरों की संख्या के बारे में सूचना प्राप्त नहीं हुई। विभाग ने बताया (दिसम्बर 1986) कि 1983-84 से पाइलजर मिलों द्वारा उत्पादित शीत कम करने वाली ट्यूबों का 60 प्रतिशत 150

बी.एम.आर. मिल माध्यम से संबंधित की गई थी। तथापि, 75 बी.एम.आर. मिल के इस्तेमाल में 373 टनों से (1982-83) 293 टनों (1985-86) की अर्थात् 21.50 प्रतिशत, कमी थी।

- (iii) सी.स्टी. ट्यूबों संयंत्र के विस्तार के लिये सहमति शुल्क पर परामर्शदाताओं नियुक्त किये गये थे तथा इसमें प्रतिपादित संसाधन की आवश्यकतायें संयंत्र सामान्य नक्शा, उपकरण उपयोगितायें और संयंत्र के लिये सेवाएं सम्मिलित थी। यह देखा गया था कि परामर्शदाताओं द्वारा संयंत्र का नक्शा तैयार करते समय, पूर्ण भवन, सेवाओं और अन्य सुविधायें, जो बाद की तारीख में परिष्कृत तेल कुओं की खुदाई पाइप के निर्माण के लिये आवश्यक थी, का विचार किया गया था। चूँकि, तेल कुओं की खुदाई पाइप हेतु कोई आर्डर प्राप्त नहीं हुए थे परामर्शदाताओं को इस कार्य हेतु भुगतान किया गया शुल्क अलाभकारी रहा था। ना.ई.स. ने बताया कि भवन निर्माण और अन्य सुविधाओं हेतु तेल कुंआ खुदाई तैयार पाइपों के उत्पादन के लिए अपेक्षित अतिरिक्त उपकरण के प्रतिष्ठापन हेतु पृथक रूप में कोई अतिरिक्त व्यय करने का विचार नहीं था तथा बी.बी.टी.पी. भवन को तेल खुदाई पाइपों के उत्पादन तथा प्रबन्ध करने के लिए संशोधित किया गया था।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 1986) कि स्थान जो तेल खुदाई पाइपों के लिये उपयोग करना था नाभिक ईंधन परिसर के विस्तार के लिये प्रभावशाली ढंग से उपयोग किया जायेगा।

(4) जरका लोईट्यूब उत्पादन:-

विभाग ने 1970 में अनुमान लगाया था कि प्रति वर्ष जरकालोई ट्यूबों की आवश्यकता 50 टन होगी जिसकी बाद में करीब 75 टन या अधिक बढ़ने की आशा थी। यह अनुमान लगाया गया था कि (सितम्बर 1972) कि जरकालोई के 50 टनों के उत्पादन के आधार पर विदेशी मुद्रा बचत करीब 274 लाख रु. निम्नलिखित मिश्रित उत्पाद के आधार पर होगी।

(i) ईंधन ट्यूबें	—	30 टन
(ii) कलैण्डरिया ट्यूबें	—	5 टन
(iii) शीतलक ट्यूबें	—	15 टन

तथापि, पिछले चार वर्षों के दौरान नाभिक ईंधन परिसर द्वारा जरकालोई ट्यूबों का उत्पादन अनुमानित आवश्यकता की तुलना में कम था, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

वर्ष	उत्पादन (टनों में)
1982-83	26.81
1983-84	19.97
1984-85	21.82
1985-86	28.78

मुद्रा की अनुमानित विदेशी बचतों की उगाही नहीं की जा सकी थी। नाभिक ईंधन परिसर से यह बताने का अनुरोध किया था (सितम्बर 1986) जरकालोई ट्यूबों की मांग में कमी और आपूर्ति को कैसे पूरा किया तथा उनका उत्तर प्रतिक्षित था (दिसम्बर 1986)

सारांश:-

- यद्यपि परामर्शदाता ने सुविधाओं के सृजन की सिफारिश नहीं की थी फिर भी सुविधा स्थापित की गई। निर्यात को बढ़ाने के हेतु उसके उत्पादन के तीसरे वर्ष में सी.टी.स्टी. ट्यूबों का उत्पादन दुगुना करने का विचार था। यद्यपि 8 वर्षों में भी विदेशी बाजार के लिए उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया था।
- 1965-66 में 1.50 करोड़ रुपयों की लागत से प्राप्त मशीनरी केवल 1978 से, आवश्यक सुधारों के बाद प्रयोग में लाई जा सकी।
- ट्यूबों के कम उत्पादन के कारण, विदेशी एक्सी-घारक को रुक-रुक कर भुगतान करने के बजाय एक मुश्त फीस का भुगतान उस समय किये गये प्रक्षेपों तथा अनुमानों के आधार पर किया गया, जो अलाभकारी सिद्ध हुआ।
- तेल एवं प्रकृतिक गैस आयोग द्वारा वांछित तेल खुदाई पाइपे प्रदान नहीं की जा सकी, यद्यपि यह मूलरूप से अपेक्षित थी।
- पिछले 8 वर्षों में उत्पादन के आधार पर किये गये निवेश पर लाभांश की वास्तविक दर नगण्य थी तथा 15 प्रतिशत लाभांश जिसकी प्रत्याक्षा थी, को प्राप्त नहीं किया गया था।
- सी.स्टी.ट.स. और वा.वि.ट.स. को भारी नुकसान उठाने पड़े। केवल 1981-85 के दौरान परिकलित हानियां क्रमशः 2.58 करोड़ रु. और 4.10 करोड़ रु. थी।
- बहुत बड़ी संख्या में परिचालन घन्टे, यहां तक की क्षितिज प्रेस के उपलब्धता कारक 63 प्रतिशत अनुपयोगी रहे। वास्तविक उत्पादन प्राप्त करने के लिए निर्धारित परिचालन घन्टे असमानुपाती थे।
- जरकालोइ ट्यूबों का उत्पादन के भी प्राथमिक उत्पाद जिसके लिये सुविधायें दी गई थी, अनुमान से काफी कम था।
- 31 मार्च 1986 को सी.स्टी. ट्यूबों तथा वा.वि. ट्यूबों की अधिक मात्राओं को अन्तःशेष के रूप में रखा गया था। जब कि यह दावा किया गया था कि वास्तविक उत्पादन पक्के आर्डरों के आधार पर किया गया था।
- ग्लास पाउडर के अधिक आयात करने के कारण विदेशी मुद्रा की काफी राशि अवरोध रही।
- क्योंकि ट्यूबों के उत्पादन के लिए ना.ई.स. को वाणिज्यिक उपक्रम के रूप में घोषित नहीं किया गया था, प्रोफोर्मा लेखे तैयार नहीं किये जा रहे थे, तथा लेखा परीक्षा अध्यधीन नहीं आते थे।

8. स्टेनलेस स्टील की अधिक अधिप्राप्ति और पूंजी का अवरोधन

राजस्थान परमाणु शक्ति परियोजना से मांग प्राप्त होने पर परमाणु उर्जा विभाग ने 3 लाख रु. की अनुमानित लागत पर विभिन्न आकारों में 9 टन के स्टेनलेस स्टील राउन्डस (19 मर्दें) और फ्लैट्स (3 मर्दें) की आपूर्ति के लिए 5 फर्मों से सीमित निविदा पृच्छताछ आमंत्रित की (जनवरी 1983)। फर्म "क" और "ख" से केवल राउन्डस के लिए दो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की एक फर्म "ख" प्रत्येक आकार के लिए कम से कम 5 मी.ट. का आर्डर चाहती थी। यद्यपि फर्म "ख" की दरे स्वीकार करने योग्य पाई गई थी कम से कम मात्रा निर्धारण की दृष्टि से राउन्डस के प्रत्येक आकार के लिए कम से कम 5 मी.ट. के आर्डर और 30 लाख रु. की लागत पर कुल 95 मी.ट. की आपूर्ति के लिए सीमित निविदा पुनः जारी की गई थी (जून 1983) फर्म "क" और "ख" के अतिरिक्त अन्य फर्म "ग" की निविदा के लिए दर उधृत किया। फर्म "ख" का दूसरा निम्नतम प्रस्ताव 10 प्रतिशत के मूल्य अधिमान्यतासे स्वीकार किया गया था क्योंकि यह मद एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम थी। सामान्य प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त मात्रा खरीदने का निर्णय परियोजना प्राधिकारी द्वारा लिया गया था। (अप्रैल 1983) और सक्षम प्राधिकारी की अंतिम कार्योत्तर मंजूरी अक्टूबर 1983 में प्राप्त की गई थी। यह इस औचित्य के साथ अनुमोदित किया गया था कि 95 मीटर स्टील राउन्डस के लिए आदेश पावर प्रोजेक्ट इंजिनियरिंग डिबीजन और मद्रास परमाणु शक्ति परियोजना सहित अन्य यूनिटों की भी अगले 8 से 10 वर्षों के लिए मांग पूरी करेगा।

अणुशक्ति कोटा पर सुपुर्दगी के लिए 33.42 लाख रु. की लागत पर खरीद आदेश नवम्बर 1983 में जारी किया गया था।

यह देखा गया था कि परियोजना प्राधिकारी को केवल अपनी परियोजना के संबंध में भंडारों की मांग करने और खरीद करने का अधिकार था और एक से अधिक परियोजना के लिए अपेक्षित सामान्य प्रयोजना की मदों की खरीदों के मामलों में निदेशक, पावर प्रोजेक्ट इंजिनियरिंग डिबीजन (अब न्यू विलियर पावर बोर्ड) का अनुमोदन अपेक्षित था।

आर्डर दिये गये 95 मी.ट. स्टेनलेस स्टील राउन्डस फ्लैट्स में से विभाग ने दिसम्बर 1986 तक अतिरिक्त 5.18 मी.ट. जो स्टॉक में नहीं लिये गये सहित 75.395 मी.ट. प्राप्त किये। दिसम्बर 1986 के अंत तक उपरोक्त स्टील में से कोई निर्गम नहीं किए गए हैं।

33.42 लाख रु. की लागत पर स्टील की उपरोक्त अधिप्राप्ति तत्काल आवश्यकता से बहुत अधिक थी और पिछले 3 वर्षों में मदों का कोई निर्गम न किये जाने के कारण पूंजी का अवरोधन हुआ।

9. बहिष्कारों के निपटान हेतु व्यवस्था में ऋणपूर्ण आयोजन

भारी जल उत्पादन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जिसका उत्पादन की आवश्यकता होती है सोडियम सल्फाइड की छोटी मात्रा के साथ सोडियम सल्फेट के बहिष्कारों को निर्मुक्त करता है। परमाणु उर्जा भारी जन संयंत्र, विभाग, कोटा ने निर्णय लिया (1978) कि सार बाष्पीकरण के माध्यम से उनको सोडियम सल्फेट में क्रिस्टाइल करने हेतु इस प्रकार के बहिष्कारों को

पत्थर की चिनाइ से बने एक खुले टैंक में और अधिक प्रक्रियान्वित किया जाये। क्वायत के कारण परियोजना अनुमानों में दिए गए तकनीकी वाष्पीकरण प्रक्रिया के स्थान पर सौर वाष्पीकरण प्रक्रिया को अधिमान्यता दी गई थी।

तदनुसार, विभाग ने 3.25 लाख रुपये की लागत पर अगस्त 1978 में ठेकेदार "क" को बहिःस्राव के 2000 क्यूबिक मीटर संचय करने हेतु एक टैंक के निर्माण के लिए एक संविदा प्रदान की। सितम्बर 1979 में ठेकेदार "ख" को 1.54 लाख रुपये की लागत पर टैंक के क्षार प्रतिशोधी उपाय हेतु कार्य दिया गया था। दोनों कार्यों की अन्तिम लागत 4.65 लाख रुपये आंकी गयी थी। सिविल कार्य जुलाई 1979 में पूर्ण कर लिया गया था परन्तु, कार्यक्रमानुसार टैंक को पानी से भरा तथा परीक्षण नहीं किया जा सका क्योंकि तब तक टैंक बहिःस्राव लाइनों को ठेकेदार "ग" द्वारा चालू नहीं किया गया था। त्रुटियों/रिसाव के लिए टैंक का परीक्षण किये विना अपौकसी माटर से क्षार प्रतिशोधी उपाय भी प्रारम्भ कर दिये गये थे तथा मार्च 1980 तक पूर्ण कर दिये गये थे। टैंक के पूर्ण होने के केवल 20 महीनों बाद टैंक के जल अचूवन का परीक्षण मार्च 1981 में किया गया था और तब से इसे सूखा, खुला हुआ तथा दो ग्रीष्म ऋतुओं की गहन गर्मी में छोड़ दिया गया था। परिणामस्वरूप, स्लैबों के जोड़ों में दरारे पड़ गई थी तथा परीक्षण के दौरान टैंक को चूता हुआ पाया गया था।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 1986) यह अच्छी प्रकार विहित है कि बृहत आयतन वाले पत्थर से बनाये हुए टैंक में दरारे पड़ सकती हैं। लेकिन अब बी.ए.आर.सी. में एक लघु आयतन का आदिरूप विकसित कर दिया गया था, यह दृष्टिगत नहीं किया जा सकता था कि बाद में पडी दरारें मरम्मत के योग्य नहीं होंगी" तथापि, विभाग ने स्वीकार किया कि यह सम्भव है कि पहले पानी से टैंक को भरने की तुलना में जो कि "अन्तोगत्वा सम्भव था, दरारों के पुनः बिगडने में रोक लगी हो लेकिन, अब भी यह अनुमान के परिमण्डल में था कि क्या यह हमें टैंक को अन्तिम उद्देश्य जिसके लिए इसका निर्माण किया गया था, के लिए प्रयोग में लाने में समर्थ कर सकता था।"

सिविल कार्य के लिए संविदा में यह शर्त थी कि विभाग को ठेकेदार की उपस्थिति में 15 दिनों के लिए पूर्ण कार्य शीर्ष के अन्तर्गत पानी के अन चुने हेतु टैंक का परीक्षण करना होगा तथा टैंक में त्रुटियाँ/रिसाव, यदि कोई हो तो उनको ठेकेदार की लागत पर ठीक करना होगा। जल अन चुने हेतु टैंक के परीक्षण की सम्भावना के अभाव में, कोई परीक्षण नहीं हुआ था तथा ठेकेदार को टैंक में कोई भी सुधार करने के सम्पूर्ण उत्तर-दायित्वों से मुक्त कर दिया गया था और उसकी जमा प्रतिभूति का अक्टूबर 1980 में भुगतान कर दिया गया था। 1.57 लाख रुपयों की लागत पर पोलीथीन शीटों को बिछाने सहित त्रुटियों को सुधारने हेतु कुछ धरातलीय प्रयत्न किये गये थे लेकिन ये प्रभावशाली नहीं हुए तथा टैंक को प्रयोग में नहीं लाया जा सका था।

तदुपरान्त, विभाग ने 20.38 लाख रुपयों की लागत पर 7 इस्पान टैंकों की संरचना करने तथा जैसे कि मूल परियोजना अनुमान में प्रावधान था बहिःस्राव के लिए सौर वाष्पीकरण के स्थान पर तकनीकी वाष्पीकरण को

भी अपनाने का निर्णय लिया (मई 1983) तदनुसार 38.91 लाख रुपये की लागत पर एक स्प्रे ड्राइंग संयंत्र का आदेश दिया गया था।

इस प्रकार, बहिःस्राव लाइनों के निर्माण में विलम्ब के फलस्वरूप 6.22 लाख रुपये का व्यय जैसा कि विभाग द्वारा स्वीकार किया गया व्यर्थ सिद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त सौर वाष्पीकरण के लिए किया गया टैंक का मूलतः निर्माण अब इसे बहिःस्रावों को शीतल करने हेतु प्रस्तावित किया जाना है तथा इसकी सफलताओं को अभी देखना है। सोडियम सल्फेट के उप उत्पादन में भी विलम्ब हुआ था।

वाणिज्य मंत्रालय

10. शुष्कित लहसुन के निर्यात हेतु नकद सहायता की अनुधित अबायगी।

1 अप्रैल 1979 से 30 जून 1986 के दौरान "निर्जलित लहसुन" के निर्यात पर नकद सहायता की दर, निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य पर 10 प्रतिशत थी। तथापि नकद सहायता शुष्कित लहसुन (निर्जलित लहसुन से भिन्न) के निर्यात पर ग्राह्य नहीं थी। 30 सितम्बर 1982 तक, "ताजी लहसुन" के निर्यात पर नकद सहायता "ताजी सब्जियों" के निर्यात पर नकद सहायता की दर पर ग्राह्य थी। 31 मार्च 1982 तक, सरकार द्वारा ताजी सब्जियों का निर्यात केन्द्र तथा राज्य की एजेन्सियों आदि के माध्यम से किया गया। "शुष्कित लहसुन" के निर्यात पर नकद सहायता की अग्राह्यता का परामर्श संसाधित खाद्य निर्यात प्रोत्साहन परिषद नई दिल्ली द्वारा अगस्त 1979 में तथा संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात (सं.यु.नि.आ.नि.) मद्रास द्वारा अक्टूबर 1979 में टूटीकोरीन सीलोन सामायिक निर्यातक एवं आयातक चैम्बर टूटीकोरीन को दिया गया था सं.यु.नि.आ.नि. मद्रास ने चैम्बर को यह सूचित किया था कि विपणन निदेशालय द्वारा जारी किये गये असत्य प्रमाण पत्र के आधार पर, "शुष्कित लहसुन" के निर्यात को "ताजी लहसुन" के समान दी गई नकद सहायता, की बसूली के लिए कार्यवाही की जा रही थी।

उपरोक्त नीति के विपरीत, मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात नई दिल्ली (मु.नि.आ.नि.) के संदर्भ पर, कि क्या शुष्कित लहसुन, निर्जलीय लहसुन के समान्तर वर्गीकरणीय थी या ताजे लहसुन के समस्त इस पर मुख्यालय वर्गीकरण समिति (मु.व.स.) ने नवम्बर 1979 में तय किया कि नकद प्रतिपूरक सहायता के उद्देश्य से, "शुष्कित लहसुन", निर्जलीय लहसुन के समान ही वर्गीकरणीय है न कि ताजे लहसुन के समान। मु.नि.आ.नि. द्वारा समिति के संमुख प्रस्तुत कार्यसूची टिप्पणी में, "शुष्कित लहसुन" तथा "निर्जलीय लहसुन" में भेद करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था जिसके कारण, स्पष्टता "शुष्कित लहसुन" को "निर्जलित लहसुन" वर्गीकृत करने की मु.व.स. द्वारा लिये गये गलत निर्णय की अगुवाई हुई।

इस बीच, मार्च/अप्रैल 1981 में समीक्षा हेतु मु.व.स. का निर्णय मंत्रालय में उठाया गया, तब यह विचार गया कि "शुष्कित लहसुन" हेतु निर्यात पर नकद सहायता ग्राह्य नहीं थी क्योंकि ऐसे निर्यातों को गैर सरकारी निर्यातकों के माध्यम से इस शर्त पर स्वीकृत किया गया था कि प्रतिपूरक नकद

सहायता उपलब्ध नहीं होगी। यह भी इंगित किया गया था कि निर्जलित लहसुन (16,000 रु. प्रति टन) तथा शुष्कित लहसुन (2450 रु. से 3400 रु. प्रति टन) के बीच यूनिट मूल्य उपलब्धि में अच्छा खासा अंतर था। मंत्रालय के ये विचार मु.नि.आ.नि. को अप्रैल 1981 में प्रेषित किये गये और उसे बताया गया कि शुष्कित लहसुन के निर्यात पर नकद सहायता नहीं दी जानी चाहिए। इस निर्णय के विरुद्ध, मु.नि.आ.नि. ने मद्रास पोर्ट के पुनर्विचार आवेदन को स्वीकार कर लिया तथा उसके द्वारा 31 मार्च 1981 तक, निर्यात किये गये शुष्कित लहसुन पर नकद सहायता की अदायगी के आदेश जारी किये गये। म.मु.नि. द्वारा नवम्बर 1979 में, तथा मु.नि.आ.नि. द्वारा जून 1981 में, गलत निर्णय लिये जाने के फलस्वरूप सं.मु.नि.आ. निर्यात मद्रास एवं बम्बई द्वारा शुष्कित लहसुन के निर्यात पर नकद सहायता की अदायगी की गई। इन दो कार्यालयों ने, शुष्कित लहसुन के, 31 मार्च 1981 तक किये गये निर्यात पर दी गई 1.91 लाख रुपये की नकद सहायता की राशि की पुष्टि की।

मु.नि.आ.नि. ने उपर्युक्त तथ्यों को सीकार किया तथा अक्टूबर 1986 म लेखापरीक्षा को सूचित किया कि शुष्कित लहसुन के निर्यात पर नकद सहायता की अदायगी को वसूल करने के लिए कदम उठाये जा रहे थे।

11. विदेश में कार्यान्वित आवासीय परियोजना हेतु एक सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान को परियोजना सहायता का अनियमित भुगतान

नक्शा बनाना, अभिकल्पना, निर्माण तथा टर्न-की परियोजना को चलाने/विदेश में कार्यान्वित सिविल अभियांत्रिकी निर्माण संविदा का संवेष्टन कार्य जैसी तकनीकी एवं अन्य सेवाओं से अर्जित शुद्ध विदेशी विनियम के 10 प्रतिशत की दर पर अक्टूबर 1975 से मार्च 1984 तक परियोजना सहायता ग्राह्य थी। इस प्रकार की सहायता हेतु योग्य होने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण किया जाना था:-

- संविदा का मूल्य 50 लाख रुपये से कम नहीं होना था
- भारत से निर्यात किये गये उपकरण इत्यादि के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य से अर्जित विदेशी विनियम और संविदा सेवाओं के भाग से अर्जित शुद्ध विदेशी विनियम को एक साथ जोड़े जाने पर संविदा के मूल्य का 51 प्रतिशत से कम नहीं होना था: और
- परियोजना सहायता का भुगतान केवल परियोजना के पूर्ण होने के बाद एवं परियोजना के विभिन्न शीर्षों के अधीन अर्जित शुद्ध विदेशी विनियम के सुनिश्चित करने के उपरान्त ही करना था।

वाणिज्य मंत्रालय की मुख्य विपणन विकास सहायता कमेटी (मु.वि.वि.स.क.) ने मई 1979 में संवेष्टन कार्य के रूप में अनुमोदित किया कि 4.87 करोड़ रुपये की एकमुश्त परियोजना सहायता जिसका आकलन 97.38 करोड़ रु. की सेवाओं के कुल मूल्य के 5 प्रतिशत पर किया गया। विदेश के एक देश में इंजिनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लिमिटेड को "आरदीय आवासीय परियोजना" जिसे अब "आइन बग्जे आवासीय परियोजना" कहा जाता है के लिए इस शर्त पर स्वीकृत की जाय कि यदि लागत में वृद्धि होने के कारण ई.पी.आई. संविदा-अंशों के कुल मूल्य में वृद्धि हुई तो तदानुसार परियोजना सहायता में कोई वृद्धि नहीं होगी। पूर्वगामी

पैराग्राफ में उल्लिखित संविदा मूल्य के 51 प्रतिशत के कुल विदेशी विनियम के अर्जन की निर्धारित शर्त को हटा दिया गया था। सेवाओं से कुल विदेशी विनियम अर्जन पर 5 प्रतिशत की दर से परियोजना सहायता की स्वीकृति के लिए दिया गया मुख्य आधार यह था कि संविदा को सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने (मई 1976) ई.पी.आई. को उद्धृत कीमत पर 5 प्रतिशत की छूट देने की अनुमति दे दी थी।

जबकि सरकार ने ई.पी.आई. को संविदा - सुरक्षा हेतु उद्धृत कीमत का 5 प्रतिशत तक छूट देने की अनुमति दे दी थी, ई.पी.आई. ने संविदा को अन्तिम रूप देते समय 10 प्रतिशत की छूट देने का प्रस्ताव किया था। चर्चा के दौरान, मु.वि.वि.स.क. को कहा गया था कि परियोजना को संविदा के सेवाओं के भाग से 20 करोड़ रुपये की शुद्ध विदेशी विनियम को अर्जित करने की सम्भावना थी तथा जुलाई 1979 में ई.पी.आई. को जारी किये गये संस्वीकृत पत्र में परियोजना सहायता हेतु पात्रता के लिए इसे एक शर्त के रूप में सम्मिलित किया गया था।

सितम्बर 1980 में, ई.पी.आई. ने मंत्रालय से अनुरोध किया कि निधियों की अत्यन्त आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए परियोजना को वित्त पोषित करने हेतु, जिसे सम्पूर्ण रूप से मार्च 1982 तक पूर्ण किया जाना था, उनको पहले से ही पूर्ण किये गये कार्य के आधार पर परियोजना सहायता दी जा सकती थी। मु.वि.वि.स.क. द्वारा फरवरी 1981 में मामले पर विचार किया गया और ई.पी.आई. को 2 करोड़ रुपये का भुगतान लेखे पर देना, का निर्णय किया गया था। इस निर्णय पर आधारित अप्रैल 1981 में ई.पी.आई. को एक पत्र भेजा गया था जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि संविदा की समाप्ति पर लेखे पर देने की अदायगी को परियोजना सहायता की ओर से देय, अन्तिम भुगतान के प्रति समायोजित कर दिया जायेगा तथा ई.पी.आई. किसी भी आधिक्य को, उस दशा में जबकि 2 करोड़ रुपये की राशि उन्हें अंततः देय राशि से अधिक निकले, वापस करे ई.पी.आई. द्वारा इन शर्तों को स्वीकार कर लिया गया था और तदुपरान्त मई 1981 में 2 करोड़ रुपये के लेखे पर देना भुगतान को निर्मुक्त करने हेतु एक संस्वीकृत पत्र जारी किया गया था। मु.वि.वि.स.क. समिति को प्रस्तुत टिप्पण में यह भी बताया गया कि संविदा के सेवा - भाग से कुल अर्जन को प्राप्त करने हेतु आवक प्रेषकों से निम्नलिखित को घटा देना चाहिए।

(क) भारत वर्ष से की गयी आपूर्तियों का मूल्य,;

(ख) वाहय प्रेषण,;

(ग) वाहय प्रेषणों के लिए बाकी देयतायें: और

(घ) भारत को कर्मचारियों की और से किए गए प्रेषण।

ई.पी.आई. द्वारा किये जाने वाले कार्य के मूल्य को 213 करोड़ रुपये से घटाकर 155 करोड़ रुपये कर दिया गया था क्योंकि कार्य की प्रगति समय सारणी के अनुसार नहीं थी। भारत से निर्यात किये जाने वाले माल का मूल्य 45 करोड़ रुपये के प्रति 16 करोड़ रुपये रह गया था।

मार्च 1984 में ई.पी.आई. ने बढ्दम चूक परियोजना ने कोई लाभ अर्जित नहीं किया विदेशी विनियम का देश प्रत्यावर्तित होने का प्रश्न ही

नहीं उठता था और वास्तव में, परियोजना पर नकद घाटे को पूरा करने के लिए उनको विदेश में परियोजना के लिए भारत से लगभग 36 करोड़ रुपये भेजना पड़ा था।

जून 1986 में मंत्रालय द्वारा भेजी गयी नवीनतम सूचनानुसार परियोजना पर हुयी हानि लगभग 70 करोड़ रुपये थी और इन हानियों को दृष्टिगत रखते हुये उन्होंने ई.पी.आई. से 2 करोड़ रुपये की वसूली करना औचित्यपूर्ण नहीं समझा था।

मामले के निम्नलिखित पहलुओं का उल्लेख करना आवश्यक है:

- (i) मंत्रालय, अक्टूबर 1978 में ही यह मालूम था कि परियोजना के समय पर पूर्ण होने की सम्भावना नहीं थी।
- (ii) मु.वि.वि.स. कमेटी के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुये इस बात का उल्लेख नहीं किया गया था कि 1976-77 से 1978-79 के दौरान आवासीय परियोजना तथा संविदा में सम्मिलित हाशिये के तथ्यों और लगायी गयी पूँजी पर प्रतिफल की अपेक्षित दर पर प्रगति कैसे हुई थी। जुलाई/अगस्त 1980 में यह निश्चित था कि परियोजना पर भारी हानी हुई थी। परियोजना सहायता की मात्रा जिसे परिवर्तित परिस्थिति में अनुमत किया जाना चाहिए, को तय करने के विषय में मंत्रालय ने मु. वि. वि. स. कमेटी के सामने मामले को पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं समझा इसके बावजूद कि मंत्रालय के वित्त-प्रभाग ने यह दृष्टिकोण बना लिया था कि मु. वि. वि. निधियों को चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र हो अथवा निजी क्षेत्र, व्यक्तिगत निर्यातक कम्पनियों की पूर्ति करने हेतु प्रयोग में नहीं लाना चाहिए क्योंकि निधियों को मुख्यतः निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए उपयोग में लाना था।
- (iii) मार्च 1980 में ई. पी. आई. द्वारा दिये गये विवरण की एक संवीक्षा ने दर्शाया कि 25.48 करोड़ रुपये की संविदा सेवा - भाग से अर्जित संभाव्य शुद्ध विदेशी विनिमय में, अर्जित करने की परियोजना के मजदूरों एवं कर्मचारियों द्वारा भारत को प्रेषित 19 करोड़ रुपये सम्मिलित थे। इसीलिए 2 करोड़ रुपये की परियोजना सहायता के लिए ई.पी.आई. का ग्राह्य होने हेतु यहां कोई यथोचित प्रत्याशा नहीं थी। इस प्रकार ई.पी.आई. को दी गयी 2 करोड़ रुपये की

"लेखे पर देना" राशि अनुचित थी। 2 करोड़ रुपये के भुगतान वे भी परियोजना को उचित समय पर पूर्ण करने में कोई सहायता नहीं की। परियोजना को केवल अगस्त 1984 में पूर्ण किया जा सका था तथा एक वर्ष की अनुरक्षण अवधि अगस्त 1985 में समाप्त हो गयी थी।

सारांश

निम्नलिखित तथ्य इस प्रकार है:

- 1976 से 1984 के दौरान ई.पी.आई. द्वारा विदेश में चलायी गयी ऐन बाग्जे आवासीय परियोजना के मामले में परियोजना सहायता देकर विदेशी विनिमय को अर्जित करने के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया गया था।
- ई.पी.आई. को दिये गये परियोजना सहायता के 2 करोड़ रुपये का "लेखे पर देना" भुगतान की स्वीकृति न्यायोचित नहीं थी क्योंकि मंत्रालय को यह पहले ही ज्ञात था कि परियोजना हानियों पर चल रही है तथा परियोजना के पूर्ण होने पर ई.पी.आई. का इस राशी हेतु हकदार होने की सम्भावना नहीं थी।
- इस परियोजना को चलाने के दौरान उनके द्वारा उठायी गयी 70 करोड़ रुपये की हानि को दृष्टिगत करते हुये सरकार का ई.पी.आई. से 2 करोड़ रुपये के "लेखे पर देना" भुगतान की वसूली का कोई इरादा नहीं है।

12. ईसबगोल के निर्यात पर नकद सहायता का अनियमित भुगतान

पिछली कई दशकों से ईसबगोल (साइलमबीज/भूसी/पाउडर) भारत से निर्यात होने वाली एक वस्तु रही है। यह भारत से निर्यात की जाने वाली एक एकाधिकार वस्तु है तथा इस वस्तु के लिए देश विश्व की 85 प्रतिशत मांग को पूरा करता है। ईसबगोल (बीज/भूसी) का निर्यात बहुत मात्रा में बड़ी पैकिंगों में होता है न कि परिष्कृत सुधरे हुये रूप में।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान भूसी और बीजों का निर्यात निम्न अनुसार था:—

वर्ष	सलियम भूसी		सलियम बीज	
	मात्रा (टनों में)	मूल्य (लाख रुपयों में)	मात्रा (टनों में)	मूल्य (लाख रुपयों में)
1979-80	6331.61	818.52	2196.57	95.47
1980-81	6253.28	817.98	81.90	41.52
1981-82	7331.64	1226.19	1261.08	59.98
1982-83	5121.00	1059.60	953.79	64.03
1983-84	7585.58	2618.06	1085.72	83.37
1984-85	उपलब्ध नहीं	3827.57 (स्थापित)	उपलब्ध नहीं	471.43 (स्थापित)
1985-86	उपलब्ध नहीं	3087.73 (स्थापित)	उपलब्ध नहीं	390.81 (स्थापित)

नवम्बर 1983 में वाणिज्य मंत्रालय की मुख्यालय वर्गीकरण समिति (मु.व.स.) ने संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात, (स.मु.नि.आ.नि.) कलकत्ता के स्थानीय वर्गीकरण समिति (स्था.व.स.) के दिसम्बर 1982 में लिए गए निर्णय, कि "ईसबगोल" का निर्यात नकद सहायता और आयात आपूरण (आ.पू.) के योग्य नहीं है, की अभिपुष्टि की। मुख्यालय वर्गीकरण समिति के निर्णय को मंत्रालय द्वारा दिसम्बर 1983 में मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात नई दिल्ली (मु.नि.आ.नि.) के नियंत्रण में 24 में से 18 लाइसेंस/वितरण प्राधिकारियों को मार्ग दर्शन हेतु भेज दिया। जिन लाइसेंस/वितरण प्राधिकारियों को यह निर्णय परिपारित नहीं किया गया था वह अगरतल्ला, चण्डीगढ़, कटक, जयपुर, गुहाबटी और पटना में थे।

मार्च और अप्रैल 1985 में, मुख्यालय वर्गीकरण समिति के समक्ष बहुत से निर्यातकों के प्रतिवेदन प्राप्त होने के फलस्वरूप नकद सहायता के आपूरण के प्रश्न पर पुनः समीक्षा की गई। समिति ने निर्णय किया कि मामले की विभिन्न उत्पादों पर नकद सहायता के स्तर को निर्धारित करने के लिए गठित नकद सहायता समीक्षा समिति (न.स.स.स.) अन्तर् मंत्रालय समिति द्वारा पुनः समीक्षा की जानी चाहिए। यह निर्णय लिया गया था कि इस प्रयोजन के लिए बेसिक कैमिकल्स, फार्मायूटिकल्स एवं कार्मोटिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल कै.फा.का. ए.प्रो.को. से इस उत्पाद के आंकड़े प्राप्त किये जायें। मुख्यालय वर्गीकरण समिति, स्थानीय वर्गीकरण समितियों के परस्पर विरोधी विचारों से अवगत थी, इसके बावजूद भी वह ईसबगोल के निर्यात पर ग्राह्यता आपूरण लाइसेंस की प्रश्न पर अन्तिम निर्णय लेने में असफल रही।

वाणिज्य मंत्रालय के लागत लेखा कक्ष ने कै.फा.का.ए.प्रो.का. से प्राप्त प्रोफौर्मार् आंकड़ों की जांच की और देखा (अगस्त 1985) कि सिलियम बीजों/भूसी के निर्यात में निर्माण प्रक्रिया शामिल नहीं थी। इसमें केवल श्रेणी निर्धारण, पैकिंग और अग्रेषण शामिल थे और निर्यातक इसके निर्यात पर पर्याप्त लाभ प्राप्त कर रहे थे। लागत लेखा कक्ष के विचार से सिलियम बीजों/भूसी/पाउडर के निर्यात पर कोई नकद सहायता राशि को देने का कोई औचित्य नहीं था। मामला एक अक्टूबर 1985 को न.स.स.स. के समक्ष आया, तब यह निर्णय लिया गया कि सिलियम बीजों/भूसी/पाउडर के निर्यात पर नकद सहायता राशि देने का कोई औचित्य नहीं था। न.स.स.स. के निर्णय 17 दिसम्बर 1985 को विभिन्न लाइसेंस अधिकारियों को परिपत्रित कर दिया गया था।

मु.नि.आ.नि., जिसका ध्यान इस और दिलाया गया था कि 17 दिसम्बर 1985 को जारी निदेशों के पश्चात् भी उसके अधीन लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा नकद सहायता का भुगतान किया जा रहा था, ने अगस्त 1986 में एक परिपत्र जारी करके लाइसेंस प्राधिकारियों को उन निर्यातकों से नकद सहायता राशि वसूल करने के लिए कहा जिन्हें इसका भुगतान किया गया था। यथा समय इसकी एक रिपोर्ट मु.नि.आ.नि. को भी भेजी थी।

मामले से निम्न विशेषतायें प्रकट हुईं:

- (i) ईसबगोल को पहले स्था.वर्गी.स. बम्बई और अहमदाबाद द्वारा आपूरण के लिए आयात नीति के क्रम ख-12 (औषधीय पौधे और बूटी) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था न कि नकद सहायता के रूप में। स्था.वर्गी.स. समिति, कलकत्ता ने अपनी दिनांक 22

दिसम्बर 1982 की बैठक में यह निर्णय लिया था कि ईसबगोल न तो आपूरण के लिए और न ही नकद सहायता के वर्गीकरणीय था।

- (ii) जोधपुर की एक फर्म द्वारा किये गए सन्दर्भ में कि क्या वह सिलियम भूसी के निर्यात पर क्षेत्र पर्यन्त नि.शुल्क मूल्य का 10 प्रतिशत की दर से आपूरण और नकद सहायता राशि जैसे की आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों को (ख 11.2 आयात नीति) ग्राह्य है कि हकदार होगी। मु.नि.आ.नि. ने अप्रैल 1983 में उत्तर दिया था कि यदि निर्णय की वस्तु पंजीकृत निर्यातकों के लिए निर्यात नीति तथा नगद सहायता के नियमों और प्रक्रिया की सूचना पुस्तक तथा आयात नीति में दिये गए विवरण और शर्तों के अन्तर्गत है, तो यह नकद सहायता की पात्र होगी। इस पत्र के आधार पर फर्म ने अप्रैल 1984 से नवम्बर 1985 के दौरान किये गए निर्यात पर नकद सहायता और आपूरण का दावा किया। उप मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात जयपुर ने 18.03 लाख रुपयों की नकद सहायता राशि और 16.81 लाख रुपये मूल्य की आपूरण हेतु अनुमति दे दी थी। तथापि उप मुख्य नियंत्रक आ.नि. जयपुर ने फर्म को नकद सहायता/आपूरण की अनुमति देने से पूर्व निर्यात नीति (1984-85) में दी गई पात्रता की शर्तों की पड़ताल नहीं की।

- (iii) कैमक्ससिल ने अपने विचार प्रकट करते हुये, जिन्हें न.स.स.स. की बैठक के समक्ष रखा गया था, यह सलाह दी थी कि 1974-75 के दौरान जब औषधीय पौधों के निर्यात (कच्ची औषधी) आपूरण लाइसेंस पर निर्यात की पोतपर्यन्त निशुल्क लागत पर 1 प्रतिशत के लिए पात्र थी। इसी श्रेणी के अन्तर्गत ईसबगोल के निर्यातको ने आपूरण लाइसेंस प्राप्त करना शुरू किया। समिति ने निर्णय दिया कि यहां तक उसकी जानकारी है, इसका निर्यात कभी भी आयुर्वेदिक/एलौपैथिक औषधि के रूप में नकद सहायता अथवा आपूरण का पात्र नहीं बना था।

- (iv) नकद सहायता का मूल आधार निर्यातकों द्वारा सामना की गई अप्रत्यक्ष करों (निवेश पर बिक्री कर), व्याज की असुविधा, मालभाड़ा की असुविधा, नये बाजार में प्रवेश की लागत, उत्पादों के विकास इत्यादि पर आई लागत और इसी प्रकार की असुविधाओं को दूर करना है। ईसबगोल के निर्यात में कोई निर्माण प्रक्रिया शामिल नहीं है, क्योंकि केवल श्रेणीकरण और पैकिंग शामिल है। कैमक्ससिल का भी यही विचार था कि इन वस्तुओं के निर्यात से पार्टियों को कोईहानि नहीं उठानी पड़ी। इस वस्तु के निर्यात में तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण सरकार द्वारा न्यूनतम निर्यात मूल्य निर्धारित करना पड़ा था जो 13 मई 1985 से प्रभावी था।

- (v) अप्रैल 1985 में जब मामला मु.वर्गी.स. के समक्ष विचारार्थ आया तो उसने यह तथ्य पाया कि बम्बई और अहमदाबाद में लाइसेंस अधिकारी पहले इस मद को केवल आपूरण हेतु निर्यात नीति के क्रम संख्या ख-12 के अन्तर्गत वर्गीकृत कर रहे थे न कि नकद सहायता के लिए नवम्बर 1983 में मु.वर्गी.स. की पुष्टी के बावजूद भी कि इस वस्तु पर आपूरण ग्राह्य नहीं था के निर्णय के पश्चात भी नकद सहायता के प्रश्न को न.स.स.स. को अग्रेषित करने का फैसला करते हुए उसने इस बात की पृष्ठताछ नहीं की कि आपूरण

लाइसेन्स किस प्रकार दिये जा रहे थे, जबकि दिसम्बर 1983 में इसके विपर्याय निदेश जारी कर दिये गये थे।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है ईसबगोल के निर्यात पर आपूरण और नकद सहायता की ग्राह्यता के प्रश्न पर लाइसेन्स और वितरण अधिकारियों के विचारों में मतभेद था। जबकि मु.नि.सा.नि. द्वारा 11 अगस्त 1986 को एक परिपत्र जारी करके नकद सहायता की अग्राह्यता के विषय में सूचित किया गया था तथा लाइसेन्स और वितरण अधिकारियों को अधिक अदायगी की वसूली करने के लिए कहा गया था, निर्यातकों को जारी आपूरण लाइसेन्स के समायोजन हेतु निर्देश नहीं दिए गये थे। मु.वर्गी.स. (नवम्बर 1983) और न.स.स.स. (अक्टूबर 1985) द्वारा लिये गए निर्णय पृष्ठी/स्पष्टीकरण प्रकृति के थे तथा वे संशोधन नहीं थे। इस स्पष्टीकरण के विपरीत जारी किये गए आपूरण लाइसेन्सों और दी गई नकद सहायता की प्रमात्रा के विषय में पता नहीं था। भुगतान की नकद सहायता की मात्रा और जारी किये गए आपूरण लाइसेन्सों, लेकिन जिनकी वसूली या समायोजित नहीं हुये थे का विवरण लेखापरीक्षा द्वारा जून 1986 में मांगा गया था तथा सूचना प्रतिक्षित थी (दिसम्बर 1986)।

मु.नि.आ.नि. ने दिसम्बर 1986 में तथ्यों को स्वीकार करते हुये बताया कि लाइसेन्स/वितरण अधिकारियों से निर्यातकों को सिलमय बीजों/भूसी/पाउडर पर दी गई नकद सहायता और स्वीकृत आपूरण की वसूली/समायोजन हेतु कहा, और इसकी सूचना इस कार्यालय को प्राथमिकता आधार पर भेजने के लिए कहा गया है।

13. जंगली जानवरों के बालों वाले चमड़े की पोशाकों के निर्यात पर नकद सहायता का परिहार्य भुगतान

1979-80 की निर्यात नीति की व्याख्यात्मक टिप्पणी के अनुसार सभी प्रकार के जंगली जानवरों (मृत या जीवित पर उनके कोई भाग या उनके उत्पाद) के निर्यात पर अनुसूचित के भाग "ख" में उल्लिखित को छोड़कर जिसकी अनुमति उसके गुणावगुण अथवा सीमित अथवा समय समय पर अन्य शर्तों पर दी जा सकती थी पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया था।

1-1-1979 से जम्मू और काश्मीर राज्य में वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) अधिनियम, 1972 लागू होने के फलस्वरूप सरकार ने अक्टूबर 1979 में एक अधिसूचना जारी की कि जम्मू और काश्मीर राज्य के भी निर्माताओं और निर्यात को 31-12-1978 को घोषित बालों वाले चमड़े के स्टॉक में से, जंगली जानवरों अर्थात् गीदड़ सामान्य लोमड़ी पहाड़ी लोमड़ी, जंगली बिल्ली आदि के चमड़े से बने जैकेट और कोट को इस प्रयोजन के लिए निर्धारित सीमा के भीतर निर्यात करने की अनुमति दी जायेगी। 1979-80 और 1980-81 के दौरान सरकार ने एक ऐसी सीमा निर्धारित की कि जिसके भीतर प्रथम आया प्रथम विचारणीय के आधार पर, सरकार के आदेशों में निर्धारित शर्तें पूरी करने पर ही निर्यातों को अनुमति दी गयी थी, जिसे बाद में 1984-85 तक बढ़ा दिया गया। एक अप्रैल 1985 से जंगली जानवरों के बाल वाले चमड़े की पोशाकों के निर्यात पर पूरी तरह रोक लगा दी गयी।

एक फर्म द्वारा उल्लेख किये जाने पर मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात (मु.नि.आ.नि. सी.सी.आई.ई.) ने अगस्त 1979 में सूचित किया कि बालों वाले चमड़े की पोशाकों पर नकद सहायता अनुमत नहीं थी। इस पर फर्म ने

मई 1980 में मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात को बताया कि इस प्रकार के और संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात (सं.मु. नि.आ.नि.) केन्द्रीय लाइसेंसिंग क्षेत्र के.ल.क्षे.) नई दिल्ली निर्यात पर सहायक मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात श्रीनगर/द्वारा नकद सहायता का भुगतान किया जा रहा था। तथापि यह निर्णय देते हुए कि नकद सहायता अनुमत थी, बालों वाले चमड़े की पोशाकों के निर्यात पर नकद सहायता का भुगतान रोकने के लिए मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात ने सभी लाइसेंसिंग/वितरण अधिकारियों को अनुदेश जारी नहीं किये अथवा सहायक मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात श्रीनगर और सं.मु.नि.आ.नि. (के.ल.क्षे.) नई दिल्ली से यह नहीं पूछा कि नकद सहायता का भुगतान किस प्रकार किया जा रहा था।

अप्रैल 1981 में वाणिज्य मंत्रालय ने मु.नि.आ.नि. को सूचित किया कि जंगली जानवरों के चमड़े की पोशाकों के निर्यात पर नकद सहायता नहीं दी जानी थी। चूंकि मु.नि.आ.नि. द्वारा, नकद सहायता के और भुगतान को रोकने के आदेश अप्रैल 1982 में जारी कर दिये गये थे, अतः 1981-82 के दौरान जंगली जानवरों के बालों वाले चमड़े से बनी पोशाकों के निर्यातों पर नकद सहायता का भुगतान नहीं रोका जा सका। मु.नि.आ.नि. ने अगस्त 1982 में जंगली जानवरों के बालों वाले चमड़े की पोशाकों के निर्यात पर दी गई नकद सहायता के भुगतान की वसूली करने के लिए सभी लाइसेंसिंग/संवितरण कार्यालयों को निर्देश जारी कर दिये।

जंगली जानवरों के बालों वाले चमड़े से बने पोशाकों के निर्यात पर नकद सहायता वापस लेने के बिल है। अभिवेदनों की प्राप्ति पर मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात ने जनवरी 1983 में नकद सहायता की वसूली स्थागित कर दी और यह मामला विचार मंत्रालय को भेज दिया। मंत्रालय के वित्त प्रभाग ने फरवरी 1983 में यह सुझाव दिया कि यदि जंगली जानवरों को बालों वाले चमड़े से बने पोशाकों के निर्यात पर नकद सहायता पुनः दी जानी थी तो नकद सहायता पुनरीक्षण समिति (न.स.पु.स.) और विपणन विकास सहायता (वि.वि.स.) समिति का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा क्योंकि वि.वि.स. द्वारा जुलाई 1982 में अनुमोदित मार्ग निर्देशन में उत्पादों के निर्यात पर नकद सहायता के भुगतान के लिए प्रावधान नहीं था जो देश के भीतर सीमा के अध्यक्षीन थे। जबकि मुख्यालय वर्गीकरण समिति (मु.व.स.) मार्च 1984 में जंगली जानवरों के बालों वाले चमड़े से बनी पोशाकों का चमड़े के पोशाकों के रूप में वर्गीकरण पर सहमत थी, जिनपर नकद सहायता अनुमत थी, समिति (मु.व.स.) ने यह इच्छा प्रकट की कि न.स.प्र.स. के समक्ष एक टिप्पणी प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसमें मंत्रालय और मु.नि.आ.नि. द्वारा जारी किये गये अनुदेशों को वापस लेने पर मार्ग निर्देशन प्राप्त करना चाहिए और क्या इस प्रकार अनुदेश वापस बाद की तारीख या पहले की तारीख से लागू की जायेगी और पहले के जिन मामलों में भुगतान किया जा चुका था अथवा दावा अनिर्णीत था उन्हें किस प्रकार से विनियमित किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने न.स.मु.स. के समक्ष यह मामला नहीं रखा और पूर्ववत् स्थिति कायम रखने तथा अप्रैल 1982 से, पूर्वव्यापि तारीख से नकद सहायता का भुगतान, करने के लिए जून 1984 और जुलाई 1984 में मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात को अनुदेश जारी करके, अप्रैल 1981 के अपने पहले के आदेशों को वापस लेने का निर्णय किया। मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात ने जुलाई 1984 में अपने पहले का आदेश रद्द कर दिया और अप्रैल 1982 से जंगली जानवरों के बालों वाले

चमड़े से बनी पोशाकों के निर्यात पर नकद सहायता का भुगतान जारी रखने के लिए सभी लाइसेंसिंग अधिकारियों को अनुदेश दे दिया।

पर्यावरण विभाग जनवरी 1984 से जंगली जानवरों को बालों वाले चमड़े से बनी पोशाकों को निर्यात पर रोक लगाने के लिए मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात तथा वाणिज्य मंत्रालय से अनुरोध कर रहा था। पहले दिये गये अक्टूबर 1979 के आदेशों का हवाला देते हुए इस विभाग द्वारा यह बताया गया कि जंगली जानवरों के बालों वाले चमड़े से बनी पोशाकों का सभी स्टॉक जम्मू और काश्मीर के घोषित स्टॉक से था। विनिर्माता-निर्यातकों ने गैर कानूनी ढंग से बालों वाले खालों का संग्रहण किया था और उन्हें जम्मू और काश्मीर ले गये थे तथा उन्हें विनियमित करवाया और व्यापारियों के स्टॉक में जोड़ दिया था। जब 1984-85 के लिए निर्यात नीति में रोक नहीं लगायी गयी तो पर्यावरण विभाग ने मई 1984 में इस बात पर पुनः जोर दिया कि व्यापक राष्ट्रहित में जंगली जानवरों के बालों वाले चमड़े से बनी पोशाकों के निर्यातों पर शीघ्र रोक लगाना आवश्यक था। मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात ने जून 1984 में जंगली जानवरों के बालों वाले चमड़े से बनी पोशाकों के निर्यातों पर हुए। अप्रैल 1985 से रोक लगाते हुए आदेश जारी किये।

जंगली जानवरों के बालों वाले चमड़े की पोशाकों पर अप्रैल 1981 के अपने पूर्व आदेश को वापस लेते हुए मंत्रालय का पूर्वव्यापीय व नकद सहायता अनुमत किए जाने के लिए जून 1984 और जुलाई 1984 का निर्णय उचित नहीं था क्योंकि -

- चूँकि वि.वि.स. द्वारा जुलाई 1982 में अनुमोदित मार्ग-निर्देशनों में उत्पादों के निर्यात पर नकद सहायता का उपबंध नहीं था जो देश के भीतर सीमा के अध्वधीन था अतः उपरोक्त मार्ग निर्देशन से अलग हटकर काम करने के लिए यह मामला अनुमोदन हेतु वि.वि.सं. के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए था।
- विपणन विकास सहायता समिति नवम्बर 1978 में इसको भेजे गए एक मामले में पूर्व व्यापी तारीख से नकद सहायता देने के लिए सहमत नहीं हुए क्योंकि यह आपत्तिजनक था और एक गलत मिसाल कायम होती।
- जंगली जानवरों के बालों वाले चमड़े की पोशाकों अन्य चमड़े की पोशाकों के बराबर नहीं मानी जा सकती थी क्योंकि इनका निर्यात सीमित आधार पर था और इसकी ईकाई मूल्य उपलब्धि बहुत अधिक थी, और
- पर्यावरण विभाग व्यापक राष्ट्रहित में बालों वाले चमड़े के पोशाकों के निर्यात पर रोक लगाने के लिए जनवरी 1984 से मंत्रालय और मु.नि.आ.नि. से अनुरोध कर रहा था जिस पर जून 1984 और जुलाई 1984 में बालों वाले चमड़े के पोशाकों के निर्यात पर पूर्व व्यापी नकद सहायता की अनुमति देने के लिए निर्णय करते समय मंत्रालय द्वारा विचार नहीं किया गया।

सहायक मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात श्रीनगर तथा संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात के.ला.क्षे. नई दिल्ली द्वारा अप्रैल 1981-82 से

1984-85 के दौरान 14.31 लाख रुपये नकद सहायता का भुगतान किया गया। संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात बम्बई ने उसके कार्यालय द्वारा प्रदत्त नकद सहायता के बारे में सूचना देने के लिए अक्टूबर 1986 में अपनी असमर्थता व्यक्त की

यह मामला मंत्रालय को जुलाई 1986 में भेजा गया परन्तु उनकी टिप्पणियां प्रतिक्षित थीं (दिसम्बर 1986)।

इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग

14. नौसेना के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा ली गई विकास एवं उत्पादन परियोजनाओं की समीक्षा

इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग (इ.वि.) ने जून 1975 से अक्टूबर 1978 के दौरान 7.32 करोड़ रु. की लागत पर रक्षा मंत्रालय (र.मं.) की ओर से 6 नौसैनिक परियोजनाओं की डिजाइन, विकास और पूर्ति की जिम्मेदारी ली थी जैसा नीचे दर्शाया गया है:—

परियोजना सं.	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)
1	250.00
2	35.00
3	169.75
4	167.00
5	99.00
6	11.50
जोड़	732.25

इन परियोजनाओं पर इ.वि. द्वारा किया गया व्यय र.मं. द्वारा अनुसंधान और विकास संगठन पर आंशिक व्यय के अलावा परियोजनाओं के पूरा होने पर प्रतिपूर्त किया जाना था।

इ.वि. ने बताया (जनवरी 1987) कि परियोजना सं. 2 के लिए 25 लाख रु. की लागत पर सिस्टम के एक भविष्यवादी संबंधी विवरण को भी जोड़ा गया था। इसी प्रकार परियोजना सं. 3 के लिए अनुमोदित परिव्यय 416 लाख रु. था जिसमें अतिरिक्त सिस्टम की लागत शामिल थी। परियोजना सं. 6 के लिए भी अनुमानित लागत 14.50 लाख रु. बताई गई थी। विभिन्न परिवर्धनों आदि सहित नौसैनिक परियोजनाओं की कुल लागत 996.50 लाख रु. बताई गई थी।

परियोजनाओं पर नीचे व्यौरेवार चर्चा की गई है:

परियोजना सं. 1:—

2.50 करोड़ रु. विदेशी विनिर्माण संघटक 1.25 करोड़ रु. की लागत पर अक्टूबर 1979 तक सुपर्दगी हेतु सिस्टम "क्ष" की आपूर्ति के लिए मई 1978 में एक आदेश दिया गया था। परियोजना सितम्बर 1978 में प्रारंभ हुई और समापन तथा चालू होने के लिए तारीख दिसम्बर 1981 थी।

चूँकि परियोजना की प्रगति बहुत कम थी इसलिए नौसैनिक प्राधिकारियों ने मार्च 1980 में आपूर्ति आदेश रद्द करने का निर्णय किया। तथापि, इस

प्रकार की सुविधा और अन्य पोटों के लिए दिया गया दूसरा आदेश (दिसम्बर 1977) और चलता रहा क्योंकि सिस्टम का देशी विकास आयातित सिस्टम की अपेक्षा कम महंगा समझा गया था। इ.वि. ने 5.50 करोड़ रु. की संशोधित लागत से दिसम्बर 1983 तक चालू करने की सम्भावित तारीख के साथ परियोजना जारी रखी। विलम्ब का कारण इ.वि. से स्वयं संबंधित परियोजनाओं के पूरे होने में विलम्ब बताया गया था। लागत में वृद्धि का कारण, अतिरिक्त लोहे का सामान (1.5 करोड़ रु.) मूल्यों में वृद्धि (0.5 करोड़ रु.) और सिस्टम का इ.वि. द्वारा स्वयं विकास और संरचना करने, जैसी कि पूर्व योजना थी, के बजाय विनिर्माण एजेंसी 'च' में विकास किए जाने के कारण अधिव्यय में वृद्धि (1.00 करोड़ रु.) बताये गये थे।

सिस्टम को अभी पूर्ण और चालू किया जाना था। इ.वि. ने परियोजना पर मार्च 1981 तक 1.75 करोड़ रु. का व्यय किया था। मार्च 1981 के बाद किया गया व्यय अभी तक (जनवरी 1987) विनिर्दिष्ट नहीं किया गया था।

इ.वि. ने बताया (जनवरी 1987) कि र.मं. ने आज तक (जनवरी 1987) सिस्टम की निवेश/उत्पादन आवश्यकताओं की केवल आंशिक परिभाषाएं दी थी। इस परियोजना की विभिन्न उपसिस्टम विकसित हो चुकी हैं, परन्तु कम्प्यूटर सहायता प्राप्त समाकलन अब भी विकसित होना था इ.वि. ने अपने उत्तर में पूरे होने की संभावित तारीख नहीं बताई थी (जनवरी 1987)।

परियोजना सं. 2:—

नौसैनिक यूनिट 'ग' ने 35 लाख रु. के लिए एक सिस्टम की आपूर्ति के लिए मई 1978 में मांग प्रस्तुत की जिसमें 10 लाख रु. के विदेश से आयातित संघटक शामिल थे। आपूर्ति नवम्बर 1978 तक की जानी थी।

निरीक्षण किए बिना प्रारंभिक सिस्टम अप्रैल 1979 में पोत पर प्रतिष्ठापित किया गया था। तथापि, उपस्कर की अनुपलब्धता के कारण सिस्टम को चालू नहीं किया जा सका था। उपरोक्त उपस्कर दिसम्बर 1979 में उपलब्ध किया गया था और सिस्टम को एकीकृत किया गया था और बन्दरगाह अनुमोदन परीक्षण अप्रैल 1980 में किए गये थे। तथापि, समुद्री अनुमोदन परीक्षण नौसैनिक पोत की अनुपलब्धता के कारण नहीं किए जा सके थे। मार्च 1984 में हुई तकनीकी समिति की बैठक में यह निर्णय किया गया था कि आयातित उपस्कर के मानकों के बराबर मानक सुनिश्चित किए जाने चाहिए। इ.वि. ने बताया कि उपस्कर की सुपुर्दगी के 5 साल बाद भी कोई अनुमोदन अनुसूची नहीं थी। नेविल स्टाफ के उप प्रमुख द्वारा यह बताया गया था कि पोत सोफ्टवेयर ट्यूनिंग हेतु प्रयोगात्मक परीक्षणों के लिए 15 अप्रैल 1984 तक उपलब्ध किया जायेगा।

इसी बीच में प्रयोग कर्ताओं ने लोहे के सामान की अपनी विशिष्टियां बदल दी क्योंकि परियोजना कार्य क्षेत्र बढ़ा दिया गया था। इसके बाद इ.वि. ने परिधिओं सहित लोहे के सामान को नई आकृति दी और उसे अनुमोदन के लिए नौसैनिक यूनिट को भेज दिया। उपरोक्त अनुमोदन प्राप्त होने के बाद नई आकृति के लिए लोहे के सामान अधिप्राप्त किया जाना था। पहले ही विकसित सोफ्टवेयर को नई आकृति के लिए कुछ संशोधनों की

आवश्यकता थी। आकृति का औपचारिक अनुमोदन अब भी प्रतीक्षित था (जनवरी 1987)।

इ.वि. ने मार्च 1981 तक 56.38 लाख रु. व्यय किया। उपरोक्त व्यय किया गया व्यय निर्धारित नहीं किया गया था (जनवरी 1987) इ.वि. ने नौसेना द्वारा सिस्टम के विचाराधीन और औपचारिक अनुमोदन के संबंध में तथ्यों की पुष्टि की (जनवरी 1987) इ.वि. ने बताया कि सिस्टम के भविष्यवाद संबंधी विवरण प्रयोगशाला मॉडल के स्तर तक विकसित हो चुकी थी। पश्चिम बंगाल इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग विकास निगम लिमिटेड और कलकत्ता पत्तन न्यास ने सिस्टम का कार्यान्वयन आरंभ कर दिया है। सिस्टम के 1987-88 में पूरे होने की संभावना थी।

परियोजना सं. 3:—

जून 1975 से जुलाई 1977 के दौरान तीन सिस्टमों और फालतू पुर्जों की पूर्ति के लिए आदेश दिये गये थे। फालतू पुर्जों की पूर्ति के लिए एक और आदेश मई 1982 में प्राप्त हुआ था। सभी आदेशों की कुल लागत 84.27 लाख रु. के विदेशी आयातित संघटक सहित 196.49 लाख रु. परिकलित की गई।

इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग द्वारा दिसम्बर 1982 में परियोजना की प्रगति का पुनरीक्षण किया गया था और परियोजना की अन्तिम लागत को दर्शाने वाली रिपोर्ट की मांग की गई थी। इसकी प्राप्ति होने तक दिसम्बर 1982 से मार्च 1983 के दौरान चालू परियोजनाओं के लिए 50 लाख रु. प्राधिकृत किए गये थे। परियोजना का पुनः पुनरीक्षण समिति द्वारा किया गया था जिसके अध्यक्ष रक्षा मंत्रालय के मुख्य नियंत्रक अनुसंधान और विकास थे, जिन्होंने मई 1984 में रिपोर्ट प्रस्तुत की और पुनरीक्षण में नौसेना द्वारा दी गई मूल आवश्यकताओं की तुलना में निर्णायक आवश्यकताओं का कार्य क्षेत्र बढ़ा दिया। इस रिपोर्ट के आधार पर 169.67 लाख रु. की अतिरिक्त राशि संस्वीकृत की गई थी (नवम्बर 1984) इस प्रकार परियोजना के लिए कुल 4.16 करोड़ रु. की वित्तीय वचनबद्धता अनुमोदित की गई थी।

परियोजना पर विस्तृत कार्य जनवरी 1976 में प्रारंभ किया गया था और लोहे के सामान की सुपुर्दगी अगस्त 1977 तक की जानी थी। अगस्त 1981 में इ.वि. ने बताया कि सिस्टम का चालू किया जाना कुछ उपस्करों की उपलब्धता पर निर्भर करता था और उपस्कर 1981 की अन्तिम तिमाही में परिचालनात्मक स्थिति में उपलब्ध होने की आशा थी जब पूर्ण समाकलन और चालू करने के परीक्षण नियत किए गये थे। दूसरा सिस्टम मार्च 1982 से पहले और तीसरा सिस्टम दिसम्बर 1982 तक सुपुर्द किए जाने की आशा की जाती थी।

जुलाई 1986 में आयोजित की गई बैठक में यह बताया गया था कि इ.वि. ने डाकयार्ड सिस्टम से संबंधित कुछ मदों के अलावा सभी हार्डवेयर सुपुर्द कर दिये थे। इ.वि. ने बताया कि प्रथम फिटिंग के बाबत 2 सिस्टमों के लिए लागत के 75 प्रतिशत के लिए दावा र.मं. को भेज दिया गया था। इ.वि. द्वारा लागत अधिक होने के लिए कारण भी बताए गये थे परन्तु र.मं. लागत वृद्धि से सहमत नहीं था और संयुक्त रूप से इसका निराकरण करने का निर्णय किया गया था।

इस प्रकार तीन सिस्टमों जो दिसम्बर 1982 तक सुपुर्द किए जाने की योजना थी, में से केवल 2 प्रोटोटाइप सिस्टम सुपुर्द किए गये थे और 1982 से चालू हैं। र.मं. से उसकी स्वीकृति टिप्पणियां मार्च 1986 में प्राप्त हुई थी।

इ.वि. ने 31 मार्च 1981 तक 1.38 करोड़ रु. का व्यय किया था। तथापि, इसके बाद मार्च 1981 के बाद किये गये व्यय के लिए कोई आबंटन नहीं किया गया था। इ.वि. ने बताया (जनवरी 1987) कि इ.वि. ने लेखागत अदायगी के रूप में 102 लाख रु. अदा किए थे और अधिक लागत का अधिकांश भाग र.मं. से प्राप्त होने की आशा थी। इ.वि. ने आगे बताया कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड (भा.इ.नि.लि.) तीसरे सिस्टम को अधिकार में ले रहा है और 1987 के मध्य तक चालू व प्रतिष्ठापित कर रहा है और फालतू पुर्जों की पूर्ति, प्रलेखन और सोफ्टवेयर और सिस्टम इन्टीग्रेशन ट्रेनिंग 1987 के अन्त तक पूरी हो जायेगी।

परियोजना सं. 4:-

जुलाई 1975 से अप्रैल 1978 के दौरान 167 लाख रु. की कुल लागत पर फालतू पुर्जों सहित उपस्कर की पूर्ति के लिए आदेश इ.वि. को दिये गये थे इसमें 44.10 लाख रु. की विदेशी मुद्रा शामिल थी।

परियोजना के समापन का निर्धारित समय जुलाई 1978 था और विस्तृत कार्य जनवरी 1976 में आरंभ किया गया था। अप्रैल 1978 में र.मं. ने सुपुर्दगी अनुसूची चरण - 1 उपस्कर के लिए दिसम्बर 1979 और चरण - 11 उपस्कर के लिए फरवरी 1981 के लिये बदल दी। सिस्टम का चालू होना परीक्षण के लिए नौसेनिक पोत की उपलब्धता पर निर्भर था।

प्रथम प्रोटोटाइप संयोजित किया गया, तथा प्रयोगशाला में जांचा गया और पोत पर जनवरी 1983 में ले जाया गया था। तथापि, प्रोटोटाइप यूनिट का परीक्षण नहीं किया गया था और जनवरी 1983 से पोत पर पड़ी हुई थी चूंकि नौसेना मुख्यालय ने इसकी जांच करने के लिए पोत पर आवश्यक समय नहीं दिया था और इस प्रकार परियोजना अब तक (जनवरी 1987) पूर्ण नहीं हुई थी। इ.वि. ने मार्च 1981 तक 1.07 करोड़ रु. का व्यय किया था और उसके बाद व्यय का आबंटन अभी किया जाना था (जनवरी 1987)।

र.मं. से यह पता चला था (दिसम्बर 1986) कि उपस्कर अब भी डिजाइन चरण पर था और इसलिए नौसेना द्वारा आदेश की आंशिक संवृत्ति पर विचार किया जा रहा था इ.वि. ने बताया (जनवरी 1987) कि अंतरापृष्ठ जांच करने के लिए उपस्कर नौसेना द्वारा पर्याप्त अवधि तक प्रदान नहीं किये गये थे और आगे की प्रगति तब तक सम्भव नहीं थी जब तक कि पोत/उपस्कर अपलब्ध नहीं किया जाता।

परियोजना सं. 5:-

99 लाख रु. जिसमें 55 लाख रु. की विदेशी मुद्रा शामिल थी, की अनुमानित लागत पर फालतू पुर्जों सहित सिस्टम की आपूर्ति के लिए आदेश अक्टूबर 1978 में दिया गया था।

नौसेना द्वारा परिचालन में रखे जाने के लिए उपस्कर बनाने के लिए सिस्टम अपेक्षित था और जून 1981 तक सुपुर्द किया जाना था। हार्डवेयर के

लिए कार्य विदेशी मुद्रा के निर्मुक्त होने के बाद 1980 की दूसरी छमाही में प्रारंभ किया गया था और उस तारीख के पहले यह डिजाइन अध्ययन और कम्प्यूटर सोफ्टवेयर तक सीमित था। अगस्त 1981 में इ.वि. ने परियोजना के समापन को संभावित तारीख को दिसम्बर 1982 तक आगे बढ़ा दिया क्योंकि संघटक देर से निर्मुक्त किये गये थे।

मार्च 1981 तक परियोजना पर 48.52 लाख रु. व्यय किये गये थे। उसके बाद किया गया व्यय अब तक (जनवरी 1987) आबंटित नहीं किया गया था। इ.वि. ने बताया (अगस्त 1986) कि उपस्कर का कुछ भाग संयोजित किया जा चुका था और जांच की जा चुकी थी। विलम्ब एक विदेशी फर्म को जनवरी 1983 में 20 उपकरणों के लिए आदेश दिए जाने और अब तक सुपुर्द न किये जाने के कारण हुआ। कुछ अन्य पूर्तिकर्ताओं के माध्यम से इन उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए प्रयास किए जा रहे थे।

जनवरी 1987 में इ.वि. ने बताया कि हार्डवेयर का नाजुक भाग विकसित हो चुका था और सिस्टम समाकूलन और सोफ्टवेयर विकास प्रगति पर थे। समापन की सम्भावित तारीख 1988-89 थी जैसा कि इ.वि. द्वारा बताया गया था।

परियोजना सं. 6:-

नौसेनिक स्कूल हेतु एक सिस्टम की पूर्ति के लिए अक्टूबर 1977 में 11.50 लाख रु. की अनुमानित लागत पर आदेश दिया गया था जिसमें 2 लाख रु. का विदेशी मुद्रा संघटक शामिल था। उपस्कर मार्च 1978 तक सुपुर्द किया जाना और चालू किया जाना था। परियोजना पर कार्य 1977 में प्रारंभ किया गया था। अगस्त 1981 में इ.वि. ने परियोजना के समापन की संभावित तारीख मार्च 1982 निर्धारित की। तथापि, उपस्कर के विकास और प्रतिष्ठापन में पर्याप्त विलम्ब हुआ था और उपस्कर की अन्तिम आपूर्ति के लिए निरीक्षण टिप्पणी इ.वि. द्वारा अप्रैल 1985 में ही प्राप्त की गई थी। र.मं. ने मार्च 1986 में विकास की लागत के रूप में 11.50 लाख रु. प्रतिपूर्ति की।

इ.वि. ने तथ्यों को स्वीकार किया (जनवरी 1987) और बताया कि परियोजना की अनुमानित लागत 14.50 लाख रुपये थी।

परियोजनावार लेखाओं का न रखा जाना:-

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया कि इ.वि. ने र.मं. की ओर से परियोजनाएं निष्पादित की और "वैज्ञानिक सेवा अनुसंधान" शीर्ष के अन्तर्गत बजट में किए गये प्रावधान के प्रति इ.वि. द्वारा मूलतः उस पर व्यय किया गया था। परियोजनाओं के पूरा होने पर अनुसंधान और विकास संगठन पर आंशिक व्यय को छोड़कर र.मं. द्वारा अंततः व्यय की प्रतिपूर्ति की जानी थी यथा संकलित इ.वि. के लेखे, प्रत्येक परियोजना की लागत परिकलित करने के लिए, व्यय के व्यौरों को परियोजना वार नहीं दर्शाते थे। इसके अलावा, इ.वि. का "कम्पोनेन्ट बैंक" प्रतिस्थापित करना था जिसमें सामान्य प्रयोग के लिए खरीदे गये विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संघटक लिये जाने थे। जब भी बैंक से संघटक विशिष्ट परियोजना को जारी किये जाते थे तो उनकी लागत सम्बंधित परियोजनाओं के प्रति लेखाबद्ध की जानी थी।

तथापि, लेखे प्रत्येक परियोजना के लिए अलग अलग नहीं रखे गये हैं और मार्च 1981 तक परियोजनाओं पर किया गया व्यय मोटे अनुमान के आधार पर विभिन्न परियोजनाओं को आबंटित किया गया था। उसके बाद किये गये व्यय का आबंटन लंबित था (जनवरी 1987) अतः संस्वीकृत लागत के प्रति प्रत्येक परियोजना के लिए व्यय का समुचित वित्तीय नियंत्रण सम्भव नहीं हो सका था। लेखापरीक्षा ने विभिन्न परियोजनाओं के बीच व्यय के आबंटन का मामला 1981 और 1985 में उठाया था। लेखापरीक्षा द्वारा बार बार प्रयास किए जाने के बावजूद भी कोई सुधार नहीं हुआ था। इ.वि. ने बताया (जनवरी 1987) कि "परियोजनावार आबंटन बहुत ही कठिन कार्य था। कुछ व्यय विशिष्ट कार्यों/परियोजनाओं के प्रति हैं परन्तु अधिकांश व्यय सामान्य क्रियाकलापों और खरीदों के लिए हैं जो आनुपातिक रूप से विभाजित किए जाने हैं। इसके लिए तकनीकी अधिकारियों और परियोजना लेखाओं के बीच बहुत धनिष्ठ आन्तरिक कार्यवाही अपेक्षित है। यह कार्य प्रगति में है"।

इ.वि. ने 11.52 करोड़ रु० का कुल व्यय निम्न प्रकार किया (अगस्त 1986)।

उपस्कर और संघटक 8.13 करोड़ रु., वेतन और व्यासायिक सेवाएं : 1.68 करोड़ रु. यात्रा : 0.13 करोड़ रु. पूंजीगत व्यय : 0.11 करोड़ रु. कार्यालय व्यय और किराया : 1.03 करोड़ रु. कंप्यूटर टाइम और टेस्ट सेट अप: 0.21 करोड़ रु. विविध व्यय, 0.01 करोड़ रु. और 1974-75 तथा 1975-76 के लिए अनाबंटित, व्यय 0.22 करोड़ रु.। उपरोक्त व्यय नौसैनिक परियोजनाओं और अन्य विकास/अनुसंधान क्रियाकलाप दोनों के बाबत बताया गया था। इसके प्रति नौसैनिक परियोजनाओं के बाबत 9.96 करोड़ रु. और अन्य परियोजनाओं के बाबत 1.86 करोड़ रु. व्यय किये गये बताए गये थे (जनवरी 1987)।

आयातित भंडारों पर सीमाशुल्क का भुगतान:-

परियोजनाओं के लिए आयातित भंडारों पर इ.वि. द्वारा सीमा शुल्क अदा किया जाना अपेक्षित नहीं था यदि सीमा शुल्क छूट प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता था। इ.वि. ने बताया (जनवरी 1987) कि विभिन्न नौसैनिक परियोजनाओं पर अब तक का अदा किया गया कुल सीमा शुल्क लगभग 2.03 करोड़ रु. था।

विशेष समिति द्वारा परियोजनाओं का नियंत्रण करना

इन छः परियोजनाओं की डिजाइन विकास के समय पर समापन और पूर्ति पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से इ.वि. ने अक्टूबर 1982 में एक विशेष समिति स्थापित की जिसके अध्यक्ष के रूप में सचिव (र.मं.), सचिव (इ.वि.) और सदस्यों के रूप में तीन अन्य पदाधिकारी थे। विशेष समिति की बैठक यथा अपेक्षित अवसर होनी थी परन्तु परियोजनाओं की प्रगति मानीटर करने के लिए तीन महीने में कम से कम एक बार होनी थी यह समिति अप्रैल 1983 में केवल एक बार बैठी थी। विवेचन के दौरान चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने बताया कि इ.वि. द्वारा विकसित किए गये विभिन्न सिस्टमों ने नौसेना मुख्यालय द्वारा निर्धारित की गई आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया था। विशेष समिति ने परियोजनाओं का तकनीकी मानीटर करने के लिए वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का

गठन किया। तकनीकी समिति को एक तिमाही में कम से कम एक बार मिलना था। तकनीकी समिति भी मार्च 1984 में केवल एक बार मिली और समिति में विचार विमर्श परियोजना सं. 2 तक सीमित था। इस प्रकार परियोजनाओं का नियमित मानीटोरिंग प्रारंभ नहीं किया गया था।

अनिवार्य नौसैनिक परियोजनाएं जो 1977 से 1981 के दौरान निष्पादित की जानी और परिचालित की जानी थी, 1987 तक बढ़ा दी गई है और अभी पूरी की जानी थी। केवल एक लघु परियोजना (सं. 6) 11.50 लाख रु. की लागत पर पूर्ण रूप से पूरी हो गई थी।

यह स्पष्ट नहीं था कि परियोजनाएं कब पूरी होंगी और र.म. द्वारा स्वीकृत की जायेंगी। इसके अतिरिक्त, विशेषकर रक्षा से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों की गति को ध्यान में रखते हुए यह संदेह है कि क्या जून 1975 से अक्टूबर 1978 की अवधि के दौरान जारी किए गये र.मं. के आदेशों में यथा अपेक्षित विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की आवश्यकताएं पूर्ण रूप से अब भी मान्य है।

लागत अधिक बढ़ना

र.मं. ने 9.96 करोड़ रु. की संस्वीकृत लागत के भीतर परियोजनाओं का समापन अनुमानित किया था। तथापि, इ.वि. अगस्त 1986 तक इन परियोजनाओं और अन्य विकास/अनुसंधान क्रियाकलापों पर पहले ही 11.52 करोड़ रु. की राशि व्यय कर चुका है। चूंकि अन्य विकास/अनुसंधान क्रियाकलापों के लिए प्राधिकृत की गई राशि 1.86 करोड़ रु. थी जैसा कि इ.वि. द्वारा बताया गया (जनवरी 1987) फिर भी नौसैनिक परियोजनाओं पर किया गया व्यय इ.वि. द्वारा 9.66 करोड़ रु. बताया गया था।

परियोजना सं. 6, को छोड़ते हुए सभी अन्य परियोजनाएं/सिस्टम, डिजाइन चरण/प्रयोगशाला स्तर पर थे या उनके केवल प्रोटोटाइप विकसित हुए थे इ.वि. को अभी (जनवरी 1987) बढ़ी हुई कुल लागत का निर्धारण करना था। परियोजना सं. 3 के मामले में लागत अधिक बढ़ने के लिए कारण निर्धारित कर लिए गये थे परन्तु र.मं. को अभी उन्हें स्वीकार करना था। यह बताया गया कि मुद्दों का संयुक्त रूप से निराकरण किया जायेगा।

सिस्टमों की कोटि:-

इ.वि. द्वारा विकसित किए गये विभिन्न नौसैनिक सिस्टम नौसेना की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते थे। परियोजनाओं की प्रगति जांच करने के लिए जून 1982 में आयोजित की गई बैठक में इ.वि. ने बताया कि नौसेना द्वारा परियोजनाओं की नियमित मानीटोरिंग नहीं हुई थी। अन्तरापृष्ठ स्थानीय रूप से विकसित किए जाने थे और विलम्ब अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण हुआ था। इ.वि. ने निम्न प्रकार दो चरणों में उपस्करों के अनुमोदन के लिए समस्त मार्गनिर्देशों के जारी करने का सुझाव दिया:-

चरण-1 नौसेना मुख्यालय से प्राप्त मांग/इनपुटों से प्रौद्योगिकीय कमियों परिसीमाओं के साथ तत्काल परिचालनात्मक प्रयोग के लिए उपस्कर स्वीकार करना।

चरण-II विलम्ब की दृष्टि से नौसेना अपनी मांगे आधुनिक बना सकती है और अद्यतन वर्जन उत्पादन एजेन्सियों के माध्यम से आयातित उपस्करों की तुलना में संशोधित लागत और समय अनुसूची के साथ सुपूर्द किए जायेंगे।

रक्षा सचिव ने बताया कि नौसेना सिस्टम के लिए आपूर्ति ठेके एक वाणिज्यिक क्रियाकलाप था निष्पादन के लिए सरकारी विभाग उपयुक्त नहीं था उसने बताया कि सरकारी विभाग को ऐसे काम सौंपना प्रशासनिक गलती थी।

सारांश:-

- 9.66 करोड़ रु. छः नौसैनिक परियोजनाओं पर व्यय किए गये थे और पिछले 11 वर्ष में एक परियोजना और दूसरी परियोजना के 2 सिस्टम पूरे किए गये और सुपूर्द किए गये थे।
- परियोजनाओं के निष्पादन में नौसेना प्राधिकारियों और इ.वि. के बीच समन्वय का अभाव था जिसके फलस्वरूप पर्याप्त समय लगा था और लागत अधिक बढ़ी थी।
- परियोजनाओं पर कम नियंत्रण था और प्रगति का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त की गई विशेष समिति और तकनीकी मानीटोरिंग समिति में से प्रत्येक ने केवल एक बैठक की थी।
- परियोजनावार लेखों ने बेहतर वित्तीय नियंत्रण को आसान बनाया होता और परियोजनाओं की प्रगति को मानीटर करने में सहायता की होती। चूंकि व्यय र.मं. से वसूल किया जाना था इसलिए र.मं. से प्रतिपूर्ति चाहने के लिए परियोजनावार लागत परिकलित करना भी आवश्यक था। ऐसा नहीं किया गया था।
- नौसैनिक परियोजनाओं पर व्यय किए गये 9.66 करोड़ रु. में से केवल 1.02 करोड़ रु. वसूल किए गये हैं क्योंकि अधिकांश सिस्टम अभी पूर्ण रूप से विकसित किए जाने हैं। अत्यधिक विलम्ब के कारण इ.वि. द्वारा व्यय की गई राशि अवरूद्ध रही।
- सभी परियोजनाओं के लिए 9.96 करोड़ रु. के कुल आबंटन के प्रति 9.66 करोड़ रु. व्यय किए गये थे। तथापि, एक को छोड़कर सभी अन्य नौसैनिक परियोजनाएं डिजाइन प्रयोगशाला स्तर/फोटोटाइप कारण पर हैं और आगे व्यय अपरिहार्य था। अतः बढ़ी हुई लागत अधिक होगी।
- महत्वपूर्ण परियोजनाओं के समापन में असाधारण विलम्ब से देशी कारण कार्यक्रम गम्भीर रूप से प्रभावित हुआ था और आयातों पर निर्भरता अब भी बनी हुई है।
- विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम की लगातार बनी आवश्यकता हेतु लगभग 8-10 वर्ष पीछे के आदेश के जो विशेषकर डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के सीनिरियों में परिवर्तन के संबंध में था की पुनः निर्धारित करने की आवश्यकता थी।

— 11.52 करोड़ रु. व्यय करने के बाद इन परियोजनाओं से उदभूत होने वाले सम्भावित लाभ स्पष्ट नहीं है क्योंकि 5 परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं और अभी प्रतिष्ठापित, चालू परीक्षित और अनुमोदित की जानी है।

15. लघु कम्प्यूटरों की आपूर्ति तथा देशज विकास पर निष्कल व्यय

इलेक्ट्रॉनिक विभाग ने भारत सरकार के एक उपक्रम "क" को अगस्त 1977 में 14.80 लाख रुपए के मूल्य पर, विशेष रक्षा परियोजनाओं के लिए अपेक्षित, दो वर्ष के अंत में सुपूर्दगी के लिए, चार लघु कम्प्यूटरों (2 अपरिष्कृत अनुवाद तथा दो परिष्कृत अनुवाद) को निर्मित करने तथा आपूर्ति के आदेश दिए। कम्प्यूटरों का निर्माण प्रयोगशाला के मॉडल के अनुसार, जानकारी अनुसार मूल अनुसंधान टाटा संस्थान द्वारा विकसित किया जाना था, जिसके लिए निर्धियां पृथक रूप से जारी की गई थी। पक्का आदेश प्रस्तुत करते समय, सम्मत भुगतान शर्तों के अनुसार। लाख रुपए की राशि फर्म "क" को अदा की जानी थी तथा मू.अ.टा.से. से प्रयोगशाला मॉडल प्राप्त करने के उपरान्त 6 लाख रुपए दिए जाने थे। द्वितीय किशत के जारी किए जाने के छह माह बाद चार लाख रुपए की तीसरी किशत जारी की जानी थी, तथा शेष 3.80 लाख रुपए भी राशि का भुगतान कम्प्यूटरों की सुपूर्दगी के पश्चात दो किशतों में किया जाना था।

परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए, सितम्बर 1977 में, विभाग ने "क" को 7 लाख रुपए अदा किए। दिसम्बर 1977 से अप्रैल 1980 की अवधि के दौरान, "क" में अंतरित तकनीकी जानकारी के लिए, 1.07 लाख रुपए की राशि मू.अ.टा.सं. को जारी की गई थी।

* 1980 में, विभाग ने पाया कि "क" परियोजना को पूर्ण करने की स्थिति में नहीं था चूंकि वह अपरिष्कृत मॉडल का विकास नहीं कर सकता था इसलिए परियोजना "क" से सरकारी उपक्रम "ख" को जुलाई 1980 में 13.66 लाख रुपए के अंतरित मूल्य पर अंतरित कर दी गई थी क्योंकि वह अपरिष्कृत लघु कम्प्यूटर के माडल में इच्छुक था। परियोजना का पूर्ण रूप से अध्ययन करने पर "ख" ने कम्प्यूटरों के निर्माण की प्रणाली और विकास का अनुमानित मूल्य 84 लाख रुपए आंका था (अगस्त 1981) परन्तु अपने व्यवसायिक लाभ को ध्यान में रखते हुए वे 28.00 लाख रुपए की राशि को वहन करने के लिए सहमत हो गए थे। कर तथा शुल्क और विकास व्यय के 28 लाख रुपए जो विभाग द्वारा वहन किया जाना था, को छोड़कर चार कम्प्यूटरों की बिक्री मूल्य 28 लाख रुपए आंका गया था। डिजाइन में सुधार के अनुसार "ख" द्वारा मूल्य में प्रस्तावित यह अधिक वृद्धि, विभाग को, बजट प्रतिबंध के अनुसार स्वीकृत नहीं थी।

विभाग के उत्तर के अनुसार (अक्तूबर 1986) "ख" ने वाणिज्यिक प्रणाली के विकास मूल्य का वहन स्वयं किया था तथा इस पैकेज की पूर्ण जानकारी हो गई थी। यह पैकेज प्राप्य विभाग को प्राप्य थी तथा इसका प्रयोग किया गया था। ऐसी 10 प्रणाली मुख्य प्रयोग करने वाले जैसे बी.ए.आर.सी तथा आई.एस.आर ओ के क्षेत्र में थी। "ख" द्वारा किए गए विकास के स्थापित डिजाइन की जानकारी के परिणाम स्वरूप, आयात की प्रतिस्थापना हुई। विभाग ने बताया कि "क" को दिए गए मूल आदेश में से अंतरित 7 लाख रुपए की राशि के प्रति भविष्य में अपरिष्कृत पैकेज

जानकारी प्राप्त करने के लिए 'ख' से बातचीत चल रही थी। यह भी पता लगा कि उत्पादन एवं विकास के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष निर्यात प्रतिस्थापित हुआ तथा पैकेज की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक विभाग को अंतरित की जा रही थी, व्यय निष्फल नहीं माना जा सकता था। मू.अ.टा.सं. डिजाइन प्रलेखन पहले ही विभाग के ग्रुप प्रणाली के पास था।

उपकरण, रक्षा परियोजना के लिए अपेक्षित था तथा इस पर 8.07 लाख रुपए की राशि व्यय की गई थी। यद्यपि एक यूनिट जल्दी से जल्दी सितम्बर 1980 तक तैयार होनी थी तथा उसकी जांच चल रही थी लेकिन इसके बावजूद 7 वर्ष के उपरान्त भी विभाग को उपकरण नहीं मिले थे। इस प्रकार किए गए व्यय से नियत प्रयोजन का औचित्य सफल नहीं हुआ था।

16. विद्युत शक्ति प्रतीपक की खरीद पर निष्फल व्यय

विद्युत शक्ति आपूर्ति में कमी या रुकावट से कम्प्यूटर कार्यक्रम के विकास में बाधा होती है। विद्युत शक्ति इनवर्टरस यह सुनिश्चित करते हैं कि विद्युतशक्ति की आपूर्ति में कोई रुकावट नहीं है तथा ये कम्प्यूटर संस्थापना में लाभदायक हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग (विभाग) ने फरवरी 1976 में चार फर्मों से निविदा दर आमंत्रित किये तथा फर्म 'क' को जून 1976 में आदेश दिया जो बाद में जनवरी 1978 में एक 8 के वी ए सिलीकोन नियन्त्रित रेक्टिफायर विद्युतशक्ति इनवर्टर की आपूर्ति के लिये तथा 1.19 लाख रु. की कीमत पर कम्प्यूटर प्रणाली के लिये एक पिलोट चार्जर के लिये आदेश परिवर्तित किया। उपकरण आदेश जारी करने की तिथि से 10 सप्ताह के भीतर भेजे जाने थे तथा उपकरण के चालू होने व सही पाये जाने के बाद अदायगी करनी थी। फर्म 'ख' को एक अन्य आदेश, एक अलार्म व नियंत्रण सर्किट की आपूर्ति के लिये तथा फर्म 'क' द्वारा आपूर्ति किये इनवर्टर को संस्थापित व चालू करने के लिये 4,900 रु. की लागत पर, जून 1976 में दिया गया था। लगाए जाने वाले उपकरण की एक वर्ष के लिये किसी भी निर्मित खराबी के लिये प्रत्याभूति दी जानी थी।

फर्म 'क' द्वारा उपकरण जनवरी 1981 में प्रभार तथाकर सहित 1.27 लाख रु. की लागत पर आपूर्ति किये थे। विभाग ने बताया कि विलम्ब केवल 1978 में किये गये मूल खरीद आदेश को संशोधित करने के कारण हुआ था, एक सामान्य उद्देश्य उपकरण के विकास करने हेतु, किया गया था जैसा कि 1-फेज के 2x4 के वी ए उपकरण के बजाय 3-फेज 8 के वी ए उपकरण तथापि यह देखा है कि 1978 में जारी किये गये संशोधन में वितरण सूची को रूपान्तरण नहीं किया गया था।

विभाग ने 80 प्रतिशत के रूप में 1.04 लाख रु. (दिसम्बर 1981) का 'लेखा भुगतान' कर दिया था क्योंकि चालू करने का कार्य विभाग की गलती की वजह से नहीं हो सका था। विभाग द्वारा 1.04 लाख रु. का भुगतान अनुबंधित शर्तों के अनुसार नहीं था क्योंकि उपकरण को संस्थापित व जांचा नहीं गया था। विभाग ने बताया (अक्तूबर 1986) कि जांच रिपोर्ट व परिणामों को प्राप्त करके प्रणाली को जांचा गया था तथापि खरीद आदेश में अनुबंधित शर्तों के अनुसार उपकरण की संस्थापना व चालू करने के बाद जांचा जाना था तथा उसके बाद उनके लिये अदायगी करनी थी।

जनवरी 1981 में प्राप्त उपकरण अपने प्रारम्भिक निर्मित पैकिंग हालत में आज की तिथि तक (अक्तूबर 1986) पड़ा रहा था। विभाग ने बताया

(अक्तूबर 1986) कि स्थाई जगह के अभाव के कारण उपकरण संस्थापित नहीं किया गया था। विभाग ने आगे बताया कि एक अस्थाई जगह पर उपकरण को संस्थापित करके उपकरण की मियाद को सुरक्षित किया गया तथा स्थानांतरण इत्यादि में अतिरिक्त व्यय को टाला था।

17. अपरिष्कृत कम्प्यूटरों का विकास

अगस्त 1975 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने, नौसेना कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर विकास परियोजना के लिये वांछित अतिरिक्त उपकरणों सहित 10 अपरिष्कृत कम्प्यूटरों के विकास हेतु कुल, 4 लाख रु. का विदेशी मुद्रा विनिमय सहित, 12.50 लाख रु. का, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (भा.ई.लि.) बेंगलूर, के साथ एक विकास एवं उत्पादन उपठेका किया। परियोजना, सहायक अनुदान की प्राप्ति तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर पूरी की जानी थी।

विभाग द्वारा, अगस्त 1975 में, भा.ई.लि. द्वारा साथ साथ 6 माह के अंतरालों पर प्रगति एवं उपलब्धि प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण का बंधन लगाते हुए आम शर्तों एवं नियमों के अधीन, पहली किस्त के रूप में, 6.50 लाख रु. 4 लाख रु. विदेशी मुद्रा विनिमय सहित निमोर्चित किये गये। आगे लेखाओं का लेखापरीक्षित विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी भा.ई.लि. द्वारा विभाग को प्रतिवर्ष प्रस्तुत करने अपेक्षित थे।

अप्रैल 1977 में भा.ई.लि. ने विभाग को सूचित किया कि वे 10 के स्थान पर केवल 5 कम्प्यूटर को तैयार कर रहे होंगे क्योंकि विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियां व विदेशी मुद्रा विनिमय केवल घटी हुई संख्या के खर्च को ही पूरा करेगी। इसको विभाग द्वारा मई 1977 में मान लिया गया था। मई 1979 में भा.ई.लि. ने विभाग को पुनः सूचित किया कि वे पांच सेटों को 1980 के अन्त तक सुर्पुद कर देंगे। तथा यदि यह निगमन विभाग के अनुकूल न हो तो वे वैकल्पिक प्रबन्ध कर सकते थे, तथा भा.ई.लि. उनके द्वारा प्राप्त की गई समस्त राशि को वापिस कर देगा। बाद में, भा.ई.लि. ने दिसम्बर 1979 में विभाग को पुनः सूचित किया कि जो कम्प्यूटर उनके द्वारा विकसित किये जा रहे थे वे तकनीकी दृष्टिसे अप्रचलित तथा आकार में भारी हो चुके थे। भा.ई.लि. चाहता था कि विभाग पुनः विचार करे तथा उन कम्प्यूटरों की आपूर्ति हेतु जोर न दे।

विभाग द्वारा भा.ई.लि. का सुझाव नहीं माना गया तथा जून 1980 में हुई एक बैठक में विभाग ने भा.ई.लि. को परामर्श दिया कि कम्प्यूटर उनके लिये अभी भी लाभप्रद होंगे इसलिये उनकी आपूर्ति कर देनी चाहिये। तदनुसार जुलाई 1980 में तुरन्त सुपुर्दगी के लिये 2 कम्प्यूटर भेजे गये तथा भा.ई.लि. द्वारा यह इंगित किया गया कि बाकी के तीन कम्प्यूटर इसके बाद 7/8 महीने की अवधि में भेज दिये जायेंगे। भा.ई.लि. से अनुस्मारकों की प्राप्ति के बावजूद भी विभाग ने कम्प्यूटरों की सुपुर्दगी नहीं ली थी। यद्यपि भा.ई.लि. ने सूचित किया था (नवम्बर 1981) कि सभी पाँच कम्प्यूटर सुपुर्दगी हेतु तैयार थे।

विभाग ने नवम्बर 1982 में आदेश इस कारण से रद्द कर दिये थे कि 10 कम्प्यूटरों की वास्तविक जरूरत के प्रति 5 कम्प्यूटरों को स्वीकार नहीं कर सकते थे तथा भा.ई.लि. ने अतिरिक्त उपकरणों की आपूर्ति को मना कर दिया था। तदनुसार भा.ई.लि. को व्याज, यदि राशि बैंक में जमा की गई हो

और उस पर व्याज अर्जित किया गया हो, सहित 6.50 लाख रु. कि वापसी (4 लाख रु. विदेश मुद्रा विनिमय सहित) जो उनके अगस्त 1975 में अदा किये थे, का अनुरोध किया गया था। भा.ई.लि. ने मई 1983 में स्पष्ट किया कि वे अतिरिक्त उपकरणों तथा भविष्य में होने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था करेंगे, यदि विभाग अपनी जरूरतों को स्पष्ट करें तथा आवश्यक आदेश भेजें।

लेखापरीक्षा के प्रेक्षण, कि अपरिष्कृत कम्प्यूटरों के विकास पर लगाये गये धन की परिणति विभाग को किसी भी प्रकार के लाभ में नहीं हुई, विभाग ने निम्नप्रकार बताया (सितम्बर 1986):-

"समान शक्ति के अपरिष्कृत कम्प्यूटर, जिसे रक्षा सेवाएँ किसी इलेक्ट्रॉनिकस प्रणाली के एक हिस्से के रूप में खरीद रही हैं, की लागत पांच लाख रु. से अधिक है। यह समझा जाता है कि भा.ई.लि. ने नौसेना को इन कम्प्यूटरों का उपयोग करते हुए किसी सिस्टम की आपूर्ति की थी जिसमें एक कम्प्यूटर की लागत 5 लाख रु. से अधिक रही है। अतः इन दो की कीमत 10 लाख रु. है। इसी प्रयोजन से हमने भा.ई.लि. से 6.5 लाख रु. का सहायक अनुदान की वसूली पर जोर नहीं दिया है। हम उनके साथ समझौता कर रहे हैं कि धन के अग्रिम के प्रति वे हमें दो अनगढ़ कम्प्यूटर तथा रिडाइज्ड हार्डवेयर के समस्त रेखांकनों की, आपूर्ति करें। हमें भा.ई.लि. के साथ अक्टूबर 1986 के अन्त तक एक समझौता कर लेने की आशा है। चूंकि निधिकरण से विकास व उत्पादन के उद्देश्य की पूर्ति हुई है जिसके परिणाम स्वरूप आयात का सीधा प्रतिस्थापन हुआ है और चूंकि 2 सुधरे नमूने के कम्प्यूटर भा.ई.लि. द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विभाग को आपूर्ति किये जायेंगे, अतः व्यय निष्फल नहीं हुआ।"

विभाग ने इसके पूर्व उत्तर दिया था (मई 1986) कि विषय से सम्बन्धित फाइलें तुरन्त उपलब्ध नहीं थी तथा फाइलें खोजने के उनके बार बार प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुए थे। विभाग का अंतिम उत्तर (सितम्बर 1986) पहले के उत्तर से भिन्न था क्योंकि विभाग अपने नवम्बर 1982 के पत्र में आदेश

रद्द कर चुका था, जबकि वर्तमान उत्तर के अनुसार, विभाग, भा.ई.लि. के साथ, 5 कम्प्यूटरों की बजाय जो कि आपूर्ति के लिये तैयार हैं, दो ही कम्प्यूटरों की सुपर्दगी लेने के लिये बातचीत कर रहा है।

इस प्रकार भा.ई.लि. से, न केवल दो कम्प्यूटर जो समझौते के अंतर्गत थे, बल्कि 5 कम्प्यूटरों की सुपर्दगी न लेने से यद्यपि ये जुलाई 1980 से तैयार थे, विभाग द्वारा दी गई राशि (6.5 लाख रु.) अवरूद्ध पड़ी हुई थी तथा आज दिन तक विभाग को कोई लाभ नहीं हुआ था।

विदेश मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय

18. बंब/रवद किये गये विदेशी सैनिक विक्री मामलों पर अधिक जमाओं की वापसी का दावा न करने के कारण ब्याज/राजस्व की हानि।

स्थल सेना, वायुसेना तथा नेवल हेडक्वार्टर, संयुक्त राज्य सरकार के साथ ठेकों को करते हुए, समय समय पर विदेशी सैनिक विक्री (वि.सै.वि.) की आपूर्ति हेतु आदेश देते हैं। ठेकों के प्रति आपूर्ति हेतु भुगतान, सु.स.ले.के. से प्राप्त हुए तिमाही बिलों के विवरणों के आधार पर, वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास के मुख्य लेखा अधिकारी (मु.ले.अ.) द्वारा संयुक्त राज्य सरकार के सुरक्षा सहायता लेखा केन्द्र (सु.स.ले.के.) को, तिमाही किये जाते हैं। सु.स.ले.के. नियंत्रक लेखा भी रखता है जो अस्थोई उचत खाते है। जिनमें, (i) मामले की समाप्ति पर, मामले के लिये दिये गये तथा पाये गये अधिक भुगतान का शेष, (ii) भुगतान जिनका एक मामले से स्पष्ट सम्बन्ध न था (iii) रवद मामलों आदि के प्रति किये गये भुगतान आदि, की जमाओं का समावेश होता है। ऐसे नियंत्रक लेखे की प्रतियां तिमाही बिलों के विवरणों सहित मुख्य लेखा अधिकारी को भी प्रेषित की जाती हैं ताकि वह दूसरे सक्रिय मामलों को अंतरण की सलाह देने या धन वापसी प्राप्त करने की समय पर कार्यवाही करने में समर्थन हो।

नियंत्रक लेखे सहित कय लेखे (जुलाई 1985) कि जांच से पता चला कि 1972 से सितम्बर 1984 तक नियंत्रक लेखे में बड़ी राशि इकट्टी हो गई थी।

मु.ले.अ. द्वारा धन वापसी के दावे केवल अगस्त 1984 में ही किये गये थे। ऐसे संचयन के संक्षेप विवरण नीचे सारिणी वृद्ध किये जाते हैं:-

रुचल सेना			नी सेना			बायु सेना		
अर्बाध	मामलों की संख्या	नियंत्रक लेखे (यू.एस. डालर में) को अंतरित राशि	मामलों की संख्या	नियंत्रक लेखे (यू.एस. डालर में) को अंतरित राशि	अर्बाध	मामलों की संख्या	नियंत्रक लेखे (यू.एस. डालर में) को अंतरित राशि	
(1) बंद किये गये मामले								
फरवरी 1972 से		जनवरी 1977 से		मई 1977 से				
जून 1984 तक	14	7,70,008.46	मार्च 1984 तक	3	33,673.03	अगस्त 1984 तक	27	11,29,024.88
(2) रद्द किये गये मामले								
दिसम्बर 1972 से								
मार्च 1973 तक	6	12,49,776.03	—	—	—	—	—	
(3) नियंत्रक लेखे से दूसरे सक्रिय मामलों में अंतरण								
फरवरी 1972 से		जून 1984		सितम्बर 1978 से				
जून 1984 तक	9	3,162.64	—	अगस्त 1984 तक	2	30,104.00	16	50,625.60
जोड़ (निवल)								
=(1)+(2)-(3)		20,16,621.85		3,569.03			10,78,399.28	
				कुल जोड़			30,98,590.16	

यद्यपि कि ये राशियां सक्रिय मामलों के अंतरण या भारत सरकार को धन वापसी हेतु उपलब्ध थी पर 27 मामलों में अन्तर्ग्रस्त 83892 डालर के केवल कुछ अंतरण मु.ले.अ. द्वारा विवेचित किये गये थे, परन्तु अगस्त 1984 तक धन वापसी का कोई दावा नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप 12 वर्षों की अवधि के समय में 30.99 लाख डालर की जमा संचित हुई जिसमें 1972-73 सुदरपूर्व रद्द किये गये छः मामलों की 12.50 लाख डालर की राशि भी शामिल थी।

मु.ले.अ. ने बताया (अगस्त 1985) कि पर्याप्त ब्यौरों के अभाव में, सु.स.ले.के. के साथ बकाया का समाधान उनके द्वारा नहीं किया जा सका जैसे कि:-

- प्रत्येक वि.सै.वि के मामले में व्यय के वास्तविक ब्यौरे,
- बाद में रद्द किये गये/संशोधित किये गये आपूर्ति आदेश की सूचना तथा
- किसी वर्ष अथवा तिमाही के दौरान आपूर्ति आदेशों की संभाव्य मात्रा का संकेत।

तथापि यह देखा जाता है कि वापसी हेतु उपलब्ध बकाया, सु.स.ले.के. द्वारा प्रत्येक तिमाही में भेजे गये नियंत्रक लेखे के विवरणों में दर्शाया जाता है।

वार्शिंगटन स्थित भारतीय दूतावास, मिशन के उप प्रमुख ने बताया (सितम्बर 1985) कि सु.स.ले.के., जो कि वि.सै.वि विक्रय हेतु लेखाकरण प्राधिकारी है, जब कभी भी मामले बंद किये जाते हैं और किसी मामले को भावी आवश्यकताओं के पूर्वानुमान करने की अनिश्चितताओं के कारण रोक दिया जाता है तो वह अधिक अदायगी की वापसी का प्रबंध करता है।

इस संबंध में यह अवलोकित होता है कि सु.सै.के. के अनुसार धन शेष लिखित अनुरोध पर अन्य मामलों के अंतरण या धन वापसी हेतु उपलब्ध रहते हैं और इसलिये अधिक निधियों की वापसी के दावे करने हेतु समय पर न की गई कार्यवाही के कारण युक्ति युक्त नहीं थे।

यह समस्त स्थिति इस कारण घटित हुई कि बिलों के विवरणों तथा धन वापसी दावों की जांच करने के लिये संबंधित मंत्रालयों अर्थात् रक्षा मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय द्वारा कोई समुचित कार्य प्रणाली तैयार नहीं की जा सकी थी। संबंधित एजेंसियों द्वारा उपयुक्त कार्य प्रणाली तैयार करने में ढील की परिणति, विदेशी मुद्रा की बड़ी राशि को अवरुद्ध रखने के अलावा सरकार को ब्याज की एक भारी राशि खोने में हुई। बंद किये गये/रद्द किये गये मामलों की धन वापसी के दावों में विलम्ब के फलस्वरूप कुल 26.04 लाख डालर (अनुमानित) (1 डालर= 12.10 रु. की दर से 315.11 लाख रु. के बराबर) ब्याज जो 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से आकलित करने पर उन वर्षों के दौरान निवेश पर उपलब्ध निम्नतम ब्याज के बराबर होता, की हानि हुई।

विदेश मंत्रालय

19. 6.05 लाख रुपए का गबन

भारतीय उच्च आयुक्त, सिंगापुर की स्थानीय लेखा परीक्षा के दौरान रोकड़ बहियों की जांच करने पर निम्न बातें सामने आयी:-

जून 1981 से जनवरी 1982 व सितम्बर 1984 से मार्च 1985 की अवधियों के लिए कोई रोकड़ बही उपलब्ध नहीं थी। अप्रैल 1985 से अथ शेष व अन्त शेष पेंसिल में दिखाए गए थे। अप्रैल 1985 से पहले की रोकड़ के अभाव में अप्रैल 1985 के अथ शेष का सत्यापन नहीं किया जा सका। जून 1985 से अगस्त 1985 तक के रोकड़ लेखे पिछले महिनों के अन्त शेषों को लिए बिना ही तैयार किये गये थे। कार्यालाध्यक्ष के क्रमशः पहली अक्टूबर 1983 तथा पहली अक्टूबर 1985 को स्थानान्तरण के समय रोकड़ का लेना/दिना उचित रूप से नहीं किया गया था। लेखा परीक्षा के अन्तर्गत आनेवाली समय परिधि के दौरान रोकड़ का कोई आकस्मिक प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं हुआ था।

एक स्थानीय नियुक्त कर्मचारी को रोकड़ संभालने की अनुमति दी हुई थी और वह भी कर्मचारी से कोई सुरक्षा जमानत पत्र लिए बिना।

काउन्सलर प्राप्तियों को जमा कराने में विलम्ब हुए थे। जनवरी 1983 से मई 1985 के दौरान 6,82,114.66 एस. डालर काउन्सलर प्राप्तियों के मुकाबले में मई 1985 तक केवल 6,21,104.80 सिंगापुर डालर की प्राप्तियां ही जमा की गई थी। इस प्रकार 61,009.86 सिंगापुर डालर (3,08,130.60 रु.) की सीमा तक ही सरकारी प्राप्तियों को लेखाबद्ध नहीं किया गया था। ब्यौरे पैराग्राफ के अनुबन्ध में दर्शाये गए हैं। जमा राशियों का मिलान प्राप्त की राशियों से नहीं हुआ तथा मई 1985 के कुछ दिनों में अधिक प्राप्तियां 2 से 4 दिनों के बाद जमा कराई गई थीं। काउन्सलर तथा

अन्य प्राप्तियों की बैंक में जमा की गई राशियों की रसीदें तथा रसीद पुस्तकों के स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए थे।

1984 से कोई बैंक समाधान नहीं किया गया था। रोकड़ बही के बैंक कालम में 31 मार्च 1985 को बैंक अन्त शेष 1,33,563.84 सिंगापुर डालर दिखाया गया था जबकि बैंक विवरण पत्रक में यह अन्त शेष 31,155.68 सिंगापुर डालर था, फलतः एक लाख रुपए सिंगापुर डालर (अनुमानित 5 लाख रुपए) से अधिक का अन्तर था।

मन्त्रालय ने बताया (सितम्बर 1986) कि विदेश मंत्रालय से एक अधिकारी सतर्कता दल दो उद्देश्यों के साथ मई 1986 में मिशन का दौरा किया (क) निधियों के गबन की प्रमात्रा तथा सितम्बर 1984 व मई 1985 के बीच लेखों के अनियमित रख रखाव का पता लगाने तथा (ख) मिशन के अन्य संबंधित कर्मचारियों के गबन में फंसे होने की मात्रा का प्रारंभिक विचार करने के लिए मिशन बना था। सतर्कता दल ने सिपारिश की थी कि गायब बहियों के पुनः निर्माण तथा रोकड़ लेखों की पुनः व्यवस्था हेतु लेखा कर्मचारियों का एक दल मिशन को भेजा जाए। मंत्रालय ने, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यौरे को गबन की राशि व जिम्मेदार व्यक्तियों का पता लगाने के लिए भारतीय उच्चायुक्त सिंगापुर में सरकारी निधियों के दुरुपयोग की जांच करने हेतु मामला दर्ज करने के लिए भी लिखा था।

मंत्रालय ने आगे बताया (दिसम्बर 1986) कि जून 1981 से जनवरी 1982 तथा सितम्बर 1984 से मार्च 1985 की अवधि की गायब रोकड़ बहिया लेखा कर्मचारियों द्वारा जिनको अगस्त से अक्टूबर 1986 में सिंगापुर भेजा गया था, पुनः बना दी गई थी तथा जून 1981 से आगे बैंक समाधान विवरण कार्य पुनः कर दिया गया था। लेखा कर्मचारियों की रिपोर्ट अनुसार नवम्बर 1981 से मई 1985 तक की अवधि में कुल 1,42,231.91 सिंगापुर डालर (6,05,390.55 भारतीय रुपए के बराबर) राशि का गबन किया गया था।

अनुबंध

काउन्सलर प्राप्तियों की बसूलियों तथा जमा किए जाने के वर्षवार ब्यौरे

वर्ष	वसूल की गई राशि	बैंक में जमा की गई राशि	कम/अधिक जमा की गई राशि कम(-) अधिक(+)	भारतीय मुद्रा में कम/अधिक जमा की गई राशि
(सिंगापुर डालरों में)				रुपयों में
1982-83 (जनवरी से मार्च 1983)	40,680.70	39,300.00	(-) 1,380.70	(-) 6,158.00
1983-84	1,73,582.31	1,68,368.11	(-) 5,214.20	(-) 23,255.00
1984-85	3,87,528.00	3,29,731.03	(-) 57,796.97	(-) 2,91,875.00
1985-86 (अप्रैल से मई 1985)	80,323.65	83,705.66	(+) 3,382.01	(+) 17,079.00
	6,82,114.66	6,21,104.80	(-) 61,009.86	(-) 3,04,209.00

20. विदेश भत्ते के स्थान पर दैनिक भत्ते/नकद भत्ते के अनियमित आहरण पर 1.12 लाख रु. का अधिक भुगतान

भारत मूलक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके प्रथम बार विदेश आगमन के समय, यदि उन्हें रसोई अथवा रसोई सुविधाओं रहित होटलों में ठहराया जाए तो एक मिशन के अध्यक्ष उनको विदेश भत्ते के बदले दैनिक भत्ता देने को सक्षम हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी को किसी विदेश मिशन/पोस्ट नियुक्ति से भारत अथवा किसी अन्य विदेश पोस्ट/मिशन को स्थानान्तरण पर स्थानान्तरण-यात्रा के प्रारम्भ के स्थान पर तैयारी समय में होटल में रहना पड़ता है तो वह विदेश भत्ते के बदले नकद भत्ता आहरण कर सकता है।

दोनों ही स्थितियों में दैनिक भत्ते का भुगतान निम्न प्रकार नियमित किया जाता है:-

- (i) विदेश भत्ते के बदले दैनिक भत्ते का भुगतान मिशन के अध्यक्ष स्वविवेक पर कतिपय निर्धारित शर्तें पूरी होने पर प्रथम 21 दिनों के लिए ही किया जा सकता है।
- (ii) 21 दिन के बाद के समय के लिए दैनिक भत्ते का भुगतान केवल मन्त्रालय की पूर्व अनुमति प्राप्त करके ही किया जा सकता है; तथा
- (iii) विदेश भत्ते के बदले दैनिक भत्ते का भुगतान ग्राह्य विदेश भत्ते के दो गुने तक सीमित होना चाहिए।

वर्ष 1978-79 तथा वर्ष 1983-84 के 53 मिशनों के मासिक नकद लेखाओं के केन्द्रीय/स्थानीय लेखा परीक्षणों से विदित हुआ कि 12 मिशनों में शर्तों के पूरा न होने के कारण अधिकारियों/कर्मचारियों को 1.12 लाख रु. का अधिक भुगतान किया गया।

लेखा परीक्षा द्वारा ध्यान दिलाने पर अधिक भुगतान (0.29 लाख रु.) की वसूली कर ली गई। मन्त्रालय ने सूचित किया (अक्टूबर 1986) कि शेष राशि की वसूली के लिए कार्यवाही पहले ही आरम्भ की जा चुकी थी।

21. उचित सरकारी विनिमय दर न अपनाने के कारण 4.02 लाख रु. की अधिक अदायगी

भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की 1983-84 संघ सरकार (सिविल) रिपोर्ट के 15 वें पैराग्राफ में समय-समय पर भारतीय रुपए एवं परिवर्तनशील दुर्लभ मुद्रा के बीच उचित सरकारी विनिमय दर न अपनाए जाने के कारण 16.36 लाख रु. की अधिक अदायगी की चर्चा की गई थी।

एक अन्य मिशन अर्थात् भारतीय राजदूतावास, अंकारा, के लेखों के पुनरीक्षण से आगे ज्ञात हुआ कि जुलाई 1981 से जुलाई 1984 की अवधि के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 4.02 लाख रु. की अधिक अदायगी की गई थी।

विदेश मन्त्रालय ने 20 जुलाई 1981 को 14 मिशनों को (राजदूतावास, अंकारा सहित) एक अगस्त 1981 से वैयक्तिक परिलब्धियों को भुगतान परिवर्तनशील मुद्रा में, जिसमें मिशन प्रेषित धन प्राप्त करता था, करने का प्राधिकार देते हुए एक टैलेक्स संदेश जारी किया। टैलेक्स में एक यू.एस.

डालर की चालू विनिमय दर गलती से 8.50 रु. प्रति डालर की जगह 8 रु. प्रति डालर बताई गई थी। मन्त्रालय द्वारा इस गलती का सुधार 25 जुलाई 1981 के एक अन्य टैलेक्स द्वारा कर दिया था।

राजदूतावास अंकारा ने मन्त्रालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए वैयक्तिक परिलब्धियों का भुगतान जुलाई 1981 से नवम्बर 1981 तक 8.50 रु. प्रति एक यू.एस. डालर की प्रचलित विनिमय दर की बजाए 8 रु. प्रति एक यू.एस. डालर; एक दिसम्बर 1981 से 30 अप्रैल 1983 तक 9.30 रु., मई 1983 से दिसम्बर 1983 तक 10 रु. तथा जनवरी 1984 से जुलाई 1984 तक 10.60 रु. की विनिमय दर अपनाते हुए यू.एस. डालरों में कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जुलाई 1981 से जुलाई 1984 की अवधि के दौरान 4.02 लाख रु. का अधिक भुगतान हुआ।

मन्त्रालय ने बताया (सितम्बर 1986) कि मिशन ने अप्रैल 1986 से 36 किशतों में वसूली करने का निर्णय किया था।

22. केनबरा में उच्चायुक्त भवन की आवासीय इकाइयों का प्रयोग में न लाया जाना

केनबरा स्थित चांसरी भवन में, अन्य बातों के साथ-साथ चार आवासीय इकाइयों — 3 एकल इकाइयों सुरक्षा गार्डों/ड्राइवर हेतु तथा परिवारोपयोगी पूर्ण सुसज्जित, 3 कमरों व रसोई घर सहित, एक इकाई साईफर सहायक के लिये, सन्निहित थी। परिवारोपयोगी इकाई एक वैयक्तिक सहायक द्वारा अधिकृत की गई थी।

मिशन ने जनवरी 1982 में और दोबारा अगस्त 1982 में वैयक्तिक सहायक हेतु, किराये पर आवास के लिये एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मन्त्रालय ने प्रस्ताव को इन कारणों से ठुकरा दिया कि नये चांसरी भवन की निर्माण योजना में एक सहायक के लिये निवास शामिल था जिसकी वर्तमान स्थान के मानदंडों से सद्दृश्यता थी।

तथापि, अक्टूबर 1982 में मन्त्रालय के निरीक्षण यूनिट के आगमन पर, किताबों के लिये भंडारण स्थान तथा डाक्यूमेन्ट्री फिल्मों एवं अधिभोक्ता के लिये एक किराये के फ्लैट की आवश्यकता हेतु, समस्या दशाति हुए एक ताजा प्रस्ताव मिशन द्वारा दिया गया। यह भी बताया गया कि सहायक द्वारा खाली किया गया फ्लैट अतिरिक्त स्टाफ ठहराने तथा भंडारण उद्देश्य से प्रयोग किया जायेगा। इस आधार पर लगभग 80 आस्ट्रेलिया डालर प्रति सप्ताह की सीमा पर एक फ्लैट को किराये पर लेने के लिये मन्त्रालय की स्वीकृति प्राप्त की गई थी। जनवरी 1983 में मन्त्रालय द्वारा, 86 आस्ट्रेलिया डालर साप्ताहिक किराये पर वैकल्पित आवास के लिये औपचारिक संस्वीकृति प्रदान की गई थी। यह बाद में आस्ट्रेलिया 95 (दिसम्बर 1983) तथा आस्ट्रेलिया 120 (जून 1984) बढ़ा दी गई।

इस संबंध में निम्न बातों का आवलोकन किया गया:-

(क) दिसम्बर 1982 से चांसरी भवन में आवासीय यूनिट, आवास के उद्देश्य से उपयोग में नहीं लाई जा रही थी, यद्यपि उसका निर्माण केवल एक वर्ष पूर्व ही किया गया था। जिसके फलस्वरूप, दिसम्बर 1982 से मार्च

1986 की अवधि में, मिशन द्वारा किराये पर लिये गये आवास पर कुल 18342 आस्ट्रेलिया (1.69 लाख रु.) का परिहार्य व्यय किया गया। ब्यौरे अनुबंध में दिये जाते हैं।

(ख) यह भी स्पष्ट नहीं था कि पुस्तकों तथा अन्य सरकारी रिकार्डों के भंडारण के लिये, चांसरी भवन की निर्माण योजना को अनुमति देते समय प्रावधान क्यों नहीं किया गया, यद्यपि वही समस्या किराये पर लिये गये पुराने भवन में भी विद्यमान थी तथा यह नये चांसरी भवन के निर्माण पर निविदा समिति द्वारा भी परखा गया था।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 1986) कि आवासीय यूनिट में अपर्याप्त स्थान था तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से वैकल्पित जगह किराये पर ली गई। खाली किये गये स्थान का आई.एस.आई. विंग द्वारा पुस्तकों और प्रचार सामग्री के भंडारण हेतु भी प्रयोग किया गया था।

अनुबंध

I किराये के आवास के भाड़े पर अदा किये गये 18342 अमेरिकन डालर के ब्यौरे

अवधि	सप्ताहिक किराये की दर	अन्तर्ग्रस्त सप्ताहों की कुल संख्या	किराये के रूप में अदा राशि
			(अमेरिकन डालर में)
1. 1.12.1982 से 30.11.1983	86	82	4,472
2. 1.12.1983 से 31.5.1984	95	26	2,470
3. 1.6.1984 से 31.3.1986	120	95	11,400
योग			18,342

II दिसम्बर 1982 से मार्च 1986 के दौरान विनियम की प्रचलित दरों के संदर्भ में बराबर रूपों का हिसाब

			रुपये
आस्ट्र डालर	86 × 52 सप्ताह	× रु० 9.31	41,634
आस्ट्र डालर	95 × 26 "	× रु० 9.31	22,996
आस्ट्र डालर	120 × 35 "	× रु० 9.31	39,102
आस्ट्र डालर	120 × 21 "	× रु० 10.47	26,384
आस्ट्र डालर	120 × 11 "	× रु० 8.31	10,969
आस्ट्र डालर	120 × 28 "	× रु० 8.31	27,922
योग			1,69,007

23. सातवां गुट निरपेक्ष सम्मेलन एवं राष्ट्र मण्डलीय राज्याध्यक्षों का सम्मेलन 1983

23.1 प्रस्तावनात्मक

23.1.1 सातवां गुट निरपेक्ष सम्मेलन (नेम) एवं राष्ट्र मण्डलीय शासनाध्यक्षों का सम्मेलन (चोगम) नई दिल्ली में क्रमशः 7 से 11 मार्च 1983 तथा 23 से 29 नवम्बर 1983 तक हुआ। इन दो सम्मेलनों के लिए विभिन्न प्रकार के वाहनों की आवश्यकता निम्न थी:-

	नेम	चोगम
मरसिन्डीस बेन्ज कारें	120	75
लजरी कोचें	46	15
माइक्रो बसें	66	20
डी.एल.वाई. (वातानुकूलित कारें)	148	50
डी.एल.वाई. (गैर वातानुकूलित कारें)	516	75
सामान वाहक ट्रक	139	15

भारतीय पर्यटन विकास निगम (भा.प.वि.नि.) को नेम एवं चोगम दोनों हेतु विभिन्न प्रकार की वाहनों के प्रबन्ध की जिम्मेदारी सौंपी गई थी (फरवरी 1983)। उन्होंने नेम के लिए 75 मरसिन्डीस बेन्ज (एम वें कारों) चोगम के लिए तथा मांगी गई समस्त 55 कारों को देने की स्वीकृति दी। नेम हेतु अपेक्षित शेष 45 एम.बी. कारों को पश्चिम जर्मनी से आयात किया गया जिन में से 20 को चोगम के दौरान उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया।

एक मुश्त दरें, जिन पर ये वाहन भा.प.वि.नि. से किराये पर लिये गये निम्न थी:-

वाहन की किस्म	नेम			चोगम		
	8 घंटे या 100 कि.मी. की एकमुश्त दर	अवरोधन प्रभार प्रतिघंटा	अतिरिक्त कि.मी. हेतु प्रभार प्रति कि.मी.	8 घंटे या 100 कि.मी. की एकमुश्त दर	अवरोधन प्रभार प्रतिघंटा	अतिरिक्त कि.मी. हेतु प्रभार प्रति कि.मी.
				रुपये		
मइसिडीस बेन्ज कारें	750.00	25.00	5.50	750.00	20.00	5.50
लग्जरी कोचें	850.00	25.00	6.00	850.00	20.00	7.00
माइक्रो बसें	420.00	20.00	3.50	×355.00	14.40	2.78
डी.एल.वाई. (अवातानुकूलित) कारें	260.00	15.00	2.00	@192.00	5.00	1.60

* भा.प.वि.नि. एवं निजी दोनों संचालकों से
@ निजी संचालकों से।

23.2. वाहनों के किराये पर लेने में हुई अनियमिततायें

23.2.1 12.40 लाख रु. का परिहार्य व्यय

(क) दिल्ली पर्यटन विकास निगम (दि.प.वि.नि.) ने दिसम्बर 1982 में, 600 डी.एल.वाई. कारों तथा माइक्रो बसों व लग्जरी कोचों को मुहैया कराने का प्रस्ताव रखा। इन वाहनों के लिए दि.प.वि.नि. द्वारा उद्धृत दरें तुलना में कम थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

वाहनों की किस्म	एक मुश्त दरें	प्रतिघण्टा अवरोधन प्रभार	अतिरिक्त कि.मी. हेतु प्रभार प्रति कि.मी.
	(रु.)		(रु.)
लग्जरी कोचें	700	20	6.00
माइक्रो बसें	300	10	3.00
डी.एल.वाई.कारें (अवातानुकूलित)	230	5	1.80

मंत्रालय ने, स्थिति की सूचना भा.प.वि.नि. को देने के बजाय, दि.प.वि.नि. को जनवरी 1983 में दी कि वे भा.प.वि.नि. को सम्पर्क करें क्योंकि अवरोक्त को नेम हेतु वाहनों की आपूर्ति का भार सौंपा गया था। दि.प.वि.नि. के प्रस्ताव के वित्तीय परिणामों का अंदाजा लगाने तथा भा.प.वि.नि. की दरों में कटौती के लिए दबाव न डालने में मंत्रालय की असफलता के परिणामस्वरूप उन्होंने एक मुश्त दरों पर ही भा.प.वि.नि. को 3.65 लाख रु. का अपरिहार्य भुगतान हुआ। मंत्रालय ने बताया (मई 1985) कि, उन्होंने यह सोचा कि किसी बिना परखी पार्टी को, परिवहन का कार्यभार सौंपना तथा खतरा उठाना उचित न होगा।

(ख) राज्यों/सरकारों के राज्याध्यक्षों के लिए 55 मसिडीज बेन्ज कारें भा.प.वि.नि. से, चोगम हेतु 7 नवम्बर से 1 दिसम्बर 1983 तक (25 दिन)

मंगाई गई तथापि वास्तविक सम्मेलन 23 से 29 नवम्बर 1983 तक हुआ। वाहनों को वास्तविक समय 7 दिन पहले के बजाय 16 दिन पहले मंगाया जाना, जैसा कि नेम हेतु किया गया उसके परिणामस्वरूप 3.15 लाख रु. का परिहार्य खर्च हुआ। मंत्रालय ने बताया (मई 1985) कि कारें 7 नवम्बर से सुरक्षा कारणों से मंगाई गई थी।

(ग) गोवा में एकान्तवास हेतु 25 से 27 नवम्बर 1983 के बीच यद्यपि कारों को सुरक्षा कारणों से 15 नवम्बर 1983 को ही पहुंचना था, पर वे गोवा में 10 नवम्बर 1983 से ही उपलब्ध करा दी गई थीं। इस प्रकार एकान्त स्थल पर एक सप्ताह पूर्व के बजाय वाहनों को 10 नवम्बर 1983 को ही मंगाने से एक मुश्त दरों, राशि अवरोधन प्रभारों आदि के कारण 3.64 लाख रु. का परिहार्य व्यय हुआ।

23.3 म.वे. कारों के एक से दूसरे स्थान जाने की लागत की अत्यधिक बढ़ी दरों पर अदायगी - 6.35 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय तथा 0.73 लाख रु. की अधिक अदायगी

23.3. भा.प.वि.नि. 75 मरसडीज बैन्स कारों को नेम के लिये मुहैया कराने पर सहमत हो गया था जो उसकी विभिन्न यूनिटों पर तैनात थी। इसके द्वारा 46 कारें इसके विभिन्न यूनिटों से लाई गई थी। महानिदेशक (पर्यटन) के साथ हुई प्रारंभिक बैठक में, मंत्रालय नेम के लिये इन कारों को सड़क या रेल किसी भी द्वारा दिल्ली लाने पर होने वाले खर्च को वहन करने को राजी हो गया था। तथापि भा.प.वि.नि. द्वारा कारों को सड़क द्वारा दिल्ली लाया गया था जिसके लिए उसने औसतन 17,522 रु. प्रति कार के हिसाब से 8.06 लाख रु. की राशि का दावा किया।

इस संबंध में निम्न टिप्पणियां दी जाती हैं।

(i) बाहरी यूनिटों से एक कार के दिल्ली लाने की औसत लागत 17,000 रु. से अधिक आंकलित की गई जो कि समुद्र द्वारा स्टेटगार्ट से डाक कार हेतु किराये के बराबर है।

(ii) भा.प.वि.नि. को 45 आयतित म.वे. कारों को बम्बई से लाने की लागत के रूप में 73,710 रु. अदा किये गये अर्थात् 1.17 रु. प्रति कि.मीटर के, जबकि अपनी कारों के संबंध में भा.प.वि.नि. ने अपनी विभिन्न यूनितों से परिवहन के लागत का दावा 5.50 प्रति कि.मी. की दर से किया था।

इसके परिणामस्वरूप 6.35 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय हुआ। मंत्रालय ने बताया (मई 1985) कि भा.प.वि.नि. ने परिशोधन टूटफूट इत्यादि जैसे वाणिज्यिक लागत के तत्वों को अपने निजी वाहनों के बेड़े की परिवहन लागत में शामिल किया था।

(iii) भा.प.वि.नि. के साथ हुई बैठक में यह निर्णय किया गया था कि मंत्रालय केवल वास्तविक परिवहन खर्च ही वहन करेगा, लेकिन भा.प.वि.नि. ने अपने वाणिज्यिक दरों को इस तर्क पर प्रभावित करने के लिए जोर दिया कि वास्तविक खर्च को किसी मामले में लेखाबद्ध नहीं किया गया था तथा कार्यवृत्त कार्यालय अभिलेख के भाग नहीं थे। आगे म.वे. कारों को वास्तविक तौर पर दिल्ली लाने से पहले कारों को मंगवाने के लिये प्रति कि.मी. यथार्थ दर, भा.प.वि.नि. के साथ तय नहीं की गयी थी।

(iv) म.वे. कारों को दिल्ली लाने के लिये वास्तविक मीटर पठन की बजाय विभिन्न शहरों से दिल्ली तथा वापसी के मील पत्थरों की कि.मी. दूरी के आधार पर दावा किया गया था। इसमें 10 प्रतिशत और जोड़ा गया था जो कि अनियमित था। यह कहा जा सकता है कि चोगम के लिये भा.प.वि.नि. की विभिन्न यूनितों से लाई गई म.वे. कारों के लिये मील पत्थर दूरी के अलावा भा.प.वि.नि. द्वारा 2.3 प्रतिशत से 29.8 प्रतिशत के बीच वर्गीकृत अतिरिक्त किलोमीटर प्रभार वसूल किया गया। औसत 2.5 प्रतिशत अतिरिक्त किलोमीटर दूरी लेते हुए नेम तथा चोगम के लिये लाये गये वाहनों हेतु अधिक अदायगी क्रमशः 0.55 लाख रु. तथा 0.18 लाख रु. आंकलित की गई थी।

23.4 बिलों की अपर्याप्त जांच के परिणामस्वरूप 3.31 लाख रु. की अधिक अदायगी

(क) भा.प.वि.नि. के साथ समझौते के अनुसार विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिये 100 कि.मी. के 8 घण्टों के लिये तथा 8 घंटे से अधिक अवरोधन के लिये अवरोधन प्रभारों की एक मुश्त दर पर अदायगी घंटों के आधार पर की जानी थी। तथापि यह देखा गया कि:-

(i) विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिये, निश्चित तिथि पर, 8 घंटों से अधिक अवरोधन प्रभारों के बजाय, विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिये दुगुनी एक मुश्त दर के दावे किये गये तथा अदायगी की गई थी तथा 8 मार्च 1983 को लगाई गई एक लज्जरी कोच के संबंध में एक मुश्त दर से तिगुने के दावे किये गये तथा उसकी अदायगी की गई जिसके परिणामस्वरूप 0.55 लाख रु. की अधिक अदायगी की गई।

(ii) चोगम के गोवा में एकान्त स्थलवास हेतु यद्यपि मंत्रालय ने 21 से 29 नवम्बर 1983 तक 29 डी.एल.वाई अम्बेसेडर कारों के किराये पर लेने को संस्वीकृत किया था परन्तु भा.प.वि.नि. ने अपने आय 10 नवम्बर से 22 वाहनों के लिये प्रभारों का दावा

किया जिसके परिणामस्वरूप 10 से 20 नवम्बर 1983 तक 1.19 लाख रु. की अधिक अदायगी हुई।

(ख) गु.नि.स. प्रतिनिधियों के लिए अशोका होटल के बिल के पुनरीक्षण से पता चला कि मार्च 1983 में धुलाई प्रभारों के कारण 0.74 लाख रु. की राशि का दावा प्रस्तुत किया गया जो तदनुसार मंत्रालय द्वारा भुगतान किया गया था।

मंत्रालय ने विभिन्न होटलों को भुगतान के लिए 1.04 लाख रु. की राशि की संस्वीकृति प्रदान की (फरवरी 1984) जिसमें अशोका होटल के लिए दुबारा धुलाई प्रभारों हेतु 0.22 लाख रु. की राशि शामिल थी। इस प्रकार 0.22 लाख रु. की अतिरिक्त राशि का भुगतान उपरोक्त होटल को किया गया था जबकि दावे का समाधान पहले ही 1983 में हो गया था।

(ग) 21 से 30 नवम्बर 1983 तक लगाये गये विभिन्न वाहनों की ड्यूटी स्लिपों के परिशीलन से निम्नानुसार प्रकट हुआ:-

(i) केवल 9 कारों को 26 नवम्बर 1983 को लगाया गया था जबकि 52 कारों के लगाये जाने हेतु 0.55 लाख रु. का दावा तथा अदायगी की गई तथा 21 नवम्बर से 30 नवम्बर 1983 में 61 कारों ने कोई दूरी तय नहीं की, जिनके लिये एक मुश्त दर से 30 प्रतिशत कम करके देने के बजाय, एक मुश्त दर में 16 घंटे के अवरोधन प्रभारों को जोड़कर, अदायगी की गई थी जिसके परिणामस्वरूप कुल 0.33 लाख रु. अधिक अदायगी हुई।

(ii) जिन वाहनों को मंगवाया गया लेकिन जिनका गोवा में एकान्तवास स्थल के दारान मांगी गई परन्तु किसी भी दिन उपयोग नहीं की गई, उनके लिए एक मुश्त दर से 30 प्रतिशत की कमी करके जैसा कि नई दिल्ली में हुए नेम तथा चोगम के लिये किया गया था, के बजाय एक मुश्त दर पर वसूली की गई थी। सविदाओं में इस प्रकार की कटौतियों की शर्तों को न लगाये जाने के फलस्वरूप भा.प.वि.नि. को 0.28 लाख रु. की अधिक अदायगी हुई। मंत्रालय ने बताया (मई 1985) कि दिल्ली से बाहर की कारों के प्रकरण में इस प्रकार की कटौतियाँ नहीं लगाई गई थी।

(iii) 34 अन्य कारों, जिन्होंने 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर की दूरी 21 नवम्बर से 30 नवम्बर 1983 की अवधि के दौरान तय की थी, के लिये 0.36 लाख रु. की राशि अदा की गई थी।

मंत्रालय ने बताया (मई 1985) चूँकि अशोका होटल व विज्ञान भवन के बीच की दूरी लगभग 4 से 5 कि.मी. थी, अतः कारों से अधिक दूरी तय करने की आशा नहीं की जा सकती थी। तथापि, यद्यपि मंत्रालय को दूरी की जानकारी थी, फिर भी कारों को 5 घंटों के एक मुश्त दर के लिये किराये पर नहीं रखा गया जो कि सरकार को अत्यधिक लाभप्रद रहा होता।

23.5 म.वे. कारों को चोगम के पूर्व बिद्री के कारण 8.46 लाख रु. का परिहार्य व्यय हुआ।

23.5.1 सरकार ने नेम पश्चात 22 म.वै. कारों को बेचने का निर्णय किया। इनमें से 12 कारों को अगस्त से अक्तूबर 1983 तक विभिन्न राज्यों के गवर्नरों को, 4 राष्ट्रपति सचिवालय को बेचा गया तथा 6 मंत्रालय द्वारा रख ली गई थी। इसके तुरन्त बाद नवम्बर 1983 में चोगम हुआ था तथा 24 एम.बी. कारों को भा.प.वि.नि. के माध्यम से उसकी विभिन्न यूनिटों से मंगवाया गया था जिसके लिये 4.26 लाख रु. की राशि अदा की गई थी।

एम.बी. कारों को चोगम से पहले ही बेचने के निर्णय के परिणामस्वरूप 24 कारों को भा.प.वि.नि. से किराये पर लेने के कारण 7.88 लाख रु. का (4.26 लाख रु. जमा 3.62 लाख रु.) परिहार्य व्यय हुआ। आगे, वाहनों को मंगवाने लेकिन उपयोग न किये जाने के लिये भी 0.58 लाख रु. की राशि अदा की गई थी।

23.6 प्रतिनिधि मंडलों के भोजन तथा आवास की व्यवस्था

नेम तथा चोगम के लिये आये राज्यों/सरकारों के शासनाध्यक्ष तथा विभिन्न प्रतिनिधियों को होटलों में ठहराया गया था। सुरक्षा कारणों से लिये अध्याचित होटलों में पूरी जगह, एक निश्चित अवधि के लिये सुरक्षित करवा ली गयी थी। तीन होटलों को, दो बैठकों के लिये अवरोधन प्रभारों की अदायगी, वास्तविक अधिभोग प्रभारों से बहुत अधिक थी।

नेम	अवरोधन प्रभार	वास्तविक अधिभोग प्रभार (लाख रुपयों में)	जोड़
कनिष्का होटल	5.24	5.17	10.41
मौर्य शोरेटन होटल	17.68	11.28	28.96
सम्राट होटल	4.16	0.13	4.29
चोगम			
अशोक होटल	35.10	30.36	65.46
सम्राट होटल	15.40	2.78	18.18
	77.58	49.72	127.30

पुनः 28 फरवरी से 3 मार्च 1983 तक 160 कमरों के लिये अवरोधन प्रभारों की कुल 0.64 लाख रु. की राशि की अदायगी कनिष्का होटल को की गई थी यद्यपि ये कमरें कथित अवधि के लिये धिरे हुए नहीं थे।

कमरों की बहुत बड़ी संख्या के अनुपयोग के कारण इतने अधिक अवरोधन प्रभारों की अदायगी, सुरक्षा तथा प्रोटोकॉल के विचारों को भी ध्यान में रखते हुए अपर्याप्त योजना को दर्शाती थी।

सारांश

मंत्रालय ने अधिक भुगतानों के अलावा, मुख्यतः भा.प.वि.नि. से परिवहन को किराये पर लेने की अपर्याप्त योजना, परिवहन के किराये के प्रभारों की अधिक अदायगी तथा होटलों में प्रतिनिधि मंडलों के सदस्यों के

लिये कमरों को एक मुश्त सुरक्षित करवाने के लिए भारी अवरोधन प्रभारों के कारण 44.67 लाख रु. तक की राशि का परिहार्य व्यय किया।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 1986) "कि भा.प.वि.नि. द्वारा मांगी गई नई राशियां, उनके वास्तविक व्यय में तथा तयशुदा मानदण्डों के अनुसार नियत सामान्य लाभ पर आधारित थीं। निजी प्रचालकों की तुलना में उनके ऊपरी खर्च अधिक होने के कारण उनकी दरें प्रत्यक्ष रूप से अधिक थी। इसके अलावा उन्हें अतिरिक्त संयंत्र तथा विभिन्न बाहरी एजेंसियों से अस्थाई आधार पर जन शक्ति उच्चतर लागत पर मंगानी पड़ी थी। जहां तक हमारा संबंध है, भा.प.वि.नि. को की गई सभी अदायगियां हमारे वित्त मंडल द्वारा, जोकि अतिरिक्त सचिव पद के एक अधिकारी द्वारा शासित था, जांची तथा अनुमोदित की गई थी।"

"हमारे द्वारा अध्याचित परिवहन की प्रमात्रा के बारे में यह कहा जा सकता है कि यह पहला मौका था जिसमें कि भारत इस प्रकार के बड़े पैमाने पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन कर रहा था, जिसमें अनेकों प्रतिनिधि मंडल के सदस्य/सहायकों सहित 100 से भी अधिक देशों की सरकार/राज्य के शासनाध्यक्षों को उपस्थित होना था। सम्मेलन प्रबन्धों से सम्बन्धित, परिवहन व्यवस्था बहुत से अति नाजुक व संवेदनशील मुद्दों में से एक था। हम परिवहन व्यवस्थाओं में कोई कमी या ढील नहीं दे सकते थे। इसलिये हमें अनिवार्य रूप से अपेक्षित था कि परिवहन उदार पैमाने पर लगाया जाये। चूंकि प्रत्येक देश से सम्मिलित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित नहीं थी तथा गतकाल में प्रत्येक देश से प्रतिनिधियों द्वारा शिखर सम्मेलन में शामिल होने वालों की संख्या 30 से 100 के बीच थी, अतः परिवहन की मांग बैठकों की तिथियों से यथोचित पूर्व ही करनी पड़ी क्योंकि वे पूर्ण सज्जित पूर्वाभ्यास के लिये अपेक्षित थी, जो कि सम्मेलन के एक माह पूर्व शुरू हुआ था। ऐसी विषयवस्तुस्थिति में कुछ वाहनों को कुछ एक तिथियों में उपयोग में नहीं लाया जा सका क्योंकि उन्हें किसी सम्भाव्य आवश्यकता को पूरा करने तथा सुरक्षित रखने के लिये तैयार रखना पड़ा। इसी प्रकार कुछ होटलों को सुरक्षा कारणों हेतु इस कारण एक मुश्त बूक किये गये थे कि कोई जनता या बाहरी आगन्तुक की उन होटलों में कोई पहुँच न हो पाय जहां अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्तियों को ठहराया गया था। इनमें इन होटलों में खाली आवास के लिये, अवरोधन प्रभार आवश्यक रूप से शामिल थे।"

24. राज्य अतिथि गृह का अल्प उपयोग

सरकार ने 1968 में हैदराबाद हाऊस, एक मौजूदा भवन को देशीय व अन्तर्देशीय सम्मेलन के संबंध में दिल्ली आने वाले विदेशी उच्चाधिकारियों, प्रतिष्ठित आगन्तुकों, व्यापार व सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल तथा अन्य महत्वपूर्ण अतिथियों को ठहराने के लिए, बी.आई.पी. अतिथि गृह में बदलने का निर्णय किया था। हैदराबाद हाऊस को अतिथिगृह में नवीकरण करने तथा बदलने हेतु 1968-69 से 1983-84 के दौरान 44.22 लाख रु. की राशि का व्यय किया गया था। अतिथिगृह के भूमितल पर एक ही समय में 25 व्यक्तियों को ठहराने की क्षमता है। अतिथिगृह के अनुरक्षण पर औसतन 7.11 लाख रु. प्रतिवर्ष का व्यय किया

जा रहा था। तथापि, अतिथिगृह में पिछले 5 वर्ष की अवधि में नगण्य दिनों के लिए निवास किया गया था जिनके ब्यौरे नीचे दर्शाये गये हैं:—

वर्ष	अतिथि कमरों में निवास	अनुरक्षण व्यय (लाख रु. में)
1981-82	20 दिवस	8.07
1982-83	15 दिवस	9.23
1983-84	शून्य	6.78
1984-85	शून्य	5.05
1985-86	शून्य	6.40

मंत्रालय ने अक्टूबर 1986 में कहा कि हैदराबाद हाऊस में अभी पर्याप्त व सही अवस्थापनात्मक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं।

25. अधिक अदायगी (2.61 लाख रु.) की गैरअवसूली

विदेश में विभिन्न मिशनों/पदों की लेखापरीक्षा के दौरान, वेतन व भत्ते, विदेश भत्ता, विदेश यात्रा कर, सादृश्यमूलक अनुदान, विदेश भत्ते की बजाय रोकड़ भत्ते का अनुदान, विनिमय दरों का गलत निर्धारण तथा अपर्याप्त संस्वीकृति के व्यय इत्यादि के संबंध में प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में 2000 रु. से अधिक की अधिक अदायगियां/अनियमित अदायगियां की 5.13 लाख रु. की राशि अप्रैल 1976 से मार्च 1981 तक पाई गई थी। लेखापरीक्षा होने के बाद इनको मंत्रालय की जानकारी में लाया गया था लेकिन जुलाई 1985 तक इनकी वसूली नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा के अनुरोध पर मंत्रालय ने नवम्बर 1986 तक केवल 1.94 लाख रु. वसूल/नियमित किये थे तथा 0.58 लाख रु. की वसूली किस्तों में करने के लिए प्रस्ताव किया गया था। शेष 2.61 लाख रु. की राशि की वसूली अभी करनी बाकी थी जबकि 5 से 8 वर्ष पहले लेखापरीक्षा द्वारा इन अधिक भुगतानों को ध्यान में लाया जा चुका था।

26. अनुचित विलम्ब के कारण बैलिंग्टन में इंडिया हाऊस के नवीकरण/मरम्मत पर 9.86 लाख रु. से अधिक का, परिहाय व्यय

फरवरी 1966 में 3 कोर्नवाल स्ट्रीट, लोवर हट बैलिंग्टन में 13,000 फीट (1.73 लाख रु.) की लागत पर भारतीय उच्चायुक्त आवास खरीदा गया था। चूंकि इस क्षेत्र को शापिंग केन्द्र से परिवर्तित करना था, आवास को दिसम्बर 1971 में बिना किसी लागत पर स्थानीय प्राधिकारियों की प्रार्थना पर 128, नाईट्स रोड स्थित सम्पत्ति से बदल लिया गया था जिस पर कि मिशन द्वारा लगाये गये स्थानीय वास्तुकार द्वारा, उसके जीवन अवधि के लिए पक्की संरचनात्मक हालत तथा आगे के कई वर्षों तक लाभप्रद जीवन अवधि होने का विनिश्चय किया गया था। (सितम्बर 1971) विदेश सेवा निरीक्षक ने भी विनिमय की सिफारिश करते हुए कहा था (नवम्बर 1971) कि मरम्मत/परिवर्तन तथा आंतरिक सजावट पर भी कुछ अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा। सलाहकार अभियन्ता ने अपनी मई 1981 की प्राथमिक प्रतिवेदन में मरम्मत पर एन जेड 20,000—

30,000 डालर का अनुमान लगाया था जबकि ब्यौरेवार प्रतिवेदन जो नवम्बर 1981 में प्रस्तुत किया गया था, में व्यय एन जेड 82,500 डालर का अनुमान लगाया गया था, जिसमें से एन जेड 34,000 डालर मार्च 1984 में मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत कर दिए गए थे। इस संस्वीकृति के प्रति मिशन ने एन जेड 24,144 डालर (1.56 लाख रु.) खर्च किये तथा एक अन्य एन जेड 80,900 डालर (4.62 लाख रु.) का अनुमान तलों को समतल करने, विद्युत के पुनः तार लगाने, रसोई घर का पुनः नमूनाकृत तथा अंदर की सजावट इत्यादि के लिए भेजा (सितम्बर 1984)। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता (सी.डी.ओ.) की सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय एन जेड 80,300 डालर (4.59 लाख रु.) की राशि के लिये सहमत हो गया इसमें परामर्शदाता की एन जेड 7,300 डालर की फीस भी सम्मिलित थी। मंत्रालय ने मिशन को यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिये थे (अगस्त 1985) कि कार्य कम से कम संभव समय में पूरा हो। अनुमानित राशि को बाद में जनवरी 1986 में एन जेड 1,59,200 डालर (9.10 लाख रु.) तक तथा मई 1986 में आगे उच्च आयुक्त, जिन्होंने मिशन का कार्यग्रहण अगस्त 1985 में किया था, द्वारा किये गये नये प्रस्तावों के आधार पर एन जेड 2,41,688 डालर (16.11 लाख रु.) तक बढ़ा दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप कार्य का क्षेत्र भी बढ़ गया था।

मिशन द्वारा खण्डशः प्रस्ताव तथा मंत्रालय द्वारा इन प्रस्तावों के अनुमोदन पर विलम्ब करने के कारण से मरम्मत/नवीकरण कार्य की लागत में एन जेड 1,59,188 डालर (9.86 लाख रु.) की बढ़ोत्तरी हुई जो नवम्बर 1981 में एन जेड 82,500 डालर (6.25 लाख रु.) में मई 1986 में एन जेड 2,41,688 डालर (16.11 लाख रु.) हो गई।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 1986) कि नवम्बर 1981 में विचारणीय व्यय से अधिक व्यय कार्य के प्रकार व क्षेत्र में यथेष्ट परिवर्तन करने के कारण हुआ तथा अधिक बढ़ोतरी आवास को स्वीकार्य स्तर तक नवीकरण करने की कोशिश करने के कारणों से हुई थी।

27. विदेश में एक मिशन की स्टाफ कार की चोरी

विदेश में एक मिशन द्वारा फरवरी 1983 में 29,000 डी.एम. (1,17,790 रु.) मूल्य पर खरीदी हुई एक स्टाफ कार मिशन की बिना स्वीकृति तथा जानकारी के मिशन के स्थानीय नियुक्त चालक द्वारा अपने निवास स्थान पर ले जाई गई तथा वहां पर खड़ी की गई थी, जो वहां से 25 मई 1983 की रात को चोरी हुई बताई गई थी। चालक को मिलम्बित कर दिया गया था तथा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गई थी। उसके स्पष्टीकरण अपर्याप्त व असंतोषजनक पाये गये थे तथा उसकी सेवाएं जान बूझ कर उपेक्षा, कार्यालय अनुशासन तथा कार्य प्रणाली को घोर रूप से भंग करने के आधारों पर 11 जुलाई 1983 से समाप्त कर दी गई थीं

नियमानुसार, जहां सरकारी सम्पत्ति का नुकसान उस कर्मचारी की गफलत के कारण हो, जिसे उसकी सुरक्षा सौंपी गई, यह सदा विचारणीय होना चाहिए कि क्या उस नुकसान की वसूली ऐसे कर्मचारी की अदायगी सीमा तक पूरी न हो। यद्यपि मिशन ने जून 1983 में मंत्रालय को बताया कि

चालक का स्पष्टीकरण प्रभावहीन व असंतोषजनक पाया गया था तथा वह सरकार को हुई भारी हानि की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता था जो उसके घर पर बिना चौकसी के कार छोड़ने के कारण हुई जबकि वह भली प्रकार जानता था कि यह सामान्य प्रक्रिया व विनियमों के प्रतिकूल था तथा वह शहर में चोरी की अधिक वारदात व गुंडागर्दी के बारे में भी जानता था, चालक से नुकसान की वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं किये गये थे।

उसकी नियुक्ति के नियम व शर्तों के अनुसार, चालक की सेवा समाप्त यदि दुर्व्यवहार या असंतोषजनक सेवा से भिन्न कारणों पर की जाये तो वह सेवान्त बोनस का पात्र था। मिशन द्वारा चालक को सेवान्त बोनस की अदायगी के लिए की गई सिफारिश मिशन के विचार में जबकि उसके विरुद्ध कार्यालय अनुशासन को घोर रूप से भंग करने तथा जान बूझकर गफलत करने का अपराध था, मन्त्रालय द्वारा नहीं मानी गई थी (जून 1983 और दुबारा जुलाई 1983)। मिशन अगस्त 1983 में मन्त्रालय द्वारा मई 1970 में जारी किये गये आदेश को मन्त्रालय की जानकारी में इस आशय के लिए, लाया कि स्थानीय नियुक्त हुए स्टाफ की किन्हीं कारणवश सेवा समाप्त पर सेवान्त बोनस की अदायगी की जायेगी। इन आदेशों के अनुरूप मन्त्रालय ने दिसम्बर 1983 में विशेष मामले के रूप में 7,985,833 लीरा (55,075 रु.) सेवान्त बोनस के रूप में चालक को अदायगी हेतु अनुमोदन किया तथा जो जनवरी 1984 में भुगतान की गई थी। मन्त्रालय ने अपने मई 1970 के आदेश का, जिसमें अनुशासनात्मक आधार पर सेवा समाप्त होने पर सेवान्त बोनस की अदायगी अस्वीकार्य थी, संशोधन भी जारी किया (दिसम्बर 1983)।

इस प्रकार 1,17,790 रु. की सरकार को हानि के अलावा, नियमों के प्रावधान के बावजूद उसके किसी भाग की वसूली नहीं की गई तथा 55,075 रु. की एक और राशि मन्त्रालय द्वारा 1970 में दोषपूर्ण आदेश जारी किए जाने के फलस्वरूप दोषी चालक को करनी पड़ी थी। अन्ततः गुम हुई कार के लिए स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा 25,444 रु. की सीमा शुल्क की मांगी गई राशि से सरकार की हानि और अधिक हो जायेगी, इस अदायगी की राशि के ब्यौरे अभी प्रतीक्षित हैं। (अक्तूबर 1986)।

फरवरी 1985 में, मन्त्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रमाणित करते हुए एक कार की चोरी "किसी कर्मचारी की गफलत के कारण, जिसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही होनी हो", नहीं हुई थी, एक बट्टे खाते की संस्वीकृति जारी की।

विदेश मन्त्रालय ने बताया (नवम्बर 1986) कि ऊपर कथित चालक के मामले को, मई 1970 में जारी किये गये आदेश में कुछ गहरे उलझाव होने के कारण जो उस समय स्पष्ट रूप से पकड़ में नहीं आये थे केन्द्र बिन्दु बनाया गया था तथा किसी भी अनुचित शोषण को सुरक्षा प्रदान कराने हेतु दिसम्बर 1983 में अन्य आदेश जारी कर, कदम उठाये गए थे।

28. "भारत का उत्सव" हेतु पर्यटक साहित्य पर निष्फल व्यय

जून 1985 में, भारत सरकार पर्यटक कार्यालय, पेरिस ने भारतीय पर्यटक विकास निगम लि. से 7 जून 1985 से एक वर्ष तक पेरिस में होने वाले "भारत का उत्सव" से सम्बन्धित पर्यटक साहित्य के 286 डिब्बे/बंडल जनता में निशुल्क वितरण हेतु प्राप्त किए। इन 286 डिब्बों/बंडलों में बंधी

पर्यटक साहित्य की 84072 प्रतियों में से केवल 17100 प्रतियां (34 डिब्बे/बंडल) अर्थात् लगभग 20 प्रतिशत, फ्रांसीसी भाषा में थी, शेष सारा साहित्य अंग्रेजी भाषा में था। साहित्य के अंग्रेजी भाषा वाले भाग का मूल्य 66,980 रु. था। भारत से सम्पूर्ण साहित्य एयर इंडिया द्वारा निशुल्क ले जाया गया था लेकिन पर्यटक कार्यालय ने जुलाई-अगस्त 1985 में सीमा शुल्क एवं साहित्य को एयरपोर्ट से कार्यालय तक ले जाने में 16,335 फ्रेंच फ्रेंकस (21875 रु.) व्यय किए जिसमें अंग्रेजी साहित्य से सम्बन्धित आनुपातिक व्यय 17426/- रु. बचता है।

यह देखा गया (अगस्त 1985) कि अंग्रेजी साहित्य पेरिस में भारत उत्सव हेतु व्यर्थ था एवं पर्यटक कार्यालय ने इसकी कभी मांग नहीं की थी। जबकि फ्रांसीसी साहित्य वितरित किया जा सकता था, अंग्रेजी साहित्य का सम्पूर्ण भंडार बहुमूल्य भंडारण स्थान को घेरते हुए बिना खुला पड़ा रहा। पर्यटक कार्यालय भारत से इतना अधिक साहित्य अंग्रेजी में भेजे जाने का कोई कारण नहीं दे सका। भारत के उत्सव हेतु प्रचार अभियान में प्रत्यक्ष प्रभाव के अतिरिक्त अंग्रेजी के इतने अधिक अवांछित साहित्य को भेजने में एयर इंडिया द्वारा छोड़े गए भाड़े एवं पेरिस में घेरे गए भंडारण स्थल को छोड़कर भी 84,406 रु. (66,980 रु. जमा 17,426 रु.) का अनावश्यक व्यय हुआ। इसको अन्य स्थानों को भेजने या लगातार भंडारण पर आगे भी खर्च होगा।

मामला सितम्बर 1985 एवं जनवरी 1986 में सरकार को भेजा गया था, उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 1986)।

29. घरेलू प्रयोग हेतु ऊष्ण जल प्रवाह पर किए गए व्यय की अस्वीकार्य प्रतिपूर्ति

नियमों के अन्तर्गत कुछ विशेष स्टेशनों पर स्थित भारतीय मिशन/पोस्ट में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवासों पर शीतकालीन महीनों के दौरान, स्थानों को गर्म रखने का व्यय सरकार वहन करती है। आवासों के उन मामलों में जहां ऊष्मा मकान मालिक द्वारा किराए के भाग के रूप में मुहैया कराई जाती है, वहां ऊष्णोत्तर अवधि के दौरान ऊष्ण जल प्रवाह का व्यय, यदि गर्म पानी की आपूर्ति केन्द्रीय तापन प्रणाली का एक अंग न हो, सम्बन्धित अधिकारी को स्वयं उठाना होगा, अन्य मामलों में यह व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता रहेगा। विशेषतः स्थानों को गर्म करने में प्रयुक्त मात्रा को दर्शाने के लिए अलग से मीटर के बिना स्थानों को गर्म रखने एवं अन्य घरेलू प्रयोजनों, दोनों के लिए जहां गैस या बिजली का प्रयोग किया जाता है उन मामलों के मिशन/पोस्ट के अध्यक्ष को यह निश्चित करना चाहिए कि कुल बिल का कौन-सा हिस्सा स्थानों को गर्म रखने का व्यय दर्शाता है तथा सरकार द्वारा देय है। अतएव जहां गर्म पानी मकान मालिक द्वारा केन्द्रीय तापन प्रणाली से किराए के भाग के रूप में प्रदान किया जाता है, अधिकारी द्वारा पानी गर्म करने या अन्य घरेलू प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की गई गैस या बिजली का व्यय या उसकी प्रतिपूर्ति करने का दायित्व सरकार पर नहीं है, स्पष्टतया अधिकारियों को दिया गया विदेश भत्ता ऐसे ही खर्चों के लिए होता है। (भारत का राजदूतावास, पेरिस के मामलों में, जहां संस्वीकृत विदेश भत्ते में निवास में प्रयुक्त की गई बिजली पानी एवं ईंधन के व्यय का प्रावधान सम्मिलित नहीं होता, विदेश

मन्त्रालय कुछ निर्धारित सीमा में ऐसे खर्चों के लिए समय-समय पर अलग से प्रतिपूर्ति हेतु, संस्वीकृति देता रहा है।)

फरवरी 1978 में, भारतीय राजदूतावास, पेरिस ने, नियमों के उपर्युक्त प्रावधान के विपरीत, यह निर्णय लिया कि जिन फैक्टों में घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी गैस/बिजली के जलतापकों द्वारा गर्म किया जाता है, वहां 15 अक्टूबर 1977 से विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों को शीतकालीन महीनों में, 70 फ्रैं.से 170 फ्रैं. प्रतिमाह की दर पर सरकार द्वारा संस्वीकृत राशि से अतिरिक्त प्रतिपूर्ति की जाए। यह प्रतिपूर्तियां नियमों के अंतर्गत अस्वीकार्य होने के साथ-साथ अनधिकृत भी थीं क्योंकि सक्षम प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारियों द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। मिशन द्वारा इन अनियमित प्रतिपूर्तियों की दरें 16 अक्टूबर 1979 एवं 10 अक्टूबर 1984 से बढ़ा दी गईं।

मार्च 1984 में, भारतीय राजदूतावास बोन ने भी आदेश जारी किए कि अधिकारियों द्वारा शीतकाल में पानी गर्म करने के लिए गैस/बिजली पर किए गये व्यय की 1983-84 के शीतकाल से प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी। इससे पहले, राजदूतावास बोन नियमों का पालन कर रहा था और उस दूतावास के अधिकारी ऊष्ण जल प्रवाह का खर्च स्वयं वहन कर रहे थे।

उसी वर्ष से, राजदूतावास बोन के अधिकार क्षेत्र में पडने वाले महाकांसुलेट, हैमबर्ग ने भी गलत प्रणाली अपना ली।

तीन वर्षों, 1982-83 से 1984-85 की अवधि के दौरान 41 अधिकारियों से संबंधित अनियमित प्रतिपूर्ति की कुल राशि मिशन/पोस्ट द्वारा 66,151 रु. (बोन 31,612 रु., पेरिस 29,998 रु. एवं हैमबर्ग 4541 रु.) परिकलित की गई। राजदूतावास पेरिस के संबंध में 1977-78 से पूर्व 5 वर्षों की राशियां मिशन द्वारा अभी (अक्टूबर 1985) परिकलित की जानी हैं। अनियमित प्रतिपूर्तियां अभी जारी हैं।

मामला फरवरी 1986 में विदेश मन्त्रालय के नोटिस में लाया गया था। जुलाई 1986 में मन्त्रालय ने बताया कि उक्त तीन मिशन/पोस्ट द्वारा पिछले वर्षों में पानी गर्म करने के व्यय की अदायगी को मंजूरी दे दी गई थी। उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि, स्पष्टतया यह लेखा परीक्षा आपत्ति को एक प्राविधिक उत्तर देता है न कि योग्यतापूर्ण निर्णय। निम्नलिखित तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है:-

- (i) जैसा कि उप-पैराग्राफ 1 में बताया गया है, मन्त्रालय, पेरिस स्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विद्युत, जल एवं ईंधन के घरेलू उपभोग व्यय की प्रतिपूर्ति की संस्वीकृति पहले से ही इस आधार पर देता रहा है कि उक्त मिशन के लिए विदेश भत्ते में इन व्ययों का प्रावधान करने से रह गया था। मन्त्रालय ने इस सुझाव के समर्थन में कोई कारण नहीं दिए कि अन्य स्थानों पर विदेश भत्ते में ऊष्ण जल प्रवाह के लिए गैस, विद्युत अथवा ईंधन के उपभोग का मूल्य सम्मिलित नहीं है।

- (ii) कथित अनुमोदन केवल लेखा-परीक्षा टिप्पणी से सम्बद्ध मिशनों/पोस्टों और सम्बन्धित अवधि के लिए पहले से ही किए गए अनियमित भुगतानों से ही है, यह अन्य मिशनों को रियायतें नहीं देता है और इन पोस्टों/मिशनों के लिए भी अनुगामी काल में विदेश भत्ते के अतिरिक्त अथवा अलग से पूर्व संस्वीकृत प्रतिपूर्ति पर लागू नहीं होता।

30. भवन निर्माण में विलम्ब के कारण परिहार्य व्यय

जुलाई 1980 में अन्य भारतीय मिशन के कुछ अधिकारियों को तथा अपने कार्यालय तथा अधिकारियों और स्टाफ के लिए घरेलू आवासों के लिए भवन प्रदान करने हेतु 9,90,000 अमेरिकन डालर की लागत पर 6653 वर्ग फुट का एक भू-खण्ड संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई मिशन द्वारा अमेरिका में खरीदा था।

अमेरिका राज्य वास्तविक सम्पत्ति के अधिनियम में, विदेशी राज्य जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, के द्वारा खरीदी गई वास्तविक सम्पत्ति पर कर से छूट दी जाती है यदि वह सम्पत्ति संयुक्त राष्ट्र संघ से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित तथा पूर्ण रूप से उसी उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाई जाती है। उक्त बताये गये कर छूट का लाभ उठाने के लिए, भारत सरकार को यह दर्शाते हुए रूप रेखा प्रस्तुत करनी अपेक्षित थी कि सम्पत्ति कर छूट उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाई जा रही थी। इस आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया था तथा इसके परिणाम स्वरूप मिशन को 8 सितम्बर 1980 से 30 जून 1985 के दौरान 2,37,330.28 अमेरिकन डालर (23,07,163.00 रु.) का कर अदा किया था। भवन नक्शे प्रस्तुत करने तक, मिशन ने भारत सरकार से सलाह मशवरा करके जुलाई 1985 से कर की अदायगी रोकने का निश्चय किया था। जुलाई 1985 से जुलाई 1986 तक की अवधि के लिए 87,673.31 अमेरिकी डालर का अपराध नोटिस तथा 9865.83 अमेरिकी डालर का ब्याज (ब्याज की दर 25.5 प्रतिशत) मिशन के पास अनिर्णीत पड़ा हुआ है। इस प्रकार राज्य प्राधिकारियों को प्रस्तावित भवन की रूप रेखा के प्रस्तुत करने में विलम्ब से कर पर/कर दायित्व पर अब तक 3,34,869.42 अमेरिकन डालर (34,87,387 रु.) का परिहार्य व्यय हुआ।

वित्त मन्त्रालय

(आर्थिक मामलों का विभाग)

31. विशेष जमा योजना पर ब्याज का अधिक/कम भुगतान

प्रथम जुलाई 1975 से भारत सरकार ने गैर सरकारी भविष्य, सेवा-निवृत्ति एवं परिदान निधियों के लाभ हेतु, एक विशेष जमा योजना चलाई। विशेष जमाओं पर अनुमत ब्याज 10 प्रतिशत था। बाद में, दर को प्रथम अप्रैल 1983 से 11 प्रतिशत संशोधित कर दिया गया था। इस उद्देश्य हेतु महीने की 10 वें तथा अंतिम दिन के बीच कम से कम शेष को लेखे में लेना था।

भारतीय स्टेट बैंक की विभिन्न शाखाओं की (यथा: बम्बई, कलकत्ता एवं नई दिल्ली की मुख्य शाखा तथा एन.सी.आर. जयपुर और दक्षिणी

विस्तार खण्ड I एवं खण्ड II, नई दिल्ली की अन्य शाखायें) लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि बैंक ने लगभग 48 मामलों में ब्याज का परिकलन गलत किया था जिसके परिणामस्वरूप 1.73 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ। उसी प्रकार, 26 मामलों में 10.65 लाख रुपये का कम भुगतान हुआ था। ब्याज के अधिक/कम भुगतान का संक्षिप्त विवरण अनुबंध में दिया गया है।

मन्त्रालय ने बताया (दिसम्बर 1986) कि भारतीय स्टेट बैंक, बम्बई ने अपने 27 मामलों में 0.78 लाख रुपयों का अधिक भुगतान वसूल कर लिया

था तथा 7 मामलों में संबंधित कम्पनियों को भुगतान करके 0.31 लाख रुपये के कम भुगतान को नियमित कर दिया था। मन्त्रालय ने आगे बताया (जनवरी 1987) कि भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली साउथ एक्टेन्शन पार्ट-1 शाखा ने 0.05 लाख रुपये के ब्याज के अधिक भुगतान को वसूल कर लिया था तथा 0.18 लाख रुपये के ब्याज के कम भुगतान को संबंधित लेखा धारियों को भुगतान करते हुए नियमित कर दिया था। अन्य शाखाओं के बारे में जैसा कि पैरा में वर्णित किया गया है मन्त्रालय के उत्तर प्रतीक्षित थे (फरवरी 1987)।

अनुबंध

राज्यवार मामलों की कुल संख्या तथा सन्निहित कुल राशि

क्रम सं.	स्टेशन का नाम जहां भा.स्टे.बैं की शा. सन्नि. हैं	मामलों की सं.		सन्निहित राशि	
		अधिक भुगतान	कम भुगतान	अधिक	कम
1	बम्बई	27	—	78,392.70	—
2	नई दिल्ली	—	7	—	30,924.37
3	कलकत्ता	16	—	78,944.38	—
4	जयपुर	—	9	—	25423.57
		3	—	14,094.00	—
		—	—	—	—
		2	—	1,178.57	—
		—	10	—	10,09,126.26
		48	26	1,72,609.65	10,65,474.20

32. सीधे भुगतान प्रक्रिया के अन्तर्गत आयातकों द्वारा कम जमा

विदेशी कर्ज अथवा/या अनुदानों के प्रति भारत में आयात करते हुए एक आयातक को बैंक द्वारा उसके विनिमय दस्तावेजों को दिए जाने से पहले निर्धारित विनिमय दर पर (प्रतिदिन के विनिमय दर से एक प्रतिशत से अधिक) भारत सरकार को विदेशी मनोनीत बैंकों द्वारा विदेशी आपूर्तिकर्ता को भुगतान किए गए भारतीय रु. के बराबर प्रेषण करना पड़ता है। विदेशी आपूर्तिकर्ता को भुगतान तिथि से भारत में जमा की तिथि तक आयातक को ब्याज भी जमा करना पड़ता है तथा उसके प्राइवेट आयातक होने की स्थिति में विदेशी आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतानों के लिए बैंक गारंटी भी देनी पड़ती है।

वित्त मन्त्रालय (आर्थिक मामलों का विभाग) इन मामलों से संबंधित प्रत्येक आयातक के साथ-साथ प्रत्येक क्रेडिट/अनुदान समझौते के लिए पृथक-पृथक रिकार्ड रखता है। आयातकों से ठीक और शीघ्र वसूलियों के लिए मन्त्रालय उत्तरदायी है।

1980-81 से 1984-85 वर्षों के दौरान आई.डी.ए./आई.बी.आर.डी.; यू.एस.एस.आर., कनाडा, फ्रांस, जापान, एवं नीदरलैंड से लिए गए कर्जों के 63 मामलों के पुर्ननिरीक्षण से निम्न बातें सामने आईं:-

(क) 31 अक्टूबर 1986 को, पहली अप्रैल 1985 से पहले की अवधि के विभिन्न पार्टियों से 12.63 करोड़ रु. वसूली योग्य थे। 1.4.85 से पहले

आयातकों द्वारा जमा किए गए 20.12 करोड़ रु. मन्त्रालय द्वारा संबद्ध नहीं किए गए थे। आयातकों से कम वसूलियाँ, यदि कोई हों इनको हिसाब में लेने के बाद ही पता चलेगी।

(ख) 49 मामलों में 3.59 करोड़ रु. के ब्याज के कम जमा होने का पता चला था, जिसमें से 2.48 करोड़ रु. 3 वर्षों से अधिक के बकाया थे। कुछ मामलों में प्राइवेट आयातकों द्वारा प्रस्तुत की गई मूलधन तथा ब्याज के जमा से संबंधित बैंक गारंटियां खतम हो चुकी थीं, जिसके कारण 1.51 करोड़ रु. का कम जमा किया गया ब्याज वसूल नहीं हो पाया।

(ग) 53 मामलों में कम जमा किया गया ब्याज मन्त्रालय द्वारा नहीं निकाला गया था। मन्त्रालय ने बताया (अक्टूबर 1986) कि मामलों पुर्ननिरीक्षण में थे।

मन्त्रालय ने आगे बताया कि रु. जमा किये बिना बैंक द्वारा विमोचित किए गए विनिमय दस्तावेज लाईसेंस की शर्तों का उल्लंघन था।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय

33. एक संभरक से 3.89 लाख रुपये की गैर वसूली

महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान नई दिल्ली ने, जून तथा अगस्त 1978 के दौरान, जून 1978 में फर्म के साथ हुए दर सविदा के प्रति चिकित्सा भंडार

डिपो करनाल को तपेदिक प्रतिरोधक दवाइयों की आपूर्ति के लिए एक फर्म को तीन आपूर्ति आदेश दिए।

चिकित्सा भंडार डिपो करनाल ने इन आपूर्ति आदेशों के प्रति मार्च 1981 में तीन निरीक्षण नोट जारी किए लेकिन उन्हें ये दवाइयां अगस्त 1986 तक प्राप्त नहीं हुई। मुख्य नियंत्रक लेखा आपूर्ति विभाग नई दिल्ली के कार्यालय में, अप्रैल 1981 में लेखे के समाधान के समय ऐसा पाया गया कि प्रेषण अभिलेखों रेलवे रसीद नम्बरों (i) 958058 दिनांक 20 मार्च 1981 (ii) 958059 दिनांक 23 मार्च 1981 (iii) 958060 दिनांक 23 मार्च 1981 और निरीक्षण नोट प्रति संख्या I के आधार पर संभरक फर्म ने 95% भुगतान राशि, 3.89 लाख रुपए का आहरण किया था। वेतन तथा लेखा अधिकारी, आपूर्ति विभाग ने अप्रैल 1982 में सूचित किया था कि अप्राप्त्य भंडारों के मूल्य की वसूली से सम्बद्ध आवश्यक नोट रख लिया गया था लेकिन अभी तक कोई भी वसूली नहीं की गई थी (अगस्त 1986)।

इस मामले की सूचना मन्त्रालय को दे दी गई थी (सितम्बर 1986) लेकिन उनकी टिप्पणी अभी तक प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 1986)।

34. विद्युत प्रभारों की परिहार्य अदायगी

जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पांडिचेरी को विद्युत आपूर्ति दो उच्च बोल्टता वितरणों (1) अस्पताल खण्ड को वितरण करते हुए 1000 के.वी.ए. के एक उप-स्टेशन तथा (2) महाविद्यालय खण्ड को वितरित करते हुए एक 200 के.वी.ए. ट्रांसफोरमर सहित (1964 में स्थापित) एक पोषक लाईन के माध्यम से प्राप्त की गई थी। अप्रैल 1973 में महाविद्यालय खण्ड के लिये विद्युत मांग को भी अस्पताल खण्ड उप-स्टेशन (1000 के.वी.ए.) को ही अंतरित कर दिया था। इस भार के अंतरण के साथ ही 200 के.वी.ए. पोषक लाईन का कोई उपयोग नहीं रह गया था, तथापि इस लाईन को, अस्पताल खण्ड में विद्युत शक्ति के लोप होने के समय स्थानापन्न व्यवस्था ऊर्जा के दोहरे स्रोत के रूप में कम करने को बनाये रखने का निर्णय किया गया (जुलाई 1973)।

अप्रैल 1977 में 200 के.वी.ए. ट्रांसफोरमर को विद्युत विभाग द्वारा मरम्मत सफाई करने के लिये विखण्डित किया गया। इसके बाद ट्रांसफोरमर के स्थल के पहुँच मार्ग को अवरुद्ध करते हुए ज.स्ना.चि.शि.अ.सं. द्वारा एक साइकिल स्टैंड खड़ा कर दिया गया तथा जिसके फलस्वरूप दो खंबों वाले ढांचे को फरवरी 1979 में बदल कर दूसरी जगह ले जाना पड़ा। तथापि ट्रांसफोरमर पुनः प्रतिस्थापित नहीं किया गया।

इसी बीच में, सितम्बर 1977 में ज.स्ना.चि.शि.अ.सं. ने एक जैनरेटर सैट (212.5 के.वी.ए.) 5.30 लाख रु. की लागत पर खरीदा तथा सहारे की व्यवस्था के रूप में अस्पताल में 1979-80 में प्रतिस्थापित किया। जनवरी 1982 में, ज.स्ना.चि.शि.अ.सं. ने विद्युत विभाग को सहारे वाला फीडर कनेक्शन यह बताते हुए हटाने की प्रार्थना की, कि 1973 से ट्रांसफोरमर कभी भी उपयोग में नहीं रहा था तथा यह विद्युत शक्ति के लोप होने के

समय एक सहारे के रूप में कार्य नहीं कर सका था क्योंकि संबंधन अस्पताल खंड को पोषित करने वाली उसी व्योमस्थ लाईन से किया हुआ था। प्रस्थापन का दिसम्बर 1982 में संबंध त्रिच्छेद कर दिया गया। विद्युत विभाग को 1973 से 1981 तक के कुल 2.05 लाख रुपये के न्यूनतम वार्षिक मांग प्रभारों की अदायगी मार्च 1983 में की गई थी।

200 के.वी.ए. ट्रांसफोरमर सहित उच्च बोल्टता पोषक लाइन जिस 1973 से विद्युत ऊर्जा के एक मात्र दोहरे स्रोत के रूप में बनाया रखा गया था, वास्तव में सहारे के रूप में कार्य नहीं कर सकी क्योंकि इसका कनेक्शन उसी उपरीशीर्ष लाईन से था अतः 1973 से आगे न्यूनतम बिजली प्रभारों के रूप में 2.05 लाख रुपये का व्यय परिहार्य था।

गृह मन्त्रालय

35. परिहार्य अतिरिक्त व्यय

जुलाई 1983 में महानिदेशक, असम राइफल्स (म.नि.अ.रा.) ने 60 सामान्य सेवा खच्चरों की आपूर्ति के लिए सीमित निविदाएं उन 18 निविदाकर्ताओं से, जिनके व्यौरे सेना मुख्यालय से 2 वर्ष से भी अधिक पहले (मार्च 1981) प्राप्त किए थे, आमन्त्रित कीं। दरें भेजने वाले तीन निविदाकर्ताओं में से निम्नतम दर वाले आपूर्तिकर्ता से बातचीत करने के पश्चात आपूर्तिकर्ता "ज" की दरें अर्थात् (i) टाइप "क" खच्चर के लिए 14,500 रु. प्रति खच्चर की दर से एवं (ii) टाइप "ख" खच्चर के लिए 13,800 रु. प्रति खच्चर की दर से, स्वीकृत की गईं। तदनुसार, नवम्बर 1983 में 8.54 लाख रु. की लागत पर 60 खच्चर (37 टाइप "क" और 23 टाइप "ख") खरीद लिए गए। म.नि.अ.रा. ने 14,500 रु. प्रति खच्चर की स्वीकृत दर को मूल दर मानते हुए और मूल्य परिवर्तन के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की स्वीकृति देते हुए, आपूर्तिकर्ता से अगले तीन वर्षों में खच्चरों की आपूर्ति के लिए एक समझौता भी किया। मई 1984 में गृहमन्त्रालय ने निर्देश दिए कि आपूर्तिकर्ता "ज" से आगे खच्चरों की कोई खरीद न की जाए और व्यापक प्रचार करने के बाद आगे की आवश्यकताओं के लिए खुली निविदाएं आमन्त्रित की जाएं। अक्टूबर 1984 में, 80 सामान्य सेवा खच्चरों की खरीद के लिए राष्ट्रीय समाचार पत्रों आदि के माध्यम से निविदाओं को आमन्त्रित करते हुए नोटिस जारी किया गया। वार्तालाप के पश्चात निर्धारित निविदाकर्ता "द" की निम्नतम दर 8,750 रु. प्रति खच्चर थी। म.नि.अ.रा. ने मार्च 1985 में 70 खच्चर इसी दर पर खरीदे। इस प्रकार व्यापक प्रचार के अभाव में पहली खरीद करते समय परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ। बाद वाली खरीद के लिए प्राप्त 8,750 रु. की कीमत के आधार पर मूल्य बढ़ोत्तरी के तत्व को छोड़कर भी, 3.29 लाख रु. का व्यय टाला जा सकता था।

म.नि.अ.रा. ने बताया (जनवरी 1986) कि निदेशालय के लिए 1983 में यह जानना संभव न था कि 1984 में कीमतें क्या होंगी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(संस्कृति विभाग)

36. वृत्त चित्र के निर्माण एवं प्रदर्शन में विलम्ब

36.1 नवम्बर 1980 में पड़नेवाली "हिजरी संवत्" की 1400 वीं जयन्ती मनाने के लिए सांस्कृतिक विभाग ने जुलाई 1980 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से भारत में इस्लामी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर नवम्बर 1981 के अंत तक एक वृत्त चित्र बनाने का निश्चय किया। चूँकि यह एक प्रतिष्ठित परियोजना थी, जिसके लिए विशिष्ट ज्ञान एवं दक्षता की अपेक्षा थी, मन्त्रालय द्वारा साधारणतया निविदा आमन्त्रित करने की प्रक्रिया को छोड़ दिया गया। अप्रैल 1981 में यह निर्णय लिया गया कि पृष्ठभूमि संगीत एवं अंग्रेजी टीका के साथ एक काले सफेद/इस्टमैन रंग का छाया चित्र, जो 35 एम.एम. में 2250 से 2438 मीटर तक लम्बा हो, का निर्माण कार्य 14 लाख रु. की लागत पर एक निर्माता को दे दिया जाय। यद्यपि जयन्ती समारोह समाप्त की ओर थे, नवम्बर 1981 में विभाग द्वारा निर्माता के साथ एक समझौता किया गया जिसके अनुसार छायाचित्र नवम्बर 1982 तक पूरा बना दिया जाना था। परन्तु छायाचित्र निर्माता द्वारा

निर्धारित तिथि तक पूरा नहीं किया था। मार्च 1985 तक निर्माता को कार्य के विभिन्न चरणों के निष्पादित हो जाने पर किशतों में 14 लाख रु. की धन राशि का भुगतान कर दिया गया यद्यपि उनके भुगतान की शर्तें पूरी नहीं होती थीं। छायाचित्र को प्रदर्शन प्रमाणपत्र 9 अप्रैल 1985 को दिया गया था।

36.2 हिजरी संवत् की 1400 वीं जयन्ती मनाने के लिए "भारत की इस्लामी संस्कृति" पर वृत्तचित्र बनाने का मुख्य उद्देश्य उसके निर्माण में असाधारण विलम्ब होने के कारण प्राप्त नहीं किया गया। शताब्दी वर्ष 5 वर्ष पूर्व नवम्बर 1980 में ही समाप्त हो चुका था। यद्यपि 14 लाख रु. का भुगतान किया जा चुका था, निर्माता से ठेके की शर्तों के अनुसार छायाचित्र प्राप्त नहीं किया गया है। छायाचित्र के व्यापक प्रदर्शन के लिए उसका अन्य भारतीय भाषाओं में डबिंग करने के प्रस्ताव जांचाधीन हैं, लेकिन छायाचित्र का प्रदर्शन अभी तक नहीं हुआ है।

36.3 मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 1986) कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, जिससे विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर अनुरोध किया गया था, छायाचित्र को लेने के लिए सहमत नहीं था एवं प्रयोगशाला, जिसमें छायाचित्र का परिरक्षण किया गया था, से उस छायाचित्र को सचिव, संस्कृति विभाग के नाम अन्तरण करने को कहा गया था।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

37. 6—14 आयु वर्ग में सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा

37.1 प्रस्तावनात्मक

37.1.1 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में प्रावधान है कि राज्य सरकार संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर सारे बच्चों को तब तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने को बढ़ावा देने का प्रयत्न करेंगी जब तक कि वे 14 वर्ष की आयु पूरी न कर लें। लक्ष्य तिथि तथापि 1970 तथा फिर 1976 तक संशोधित की गयी थी। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए "प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता" का कार्यक्रम निरन्तर पंचवर्षीय योजनाओं तथा जनवरी 1982 में आरम्भ किये गये नये "20 सूत्री कार्यक्रम" में भी सम्मिलित किया गया था। कार्यक्रम के अन्तर्गत उपयुक्त भवन तथा पर्याप्त उपकरण उपलब्ध करा कर शिक्षा के स्तर को सुधारने के अलावा 1990 तक 6—14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षित किये जाने की योजना थी।

37.1.2 1977-78 में I से VIII की कक्षाओं में जबकि 898 लाख विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका में थे, योजना आयोग के निर्देश पर 1977 में गठित सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा के कार्यचालन वर्ग ने अनुमान लगाया (फरवरी 1978) कि बगैर उपस्थिति पंजिका वाले बच्चों की संख्या 452 लाख थी। यह सोचते हुए कि सामाजिक आर्थिक मान्यताओं के कारण अपने माता पिता की आय बढ़ाने की आवश्यकता तथा अपने घरेलू काम धन्धों में हाथ बंटाने के कारण, समाज में पिछड़े वर्ग के बच्चे प्राथमिक शिक्षा के प्रति आकर्षित नहीं थे, तथा प्रारम्भिक स्तर पर प्राथमिक शिक्षा पद्धति को छोड़ने वालों की संख्या कक्षा I से V तक 60 प्रतिशत तथा कक्षा VI से VIII तक 75 प्रतिशत तथ्य को ध्यान में रखते हुए कार्यकारिणी समिति ने निष्कर्ष निकाला कि यहां पर अनौपचारिक प्राथमिक शिक्षा के एक कार्यक्रम के विकास के हेतु अंश कालीन आधार पर (अनौपचारिक प्राथमिक शिक्षा) आवश्यकता थी। कार्यकारिणी समिति ने शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े 9 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल का पता लगाया जिनमें बिना उपस्थिति पंजिका वाले बच्चों की संख्या (368 लाख) बहुत अधिक थी अर्थात् देश में कुल बिना उपस्थिति पंजिका वाले बच्चों (452 लाख) के तीन चौथाई से अधिक थी। इसलिये इन 9 राज्यों में 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों में शिक्षा के नए कार्यक्रम का तरीका लागू करके इनको विशेष सहायता देने के लिये निर्णय लिया गया था।

37.1.3 1984-85 के अन्त में बिना शिक्षण कर रहे 279 लाख बच्चों के समूह को छोड़ते हुए प्राथमिक कक्षाओं में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा की दोनों पद्धतियों में छठी पंचवर्षीय योजना के अंत में, 1984-85 में इस आयु वर्ग के बच्चों की अनुमानित जन संख्या 1400 लाख के प्रति कुल भर्ती 1121 लाख अनुमानित की गई थी। 1989-90 में, तथापि इस आयु वर्ग में जनसंख्या 1740 लाख तक अनुमानित की गई है, फिर भी यदि इस तिथि तक शिक्षा के विकास की मौजूदा पद्धति (उपस्थिति पंजिका में दर्ज तथा इनके चलते रहते दोनों) चालू रहे तो उपस्थिति पंजिका में बिना चढ़े

हुये 467 लाख बच्चों के समूह को छोड़ते हुये 1989-90 के अन्त तक केवल 1273 लाख बच्चे उपस्थिति पंजिका में चढ़ सकेंगे।

37.2 चालू किये गये कार्यक्रम

37.2.1 अनौपचारिक शिक्षा की सहायता हेतु भूतपूर्व संघ शिक्षा मंत्रालय केन्द्रीय निर्देशन के अन्तर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता के साथ निम्नलिखित कार्यक्रमों/योजनाओं को चला रहा था:—

- शिक्षा में पिछड़े हुये 9 राज्यों में केवल एकमात्र लड़कियों के लिये स्थापित अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों (अ.शि.के.) के लिये अनुदान।
- अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में पायलेट परियोजनाओं/सहित प्रयोग एवं परिवर्तन को बढ़ावा देने हेतु शिक्षा में पिछड़े हुये 9 राज्यों में स्वयंसेवी संस्थाओं/संगठनों तथा अन्य राज्यों में शैक्षिक संस्थानों को अनुदान।
- सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को कागज के रूप में केन्द्रीय वस्तु सहायता।

उपरोक्त के अलावा औपचारिक या अनौपचारिक प्राथमिक शिक्षा में लड़कियों की अधिकाधिक भर्ती के लिये भी निम्नलिखित योजनाओं के जरिये 1983-84 से केन्द्रीय सहायता दी गई थी:—

- शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े 9 राज्यों में "प्राथमिक विद्यालयों में, महिला अध्यापकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण"।
- लड़कियों की भर्ती में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को प्रोत्साहन/पुरस्कार की योजना।

37.3 वित्तीय लागतें

37.3.1 उपर्युक्त कार्यक्रमों को लागू करने के लिये शिक्षा मंत्रालय ने 1979-80 से 1985-86 वर्षों में 9,110.32 लाख रुपयों के कुल बजट प्रावधान के प्रति 7768.86 लाख रुपये, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों, स्वयंसेवी संस्थाओं, आदि को जारी किये।

37.3.2 इन योजनाओं पर 1979-80 से 1985-86 वर्षों के किये गये खर्च के पुनरीक्षण से निम्नलिखित बातों का पता लगा।

37.4 अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम

37.4.1 कार्यक्रम का कार्यान्वयन— केन्द्र में कार्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाना था और इसने राजकीय विभागों/शिक्षा निदेशालयों तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों को, जहां पर वे स्थित थी, शैक्षिक मार्गदर्शन एवं आवश्यक सहायता मुहैया करनी थी। शिक्षा मंत्रालय मुख्यतः योजना के सम्पूर्ण प्रशासन जिसमें आवश्यकता अनुसार राज्यों को निधियों का आबंटन, निधियों का उपयोग तथा कार्यक्रम में सम्मिलित

विभिन्न एजेंसियों के कार्यकलापों का सामंजस्य शामिल था, उत्तरदायी था।

राज्य स्तर पर राजकीय विभाग/शिक्षा निदेशालय, जो निधियों का संवितरण करते थे, इसकी प्रगति पर नजर रखते हुए तथा इसका पुर्ननिवेशन केन्द्र को भेजते हुये, परियोजना के वास्तविक कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायी थे।

37.4.2 वित्त ढाँचा— योजना के ऊपर खर्चा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को 50:50 के अनुपात में वहन करना था। तथापि, जब निधियों का का विमोचन राज्यों को जनवरी 1980 में शुरू हुआ तो अकादमिक और प्रशासनिक निवेश के लिये केन्द्रीय सहायता 100% के आधार पर दी गई थी तथा अ.शि. केन्द्रों को चलाने का खर्चा केन्द्र और राज्यों ने 3:5 के अनुपात में बंटा हुआ था अर्थात् प्रत्येक तीन अ.शि. केन्द्र केन्द्रीय क्षेत्र

प्रावधान से निधिबद्ध होते थे तथा कम से कम पांच केन्द्र राज्य क्षेत्र प्रावधान से निधिबद्ध होते थे। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के गठन तथा सभी अनुमोदित मदों को साथ लेते हुये 50:50 की भागीदारी के आधार पर चलाने हेतु सहायता की दरों को उदार करते हुये सहायता की शर्तें यद्यपि पहली अप्रैल 1982 से संशोधित हो गई थी।

37.4.3 निधियों का प्रावधान— 320 लाख रुपयों के प्रावधान सहित योजना 1979-80 में शुरू की गई थी। छठी योजना अवधि के दौरान सहायता हेतु 2500 लाख रुपयों की एक राशि राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा मंजूर की गई थी इसके विपरीत शिक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकारों की प्रस्तावित मांगों के निरीक्षण के बाद तथापि, 2740.61 लाख रु. शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े, 9 राज्यों को निम्न प्रकार जारी किये:—

वर्ष	बजट आबंटन	विमोचित की गई अनुदान की राशि	खर्च की गई राशि		संचित अव्ययित शेष		अव्ययित शेषों से अनुदान राशियों की प्रतिशतता	
			मंत्रालय के रिकार्ड के अनुसार	राज्यों के महालेखाकारों की रिपोर्ट के अनुसार	मंत्रालय के रिकार्ड के अनुसार	राज्य के महालेखाकारों की रिपोर्ट के अनुसार	मंत्रालय के रिकार्ड के अनुसार	राज्य के महालेखाकारों की रिपोर्ट के अनुसार
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(लाख रुपयों में)								
1979-80 (पांचवीं योजना का अन्तिम वर्ष)	320.00	199.76	24.11	24.11	175.65	175.65	88	88
1980-81	130.00	61.38	141.11	141.16	95.92	95.87	40	40
1981-82	380.00	358.78	277.42	268.90	177.28	185.75	39	41
1982-83	485.00	462.07	484.26	444.73	155.09	203.09	24	31
1983-84	732.00	731.62	721.67	710.53	165.04	224.18	19	24
1984-85	927.00	927.00	862.80	866.20	229.24	284.98	21	25
	2974.00	2740.61	2511.37	2455.63	229.24	284.98	8	10

टिप्पणी:— असम सरकार ने केन्द्रीय अनुदान से किये गये व्यय को अलग से हिसाब में दर्ज नहीं किया। राज्य के महालेखाकार द्वारा बताया गया व्यय 50:50 के अनुपात में जैसा योजना में निर्धारित था, अनुभाजित किया गया था तथा इस प्रकार निकाला गया केन्द्रीय हिस्सा तालिका में शामिल कर दिया गया। 1979-80 से 1985-86 की अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये 242.91 लाख रु. के कुल अनुदान के प्रति राज्य सरकार ने 320.97 लाख रुपयों की प्राप्ति दर्शायी।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 1987) कि अधिक अव्ययित शेष राज्य सरकारों द्वारा स्टाफ की नियुक्ति, केन्द्रों के स्थलों का चयन, उपस्कर की प्राप्ति आदि जैसे किए जाने वाले प्रारम्भिक कार्य के कारण थे।

37.4.4 9,506.00 लाख रु. के सातवीं पंचवर्षीय योजना पूंजी निवेश के प्रति शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े 9 राज्यों को 1985-86 के दौरान भारत सरकार ने 1,115.40 लाख रुपये जारी किये। आन्ध्र प्रदेश, असम, जम्मू और काश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकारों ने जिनके पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष सहित 1985-86 के दौरान केन्द्रीय सहायता के रूप में दिये गये 1185.67 लाख रु. थे, 949.77 लाख रु. का खर्चा दिखाया और इस प्रकार उनके पास 235.90 लाख रु. (19.9 प्रतिशत) अव्ययित शेष रहे। अन्य राज्यों से रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी थी (दिसम्बर 1986)।

37.4.5 आबंटनों की तुलना में जारी किये गये अनुदानों में कमी राज्य सरकारों से प्रस्तावों के देर से प्राप्त होने तथा शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुदानों को देर से जारी किये जाने के कारण थी। कार्यक्रम के प्रथम वर्ष अर्थात् 1979-80 वर्ष के लिये अनुदान मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष के लगभग अन्तिम मास में संस्वीकृत किये गये थे तथा राशि भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से अप्रैल 1980 में राज्य सरकारों के अधिकार में सौंपी गई थी। बाद में, अनुदान मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष बहुत देर से जारी किये गये थे तथा विमोचन की अवस्था को सुधारने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किये गये थे।

अगस्त 1986 में मंत्रालय ने जवाब दिया कि विलम्ब कुछ हद तक राज्य सरकारों से प्रस्तावों के देर से प्राप्त होने और कुछ हद तक मंत्रालय में विभिन्न स्तरों पर अनुदानों की अन्तिम संस्वीकृति किये जाने के कारण था।

राज्यों की सहायतार्थ उपलब्ध की गई निधियाँ शिक्षा मंत्रालय द्वारा

कार्यक्रम के 8 क्षेत्रों में बांटी गई थी तथा प्रत्येक क्षेत्र के अन्तर्गत सहायता को नियमित करने के लिये मानक निर्धारित किये गये थे। मंत्रालय के सहायक अनुदान, रिकार्डों की एक नमूना जांच से पता चला कि मंत्रालय ने 1979-80 से 1985-86 वर्षों के दौरान 209.27 लाख रुपये तक के नीचे दिये गये अनुसार निर्धारित मानकों से अधिक संस्वीकृत किये:—

कार्यक्रम का क्षेत्र	राज्यों की संख्या जिन में मानकों का उल्लंघन हुआ	राज्यों द्वारा मांगी गयी राशि	मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत राशि	मानकों के अनुसार स्वीकार्य राशि	अधिक संस्वीकृत की गई राशि
1	2	3	4	5	6
(लाख रुपयों में)					
(i) राज्य शिक्षा निदेशालय	8	20.81	12.71	6.32	6.39
(ii) रा.शै.अनु.प. को सुदृढ़ करना	7	28.92	26.42	13.72	12.70
(iii) शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान को सुदृढ़ करना	6	113.54	91.52	64.44	27.08
(iv) प्रोग्राम	5	118.23	114.18	58.59	55.59
(v) शिक्षा मंत्रालय के कर्मचारी वर्ग की मजबूती	—	—	—	—	—
(vi) एन.सी.ई.आर.टी. प्रोग्राम	—	—	—	—	—
(vii) स्वयं सेवी संस्थाओं को सहायता	—	—	—	—	—
(viii) राज्यों द्वारा अ.शि. केन्द्रों का गठन एवं उनको चलाने का प्रावधान	6	1,001.37	786.28	678.77	107.51
	जोड़.	1,282.87	1,031.11	821.84	209.27

मानकों से अधिक संस्वीकृत किये गये अनुदान आन्ध्र प्रदेश (1979-80 से 1985-86 के दौरान 66.19 लाख रु.), असम (1981-82 और 1985-86 में 2.42 लाख रु.), बिहार (1979-80 से 1985-86 के दौरान 50.26 लाख रु.), जम्मू और काश्मीर (1981-82 और 1984-85 में 10.76 लाख रु.), मध्य प्रदेश (1979-80, 1980-81 और 1985-86 के दौरान 27.69 लाख रु.), उड़ीसा (1979-80, 1981-82 और 1985-86 में 9.28 लाख रु.), राजस्थान (1979-80 से 1985-86 के दौरान 12.88 लाख रु.), उत्तर प्रदेश (1982-83 से 1985-86 के दौरान 23.08 लाख रु.), तथा पश्चिमी बंगाल (1981-82 में 6.71 लाख रु.) से सम्बन्धित थे। मंत्रालय ने, तथापि बताया (फरवरी 1987) कि राज्य सरकारों को मानकों से अधिक जारी किए गए अनुदान, राज्यों में प्रचलित उच्चतर वेतनमानों के कारण था तथा योजना का सिद्धान्त कार्यचालन की आधी लागत को उद्धाना था, राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया तथा प्रस्ताव का 50

प्रतिशत, योजना में दिए गए मानकों तक सीमित किए बिना मान लिया गया।

37.4.6 लक्ष्य और उपलब्धियाँ

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में 180 लाख अतिरिक्त बच्चों (प्राथमिक स्तर: 117 लाख और माध्यमिक स्तर: 63 लाख) की भर्ती का लक्ष्य था जिसके प्रति 1984-85 के अंत तक 217 लाख बच्चों भर्ती किए गये, सूचित हुए थे। सातवीं योजना में और 264 लाख अतिरिक्त बच्चों के दाखिले का लक्ष्य निर्धारित था। अनौपचारिक शिक्षा के विस्तार के लक्ष्य का परिणाम निकाले बिना ही दोनों योजनाओं के लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 9 राज्यों में केन्द्र खोलने तथा उनमें विद्यार्थियों को दाखिल करने के लक्ष्य तथा 1979-80 से 1985-86 की अवधि के दौरान

राज्य सरकारों द्वारा वास्तविक उपलब्धि निम्न प्रकार थी:-

क्र. सं.	राज्य	प्रस्तावित		सूचित उपलब्धियाँ		कमी			
		केन्द्रों की संख्या	भरती किये जाने वाले बच्चों की संख्या	केन्द्रों की संख्या	वास्तविक भरती हुए छात्रों की संख्या	केन्द्रों की संख्या	प्रतिशतता	बच्चों की संख्या	प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		(लाखों में)			(लाखों में)			(लाखों में)	
1.	आन्ध्र प्रदेश	22,120	5.53	16,440	4.10	5,680	25.7	1.43	25.8
2.	असम	10,046	2.51	6,040	1.52	4,006	39.8	0.99	39.4
3.	बिहार	26,668	8.00	22,471	1.36*	4,197	15.7	6.64	83.0
4.	जम्मू और कश्मीर	3,454	0.78	1,935	0.38	1,519	44.0	0.40	51.3
5.	मध्य प्रदेश	15,312	7.96	15,312	9.21	—	—	(-)	1.25
6.	उड़ीसा	13,600	6.74	7,000	4.97	6,600	48.5	1.77	26.3
7.	राजस्थान	10,446	3.92	10,083	3.61	363	3.5	0.31	7.9
8.	उत्तर प्रदेश	32,000	8.00	28,445	6.25	3,555	11.1	1.75	22.0
9.	पश्चिमी बंगाल	36,585	13.39	21,017	5.39	15,568	42.6	8.00	59.7
	जोड़	1,70,231	56.83	1,28,743	36.79**	41,488	24.4	20.04	35.3

* केवल 1982-83 तक की भर्ती के आंकड़े/1983-84 से 1985-86 के लिये सूचना, राज्य सरकारों के पास प्राप्त नहीं थी।

** ये भर्ती के सकल आंकड़े हैं। इनमें से खारिज हुई संख्या उपलब्ध नहीं थी।

जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा प्राप्त हुई दर्शायी गयी भर्ती में उनदे द्वारा केवल एक मात्र लड़कियों के लिये स्थापित 60 अ.शि. केन्द्रों में छात्र की भर्ती सम्मिलित है। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना में 24.4 प्रतिशत औसत कमी तथा 35.3 प्रतिशत भर्ती न हुए बच्चों की थी, मुख्य कमी बिहार, पश्चिमी बंगाल, जम्मू और कश्मीर, असम, उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश राज्यों की थी। कमी के बारे में अगस्त 1986 में मंत्रालय ने उत्तर दिया कि अनुदान प्राप्त करने के बाद सम्बन्धित राज्य सरकार को प्रशिक्षकों और साज सामान का प्रबन्ध करने के लिये केन्द्रों की स्थिति और उनकी संख्या के बारे में निर्णय लेना था, जिसमें समय लगा और फलतः कमी हुई। मामला, तथापि संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया बताया गया था।

37.4.7 कार्यान्वयन में कमियाँ

विभिन्न राज्यों के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के रिकार्ड्स को समीक्षा करने पर प्रोग्राम के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कमियों का पता लगा:-

(i) प्रशिक्षकों का अभिविन्यास/प्रशिक्षण

अनौपचारिक शिक्षा का क्रम हेतु वित्तीय सहायता के अंगों में एक अंग प्रशिक्षकों को चार सप्ताहों तक का अभिविन्यास/प्रशिक्षण देने का प्रावधान था, किन्तु राज्य सरकारों ने कार्यक्रम के इस अंग का पूरी तरह से कार्यान्वयन नहीं किया। जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार ने अपने प्रशिक्षकों के लिये किसी अभिविन्यास कार्यक्रम का प्रबन्ध नहीं किया। उड़ीसा में नमूना

जांच किये गये 15 शिक्षा जिलों के 1851 केन्द्रों में कार्यरत 1805 प्रशिक्षकों में से केवल 382 प्रशिक्षक प्रशिक्षित थे। राजस्थान में 1979-80 से 1985-86 तक 19,100 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लक्ष्य के प्रति केवल 12,880 (67 प्रतिशत) को यह प्रशिक्षण दिया गया था। 1985-86 के अंत में पश्चिमी बंगाल में नियत 21,017 प्रशिक्षकों से केवल 13,000 (62 प्रतिशत) को ओरिएन्टेशन कोर्स कराया गया था। असम में यद्यपि, मैदानी क्षेत्रों में केन्द्रों के प्रशिक्षकों के लिये 5 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया था परन्तु पहाड़ी क्षेत्रों में स्थिति केन्द्रों के प्रशिक्षकों के लिये ऐसा कोई प्रशिक्षण मुहैया नहीं कराया गया था। मंत्रालय ने बताया (फरवरी 1987) कि प्रोग्राम का यह अंश पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं किया गया था क्योंकि लक्षित प्रशिक्षकों की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण की सुविधाओं को बढ़ाना पडा था तथा संख्याएँ धीरे-धीरे बढ़ जाएगी।

(ii) प्रशिक्षकों के लिये मेहनताना

कुछ राज्यों में अ.शि. केन्द्रों में काम कर रहे प्रशिक्षकों को या तो मेहनताना बहुत देर से भुगतान किया गया था, अथवा प्राथमिक स्तर केन्द्र के लिये 105 रु. प्रतिमाह, और माध्यमिक स्तर केन्द्र के लिये 125 रु. प्रतिमाह की अनुमोदित दरों से बहुत कम दर पर भुगतान किया गया था जिससे प्रशिक्षकों के कार्यचालन और इससे केन्द्रों पर बुरा असर पडा। आन्ध्र प्रदेश में पदों को चालू रखने हेतु सरकारी संस्वीकृति जारी करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप मेहनताना के सवितरण में प्रत्येक वर्ष 4 से 7 महीनों का विलम्ब

था। इससे प्रशिक्षकों के लिये और अधिक अप्रेरणा हुई। 1980-81 से 1984-85 की अवधि के दौरान किये गये नमूना जांच से सूचित हुआ था कि 3 जिलों में 540 प्रशिक्षकों में से 266 प्रशिक्षकों ने त्याग पत्र दिये थे। मध्य प्रदेश में मेहनताना मासिक रूप से नहीं दिया जाता था बल्कि साधारणतया वर्ष के अन्त में भुगतान किया जाता था। राजस्थान में प्रशिक्षकों को मानदेय जयपुर जिलों में 50 रुपये प्रतिमाह सितम्बर 1983 तक और बीकानेर जिले में जनवरी 1983 तक भुगतान किया गया था। जयपुर जिले में भुगतान साधारणतया त्रैमासिक होता था तथा कई अवसरों पर यह 4 से 6 महीने देर से हुआ था और बीकानेर तथा सीकर जिले में 1 से 7 महीनों का विलम्ब था। उत्तर प्रदेश में नमूना जांच किये गये 6 जिलों में भुगतानों में विलम्ब 3 से 15 महीनों तक रहा।

(iii) प्रशिक्षण/ज्ञान सामग्री एवं उपस्कर की गैर आपूर्ति/देर से आपूर्ति

नियमित दरों पर केन्द्रीय अनुदान राज्य सरकारों को राज्य में स्थापित केन्द्रों के लिये प्रशिक्षण/ज्ञान सामग्री और उपस्कर मुहैया कराने हेतु प्रदान किया गया था। नमूना जांच किये गये कुछ राज्यों में यह पता चला था कि या तो प्रशिक्षण/ज्ञान सामग्री और उपस्कर मुहैया नहीं किया गया था अथवा देर से मुहैया किया गया था तथा अपर्याप्त मात्राओं में, जैसा कि नीचे दिये गये उदाहरणों से विदित है:—

पश्चिमी बंगाल के 6 जिलों में 2.93 लाख मूल्य की 4.42 लाख पाठ्य पुस्तकें (1983-84 और 1984-85 में छापी गई) स्कूलों तथा स्वयं सेवी संस्थाओं के जिला निरीक्षकों के बीच वितरित नहीं की गई थी। लेखा परीक्षा में यह बताये जाने के बाद 4.31 लाख पाठ्य पुस्तकें जून 1985 और जनवरी 1986 के बीच उनको वितरित की गई थी। यद्यपि केन्द्रों के बीच बांटी गई किताबों की वास्तविक संख्या मालूम नहीं थी (जून 1986)। जम्मू और कश्मीर में किताबों तथा अन्य ज्ञान/सामग्री का वितरण केन्द्रों में छात्रों की संख्या के अनुसार व्यवस्थित नहीं किया गया था। उड़ीसा में शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण राज्य परिषद के रिकार्डों की एक नमूना जांच से पता चला कि 1984-85 तथा 1985-86 वर्षों के दौरान 762 केन्द्रों की आवश्यक सामग्रियां जैसे स्लैट, स्लैट पेंसिलें, अभ्यास पुस्तकें, लीड पेंसिल, चॉक, आदि आपूर्ति नहीं की गयी थी, जबकि राज्य सरकार द्वारा 5.72 लाख रुपये जारी किये जा चुके थे। 1980-81 और 1985-86 के बीच 13 शिक्षा जिलों में/कार्यरत 1735 केन्द्रों के पास कोई उपस्कर जैसे ब्लैक बोर्ड, पठन सामग्री, आदि नहीं थी। राज्य के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की दशा सुधारने के लिये पठन सामग्री के अलावा जो पाठ्य पुस्तकें केन्द्रों को आपूर्ति की गई थी, वे औपचारिक स्कूलों के मतलब की थी और इसके फलस्वरूप वे नियमित प्राथमिक स्कूलों की तरह कार्य कर रहे थे।

राजस्थान में पहले फेज के लिये विकसित 5 शीर्षकों में से केवल एक पहिले दो सालों में केन्द्रों को मुहैया कराया गया था तथा बाकी आगामी वर्षों में उपलब्ध किये गये थे। अन्य प्रशिक्षण/ज्ञान

सामग्री एवं उपस्कर 2 माह से 2 सालों की देरी से आपूर्ति किये गये थे और वह भी अपर्याप्त मात्राओं में। राज्य के 5 जिलों के 687 केन्द्रों में से 116 केन्द्रों को कोई उपस्कर मुहैया नहीं की गई थी तथा 78 केन्द्रों में कोई पठन सामग्री मुहैया नहीं की गई। उपस्कर 267 केन्द्रों को 1 से 3 महीने, 70 केन्द्रों को 4 से 6 महीने, 48 केन्द्रों को 7 से 9 महीने तथा 28 केन्द्रों को 10 महीने से अधिक देरी से आपूर्ति किये गये थे। कार्यक्रम का फेज II (यानी माध्यमिक स्तर पर केन्द्रों को खोलना) राज्य में शुरु नहीं किया जा सका क्योंकि इसके लिये पाठ्यक्रम, यद्यपि जून 1983 में पूरा कर लिया गया था, राज्य शिक्षा निदेशालय से जनवरी 1984 तक अनुमोदित नहीं हुआ था और जिसके परिणामस्वरूप फेज II की प्रशिक्षण सामग्री के छपने में देरी हुई। शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण राज्य परिषद की आशा थी कि कार्य 1985-86 के अन्त तक पूरा हो जाएगा परन्तु वह आज तक विचाराधीन था।

बिहार में 2 जिलों की 18 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के स्टॉक रजिस्ट्रारों से प्रकट हुआ कि केन्द्रों को प्रशिक्षण सामग्री उनके काम शुरु करने के बहुत बाद से भेजी गई थी तथा वह भी अपर्याप्त मात्रा में और उनके भेजने में 6 से 30 महीनों तक का विलम्ब था। जिला शिक्षा कार्यालय रांची में 1980-81 से 1982-83 की अवधि के दौरान प्राप्त किये प्रशिक्षण उपस्कर स्टॉक में टूटी फूटी हालत में पड़ा हुआ था। उत्तर प्रदेश के चार जिलों में 70 केन्द्रों को पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें, आदि आपूर्ति की गई थी।

(iv) अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का अपसर्जन, बन्द करना तथा स्थानांतरण

पश्चिमी बंगाल में 1982-83 वर्ष तक स्थापित 15060 केन्द्रों में से 434 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र 1980-81 और 1982-83 के बीच बन्द हो गये तथा उनकी स्थापना पर 4.69 लाख रु. का किया गया व्यय निष्फल सिद्ध हुआ। इन केन्द्रों के बन्द होने का मुख्य कारण प्रशिक्षकों की अनिच्छा और प्रशिक्षकों में प्रोत्साहन की कमी होना था।

बिहार में, एक जिले के 84 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र काम नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके प्रशिक्षक स्थानीय क्षेत्र के न होने के कारण नौकरी छोड़ गये थे। उड़ीसा में 1982-83 के अंत तक स्थापित 1600 माध्यमिक स्तर केन्द्रों में से 1300 केन्द्र (579, 1983-84 में, 100 1984-85 में तथा 621 1985-86 में) विद्यार्थियों की कमी के कारण बन्द हो गये थे। ये, तथापि, प्राथमिक केन्द्रों में परिणित हो गये थे। उत्तर प्रदेश में 1982-83 से 1984-85 के दौरान 4 जिलों में केन्द्रों के निरीक्षण से पता चला कि 39 केन्द्र कार्य नहीं कर रहे थे।

राजस्थान में, 2 जिलों के 174 केन्द्र या तो बन्द कर दिये गये थे अथवा प्रशिक्षण का पूरा कोर्स कराये बिना सुपरवाइजरों/सहायक प्रोजेक्ट अफसरों की सिफारिश पर 1984-85 तक स्थानान्तरित कर दिये गये थे (सिफारिशों, तथापि लेखापरीक्षा को मुहैया नहीं की गई थी)। 1985-86 में भी दूसरे 125 केन्द्र मुख्यतया प्रशिक्षकों

के किसी कारण से केन्द्र को छोड़कर जाने से स्थानान्तरित/बन्द कर दिये गये थे।

(v) पदों के न भरे जाने के कारण केन्द्रों का निरीक्षण न होना :-

भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1982 से 180 रुपये प्रति केन्द्र प्रतिवर्ष की दर से 40 केन्द्रों के लिये प्रति एक के हिसाब से सुपरवाइजरों के खर्च को पूरा करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की। राज्यों के रिकार्ड्स की नमूना जांच से निम्न बातें सामने आई:-

पश्चिमी बंगाल में 1984-85 तक नमूना जांच किये गये किन्हीं 6 जिलों में कोई पर्यवेक्षक नियुक्त नहीं किये गये थे जिसके परिणामस्वरूप केन्द्र बिना पर्यवेक्षण के रहे। तथापि राज्य के सभी 16 जिलों के लिये 1985-86 में 40 सहायक विद्यालय निरीक्षकों की नियुक्ति की गई थी। निरीक्षण किये गये केन्द्रों की संख्या और निरीक्षण के परिणाम तथापि, उपलब्ध नहीं थे।

मध्य प्रदेश में 1983-84 तक पर्यवेक्षकों के पदों का सृजन एवं नियुक्ति नहीं की गई थी। 382 जगहों की आवश्यकता के प्रति फरवरी/मार्च 1985 में 200 जगहें भरी गई थी। उत्तर प्रदेश में 560 पर्यवेक्षकों की आवश्यकता के प्रति केवल 336 पद संस्वीकृत किये गये थे और इनमें से केवल 112 जगहें भरी गई थी।

राज्य के 6720 केन्द्रों के पर्यवेक्षण के लिए फरवरी 1984 और मई 1984 के बीच उड़ीसा सरकार द्वारा संस्वीकृत किए गए 175 पदों में से नियुक्त किए गए पर्यवेक्षकों की वास्तविक संख्या उपलब्ध नहीं थी।

राजस्थान में पर्यवेक्षकों के लिये अनुदान यद्यपि 1982-83 से दिये गये थे, फिर भी 1980-81 और 1981-82 के दौरान राज्य द्वारा 4.25 लाख रुपये का किया गया व्यय इसके प्रति समायोजित किया गया था। अपेक्षित सीमा तक पर्यवेक्षण नहीं किया गया था क्योंकि 5 जिलों में यह पता लगा था कि 1980-81 से 1985-86 अवधि के दौरान 11 से 41 प्रतिशत केन्द्रों का पर्यवेक्षण द्वारा पर्यवेक्षण नहीं किया गया था।

उपर्युक्त कमियों के बारे में मंत्रालय ने बताया (अगस्त 1986) कि इस तरह की प्रयोगात्मक और विशाल योजना में परिचालन आपत्तियों के कारण मानकों और रूप रेखाओं से विचलन की संभावना संभव थी तथा विशेष मामले जो भारत सरकार की दृष्टि में आये उनको उनकी स्थिति में सुधार हेतु सम्बन्धित राज्य सरकार के साथ लिया गया था। कमियां, तथापि विचार हेतु सम्बन्धित राज्य सरकारों को भेज दी गई है।

37.5 अनुश्रवण एवं/मूल्यांकन

37.5.1 अनुश्रवण प्रणाली का अभाव

केन्द्रीय सहायता के साथ राज्यों में मुहैया की गई योजना की प्रगति के

अनुश्रवण हेतु शिक्षा मंत्रालय के पास उचित प्रणाली नहीं थी। योजना के विभिन्न चटकों की उपशीर्ष बार प्रगति के बारे में एक प्रोफार्मा राज्य सरकारों को भेजा जा रहा था और उनको कहा गया था कि वे अपने प्रस्तावों सहित अगले साल के लिये उसे भरकर भेजें। यह पाया गया कि राज्य सरकारों द्वारा इस प्रोफार्मा में भेजी गई सूचना व्यापक नहीं थी और समयानुसार एक से दूसरे साल से भिन्न थी। मंत्रालय ने प्रोफार्मा में दिये गये तथ्यों का पहले मिली सूचनाओं से सत्यापन नहीं किया क्योंकि मंत्रालय में योजना की प्रगति का समेकित रिकार्ड नहीं रखा जा रहा था। मंत्रालय ने बताया (अगस्त 1986) कि यद्यपि चालू वर्ष के लिये निधियां संस्वीकृत करते हुये उन्होंने प्रत्येक राज्य में वर्ष में एक बार कार्यान्वयन में हुई प्रगति का परीक्षण किया था, फिर भी अनुश्रवण प्रणाली कमजोर रही थी। मंत्रालय ने फरवरी 1987 में आगे बताया कि उन्होंने पूर्व योजना में कमियों को जान लिया था तथा सातवीं योजना में, जो प्रतिपादन में थी, उनको संशोधित योजना में सम्मिलित करने हेतु समयबद्ध तथा विश्वस्त अनुश्रवण प्रस्तावित किया था। योजना के मूल्यांकन का कार्य संयुक्त रूप से राष्ट्रीय शिक्षा योजना एवं प्रशासन संस्थान और रा.शि.अनु. एवं प्रशिक्षण परिषद को सौंपा गया था और उनको 16.90 लाख रुपये की राशि 1985-86 में (13.02 लाख रुपये) तथा 1986-87 में (3.88 लाख रु.) जारी की गई थी। मूल्यांकन रिपोर्ट के 1986-87 के अंत तक मिलने की आशा थी।

राज्य स्तर पर भी फील्ड एजेंसियों/केन्द्रों से सम्बन्धित आंकड़ों को इकट्ठे करने के लिये जिम्मेदार राज्य विभागों/शिक्षा निदेशालयों ने कार्यक्रम के विकास, परिचालन की कमजोरी तथा छोड़े गये की संख्या आदि पर सूचना इकट्ठा करने के लिये एक समान प्रणाली नहीं अपनायी। आन्ध्र प्रदेश में 1984-85 तक केन्द्रों से सूचना प्राप्त करने के लिये कोई नियत कालिक विवरण रिपोर्ट आदि निर्धारित नहीं की गई थी। यद्यपि 1985-86 के दौरान सम्बन्धित आंकड़े इकट्ठे करने के लिये नियत कालिक विवरणियां निर्धारित की गई थी, उड़ीसा में यद्यपि परीक्षा के लिये पृथक अनुसूचियां आपूर्ति की गई थी। फिर भी जून 1986 तक कोई पुनर्निवेशन उपलब्ध नहीं था। जम्मू और कश्मीर में यद्यपि रिपोर्ट/नियत कालिक विवरणियां फील्ड एजेंसियों से इकट्ठी कर ली गई बताई गयी थी परन्तु उनके द्वारा प्राप्त हुई सूचनाओं का समेकन नहीं हुआ था। राजस्थान में यह देखा गया कि एक ही समय के लिये अलग अलग अवसरों पर भिन्न भिन्न आंकड़े प्राप्त हुये थे। पश्चिमी बंगाल में यद्यपि रिपोर्ट/नियत कालिक विवरणियों फील्ड एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत कर दी गई थी किन्तु न तो रिपोर्ट और न ही आंकड़े के एकत्र करने और संकलन करने सम्बन्धी कागजात लेखा परीक्षा को दिखाये गये थे। मंत्रालय ने बताया कि अगस्त 1986 में राज्य सरकारों के विचार मांगे गये थे।

37.5.2 आयु सीमाओं का पालन नहीं हुआ

अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में बच्चों के लिये था। उड़ीसा में 15 शिक्षा जिलों में यह देखा गया था कि 1985-86 के दौरान 1851 प्राथमिक स्तर के केन्द्रों के 56,742 बच्चों में से 45,586 (80 प्रतिशत) बच्चे 9 साल की उम्र से कम थे और 3563 बच्चे 5 साल की उम्र से कम थे। राजस्थान में यह देखा गया था कि नियमित स्कूलों में जाने वाले बच्चे भी अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में विद्यार्थियों के रूप में भर्ती किये हुए

धे। उदयपुर के बीरपुरा केन्द्र में भर्ती 15 लड़कियों में से 12 नियमित स्कूलों में पढ़ रही थी। इसी प्रकार सीकर जिले के एक केन्द्र में भर्ती किये हुए 36 बच्चों में से 20 नियमित स्कूलों में जा रहे थे। उत्तर प्रदेश में यह पाया गया था कि बनारस जिले के 4 केन्द्रों में 25 बच्चे तथा देहरादून जिले में एक केन्द्र के अधिकतर बच्चे सम्बन्धित गावों के प्राथमिक स्कूलों के नियमित छात्र थे।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अगस्त 1986) कि बिना दाखिल हुये तथा बीच में छोड़ने वालों को संरक्षण देते हुए अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम अत्यधिक लचीला था। यदि विद्यार्थियों की आयु सीमा तथा केन्द्र में भर्ती की आयु को थोड़ा लचीला रखा जाये क्योंकि थोड़ी ज्यादा उम्र के बच्चों को भी शिक्षा की उतनी ही जरूरत है जितनी की दूसरों को, तो इसमें कुछ भी आपत्ति जनक नहीं होना चाहिये। जहां तक केन्द्र में भर्ती का सवाल है तो यह बच्चों तथा समुदाय के कार्यक्रम के प्रति प्रतिक्रिया पर भी निर्भर होता है।

37.6. केवल एकमात्र लड़कियों के लिये अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र

37.6.1 1979-80 के दौरान 456.19 लाख बच्चे बिना दाखिल हुये थे जिनमें से 322.48 लाख (71 प्रतिशत) लड़कियां थी। उनकी (यानी लड़कियों की) प्रतिशतता प्राथमिक स्तर पर 94 थी जबकि माध्यमिक स्तर पर यह 58 थी।

लड़कियों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से खासकर उनको जो इन लक्ष्य वर्गों में आती है, शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 1983 से शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए पूर्व परिचित 9 राज्यों में केवल लड़कियों के लिये 20700

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना हेतु एक केन्द्रीय प्रायोजित योजन शुरु की।

उपस्कर की लागत के कारण 250 रु. को छोड़ते हुये इन केन्द्रों के लिये केन्द्रीय सहायता अनुमोदित दरों पर लागत के 90 प्रतिशत की दर से यानी प्रथम वर्ष में 1903.50 रु. प्रति केन्द्र प्रतिवर्ष की दर से तथा बाद के वर्षों में 1678.50 रु. प्रति केन्द्र प्रतिवर्ष दर से उपलब्ध थी। 1983-84 और 1984-85 के दौरान उद्देश्य हेतु स्वीडन सरकार द्वारा उपलब्ध की गई नकद सहायता में से 550 लाख रु. की कुल केन्द्रीय सहायता इन केन्द्रों के लिये सपर्द की गई थी। भारत सरकार निधियों में से 2986 लाख रुपयों के विनियोजन सहित परियोजना, तथापि सातवीं योजना में चालू रखी गई थी।

37.6.2 निधियों को जारी करना

अनुमोदित केन्द्रों की संख्या की स्थापना एवं बनाये रखने हेतु भारत सरकार ने शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े 9 राज्यों को 595.83 लाख रु. 1983-84 के दौरान (59.12 लाख रु.) (1984-85) 268.96 लाख रु.) तथा 1985-86 (267.75 लाख रु.) जारी किये। 1983-84 और 1984-85 के बीच जारी की गई सहायता केन्द्र सरकार के लेखों में मूल आयु वर्ग के बच्चों की अनौपचारिक शिक्षा के लिये कागज की खरीद पर दर्शाई थी, जबकि यह केवल लड़कियों के लिये अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना पर खर्च हुई थी।

37.6.3 खर्च किया गया व्यय

595.83 लाख रु. के केन्द्रीय अनुदानों में से 9 राज्य सरकारों द्वारा किया गया व्यय निम्न प्रकार था:—

क्र. सं	राज्य	केन्द्रीय अनुदान की राशि	किया गया व्यय		अव्ययित शेष	
			मंत्रालय के रिकार्ड के अनुसार	राज्य महा-लेखाकारों के रिकार्ड के अनुसार	मंत्रालय के रिकार्ड के अनुसार	राज्य महालेखा-कारों के रिकार्ड के अनुसार
1	2	3	4	5	6	7
(लाख रुपयों में)						
1.	आंध्र प्रदेश	33.48	33.48	27.59	—	5.89
2.	आसाम	36.33 [@]	31.28	30.88	5.05	5.45
3.	बिहार	174.23	48.34*	48.34*	125.89*	125.89*
4.	जम्मू और काश्मीर	1.65	0.64*	0.64*	1.01*	1.01*
5.	मध्य प्रदेश	121.67	69.56	69.56	52.11	52.11
6.	उड़ीसा	21.35	21.35	18.64	—	2.71
7.	राजस्थान	107.42	107.42	104.15	—	3.27
8.	उत्तर प्रदेश	75.87	63.71	63.71	12.16	12.16
9.	पश्चिम बंगाल	23.83	23.83	23.83	—	—
जोड़		595.83	399.61	387.34	196.22	208.49

[@] राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय अनुदान 36.59 लाख रु. दर्शाया गया था।

* ये आंकड़े 1985-86 में वास्तविक रूप से हुये व्यय को हिसाब में नहीं लेते, क्योंकि यह भारत सरकार/लेखा परीक्षा को नहीं बताया गया था।

पश्चिमी बंगाल के अलावा किन्हीं भी राज्य सरकारों ने 1983-84 में दी गई केन्द्रीय सहायता का उपयोग नहीं किया क्योंकि ये अनुदान उनको वित्त वर्ष के बिलकुल अंत में मिले थे और वे कार्यक्रम तुरन्त लागू करने के लिये तैयार नहीं थे। खर्च न हुए अनुदानों को अगले वित्त वर्ष में ले जाने के लिये अनुमोदन देते समय 15.14 लाख रुपयों की केन्द्रीय सहायता में से राजस्थान सरकार के लिये 6.75 लाख रु. अगले वित्त वर्ष में ले जाने हेतु शिक्षा मंत्रालय ने अनुमोदन मार्च 1985 में दिया तथा राज्य सरकार को बाकी 8.39 लाख रु. उनको लौटाने के लिये कहा। इस राशि को लौटाने की कोई सूचना मंत्रालय अथवा राज्य के रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थी (नवम्बर 1985)। लेखा परीक्षा द्वारा यह बताया जाने पर, राशि 1985-86 में देय अनुदान से समायोजित की गई थी। 1985-86 के दौरान राजस्थान से मंत्रालय में प्राप्त अनुदान को जारी करने के प्रस्ताव से प्रकट हुआ कि जैसे

योजना में तय हुआ था राज्य सरकार अपना 10 प्रतिशत हिस्से का अंशदान नहीं कर रही थी।

37.6.4 लक्ष्य एवं उपलब्धियां

योजना के लिये कोई लक्ष्य विनिर्दिष्ट नहीं थे। तथापि, सहायता के मानकों के अन्तर्गत प्रत्येक केन्द्र में 25 लड़कियों को संरक्षण मिलता था तथा 20,700 केन्द्रों में संरक्षण का अनुमानित लक्ष्य 5,17,500 लड़कियों का था। मंत्रालय ने राज्यों से खोले गये केन्द्रों के विकास और उनमें दाखिल हुई लड़कियों के बारे में आंकड़े नहीं मांगे। 9 राज्यों से प्राप्त हुई पुनरीक्षण प्रतिवेदनों के आधार पर केन्द्रों की स्थिति और संरक्षण नीचे दी हुई सारिणी के अनुसार था:-

क्रम संख्या	राज्य	अनुमोदित केन्द्रों की संख्या एवं संभावित संरक्षण		वास्तविक रूप से स्थापित केन्द्रों की संख्या तथा राज्य द्वारा सूचित संरक्षण		कमी	
		संख्या	भर्ती	संख्या	भर्ती	संख्या	भर्ती
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,012	25,300	1,012	25,300	—	—
2.	आसाम	1,000	25,000	1,000	26,250	—	(-)1,250
3.	बिहार	7,500	1,87,500	7,500	1,87,500	—	—
4.	जम्मू और कश्मीर	60	1,500	60	उ.न.	—	उ.न.
5.	मध्य प्रदेश	3,768	75,000	3,768	55,520	—	19,480
6.	उड़ीसा	560	14,000	560	13,701	—	299
7.	राजस्थान	3,000	1,08,900	2,871	1,01,022	129	7,878
8.	उत्तर प्रदेश	3,200	80,000	3,000	73,000	200	7,000
9.	पश्चिमी बंगाल	600	18,000	600	18,000	—	—
जोड़		20,700	5,35,200	20,371	5,00,293	329	33,407

टिप्पणी:- जम्मू और कश्मीर के केन्द्रों में दाखिले के आंकड़ों के अभाव में भर्ती में कुल कमी का पता नहीं चला था।

लेखा परीक्षा द्वारा रिकार्डों की संवीक्षा से निम्नलिखित बातों का पता लगा:-

(i) बिहार के 5 जिलों के रिकार्डों की नमूना जांच से पता चला कि 4 जिलों में मान्यता प्राप्त केन्द्रों केवल 1985-86 में खोले गये थे जबकि 1984-85 में उनके खोलने का समय भारत सरकार को सूचित किया गया था। उड़ीसा में 2 जिलों में निदेशालय द्वारा संस्वीकृत किये गये 8 केन्द्र वास्तविक रूप से जुलाई 1986 तक खुले ही नहीं थे, जो कार्य कर रहे सूचित किये गये थे।

(ii) मध्य प्रदेश में राज्य द्वारा जनवरी 1985 में यद्यपि 3768 केन्द्र स्थापित किये गये बताये गये थे किन्तु यह पाया गया था कि 1984-85 के दौरान एक भी केन्द्र काम नहीं कर रहा था। उत्तर प्रदेश में स्वीकृत 3,200 केन्द्रों में से 3000 केन्द्र 1984-85 में स्थापित हुए बताये गये थे किन्तु नमूना जांच में पता चला था कि लखनऊ जिले में 1984-85 के अंत तक 250 केन्द्र स्थापित हुए बताये गये में से

केवल 125 केन्द्र वास्तविक रूप से स्थापित हुए थे। बाकी के 125 केन्द्र 1985-86 में खोले हुये सूचित हुए थे।

(iii) केवल एकमात्र लड़कियों के लिये अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने के बजाय उड़ीसा सरकार ने सहायता के साथ मिले जुले केन्द्र खोले। 15 जिला स्कूल के निरीक्षकों से इकट्ठी की हुई सूचना से ज्ञात हुआ कि 113 केन्द्रों में दाखिल 3702 विद्यार्थियों में से 1985-86 के दौरान 2201 लड़कियाँ और 1501 लड़के थे। इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश में नमूना जांच किये हुए एक जिले में (वाराणसी) भर्ती हुए 320 विद्यार्थियों में से 220 लड़के थे।

(iv) राजस्थान के अलावा राज्यों से मिली किन्हीं भी रिपोर्टों में केवल एकमात्र लड़कियों के लिये स्थापित केन्द्रों हेतु पठन सामग्री एवं उपस्कर आपूर्ति करने का जिक्र नहीं हुआ था। राजस्थान में यह देखा गया था कि कुछ केन्द्रों में पठन सामग्री एवं उपस्कर जैसे किताबें, अभ्यास पुस्तिकाएँ, ब्लैक बोर्ड, ग्लोबस, आदि आपूर्ति

नहीं कराये गये थे जबकि कुछ में, 3 जिलों में केवल चांक, स्लेट और पेंसिलें मुहैया कराई गई थी। एक पंचायत समिति के 49 में से 31 केन्द्रों को किताबें मुहैया कराई गई थी तथा जयपुर जिले की एक दूसरी पंचायत समिति के किसी भी केन्द्र को और सीकर जिले में दो पंचायत समितियों को कोई किताब मुहैया नहीं कराई गई थी।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 1986) कि उपर्युक्त निरीक्षण के बारे में राज्य सरकारों को अपनी टीका/टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिये लिख दिया गया था।

37.7 स्वयंसेवी संस्थाओं/संगठनों को सहायता

37.7.1 अनौपचारिक शिक्षा योजना में स्वयंसेवी संस्थाओं/संगठनों को अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम अपनाने के लिये प्रयत्नों के वृद्धि हेतु व्यवस्था थी। शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े 9 राज्यों से सम्बन्धित स्थायी अनुभवी स्वयंसेवी संस्थाओं/संगठनों को नियमानुसार सरकार के तत्वप्रधान में चलनेवाले अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को अनुदान दिये जाने थे। केवल एक परियोजना के लिये सहायता 2.5 लाख रुपये सीमित थी तथा सीधे परियोजना लागत आवर्ती एवं अनावर्ती दोनों से सीमित थी किन्तु भवनों को

छोड़ते हुए। स्वयंसेवी संगठन के मुख्यालय के प्रशासनिक खर्चें अथवा इसका सामान्य कार्यालय खर्चा सहायता के लिये स्वीकार्य नहीं थे।

समस्त देश में फैले शैक्षिक अनुसंधान में लगे शैक्षिक संस्थानों को उपयोजना "प्रयोग एवम् नवीनता" के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता भी उपलब्ध थी।

37.7.2 निधियों का विमोचन

100 लाख रु. की छठी योजना लागत तथा 137 लाख रु. की सातवीं योजना लागत के प्रति 66.72 लाख रुपये (42.23 लाख छठी योजना के दौरान और 24.49 लाख रुपये 1985-86 में) नीचे दिये गये ब्यौरे के अनुसार 70 स्वयंसेवी संगठनों को संवितरण किये गये थे। इसके अलावा अनौपचारिक शिक्षा की योजना के मूल्यांकन करने हेतु 1985-86 के दौरान 13.02 लाख रुपयों की राशि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (8.52 लाख रु०) तथा रा.शि अ.प्र.प. (4.50 लाख रु०) को भी जारी किये गये थे।

वर्ष	बजट आवंटन	एजेंसियों की संख्या जिनको अनुदान दिया गया				जारी की गई अनुदानें	
		अनुसंधान/नवीन परियोजनाओं के लिये		अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए		अनुसंधान/नवीनतम परियोजनाओं के लिये	अनौपचारिक शिक्षा के लिए
		नये	पुराने	नये	पुराने		
1	2	3	4	5	6	7	8
(लाख रुपयों में)							
1980-81	*	1	—	—	—	0.15	—
1981-82	*	—	1	4	—	0.38	0.83
1982-83	15.00	—	1	20	4	0.57	9.37
1983-84	15.00	3	1	15	21	1.53	12.42
1984-85	20.00	—	1	12	27	0.26	16.72
1985-86	37.85	—	1	15	22	0.51	23.98
जोड़	87.85	4	5	66	74	3.40	63.32

* 1980-81 और 1981-82 के लिये बजट आवंटन अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की मुख्य योजना में सम्मिलित था।

70 (66.72 लाख रु.) के एक योग में से 28 स्वयंसेवी संगठनों को (17.63 लाख रु.) अनुदानों के जारी करने से सम्बन्धित रिकार्डों की नमूना जांच से निम्नलिखित बातें प्रकट हुईं:-

(i) अनुदानों की संस्वीकृति/जारी करने में अनावश्यक देरी :-

अनुदान की प्रमात्रा को अनुमोदन करने में संस्वीकृतियों को जारी करने में तथा इच्छुक संगठनों को चैक/मांग पत्रों को भेजने में मंत्रालय ने यद्यपि लम्बा समय लिया। 15 संगठनों के मामले में

अनुदान मंजूर करने में विलम्ब 55 से 275 दिन तक का रहा। 21 संगठनों के मामलों में सहायक अनुदान कमेटी द्वारा अनुदानों का अनुमोदन किये जाने के बाद संस्वीकृति जारी करने में विलम्ब 35 से 270 दिन का था; तथा 21 संगठनों के बारे में चैक/मांगपत्र को भेजने में विलम्ब 30 से 249 दिन तक का अधिक विलम्ब था। 5 संगठनों के मामले में चैक/मांग पत्र उस वित्त वर्ष के बन्द होने के बाद भेजे गये थे, जिसमें अनुदान जारी किये जाने के लिये संस्वीकृति की गई थी। अगस्त 1986 में इस विलम्ब के लिये मंत्रालय ने कार्यप्रणाली की कठिनाईयों और प्रक्रिया को जो उनको

अपनानी पडती थी, उत्तरदायी ठहराया था। कार्यप्रणाली को कारगर और सरल बनाने के लिये उपाय किये जा रहे बताये गये थे।

(ii) असमर्थित अनुबन्ध पत्र :-

जिस प्रकार नियमों में उपेक्षित था, स्वयंसेवी संगठनों से प्राप्त कोई भी अनुबन्ध पत्र भारत के राष्ट्रपति के नाम में समर्थित नहीं थे और इस प्रकार उनका कानूनी महत्व सन्देहजनक था। मंत्रालय ने बताया (अगस्त 1986) कि अब से स्वयंसेवी एजेंसियों से प्राप्त अनुबन्ध पत्र मंत्रालय के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुदान को वास्तविक रूप से जारी करने से पहले विधिवत निष्पादित किए जायेंगे।

(iii) प्रतीक्षित लेखे एवं उपयोग प्रमाण पत्र :-

चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों द्वारा निर्धारित फार्म में प्रति हस्ताक्षरित उपयोग प्रमाण पत्रों के साथ जांच किये हुये लेखे पूर्वगत साल के बारे में 6 महीने के भीतर या उस अवधि के समाप्त होने के बाद जिस अवधि के लिये अनुदान स्वीकृत हुआ था, भेजने अपेक्षित थे। यह देखा गया था कि 18 स्वयंसेवी संस्थाओं से 7.85 लाख रुपयों के लिये उपयोग प्रमाण पत्र और जांच किये हुए लेखे प्रतीक्षित थे (अगस्त 1986)। मंत्रालय ने बताया (फरवरी 1987) कि लेखा परीक्षित लेखे तथा उपयोग प्रमाण पत्र सितम्बर-दिसम्बर 1986 के दौरान 5 स्वयंसेवी एजेंसियों से 2.74 लाख रु. की राशि के प्राप्त हुए थे।

(iv) एजेंसियों का निरीक्षण न किया जाना :-

अनुदान की शर्तों के खण्ड (ii) में प्रावधान था कि आर्थिक सहायता प्राप्त एक एजेंसी को मानव संसाधन विकास संघ मंत्रालय/एन.सी.ई.आर.टी. और या राज्य शिक्षा विभाग अथवा इसकी किसी एजेंसी जैसे एस.टी.ई./एस.सी.आर.टी. के किसी भी अधिकारी द्वारा निरीक्षण होना चाहिए। लेखा परीक्षा द्वारा नमूना जांच की गई 28 एजेंसियों में से केवल 2 मामलों में निरीक्षण हुआ पाया गया था - एक उत्तर प्रदेश में और दूसरा राजस्थान में। मंत्रालय ने बताया (अगस्त 1986) कि साल में एक बार राज्य सरकार द्वारा निरीक्षण के औचित्य की बात जाँची की जा रही थी।

(v) लक्ष्य एवं उपलब्धियां :-

710 प्राथमिक स्तर के और 52 माध्यमिक स्तर के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को खोलने के लिए नमूना जांच की गई अट्टाइस एजेंसियों को कुल 17.63 लाख रुपयों के अनुदानों का भुगतान किया गया था। इन केन्द्रों में बिना दाखिल किये गये विद्यार्थियों को 19050 तक संरक्षण मिलने की आशा थी। 28 एजेंसियों में से 25 ने 666 प्राथमिक स्तर के केन्द्रों तथा 37 माध्यमिक स्तर केन्द्रों की स्थापना एवं उनमें 16603 विद्यार्थी भर्ती किया जाना सूचित किया था। 23 एजेंसियों से 44 प्राथमिक

स्तर के और 15 माध्यमिक स्तर के केन्द्रों की स्थापना के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली थी। स्वयंसेवी एजेंसियों द्वारा सूचित विद्यार्थियों की भर्ती गलत प्रतीत हुई क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 एजेंसियों के मामले में जहां क्रमशः 794 और 74 विद्यार्थियों की भर्ती सूचित हुई थी, यह पाया गया था कि कोई केन्द्र (इस मामले में 30) पहली एजेंसी द्वारा स्थापित हुए सूचित किये गये मौजूद नहीं थे तथा बाद के मामले में 4 केन्द्रों में 74 विद्यार्थियों की भर्ती के प्रति जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किये जाने पर केवल 17 विद्यार्थी शिक्षा पाते हुए पाये गये थे। मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग के सचिव से नवम्बर 1984 में जांच पड़ताल करने के लिये तथा रिपोर्ट देने को कहा किन्तु उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला था। मंत्रालय ने बताया (फरवरी 1987) कि मामलों पर राज्य सरकार के साथ आगे की कार्यवाही की जा रही थी।

37.8. कागज के रूप में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय वस्तु सहायता

37.8.1 21 जनवरी 1980 को भारत और स्वीडन के बीच लिखित एक समझौता के अन्तर्गत स्वीडिस सरकार स्वीडिस अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (स्वी.वि.ए.) के माध्यम से 75 मिलियन स्वीडिस क्रोनर्स जो 14 करोड़ रु. के बराबर होते हैं, 1979-84 की अवधि के दौरान 20,000 मीटरीटन कागज की खरीद हेतु भारत में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को प्रारम्भिक शिक्षा के साधारणीकरण के एक बड़े कार्यक्रम के रूप में प्रारम्भिक आयु वर्ग के बच्चों के अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के लिये अपेक्षित पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य शैक्षिक सामग्रियों के उत्पादन हेतु आपूर्ति के लिये नकद सहायता प्रदान करने के लिये सहमत हुई। इसमें मिलती जुलती 14 करोड़ रुपये की व्यवस्था केन्द्रीय लागत खंड में ड्यूटीज, रखरखाव, सेवा, भंडारण आदि पर होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिये भी की गई थी। कागज की प्राप्ति कार्य का प्रबन्ध भारतीय राज्य व्यापार निगम (एस.टी.सी.) को सौंपा गया था।

1980-81 में समझौते के प्रारम्भ से 1985-86 में खत्म होने तक कागज की तीन अलग किस्मों की 14039 मीटरीटन की कुल मात्रा प्राप्त हुई थी

तथा 27 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों और एन.सी.आर.टी. को बांटी गई थी, जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया था:—

वर्ष	मंगाई गई मात्रा	एस.टी.सी. के पास जमा अनुमानित मूल्य (प्रासंगिक प्रभार के साथ)	प्राप्त तथा वितरित	
			मात्रा	एस.टी.सी. द्वारा सूचित (प्रासंगिक प्रभार के साथ) मूल्य
1	2	3	4	5
	(मीट्रिक टनों में)	(लाख रुपयों में)	(मीट्रिक टनों में)	(लाख रुपयों में)
1980-81	3200	420.00	—	—
1981-82	4000	380.00	3196.450	350.80
1982-83	5450	450.00	4033.286	355.52
1983-84	—	—	5439.419	442.70
1984-85	1369	117.99	—	—
1985-86	—	—	1369.587	170.83
जोड़	14019	1367.99	14038.742	1319.85

1982-83 तक एस. आई.डी.ए. से मिली कुल आर्थिक सहायता तथा क्षेत्र लागत में से अन्य प्रासंगिक प्रभारों पर हुआ व्यय निम्न प्रकार था:—
कागज की प्राप्ति पर इसमें से हुआ व्यय और 14 करोड़ रुपयों की केन्द्रीय

वर्ष	बजट अनुमान	एस.टी.सी. द्वारा प्रस्तुत व्यय के अनुमान	एस.टी.सी. को जारी की गई निधियाँ			एस.टी.सी. द्वारा किया गया व्यय	एस.टी.सी. के पास संचित अन्यायित
			स्वीडिस सहायता में से	भारतीय निधियों में से	जोड़		
1	2	3	4	5	6	7	8
			(लाख रुपयों में)				
1980-81	420.00	उ.न.	210.00	210.00	420.00	—	420.00
1981-82	520.00	375.00	260.00	120.00	380.00	212.35	587.65
1982-83	565.00	442.44	380.00	70.00	450.00	495.69	541.96
1983-84	144.52	—	—	—	—	440.52	101.44
1984-85	450.00	178.00	—	117.99	117.99	0.46	218.97
1985-86	—	—	—	—	—	170.83	48.14
जोड़	2099.52	995.44	850.00	517.99	1367.99	1319.85	48.14

37.8.2 शिक्षा मंत्रालय भारतीय राज्य व्यापार निगम तथा रा.शि.अ.प्र.प. के रिकार्डों की नमूना जांच करने से निम्नलिखित बातें सामने आयी:—

- (i) स्वीडन से प्राप्त नकद सहायता की राशि तथा इसके साथ प्रासंगिक प्रकार के खर्चों की आपूर्ति के लिये आवश्यक राशि मंत्रालय द्वारा एस.टी.सी. को पेशगी में जारी की गई थी। किन्तु

इनकी बसूली/समायोजन के लिये अग्रिम जमा रजिस्टर मंत्रालय में नहीं रखे गये थे। इस प्रकार एस.टी.सी. द्वारा कितनी राशि खर्च की गई तथा किसी एक खास अवसर पर इसके पास कितना अव्ययित शेष रहा, मंत्रालय द्वारा अनुश्रवण नहीं किया गया था। मंत्रालय के निर्देशों पर एस.टी.सी. ने यद्यपि अपने पास उपलब्ध अग्रिम/जमा में से समय समय पर खर्च की गई राशि के विवरण

प्रस्तुत किये, किन्तु मंत्रालय ने रा.व्या.नि. द्वारा इस प्रकार के सूचित खर्च का कोई समेकित रिकार्ड नहीं रखा। मंत्रालय के रिकार्ड से इकट्ठी की गई सूचना के अनुसार रा.व्या.नि. के पास 1985-86 के अंत में अव्ययित शेष 48.14 लाख रु. बना, किन्तु, रा.व्या.नि. ने अपने पास 50.81 लाख रु. की अव्ययित जमा संचित की थी। अंतर का समाधान नहीं हो सका क्योंकि मंत्रालय द्वारा कोई उचित रिकार्ड नहीं रखे गये थे। मंत्रालय ने बताया (फरवरी 1987) कि एस.टी.सी. पर किए मांग पत्रों, राज्य सरकारों को आबंटनों तथा एस.टी.सी. के पास बकाया शेषों पर ध्यान रखने के लिये एक जांच रजिस्टर बना लिया गया था।

(ii) जबकि रा.व्या.नि. के पास सरकारी निधियों की बहुत बड़ी राशि अव्ययित पडी थी, जिसपर सरकार ने कोई ब्याज नहीं लगाया था। रा.व्या.नि. ने आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में लैटर्स आफ क्रेडिट/अथारिटी के अवसर पर बैंक खर्चों को पूरा करने के लिये कागज की सी.आई.एन्ड.एफ. मूल्य का 0.5 प्रतिशत सरकार से वसूल किया। रा.व्या.नि. को अदा किये गये इस प्रकार के बैंक प्रभारों की राशि 4.69 लाख रुपये बनी थी। रा.व्या.नि. ने एक स्थानीय खरीद के मामले में बैंक खर्च (0.38 लाख रुपये) मंत्रालय से वसूल किये जबकि समझौते की शर्तों के अनुसार ये खर्च पूर्तिकर्ता को वहन करना था। परिणामस्वरूप सरकार को हानि हुई।

(iii) मंत्रालय की सलाह से राज्य व्यापार निगम ने भारत सरकार के उद्यम हिन्दुस्तान कागज निगम को कागज की निकासी, मालगोदाम में रखने तथा बाद में विभिन्न भारतीय बन्दरगाहों पर उतरे कागज को गन्तव्य तक पहुँचाने हेतु अपनी 2 प्रतिशत दलाली के अतिरिक्त सी. आई. एफ. कीमत के 7.5 प्रतिशत एजैन्सी दलाली पर सहमत हुई को नियुक्त किया। इसके लिये समझौते दोनों निगमों के बीच 9 जुलाई 1981 को हस्ताक्षरित हुआ था, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह दिया हुआ था कि माल का उचित भंडारण, हि.का.नि. गोदामों में माल की सुरक्षा तथा माल के भंडारण अवधि के दौरान बीमा सुरक्षा प्राप्त करने हेतु हि.का.नि. की विशिष्ट जिम्मेदारी होगी। मिक्सीकली ग्लेज्ड न्यूजप्रीट का एक 3903.298 मी.ट. भार का एक प्रेषण रा.व्या.नि. द्वारा सम्भाला गया था जिसके लिये उसने मंत्रालय से उसी दर पर वसूली की जिस दर से हि.का.नि. को भुगतान किया गया था। रा.व्या.नि. ने यह दलाली अपनी सामान्य 2 प्रतिशत दलाली के अलावा वसूल की और उसके लिये उसने तर्क दिया कि यदि इस प्रेषण की निकासी हि.का.नि. ने की होती तो उसको भी इतनी ही दर पर दलाली का भुगतान करना पड़ता किन्तु विशेष इस प्रेषण से सम्बन्धित लेखों की लेखा परीक्षा द्वारा जांच करने पर पता चला कि रा.व्या.नि. ने, माल के गोदाम में रहने तक 3.81

लाख रुपये, भंडारण सुविधा (3.64 लाख रु.) और बीमा (0.17 लाख रुपये) वसूल किये जो प्रेषण की निकासी होने पर हि.का.नि. द्वारा वसूल नहीं किया जाता।

37.8.3 कागज का उपयोग :-

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों और रा.शि.अनु. एवं परिषद द्वारा कागज की प्राप्ति और खपत के लेखों के पुनरीक्षण से निम्नलिखित बातों का पता चला:-

(i) तीन अलग-अलग किस्म के 14019 मी.टन कागज के प्रति रा.व्या.नि. द्वारा 14038.740 मी.ट. कागज प्राप्त किया गया तथा आदेश के राज्यों/संघशासित क्षेत्रों और रा.शि.अनु.प्र.प. को भेजे गये थे। राज्यों/संघशासित क्षेत्रों तथा रा.शि.अनु. एवं प्रशि.परि. द्वारा कागज की प्राप्ति यद्यपि 13,293,019 मी.ट. सूचित की गई थी। इस प्रकार 1985-86 के दौरान रा.व्या.नि. द्वारा प्राप्त किया गया कागज मध्य प्रदेश और रा.शि.अनु. एवं प्रशि.सं. को छोड़ कर राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्राप्तकर्ताओं द्वारा स्टॉक में नहीं लिया गया था।

(ii) अलग-अलग किस्म के 13,293,019 मी.टन उनके द्वारा प्राप्त किये गये कागज के प्रति, केवल 3837,595 मी.टन कागज अनौपचारिक शिक्षा की जानकारी/प्रशिक्षण सामग्री के लिये जारी किये गये थे, जिसमें से आगे 3832.172 मी.टन कुल प्राप्ति का (28.9 प्रतिशत) अभीष्ट उद्देश्यों के लिये प्रयोग में लाया जा सका। जारी किये गये कागज शेष का यानी 5.423 मी.टन प्रिंटिंग प्रैसों एजैन्सियों के पास पंजाब में (0.236 मी. टन) और उड़ीसा में (5.187 मी. टन) अप्रयुक्त अभी तक अप्रयुक्त पडा था (मार्च 1986)। जम्मू और कश्मीर, केरला, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, और गोवा दमन और दीव के राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के लिये कोई कागज प्रयुक्त नहीं किया।

(iii) 27 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों और रा.शि.अनु. एवं प्र.प. में से जिनको एस.आई.डी.ए. कागज की आपूर्तियाँ की गयी थी, केवल 17 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों और रा.शि.अनु. एवं प्र.प. ने उनके द्वारा विकसित शीर्षकों/मापदंडों और उनके प्रत्येक शीर्षकों/मापदंडों की प्रति लिपियों के बारे में जो अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में प्रयोग के लिये प्रदर्शित की गई थी, सूचना दी। विभिन्न प्रशिक्षण/जानकारी सामग्रियों की कुल 242.43 लाख प्रतिलिपियाँ प्रदर्शित की गई थी। जिनमें से 80.54 लाख प्रतिलिपियाँ 31.3.86 को भी स्टॉक में पडी हुई थी। 44.98 लाख

प्रतिलिपियों के उपयोग, जो राज्य सरकारों ने छपवाई थीं उत्तर प्रदेश (31.46 लाख) और आसाम (13.52 लाख) उपलब्ध नहीं थे। 1985-86 के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा छपवाई गई 5 शीर्षकों की 12 लाख प्रतिलिपियां राज्य में जिला शिक्षा अधिकारियों को केन्द्रों में आगे वितरण के लिये जारी की गई सूचित की गई थी। 4 जिला शिक्षा अधिकारियों के रिकार्ड की नमूना जांच से जिनका 1.66 लाख प्रतिलिपियां जारी की हुई दिखाई गई थी, पता चला कि उस साल के दौरान उन्होंने ऐसी कोई किताबें प्राप्त नहीं की थीं। पंजाब में छापी कुल 7.08 लाख किताबें छापेखानों से सीधे परियोजना अधिकारियों को जारी कर दी गई थी तथा उनके उचित ढंग से उपयोग का उनके कोई रिकार्ड राज्य स्तर पर नहीं रखा गया था।

(iv) किसी भी राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों ने एस.आई.डी.ए. के कागज से बनने वाली किताबों की संख्या तथा तैयार होने वाले शीर्षकों/मापदंडों की संख्या के लक्ष्य निश्चित नहीं किये थे। फिर भी एन.सी.ई.आर.टी. ने दिसम्बर 1984 के अंत तक उनको मुहैया एस.आई.डी.ए. कागज से 28 शीर्षकों को विकसित करने का एक लक्ष्य निश्चित किया जिसके प्रति वे 31 मार्च 1986 तक केवल 10 मापदंडों विकसित कर सके तथा इस प्रकार 35.7 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया। एन.सी.ई.आर.टी. ने बताया (अगस्त 1986) कि लक्ष्य में कमी मुख्यतः सामग्रियों के छपने में विलम्ब के परिणामस्वरूप थी।

(v) लगभग 5,656,077 मी. टन (42.6 प्रतिशत) कागज अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अलावा दूसरे प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त हुआ था। इसमें से 1484.332 मी.टन जम्मू कश्मीर (15.000 मी. टन), पश्चिमी बंगाल (183.000 मी. टन), करनाटक (1.200 मी. टन), मध्य प्रदेश (20.800 मी. टन), गुजरात (276.620 मी. टन), राजस्थान (45.193 मी. टन), आन्ध्र प्रदेश (912.000 मी. टन), नागालैण्ड (2.555 मी. टन) और एन.सी.आर.टी. (27.964 मी. टन) राज्य सरकारों द्वारा अपने अपने राज्य में और दूसरी संस्थाओं/एजेंसियों को उधार दिया गया था। यह कागज सम्बन्धित संस्थानों/एजेंसियों से अभी वसूल होता था। करनाटक राज्य सरकार ने 9.55 लाख रुपये के कीमत का 103,500 मी. टन एस.आई.डी.ए. कागज, प्रौढ शिक्षा परिषद को बेचा जिसमें से 3.36 लाख रु. पहले ही वसूल किये जा चुके थे।

(vi) लगभग 3,660,847 मी. टन कागज अर्थात् 27.5 प्रतिशत अभी तक राज्य सरकारों के पास अप्रयुक्त पड़ा था, जिसमें से केवल 3,611,378 मी. टन कागज राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों (रा.शौ.अनु.एवं प्र.परि. सहित) के गोदाम/भंडारों के खातों में पड़ा हुआ था तथा शेष 49,469 मी. टन उड़ीसा के मामले में गोदाम/भंडारों के खातों में समाधेय नहीं था।

(vii) पारगमन या गोदामों में 138,500 मी० टन (1 प्रतिशत) कागज की क्षति हानियां हिसाब में दिखाई गई जिसके प्रति 16,527 मी० टन कागज की हानि के दावे मध्य प्रदेश (1,590 मी० टन), मेघालय (0.215 मी० टन), नागालैण्ड (0.021 मी. टन), उड़ीसा (9,921 मी. टन) तथा तमिलनाडु (4,780 मी. टन) की सरकारों ने नहीं प्रस्तुत किये थे। 120,973 मी. टन के प्रस्तुत किये गये दावों में से 88,020 मी. टन के निपटारे बीमाकर्ता/वहन करने वाली एजेंसियों के पास अभी भी विचाराधीन थे (अगस्त 1986)। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सितम्बर 1985 में रा.व्या.नि. को 3,000 मी. टन कागज की कम सुपुर्दगी को सूचित किया किन्तु अवरोक्त द्वारा की गई कार्यवाई पता नहीं थी। 1,000 मी. टन कागज की क्षति का दावा रा.शौ.अ.प्र.प. से नियमित किया गया एस.सी. ई.आर.टी. गुजरात के निदेशक द्वारा सूचित किया गया था। मध्य प्रदेश द्वारा 29,888 मी. टन और अरुणाचल प्रदेश द्वारा 0,065 मी. टन कम उपलब्ध किये गये कागज के दावों का निपटारा क्रमशः 2.14 लाख रुपये और 600.00 रुपयों में हो गया था तथा प्राप्त की हुई राशियां केन्द्रीय सरकार की प्राप्ति के स्थान पर सम्बन्धित राज्य सरकारों की प्राप्ति के रूप में ली गई थीं।

37.9 शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े 9 राज्यों में प्राथमिक विद्यालयों के लिये महिला शिक्षकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण

37.9.1 लड़कियों के भर्ती किये जाने से सम्बन्धित मुख्य समस्याओं में से एक महिला शिक्षकों का अभाव था। चौथे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 1978-79 में देश के 16 लाख शिक्षकों में से केवल 4.38 लाख (27 प्रतिशत) महिला शिक्षक थीं। शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े 9 राज्यों में उनकी संख्या केवल 1.81 लाख थी। धन की कमी के कारण क्योंकि ये राज्य अधिक महिला शिक्षकों को भर्ती करने की स्थिति में नहीं थे, केन्द्रीय सरकार ने शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े इन 9 राज्यों में पहली जनवरी 1984 से दोहरे उद्देश्यों हेतु लड़कियों के नामांकन में बढोत्तरी और समाज के कमजोर वर्गों को रोजगार के लाभ पहुंचाने की दृष्टि से एक योजना "प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण के लिये केन्द्रीय प्रोत्साहन" शुरू की।

37.9.2 सहायता का नमूना :-

महिला शिक्षकों के वेतन और प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च का 80 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा और शेष 20 प्रतिशत सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा अपनी निधियों से वहन किया जाना था तथा केन्द्रीय सहायता के प्रयोजन हेतु 15 रुपयों की वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ भत्तों सहित 700 रु. का एक औसतन मासिक वेतन सहायता का मान दण्ड माना गया था।

37.9.3 निधियों का विमोचन एवं उनका उपयोग

भारत सरकार ने 1983-84 से 1985-86 की अवधि के दौरान 581.80 लाख रुपये विमोचित किये। राज्यवार ब्यौरे निम्न प्रकार है:—

क्र. सं.	राज्य	1983-84 से 1985-86 में बजट आवंटन	1983-84 से 1985-86 तक केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई निधियां	राज्य सरकार द्वारा प्राप्त की सूचित अनुदान	राज्य लेखा कारों द्वारा सूचित व्यय	अव्ययित
1	2	3	4	5	6	7
(लाख रुपयों में)						
1.	आन्ध्र प्रदेश		66.15	66.15	66.15	—
2.	असम		14.40	13.36	9.53	4.87
3.	बिहार		70.14	41.16	18.62	51.52
4.	जम्मू और कश्मीर		26.88	26.88	शून्य	26.88
5.	मध्य प्रदेश	964.00	92.84	92.84	72.14	20.70
6.	उड़ीसा		61.95	61.95	उ.न.	उ.न.
7.	राजस्थान		94.88	94.88	77.68	17.20
8.	उत्तर प्रदेश		104.16	84.84	—	104.16
9.	पश्चिमी बंगाल		50.40	50.40	—	50.40
जोड़		964.00	581.80	532.46	244.12	275.73

9 राज्यों को जारी किये गये 581.80 लाख रुपयों के अलावा 1.00 लाख रुपये मार्च 1985 में मनीपूर को भी जारी किये गये थे। मनीपूर को कोई अनुदान नहीं दिया गया था क्योंकि वह शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा राज्य नहीं था। मनीपूर से प्राप्त प्रतिवेदनों में भी उसके द्वारा लिये गये एक एक लाख रुपये दशायि गये नहीं थे। मंत्रालय ने तथापि बताया (अगस्त 1986) कि मनीपूर को एक लाख रुपयों का अनुदान "बेरोजगार शिक्षितों को रोजगार" की योजना के अंतर्गत जारी किया गया था। जिसके लिये 1984-85 में कोई व्यवस्था नहीं की गई थी तथा भुगतान को 80:20 से आधार पर लेखा शीर्ष के नाम में डालना था। बिहार और उत्तर प्रदेश से मिले प्रतिवेदनों में बताया गया कि उनको 1985-86 में क्रमशः 28.98 रु., और 19.32 लाख रु. के जारी किये गये केन्द्रीय अनुदान, इन राज्यों के लेखों में दर्ज नहीं किये गये थे। असम राज्य सरकार ने सूचित किया था कि 1985-86 के दौरान जारी की गई 2.64 लाख रु० केन्द्रीय सहायता के प्रति 1.60 लाख की राशि प्राप्त हो गई थी। योजना जम्मू और कश्मीर राज्य में बिलकुल लागू नहीं की गई थी। उड़ीसा सरकार से 67.66 लाख अर्थात् केन्द्रीय सहायता से 5.71 रुपये अधिक जारी किये सूचित किये थे किन्तु व्यय के ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे। उत्तर प्रदेश में 1985-86 के अंत तक यद्यपि, 1293 शिक्षक नियुक्त किये गये सूचित हुए थे, खर्च के ब्यौरे संकलनाधीन थे। पश्चिमी बंगाल के प्रतिवेदन से पता चला कि यद्यपि शिक्षकों के सभी संस्वीकृत पद 1985-86 के अंत तक भर दिये गये थे, केन्द्रीय निधि से कोई राशि नहीं निकाली गई थी।

37.9.4 लक्ष्य एवं उपलब्धियां

योजना में मूलतः 1983-84 में 8000 उसके बाद 1986-87 तक प्रत्येक साल 6000 अधिक महिला शिक्षकों को नियुक्त करना था। योजना आयोग ने "प्राथमिक विद्यालयों के लिये महिला शिक्षकों की नियुक्ति" की स्कीम

को मंजूरी देते समय लक्ष्यों को घटाकर 8000 कर दिया अर्थात् 1983-84 में 2000 और 1984-85 में और 6000 जैसा कि नीचे दिया गया है:—

क्रम सं.	राज्य	नियुक्त होने वाले शिक्षक	जोड़	जोड़	उपलब्ध
		1983-84 में	1984-85 में		
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	200	550	750	750
2.	असम	200	550	750	750
3.	बिहार	200	550	750	लागू नहीं
4.	जम्मू और कश्मीर	—	400	400	—
5.	मध्य प्रदेश	300	850	1150	1150
6.	उड़ीसा	200	550	750	750
7.	राजस्थान	300	850	1150	1150
8.	उत्तर प्रदेश	400	1150	1550	1293
9.	पश्चिमी बंगाल	200	550	750	750
		2000	6000	8000	6593

योजना के बल 1984-85 तक कार्यन्वयन हेतु अनुमोदित हुई थी, किन्तु 1985-86 में इसको शिक्षकों की संख्या बढ़ोत्तरी किये बिना जारी रहने की अनुमति दे दी गई थी। राज्यों के रिकार्ड की नमूना जांच से निम्नलिखित बातों का पता चला:—

(i) जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार ने 31 मार्च 1986 तक किसी शिक्षक की नियुक्ति नहीं की, यद्यपि, आवश्यक स्थानों की संख्या

की सृष्टि के लिये सरकारी आदेश अक्टूबर 1985 में जारी हो गये थे। स्थान भरे नहीं गये थे क्योंकि नियुक्ति से सम्बन्धित मामला अधीनस्त सेवा नियुक्ति समिति के पास भेजा गया था (जुलाई 1986)। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जनवरी 1986 तक 1550 शिक्षकों की नियुक्ति की सूचना दी, किन्तु वास्तव में केवल 1293 शिक्षक 1985-86 के अंत तक नियुक्त किये गये थे। बिहार में, यद्यपि शिक्षकों की नियुक्ति के ऊपर कुछ खर्चा हुआ सूचित किया गया था, वास्तव में नियुक्त हुए शिक्षकों की संख्या का पता नहीं था।

- (ii) उड़ीसा सरकार ने राज्य में जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिये थे कि कुल स्थानों के 80 प्रतिशत महिला शिक्षकों को इकट्ठे शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों में और 20 प्रतिशत को बहु-शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों में, न्याय संगत शिक्षक - विद्यार्थियों के अनुपात के अनुसार नियुक्त किया जाना था। किन्तु 2 जिलों की नमूना जांच करने पर यह पाया गया था कि एक जिले में सभी 8 शिक्षक और दूसरे जिले के 16 में से 8 शिक्षक, निर्देशों के विरुद्ध, बहु शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त कर दिये गये थे। आगे यह भी देखा गया था कि यद्यपि 11 जिलों में 1542 पालतू शिक्षक थे, 171 अतिरिक्त महिला शिक्षकों के स्थान, विद्यालयों के जिला निरीक्षकों द्वारा, बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के, भर दिये गये थे।

37.10 लड़कियों के नामांकन के क्षेत्र में सराहनीय प्रदर्शन के लिये राज्यों को प्रोत्साहन/पुरस्कार

कार्यकलाप वर्ष	पुरस्कार का वर्ष	निधियों का आवंटन	समिति द्वारा अनुमोदित प्रोत्साहन पुरस्कार की राशि	जारी किये गये प्रोत्साहन पुरस्कार की राशि	बचत (-) अधिक (+)
1	2	3	4	5	6
(लाख रुपयों में)					
1982-83	1983-84	700.00	621.00	621.00	(-) 79.00
1983-84	1984-85	720.75	665.50	665.50	(-) 55.25
	योग	1420.75	1286.50	1286.50	(-) 134.25

37.10.2 पुरस्कारों के उपयोग

सर्वोत्तम पंचायत, सर्वोत्तम सामुदायिक विकास खण्ड, श्रेष्ठ आदिवासी विकास क्षेत्र, तथा सर्वोत्तम जिले को दी गयी पुरस्कार की राशि पंचायत सामुदायिक विकास खण्डों आदिवासी विकास क्षेत्रों तथा चुने हुए जिलों के जैसे भी मामले हों प्राथमिक विद्यालयों के सुधार के लिये जैसे भवनों, साफ पीने का पानी मिलने, लड़कियों के लिये शौचालयों का निर्माण करने, रोशनी सुविधायों को देने, प्रशिक्षण सामग्रियों के खरीद आदि पर उपयोग की जानी थी। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत लड़कियों के नामांकन में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने के लिए तीन श्रेष्ठ राज्यों को दिये गये

37.10.1 पारम्भिक शिक्षा की सर्वव्यापकता के कार्यक्रम को लागू करने और लड़कियों की शिक्षा के प्रसार के लिये सराहनीय प्रदर्शन हेतु स्वीकृति देने के लिये राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को प्रोत्साहन/पुरस्कार की एक योजना सितम्बर 1983 में बनाई गई थी। योजना में निम्न श्रेणियों के पुरस्कार दिये जाते थे:-

- (i) सर्वोत्तम पंचायत : 410 मर्दें
(ii) सर्वोत्तम सामुदायिक विकास खण्ड : 150 मर्दें
(iii) श्रेष्ठ आदिवासी विकास क्षेत्र : 50 मर्दें
(iv) सर्वोत्तम जिले : 65 मर्दें (1984-85 में 31 कर दिये गये)
(v) अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए सर्वोत्तम राज्य : 3 मर्दें
(vi) औपचारिक शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन के लिए सर्वोत्तम राज्य : 3 मर्दें

राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारों से प्रस्ताव मिलने के आधारों पर विभिन्न क्षेत्रों के पुरस्कारों को अन्तिम रूप देने के लिए जनवरी 1984 में शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्तर समिति गठित की गयी थी। राष्ट्रीय समिति ने कार्यकलाप के मूल्यांकन के पश्चात चुने हुए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान क्रमशः 621.00 लाख रु. तथा 665.50 लाख रु. निम्न प्रकार से अनुमोदित एवं स्वीकृत किये गये थे:-

पुरस्कारों का उपयोग लड़कियों तथा विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से सम्बन्धित लड़कियों की संख्या में अ.शि. केन्द्रों के द्वारा वृद्धि करना था तथा तीन राज्यों को श्रेष्ठता (औपचारिक शिक्षा) के क्रम में दिये गये पुरस्कारों का उपयोग विशेष रूप से सर्वाधिक राज्य के पिछड़े जिलों में प्राथमिक विद्यालय भवनों के निर्माण में किया जाना था।

जम्मू और कश्मीर को छोड़कर जहां से 7.25 लाख रु. के उपयोग के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी, 26 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से पुरस्कार को देने/उपयोग के बारे में सूचना मिली थी। अनुदानों को जारी करने एवं उपयोग की स्थिति अनुबन्ध-1, में दर्शायी गई है।

आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मेघालय, त्रिपुरा और दादरा और नागर हवेली के राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों ने जिनको कुल मिलाकर 68.25 लाख रुपये के अनुदान जारी किये गये थे उनके आगे उपयोग के लिये अभी तक संस्वीकृत नहीं की। बाकी बचे 21 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने जिनको 1211.00 लाख रुपयों के अनुदान जारी किये गये थे, जारी किये गये के परवर्ती वर्षों के दौरान 1137.65 लाख रुपयों के संस्वीकृत किये, किन्तु 31 मार्च 1986 तक केवल 326.77 लाख रुपये (27 प्रतिशत के करीब) उपयोग में लाये जा सके।

पंजाब सरकार ने, 1983-84 में, दूसरा सबसे अच्छा राज्य के रूप में, उसके द्वारा प्राप्त 100 लाख रुपये के अनुदान का उपयोग दिखाने की दृष्टि से राशि को मार्च 1985 में उपनिदेशक (विकास विभाग) के निजी खाते में जमा करवा दिया, जिसको इसने जुलाई 1985 में राज्य शिक्षा विभाग के प्राप्त शीर्ष, में डाल दिया। उड़ीसा में, 1984-85 में राज्य को जारी किये गये 40.25 लाख रुपयों में से 25.00 लाख रुपये डिपोजिटों निदेशक (शिक्षा) द्वारा वापिस ले लिये गये थे और सिविल के रूप में अपने पास रखे गये जिससे यह दिखाया जा सके कि खर्चा किया गया है।

37.10.3 अन्य कार्यों के लिये निधियों का विपथन

लगभग 181.23 लाख रुपये अनुबन्ध-11, में दिये गये व्यौरों के अनुसार "राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को प्रोत्साहन/पुरस्कार" योजना के अन्तर्गत नहीं आने वाली मदों पर खर्च किये गये थे। मंत्रालय ने बताया (फरवरी 1987) कि शर्तों के विपरीत, पुरस्कारों का उपयोग, मूलतः राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों से संबद्ध मामला था तथा मंत्रालय ने अपनी ओर से संबंधित दोषी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों से अनियमित व्यय को ठीक करने के लिये इन मामलों को उठाया था।

सारांश

1977-78 के अन्त में 6-14 आयु वर्ग के अनामांकित बच्चों का समूह 452 लाख था, शिक्षा मंत्रालय ने अनुमान लगाया कि 1400 लाख की सम्भावित जनसंख्या के प्रति मार्च 1985 से अन्त तक 279 लाख अनामांकित बच्चों के अन्तर को छोड़ते हुए इस आयु वर्ग के 1121 लाख बच्चे भर्ती किये जा सकेंगे। मंत्रालय के निर्धारण के अनुसार यदि शिक्षा उत्थान (नामांकन इनको बनाये रखने के सम्बन्ध में) की वर्तमान पद्धति भी चलती रहे तो 467 लाख आरक्षित बच्चों के अन्तर को छोड़ते हुए 1989-90 के अन्त तक 1740 लाख योग्य बच्चों में से केवल 1273 लाख बच्चों के ही नामांकन संभावित होंगे जो 1977-78 की असीम संख्या की तुलना में बहुत अधिक होगी। इस तथ्य की पुष्टि इस बात से होगी कि 1989-90 के अन्त तक, जैसा कि छठी योजना के नीति निर्धारण में निर्धारित है, प्रारम्भिक सार्वभौम शिक्षा को प्राप्त करने का लक्ष्य वर्तमान संकेतों के आधार पर अलभ्य है।

- वर्ष 1979-80 से 1985-86 वर्ष के लिए 9,110.32 लाख रु. बजट आबंटन के प्रति मंत्रालय ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं आदि को 7,768.86 लाख रु. तक की निधियां जारी की।

- 1979-80 से 1985-86 की अवधि के दौरान सहायक अनुदान की संकलित राशि 209.27 लाख रु. निर्धारित प्रतिमान से अधिक संस्वीकृत की गयी थी।
- 1979-80 से 1985-86 वर्षों के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े 9 राज्यों द्वारा 1.70 लाख सामान्य अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने तथा 56.98 लाख बच्चों को शिक्षित करने के अनुमानित लक्ष्य के प्रति 36.79 लाख बच्चों को शिक्षित करने हेतु 1.29 लाख केन्द्र खोले जा सके, जिसके फलस्वरूप 0.41 लाख केन्द्र तथा इन केन्द्रों में 20.04 लाख बच्चों की कमी हुई।
- राज्य सरकारों द्वारा प्रशिक्षकों को अधिक से अधिक 4 सप्ताह का प्रशिक्षण/दिग्विन्यास दिया जाना था। परन्तु कार्यक्रम का यह संघटक पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं हुआ था।
- प्रशिक्षकों को पारिश्रमिक देने सम्बन्धी प्रतिमानों का पालन नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप उनको कम भुगतान तथा भुगतानों में विलम्ब सूचित हुआ था।
- मानकों के अनुसार प्रयाप्त प्रशिक्षण/ज्ञानकारी सामग्री आपूर्ति नहीं की गयी थी तथा कुछ मामलों में आपूर्ति बहुत विलम्ब से की गयी थी।
- प्रशिक्षकों की अनिच्छा या अप्रयाप्त विद्यार्थियों के होने के कारण बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल के राज्यों में कई केन्द्र बन्द अथवा अपसर्जित कर दिये गये थे।
- केन्द्रों का प्रयाप्त प्रयवेक्षण नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रों के कार्यकलाप के बारे में सही सूचना उपलब्ध नहीं थी।
- केन्द्रीय अथवा राज्य स्तर पर कार्यक्रम के अनश्रवण के लिये सही प्रणाली नहीं अपनायी गयी थी तथा मंत्रालय ने स्वीकार किया कि राज्यों से सूचना इकट्ठी करने का तरीका ठीक नहीं था।
- अनौपचारिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत केवल लड़कियों के लिए ही केन्द्र खोलना एक विशेष मोरचा था जिसके लिए केन्द्र सरकार ने 9 राज्यों को 595.83 लाख रु. के सहायक अनुदान दिये थे तथापि, इन राज्यों ने अपने पास 208.49 लाख रु. के अव्ययित शेष को छोड़ते हुए 387.34 लाख रु. का खर्चा सूचित किया। जम्मू और कश्मीर में किया गया लड़कियों का नामांकन कभी नहीं बताया गया। उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश में केवल एकमात्र लड़कियों के लिए स्थापित केन्द्रों में लड़कों को भी नामांकित किया गया पाया गया था।

- 70 स्वयं सेवी संगठनों तथा अकादमी संस्थानों को अनौ.शि.यो. केन्द्रों की स्थापना तथा नवीनतम परियोजनायें लेने के लिए 66.72 लाख रु. की अनुदान जारी की गई थी। 70 संस्थाओं में से 28 संस्थाओं के रिकार्ड की नमूना जांच से पता चला कि 13 संस्थाओं से 5.11 लाख रु. राशि के अनुदान के उपयोग प्रमाणपत्र तथा लेखापरीक्षित लेखों के विवरण प्रतिक्रित थे।
- भारत के राज्य व्यापार निगम के द्वारा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय वस्तु सहायता (एस.आई.डी.ए. पेपर) के मामले में आपूर्ति 1,319.85 लाख रु. की लागत के 14,039 मीटरी टन कागज के वास्तविक उपयोग के सम्बन्ध में कोई निगरानी नहीं रखी गयी थी। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों तथा रा.शौ.अनु.प्र.प. द्वारा प्राप्त 13,293.019 मीटरी टन कुल कागज में से केवल 3832.172 मीटरी टन कागज (28.9 प्रतिशत) की इस उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया गया था। लगभग 5656.077 मी.ट. कागज (42.6 प्रतिशत) अन्य कार्यों के लिए स्थानान्तरित किया गया था, जबकि लगभग 3660.847 मी.ट. (27.5 प्रतिशत) उनके पास स्टॉक में पड़ा हुआ था। लगभग 138.500 मी.ट. पारगमन में गुम/नष्ट हो गया था।
- 9 राज्यों में महिला अध्यापिकाओं की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण के लिए मंत्रालय ने कुल 581.80 लाख रु. की अनुदान जारी की जिसके प्रति केवल 244.12 लाख रु. (41.9 प्रतिशत) का ही खर्च हुआ सूचित किया गया था।
- 1983-84 और 1984-85 के दौरान 1,286.50 लाख रु. की जारी की गई राशि के प्रति पांच राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा उनको जारी किये गये 68.25 लाख रु. में कोई संस्वीकृत नहीं किया था। 31 मार्च 1986 तक जारी किये गये 1211.00 लाख रु. में से वास्तविक उपयोग 326.77 लाख रु. सूचित किया गया था जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने (7.25 लाख रु.) उपयोग की कोई प्रगति सूचित नहीं की।
- 181.23 लाख रु. उन वस्तुओं पर खर्च किया गया सूचित किया गया था जो कि प्रोत्साहन/पुरस्कार योजना के अन्तर्गत नहीं आते थे।

अनुबन्ध-I

प्रोत्साहन/पुरस्कार योजना के अंतर्गत केन्द्रीय विमोचन एवं वास्तविक उपयोग के विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	केन्द्र द्वारा निर्मुक्त			राज्यों/सं.शा. क्षेत्रों द्वारा उपयोग हेतु स्वीकृत राशि	उपयोग में लाई गयी सूचित राशि	अप्रयुक्त रही शेष राशि
		1983-84	1984-85	जोड़			
1	2	3	4	5	6	7	8
(रुपये लाखों में)							
1.	आन्ध्र प्रदेश	13.75	14.50	28.25	—	—	28.25
2.	असम	5.00	—	5.00	5.00	—	5.00
3.	बिहार	—	29.00	29.00	—	—	29.00
4.	गुजरात	9.75	13.75	23.50	23.50	—	23.50
5.	हरियाणा	5.50	7.50	13.00	13.00	10.50	2.50
6.	हिमाचल प्रदेश	5.50	7.50	13.00	13.00	4.67	8.33
7.	जम्मू और कश्मीर	—	7.25	7.25	उ.न.	उ.न.	उ.न.
8.	कर्नाटक	5.50	11.75	17.25	17.25	—	17.25
9.	केरल	157.00	8.25	165.25	157.00	125.72	39.53
10.	मध्य प्रदेश	82.25	56.25	138.50	138.50	—	138.50
11.	महाराष्ट्र	98.75	67.00	165.75	165.50	94.45	71.30
12.	मेघालय	—	3.50	3.50	—	—	3.50
13.	नागालैंड	—	53.50	53.50	53.50	53.15	0.35
14.	पंजाब	106.50	7.50	114.00	106.50	2.63	111.37
15.	उड़ीसा	14.25	40.25	54.50	39.25	—	54.50
16.	राजस्थान	44.75	139.25	184.00	184.00	24.06	159.94
17.	तमिल नाडू	11.25	12.25	23.50	11.25	0.95	22.55
18.	त्रिपुरा	2.25	3.75	6.00	—	—	6.00
19.	उत्तर प्रदेश	41.75	28.25	70.00	41.75	—	70.00
20.	पश्चिमी बंगाल	10.00	111.25	121.25	121.25	—	121.25
21.	अन्डमान निकोबार द्वीप समूह	1.00	3.50	4.50	4.50	4.50	—
22.	अरुणाचल प्रदेश	—	31.00	31.00	31.00	—	31.00
23.	चंडीगढ़	1.25	3.25	4.50	4.50	2.50	2.00
24.	दादरा और नागर हवेली	0.75	0.75	1.50	—	—	1.50
25.	गोवा, दमन और दीव	—	4.25	4.25	4.25	0.52	3.73
26.	मिजोरम	2.25	—	2.25	2.25	2.25	—
27.	पाँडिचेरी	2.00	0.50	2.50	0.90	0.87	1.63
जोड़		621.00	665.50	1286.50	1137.65	326.77	952.48

अनुबन्ध-II

प्रोत्साहन/पुरस्कार के प्रयोजनों हेतु उपयोग किये गये विवरण

	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	राशि (लाख रुपयों में)	मद/कार्यक्रम जिन पर निर्धियां खर्च की गई थीं
1.	2.	3.	4.
1.	हरियाणा	2.50	आकाशवाणी से अनौपचारिक शिक्षा की योजना के प्रसारण पर
2.	नागालैण्ड 7 जिले और 3 उपखण्ड	3.53	निम्न प्राथमिक विद्यालयों के लिये फर्नीचर की खरीद। स्टॉक में नहीं ली गई न ही वितरण उपलब्ध है।
		1.00	फर्नीचर की मदें विभिन्न जिलों के 40 हाई स्कूलों में संवितरण के लिये गृह विज्ञान सामग्री स्कूलवार वितरण दशानि के लिये पूरे रिकार्ड नहीं रखे गये।
3.	पंजाब		
	लुधियाना जिला	0.70	स्कूल फर्नीचर की खरीद
	जालन्धर जिला	0.18	स्कूल डेस्कें की खरीद
4.	राजस्थान	0.03	300 स्टॉक रजिस्ट्रों की खरीद।
	सीकर जिला	0.14	निर्देशन सम्बन्धी और कहानी की किताबों की खरीद।
	जिलों के नाम नहीं दिए गए	26.00	प्राथमिक स्कूल के भवनों के निर्माण के लिए प्रशासनिक खर्च पर एक पृथक योजना जैसे "ग्रामीण भूमिहीन रोजगार आस्वासन कार्यक्रम के अन्तर्गत"
	जिलों के नाम नहीं लिखे बताये	20.00	पंचायत समिति के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के लिये 200 कमरों के निर्माण हेतु।
	अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र निदेशालय	1.00	अनौपचारिक शिक्षा के संयुक्त निदेशक द्वारा प्रयोग में लाने के लिये एक डीजल जीप की खरीद।
	अलवर जिला	0.20	} निर्देशन सम्बन्धी और कहानी की किताबों की खरीद।
	बीकानेर जिला	0.41	
	जयपुर जिला	0.48	
5.	केरल	124.81	लडकों के लिये 12 विद्यालयों में और मिले जुले विद्यार्थियों के लिए 1771 विद्यालयों में, मूत्रालयों का निर्माण
6.	पश्चिमी बंगाल पूर्विया जिला	0.25	एक हाई स्कूल के भवन की मरम्मत के लिये।
	कुल	181.23	

38. 15-35 आयु वर्ग के लिए प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम

(प्रौढ निरक्षरता निवारण)

38.1. प्रस्तावना

38.1.1 राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम (रा.प्रौ.शि.का.) 2 अक्टूबर 1978 को देश में समस्त 15-35 वर्षों की आयु वर्ग के अशिरीतों को 1983-84 तक शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से चलाया गया था ताकि वे बुनियादी शिक्षा कौशल प्राप्त करने, अपने व्यवसायिक कौशल को बढ़ाने के लिये समय का अधिक सदुपयोग करने तथा अपने सामाजिक बोध के स्तर को उठाने में समर्थ हों। कार्यक्रम मुख्यतया: ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित था जिसमें औरतों, अनुसूचित व अनुसूचित जन जाति के लोगों को प्राथमिकता दी जानी थी, छोटी पंचवर्षीय योजना में यह कार्यक्रम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया तथा उसमें 1990 तक 100 प्रतिशत अशिक्षित प्रौढों को साक्षर बनाने पर विचार था। कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य करने वाली विभिन्न परियोजनाएं निम्न हैं:-

- ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाएं (ग्रा.का.सा.प.)
- श्रमिक विद्यापीठ
- नेहरू युवक केन्द्र
- स्वेच्छिक एजेन्सी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के माध्यम से प्रौढ शिक्षा तथा
- साक्षरता - उपरान्त तथा अनुवर्ती कार्यक्रम

कार्यक्रम (i) (ii) तथा (v) केन्द्र द्वारा प्रयोजित तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित योजना है। कार्यक्रम (iii) केन्द्र द्वारा तथा कार्यक्रम (iv) स्वेच्छिक एजेन्सियों, विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों द्वारा कार्यान्वित है।

कार्यक्रमों के तेजी से कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारें भी अपने साधनों का उपयोग निम्न कार्यक्रमों में करती हैं:-

- राज्य प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम (रा.प्रौ.शि.का) तथा
- साक्षरता-उपरान्त तथा अनुवर्ती कार्यक्रम।

38.2. संगठनात्मक ढांचा, कार्यक्रम का प्रबोधन व मूल्यांकन

38.2.1 प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम की रचना, वित्त पोषण व प्रबोधन (मोनितरिंग) के लिए शिक्षा विभाग उत्तरदायी है। सरकार को प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम के नीति-निर्धारण व कार्यान्वयन हेतु सलाह देने के लिए अगस्त, 1977 में राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गयी। सभी राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को सलाह देने के लिए

सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में राज्य स्तर पर राज्य प्रौढ शिक्षा बोर्डों तथा संचालन (स्टीयरिंग) समितियां स्थापित की जानी थी। जिला स्तरों पर जिलाधिकारी/उप-आयुक्त के अधीन जिला प्रौढ शिक्षा समितियां स्थापित की जानी थी।

कार्यक्रम की वास्तविक संचालित इकाई एक निरीक्षक के अधीन 30 शिक्षार्थियों के नामांकन सहित प्रौढ केन्द्र है। एक पर्यवेक्षक 30 केन्द्रों का काम देखता है तथा सम्बद्ध क्षेत्र में स्थित एक परियोजना के अंतर्गत 100/300 केन्द्र एक परियोजना अधिकारी के अधीन दिये जाते हैं। कार्यक्रम के सफलता पूर्वक कार्यान्वयन के लिए परियोजना अधिकारियों, पर्यवेक्षकों तथा प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण अपेक्षित था।

केन्द्र में प्रौढ शिक्षा निदेशालय द्वारा पूरे कार्यक्रम का प्रबोधन व मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित था। इसी प्रकार राज्य प्रौढ शिक्षा निदेशालयों को भी केन्द्रीय निदेशालय को कार्यक्रमों के प्रबोधन व मूल्यांकन सम्बन्धी आंकड़े भेजने अपेक्षित थे।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रौढ शिक्षा निदेशालय, शिक्षा विभाग केन्द्रीय तथा 22 राज्यों व 8 संघ शासित क्षेत्रों के प्रौढ शिक्षा निदेशालयों तथा 19 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 36 विश्व-विद्यालयों के अभिलेखों (रिकार्डों) की लेखा परीक्षा जांच परीक्षण किया गया। जो मुख्य बातें मालूम हुई वे अनुवर्ती पैरों में बताई गयी है।

38.3. समस्त वित्तीय तथा भौतिक निष्पादन

3. (क) वित्तीय परिव्यय—छठी व सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं में केन्द्रीय व राज्य क्षेत्रों के अन्तर्गत अनुमोदित परिव्यय के विवरण और उसके प्रति किये गये व्यय निम्न प्रकार थे:-

	स्वीकृत परिव्यय 1980-85	5 वार्षिक योजनाओं में स्वीकृत परिव्यय 1980-85	खर्च 1980-85	स्वीकृत वार्षिक योजना के सम्बन्ध में आधिक्य (+) कमी (-)
छठी पंचवर्षीय योजना (करोड़ रुपयों में)				
केन्द्रीय क्षेत्र	60	106.10	92.82	(-) 13.28
राज्य क्षेत्र	68	72.11	66.95	(-) 5.16
सातवीं पंचवर्षीय योजना पूर्वानुमानित				
	(1985-90)	1985-86	1985-86	
केन्द्रीय क्षेत्र	130	63.00	41.51	(-) 21.49
राज्य क्षेत्र	230	26.54	27.91	(+) 1.37
(पूर्वानुमानित)				

केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत कुल स्वीकृत परिव्यय व उनके प्रति खर्च का/योजनावार ब्यौरा निम्न प्रकार था:-

क्र	योजना का नाम	छठी योजना			सातवीं योजना	
		परिव्यय 1980-85	5 वार्षिक योजनाओं में कुल स्वीकृत परिव्यय 1980-85	व्यय 1980-85	स्वीकृत परिव्यय 1985-86	व्यय 1985-86 (पूर्वानुमानित)
(करोड़ रुपये में)						
1.	ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाएं	42.50	80.10	65.70	41.70	29.77
2.	प्रौढ शिक्षा प्रशासनिक ढांचे की मजबूती	5.50	5.80	7.05	2.00	2.68
3.	साक्षरता उपरान्त	—	—	3.83	1.50	1.73
4.	स्वैच्छक एजेंट्सों को सहायता	9.00	11.95	8.47	7.00	6.23
5.	श्रमिक विद्यापीठ	1.50	0.95	1.02	0.50	0.65
6.	प्रौढ शिक्षा निदेशालय	1.50	1.30	0.77	0.30	0.45
7.	20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रौढ शिक्षा में उत्कर्ष निष्पादन के लिए राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों को पुरस्कार	—	6.00	5.98	—	—
8.	कार्यात्मक साक्षरता की व्यापक योजना	—	—	—	10.00	—
योग		60.00	106.10	92.82	63.00	41.51

राज्य क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकृत परिव्यय व उसके प्रति खर्च का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है।

3 (ख) भौतिक निष्पादन

1978-79 में शुरू किये गये कार्यक्रम का लक्ष्य 1983-84 के अन्त तक 15-35 आयु वर्ग में 100 मिलियन निरक्षर लोगों को साक्षर बनाना था। क्योंकि वास्तविक उपलब्धियां बहुत कम थी इसलिए 1983 में नये लक्ष्य निर्धारित किये गये जब यह कल्पना की गयी कि 15-35 आयु वर्ग में समस्त निरक्षर जनसंख्या 110 मिलियन होगी, जिस को 1981-90 के दौरान साक्षर किया जायेगा। मंत्रालय ने, प्रौढ शिक्षा निदेशालयों की त्रैमासिक प्रतिवेदनों

में दिखाई गये नामांकित आंकड़े जो कि वर्ष के अन्तिम दिन होते हैं, को लक्ष्य के प्रति उपलब्धि बताया, प्रौढ शिक्षा निदेशालय ने कम उपलब्धियों की सूचना दी जो कि सम्बन्धित वर्षों में खोले गये विभिन्न केन्द्रों में नामांकित व्यक्तियों के बारे में विस्तृत सूचना पर आधारित थी। इस तरह दर्शायी गयी ये कम उपलब्धियां भी एक बनावटी तस्वीर प्रस्तुत करती थी क्योंकि इन आंकड़ों में 15-35 से कम/अधिक आयु वर्ग के शिक्षार्थी (कुल भरती के 6 से 7 प्रतिशत के आस पास संघटित) तथा बीच में बन्द हुए केन्द्रों में नामांकित शिक्षार्थी भी शामिल थे। शिक्षार्थियों को पूर्ण साक्षर बनाने सम्बन्धी आंकड़े भी सही नहीं थे जैसे कि केरल, पंजाब व मध्य प्रदेश के केन्द्रों में नामांकित 100 प्रतिशत शिक्षार्थी सफलतापूर्वक कोर्स पूरा किये माने गये तथा शिक्षार्थियों के मूल्यांकन के लिए विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में

निर्धारित मान की जगह से अलग-अलग मान अपनाये जा रहे थे।

भिन्न भिन्न दस्तावेजों में सूचित किये गये उपलब्धियों के आंकड़े निम्न तालिका में दिखाये गये हैं:-

वर्ष	साक्षर बनाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या	मंत्रालय द्वारा सूचित नामांकनों के आंकड़े	प्रौढ शिक्षा निदेशालय के वार्षिक प्रतिवेदनों के अनुसार नामांकन के आंकड़े	प्रौढ शिक्षा निदेशालय द्वारा दिसम्बर 1986 में दिये गये साक्षरों का मूल्यांकन
1.	2.	3.	4.	5.
				(दस लाखों में)
1979-80	4.5	3.64	2.90	कालम 3 में उमी अवधि के लिये 26.06 मिलियन
1980-81	9.0	2.59	2.56	अनुमान के प्रति
1981-82	18.0	3.10	3.00	1981-82 से 1985-86 के
1982-83	32.0	4.36	4.08	दौरान लगभग 16 मिलियन
1983-84	35.0	5.15	4.50	इससे कालम 4 में दर्शात
	(6.5 संशोधित)			1981-82 से 1984-85 की कम
1984-85	9.0	6.19	5.55	अवधि के लिए अनुमानित
1985-86	11.5	7.26	उपलब्ध नहीं	17.13 मिलियन से विरोधा-भाप हो सकता था।
		(अनन्तम)		

इस प्रकार यह देखा गया कि जो लक्ष्य नियत किये गये थे वे कहीं अधिक आशावादी निकले तथा जबकि प्रौढ शिक्षा निदेशालय द्वारा दिसम्बर 1986 में दिये गये अनुमान से कि 1-10 मिलियन प्रौढ निरक्षरों में से केवल 16 मिलियन प्रौढ निरक्षरों को ही 1981-82 से 1985-86 तक साक्षर किये जाने का अनुमान है, तुलना की गई तो वर्ष दर वर्ष बताई गई उपलब्धियां बढी हुई निकली।

कार्यवाही कार्यक्रम जो कि शिक्षा की राष्ट्रीय नीति - 1986 के अन्तर्गत तैयार किया गया तथा अगस्त 1986 में संसद में पेश किया गया के अनुसार प्रौढ शिक्षा के नये राष्ट्रीय कार्यक्रम (न.रा.प्रौ.शि.का) में समयबद्ध कार्यक्रम के द्वारा 1990 तक 1982-86 के 5 मिलियन प्रतिवर्ष के अनुपात के प्रति 10 मिलियन प्रतिवर्ष का अनुपात दशाति हुए लगभग 40 मिलियन का लक्ष्य तय करना है।

38.4. ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना (ग्रा.का.सा.प.)

38.4.1 1978 में शुरू की गयी ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना (ग्रा.का.सा.प.) मुख्य केन्द्रीय प्रायोषित योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक केन्द्र में 30 निरक्षर प्रौढों के नामांकन सहित राज्यों के सम्बन्ध में 300 केन्द्रों व कुछ संघ शासित क्षेत्रों व कुछ राज्यों के पर्वतीय तथा दुर्गम क्षेत्रों में 100 केन्द्रों सहित प्रौढ शिक्षा परियोजना की स्थापना करना है।

परियोजना में देश के सभी जिलों में कम से कम एक प्रौढ शिक्षा परियोजना स्थापित करने का लक्ष्य है। प्रत्येक केन्द्र को कम से कम 10 माह काम करना अपेक्षित है। शत प्रतिशत आधार पर स्वीकृत वित्तीय प्रतिमान के अनुसार राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को निधियां मुहैया की गयी। प्रत्येक केन्द्र की आवर्ती लागत को 1,735.00 रु. से 2,851.00 रु. तथा प्रत्येक शिक्षार्थी की राशि को 57.80 रु. से 95.00 रु. प्रति वर्ष बढाते हुए वित्तीय प्रतिमान। एक फरवरी 1984 से संशोधित किया गया संस्वीकृति एवं रिपोर्ट देने वाली परियोजनाएं, प्रौढ शिक्षा केन्द्र तथा प्रत्येक वर्ष के अन्त में नामांकन की स्थिति निम्न प्रकार थी:-

वर्ष	स्वीकृत परियोजनाएं	रिपोर्ट देने वाली परियोजनाओं की संख्या	केन्द्र	नामांकन
				(लाखों में)
1980-81	243	209	0.46	13.01
1981-82	241	227	0.55	15.67
1982-83	316	277	0.72	21.84
1983-84	386	332	0.85	25.08
1984-85	513	381	1.06	32.48
1985-86	513	439	1.11	33.45
				(अनन्तम)

दी गयी अनुदान, अप्रयुक्त बची हुई व आगामी वर्षों में ले जाने को अनुमत राशि का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार था:-

वर्ष	कुल अनुदान (पिछले वर्ष से आने लायी गयी राशि सहित)	खर्च न की गयी और आगामी वर्ष में ले जाने को अनुमत अनुदान की राशि	अप्रयुक्त अनुदान की प्रतिशत
	(लाख रुपयों में)		
1979-80	1087.11	517.55	48
1980-81	1051.85	319.44	30
1981-82	1122.65	92.90	8
1982-83	1406.58	149.50	11
1983-84	1888.49	407.80	22
1984-85	3127.79	905.22	29
1985-86	4000.49	877.96	22
	13,684.96	3270.37	24

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 1986) कि संशोधित वित्तीय मान का समय समय पर लागू करने तथा केन्द्रों के देर से खुलने के कारण बचत हुई थी।

38.5. समितियों का संगठन

38.5.1 कार्यक्रम के नियतकालीन मूल्यांकन तथा नीति संबंधी सुझाव देने के लिए ग्रा.का.सा.प. ने राज्य प्रौढ शिक्षा मण्डल की स्थापना का प्रयोजन था। योजनायें बनाने, विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों व विकासों के अथ क्षेत्रों में समन्वयन प्राप्त करने तथा कार्यान्वयन से सम्बन्धित नियतकालीन प्रतिवेदनों को प्राप्त करने के लिए संचालन समितियों की भी स्थापना की जानी थी। इसी प्रकार, जिला धीशा/उप-आयुक्त के नियंत्रण में बिना प्रौढ शिक्षा समितियों का गठन किया जाना था। नमूना जाँच के दौरान निम्नलिखित बातें मालूम हुई:-

समितियों की श्रेणी	संगठित नहीं की गई	देर से गठित की गयी/फिर से गठित की गयी	अनियमित/अनुचित बैठकें
राज्य मण्डल	गोवा, दमन व दीव	गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान व पांडिचेरी	आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, अण्डमान, निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम व पांडिचेरी
संचालन समितियाँ	चण्डीगढ़ व हरियाणा	आन्ध्र प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश व सिक्किम	आन्ध्र प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह तथा अरुणाचल प्रदेश
जिला प्रौढ शिक्षा समिति	मध्य प्रदेश, पंजाब व राजस्थान	हरियाणा, जम्मू व कश्मीर कर्नाटक, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश व पश्चिमी बंगाल	आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, त्रिपुरा व अरुणाचल प्रदेश

बोर्ड/समितियों की अनियमित बैठकों के लिए मय प्रशासनिक असुविधायें, शिक्षा पत्राधान में जल्दी-2 बदलाव व बैठकों को जब कभी आवश्यक समझा गया करने आदि कारण दिये गये थे।

38.6. केन्द्रों का कार्यकलाप

(क) केन्द्रों का असामयिक बन्द होना

जैसा कि नीचे दिखाया गया है कि कई केन्द्र 10 महीने की अवधि पूरी करने से पहले ही छोड़/बन्द कर दिये गये।

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	वर्ष	पाठ्यक्रम को पूरा करने से पहले बन्द हूये केन्द्रों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश (9 सा.का.स.प. तथा 2 रा.प्री.शि.प.)	1978-79 से 1983-84	903
2.	असम (सा.का.स.प. तथा रा.प्री.शि.प.)	1980-81 से 1984-85	369
3.	गुजरात (5 जिले)	1979-80 से 1984-85	421
4.	हिमाचल प्रदेश (2 जिले)	1982-83 से 1984-85	53
5.	केरल (स्वैच्छिक एजेन्सियां)	1978-79	54
6.	महाराष्ट्र (सा.का.स.प. तथा रा.प्री.शि.प.)	1980-81 से 1984-85	257
7.	मेघालय	1980-81 से 1984-85	1450
8.	नागलैण्ड	1979-80 से 1985-86	43
9.	पंजाब (3 जिले)	1981-82 से 1985-86	256
10.	उत्तर प्रदेश	1980-81 से 1984-85	579
11.	पश्चिमी बंगाल (15 में से 6 जिले)	1980-81 से 1983-84	686
12.	अरुणाचल प्रदेश (सा.का.सा.प. व रा.प्री.शि.प.)	1979-80 से 1984-85	333
13.	चण्डीगढ़ (सा.का.सा.प. तथा रा.प्री.शि.प.)	1978-79 से 1984-85 तक	372
14.	गोवा, दमन व दीव (रा.प्री.शि.प. 13 में से 7 तालुकारों)	1982-83 से 1984-85	91
15.	पाँडिचेरी	1980-81 से 1983-84	194

केन्द्रों के समय से पहले बन्द होने के लिये दिये गये कारणों में अन्य बातों के साथ-2 कम उपस्थिति, प्रशिक्षकों का नौकरी छोड़ना, मजदूरों का स्थानान्तरण, व्यक्तिगत कारणों नौकरी पदों का न भरा जाना आदि सम्मिलित है।

(ब) उपस्थिति

परियोजनाओं/केन्द्रों के अभिलेखों की नमूना जांच से मालूम हुआ कि राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में उपस्थिति पंजीकार्य विहित फार्म में नहीं रखी

गयी थी। इस विषय में हिदायतों के विरुद्ध जाँच कर्ता अधिकारियों की टिप्पणियों, प्रत्यक्ष सत्यापन करने आदि उनमें अंकित नहीं किये गये थे। उपस्थिति पंजिकाओं में भी प्रविष्टियाँ बहुधा गलत थी। गुजरात (पंचमहल जिला)महाराष्ट्र (पूर्ण जिला) उड़ीसा व उत्तर प्रदेश (210 केन्द्रों में से 63 केन्द्र) में कुल दिनों की संख्या जिस पर उपस्थिति अंकित की थी उन विशेष माह में कुल दिनों की संख्या से अधिक थी। उड़ीसा व महाराष्ट्र में कुछ केन्द्रों में रविवार व अवकाश के दिनों भी उपस्थिति अंकित की हुई पायी गई भारत सरकार शिक्षा विभाग ने यह स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश में उपस्थिति पंजिकाओं में जाली प्रविष्टियों अंकित करने/काम में लापरवाही की शिकायतें थी तथा दोषी पाये गये 1400 शिक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी थी।

(ग) सामग्री व आपूर्ति :-

परियोजना के वित्तीय मापदण्ड में अन्य बातों के साथ-साथ, पढ़ने सीखने वाली सामग्री की बाहरी कीमत के, (प्राइमर, कार्यपुस्तकें, स्लेटें, अभ्यास पुस्तकें, पेन्सिलें आदि) पठन सामग्री (शिक्षक गाइड्स, चार्टें, शिक्षक सहायता आदि) परिश्रमिक/यात्रा भत्ता/प्रवेक्षक शिक्षक को दिया जाने वाला मानदेय, लपेटे जाने वाले बोर्ड जलने वाले उपकरण, मिट्टी का तेल/बिजली व अन्य आकस्मिक व्यय के लिये प्रावधान केन्द्रों की वास्तविक स्थापना से पहले, सीखने/पढ़ने वाले सामग्री उपकरणों आदि की उचित आपूर्तियाँ करने की जरूरत थी।

नमूना जाँच से मालूम हुआ कि अधिकांश राज्यों में लेखन व पठन सामग्रियों की आपूर्ति में से न केवल विलम्ब था बल्कि अप्रयाप्त मात्रा में थी। श्यामपट्टो, बिजली उपकरणों, शिक्षक सहायतायें व अन्य प्रत्यक्ष सुविधाओं की आपूर्ति असन्तोषजनक थी।

- (i) आपूर्ति में विलम्ब 16 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों (आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम) में पढ़ने वाली सामग्रियों की आपूर्ति में 1 माह से 10 माह तक का विलम्ब।
- (ii) सामग्री खरीदी गयी परन्तु आपूर्ति नहीं की गई :-
निम्नलिखित मामलों में सामग्री, उपकरण आदि खरीदे गये परन्तु जारी नहीं किये गये:-

राज्य का नाम	खरीद का वर्ष	विवरण
राजस्थान (सीकर)	1982-83	सामग्री व उपकरण (1.19 लाख रु.)
त्रिपुरा (दक्षिणी जिला)	फरवरी 1979	2000 स्लेटें
चण्डीगढ़	1979-81 तथा आगे	शिक्षक गाइडें, अध्यापन चार्टस/सेटस के कुछ प्रकार

सामग्रियों के अपर्याप्त/विलम्बित आपूर्ति अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण बताई जाती हैं, जैसे संचार कठिनाइयाँ, अपर्याप्त निधियों, तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त करने में विलम्ब, छपाई कागजों आदि की अनुपलब्धता/विलम्बित/कम आपूर्ति आदि।

- (iii) जीपों का प्रयोग :- योजना 300 केन्द्रों की एक परियोजना के लिये जीपों की व्यवस्था का विचार करती हैं, ताकि प्रोग्राम के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके तथापि कुछ राज्यों में विभिन्न केन्द्र तथा राज्य परियोजनाओं के नमूना जाँच से निम्न बातें ज्ञात हुईं

हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश (8 जिलों में से 2) में अनाधिकृत उद्देश्यों के लिये वाहनों का प्रयोग क्रमशः लगभग 98.33 प्रतिशत (अप्रैल 1980 से अप्रैल 1985), 50 प्रतिशत (1978-79 से 1984-85) तथा 33 प्रतिशत (1984-85) था। असम व राजस्थान में भी जीपे अनाधिकृत उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाई गयी थी,

उत्तर प्रदेश में 14 केन्द्रीय व राज्य परियोजनाओं के लिये जीपें प्रदान नहीं की गयी थी, इसके अतिरिक्त अक्टूबर 1983 और जुलाई में 1984 में क्रमशः सौबर (अल्मोड़ा) व रुद्रपुर (नैनीताल) से दो जीपें चुराये जाने की सूचना दी गई थी। रुद्रपुर जीप को उसके आपूर्ति वाले दिन ही चुरा लिया गया था एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस में दी गयी जिन्होंने वाहन को अननुमार्गणीय घोषित करके मामला बन्द कर दिया, विभागीय जाँच हो चुकी थी तथा मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

38.7 प्रशिक्षण

राष्ट्रीय स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय द्वारा पदाधिकारियों जैसे निदेशकों, संयुक्त निदेशकों तथा जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय उन परियोजना अधिकारियों तथा राज्यों के पर्यवेक्षकों जो राज्य संसाधन केन्द्रों के अन्तर्गत नहीं आते के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था करती हैं। अन्य मामलों में, राज्य संसाधन केन्द्रों ने परियोजना तथा ब्लाक स्तर पदाधिकारियों तथा निरीक्षकों के लिए प्रशिक्षण प्रोग्राम में मिलकर काम किया। प्रौढ़ शिक्षा के शिक्षकों के प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व एजेन्सी पर है जो क्षेत्रीय स्तर पर प्रोग्रामों को कार्यान्वयन के लिये जिम्मेदार है। कार्यक्रम 21 दिनों का प्रशिक्षण परियोजना अधिकारियों को, 15 दिनों का प्रशिक्षण सहायक परियोजना अधिकारी थे। निरीक्षकों को तथा 21 दिनों का प्रशिक्षण शिक्षकों को प्रदान किया गया।

पदाधिकारियों के प्रशिक्षण की स्थिति निम्न प्रकार थी:-

कोई प्रशिक्षण नहीं	पदाधिकारियों के कम संख्या के प्रशिक्षण	निर्धारित कम अर्द्ध के लिये प्रशिक्षण
पंजाब (1980-85) दादर व नागर हवेली (1978-84)	हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, दादर व नागर हेवेली, गोवा, दमन व द्वीप, मिजोरम, तथा पांडिचेरी	आन्ध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम

कुछ राज्यों के बारे में 1979-80 के उपरान्त प्रशिक्षकों, पर्यवेक्षकों तथा परियोजना अधिकारियों को सम्मिलित किये गये प्रशिक्षण की स्थिति अनुबन्ध-11 में दी गयी है।

38.8 प्रशिक्षकों व पर्यवेक्षकों को भुगतान

(क) प्रशिक्षकों को मानदेय की अदायगी:

योजना के वित्तीय प्रतिमान में प्रशिक्षकों को एक साल में 10 माह के लिये 50 रु. प्रतिमाह की दर से मानदेय का नियमित भुगतान के लिये प्रदान करते हैं जो कि पहली फरवरी 1984 से 12 माह के लिए 100 रु० प्रति माह तक बढ़ा दिया गया।

कुछ परियोजनाओं के अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि मानदेय का भुगतान सही दरों से नहीं किया गया तथा मानदेय की राशि को निकालने व भुगतान करने में नीचे दिखाई गई विलम्ब तथा अनियमिततायें थी:-

देरी से भुगतान	अधिक भुगतान
आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, नागालैण्ड, राजस्थान, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह तथा अरुणाचल प्रदेश	पंजाब (1980-84) रु. 23.13 लाख रु. मणिपुर रु. 1.16 लाख रु.

विलम्ब के लिये कारण या तो बताये नहीं गये थे विलम्ब शिक्षकों द्वारा विवरणियों प्रविचेदनों का अप्रस्तुतीकरण संस्वीकृति की प्राप्ति/धनराशि जारी करने में देरी की वजह से था।

उड़ीसा में, राज्य निदेशालय में मानदेय के भुगतान के लिए निधियां (0.73 लाख रु.) जारी की। केन्द्रों के बन्द होने के बाद भी जिसे परियोजना अधिकारी ने इन निधियों को 1983-85 के दौरान सामान्य स्वीकृत व्यय के अतिरिक्त वाहनों के अधिक मरम्मत, टायर/ट्यूब/पेट्रोल, डीजल व लेखन सामग्री की खरीद पर उपयोग किया।

चण्डीगढ़ में 5.42 लाख रु. के मानदेय की अदायगी 1979-80 से 1984-85 के दौरान पर्यवेक्षकों से प्राप्त सूचियों के आधार पर किये थे जिसमें उन्होंने केन्द्रों को अपने निरीक्षण के दौरान प्रशिक्षकों की उपस्थिति को प्रमाणित किया था। वर्ष 1983-84 व 1984-85 वर्षों में पर्यवेक्षकों ने केवल अगस्त से दिसम्बर तक ही केन्द्रों का दौरा किया। संघ शासित प्रशासन का दावा था कि मानदेय का भुगतान सही रूप से उपनिदेशक प्रौढ शिक्षा द्वारा केन्द्रों के नमूना जाँच के आधार पर किया गया।

ग्रामीण कार्यात्मक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत फरवरी 1984 से वित्तीय सहायता के संसोधित प्रतिमान को महाराष्ट्र ने विलम्ब से (1985-86 से) कार्यान्वयन किया जबकि मध्य प्रदेश ने संसोधित प्रतिमान का अनुसरण नहीं किया (जुलाई 1986) फरवरी 1, 1984 से संसोधित मापदण्डों के अन्तर्गत फरवरी 1984 से बढ़े हुये दरों से मानदेय शिक्षकों को आन्ध्र प्रदेश (करीम नगर नवम्बर 1984 तक), हिमाचल प्रदेश (शिमला, विलासपुर, कांगड़ा, मण्डी नवम्बर 1984 तक पंजाब (1985-86 तक) राजस्थान (बेवार-जनवरी 1985 तक) जयपुर (मार्च 1985 तक) में भुगतान नहीं हुआ था।

(ख) पर्यवेक्षकों को पारिश्रमिक का भुगतान :-

आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, मिजोरम, तथा अरुणाचल प्रदेश में पर्यवेक्षकों के लिये 500 रुपये प्रतिमाह के प्रति पर्यवेक्षकों को नियमित वेतन मंजूर किया गया जिसके परिणामस्वरूप 13.88 लाख रु. का अधिक भुगतान क्रमशः 1982-85 तथा 1981-86 के वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में (4.94 लाख रु.) तथा पंजाब में (8.94 लाख रु.) किया गया।

(ग) वित्तीय अनियमिततायें :-

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के अभिलेखों की नमूना जाँच से मालूम हुआ कि बड़ी राशियाँ अग्रिम या अन्य रूप में निकाली गयी तथा उसे बैंकों में मांग जमा के रूप में चालू खातों में रखा गया ताकि बजट प्रावधानों के व्ययगमन को टाला जा सके जैसा कि ब्यौरा नीचे दिया हुआ है:-

राज्य	सरकारी खाते से अलग रखी गयी राशि
बिहार (21 परियोजनायें)	38.36 लाख रु, 31 मार्च 1985 को 27.05 लाख रु. 1980-85 की अर्द्ध के लिये
तमिलनाडु	75.33 लाख रु. 31 मार्च 1986 को

मेघालय में, राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा अनुदानों को संस्वीकृत किया गया तथा आगामी वर्ष में व्यय करने के लिये, वित्तीय वर्ष के अन्त में आदान तथा सवितरण अधिकारी द्वारा निकाली गयी। 3 जिलों में 1984-85 की संस्वीकृति के प्रति मार्च 1985 में 17.99 लाख रु. निकाले गये जो वित्त वर्ष के अन्त में भी ऊपर की राशि के अतिरिक्त अप्रयुक्त रहे।

उपरोक्त राशि के अतिरिक्त 1.53 लाख रु. की राशि 1980-81 से 1983-84 के दौरान निकाली गयी जो कि मार्च 1985 के अन्त तक अप्रयुक्त तथा अर्सावितरित रही। जरूरतों से अधिक धन राशि की निकासी न केवल अनियमित थी बल्कि निधियों के उपयोग की फर्जी तस्वीर भी प्रदर्शित करती थी।

हरियाणा (3 जिलों) में 1979-80 से 1984 तक 36.74 लाख रु. की कुल राशि प्रत्येक वर्ष मार्च महीने में निकाली गयी जिसमें से केवल 14.51 लाख रु. निकाले गये माहों में वास्तव में उपयोग की गयी थी।

आन्ध्र प्रदेश में, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय ने किताबें छपवाने के लिए 9.12 लाख रु. (मार्च 1982) तथा 9.90 लाख रु. (मार्च 1983) में एक पंजीकृत समिति की व्यवस्था पर सौंप दिये, समिति बंद हो गयी तथा सरकार ने तेलार अकादमी (दूसरी पंजीकृत समिति) को ऊपर बताई गई 19.02 लाख रु. राशि के हस्तांतरण का आदेश दिया (दिसम्बर 1983) तथा प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय को किताबें व्यक्तिगत छापेखाने, जोकि अकादमी के अनुमोदित सूची में था, से छपवाने की अनुमति दी। अकादमी ने छापेखाने को 3.36 लाख रु. (जून 1984) का भुगतान किया तथा 15.66 लाख रु. की शेष राशि अपने पास रखते हुये। इसके अतिरिक्त 20.20 लाख रु. (मार्च 1985) अकादमी के पास फिर से जमा करा दिये गये।

गुजरात में, परियोजनायें जिलों में पंचायतों, नगर पालिकाओं तथा नगर निगमों द्वारा कार्यान्वित की जा रही थी। नमूना जाँच से पता चला कि कार्यान्वयन एजेन्सियों को सौंपी गई 152.27 लाख रुपये के कुल अनुदानों में से 30.3 लाख रु. की बचत थी जो समायोजित/वापस नहीं की गई थी।

38.9 प्रबोधन

38.9.1 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के सभी प्रशिक्षणकों को परियोजना अधिकारी के पास प्रारम्भिक प्रतिवेदन (प्र.रि.) तथा मासिक प्रतिवेदन (मा.रि.) भेजनी थी। परियोजना अधिकारी परियोजना प्रारम्भिक प्रतिवेदन (प.प्र.रि.), त्रैमासिक प्राप्त प्रतिवेदन (त्रै.अ.रि.) तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (वा.उ.रि.) राज्य प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी को भेजनी अपेक्षित थी। परियोजना अधिकारी द्वारा इन प्रबोधन प्रतिवेदनों की एक एक प्रतिलिपि सम्बन्धित जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी थी, जिससे वह उसी को जिला प्रौढ़ शिक्षा कमेटी को प्रस्तुत कर दें। राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन को प्रारम्भिक राज्य प्रतिवेदन (प्रा.रा.प्र.) त्रैमासिक राज्य प्रतिवेदन (त्रै.रा.प्र.) तथा वार्षिक राज्य प्रतिवेदन (वा.रा.प्र.) प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय नई दिल्ली को भेजने अपेक्षित थे।

नमूना जाँच से पता चला कि अधिकतर राज्यों में विभिन्न स्तरों पर इन प्रतिवेदनों को भेजने में विलम्ब के अलावा विभिन्न स्तरों पर विवरणियों के नहीं/अनियमित/अधूरे/प्रस्तुत के अनेक मामले थे जैसाकि नीचे सारणी में

किया हुआ है।

भेजे नहीं गये	अधूरे भेजे गये
मेघालय (गै.प्र.प. तथा वा.प्र.प्र.)	मेघालय (प्रा.प्र.)
पंजाब (2 जिले - प्रा.प्र.) केरल (विश्वविद्यालय व स्वैच्छिक संगठन)	मध्य प्रदेश (विश्वविद्यालयी व स्वैच्छिक संगठनों)
उड़ीसा (6 परियोजनायें प्रा.प्र.)	उत्तर प्रदेश (6 से 15 प्रतिशत कम)

38.9.2 निरीक्षण और पर्यवेक्षण

एक पर्यवेक्षक को अपने अधिकार क्षेत्र के 30 केन्द्रों का एक माह में दो बार निरीक्षण करना अपेक्षित था। जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों, परियोजना अधिकारियों तथा सहायक परियोजना अधिकारियों को भी केन्द्रों का समय समय पर निरीक्षण करना अपेक्षित था।

16 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों (आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम) के केन्द्रों की नमूना जाँच करने पर पाया गया कि पर्यवेक्षकों द्वारा आवश्यकता के अनुसार निरीक्षण कार्यान्वित नहीं किये गए थे।

पर्यवेक्षण में कमी परिवहन, पर्यवेक्षकों की रिक्तियां दूरगामी क्षेत्र, काम के प्रति अरुचि आदि की कमी के कारण बताये जाते थे।

38.9.3 आंकड़ों की लेखापरीक्षा

केन्द्रों/परियोजनाओं द्वारा आपूर्ति किये गये आंकड़ों के सत्यापन के लिये आंकड़े लेखापरीक्षा की प्रणाली के आरम्भ पर विचार किया गया था। यह कार्य विशेष दलों, जो विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों या प्रत्येक जिले के अनुसंधान कार्यकर्ता द्वारा किया जाना था।

11 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों (गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, तथा चण्डीगढ़) में आंकड़े लेखापरीक्षा की प्रणाली लागू नहीं की गयी तथा अन्य राज्यों/संघ प्रदेशों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं थी।

38.10 मूल्यांकन

10 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों (कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, दादर व नागर हवेली तथा मिजोरम) में सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा योजना का मूल्यांकन नहीं किया गया।

योजना के मूल्यांकन के लिए हिमाचल प्रदेश में एक समिति गठित की गयी (जनवरी 1986) केरल में केवल ग्रा.का.सा.प. का ही मूल्यांकन किया गया (अगस्त 1986) जबकि पंजाब में ग्रा.का.सा.प. (पटियाला) के

मूल्यांकन का अध्ययन 1982-83 में किया गया तथा प्रतिवेदन मुद्रण में था (जुलाई 1986)।

असम, बिहार, गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा चण्डीगढ़ की मूल्यांकन प्रतिवेदनों में यह प्रायः देखा गया कि शिक्षण/पठन सामग्री घटिया किस्म की थी तथा उसे नहीं/कम/विलम्ब से आपूर्ति किया गया। यहां पर उचित जगह रोशनी की व्यवस्थायें स्थानीय व योग्य प्रशिक्षकों विशेषकर महिलायें, उचित पर्यवेक्षण की कमी थी। यहां पर कम उपस्थिति, उपस्थिति की गलत सूचना तथा केन्द्रों में कार्य न करना भी था।

38.11 ग्रा.क्र.सा.प. तथा रा.प्रौ.शि.प. के संबंध में अन्य रुचिकर बातें

(i) केरल में मार्च 1979 में 1.92 लाख रु. की कीमत का आडियो दृश्य उपकरण खरीदे तथा 11 जिला प्रौढ़ शिक्षा कार्यालयों को आपूर्ति किये गए लेकिन प्रचालकों की कमी के कारण 9 जिलों में उसका उपयोग नहीं हुआ था। तथा एक जिले में उसे केवल फरवरी 1985 से प्रयोग में लाया गया था।

(ii) बिहार में 3.11 लाख रु. की लागत से 31 फिल्म प्रोजेक्टरस (16 मि.मी.) खरीदे (अक्तूबर 1980) तथा 31 जिलों को जारी किये गये थे क्योंकि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम मुख्यतः ग्रामीण इलाकों तक सीमित था जहां बिजली नहीं थी मई 1981 में 31 जनरेटर की खरीद के लिए 2.10 लाख रु. के अग्रिम का भुगतान किया गया। इनमें से फर्म अप्रैल 1983 से दिसम्बर 1984 तक के दौरान 1.23 लाख रु. लागत के केवल 9 जनरेटर की आपूर्ति कर सकी, 0.87 लाख रु. के शेष रह गए। इन 9 जनरेटरस में से केवल 7 जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों को जारी किये गये थे। तथापि ये भी प्रचालकों तथा फिल्मों के अभाव में बेकार पड़े रहे, अतः 4.34 लाख रु. का सम्पूर्ण व्यय निष्फल रहा।

इसी प्रकार अगस्त 1981 में 1.72 लाख रु. की लागत से 600 ट्रांजिस्टर खरीदे तथा 4 जिलों में 4 परियोजनाओं को भेजे थे ताकि 600 केन्द्रों में आकाशवाणी से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम सुने जा सके। 450 सैटों में से केवल 107 सैट 3 परियोजनाओं को जारी किये गये तथा बही केन्द्रों को बन्द होने पर वापस ले लिए गये। परियोजनाओं के एक स्टोर से 34 सैटस चोरी हुये बताये गये थे।

(iii) हरियाणा में तीन जिलों (0.41 लाख रु.), जम्मू व कश्मीर के 5 परियोजनाओं (1.42 लाख रु.) उड़ीसा में 5 परियोजनाओं (0.97 लाख रु.) तथा त्रिपुरा (7.34 लाख रु.) में क्रमशः 1982-83 से 1984-85, 1978-79 से 1983-84, 1978-79 से 1983-84 तथा 1978-79 से 1984-85 के दौरान 10.14 लाख रु. लागत के कुछ मर्दों के खरीद पर व्यय, जोकि वित्तीय प्रतिमान के अन्तर्गत अनुज्ञेय नहीं था, खर्च किया गया था। मर्दों में प्रोजेक्टरस, सिलाई मशीनें, सांख्यिकी फार्मों का छपवाना, खेल के सामान की खरीद जूट की चटाइयां, व्यवसायिक प्रशिक्षण

सामग्री, कर्मचारियों को अनुग्रहपूर्व अदायगी आदि सम्मिलित थे।

(iv) केन्द्रों को आपूर्ति की हुई लालटेनें अनुपयोग वस्तुयें हैं तथा 10 माह की अवधि समाप्त पर केन्द्र के बन्द होने के बाद वे अन्य केन्द्रों पर फिर से प्रयोग की जानी हैं, उड़ीसा में, 1979-80 से 1985-86 के दौरान 9.91 लाख रु. लागत की 66747 लालटेनें केन्द्रों को जारी की गयी फिर से वापस नहीं ली गई थी।

(v) सिक्किम में बहुरंगी वर्णमाला दीवार चार्टस तथा क्षेत्रीय भाषाओं में प्राइमर बनाम कार्य पुस्तिका विहित दरों से अधिक बातचीत द्वारा तय की गई दरों पर छपवाये थे जिसके परिणामस्वरूप 4.56 लाख रु. का परिहार्य व्यय हुआ।

(vi) मणिपुर में, 33 पर्यवेक्षकों की जरूरत के प्रति 62 पर्यवेक्षक तैनात थे। यह देखा गया कि अधिकतर मामलों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति नियमित आधार पर की गयी, फलस्वरूप चाहे केन्द्र खुले या न खुले पर्यवेक्षकों ने अपनी सेवायें जारी रखीं। यह फिर से जाना गया कि पुराने केन्द्रों के बन्द होते ही समस्त नये केन्द्र साथ-साथ नहीं खुले थे। 1983-84 में नये केन्द्रों के खुलने में विलम्ब एक माह से 10 माह तक का था। इसके परिणामस्वरूप 33 पर्यवेक्षक 4 माह से 12 माह अवधि के लिए बेकार रहे। 6 दिनों के लिये 1094 शिक्षकों का प्रशिक्षण 1983-84 में व्यवस्थित किया गया था, जिस पर 0.59 लाख रु. की अनुज्ञेय राशि के प्रति 0.94 लाख रु. का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप 0.35 लाख रु. अधिक व्यय हुआ।

(vii) मिजोरम में, 1982-83 से 1984-85 के दौरान शिक्षा निदेशक ने 1.87 लाख रु. की राशि फर्म द्वारा प्रस्तुत प्रोफार्मा बिल के आधार पर निकाली 2.00 रु. प्रति लीटर की दर से 93,500 लीटर मिट्टी का तेल की लागत थी। मिट्टी तेल की प्राप्ति के लिये आवश्यक स्टॉक प्रमाणपत्र अभिलिखित था। तथापि यह पाया गया कि जिस फर्म में प्रोफार्मा बिल प्राप्त हुए थे, मिट्टी का तेल नहीं खरीदा गया था। इस प्रयोजन के लिए आहरण की गई राशि, केन्द्रों में मिट्टी का तेल खरीदने हेतु संचितरण के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के प्रवेक्षी कर्मचारियों को दी गई थी। फर्म से प्रोफार्मा बिल आवश्यकता के प्रत्याक्षा में धन की निकामी तथा जब भी जरूरत हो मिट्टी के तेल की नगद खरीद को मुगम बनाने हेतु प्राप्त किए गए थे।

(viii) बिहार में मार्च 1980 से सितम्बर 1982 तक रोकड़ बही परियोजना कार्यालय में मुई (राँची जिला) नहीं लिखी गयी जबकि इस दौरान 2.00 लाख रु. से अधिक खर्च किये गये। कटिहार तथा सहरसा जिला कार्यालयों तथा गरौल परियोजना कार्यालय (मधुवनी जिले) में रोकड़ बही क्रमशः 1 जून 1984, 6 अगस्त 1984 तथा 1 अक्तूबर 1984 तक लिखी गयी (मार्च 1985)।

बिहार में, 3 परियोजना अधिकारियों के विरुद्ध अभिलेखों में हेराफेरी करने तथा अग्रिम अदायगियों को वापस न करने की वजह से अन्तर्ग्रस्त 1.05 लाख रु. के 3 मामलों को आरम्भ किया था। प्रथम सूचना रिपोर्टें दर्ज की गयी तथा सम्बन्धित व्यक्तियों को आरोप पत्र जारी किये गये। अन्तिम रिपोर्ट प्रतीक्षित थी (मार्च 1985)।

- (ix) कर्नाटक में, कार्यक्रम कर्नाटक राज्य प्रौढ़ शिक्षा परिषद, एक निजी निकाय, के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा था, जो केन्द्र तथा राज्य सरकार की सहायता की मदद से राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित थी। परिषद ने 1984-85 तक क्रमशः 165.95 लाख रु. व 101.40 लाख रु. अनुमानों के रूप में क्रमशः राज्य व केन्द्र सरकार से प्राप्त किये थे। परिषद ने लेखे केवल 1980-81 तक संकलित किये। तथापि राज्य सरकार द्वारा आने वाले वर्षों के लिये अनुदानों को, पूर्व वर्षों के लेखा परीक्षित लेखाओं तथा उपयोगिता प्रमाण पत्रों के बिना, जारी किया गया था।

38.12. स्वैच्छिक एजेन्सियों को सहायता

38.12.1 वित्तीय अनियमिततायें

पंजीकृत स्वैच्छिक एजेन्सी, लोक न्यासों तथा लाभ-निरपेक्ष कम्पनियों को कार्यात्मक साक्षरता, साक्षरोपरान्त, साधन विकास कार्य, गोष्ठियां प्रकाशनों आदि परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनुदान संस्वीकृत किये गये थे।

1978-79 से 1985-86 तक अर्वाध के लिये स्वैच्छिक एजेन्सियों को संस्वीकृत तथा जारी किये अनुदान निम्न थे:-

वर्ष	स्वैच्छिक एजेन्सियां	स्वीकृत प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	निर्युक्त की गयी राशि
	(संख्या में)		(लाख रुपयों में)
1978-79	363	उ.न.	157.98
1979-80	490	30,969	239.01
1980-81	236		108.86
1981-82	x	xx	64.85
1982-83	133	6,940	123.82
1983-84	258	10,845	198.17
1984-85	284	9,385	287.70
1985-86	368	17,140	432.33
योग	2132	75,279	1612.72

x 1981-82 के दौरान शिक्षा विभाग द्वारा स्वैच्छिक एजेन्सियों की कोई नई परियोजनाएं संस्वीकृत नहीं की गयी।

xx पहले से स्वीकृत केन्द्र 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान जारी रखे गये।

1978-79 से 1985-86 तक जारी किये गये अनुदानों का राज्य वार स्थिति अनुबन्ध-III में दी गयी है।

उपरोक्त स्वैच्छिक एजेन्सियों को संस्वीकृत तथा निर्मुक्त अनुदानों संबंधी अभिलेखों की नमूना जाँच से नीचे दिये गये तथ्य ज्ञात हुये:-

- (i) 1978-79 से 1985-86 के दौरान 10 राज्यों के 59 मामलों (आन्ध्र प्रदेश-2, बिहार-17, गुजरात-8, हरियाणा-1, कर्नाटक-5, मध्य प्रदेश-4, महाराष्ट्र-3, उड़ीसा-9, उत्तर प्रदेश-9 तथा दिल्ली-1) में 29.39 लाख रु. (11.15 लाख रु. 78-80 के तथा 18.24 लाख रु. 1982-85) की अनुदान राशि या तो गलत उपयोग की गयी या स्वैच्छिक एजेन्सियों द्वारा केन्द्रों का संचालन असंतोषजनक ढंग से किया गया। इस अधिकतर मामलों में सरकारी अनुदान की वसूली के लिए मुकदमे बाजी हो रही थी या राज्य सरकारों के पाम जाँच पड़ताल के अधीन थे। बिहार में 1.30 लाख रु. पिछली अनुदान राशि के गलत उपयोग के एक मामले में 0.60 लाख रु. की अतिरिक्त राशि 1983-84 में पुनः दी गयी। मंत्रालय ने यह बताया (जुलाई 1986) कि 1982 में कई रक्षात्मक उपाय संसोधित योजना में आरम्भ किये गये उनमें से एक यह था कि द्वितीय किस्त तभी दी जानी थी जबकि राज्य सरकार से यह सिफारिश मिल जाय कि परियोजना संतोषजनक ढंग में कार्यान्वित हो चुकी थी।

यह भी देखने में आया था कि 4.12 लाख रु. के अनुदान की प्रथम किस्त भी 1984-85 की परियोजनाओं को निरन्तर बनाये रखने में हरियाणा की एजेन्सी को, जिसे 1982-83 की प्रथम परियोजना के सफल समापन पर राज्य सरकार की सिफारिश की जरूरत थी, राज्य सरकार द्वारा बिना किसी ऐसी सिफारिश के जारी कर दी गई थी। इसी प्रकार, 1.38 लाख रु. की द्वितीय किस्त हरियाणा की एक एजेन्सी को, जिसकी जाँच पड़ताल रिपोर्ट आनी बाकी थी तथा राज्य सरकार के पत्र दि. 27 फरवरी 1985 के अनुसार 1982-83 के लिए अनुदान राशि के सही उपयोग संबंधी प्रमाण पत्र न मिलने पर भी, जारी कर दी गई थी।

- (ii) 9 स्वैच्छिक संस्थाओं को बिना उनकी वित्तीय स्थिति मालूम किये 3.56 लाख रु. की राशि निर्गमित कर दी गई। इन 9 मामलों में से एक मामले में राज्य सरकार द्वारा राशि का दुरुपयोग करना बताया गया था तथा 3 मामलों में दुरुपयोग के लिये जाँच पड़ताल की जा रही थी। जाँच पड़ताल की रिपोर्टें प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 1985)। मंत्रालय ने बताया (जुलाई 1986) कि अनुदान की मंजूरी देने से पहले पिछले 3 वर्षों से स्वैच्छिक एजेन्सियों की वित्तीय दायित्व की छानबीन की जा रही थी।

- (iii) 1977-86 के दौरान 11 राज्यों की 72 स्वैच्छिक एजेन्सियों को संस्वीकृत अनुदान में से खर्च 5.46 लाख रु. के अनुदान के अव्ययित शेष, उस पर ब्याज सहित, अगस्त 1986 तक वापस नहीं किये गये थे। इसमें से 4.09 लाख रु. की अनुदान राशि 3 राज्यों की 51 स्वैच्छिक एजेन्सियों अर्थात् महाराष्ट्र (1.40 लाख रु.-28 स्वैच्छिक एजेन्सियों), गुजरात (1.38 लाख रु.-20 स्वैच्छिक एजेन्सियों) तथा उत्तर प्रदेश (1.31 लाख रु.-3 स्वैच्छिक एजेन्सियों) तथा बाकी 1.37 लाख रु. की राशि 8

राज्यों की 21 स्वैच्छिक एजेन्सियों से संबंधित थी। 6 मामलों में 0.15 लाख रु. की वसूली की जानी थी (अगस्त 1986)।

(iv) निर्धारित मापदण्डों के अनुसार, स्वैच्छिक एजेन्सियों को उनके द्वारा प्राप्त किये अनुदानों के लिये अलग बैंक खाता खोलना था। यह देखा गया कि 22 स्वैच्छिक एजेन्सियों जिन्हें 28.89 लाख रु. के कुल अनुदान दिया गया था ने, कोई अलग से बैंक खाता नहीं खोला था। लेखापरीक्षा में यह बताया जाने पर, मंत्रालय ने 1986-87 के उपरान्त दी जाने वाली अनुदानों की शर्तों में यह एक शर्त सम्मिलित कर दी थी।

(v) जैसा निम्न विवरण में बताया गया है 375 स्वैच्छिक एजेन्सियों को दी गयी 218.78 लाख रु. के अनुदानों के लिये लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने में विलम्ब था।

	मामलों की संख्या	जारी की गई अनुदान की राशि (लाख रु. में)
(i) 5 साल से अधिक लम्बित रहे लेखे	38	20.85
(ii) 2 से 5 साल तक लम्बित रहे लेखे (1982-83 तथा 1983-84 अवधि में मंजूर हुई परियोजना)	98	64.02
(iii) 15 माह से 2 साल तक लम्बित रहे लेखे (1984-85 से 5/86 तक)	239	133.91
योग	375	218.78

(vi) 1978-79 से 1981-82 के दौरान दिये गये अनुदानों में से 2.38 लाख रु. की परिसम्पत्तियाँ, 68 स्वैच्छिक एजेन्सियों द्वारा सौंपी नहीं गयी थी। मंत्रालय ने राज्य सरकारों को इन परिसम्पत्तियों को अधिग्रहण करने के निर्देश दिये थे (जुलाई 1986)।

38.12.2 सही लेखों का प्रस्तुत न किया जाना

अनुदान की शर्तों में स्वैच्छिक एजेन्सियों द्वारा आय तथा व्यय लेखे, उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा तुलन पत्र प्रस्तुत करना सम्मिलित था। यह आवश्यक है कि स्वैच्छिक एजेन्सियों को पूरे दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए जिससे स्वैच्छिक एजेन्सी की वित्तीय स्थिति की पूर्ण जानकारी दी जा सके। तथापि मंत्रालय में आय व व्यय लेखों के आधार पर अनुदानों को जारी कर रहा था जो कि स्वैच्छिक एजेन्सी की सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाते थे।

38.12.3 सीखने तथा पढ़ाने वाली सामग्रियाँ

जाँच नमूना से पता चला कि प्रौढ शिक्षा केन्द्रों को सीखने तथा पढ़ाने वाली सामग्री की आपूर्ति अपर्याप्त थी तथा किसी भी मामलों में निर्धारित मापदण्डों का पालन नहीं किया गया था।

38.12.4 प्रशिक्षण

मंत्रालय ने बताया कि अनुदान की शर्तों के अनुसार प्रत्येक स्वैच्छिक एजेन्सी को प्रशिक्षण की योजना के ब्यौरे के बारे में मंत्रालय को सूचित करना चाहिए। स्वैच्छिक एजेन्सियों द्वारा न तो प्रशिक्षण के बारे में सूचना भेजी गई थी और न ही उचित प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

उड़ीसा तथा गोवा, दमन व द्वीव में नमूना जाँच से पता चला कि उड़ीसा में तीन मामलों में तथा गोवा में एक मामले में प्रशिक्षण निर्धारित अवधि से बहुत कम अवधि के लिए दिया गया था।

38.13 साक्षरता उपरान्त तथा अनुवर्ती कार्यक्रम

38.13.1 ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना तथा राज्य प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम

(क) कार्यान्वयन:- साक्षरता उपरान्त व अनुवर्ती कार्यक्रम नव साक्षरों को निरक्षरता में पुनः पतन से रोकने हेतु उन स्थानों पर कार्यान्वित करना था जहाँ नियमित प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम 1979 के मध्य में पूरा कर लिया गया था। 1982-83 से केन्द्र सरकार ने इस उद्देश्य के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को अनुदान जारी किये थे। नीचे दी गई सारणी संस्वीकृत/जारी हुये अनुदानों, व्यय हुआ खर्च तथा 1984-85 के अन्त तक अप्रयुक्त राशि दर्शाती है। इससे यह देखा जायेगा कि अधिक राशि अप्रयुक्त पड़ी रही।

वर्ष	स्वीकृत/नियुक्त अनुदान	खर्च	शेष	अप्रयुक्त अनुदान की प्रतिशतता
(लाख रुपयों में)				
1982-83	147.60	51.25	96.35	65
1983-84	186.35	85.40 ^{**}	100.95	54
1984-85	244.49	106.03 ^{**}	138.46	57

^{**} खर्च के आंकड़े 1983-84 के लिये (हिमाचल प्रदेश त्रिपुरा) तथा 1984-85 के लिए (मणिपुर, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश) सरकार के पास उपलब्ध न होने के कारण शून्य लिए गये।

1985-86 के दौरान 242.04 लाख रु. का कुल अनुदान 19 राज्यों के पास उपलब्ध था परन्तु वर्ष के दौरान किये गये खर्च के ब्यौरे भी उपलब्ध नहीं थे। यह देखा गया कि अनुदानों के देने में उचित नियंत्रण नहीं रखा जा रहा था क्योंकि 1985-86 में हिमाचल प्रदेश तथा तमिलनाडु को अनुदान इस बात को सुनिश्चित किये बिना दिये गये थे कि क्रमशः 1983-84 तथा 1984-85 में उनके अदा किये अनुदानों का वास्तव में उपयोग हुआ था।

सरकार ने यह स्वीकार किया (दिसम्बर 1986) कि कार्यक्रम के धीमी गति के कारण अनुदान का पूरा उपयोग नहीं किया जा सका।

प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम के तुरन्त बाद साक्षरता उपरान्त व अनुवर्ती कार्यक्रम हाथ में लिया जाना था। बहुत से राज्यों ने यह कार्यक्रम 1982-83

से शुरू किया। इस प्रकार के लम्बे विलम्ब से उन प्रशिक्षुओं के, जिन्होंने 1980-81 से पहले प्रौ. शि. का. का प्रथम चरण पूरा कर लिया था, फिर से करीब निरक्षरता में परिवर्तित होने की सम्भावना पैदा हो गई थी।

1982-83 के दौरान कुल उपलब्ध अनुदानों का 50 प्रतिशत से अधिक अप्रयुक्त रहा था, यह अनुमान किया जा सकता था कि जो प्रशिक्षु 1981-82 के दौरान तथा इसके बाद साक्षर किये गये थे, में से कुछ साक्षरता उपरान्त कार्यक्रम में लिये गये थे।

विस्तार (ग्रा.का.सा.प. तथा रा.प्रौ.शि.प.)

राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों की बहुत विभिन्न परियोजनाओं के अभिलेखों की जाँच नमूना से पता चला कि बहुत कम नव साक्षरों को प्रोग्राम के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया था जैसा कि ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	सा.प.अ.का. के अन्तर्गत विस्तार की प्रतिशतता
आन्ध्र प्रदेश	15.87
असम	14.69
हरियाणा	13.61
हिमाचल प्रदेश	0
जम्मू व कश्मीर	0
केरल	3.85
मध्य प्रदेश	0
मणिपुर	0
पंजाब	2.28
राजस्थान	8.42
सिक्किम	0
तमिलनाडु	15.76
उत्तर प्रदेश	16.04
पश्चिमी बंगाल	4.05
दादर व नागर हवेली	0

सामान की आपूर्ति तथा अन्य रुचिकर बातें:— नमूना जाँच से पता चला कि निम्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में सामान की आपूर्ति में विलम्ब के अलावा अन्य अनियमिततायें थी।

सामान खरीदा गया परन्तु निर्गमित/प्रयुक्त नहीं किया गया	सामान आपूर्ति में विलम्ब
उड़ीसा, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश	केरल, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश

उड़ीसा की 4 परियोजनाओं में निदेशालय द्वारा आपूर्ति 1.24 लाख रु. की पुस्तकों को स्टॉक में नहीं लिया गया (मार्च 1985)।

उत्तर प्रदेश में, मार्च 1984 में संस्वीकृत सहायक परियोजना अधिकारियों के 32 पद तथा आवर्ती शिक्षा कार्यकर्ताओं के 670 पद रिक्त

पड़े रहे (मई 1985)।

केरल में इस बात का सर्वेक्षण नहीं किया गया कि जहाँ साक्षरता केन्द्र स्थापित किये गये थे वहाँ प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र विद्यमान थे अथवा नहीं।

मेघालय में, 3 जिलों के नमूना जाँच से पता चला कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित 30 दिन के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अनुमोदित दर रु. 300 प्रति केन्द्र के प्रति क्रमशः 1982-83, 1983-84 व 1984-85 में 450 रु., 500 रु. तथा 500 रु. की दर से भुगतान किया गया इससे परिणामस्वरूप 0.30 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ।

प्रबोधन— कार्यक्रम के अन्तर्गत, आवर्ती शिक्षा कार्यकर्ता को प्रारम्भिक रिपोर्ट (प्रा.रि.) तथा त्रैमासिक रिपोर्ट (त्रै.रि.) सहायक परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी को भेजनी थी जिसे संकलित प्रतिवेदन—प्रारम्भिक प्रतिवेदन, त्रैमासिक प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन राज्य स्तर पर भेजने थे। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा 3 प्रबोधन प्रतिवेदन को प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय को पेश करना था।

तथापि, यह देखा गया कि दिसम्बर 1983 तक निदेशालय में कोई भी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुये थे तथा उसके उपरान्त केवल 3 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा तथा राजस्थान से कुछ त्रैमासिक रिपोर्ट प्राप्त हुईं।

निदेशालय ने बताया (अक्टूबर 1985) कि राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त सूचना से विदित हुआ कि साक्षरता उपरान्त तथा अनुवर्ती कार्यक्रम प्रारम्भिक अवस्था में था तथा लगभग सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में कार्यक्रम का प्रबोधन अभी शुरू करना था।

38.14 महिला प्रौढ़ साक्षरता को बढ़ाने के लिए पुरस्कारों के वितरण हेतु प्रोत्साहन अनुदान

38.14.1 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में महिला प्रौढ़ साक्षरता को बढ़ाने हेतु पुरस्कारों के वितरण की योजना 1983-84 में शुरू की गयी तथा 1984-85 के दौरान जारी रखी गयी। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष के लिये लगभग 3.00 करोड़ रु. का आबंटन किया गया।

योजना के अन्तर्गत 3 स्तरों पर अर्थात् सिलाई मशीन व बुनाई मशीनों लेखन सामग्री आदि की खरीद के लिए 5,000 रु. प्रति केन्द्र, बहु उद्देशीय छात्रावास बनाव प्रशिक्षण संस्थान तथा जिला निर्माण के लिए क्रमशः 25 लाख रु. व 8.00 लाख रु. प्रति राज्य व प्रति संघ शासित प्रदेश तथा जिला स्तर पर साक्षरता व प्राथमिक उपचार उकरणों सहित बहु उद्देशीय गश्ती गाड़ी खरीदने के लिए 3.00 लाख रु. प्रति जिला, पुरस्कारों का प्रावधान था।

1983-84 व 1984-85 के दौरान पुरस्कार पिछले वर्षों के दौरान क्रमशः 1982-83 व 1983-84 के निष्पादन पर आधारित थे।

38.14.2 निधिकरण:— 1983-84 से 1984-85 के दौरान संस्वीकृत पुरस्कार राशि तथा अप्रयुक्त राशि (आगे ले जाने के लिए अनुमत) निम्न प्रकार थी:—

वर्ष	संस्वीकृत पुरस्कार राशि (लाख रु. में)	केन्द्र		जिले		राज्यवार विवरण				अप्रयुक्त राशि तथा आगामी वर्ष के लिए आगे ले जाने के लिए अनुमत (लाख रु. में)
		केन्द्रों की संख्या	राशि (लाख रु. में)	जिलों की संख्या	राशि (लाख रु. में)	राज्यों की संख्या	राशि (लाख रु. में)	संघ शा. प्र. की संख्या	राशि (लाख रु. में)	
1983-84	298.80	1676	83.80	22	66.00	5	125.00	3	24.00	122.30
1984-85	303.75	1975	98.75	30	90.00	4	100.00	1	15.00	197.62
योग	602.55	3651	182.55	52	156.00	9	225.00	4	39.00	319.92

संस्वीकृत 602.55 लाख रु. में से 319.92 लाख रु. की राशि (50 प्रतिशत से अधिक) की संस्वीकृतियां प्रत्येक वर्ष मार्च में जारी करने के कारण अप्रयुक्त पड़ी रही तथा मंत्रालय द्वारा आगामी वर्षों में उपयोग के लिये अग्रेषित करने की अनुमति दी गई थी।

38.14.3 सामान की अनापूर्ति/उपयोग न किया जाना

- संस्वीकृत पुरस्कार में से खरीदी गयी सामग्री का कुछ मामलों में उचित प्रयोग नहीं किया गया था जैसे खरीदी गई सिलाई मशीनें/बुनाई मशीनें पुरस्कार विजेता केन्द्रों (राजस्थान) को दी जानी थी, उनको नहीं दी गयी। खरीदे हुये ओडियो विजुअल वेन का प्रयोग नहीं किया गया था (मेघालय, हरियाणा)।
- पुरस्कार का अनुपयोग/कम उपयोग:— राज्य/संघ शासित प्रदेश स्तर के पुरस्कार बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा चण्डीगढ़ में उपयोग नहीं किये गये। कुछ अन्य मामलों में पुरस्कार राशि का कुछ भाग ही उपयोग किया गया (केरल, पांडिचेरी, महाराष्ट्र तथा मणिपुर)।

(iii) दूसरे उद्देश्यों के लिये निधियों का अपवर्तन —

कुछ मामलों में, पुरस्कार राशि, जीपों की खरीद और नमूना परियोजनाओं के लिए सूचना एवं प्रचार सामग्री निर्माण करने जो कि पुरस्कार योजना के अन्तर्गत नहीं थे, पर अपवर्तित कर दी गई थी (केरल तथा मध्य प्रदेश)।

मंत्रालय ने स्वीकार किया कि अधिकतर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने पूरी तरह से पुरस्कार राशि का उपयोग इस वजह से नहीं किया क्योंकि पुरस्कार राशि अन्य बातों के अंतर्गत में छात्रावास बनाम प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण के लिए भी थी। इसमें भवन के लिए जमीन का अधिग्रहण अन्तर्गत था जो लम्बी प्रक्रिया थी।

- सर्वोत्तम जिले के चयन में विपथन:— सर्वोत्तम जिलों के पुरस्कार के लिये चयन में यह देखा गया कि क्रमशः मेघालय में, पश्चिमी खासी पहाड़ियां तथा जैन्तिया पहाड़ियां जिलों क्रमशः 1983-84

तथा 1984-85 के पुरस्कार के लिये चुने गये थे यद्यपि कि जिलों में औरतों का नामांकन केवल 9 व 4 था। जबकि 1982-83 के सत्र में औसत महिला नामांकन पश्चिमी खासी पहाड़ियां (9) के लिए सबसे अधिक था तथा 1983-84 के सत्र के लिए सबसे अधिक जैन्तिया पहाड़ियां जिला (4) जो पुरस्कार के लिये चुन ली गयी थी के बजाय पश्चिमी गारो पहाड़ियां (12) का था। साथ ही किसी भी जिले में प्रशिक्षु का औसत नामांकन 15 नहीं पहुँचा।

- लेखों का रख रखाव न होना/प्रतिवेदनों का प्रस्तुत न होना:— नमूना जाँच से पता चला कि हरियाणा व राजस्थान में प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को आपूर्ति की गयी मशीनों के ब्यौरे आदि का केन्द्रवार तथा जिलावार अलग अलग लेखे नहीं रखे गये। व्यय विवरणों तथा प्रगति प्रतिवेदनों जो कि भारत सरकार को भेजे जाने थे, को इन राज्यों द्वारा भी नहीं भेजा गया था।

38.15 राज्य संसाधन केन्द्र

38.15.1 राज्य संसाधन केन्द्रों का प्रभावहीन कार्य चालन

राज्य संसाधन केन्द्रों की स्थापना 1976 में की गयी, जिसका उद्देश्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम विकास, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण आदि के माध्यम से तकनीकी सेवायें प्रदान करना था।

नमूना परीक्षण से पता चला कि राज्य संसाधन केन्द्र, लखनऊ द्वारा सीखने/शिक्षण सामग्री की आपूर्ति मांग से कम थी। परिणामस्वरूप शिक्षक/प्रशिक्षक या तो बिना सामग्री के थे या कुछ महत्वपूर्ण मदों के बारे में अपर्याप्त आपूर्ति थी जिसके लिये 1982-86 के दौरान 1 से 100 प्रतिशत तक कमी थी। राज्य संसाधन केन्द्र द्वारा सीखने/शिक्षण सामग्री की आपूर्ति में भी काफी विलम्ब था।

यह मंत्रालय द्वारा बताया गया कि राज्य संसाधन केन्द्र (साक्षरता गृह) लखनऊ ने यह स्वीकार किया तथा स्थिति को सुधारने का वायदा किया।

नमूना जाँच से यह पता चला कि 3 राज्यों (महाराष्ट्र, राजस्थान व उत्तर प्रदेश) में राज्य संसाधन केन्द्र 1978-79 से 1981-82 के दौरान किताबों की बिक्री आय के उपयोग के लिए अलग लेखे नहीं रखे गये। राज्य संसाधन केन्द्र, बिहार के मामले में, यद्यपि बिक्री आय के ब्यौरे उपलब्ध थे, परन्तु प्रकाशन कार्य के लिए उनका उपयोग जो योजना के अन्तर्गत आवश्यक था, अंकित नहीं किया गया था। मंत्रालय ने (फरवरी 1986) में सभी राज्य संसाधन केन्द्रों से आवश्यक सूचना मांगी थी। तदनन्तर यह सूचित किया गया (जनवरी 1987) कि राज्य संसाधन केन्द्र लखनऊ के प्रकाशन संबंधी लेखे पृथक किये जा चुके थे।

38.16 श्रमिक विद्यापीठ

38.16.1 प्रस्तावना तथा वित्तीय आंकड़े

भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से सहायता प्राप्त श्रमिक विद्यापीठ की योजना, ने शहरी औद्योगिक कार्यकर्ताओं तथा उनके परिवारों को

व्यावसायिक निपुणता की शिक्षा प्रदान की जिससे उनकी कार्य संबंधी दक्षतायें सुधारी जा सकें तथा साथ ही उनका व्यक्तिगत जीवन भी सम्पन्न हो सके।

31 मार्च 1986 को विभिन्न औद्योगिक शहरों व कस्बों में 40 श्रमिक विद्यापीठ थे। इनका संचालन केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों/स्वैच्छित एजेन्सियों/विश्वविद्यालयों द्वारा किया जा रहा है।

1979-80 से 1985-86 के दौरान 302.68 लाख रु. की कुल अनुदान को श्रमिक विद्यापीठों को जारी किया गया था।

38.16.2 प्रत्यक्ष लक्ष्य और उपलब्धियाँ

एक श्रमिक विद्यापीठ को प्रतिवर्ष 156 कार्यक्रमों जिनमें 12 कार्यक्रम प्रतिमाह एक दिन से एक माह की अवधि के करने अपेक्षित थे। शेष कार्यक्रमों जिनमें 2 छः महीने, 4 तीन महीने व 6 दो महीने की अवधि के होते थे, का कार्यान्वयन करना था। इस लक्ष्य के प्रति, श्रमिक विद्यापीठों द्वारा किये गये पाठ्यक्रम निम्न प्रकार थे:-

क्र.सं.	श्र.वि.पी. का स्थान	अवधि	पाठ्यक्रमों की संख्या			प्रशिक्षुओं की संख्या			
			प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि	प्रतिशता में कमी	लक्ष्य	पंजीकृत	योग्यता प्राप्त	प्रतिशता में कमी
1.	जमशेदपुर (बिहार)	दिसम्बर 1978 से 1985	984	74	92	—	—	4415	—
2.	कानपुर (उ.प्र.)	1982-83 से 1984-85	468	146	69	—	3655	3487	—
3.	फरीदाबाद (हरियाणा)	1981-82 से 1985-86	780	375	52	—	16250	15860	—
4.	इन्दौर (म. प्र.)	1980-81 से 1984-85	624	311	50	—	10729	10472	—
5.	त्रिवेन्द्रम (केरल)	1984-85	156	26	83	10050	935	934	91
6.	बोरली, बम्बई (महाराष्ट्र)	1979-85 (क)	2902	1961	32	47680	30117	27309	43

(क) विद्यापीठ द्वारा निर्धारित लक्ष्य

बाकी श्रमिक विद्यापीठों से कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी।

श्रमिक विद्यापीठ द्वारा मुख्यतः कार्यकर्ताओं को व्यावसायिक तथा पेशेवर उत्थान के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना था। मजदूरों का उचित नियोजन/उनके व्यवसाय में वृद्धि/लाभकारी रोजगार के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। मंत्रालय द्वारा यह बताया गया कि योजना स्वरूप से अनौपचारिक होने तथा काम से बहुसंयोजक होने के कारण विशेष रूप से रोजगार के नये अवसरों के उद्देश्य के लिए नहीं थी। मंत्रालय ने तदोपरान्त बताया "श्रमिक विद्यापीठों की उपलब्धि सफल कहानियाँ उनके कार्यकलाप को उनके माध्यम से लाभों को प्राप्त करके प्रशिक्षुओं की पूरक आय को दिखाकर बल देती थी" (दिसम्बर 1986)।

38.16.3 सर्वेक्षण

श्रमिक विद्यापीठों को श्रमिकों के विभिन्न श्रेणियों की शैक्षिक आवश्यकताओं का पता लगाना था।

नमूना जाँच से पता चला कि विद्यापीठों द्वारा बोरली (बम्बई कलकत्ता, बंगलौर, कानपुर, फरीदाबाद तथा राउरकेला में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था। जहाँ तक शेष विद्यापीठों का प्रश्न है, रूपरेखा रिपोर्ट अक्टूबर 1986 में लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध की गयी परन्तु सर्वेक्षण प्रतिवेदन न तो शिक्षा विभाग के पास न ही प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय न दिल्ली के पास उपलब्ध थे। निदेशालय ने बताया कि सर्वेक्षण के व्यय सम्बन्धित श्रमिक विद्यापीठों के पास उपलब्ध होंगे।

38.17. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रम

38.17.1 कार्यक्रम दो चरणों में कार्यान्वित किया गया। प्रथम चरण (मार्च 1985 को समाप्त) में जिले के सभी सम्बन्धित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय जिनकी साक्षरता दर राष्ट्रीय अनुपात (36.17-1981 की जनगणना के अनुसार) से कम थी को कार्यान्वयन के लिए चुना जाना था ताकि एक वर्ष में 15,000 से 20,000 तक केन्द्रों का प्रबन्ध किया जा सके। द्वितीय चरण (मार्च 1990 को समाप्त) में सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को अन्तर्ग्रस्त करके 30,000 नये केन्द्रों को स्थापित करना था। महिलाओं के लिये महाविद्यालयों तथा उन्हें जो ग्रामीण/पिछड़े/जनजातीय क्षेत्रों में थे, को इन केन्द्रों की स्थापना में प्राथमिकता दी जानी थी।

कार्यक्रम के अनुसार, विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को 31 मार्च 1990 तक 100 प्रतिशत आधार पर सहायता दी जानी थी जिससे दीर्घकालीन सशक्त योजना बनाने तथा उनका कार्यान्वयन किया जा सके।

1978-79 से अक्टूबर 1983 तक, महाविद्यालयों ने सीधे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदानों को प्राप्त किया। तथापि अक्टूबर 1983 से आगे विश्वविद्यालय भी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में शामिल हो गये थे तथा अनुदान विश्वविद्यालयों के माध्यम से जारी किये गये थे।

38.17.2 लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1978-79 से 1985-86 के बजट में 13.56 करोड़ रु. की प्रावधान किये थे जिनमें से 10.41 करोड़ रु. (2.46 करोड़ रु. 1978-79 से 1982-83 तक के लिये, 3.83 करोड़ रु. 1983-84 से 1984-85 तक के लिये तथा 4.12 करोड़ रु. 1985-86 के लिये) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 83 विश्व विद्यालयों/महाविद्यालयों तथा विश्व विद्यालयों से संलग्न तीन राज्य संसालन केन्द्रों को अदा किये। संस्वीकृत तथा जारी किये गये अनुदान, अनुमोदित केन्द्रों तथा 36 विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों द्वारा वास्तव में खोले गये केन्द्रों को 1978-79 से 1985-86 तक के लिये लेखापरीक्षा में नमूना जाँच करने पर निम्न स्थिति पायी गयी थी:-

वर्ष	36 वि.वि. की दी गयी अनुदान की राशि	वास्तविक खर्च	कमी बचत (-) अधिक (+)	वि.अ.आ. द्वारा अनुमोदित केन्द्रों की संख्या	वास्तव में खोले गये केन्द्रों की संख्या	स्वीकृत केन्द्रों की संख्या के हिसाब से कमी	कमी की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8
(लाख रूपयों में)							
1978-79	6.80	4.37	- 2.43	2150	44	2106	98
1979-80	7.72	5.55	- 2.17	4990	2224	2766	55
1980-81	4.84	8.22	+ 3.38	4530	2353	2177	48
1981-82	14.25	13.64	- 0.61	5200	1810	3490	67
1982-83	10.02	16.29	+ 6.27	5200	1477	3723	72
1983-84	108.21	53.78	- 54.43	9391	3878	5513	59
1984-85	86.08	86.50	+ 0.42	12468	9952	2516	20
1985-86	134.73	158.10	+ 23.37	12838	6183	6655	52
	372.65	346.45	(-) 59.64 (+) 33.44				

38.17.3 क्षेत्रों की पहचान/सर्वेक्षण

उपयुक्त लक्ष्य को पहचानने के लिए एक विस्तृत बैच मार्क सर्वेक्षण 15-35 आयु वर्गवाले प्रौ. निरक्षरों के वर्गों के बीच केन्द्रों को खोलने से पहले किया जाना अपेक्षित था तथापि यह देखा गया कि भाग लेने वाले किसी भी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय ने इस प्रकार का बैच मार्ग सर्वेक्षण योजना के कार्यान्वयन से पहले नहीं किया जबकि विश्व विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस उद्देश्य के लिए 1978-79 के दौरान 44 विश्वविद्यालयों व 140 महाविद्यालयों को 6.33 लाख रु. की राशि जारी की गई थी। किसी भी विश्वविद्यालय ने सघन क्षेत्र कार्य को नहीं चुना तथा तदनुसार केन्द्रों के अतिव्याप्ति को टालने हेतु राज्य सरकार से सलाह की। उन क्षेत्रों को जो या तो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के पास थे या छात्रों/प्रशिक्षकों के आवास के नजदीक थे को कार्यान्वयन के लिये चुना गया था। बम्बई व दिल्ली

विश्वविद्यालय ने 1982 में सर्वेक्षण किया जबकि नागपुर विश्वविद्यालय ने 1984 में किया था लेकिन सर्वेक्षण के परिणाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को नहीं भेजे गये (अगस्त 1986)। मद्रास विश्वविद्यालय जिसने 1979-80 से कार्यक्रम कार्यान्वित किया था ने केवल दिसम्बर 1984 तथा दुबारा मार्च 1986 में सर्वेक्षण किये।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बताया (जुलाई 1986) कि कुछ विश्वविद्यालयों ने पहले से चुने गये क्षेत्रों में काम हाथ में लिया तथा कुछ विश्वविद्यालयों ने ग्रामों के समूहों को चुना था।

38.17.4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कम राशियों का निर्गमन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहायता प्रतिमान में 10 केन्द्रों के प्रत्येक समूह के लिये कार्यक्रम लागत, पर्यवेक्षण तथा प्रशासनिक व्यय पर

14,000 रु. जारी करने के लिये प्रावधान था। यह राशि अक्टूबर 1983 में 14,540 रु. बढ़ा दी गई तथा बाद में फरवरी 1984 में 26,340 रु. बढ़ा दी गई। तथापि यह देखा गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1978-79 से 1982-83 के दौरान क्रमशः 10 केन्द्रों के प्रत्येक समूह के लिये 5,000 रु. तथा 20 केन्द्रों के प्रत्येक समूह के लिये 10,000 रु. के हिसाब से निधियों को जारी कर रहा था।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 36 विश्वविद्यालयों के लिये 1983-84 से 1985-86 तक स्वीकृत तथा निर्मुक्त अनुदानों संबंधी अभिलेखों की नमूना जाँच से निम्न बातें पता चली:-

(i) 1983-84 से 1985-86 के दौरान वि.वि.अनु.आ. ने अपने विधार्थित मापदण्डों के अनुसार कुल स्वीकृत अनुदान की केवल 75 प्रतिशत की पहली किस्त जारी की तथा 25 प्रतिशत की दूसरी किस्त किसी भी मामले में जारी नहीं की गयी। 1983-84 से 1985-86 के अर्वाध के लिये 545.71 लाख रु. ग्राह्य अनुदान राशि में से केवल 409.31 लाख रु. 36 विश्वविद्यालयों को जारी किये गये।

(ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 9 राज्यों के 12 विश्वविद्यालयों अर्थात् डिब्रूगढ़ (असम), ओसमानीया (आन्ध्र प्रदेश), सरदार पटेल (गुजरात), कश्मीर (जम्मू व कश्मीर), कालीकट (केरल), मैसूर व कर्नाटक (कर्नाटक) विक्रम हरि सिंह गौड़ (मध्य प्रदेश), बम्बई तथा शिवाजी (महाराष्ट्र), उत्कल (उड़ीसा) के लिये ग्राह्य अनुदान के 75 प्रतिशत की पहली किस्त जारी करने में उसे 3 माह से 6 माह का विलम्ब था।

(iii) अनुदानों को जारी करने के लिये मापदण्डों में अक्टूबर 1983 तथा फरवरी 1984 में परिवर्तन किये गये थे। इन प्रतिमानों के अनुसार 10 केन्द्रों के संचालन के लिए विश्वविद्यालयों ने अनुदानों की कुल राशि क्रमशः 1.32 लाख रु. व 1.55 लाख रु. प्राप्त करनी थी। अनुदानों को जारी करने के लिये फरवरी 1984 के मापदण्डों का किसी भी विश्वविद्यालय में अनुसरण नहीं किया जा रहा था। जहाँ तक अक्टूबर 1983 में मापदण्डों का सवाल है, नमूना जाँच से पता चला कि 36 विश्वविद्यालयों में से 21 विश्वविद्यालयों के विभिन्न मर्दों पर व्यय करने के लिये मापदण्डों को अमल में नहीं लाया जा रहा था।

(क) तीन विश्वविद्यालयों (एल.एन.मिथिला, रानी दुर्गावती, तथा मदुराई कामराज) ने 6000 रु. के अनुदान के प्रति प्रशिक्षण पर कोई खर्च नहीं किया।

(ख) इसके अलावा पाँच विश्वविद्यालयों अर्थात् गुजरात, राजस्थान, उत्कल, तमिल नाडु तथा उसमानिया के 1.57 लाख रु. अग्राह्य मर्दों पर जैसे आकस्मिक व्यय जो कि कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं था, प्रशिक्षकों को मानदेय का अधिक भुगतान तथा दिन में कार्यरत केन्द्रों को मिट्टी के तेल के भुगतान पर खर्च किये गये।

(iv) यह भी देखा गया कि चार विश्वविद्यालयों (पुणे का एव महाविद्यालय, केरल, हिमाचल प्रदेश तथा कालीकट) ने फरवरी व मार्च 1985 के बाद अपने पर्यवेक्षकों व प्रशिक्षकों को मानदेय अदा नहीं किया था जबकि श्रीवेंकटेश्वर विश्वविद्यालय ने मार्च 1984 से फरवरी 1985 तक निधियों की कमी के कारण अपने पर्यवेक्षकों व प्रशिक्षकों को मानदेय का भुगतान नहीं किया था। गोरखपुर विश्वविद्यालय पर 18.19 लाख रु. का प्रशिक्षकों के 1983-84 का मानदेय संबंधी दायित्व, शिक्षण व लेखन सामग्री तथा उपकरण आदि की लागत आदि के लिये देय थे जो जुलाई 1985 तक नहीं दिये गये थे तथा इसी प्रकार 1983-84 की देयता को समायोजन करने के पश्चात धनराशि की कमी के कारण 1984-85 में 16.06 लाख रु. की देयता बाकी थी।

38.17.5 लक्ष्य वर्ग

मार्गदर्शनों के अनुसार प्राथमिकता महिलाओं को दी जानी थी विशेष रूप से जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों से संबंधित थी।

यह विस्तार 1979-80 से 1985-86 के दौरान 16 विश्वविद्यालयों में नारी प्रशिक्षुओं तथा अ.जा./अ.ज.जा.प्रशिक्षुओं के बारे में क्रमशः 13 से 49 प्रतिशत तथा 2 से 60 प्रतिशत था (अनुबन्ध-IV)। अन्य विश्वविद्यालयों के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किये गये पुनरीक्षण (जनवरी 1986) के अनुसार प्रशिक्षुओं का नामांकन अ.जा./अ.ज.जा. के लिये 29 प्रतिशत तथा अन्य के लिये (जुलाई 1986) 71 प्रतिशत था।

38.17.6 पठन/पाठन सामग्री व उपकरण की कम आपूर्ति

वांछित पठन/पाठन सामग्री के ब्यौरे, खरीद तथा प्रशिक्षुओं/प्रशिक्षकों को वितरित सामान संबंधी कोई प्रारम्भिक रिकार्ड विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों या उनके अधीनस्थ केन्द्रों पर उपलब्ध नहीं थे। तथापि नमूना परीक्षण में यह पाया गया कि केन्द्रों को पठन व पाठन के सामग्री की आपूर्ति अपर्याप्त थी तथा किसी भी मामलों में निर्धारित मापदण्ड नहीं अपनाये गये थे।

10 केन्द्रों के लिए पठन/पाठन सामग्री पर 3,700 रु. के निर्धारित व्यय के प्रति, 11 विश्वविद्यालयों ने शून्य से 40 प्रतिशत तक अर्थात् (5 विश्वविद्यालयों कर्नाटक, कालीकट, मगध, गुरुनानक देव तथा बहरामपुर-शून्य), 4 विश्वविद्यालय (हिमाचल प्रदेश, उत्कल, गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान तथा गोरखपुर-1 से 4 प्रतिशत) तथा 2 विश्वविद्यालय (गुजरात तथा कुरुक्षेत्र 16 से 40 प्रतिशत) खर्च किया।

(i) चार विश्वविद्यालयों (नागपुर 2-3 माह, पुणे 2-12 माह, बनारस 2-4 माह तथा श्री वेंकटेश्वरन 3-4 माह) के मामले में पठन व पाठन सामग्री की आपूर्ति केन्द्रों के शुरू होने से 2 से 12 माह तक का विलम्ब हुआ था।

(ii) केन्द्रों को संचालित करने वाले विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को वि.अ.आ. द्वारा स्थापित तीन राज्य संसाधन केन्द्रों अर्थात् (क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र पंजाब, राज्य संसाधन केन्द्र कश्मीर तथा हैदराबाद) से पठन/पाठन सामग्री प्राप्त करनी थी जिसके लिए 1978-79 से 1985-86 तक की अवधि के लिये तीन रा.स.के 24.45 लाख रु. की अनुदान जारी किये थे। विभिन्न केन्द्रों को बाँटने के लिए इन रा.स.केन्द्रों से कोई पठन/पाठन सामग्री नहीं ली गयी। वि.वि.अनु.आ. ने बताया (जुलाई 1986) कि बहुत से विश्वविद्यालयों ने कई प्रकार के दृश्य-श्रवण (ऑडियो विजुअल) तथा अन्य सामग्री जैसे पोस्टर, फ्लेश कार्ड आदि तैयार करने का काम शुरू किया जो मापदण्डों के अन्तर्गत नहीं आते थे।

38.17.7 प्रशिक्षण

4 विश्वविद्यालयों में 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की स्थिति निम्न प्रकार थी:-

विश्वविद्यालयों का नाम	वर्ष	केन्द्रों की संख्या	प्रशिक्षकों की संख्या	प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की संख्या	प्रतिशत में
1. गुजरात	1983-84	70	70	35	50
2. सौराष्ट्र	1983-84	233	233	193	83
3. हिमाचल प्रदेश	1984-85	38	38	25	34
4. जामिया मिलिया इस्लामिया	1984-85	23	23	16	30

(i) कुरुक्षेत्र, कश्मीर, राजस्थान तथा सागर विश्वविद्यालयों द्वारा प्रशिक्षकों व पर्यवेक्षकों के लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं चलाया गया (अगस्त 1986) जबकि तमिलनाडु की एक विश्वविद्यालय ने जुलाई 1984 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रबन्ध नहीं किया था यद्यपि वि.वि.अनु.आ. ने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए अप्रैल 1982 के दौरान 0.45 लाख रु. प्रदान किये थे।

(ii) अधिकतर विश्वविद्यालयों में, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निर्धारित मापदण्डों से कम अवधि के लिए व्यवस्थित किये गये थे तथा प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का प्रतिशत लक्ष्य से कम था (महाराष्ट्र, नागपुर, पुणे, रानी दुर्गावती, राजस्थान तथा दिल्ली)। कुछ विश्वविद्यालयों ने अप्रशिक्षित प्रशिक्षकों तथा गैर विद्यार्थियों को जैसे गोरखपुर, केरल तथा राजस्थान केन्द्रों को चलाने के लिये लगाया था।

38.17.8 साक्षरता-उपरान्त तथा अनुवर्ती कार्यक्रम

वि.वि.अनु.आ. ने विश्वविद्यालयों में साक्षरता उपरान्त एवं अनुवर्ती कार्यक्रम शुरू नहीं किया था। 1985-86 तक इन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों ने प्रथम चरण के दो से छः चक्र पूरे कर लिये थे तथा 4.86 में से 3.37 लाख शिक्षार्थियों ने पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया। इन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के अन्तर्गत किसी केन्द्र में भी साक्षरता

उपरान्त एवं अनुवर्ती कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया। तमिलनाडु के केवल 14 महाविद्यालयों ने इस योजना पर 0.40 लाख रु. खर्च किये थे परन्तु निष्पादन के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी।

वि.वि.अनु.आ. ने केवल 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान ही कार्यक्रम के लिए राशि निर्मुक्त की थी। परन्तु कुल राशि तथा कालेजों/विश्वविद्यालयों के व्यौरे, जिनको धनराशि इस उद्येश्य के लिये 1978-79 से 1979-80 तक दी गई थी, उपलब्ध नहीं थे।

38.17.9 प्रबोधन तथा मूल्यांकन

वि.वि.अनु.आ. के मार्गदर्शनों के पैरा 8.1 अनुसार, प्रत्येक महाविद्यालय को त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को भेजने थे तथा प्रत्येक विश्वविद्यालय को ये त्रैमासिक प्रतिवेदन वि.वि.अनु.आ. को भेजने अपेक्षित थे।

तथापि यह देखा गया कि लगभग सभी विश्वविद्यालय अपनी त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदनों को नियमित रूप से नहीं भेज रहे थे।

वि.वि.अनु.आ. द्वारा यह बताया गया (नवम्बर 1985) कि 47 विश्वविद्यालयों में से जिन्होंने 1983-84 के दौरान कार्यक्रम कार्यान्वित किया था किसी भी विश्वविद्यालय की कोई प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं थे तथा 82 विश्वविद्यालय में से जिन्होंने 1984-85 के दौरान कार्यक्रम कार्यान्वित किया था, केवल 11 प्रतिवेदन उपलब्ध थे।

वि.वि.अनु.आ. ने 1984-85 अवधि के लिये एक पुनरीक्षण किया (जनवरी 1986) जो संकेत करती थी कि कार्यक्रम का प्रभाव उत्साहवर्धक नहीं था। यह भी विचार किया गया कि कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाली संस्थाओं को चाहिये कि वे प्रत्येक चरण के पूरा होने पर प्रशिक्षकों का मूल्यांकन करें तथा उसके परिणामों को विश्वविद्यालयों/वि.वि.अनु.आ., जैसा भी हो, को प्रस्तुत किए जाने वाले उनके वार्षिक प्रतिवेदनों में सम्मिलित करें। लेकिन ऐसा मूल्यांकन प्रत्येक किसी भी संस्था द्वारा नहीं किया गया था।

38.17.10 सलाहकार समिति:

प्रत्येक विश्वविद्यालय में उपकुलपति की अध्यक्षता में केन्द्रीय सलाहकार समिति की स्थापना की जानी थी। कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाले महाविद्यालयों में भी महाविद्यालय स्तर पर इसी प्रकार की समितियां स्थापित की जानी थी। इन दो समितियों की वर्ष में कम से कम क्रमशः दो तथा एक बार बैठक होती जरूरी थी जिससे कार्यक्रम के योजना तथा व्यवस्था और किये हुये कार्य की समीक्षा के बारे में भी सिफारिश की जा सके।

तथापि यह देखा गया कि अधिकतर विश्वविद्यालय में कोई सलाहकार समितियां नहीं बनायी गयीं। जहाँ सलाहकार समिति बनायी गयी, तो उनकी नियमित रूप से बैठकें नहीं हुईं। वि.वि.अनु.आ. ने अवलोकन को स्वीकार किया तथा बताया (जुलाई 1986) कि उचित कदम यह सुनिश्चित करने को उठाये जा रहे थे कि विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों से सलाहकार

समितियां कार्यक्रम के सही कार्यान्वयन समन्वयन, प्रबोधन तथा लक्ष्य प्राप्ति आदि के लिए नियमित रूप से बैठक करें।

किसी भी विश्वविद्यालय के अधीन महाविद्यालयों के बारे में महाविद्यालय स्तर की सलाहकार समिति के गठन व उनकी बैठकों से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं थी।

38.17.11 अन्य रुचिकर बातें

- (क) श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय ने 1984-85 में 0.98 लाख रु. की लागत पर पठन सामग्री के 15,000 सेट प्रशिक्षुओं के लिये तैयार किये थे परन्तु उनके उपयोग के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी।
- (ख) उड़ीसा, केरल, व पंजाब के केन्द्रों में 3 वर्ष से उड़ीसा व केरल तथा 2 वर्ष से पंजाब में उन्हीं प्रशिक्षुओं द्वारा चलाया जा रहा था।
- (ग) कालीकट विश्वविद्यालय ने सितम्बर 1983 तक समन्वयनकर्ता तथा परियोजना अधिकारी के वेतन व भत्तों पर 0.66 लाख रु. की राशि अदा की जिन्होंने किसी भी केन्द्र का निरीक्षण नहीं किया और न ही कोई प्रतिवेदन भेजा। तदोपरान्त, कार्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा कार्यान्वित नहीं किया गया।
- (घ) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा संचालित 536 केन्द्रों ने फरवरी 1985 में अन्तिम सत्र समाप्त किया तथा दूसरा सत्र बिना कोई कारण बताये 10 माह के अन्तर के बाद केवल जनवरी 1986 से शुरू किया।

सारांश

- कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्धियां समय समय पर निर्धारित लक्ष्यों, संभावनाओं से बहुत कम थी।
- राज्य प्रौढ़ शिक्षा के बोर्ड, परिचालन कमेटियां तथा जिला प्रौढ़ शिक्षा कमेटियां सभी राज्यों/संघशासित प्रदेशों में स्थापित नहीं की गयीं। जहां कहीं भी ऐसी समितियां गठित की गईं वहां बैठकें नियमित रूप से नहीं हुईं।
- निष्फल व्यय, राशियों का दुरुपयोग तथा सामान तथा उपकरण आदि के खरीद में अनियमितताओं के मामले थे।
- प्रशिक्षकों व पर्यवेक्षकों को मानदेय का भुगतान कई मामलों में भारत सरकार से अनुमोदित दरों के अनुसार नहीं किया गया था। राशि के निकालने तथा प्रशिक्षकों को भुगतान करने में अनियमिततायें थीं। पर्यवेक्षकों को पारिश्रमिक देने में भी निर्धारित मापदण्ड नहीं अपनाये गये थे।

- विभिन्न केन्द्रों में हाजिरी पंजीकों का सही प्रकार से रखरखाव नहीं था तथा कई मामलों में प्रविष्टियां सही नहीं थीं।
- केन्द्रों में पठन/पाठन सामग्री की आपूर्ति अपर्याप्त तथा विलम्ब से थी।
- पर्यवेक्षकों द्वारा केन्द्रों का निरीक्षण अति असन्तोषजनक था।
- वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए अनुदान के व्ययगमन को टालने के लिये धन की बड़ी राशियां निकाली गईं तथा बैंक में चालू खातों में रखी गयी थीं।
- अधिकतर राज्यों में विभिन्न स्तरों पर विवरणियों को प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ तथा प्रतिवेदनों को जहां प्रस्तुत किया गया, वे अक्सर अधूरे/अस्पष्ट थे।
- 59 मामलों में 29.39 लाख रु. अन्तर्ग्रस्त थे जिसमें था तो स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा धन का दुरुपयोग या केन्द्रों का असन्तोष जनक ढंग से चलाया जाना था तथा राज्य सरकारों से जांच प्रतिवेदन प्रतीक्षित थे।
- 375 मामलों में 218.78 लाख रु. के लिये उपयोग प्रमाण पत्र स्वैच्छिक संगठनों से प्रतीक्षित थे।

साक्षरता उपरान्त तथा अनुवर्ती कार्यक्रम प्रौढ़शिक्षा कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग ही था जो भारत सरकार द्वारा 1979 से शुरू किया जाना था। तथापि इसका आरम्भ कुछ राज्यों में 1982-83 से किया गया जिसके परिणामस्वरूप जिन नव साक्षरों ने 1978-79 से 1981-82 दौरान 10 महीने के पाठ्यक्रम का पहला चक्र पूरा किया था पुनः निरक्षरता में पतित हो सकते थे। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में असन्तोषजनक प्रगति इस तथ्य से भी मालूम होती है कि 1982-83 से 1984-85 के दौरान स्वीकृत 50 प्रतिशत से अधिक अनुदानों का उपयोग नहीं किया गया।

- 15-35 आयु वर्ग की प्रौढ़ महिलाओं में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना 1983-84 में शुरू की गयी। योजना के अन्तर्गत 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान 602.55 लाख रु. की संस्वीकृत राशि में से, 319.92 लाख रु. उपयोग नहीं किये गये।
- औद्योगिक व शहरी श्रमिकों के शैक्षणिक तथा व्यावसायिक कुशलता बढ़ाने हेतु स्थापित किये गये श्रमिक विद्यापीठों में श्रमिकों की विभिन्न आन्तरिक आवश्यकताओं का पता करने के लिए किसी सर्वेक्षण के बिना ही यद्यपि ऐसे सर्वेक्षण निर्धारित थे, पाठ्यक्रमों को संगठित कर दिया गया था।
- किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा योजना के कार्यान्वयन से पहले

केन्द्रों को खोलने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी क्षेत्र का बेंच मार्क सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

— वि.वि.अनु.आ. द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रमों में राशि निर्मुक्त करने में, पठन/पाठन सामग्री की आपूर्ति, प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण,

सलाहकार समितियों की स्थापना व उनकी बैठकों आदि करने में कमी पायी गयी।

— 10 महीने का मूल साक्षरता पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात कार्यक्रम का प्रबोधन व मूल्यांकन किया जाना था जो कि न तो वि.वि.अनु.आ. ने ठीक तरह से किया और न ही विश्वविद्यालयों ने।

अनुबन्ध-1

राज्य सैक्टर के अंतर्गत संस्वीकृत लागत का राज्यवार ब्यौरा और इसके प्रति किया गया व्यय

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	योजना आयोग द्वारा संस्वीकृत लागत 1980-85 (करोड़ रुपयों में)	योजना आयोग द्वारा संस्वीकृत लागत 1986-90 (करोड़ रुपयों में)	पांच वार्षिक योजनाओं में अनुमोदित लागत 1980-85 (करोड़ रुपयों में)	अनुमोदित वार्षिक योजना 1985-86 (करोड़ रुपयों में)	पूर्वानुमानित व्यय 1980-85 (करोड़ रुपयों में)	पूर्वानुमानित व्यय 1985-86 (करोड़ रुपयों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	3.00	20.50	3.70	2.15	2.76	3.50
2.	असम	2.50	6.04	3.61	1.10	3.55	1.10
3.	बिहार	10.00	29.96	15.10	4.00	12.63	6.50
4.	गुजरात	4.00	9.20	3.28	1.55	3.24	1.55
5.	हरियाणा	—	3.68	0.41	0.25	0.20	0.25
6.	हिमाचल प्रदेश	0.22	1.31	0.31	0.25	0.22	0.06
7.	जम्मू और कश्मीर	1.50	2.36	1.45	0.32	1.63	0.31
8.	कर्नाटक	5.00	12.09	4.22	1.20	3.30	1.58
9.	केरला	0.50	2.62	0.32	0.40	0.11	उ.न.
10.	मध्य प्रदेश	7.50	19.71	7.16	2.00	6.97	1.75
11.	महाराष्ट्र	5.00	16.30	4.94	3.90	4.90	2.64
12.	मनीपुर	0.40	0.40	0.41	0.35	0.45	0.35
13.	मेघालय	0.20	0.40	0.31	0.10	0.31	0.10
14.	नागालैंड	0.30	0.21	0.43	0.15	0.40	0.08
15.	उड़ीसा	2.00	9.99	0.73	1.10	0.68	0.34
16.	पंजाब	1.00	5.52	0.47	0.10	0.02	0.10
17.	राजस्थान	4.00	13.14	3.81	1.00	3.63	0.80
18.	सिक्किम	0.10	0.13	0.18	0.10	0.16	0.10
19.	तमिल नाडु	4.00	14.45	6.46	1.28	7.61	1.83
20.	त्रिपुरा	0.90	0.53	0.83	0.16	0.59	0.16
21.	उत्तर प्रदेश	5.45	42.04	5.14	1.50	4.19	2.21
22.	पश्चिमी बंगाल	7.50	17.08	5.85	2.67	5.92	1.50
23.	अंडमान निकोबार द्वीप	0.09	0.05	0.09	0.03	0.10	
24.	अरुणाचल प्रदेश	0.20	0.26	0.46	0.30	0.43	0.45
25.	चंडीगढ़	0.18	0.05	0.13	0.06	0.13(+) 0.34(एम.इ.)	0.06(+) 0.07(एम.इ.)
26.	दादर नागर हवेली	0.05	0.03	0.06	0.01	0.06	0.02
27.	देहली	1.50	1.31	1.53	0.30	1.80	0.22
28.	गोवा दमन द्वीप	0.59	0.26	0.46	0.04	0.36	0.11
29.	लक्ष द्वीप	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
30.	मिजोरम	0.20	0.21	0.15	0.14	0.15	0.14
31.	पांडीचेरी	0.11	0.16	0.10	0.02	0.10	0.02
जोड़		68.00	230.00	72.11	26.54	66.95	27.91

(एस.ई. विशेष शिक्षा)

अनुबन्ध-II

प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	अवधि	केन्द्रों की संख्या	प्रशिक्षकों की संख्या	पर्यवेक्षकों की संख्या	परियोजना अधि-कारियों की संख्या	प्रशिक्षितों की संख्या		
							प्रशिक्षक	पर्यवेक्षक	परियोजना अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	हिमाचल प्रदेश	1979-80 से 1984-85	5,904	5,904	116	43	उ.न.	उ.न.	उ.न.
2.	जम्मू व कश्मीर (7 परियोजनाओं-ग्रा.का.सा.प. तथा रा.प्री.शि.प.)	1978-79 से 1984-85	8,047	8,047	उ.न.	उ.न.	2,436	उ.न.	उ.न.
3.	केरल	1979-80 से 1984-85	7,075	7,075	228	39	5,775	223	31
4.	मध्य प्रदेश (परियोजनाओं की नमूना जाँच)	1979-80 से 1984-85	9,110	9,110	277	50	6,321	154	36
5.	महाराष्ट्र (ग्रा.का.सा.प. तथा रा.प्री. शि.प.)	1979-80 से 1984-85	46,020	46,020	1,532	137	43,771	1,019	79
6.	मणिपुर (ग्रा.का.सा.प. तथा रा.प्री.शि.प.)	1980-81 से 1984-85	6,644	6,644	361	44	2,803	36	22
7.	मेघालय (एक जिला)	1983-84	उ.न.	200	उ.न.	उ.न.	74	उ.न.	उ.न.
8.	नागालैण्ड (एक जिला)	1979-80 से 1985-86	उ.न.	1,260	उ.न.	उ.न.	1,129	उ.न.	उ.न.
9.	उड़ीसा (ग्रा.का.सा.प., रा.प्री.शि.प. तथा स्वैच्छिक संस्थायें)	1979-80 से 1983-84	20,229	20,229	130	61	20,229 @	शून्य	49
10.	पंजाब	1979-80 से 1984-85	13,281	13,281	60	47	प्रशिक्षण लगातार नहीं दिया गया		
11.	राजस्थान (ग्रा.का.सा.प. व रा.प्री.शि.प.)	1980-81 से 1984-85	उ.न.	41,041	317	27	41,041	317**	18**
12.	सिक्किम (ग्रा.का.सा.प. रा.प्री.शि.प. एवं स्वै.सं.)	1980-81 से 1985-86	4,336	4,077	40	8	उ.न.	40	7
13.	त्रिपुरा	1980-81 से 1985-86	उ.न.	8,035	उ.न.	उ.न.	6,086	उ.न.	उ.न.
14.	अण्डमान व निकोबार (ग्रा.का.सा.प. तथा रा.प्री. शि.प.)	1979-80 से 1985-86	1,259	1,259	27	9	753	शून्य	2
15.	पश्चिमी बंगाल (3 जिले ग्रा.का.सा.प.)	1982-83 से 1984-85	उ.न.	1,142	उ.न.	उ.न.	336	उ.न.	उ.न.
16.	अरुणाचल प्रदेश	1978-79 से 1984-85	उ.न.	5,515	104	उ.न.	103***	उ.न.	उ.न.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	दादर व नागर हवेली	1978-79 से 1983-84	उ.न.	उ.न.	2	उ.न.	प्रशिक्षण नहीं दिया गया		
18.	गोवा, दमन व द्वीप	1981-82 से 1984-85	1,962	1,962	120	—	741	29	
19.	भिजोरम	1979-80 से 1984-85	उ.न.	1,819	132	3%	277	19	3%
20.	पांडिचेरी	1980-81 से 1984-85	2,228	2,052	65	20	1,693*	56*	—

टिप्पणी:—

@ 69 परियोजनाओं में से 7 की नमूना जाँच से पता चला कि राज्य सरकार के अभिलेख के अनुसार 100 प्रतिशत प्रशिक्षण प्रशिक्षकों के प्रति 361 प्रशिक्षक अप्रशिक्षित थे।

** 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान 7 ग्रा.का.प. तथा रा.प्रौ.शि.प. परियोजनाओं के नमूना जाँच से पता चला।

	नियुक्ति				प्रशिक्षित			
	प्रशिक्षक	पर्यवेक्षक	स.प.अ.	प.अ.	प्रशि.	पर्य.	म.प.अ.	परि.अ.
1983-84	1883	60	6	5	1493	26	4	2
1984-85	1855	59	7	5	1517	50		2

** राज्य सरकार के अनुसार स्थिति निम्न प्रकार से है:—

1978-79 से	कुल			प्रशिक्षित		
	प्रशि.	पर्य.	परि.अधि.	प्रशि.	पर्य.	परि.अधि.
1984-85	865	16	11	61	6	11

% ये दिसम्बर 1982 से फरवरी 1985 तक प्रशिक्षित किये गये थे।

* 1980-81 वर्ष के लिये आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं जो उपलब्ध नहीं है।

उ.न. आंकड़े उपलब्ध नहीं।

अनुबन्ध-III

स्वयंसेवी एजेन्सियों को जारी की गई राज्यवार सहायता

क्रमांक	1978-79		1979-80		1980-81		1981-82		1982-83		1983-84		1984-85		1985-86		
	राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र का नाम	स्वयं सेवी एजेन्सियों की संख्या	जारी की गई राशि	स्वयं सेवी एजेन्सियों की संख्या	जारी की गई राशि	स्वयं सेवा एजेन्सियों की संख्या	जारी की गई राशि	शिक्षा स्वभाग परियोजनाओं द्वारा अनुमोदित की गई स्वयं सेवी एजेन्सियों की संख्या	जारी की गई राशि	स्वयं सेवी एजेन्सियों की संख्या	जारी की गई राशि	स्वयं सेवी एजेन्सियों की संख्या	जारी की गई राशि	स्वयं सेवी एजेन्सियों की संख्या	जारी की गई राशि	स्वयं सेवी एजेन्सियों की संख्या	जारी की गई राशि
	लाख रुपयों में																
1. आंध्रप्रदेश	5	3.68	5	1.97	3	6.32			0.15	8	15.62	8	5.94	12	21.00	8	20.51
2. असम	2	0.31	7	2.73	—	—			0.71	2	0.99	15	9.62	10	7.64	16	15.97
3. बिहार	43	18.02	56	22.50	7	3.38			8.05	—	—	12	16.33	1	0.83	10	10.55
4. गुजरात	94	36.93	92	58.12	49	24.26			11.16	21	17.63	47	41.43	33	33.18	51	76.00
5. हरियाणा	3	1.50	2	1.23	—	—			—	1	3.31	2	5.11	7	13.46	2	4.09
6. हिमाचल प्रदेश	—	—	1	0.18	—	—			—	—	—	—	—	—	—	3	1.80
7. कर्नाटक	9	3.74	21	7.78	10	3.23			3.00	12	7.19	6	3.90	35	28.12	71	52.49
8. केरल	—	—	7	2.85	1	0.10			2.18	—	—	—	—	—	—	1	5.01
9. मध्य प्रदेश	19	6.41	21	8.91	3	0.42			1.56	—	—	—	—	5	6.17	8	5.28
10. महाराष्ट्र	51	13.60	119	37.07	59	13.28			8.41	25	12.75	54	27.02	32	29.18	52	37.47
11. मणिपुर	8	4.19	5	2.43	2	0.93			1.48	4	6.24	1	2.45	2	0.79	1	3.21
12. नागालैंड	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	1	0.18
13. उड़ीसा	9	2.54	17	6.52	12	2.99			2.98	12	6.89	25	12.86	11	8.74	20	14.89
14. पंजाब	1	0.50	2	0.66	1	0.39			—	—	—	—	—	2	1.66	21	26.56
15. राजस्थान	49	21.39	30	19.29	33	13.07			3.90	10	10.04	8	9.09	27	24.23	31	54.65
16. तमिलनाडु	22	12.86	23	13.10	13	4.80			7.54	25	30.83	41	29.82	36	47.83	47	66.95
17. उत्तर प्रदेश	18	7.98	41	16.07	11	2.35			3.23	6	5.13	27	19.13	51	44.13	13	22.21
18. पश्चिमी बंगाल	2	1.73	9	6.78	3	0.78			7.64	4	4.65	6	9.37	11	6.89	—	—
केन्द्र शासित क्षेत्र									—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. अरुणाचल प्रदेश	1	0.25	—	—	—	—			2.71	3	2.55	5	5.61	8	13.44	12	14.29
20. दिल्ली	10	5.32	10	3.95	7	2.71			—	—	—	1	0.49	1	0.47	—	0.22
21. गोवा दमन द्वीप	—	—	1	0.25	1	0.24			0.15	—	—	—	—	—	—	—	—
22. मिजोरम	1	0.08	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. पाँडिचेरी	1	0.25	—	—	1	0.24			—	—	—	—	—	—	—	—	—
24. लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
25. कक्ष और सेमिनार को चलाने वाली एजेन्सियां	6	0.80	6	2.58	4	0.49			—	—	—	—	—	—	—	—	—
26. एस ए सी के लिए चलाई गई एजेन्सियां	8	15.10	10	21.54	10	24.08			—	—	—	—	—	—	—	—	—
27. मूल्यांकन के लिए चलाई गई एजेन्सियां	1	0.80	5	2.50	6	4.80			—	—	—	—	—	—	—	—	—
	363	157.98	490	239.01	236	108.86			64.85	133	123.82	258	198.17	284	287.76	368	432.33

अनुबन्ध-IV

केन्द्रों में प्रध्यापकों की नियुक्ति

क्रम संस्थानों की संख्या	संस्थानों की संख्या	वर्ष	केन्द्री की संख्या	पुरुष	स्त्री	कुल	कुल		प्रतिशतता		पु.अनु.जा./ अनु.जनजाति स्त्री की सं.	प्रतिशतता		स्त्री
							अनु.जा.	अनु.ज.जा	अनु.जा.	अनु.जन.जा		पु.	स्त्री	
<u>आसाम</u>														
1.	गुहाटी विश्वविद्यालय के अंतर्गत महाविद्यालय	81-82	30	345	600	945	85	20	9	2	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
	अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अधीन महाविद्यालय	85-86	30	572	365	937	189	195	20	21	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
	अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अधीन महाविद्यालय	81-82	65	1191	680	1871	199	377	11	2	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
<u>हरियाणा</u>														
2.	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अधीन महाविद्यालय	84-85	139	1946	1566	3512	*1138	—	*32	—	672	466	59	41
	अधीन महाविद्यालय	85-86	147	2236	1720	3956	*1390	—	*37	—	704	686	51	49
3.	हिमाचल प्रदेश, विश्वविद्यालय	83-84	30	203	264	467	174	—	40	—	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
	विश्वविद्यालय	84-85	30	77	302	379	70	—	20	—	—	—	—	—
4.	कश्मीर विश्वविद्यालय	85-86	99	1557	792	2349	240	—	10	—	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
5.	केरल-कालीकट	84-85	90	1290	1367	2657	631	93	24	3	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
<u>मध्य प्रदेश</u>														
	रानी दुर्गावती विश्व-विद्यालय जबलपुर	83-84	163	2092	2798	4890	1136	790	25	14	812	1114	39	40
	विद्यालय जबलपुर	84-85	227	3231	3468	6699	973	841	15	12	1031	783	32	23
		85-86	163	2155	2735	4890	628	487	13	10	540	575	25	21
	हरी सिंह गौड़ विश्वविद्यालय	84-85	367	5400	4328	9728	2401	1306	24	14	2357	1350	44	31
	विश्वविद्यालय	85-86	488	8123	4973	13096	3246	2181	25	16	3674	1753	45	35
<u>महाराष्ट्र</u>														
	बम्बई विश्वविद्यालय	85-86	456	5183	5775	10958	2910	3577	27	34	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
	एस.एन.डी.टी. विश्वविद्यालय (महिलाएं)	85-86	325	432	6647	7079	1019	1057	14	15	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
	पुणे विश्वविद्यालय	85-86	1062	10637	10057	20694	3813	3161	18	15	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
<u>पंजाब</u>														
	पंजाब विश्वविद्यालय	84-85	359	5016	4041	9057	*4355	—	*48	—	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
	चंडीगढ़	85-86	339	4656	3868	8524	*5119	—	*60	—	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
<u>तमिलनाडु</u>														
	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय	79-80	3057	37618	35933	73551	35510	1588	48	2	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
	से	84-85												
	गन्डुगरम ग्रामीण संस्थान	81-82												
	से	85-86	300	4919	5516	10435	2542	491	28	1	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
	मद्रास विश्वविद्यालय	79-80	1000	15762	10072	25834	10633	1909	41	8	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
	से	84-85												
<u>पश्चिमी बंगाल</u>														
	जादवपुर विश्वविद्यालय	84-85	1	563	68	631	*51	—	*9	—	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
		85-86	1	524	62	586	*45	—	*8	—	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
<u>केन्द्रशासित क्षेत्र, दिल्ली</u>														
	दिल्ली विश्वविद्यालय	84-85	42	168	417	585	186	49	32	9	73	162	13	28
	दिल्ली विश्वविद्यालय	85-86	157	328	2893	3221	601	28	29	1	—	—	—	—
	जामिया मिलिया इस्लामिया	84-85	23	405	259	664	356	34	55	5	315	75	47	13
		85-86	24	182	296	478	217	—	45	—	उ.न.	उ.न.	—	—

टिप्पणी:— सीखने वालों का योग दर्शाता है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

39. रवीन्द्र रंगशाला को लोक प्रिय बनाने में विफलता

असंतोषजनक स्थिति में बनाई तथा कार्यान्वित की गई रवीन्द्र रंग शाला पर टिप्पणी करते हुए, लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) ने अपने 108 वें प्रतिवेदन (चौथी लोक सभा) में विचार प्रकट किया कि रंगशाला एक सांस्कृतिक सुविधा होने के कारण सरकार को उसे एक वित्तीय प्रस्ताव के रूप में नहीं देखना चाहिए बल्कि इसके साथ-साथ सरकार के लिए यह आवश्यक था कि वह इसके लोकप्रिय होने तथा सही उपयोग को भी देखती रहे।

सन् 1972 में, रंगशाला का प्रशासनिक नियंत्रण सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के गायन तथा ड्रामा प्रभाग (प्रभाग) को स्थानान्तरित कर दिया गया था।

रंगशाला में वर्तमान सुविधाओं को बढ़ाने के क्रम में तथा भारतीय और विदेशी फिल्मों के प्रदर्शित करने में उपयोगी बनाने के लिये 35 एम.एम. तथा 70 एम.एम. के चलचित्र प्रक्षेपक एक बड़ा चलचित्र चित्रवत और अन्य उपकरणों की खरीद पर सन् 1974 में 3.96 लाख रुपये व्यय किए गए थे।

1974-75 से 1984-85 के दौरान, 34.76 लाख रुपये, 11.13 लाख रुपये तथा 3.22 लाख रुपये अनुरक्षण विद्युत, जल प्रभार तथा सम्पत्ति करों पर व्यय किए गए थे। गणतंत्र दिवस समारोह आयोजन करने के लिए 1982 में रंगशाला परिसर के नवीकरण पर 7 लाख रुपये व्यय किये गये थे। प्रदर्शित चल-चित्रों की संख्या, मिश्रित कार्यक्रम, प्रकाश एवं ध्वनि प्रदर्शन, जो 1972-73 और इससे आगे की अवधि में दिखाए गये, निम्न प्रकार थे:-

वर्ष	चलचित्र और प्रकाश एवं ध्वनि प्रदर्शन
1974-75	48
1975-76	151
1976-77	152
1977-78	—
1978-79	—
1979-80	—
1980-81	49
1981-82	7
1982-83	4
1983-84	—
1984-85	—

चलचित्र प्रदर्शनों हेतु पदों के सृजन न किये जाने के कारण, नवम्बर 1976 से चलचित्र प्रदर्शन रोक दिए गए थे। रंगशाला में संविदा आधार पर प्राइवेट संगठनों को चलचित्र दिखाने के लिए भी आकर्षित नहीं किया जा सका था।

इसके अतिरिक्त, अक्टूबर 1975 से मार्च 1981 के बीच प्राइवेट पार्टियों द्वारा 15 कार्यक्रम संगठित किए गए थे। 1982 से रवीन्द्र रंगशाला में गणतंत्र दिवस पर लोकनृत्य उत्सव आयोजित किया गया था। इसके उपरान्त रंगशाला, गणतंत्र दिवस लोकनृत्य दलों के शिविर/पूर्वाभ्यास के लिये उपयोग किया जा रहा है।

गृह मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने, रवीन्द्र रंगशाला के वर्तमान उपयोग, अनुरक्षण तथा इसके उपयुक्त सुधार के तरीके सुझाने के लिए, अध्ययन कार्य अपने हाथ में लिया तथा अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1983 में प्रस्तुत की। इसमें यह सिफारिश की गई थी कि

- रवीन्द्र रंगशाला को दिल्ली क्षेत्र (गायन तथा नाटक प्रभाग) के कार्यभार के अंतर्गत रखना चाहिए जो कि मुख्यालय से रंगशाला परिसर में स्थानांतरण किया जा सकता है।
- रवीन्द्र रंगशाला में चलचित्र प्रदर्शन तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रायोगिक आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिये आवश्यक समर्थित स्टाफ सर्जन तदर्थ आधार पर किया जाना चाहिए।
- शिक्षा संस्थानों, सांस्कृतिक संगठनों, सरकारी विभागों, दिल्ली में स्वायत्त निकायों, तथा दिल्ली प्रशासन को रंगशाला परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि करने के लिये सम्पर्क करना चाहिए।
- रंगशाला को किराये पर लेने की वर्तमान शर्तों को अधिक उदार, आकर्षक तथा ग्राहक अभिभावक बनाना चाहिए। प्रतिवेदन में ऐसा अनुमान लगाया गया था कि इस सुविधा का लाभ अच्छे कार्य में उपयोग किये जाने के अलावा इसको प्रतिवर्ष लगातार 7.70 लाख रु. का निवल लाभ होगा।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 1986) कि

- रवीन्द्र रंगशाला का प्रशासनिक प्रभार अप्रैल 1985 में गायन तथा नाटक प्रभाग, दिल्ली क्षेत्र को सौंपा गया था।
- रवीन्द्र रंगशाला के लिए पदों के सृजन के प्रस्ताव का अनुमोदन योजना आयोग द्वारा सातवीं पंचवर्षीय प्रस्तावों के अंतर्गत किया गया था तथा उनका सृजन किया जाना था। रंगशाला को उपयोग में लाने के लिए भरसक प्रयास करने के बावजूद केवल एक पार्टी, चलचित्र चित्रपट का उपयोग करने के लिए आगे आई थी। पार्टी के साथ 21.6.1985 से 30.11.1985 तक की अवधि के लिये पट्टा दस्तावेज किया गया था। पट्टा दस्तावेज का नवीनीकरण 30.11.1985 के बाद नहीं किया गया था किन्तु रंगशाला गैरकानूनी तौर पर अब भी पार्टी के अधिपत्य में थी।

21.6.1985 से 30.11.1985 की अवधि के लिए 1.79 लाख रुपये भुगतान योग्य किराए में से जुलाई 1986 तक मंत्रालय द्वारा 1.28 लाख

रुपये की प्राप्ति हुई थी। दिसम्बर 1985 के आगे पार्टी द्वारा रंगशाला को गैरकानूनी तौर पर अपने अधिपत्य में रखे जाने फलस्वरूप 0.33 लाख रुपये की भुगतान, योग्य मासिक किराए की राशि तथा 0.51 लाख रुपये की बकाया राशि अभी भी पार्टी द्वारा देय थी।

50 लाख रुपये के पूंजीगत निवेश और 4.6 लाख रुपये के वार्षिक अनुरक्षण व्यय के बाद भी रंगशाला न तो अभी तक लोकप्रिय हो पाई है और न ही उसका सही उपयोग हुआ है जैसा कि लोक लेखा समिति ने सुझाया था।

40. 13.61. लाख रुपये का परिहार्य व्यय

पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली ने फरवरी 1983 में प्रस्तुत आपूर्ति आदेशों के आधार पर नई दिल्ली में 1 मार्च से 11 मार्च 1983 तक की अवधि में हुई गुट निरपेक्ष समिति बैठक (गु.नि.स.बै.) के लिए, मार्च 1983 में 13.61 लाख रु. के मूल्य के 2 प्रेषक दूरचित्रक तथा 4 रिसिवरों का आयात किया। इस राशि में, उपस्करों के साथ प्राप्त 0.48 लाख रुपये के मूल्य के 10 चांदी जडित रोलों की कीमत भी शामिल थी। उपस्करों की सुपर्दगी 4 मार्च 1983 में हुई थी। जालन्धर, हैदराबाद तथा लखनऊ में तीन रिसिवर प्रतिस्थापित किए गए थे तथा चौथा प्रेषक दूरचित्रक सहित नई दिल्ली में रखा गया था।

सम्बद्ध फाइलों की संवीक्षा से निम्नलिखित बातों का पता चला था:

- (क) यद्यपि उपस्कर का आयात (मार्च 1983) में गुट निरपेक्ष समिति बैठक के संबंध में किया गया था लेकिन केवल 5 माह बाद (अगस्त 1983) में इसका उपयोग किया जा सका था।
- (ख) 1983 से 1986 की अवधि के दौरान, जुलाई 1986 तक केवल 66 दिनों के लिए (1983-10 दिन, 1984-1 दिन, 1985-7 दिन तथा 1986-48 दिन) उपस्कर का उपयोग किया गया था।
- (ग) चूंकि उपस्कर का उपयोग गु.नि.स.बै. के लिए नहीं किया गया था तथा इसके बाद भी कम उपयोग में लाया गया, इसकी खरीद का बहुत कम औचित्य था।
- (घ) उपस्कारों के साथ प्राप्त चांदी जडित रोल बेकार हो गए थे क्योंकि उनका छः माह सीमित जीवन काल अर्थात् जून 1983 तक उपयोग नहीं किया जा सका था तथा इसके बाद चोगम के लिए चार और रोल 0.17 लाख रु. के मूल्य पर खरीदने पड़े थे।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 1986) कि उपस्कर का इन कारणों से सर्वोत्तम प्रयोग में न लाये जा सके:

- (i) संप्रेषण के लिए अपेक्षित चांदी जडित पेपर के उपलब्ध न होने पर तथा
- (ii) प्रथम बार इस प्रकार के कृत्रिम उपस्कारों को प्रापण के कारण

मंत्रालय ने इसके अतिरिक्त बताया (फरवरी 1987) कि उपकरण अत्यावश्यक आधार पर खरीदे गए थे क्योंकि नई

दिल्ली में गुट-निरपेक्ष सम्मेलन करने का निर्णय अल्प सूचना पर किया गया था। कुछ प्रक्रिया संबंधी समस्याओं के कारण, जो संचार विभाग के साथ कण्ठबद्ध थीं अंतर्प्रस्तुत था प्रेस सूचना ब्यूरो के लिये भी यह संभव नहीं हो सका था कि उपकरण का पर्याप्त प्रयोग कर सके। तथापि प्रेस सूचना ब्यूरो आगामी भविष्य में उपकरण के उपयुक्त प्रयोग के लिए साधन निकाल रहे हैं।

41. मूल अभिलेखों के अनुरक्षण में अनियमितताएं एवं त्रुटियां

स्थानीय लेखा परीक्षा के दौरान पाई गई वित्तीय अनियमितताएं एवं त्रुटियां निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल की जाती हैं जिन्हें आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों को प्रेषित किया जाता है। 30 जून 1986 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न विभागों को 31 दिसम्बर 1985 तक जारी किये गये 245 प्रतिवेदनों जिनमें 1207 पैराग्राफ शामिल थे का निपटान बकाया पड़ा था। परिशिष्ट में दिये गये वर्ष वार ब्यूरो से स्पष्ट होता है कि 364 पैराग्राफों तो 1968-69 से 1979-80 की अवधि से संबंधित थे तथा 42 प्रतिवेदनों के 248 पैराग्राफों के बारे में प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए थे।

मालूम हुई अनियमितताएं मोटे तौर से रोकड़ को संभालने से संबंधित नियमों का पालन न कर पाने, लेखन सामग्री का निर्धारित सीमा से अधिक खरीदने तथा उचित संस्वीकृति के बिना खर्च करने, पेशगियों की वसूली/ गैर वसूली में विलम्ब, ग्रुप "डी" स्टाफ के सामान्या भविष्य निधि खातों का अनुचित अनुरक्षण, बट्टे खाते डाले गये कर्जे, हानियों इत्यादि को संस्वीकृत नहीं करने, लेखा परीक्षा में निकाले गये अधिक भुगतानों को वसूल नहीं करने आदि थीं।

बकाया कुछ आवश्यक बातों का वर्णन संक्षेप में नीचे दिया गया है:-

जैसे नीचे उल्लिखित है मंत्रालय ने टेलीप्रिन्टर प्राप्त करने हेतु निम्न चार समाचार एजेंसियों को विकास ऋण संस्वीकृत किये:-

क्र.सं. समाचार एजेंसी का नाम	संस्वीकृति की तिथि	ऋण की राशि
1 प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया	7.2.79	17.00
2 यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया	8.2.79	21.25
3 हिन्दुस्तान समाचार	8.2.79	8.50
4 समाचार भारती	2.3.79	1.50
		जोड़ 56.75

कर्जों की वसूली जो कि सात बराबर किश्तों में होनी थी, कर्जा देने की तिथि से दो वर्ष बाद से होनी थी। कर्जों पर ब्याज वार्षिक आधार पर नियमित रूप से देय था। एजेंसी ने अभी तक पहली किश्त का भी भुगतान नहीं किया था।

— चिल्ड्रन फिल्म सोसायटी, बम्बई द्वारा 3.25 लाख रु. के भंडार को लेखाबद्ध न किया जाना लेखा परीक्षा में पकड़ा गया था। भंडारों

को हिसाब में नहीं लिया जाना अभी तक लेखा परीक्षा को नहीं बताया गया था (जनवरी 1987)।

- मंत्रालय की सलाह पर श्रव्य दृष्टि प्रचार निदेशालय ने दिसम्बर 1970 में "वाई मिड टर्म पोल" नाम के फोल्डर को तैयार करने का काम लिया। 4 जनवरी 1971 को मंत्रालय ने इस कार्य को बंद करने का निर्णय लिया किन्तु उस समय तक 1.41 लाख रु. की लागत पर उपरोक्त फोल्डर की 23.28 लाख प्रतियाँ छप चुकी थीं। लेखा परीक्षा में यह मालूम हुआ था कि 23.28 लाख प्रतियों में से एक भी प्रति बेची या बांटी नहीं गई थी। मध्यवर्ती चुनाव के बाद फोल्डरों की अपनी आवश्यकता समाप्त हो गई तथा 1.41 लाख रु. का सम्पूर्ण व्यय निष्पल सिद्ध हुआ।
- श्रव्य दृष्टि प्रचार निदेशक, नई दिल्ली ने मद्रास, बम्बई कलकत्ता और दिल्ली में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में खपत हेतु मार्च 1981 में विभिन्न तरह के 50,000 रिम कागज की आपूर्ति के लिए भारत सरकार आपूर्ति कार्यालय कलकत्ता के पास एक आर्डर प्रस्तुत किया। यह आर्डर निदेशालय की लगभग 14,000 रिम की औसत वार्षिक आवश्यकता से चार गुणा था। इतनी बड़ी खरीद से न

केवल 80 लाख रु. तक की सरकारी निधियों का अवरोधन हुआ बल्कि कागज के भंडारण हेतु गोदामों को किराये पर लेने के परिणामस्वरूप सरकार को अनावश्यक एवं परिहार्य व्यय को सहन करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

- कलकत्ता में मेगावाट ट्रांसमीटर के लिए फालतू ट्रांसमिटिंग ट्यूबों के 6 सैटों की आपूर्ति हेतु 3 अप्रैल 1970 को भारत सरकार और प्रमोश नियति, मास्को की यू.एस.एस.आर. सरकार के बीच एक सविदा (सं.8834) पर हस्ताक्षर किये गये थे। सविदा का जी.आई.एफ. मूल्य 38.17 लाख रु. था। वाल्वों की पूरी मात्रा बीमा जोखिम के अंतर्गत समुद्री जहाज द्वारा आपूर्ति की गई थी। 14.29 लाख रु. जी.आई.एफ. मूल्य की 80 ट्यूबें क्षतिग्रस्त हालत में प्राप्त हुई थीं। 80 ट्यूबों में 64 ट्यूबों का दावा बीमें वाला ने निरीक्षक की रिपोर्ट पर जिसने ट्यूबों टूटने के कारण गलत पैकिंग बताया था, रद्द कर दिया था। इन ट्यूबों के लिए आपूर्तिकर्ता (मैसर्स) प्रमोश नियति, मास्को के साथ किया गया दावा भी लापरवाही यातायात तथा उतराई के बाद कलकत्ते में भंडारण के आधारों पर रद्द हो गया था। इससे सरकार को 11.43 लाख रु. की हानि हुई।

कार्मिक मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

42. रे-आयोग

गृह मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग) ने 18 जून 1981 में तामिलनाडु के चीनी मिलों से अधिक मात्रा में गन्ने के सीरे को शुद्ध स्पिरिट व पेय मद्यसार में बदलने के लिए विचलन की जांच हेतु एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया, फलस्वरूप राज्य राजकोष के राजस्व को भारी हानि, जून 1979 से आगे की अवधि के दौरान शुद्ध स्पिरिट की भारी हानि तथा स्वीकृत मात्राओं से भी अधिक तामिलनाडु राज्य में व से केरल राज्य में व को अवैध क्रिया तथा उनसे सम्बन्धित तथा कथित भ्रष्ट प्रथाएं थीं। आयोग जिसने 23 जून 1981 से कार्य करना शुरू कर दिया था को अपनी जांच रिपोर्ट पूरी करनी थी तथा छः माह की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार को सूचित करना था।

राज्य सरकार के विषय की जांच पड़ताल कराने के केन्द्र सरकार के अधिकार को चुनौती देते हुए एक भूतपूर्व विधान परिषद सदस्य तथा अन्य द्वारा समादेश याचिका दायर करने के कारण आयोग सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सका था। मद्रास उच्च न्यायालय ने 28 अगस्त 1981 को अन्तरिम रोक की स्वीकृति दी, जो 23 दिसम्बर 1981 को उसके द्वारा रद्द कर दी गई थी। रोक के रद्द करने पर अपकृत आवेदकों द्वारा रद्दीकरण आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में विशेष छुट्टी (अवकाश) याचिका दायर की गई, तथा सर्वोच्च न्यायालय ने उनके 25 जनवरी 1982 के आदेश के अधीन अपील के अन्तिम समाधान होने तक के लिये आयोजन की आगे सभी कार्यवाहियों पर रोक लगा दी गई।

भारत सरकार ने 24 जुलाई 1982 को रोक आदेश रद्द करने हेतु प्रार्थना पत्र दायर किया। आवेदन की अन्तिम सुनवाई 18 जनवरी 1983 से सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन थी, जब न्यायालय ने मामला सर्वोच्च न्यायालय के सात न्याय मूर्तियों के न्याय पीठ को भेजने का निश्चय कर लिया था। सुनवाई की अब तक कोई तिथि निश्चित नहीं की गई। इस प्रकार जनवरी 1982 से आयोग कार्य करने के योग्य नहीं रहा।

सदस्य के अलावा आयोग को 7 जुलाई 1981 से 16 सहायक कर्मचारी जैसे सचिव, अनुभाग अधिकारी इत्यादि उपलब्ध कराये गये थे। उन में से जनवरी 1983 में 6 पदों को समाप्त कर दिया गया था। बाकी कर्मचारियों को कार्यालय के दिन प्रतिदिन के कार्य में उपयोग किया गया।

आयोग के सदस्य व उनके स्टाफ, की अवधि को समय समय पर आगे बढ़ाया गया। 1 जनवरी 1986 को भारत सरकार, कार्मिक मंत्रालय लोक शिकायतें व पेंशन (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) ने आयोग की समाप्ति तिथि तक सदस्य के पद को असीमित अवधि तक बनाये रखने तथा उनके कर्मचारियों को आयोग समाप्ति तिथि के बाद एक महीने तक की अतिरिक्त अवधि के लिये संस्वीकृत कर दी थी।

आयोग पर अप्रैल 1986 तक कुल 14.47 लाख रु. का व्यय हो चुका, जिसमें से 12.57 लाख रु. जनवरी 1982 के बाद व्यय हुआ अर्थात् तिथि जिससे आयोग कार्य नहीं कर रहा है।

अतः आयोग पर जनवरी 1982 के बाद 12.57 लाख रु. का व्यय निष्पन्न सिद्ध हुआ। इन मामलों को मंत्रालय को जुलाई 1986 में बताया गया तथा आयोग के कार्यरत न होने व उसके सचिव की सेवाएं मंत्रालय में उप-सचिव के रूप में उपयोग करने की मंत्रालय ने अगस्त 1986 में पुष्टि कर दी थी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि आयोग पर कम व्यय इस लिए किया जा रहा था क्योंकि जांच आयोग अधिनियम, 1952 में उसके निलम्बन के लिये कोई प्रावधान नहीं था तथा सम्पूर्ण मामले पर नये सिरे से अवलोकल करना था।

अन्तरिक्ष विभाग

43. एक गश्ती नाव की खरीद में पूंजी का अवरोधन

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (भा.अ.अ.सं.) श्रीहरिकोटा क्षेत्र केन्द्र (श्रीहरि.क्षे.) ने एक गश्ती नाव की आपूर्ति हेतु निविदाएं आमंत्रित की (अक्तूबर 1976)। केवल एक प्रस्ताव, भारत सरकार के उपक्रम गार्डन रीच शिबल्ड्स एण्ड इंजीनियर्स लि. (गा.री.शि.इं.) से सुपुर्दगी प्रभारों करों आदि के अतिरिक्त 21.38 लाख रुपये नाव तथा 1.74 लाख रुपये सहायक उपकरणों हेतु प्राप्त किया गया (दिसम्बर 1976)। क्रम आदेश बिना विशेष विवरणों को स्पष्ट कराये, महानिदेशक पोत परिवहन (म.नि.पो.) के परामर्शदाता - व्यापारी बेड़ा विभाग (व्या.बे.वि.) के परामर्श से, उपरोक्त उपक्रम को दिया गया (फरवरी 1977)। तथापि, जैसा कि व्या.बे.वि. द्वारा सुझाव दिया गया, मूल विशेष विवरणों में संशोधन की सूचि क्रय आदेश के साथ दी गई थी तथा नाव को, 20 नाट की तीव्र गति तथा 16 नाट की अनवरत गति प्राप्त करनी थी। 26.95 लाख रु. की संशोधित कीमत उद्धृत की गई जून 1977 तथा सुपुर्दगी अगस्त, 1979 तक की जानी थी। नाव के संचालन तथा रखरखाव के सम्बन्ध में श्रीहरिकोटा क्षेत्र ने मई 1979 में तट रक्षकों की सेवाओं को प्रयोग में लाने का फैसला किया।

गा.री.शि.इ. द्वारा किये गये नमूना जांच में केवल 15 नाट की ही गति प्राप्त की जा सकी तथा गा.री.शि.इं. ने फरवरी/मार्च 1980 तक नाव को सुपुर्दगी करने की आशा की। गा.री.शि.इं. ने सूचित किया था कि डिजाइन में परिवर्तन क्रय आदेश में बताई गई गति की प्राप्ति पर बुरा प्रभाव डाल रहे थे तथा यदि उन्हें, क्रय आदेश वर्णित निष्पत्ति को प्राप्त करने के लिये दोबारा पुनः अभिकल्पित तथा परीक्षण करना पड़ा तो उन्हें नाव को सुपुर्द करने में एक वर्ष और लगेगा। श्रीहरि.क्षे. तट रक्षकों के परामर्श के साथ नाव की अनवरत 15 नाट गति पर, लेकिन उसकी कम गति के कारण कीमत में कटौती पर, स्वीकार करने को सहमत हो गया (नवम्बर 1979)।

तट रक्षकों ने सितम्बर 1979 में स्पष्टीकरण दिया कि वे नाव का संचालन तभी करेंगे जब वह परीक्षण होने तथा ठेकेदार के समुद्री परीक्षण देखने के बाद वरिष्ठ अधिकारी युद्ध पोत निरीक्षण दल (व.अ.यु.नि.द.) द्वारा पास कर दी गई थी। प्रारम्भिक परीक्षण जनवरी 1982 में किये गये थे। परीक्षण के दौरान नाव ने 12.8 नाट की गति पकड़ी और यह अंदाजा लगाया गया कि इससे 14.5 नाट की अधिकतम गति का सुधार लाया जा सकता था। तट रक्षकों ने सुनिश्चित रूप से बताया (फरवरी 1982) कि 16 नाट से कम किसी गति को स्वीकार योग्य नहीं समझा जायेगा। श्रीहरिकोटा श्रेणी ने

गा.री.शि.इं. से अपने विनिर्देशनों को पूरा करने के लिये या तो नाव की गति में सुधारने या 9 से 12 महीने के अंदर वैकल्पित नाव उपलब्ध करने का अनुरोध किया (मार्च 1982)। नाव को सुपुर्द करने में विफलता के मामले में, जैसा कि श्रीहरिकोटा क्षेत्र द्वारा अनुरोध किया गया था, पहले से अदा की गई राशि को गा.री.शि.इं. द्वारा लौटाया जाता था। चूंकि गा.री.शि.इं. की ओर से कोई प्रत्युत्तर न था। अतः श्रीहरिकोटा क्षेत्र ने, आदेश रद्द कर दिया (नवम्बर 1983) तथा जिस अवधि के लिये राशि रखी गई थी उस पर 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज सहित, मार्च 1977 से अगस्त 1979 के दौरान अदा की गई 20.18 लाख रुपये की राशि की वापसी को कहा।

रक्षा उत्पादन विभाग ने इंगित किया (सितम्बर 1986) कि क्रय आदेश में, आदेश के निरसन हेतु, ताकि श्रीहरिकोटा क्षेत्र उसे रद्द करने में समर्थ हो, प्रावधान न था। आगे बताया कि नाव प्रारम्भ में समुद्र में छोटे फेरों के लिये उपयुक्त, कम भार वाली तेज जलयान के रूप में बनाई जानी थी परन्तु बाद में व्या.वे.नि. के अनुमोदन पर उसे एक कृत्रिम, मजबूत अत्यंत स्थाई तथा समुद्र अनुकूल जलयान बनाने के लिये, डिजाइन तथा विनिर्देशनों में परिवर्तन किये गये जिसके फलस्वरूप भार में वृद्धि हुई तथा गति कम हो गई। यह सुझाव दिया गया कि श्रीहरिकोटा क्षेत्र को, अनुबंधीय प्रावधानों के अनुसार, परिसमाप्त हुए हजारों सहित नाव को मामूली त्रुटियों के साथ (नवम्बर 1979 में स्वीकृत किये गये 15 नाट के प्रति 14.80 नाट) स्वीकार करने पर बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी गश्ती नावों की गति की ठीक प्रकार से भविष्यवाणी डिजाइन अवस्था में नहीं की जा सकती है तथा नाव सीमा शुल्क प्रभाग के अनुकूल बनाई गई थी अतः इसका कोई अन्य वैकल्पित खरीदार न था।

श्रीहरिकोटा क्षेत्र ने नाव की सुपुर्दगी उस दिनांक तक (अक्टूबर 1986) नहीं ली थी क्योंकि गा.री.शि.इं. द्वारा नाव में किये गये संशोधन नाव को लम्बे समय तक संचालन के लिये यथेष्ट नहीं थे। नाव के अभाव में, जलावतरण के समय, गश्त तट रक्षकों द्वारा की गई थी।

उपरोक्त ठेके से पता चलता है:-

- श्री हरिकोटा ने गा.री.शि.इं. को, व्या.वे.वि./म.नि.ज.प. के परामर्श से विशेष विवरणों को स्पष्ट कराये पूर्व एक आपूर्ति आदेश दिया,
- विशेष विवरणों तथा डिजाइन में परिवर्तन, सुपुर्दगी की तारीख में परिवर्तन तथा लागत में बढ़ोतरी के कारण बने,
- तट रक्षकों ने, जिन्हें नाव का संचालन करना था नाव के लिये 15 नाट गति पर आग्रह किया यद्यपि कि विभाग इसके पूर्व 16 नाट गति वाली नाव स्वीकार करने को तैयार था। परीक्षण के दौरान, गा.री.शि.इं. द्वारा निर्मित नाव ने 14.8 नाट की गति प्राप्त की थी।
- नाव जिसकी सुपुर्दगी अगस्त 1979 में तय थी हालांकि निर्मित की गई, पर वह विशेष विवरणों के अनुरूप न थी,
- गा.री.शि.इं. को 1979 तक अदा की गई 20.18 लाख रुपये की राशि अवरुद्ध पड़ी रही।

44. आयातित मशीनरी की निकासी में विलम्ब तथा फलतः सार्वजनिक निधि और विदेशी मुद्रा की हानि।

अंतरिक्ष विभाग विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र (वि.सा.अ.के.) ने (दिसम्बर 1980) में एक विदेशी फर्म (निम्नतम निविदा प्रस्तुतकर्ता से 1,30,918 अमेरिकी डालर (लगभग 11.73 लाख रु.) लागत पर, विदेशी बन्दरगाह से एफ.ए.एस आधार पर, जिग बोरिंग मशीन के लिये आदेश भेजा। संभरक ने एक संदूक तथा दो दफती के डिब्बों में मशीन को 1,44,010 डालर का बीमा करा कर जो समुद्रपारीय पोत से माल हटाने के बाद 30 दिन तक वैध था, समुद्री जहाज से भेजा (जून 1981)। उपस्कर 30 जुलाई 1981 और 13 अगस्त 1981 को दो प्रेषणों में बम्बई पत्तन पर पहुंचा। वि.सा.अ.के. ने इस वस्तु की निकासी के लिये एक निकासी एजेन्ट (एजेन्ट) की सेवाएं प्राप्त की, जो पहले से ही अंतरिक्ष विभाग की दूसरी संघटक इकाई अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र जो अधिकतर प्रेषण बम्बई पत्तन से प्राप्त करता है के लिये निकासी एजेन्ट का कार्य कर रहा था। निकासी पर खर्च करने के लिये 20 लाख रु. की सीमा तक निधि के लिये एजेन्ट ने वि.सा.अ.के. से निवेदन किया (13 नवम्बर 1981)। विभाग ने दूसरे प्रेषण के प्रति पड़े 1.5 लाख रु. के अव्यथित शेष के उपयोग में लाने के लिये एजेन्ट को परामर्श दिया (एक दिसम्बर 1981)। इसका एजेन्ट ने अनुपालन नहीं किया तथा विभाग से 0.28 लाख रु. जो 22 जनवरी 1982 को भेजा गया था, के लिये पुनः अनुरोध किया (8 जनवरी 1982)।

एजेन्ट ने बक्स और दफती के डिब्बे की निकासी करा ली (जनवरी 1982) जब कि दूसरा डिब्बा खो गया। प्रेषणों की निकासी की जांच से विभाग को पता चला (जनवरी 1982) कि मुख्य मशीन के खोल/क्रेट प्रत्यक्षतः क्षतिग्रस्त हो गये थे और कुछ हिस्से/उपकरण दीर्घकाल तक खुले में रहने के कारण जंग खा गये थे।

बीमे का दायर किया गया दावा (जनवरी 1982) इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया (अगस्त 1982) कि क्षति प्रेषण की निकासी में देरी के कारण तथा दावा को दायर करने में भी देरी की गई (30 दिन की वैधता अवधि के पश्चात दावा दायर किया गया फिर भी समझौते के रूप में बीमाकर्ता ने 60,000 यू.एस. डालर के लिये दावा सुलझाने के लिये प्रस्ताव किया (सितम्बर 1983)। विभाग को दिये गये कानूनी परामर्श के अनुसार (नवम्बर 1983) विभाग का क्षति हेतु कोई वैधानिक दावा नहीं बनता था क्योंकि दावा वैध समय में पेश नहीं किया गया था। इसलिये बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तावित समझौता स्वीकार कर लिया गया और (6.36 लाख रुपये) की प्राप्तियां कर ली गई (मार्च 1984)।

विभाग ने मशीन की लागत और बीमाकर्ता द्वारा लौटाई गई राशि में अंतर के रूप में 3.25 लाख रु. की हानि उठाई। इस हानि के प्रति विभाग के पास क्षतिग्रस्त मशीन थी, जिसका कोई उपयोग नहीं हो सकता था। इसके अतिरिक्त मशीन के 2.12 लाख रु. के मूल्य के उपकरण भी बेकार पड़े हैं।

विभाग ने बताया (जुलाई 1986) कि क्षतिग्रस्त मशीन और उसके उपकरणों के निपटान के लिये सार्वजनिक निविदाएं आमंत्रित की गई थीं

क्योंकि उच्चतम निवेदित रेट मात्र 1.73 लाख रुपये था। केवल क्षतिग्रस्त मशीन के लिए दुबारा निविदा मंगाने के लिये कार्यवाही शुरू की जा रही थी तथा उपकरण विभागीय उपयोग के लिए रखे जा रहे थे।

इसी बीच विभाग ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विभिन्न प्रकार की एक मशीन (जून 1982) दूसरी विदेशी फर्म से एस. डब्ल्यू. फ़ो. 1,90,954 की लागत पर (8.38 लाख रुपये) प्राप्त की जिसके लिये विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ी।

इस प्रकार कुशल प्रबोधन के अभाव तथा प्रेषण की निकासी में देरी होने के फलस्वरूप 3.25 लाख रुपये की हानि और 2.12 लाख रुपये का निष्क्रिय निवेश हुआ। परिणाम स्वरूप अतिरिक्त विदेशी मुद्रा खर्च हुई। विभाग ने बताया (अगस्त 1986) कि प्रेषण की निकासी में हुई देरी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था के किसी भी व्यक्ति की ओर से असफलता के कारण नहीं थी।

45. खरीद आदेश प्रस्तुत करने में विलम्ब के कारण परिहार्य व्यय तथा विदेशी विनिमय की हानि।

विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र (वि.सा.अ.के.) के अंतरिक्ष विभाग ने, अंतरिक्ष यान के संवेग/प्रतिक्रिया पहियों के लिए उच्च एवं सक्षम कोणीय संबद्ध बॉल बेअरिंग के 24 जोड़े की अधिप्राप्ति करने के लिए जनवरी 1983 में मांग पत्र रखा तथा सक्षम अधिकारी द्वारा 14 दिन बाद इसका अनुमोदन करा लिया। चूँकि मद स्वामित्व स्वभाव की थी, अपने भारतीय अभिकर्ता के माध्यम से फ्रांस में एक विदेशी फर्म पर एक एकतरफा निविदा जांच की गई थी (फरवरी 1983)।

जांच के प्रत्युत्तर में, विदेशी फर्म ने प्रति जोड़े की कीमत एफ.एफ. 54,337.50 (रु० 72,741 उद्धत की (अप्रैल 1983)। यह निविदा दर जुलाई 1983 तक वैध थी। मांगकर्ता अधिकारी ने कहा (जून 1983 कि फर्म द्वारा उद्धत कीमत 1979 में की गई पिछली आपूर्ति की तुलना में अधिक थी और आदेश 15 जोड़े तक करने का सुझाव दिया गया। कुछ तकनीकी लक्षणों तथा मूल्य घटने की संभावना के संबंध में पत्रव्यवहार (जुलाई 1983) के प्रत्युत्तर में, फर्म ने तकनीकी लक्षणों का ब्यौरा तथा ऊंची कीमतों के लिए कारण देते हुए जवाब दिया (अगस्त 1983)। फर्म ने भी मांग की वैधता को 15 अक्टूबर 1983 तक बढ़ा दिया। मांगकर्ता मंडल 21 सितम्बर 1983 तक अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे सकी और खरीद समिति ने अपनी अगली बैठक (27 अक्टूबर 1983) में खरीद को अनुमोदित किया।

तथापि, यह आदेश तत्काल जारी नहीं किए जा सके क्योंकि खरीद की कुल लागत 10 लाख से अधिक होने पर अंतरिक्ष विभाग का अनुमोदन ज़रूरी पाया गया था।

मार्च 1984 तक प्रस्ताव की वैधता बढ़ाने को 8 नवम्बर 1983 को फर्म को एक टेलेक्स जारी किया गया था। प्रस्ताव की वैधता बढ़ाने को फर्म मुकर गई तथा 31 मार्च 1984 तक वैध प्रति जोड़े कीमत एफ.एफ. 65,200.00 संशोधित की (नवम्बर 1983) और वि.सा.स.से. ने पुरानी दरों की वैधता को दिसम्बर 1983 तक बढ़ाने का फर्म से एक बार पुनः अनुरोध (दिसम्बर 1983) किया एवं फर्म ने कीमत को कम करके एफ.एफ. 59,770 (80,661 रु.) प्रति जोड़ा संशोधित किया। अंततः जनवरी 1984 में 15 जोड़ों के लिए

एफ.एफ. 8,96,550 (11,15,112 रु.) की कुल कीमत का भारतीय अभिकर्ता को रूपों में देय 10 प्रतिशत एजेन्सी कमीशन को कम करके एक आदेश प्रस्तुत किया गया था। सुपुर्दगी समय के अनुसार माल प्राप्त किया गया था।

इस प्रकार वि.सा.स.से. ने खरीद आदेश को अंतिम रूप देने में लगभग एक वर्ष लगा दिया तथा, बढ़ाई गई अक्टूबर 1983 की वैध अवधि के अंतर्गत भी आदेश को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। विभाग ने बताया (नवम्बर 1986) कि उक्त चरणों में ग्रस्त समय अनुपयुक्त नहीं दिखाई देता। मांगकर्ता अधिकारी द्वारा आशातीत सतर्कता रखने पर विचार करते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए कि, किया जाने वाला व्यय 13.50 लाख रुपए तक था।

इस प्रकार अक्टूबर 1983 की बढ़ाई गई वैध अवधि के अंतर्गत आदेश न प्रस्तुत करके एफ.एफ. 5433 (एफ.एफ. 59770-एफ.एफ. 54337) प्रति जोड़ा अतिरिक्त व्यय करना पड़ा था। विदेशी विनिमय में कुल परिहार्य व्यय एफ.एफ. 81,495 (1,07,798 रुपए) था।

46. विद्युत शक्ति उपभोग का अवास्तविक निर्धारण तथा परिहार्य व्यय का किया जाना:-

द्रव नोदन प्रणाली इकाई, अन्तरिक्ष विभाग ने 500 किलोवाट एम्पेयरस (कि.वा.ए.) विद्युत शक्ति की आपूर्ति के लिये कर्नाटक विद्युत बोर्ड (क.वि.बो.) के साथ एक समझौता किया (नवम्बर 1982)। अन्तरिक्ष कौशल नोदन गतिविधियों के लिये सुविधाओं की स्थापना के बाद इस आवश्यकता को 950 के.वी.ए. तक बढ़ा दिया गया (अगस्त 1983)। जब भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संघ, उपग्रह केन्द्र (भा.अ.अ.के.) के लिये नया भवन तैयार था (जुलाई 1984)। मांग इसके अतिरिक्त 2450 के.वी.ए. तक बढ़ा दी गई। तथापि जून 1985 से, जब भा.अ.अ.के. भवन ने व्य.वि.बो. से सीधे विद्युत आपूर्ति लेनी शुरू कर दी थी तो संविदात्मक मांग 950 के.वी.ए. तक कम हो गयी थी।

ऊपर की अवधि के दौरान उपभोग की गई विद्युत शक्ति की लेखा परीक्षा द्वारा समीक्षा से पता चला कि वास्तविक उपभोग विद्युत शक्ति संविदात्मक मांग से काफी कम थी जैसा नीचे दिखाया गया है:-

अवधि	टैका मांग	मासिक औसत उपभोग	मासिक अधिकतम उपभोग
मई 1983- जुलाई 1983	500 के.वी.ए.	161 के.वी.ए.	185 के.वी.ए. (जुलाई 1983)
अगस्त 1983- जून 1984	950 के.वी.ए.	186 के.वी.ए.	240 के.वी.ए. (फरवरी 1984)
जुलाई 1984- मई 1985	2450 के.वी.ए.	453 के.वी.ए.	684 के.वी.ए. (अप्रैल 1985)
जून 1985- अप्रैल 1986	950 के.वी.ए.	72 के.वी.ए.	84 के.वी.ए. (नवम्बर 1985 तथा मार्च 1986)

इकाई द्वारा पहले छः माह में उपभोग विद्युत शक्ति की समीक्षा की गई (मार्च 1986) तथा यह निष्कर्ष निकला कि मांग इसके अतिरिक्त 500 के.वी.ए. तक कम की जा सकती थी।

तथापि, लेखा परीक्षा पैराग्राफ के जवाब में विभाग ने बताया (सितम्बर 1986) "अनु. तथा वि. इकाइयों के मामलों में, उपकरण की उपयोगिता जिससे जांच सुविधायें आदि सम्मिलित हैं, प्रायः अनिरन्तर या अविराम होगी तथा प्रत्येक समय में कार्यान्वित किये गये विकास/जांच गतिविधियों पर निर्भर होगी। विद्युत शक्ति उपभोग के प्रक्षेपण तथापि विभिन्न सुविधाओं, जांच उपकरण आदि के बड़े पैमाने पर उपभोग के आधार पर करना था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विद्युत शक्ति के कारण संकट अचानक मांग बढ़ने की स्थिति में परियोजन गतिविधियों में बाधा न पहुँचा सके"। विभाग ने इसके अतिरिक्त यह देखा "निष्कर्ष में, यह आग्रह किया जाता है कि विद्युत शक्ति आपूर्ति जैसी एक मद पर योजना वास्तविक उपभोग में काफी मात्रा के परिवर्तन के साथ रुढ़िवादी आधार पर करनी पड़ती है। यह मांग के प्रक्षेपों के लिए उपयुक्त समय सम्भव नहीं है"। तथापि यह सारणी से देखा जा सकता है कि औसत उपभोग से अलग अधिकतम उपभोग एक समय की अर्वाध में संविदात्मक मांग से काफी कम था।

के.वि.बो. के नियमानुसार, ठेके पर की गई मांग के 75 प्रतिशत प्रभार न्यूनतम प्रभारों के रूप में देय है चाहे विद्युत शक्ति का उपभोग कम हो। विभाग ने अप्रैल 1983 से मार्च 1986 के दौरान 28,771 के.वी.ए. के लिये अदायगी की जब कि वास्तविक उपभोग 6,271 के.वी.ए. था। इसके लिए अतिरिक्त भुगतान 6.85 लाख रु. आंका गया था।

के.वि.बो. के नियमानुसार, प्रत्येक उपभोक्ता को न्यूनतम उल्लिखित विद्युत शक्ति कारक को कायम रखना पड़ता है जिसके विफल होने पर विद्युत प्रभारों के 10 से 20 प्रतिशत दण्ड प्रभार लगाये जाते हैं। विभाग ने अप्रैल 1983 से मार्च 1986 की अवधि के दौरान कारक दण्ड के रूप में 2 लाख रु. अदा किये थे।

इसके अतिरिक्त चार अवसरों पर बिलों के विलम्बित भुगतान के लिये, विभाग ने ब्याज के रूप में के.वि.बो. को 0.08 लाख रु. अदा किये थे।

इस प्रकार विद्युत-शक्ति उपभोग के अवास्तविक निर्धारण, बिना ज़रूरत के मांग को बढ़ाना, न्यूनतम विद्युत-शक्ति कारक को कायम न रखना तथा विद्युत शक्ति प्रभारों के विलम्बित भुगतान के कारण, विभाग ने 8.93 लाख रुपये राशि का परिहार्य व्यय किया था।

47. जापान से उपस्कर के आयात में प्रशासनिक चूकें

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान श्रीहरिकोटा क्षेत्रीय केन्द्र (एस.एच.ए.आर.) ने जापान से क्रमशः 298.39 लाख रुपये (617,811,000 येन) 147.87 लाख रुपये (296,300,000 येन) की लागत पर अप्रैल 1984 में 10 सेट बहुकार्य रिसेवर प्रणाली और 6 सेट रेन्ज और रेंज दर प्रणाली का आदेश दिया। ठेका में स्थल पर जांच के बाद संतोषप्रद कार्य चालन/स्थिति में उपस्करों की जांच और संभाल का प्रावधान था। मई 1984 में जापानी 296,300,000 येन और 617,811,000 येन के लिए आवश्यक क्रेडिट पत्र खोल दिया गया।

एस.एच.ए.आर. ने निर्गम से पहले उपस्करों के प्रथम जत्था के निरीक्षण और स्वीकृति के लिए अपने इन्जीनियर को टोकियो में प्रतिनियुक्त किया (मार्च 1985)। इन्जीनियरों ने 14 मार्च 1985 को यह सूचित किया कि उपस्कर का निरीक्षण कर लिया तथा उसे स्वीकार कर लिया गया था। आपूर्तिकर्ता ने 23 मार्च 1985 को परेषण के लदान के बारे में विवरण सूचित किये। उसके बाद एस.एच.ए.आर. ने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दावा किये जाने से पूर्व ही 28 मार्च 1985 को चालू विनियम दर को अपनाते हुए भारतीय स्टेट बैंक श्रीहरिकोटा को 197.86 लाख रुपये की राशि भेज दी (29 मार्च 1985)। भारतीय स्टेट बैंक, श्रीहरिकोटा ने 8 अप्रैल 1985 को कागजातों के निर्वतन के लिए सूचना भेज दी। एस.एच.ए.आर. ने उपरोक्त दोनों तारीखों को विनिमय दर में अन्तर के लिए 1.09 लाख रुपये का और भुगतान करके कागजातों को निर्वतन कराया (अप्रैल 1985)।

17 अप्रैल 1985 को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 1.01 लाख रुपये का और दावा किया गया और उसने बताया कि पहले का दावा 8 अप्रैल 1985 को अनन्तिम विनिमय दर पर आधारित था।

जुलाई 1985 में एस.एच.ए.आर. ने 1.09 लाख रुपये वापस करने और 1.01 लाख रुपये का दावा वापस लेने के लिए भारतीय स्टेट बैंक से अनुरोध किया क्योंकि उपस्कर के लिए राशि का भुगतान 29 मार्च 1985 को ही कर दिया गया था और केवल 28 मार्च 1985 को चालू विनिमय दर अपनायी जानी चाहिए थी। भारतीय स्टेट बैंक से कोई अनुकूल उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 1986)।

विभाग ने बताया (नवम्बर 1986) कि भारतीय स्टेट बैंक को 29 मार्च 1985 को 1.98 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया था ताकि प्रतिदिन 10 हजार रुपये के ब्याज की देयता को टाला जा सके जो अन्यथा प्रौढ़भूत होता, यदि एस.एच.ए.आर. बैंक की सूचना की प्रतीक्षा करता जो 8 अप्रैल 1985 को प्राप्त हुई थी। यह सही नहीं है क्योंकि वास्तव में भारतीय स्टेट बैंक 7 अप्रैल 1985 तक ब्याज के लिए 1.56 लाख रुपये का दावा किया था और यह दावा एस.एच.ए.आर. द्वारा अब तक निपटारा नहीं गया है (नवम्बर 1986)।

इस मामले से निम्नलिखित बातें ध्यान में आती हैं:—

- I. एस.एच.ए.आर. ने बिना किसी उचित मांग के भारतीय स्टेट बैंक को 1.98 करोड़ रुपये का भुगतान पहले कर दिया था।
- II. 1.98 करोड़ रुपये की इतनी भारी रकम मशीनरी की खरीद मूल्य के लिए उसका प्रयोग किये बिना भारतीय स्टेट बैंक के पास 29 मार्च से 7 अप्रैल 1985 तक पड़ी रही जिसके परिणामस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक को अनुचित लाभ हुआ।
- III. पहले भुगतान करने से 7 अप्रैल 1985 तक ब्याज में प्रत्याशित कटौती का लाभ और 28 मार्च 1985 को विनिमय दर का लाभ एस.एच.ए.आर. को नहीं मिला। इसके विपरीत येन के बढ़े हुए मूल्य के कारण 2.10 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि और ब्याज के लिए 1.56 लाख रुपये का बैंक द्वारा दावा किया गया और

IV. अग्रिम भुगतान के कारण व्यय का आधिक्य हुआ ताकि 1984-85 के लिए अनुदान समाप्त होने से बचा जा सके।

48. अपेक्षित किराये के स्थान के अधिक अनुमान/उपयोग न करने के कारण परिहार्य व्यय

नवम्बर 1984 में अंतरिक्ष विभाग ने बंगलौर स्थित अपने विभिन्न यूनिटों के लिए कार्यालय स्थान की अनिश्चित आवश्यकता 17,070 वर्गफुट संगणित की। इस आवश्यकता के प्रति एक प्राइवेट कंपनी से लगभग 15,250 वर्गफुट का स्थान मार्च 1985 से, 13,927 वर्ग फुट (कार्यालय के लिस स्थान) 3.50 रुपये प्रति वर्गफुट मासिक किराया पर और 0.50 रुपया प्रति वर्गफुट किराया पर 1323 वर्गफुट (केन्टीन के लिए स्थान) पट्टा पर लिया गया।

जून 1985 तक विभाग ने कार्यालय के प्रयोग के लिए केवल 12,958 वर्ग फुट और केन्टीन के प्रयोग के लिए 1323 वर्गफुट आर्बिट किया। 969 वर्गफुट का क्षेत्र बिल्कुल ही आर्बिट नहीं किया गया था तथा इस अप्रयुक्त स्थान के लिए जून 1986 तक 54,264 रुपये किराये के रूप में अदा किये गये थे।

आर्बिट क्षेत्र में से आई.एस.आर.ओ. सेटलाइट केन्द्र (आई.एस.ए.सी.) के लिए आर्बिट स्थान 7052 वर्गफुट था। आई.एस.ए.सी. द्वारा इसका कब्जा नहीं लिया गया। विभाग ने बताया (नवम्बर 1986) कि आई.एस.ए.सी. द्वारा उस क्षेत्र का कब्जा नहीं लिया जा सका क्योंकि परियोजना के जिन कर्मचारियों के लिए वह क्षेत्र विहीत था उनकी विभिन्न प्रशासकीय कारणों से पूरी भर्ती नहीं हो सकी थी और जिनकी भर्ती हुई थी उन्हें भी कुछ संभार तंत्र आदि कारणों से परियोजना स्थल के निकट ही स्थान दिया गया था। विभाग के अनुसार आई.एस.ए.सी. के लिए विहीत स्थान अभ्यर्पित कर दिया गया है और विभाग के दूसरे क्षेत्रों को पुनः आर्बिट कर दिया गया है (दिसम्बर 1986)।

तथापि विभाग ने यह स्वीकार किया था (नवम्बर 1986) कि कब्जा में न लिया गया स्थान 6231 वर्गफुट था। जून 1986 तक उपरोक्त किराया था। स्थान का कब्जा न लेने के कारण 3.49 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ। इस प्रकार आर्बिट न करने और किराया का स्थान का कब्जा न लेने के कारण जून 1986 तक कुल 4.03 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय

49. भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग द्वारा नी-स्पान-सी चादरों का अत्यधिक आयात एवं निधियों का अवरोधन

भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग नी-स्पान-सी चादरों को आयात करता है और उनका विभाग द्वारा चलायी गयी इनस्ट्रुमेन्टेशन प्रोडक्शन वर्कशाप में रेडियो सौन्डस के निर्माण के लिए प्रयोग में लाता है।

कार्डेक्स के अनुसार वर्ष 1980-86 के दौरान स्टाक में नी-स्पान-सी चादरों के क्रयों, निर्गमों एवं शेष की स्थिति निम्नलिखित थी:

वर्ष	क्रय (कि.ग्रा.में) (कि.ग्रा.में)	निर्गम (कि.ग्रा.में)	शेष मात्रा (कि.ग्रा.में)	लागत मूल्य (लाख रु. में)
8-4-1980			2257.029	
1980-81	174.643	321.200	2110.472	33.03
1981-82	974.769	473.000	2612.241	40.88
1982-83		561.000	2051.241	32.10
1983-84		614.000	1437.241	22.49
1984-85	1068.630	461.500	2044.371	31.99
1985-86	977.270	374.000	2647.641	41.44

इस दौरान उपभोग की दरों एवं उपलब्ध स्टाक पर उचित विचार किये बिना ही क्रय कर दिए गए थे, 460.11 कि.ग्रा. की औसत वार्षिक आवश्यकता के प्रति 2647.641 कि.ग्रा. का स्टाक हस्तगत था जो 5 1/2 वर्ष में समाप्त हो सकता था। 31 मार्च 1986 को हस्तगत स्टाक का मूल्य 41.44 लाख रुपए था।

विभाग ने बताया (सितम्बर और नवम्बर 1986) कि दो अवसरों पर नी-स्पान-सी की मांगी गयी मात्रा का, जैसा कि लेखापरीक्षा ने इंगित किया (यथा, प्रत्येक अवसर पर 1000 कि.ग्रा.) स्टाक की स्थिति, भंडारों की खपत एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उच्च स्तर पर गहन परीक्षण किया गया था और पिछले कुछ अवसरों पर भण्डारों को अपेक्षाकृत शीघ्र प्राप्त किया जा सकता था तथा इसीलिए किसी सीमा तक संग्रहण अधिक था। आगे यह बताया गया कि सुखद स्टाक स्थिति के कारण यह निर्णय किया गया कि भावी मांगों को केवल तब प्रस्तुत किया जायेगा जबकि स्टाक लगभग 3 वर्षों के लिए हो। विभाग द्वारा यह भी बताया गया कि "इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि भण्डारों में न तो कोई कमी रही और न ही किसी प्रकार की हानि हुई। इस बात की भी प्रशंसा की जाए कि विभाग ने इस महत्वपूर्ण लाभदायक एवं आयातित सामान की उपलब्धता में विभंगता न हो, को सुनिश्चित करने में भरपूर सावधानी बरती।"

(i) चादरों के अधिक संग्रहण के फलस्वरूप विदेशी विनिमय स्रोतों में अपक्षय तथा निधियों का अवरोधन भी हुआ।

(ii) स्टाक में इस घातु की 1495.06 कि.ग्रा. वजन की कतरनें भी थीं घातु-कतरन का निपटान 1962 से नहीं किया गया था। कतरन के निपटान सम्बन्धी मामले को केवल दिसम्बर 1985 में एक सरकारी उपक्रम के साथ चलाया गया था और उपक्रम ने सुझाव दिया (जनवरी 1986) कि मामले को एक वर्ष बाद या इसके लगभग उठया जाये।

विभाग ने बताया (नवम्बर 1986) कि कतरन का सामान्य नीलामी द्वारा निपटान करना, जोकि इस आयातित घातु की

हस्तगत की तुलना में अच्छे प्रतिफल नहीं दे सकता था, उपयुक्त नहीं समझा गया था और इसीलिए यह बांछनीय समझा गया कि पुनः प्रक्रिया के द्वारा जिसके लिए कतरन का एक बृहदाकार स्टाक बनाने के उपरान्त सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के साथ सम्बन्ध बनाकर कतरन को अधिक लाभदायक उपयोग में लगाने की सम्भावनाओं पर विचार किया गया था, यह भी बताया गया कि उपक्रम ने विभाग को सूचित किया कि वर्तमान में धातु को गलाने का काम उनके कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं था। तथा उन्होंने विभाग को उनसे एक वर्ष बाद (यथा जनवरी 1987) में सम्पर्क करने की सलाह दी थी।

तथापि, 1962 से धातु-कतरन का ढेर लगाया जा रहा था। इस प्रकार, नी-स्पान-सी चादरों जैसी महत्वपूर्ण, लाभदायक आयातित सामान का वास्तविक उपभोग को दृष्टिगत किये बिना ही आयात किया जा रहा था। इस प्रकार कतरन सामग्री का 24 वर्षों से भी अधिक समय तक भण्डारण किया गया था। चादरों का अधिक क्रय एवं कतरन का निपटान न करने के कारण विदेशी विनिमय में अपक्षय तथा 3 वर्षों की आवश्यकता को छोड़ते हुए अकेले चादरों पर कम से कम 19.83 लाख रुपये (लगभग) की सीमा तक के लोक निधियों का अवरोधन हुआ।

50. नव स्टील संयंत्रों के स्थापन पर निष्फल व्यय

विजय नगर स्टील संयंत्र

भारत सरकार ने, बेलारी होस्पेट क्षेत्र, कर्नाटक में, अप्रैल 1970 में एक (स्टील) संयंत्र प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया था। परियोजना स्थल को उद्घाटन 14 अक्टूबर 1971 को किया गया था।

संयंत्र स्थापन कार्य की देखरेख भारतीय स्टील प्राधिकरण लि. (भा. स्टी. प्रा. लि.) दिसम्बर 1982 तक की जा रही थी जबकि विजय नगर स्टील लि. नामक एक फर्म ने (वि. स्टी. लि.) 200 करोड़ रु. की प्राधिकृत पूंजीगत सहित, इस परियोजना के कार्य सम्पादन के लिए 18 दिसम्बर 1982 को पूंजीकृत की गई थी।

धातुकर्मीय और अभियांत्रिक सलाहकार (धा.अ.स.) जिनको तकनीकी आर्थिक व्यवहार्य प्रतिवेदन बनाने का कार्य सौंपा गया था, इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे (जनवरी 1972) कि 2 मिलियन (मी.ट.) गर्म गोलाकार लपेटने की क्षमता रखने वाला एक संयंत्र व्यवहार्य होगा। अक्टूबर 1973 में सरकार ने, 3 मी.ट. संघटित स्टील संयंत्र के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (वि.प.रि.) तैयार करने का अनुमोदन किया। परियोजना रिपोर्ट जो भा.स्टी.प्रा.लि. द्वारा अप्रैल 1977 में प्राप्त हुई थी धा.अ.स. को सितम्बर 1980 में तकनीकी विकल्प को दूर करने के लिए भेजी गयी थी क्योंकि कोकिंग के कोयले तथा कोकिंग के कोयले के लम्बे रास्ते के सीमित स्रोतों के कारण कोकिंग कोयले का उपलब्धता रिहाय्य था। धा.अ.स. द्वारा बनाई गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर (मई 1981) में सरकार द्वारा विचार किया गया था जिसने जुलाई 1982 में निर्णय लिया कि धा.अ.स. को 0.5 मी.ट. प्रतिवर्ष क्षमता वाले, 1.00 मी.ट. आधारभूत क्षमता वाले सहित

प्रत्यक्ष तकनीक में कटौती पर आधारित एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगा। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अगस्त 1983 में प्राप्त हुई थी। 16 अगस्त 1984, को सरकार ने यह कहते हुए एक प्रेस विज्ञापित जारी की कि विजय नगर इस्पात संयंत्र के लिए एक प्रभावकारी मूल्य तकनीक पाई गई थी। संयंत्र के प्रथम पेज का अनुमानित पूंजीगत व्यय 425.5 करोड़ रु. था। सप्तवर्षीय योजना अबधि के दौरान, विभाग द्वारा 400 करोड़ रुपये की सिफारिशों के प्रावधान के प्रति, योजना आयोग विजय नगर इस्पात परियोजना समेत नई इस्पात परियोजनाओं के लिये केवल 10 करोड़ रु. के टोकन प्रावधान के लिए सहमत हो गया था।

सप्तवर्षीय योजना में केवल लोहे के टुकड़े स्थापित करने की सुविधाओं के लिए आर्थिक वैधता पर भी विचार किया गया था। ऐसा आंका गया था कि 1.5 लाख टन की क्षमता वाले ऐसे संयंत्र पर कुल निवेश लगभग 72.5 करोड़ रु. होगा। तथापि, इस लघु योजना प्रावधान से, ऐसा होना संभव नहीं था।

इस्पात तथा खान मंत्रालय (इस्पात विभाग) ने संयंत्र लगाने के लिए बेलारी जिला, कर्नाटक में भूमि के अधिग्रहण के लिए फरवरी 1971 में प्रारंभिक कार्यवाही की। समस्त, 8791.86 एकड़ भूमि संयंत्र के लिए तथा 549.87 एकड़ भूमि नगर क्षेत्र, 270 लाख रुपये के मूल्य पर अधिगृहित की गई थी। तथापि, मुआवजा लेने के बाद भी भूमि धर लगातार भूमि पर कब्जा किए हुए थे तथा अदालत में बढ़े हुए मुआवजे के लिए गए हुए थे।

अक्टूबर 1984 में विभाग द्वारा निर्णयित संशोधित तकनीक से 8264.22 एकड़ से अधिक फालतू भूमि को छोड़ते हुए, नगर क्षेत्र तथा संयंत्र के लिए केवल 1077.51 एकड़ भूमि की आवश्यकता थी। कर्नाटक सरकार ने सलाह दी कि अप्राधिकृत कब्जा करने वालों को भूमि, वर्ष दर वर्ष के आधार पर लीज पर खेती के लिए दी जा सकती है। तथापि, वि.र.लि. ने ऐसा करना सुविधाजनक नहीं समझा क्योंकि न तो उसके पास ऐसे करने के लिए कोई व्यक्ति था न ही किराया वसूल (संचित) करने और लीज के काम को सही ढंग से करने के स्रोत थे। ऐसा भी महसूस किया गया था, कि अधिभोक्ता को भूमि लीज पर देना, भूमि के स्वामित्व के मामले में कम्पनी के मामले को कमजोर करना था।

विभाग/वि.स्टी.लि. द्वारा फालतू भूमि को छोड़ने की संभावनाओं की जांच की गई थी। लेकिन यह पाया गया कि कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम में भूमि को छोड़ने तथा पूर्व भुगतान किए मुआवजे पुनः प्राप्त करने संबंधी कोई उपयुक्त प्रावधान नहीं था। विभिन्न संभावनाओं की छानबीन के पश्चात वि.स्टी.प्रा.लि. द्वारा निम्नलिखित सलाह प्रदान की गई थी:

- विभाग ने कर्नाटक सरकार से यह देखने के लिए कथोपकथन किया कि क्या भूमि का उपयोग उनके द्वारा किया जा सकता था।
- भारत सरकार के अन्य विभागों तथा मंत्रालयों को फालतू भूमि उपलब्धता से संबंधित सूचना, यदि पूर्णतया किसी विभाग को अपनी किसी परियोजना के लिए भूमि की आवश्यकता हो, को हस्तगत करने के लिए, परिचालित कर दी गई थी। मामला अभी सरकार के विचाराधीन था (फरवरी 1987)।

1984-85 के अंत तक, समस्त प्रारंभिक/उपक्रमांतमक कार्य, जैसे भूमि अधिग्रहण सर्वेक्षण, मिट्टी जांच, स्थायी जल आपूर्ति आदि का जांच कार्य पूर्ण कर लिया गया था तथा 9.10 करोड़ रु. का व्यय किया गया था, जिनके विस्तृत विवरण 1985-86 में किए गए प्रावधान (संशोधित अनुमान)निम्न प्रकार थे:-

	(लाख रुपए में)
भूमि अधिग्रहण	274.80
प्रारंभिक व्यय	30.44
प्रारंभिक जांच कार्य	54.79
सर्वेक्षण	25.17
कच्चे माल की जांच	107.67
विस्तृत परियोजना तथा परामर्श संबंधी रिपोर्ट	186.33
नगर परियोजना, स्थल अनुरक्षण तथा वाड़ प्रशासन तथा भूमि के अतिरिक्त परिसंपत्तियों सहित अन्य व्यय संरचना	25.91
योग	909.61

1986-87 के दौरान प्रशासन तथा वि.स्टी.लि. के 16 कार्यकारियों तथा 34 गैर कार्यकारियों पर किया गया आवर्ती व्यय अनुमानतः लगभग 35 लाख रुपए था।

नीलांचल स्टील संयंत्र

अक्तूबर 1980 में सरकार ने प्रदीप, उड़ीसा में एक नव स्टील संयंत्र लगाने के प्रस्ताव का कुल रूप में अनुमोदन किया। छठी योजना की अवधि में, इस संयंत्र को प्रदीप में प्रतिस्थापित करने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था।

संतोषजनक समाधान शर्तों के अधीन, नियम मूल्य तथा टर्नकी आधार पर यह कार्य एक विदेशी फर्म "क" को सौंपा गया था। इस आशय का एक पत्र 24 सितम्बर 1981 को फर्म को जारी किया गया था तथा उन्हें विस्तृत विवरण नियत करने को संविदा को निर्णायक रूप देने के लिए आमंत्रित किया गया था। फर्म "क" ने सलाह दी कि संयंत्र में स्थल प्रदीप, को दुबुरी (देतरी क्षेत्र) जो प्रदीप से लगभग 120 किलोमीटर दूर है में बदल दिया जाए क्योंकि सिविल अभियांत्रिक दृष्टिकोण के अनुसार प्रदीप स्थल, को अधिक खर्चीला तथा अधिक समय लगनेवाला माना गया था। इसमें अतिरिक्त उनके विचार से नया स्थल अधिक सुरक्षित तथा कम निर्माण कठिनाइयां उत्पन्न करने वाला था। सरकार ने प्रस्ताव पर विचार किया और दिनांक 16 मार्च 1982 को प्रदीप से स्थल बदलने का निर्णय घोषित किया, तथापि फर्म "क" अपनी पिछली स्थिति अप्रैल 1982 में कुछ लचीलापन लिए तथा यह निर्णय लिया कि नए स्थल पर निर्माण लागत के लिए वे उद्धरण नहीं देंगे। अब विभाग ने इस आशय के पत्र को रद्द कर दिया और निर्णय लिया कि मार्च 1982 में पंजीकृत नीलांचल इस्पात निगम लि. (नी.इ.नि.लि.) एक केन्द्रीय सरकारी कंपनी, पूर्ण स्वामित्व, में इस परियोजना को लागू करेगी।

विभाग ने बताया (फरवरी 1987) कि मांग पत्र को निम्न प्रकारों से रद्द कर दिया गया था:-

- समझौते की अंतिम अवस्था पर फर्म ने कुछ प्रस्ताव रखे जो अगस्त 1981 के उद्धरणों को खंडित करते थे और जिनके आधार पर मांग पत्र जारी किया गया था,
- फर्म ने परियोजना के लिए निश्चित निर्धारित उद्धरण मूल्य पर समग्र रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की और एक व्यवस्था का मुझाव दिया जोकि भारत सरकार की देयताओं की किसी सीमा रहे बिना, अनुबंध को निर्माण कार्य के लिए खुली छूट देगी: तथा
- फर्म ने पोतपर्यन्त (एफ.ओ.बी.) विदेशों से प्राप्त उपकरणों की आपूर्ति हेतु संशोधित उद्धरण दिया जो 1981 के उद्धरण से बहुत अधिक था।

विभाग ने, सावधानी से विचार करने के उपरान्त, प्रभावकारी मूल्य प्रमाणिक तकनीक से कम बिजली चाप भट्टी के रास्ते से संयंत्र में इस्पात बनाने के प्रस्ताव को अपनाने को कहा। संयंत्र के प्रथम पेज के समापन के लिए, अगस्त 1984 में विभाग ने सातवीं योजना में, योजना आयोग को 400 करोड़ रु. का प्रावधान करने की सिफारिश की तथापि योजना आयोग सातवीं योजना अवधि में देतरी इस्पात परियोजना समेत नयी इस्पात परियोजनाओं के लिये 10 करोड़ रुपए का प्रावधान करने के लिए सहमत हो गया था। विभाग ने महसूस किया कि सातवीं योजना में इस संयंत्र को लागू करना संभव नहीं था और ऐसा करने की संभावना केवल आठवीं योजना में उत्पन्न होगी।

प्रारंभ में यह परियोजना भा.स्टी.प्रा.लि. की एक यूनिट थी जिसमें 31 मार्च 1983 तक 102.88 लाख रु. की सीमा तक की निधियां नी.इ.नि.लि. को उपलब्ध कराई थी। इस राशि में से नी.इ.नि.लि.ने. 20 लाख रु., भा.स्टी.प्रा.लि. को वापिस कर दिये थे। दो परवर्ती वर्षों 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान विभाग ने 440 लाख रुपए के बराबर कंपनी को जारी की थी। 1985-86 के अंत तक, 5.12 करोड़ रुपए का व्यय किया गया था, जो निम्न प्रकार थे:-

	(लाख रुपयों में)
कार्यरत पूंजी सहित अचल परिसम्पत्तियां	58.80
कम्पनी पंजीकरण शुल्क	40.10
परामर्श	174.88
मिट्टी जांच	7.00
कच्ची सामग्री नमूना तथा जांच करना	56.85
सर्वेक्षण	10.30
स्थापना तथा प्रशासन खर्च	157.96
अन्य विकास तथा प्रारंभिक खर्च	6.15
योग	512.04

विभाग ने बताया (फरवरी 1987) कि कार्याकारणीयों की संख्या 19 से 15 तथा अकार्यकारणी की संख्या 58 से घटकर 45 रह गयी थी। वास्तविक व्यय, जो 1985-86 के दौरान 55.00 लाख रु. था, और अधिक कम किया जा सकता था तथा 1986-87 के दौरान 40.00 लाख रु. से अधिक होने की आशा नहीं थी।

सर्वेक्षण, भूमि जांच आदि जैसे प्रारम्भिक कार्य पूरा कर किया गया था। नी.इ.नि.लि. ने नवम्बर 1985 तक परियोजना के लिये केवल 16.4 एकड़ जमीन प्राप्त की थी।

इस्पात विभाग की योजनागत योजनाओं तथा योजनेतर व्यय के पुनरीक्षण के लिए एक उच्च स्तरीय ग्रुप ने निर्णय किया (अक्टूबर 1985) कि वि.इ.लि. तथा नी.इ.नि.लि. को बन्द कर देना चाहिये क्योंकि पाम भविष्य में विजय नगर तथा देनरी इस्पात संयंत्रों को निर्धारित जारी किये जाने की कोई संभावना नहीं थी।

विभाग ने बताया (फरवरी 1987) कि "बताए गए निर्णय के सावधानी पूर्वक विचार के बाद यह सहमति थी कि दो कम्पनियों को बन्द करने की कोई तत्काल संभावना नहीं थी। तथापि यह निश्चय किया कि अधिक मीमा तक एक राजस्व व्यय कम किये जायें"।

निम्नलिखित मुद्दे प्रकाश में आए हैं:-

- विजय नगर इस्पात संयंत्र की तकनीक अभी निर्धारित की जानी थी यद्यपि 16 वर्ष बीत चुके थे जब संयंत्र की प्रतिस्थापना का निर्णय लिया गया था।
- उपरोक्त निर्णय के 10 वर्ष बाद सरकार का यह विचार हुआ कि स्रोत कोयले तथा कोकिंग कोयला खान विजय नगर लम्बी थी तथा इसको प्रेरित करने के लिए बहुत सीमित स्रोत थे।
- विजय नगर इस्पात संयंत्र पर 9.10 करोड़ रुपए के किए गए कुल व्यय में से भूमि पर व्यय किए गए 2.75 करोड़ रुपए अवरुद्ध रहे तथा व्यय किए गए 6.35 करोड़ रुपयों से कोई लाभ नहीं हुआ।
- इसी प्रकार नीलांचल इस्पात संयंत्र पर 5.12 करोड़ रुपए के किए गए कुल व्यय में से, परिसम्पत्तियों पर किए गए 0.59 करोड़ रु. अवरुद्ध पड़े रहे तथा बाकि के 4.53 करोड़ रुपए से कोई लाभ नहीं हुआ।
- दो कम्पनियों में, कर्मियों की नियुक्ति पर 75 लाख रु. प्रतिवर्ष का आवर्ती व्यय किया जा रहा है। जब तक उनके लिए कोई वैकल्पिक नियुक्ति की खोज नहीं होती है तब यह निष्फल माना जायेगा।

विभाग ने बताया (फरवरी 1987) कि अप्रैल 1970 में, विजय नगर में, इस्पात बनाने के लिए, विस्फोट भट्टी तकनीक अपनाने का उद्देश्य था। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के मूल्यों में तेजी से वृद्धि के कारण, उपकरणों के मूल्य

में तेजी से वृद्धि हुई तथा संघटित इस्पात संयंत्र तभी व्यवहार्य हो सकता था यदि इसकी कम से कम क्षमता 3 मी.टन होती। उपस्करों के आकार में सामान्य बढोत्तरी और विशेषकर विस्फोट भट्टी के आकार में बढोत्तरी के लिए उच्च कोटि के कोकिन कोयले जिसमें कम राख थी के उपयोग को बढ़ावा दिया गया जो देश में उपलब्ध था। इसने घरेलू उपलब्ध कोयले के प्रयोग की सीमाओं को निर्धारित किया था। बदली हुई परिस्थिति में, रेल भाड़े में अधिक वृद्धि के कारण, बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्रों से धातुकर्मीय कोयले को लाना/ले जाना अधिक खर्चीला साबित हुआ। भारी अपेक्षित निवेश के कारण विजय नगर में इस्पात बनाने के लिए विजय नगर कोकिंग कोल खानों में लम्बी अवधि तक रहने तथा देश में कोकिंग कोयले के सीमित स्रोतों के कारण, विस्फोट भट्टी तकनीक को रद्द कर दिया गया। विभाग ने भी बताया कि स्रोतों पर तेजी से प्रतिबंध के कारण नव इस्पात संयंत्र के लिए 10 करोड़ रुपये का नमूना प्रावधान किया गया तथा वार्षिक स्थापना व्यय को कम करने तथा वी.एन.एस.एल. और एन.आई.एन.एल. के कर्मचारियों को सेल तथा अन्य सरकारी उपक्रमों में समाविष्ट करने के लिए हर प्रयास किया जा रहा था।

परिवहन मंत्रालय

(नागर विमानन विभाग)

51. निधियों का अवरोधन-निष्क्रिय उपकरण

अधिक तीव्र आवृत्ति वाली सर्वादिशिक रेडियो दूरी (अ.स.दू.) तथा अधिक तीव्र आवृत्ति वाली टर्मिनल सर्वादिशिक रेडियो दूरी (ट.अ.स.दू.) (जो संचालन से अधिक तीव्र आवृत्ति वाली सर्वादिशिक रेडियो दूरी के समान है सिवाय इसके कि उसकी लाभदायक दूरी कम है) वायुयान के कुशल एवं मितव्ययी संचालनों को सुनिश्चित करते हुए, इस प्रकार हर मौसम में उड़ने में समर्थ बनाती है।

173 लाख रुपये के विदेशी मुद्रा विनिमय संघटक सहित कुल 413 लाख रुपये की लागत पर 15 अ.स.दू., 10 र-अ.स.दू. तथा 12 दूरी मापक उपकरणों (दू.मा.उ.) के प्रायण के लिये स्वीकृति का अनुरोध करते हुए, व्यय वित्त समिति (व्य.वि.स.) को अगस्त 1975 में प्रस्तुत किये गये पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय के मीमो की पैरवी में, सरकार ने 52.75 लाख रुपये के विदेशी विनिमय मुद्रा संघटक सहित कुल अनुमानित 275.50 लाख रुपये की लागत पर 15 अ.स.दू. तथा 10 ट.अ.स.दू. के प्रायण की स्वीकृति फरवरी 1978 में दी। प्रस्ताव को इस आधार पर उचित ठहराया गया कि वायुयान को दूरी तथा ज्ञात स्थान से सम्पर्क के संबंध में सही जानकारी, हर समय होनी चाहिये जिसकी प्राप्ति तभी हो सकती थी यदि समस्त मार्गों पर व्यवधान मुक्त प्रसारण देने के लिये पर्याप्त संख्या में अ.स.दू. तथा दू.मा.उ. स्थापित किये गये थे।

15 अ.स.दू. निम्न आवाधिक ढंग से स्थापित किये जाने प्रस्तावित किये गये:-

1975-76	5	मोहनवाडी, मंगलौर, इम्फाल, बंगलौर तथा उदयपुर।
1976-77	5	चंडीगढ़, पानागढ़, पटना, अमृतसर तथा कोचीन।
1977-78	5	विशाखापट्टणम, अम्बिकापुर, जम्मू, वांगडोगरा तथा जोरहाट।

इसके पूर्व, उपकरण को, भारत सरकार के एक उपक्रम फर्म "क" जिसने विकासकार्य अपने हाथ में 1976 में लिया था, से खरीदने का विचार किया गया। तथापि, उसके द्वारा अनेकों दिक्कतों का सामना करने के कारण 1½ से 2 वर्षों का सरकार का हुआ और परिणामतः इलाक़ाट्रॉनिकी विभाग तथा महानिदेशक तकनीकी विकास (म.नि.त.वि.) के पास करने तथा नागर विमानन विभाग के कहने पर, अमृतसर, पटना, विशाखापट्टणम, गोहाटी, मंगलौर तथा रांची स्टेशनों पर स्थापना हेतु तुरन्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, मंत्रालय द्वारा 31 मार्च 1980 में, 48 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा विनिमय संघटक सहित 87 लाख रु. की अनुमानित लागत पर 6 अ.स.दू. के आयात की स्वीकृति दी गई। गोहाटी तथा रांची जिनका उपरोक्त बताये गये प्रस्तावित 15 अ.स.दू. में नाम नहीं था, बाद में संचालन की तुरन्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उन्हें स्टेशनों की सूची में शामिल कर लिया गया। क्रय हेतु एक मांग पत्र महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान (म.नि.अ.नि.) को प्रस्तुत किया गया जिसने एक विदेशी फर्म को सितम्बर 1981 में निविदा स्वीकृति (नि./स्वी.) दी। समस्त 6 अ.स.दू. की सुपर्दगी की गारंटी उधार पत्र (उ.प.) (बाद में उ.प. वैधता का विस्तारण तिथि से 2 माह से स्थानापन्न किया गया) खोलने के छः महीने के अंदर की गई थी। नि. स्वी. शर्तों के अनुसार, आपूर्ति, गारंटी/गारंटी की शर्त पर, जहाज पर लदान की तारीख से 15 महीनों की अवधि या स्थापन की तारीख से 12 महीनों की अवधि के लिये जो भी पहले हो वैध थी।

भारत में, अक्टूबर 1983 में, अवतारण पल्लन पर 6 अ.स.दू. प्राप्त किये गये तथा स्थापना स्थलों को अक्टूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर 1983 की अवधि के दौरान ले जाये गये थे।

बचे हुए 9 अ.स.दू. के प्रायण हेतु नागर विमानन विभाग (ना.वि.वि.) द्वारा फर्म "क" के पक्ष में, स्वामित्व वस्तु प्रमाण पत्र सहित एक मांग पत्र नि.आ.नि. को, मई 1980 में भेजा गया था। फर्म "क" ने सितम्बर 1980 में प्रत्येक का मूल्य 10.25 लाख रुपये उद्धृत किया। विभाग अ.स.दू. सहित परीक्षण उपस्कर तथा अतिरिक्त सामान को खरीदे जाने का निर्णय, जुलाई 1981 तथा जब फर्म ने बिक्री कर तथा उत्पाद शुल्क सहित प्रत्येक का मूल्य 11.27 लाख रुपये तक बढ़ाया, न ले सका था। 6 फरवरी 1982 को फर्म "क" को बढ़ी हुई दर पर दी गई लि.स्वी. में, भेजने की तारीख से 15 महीने की अवधि के लिये सामान तथा शिल्पकला में दोषों की गारंटी हेतु, प्रावधान था। सुपर्दगी दिसम्बर 1983 में शुरू हुई तथा अक्टूबर 1984 में पूर्ण हुई।

तीन अ.स.दू., बंगलौर, कांचीपुरम (15 प्रस्तावित अ.स.दू. में शामिल नहीं किये गये परन्तु बाद में आवश्यक संचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, स्थापना हेतु स्टेशनों की सूची में शामिल किये गये) तथा विशाखापट्टणम में चालू कर दिये गये थे (सितम्बर 1985, अक्टूबर 1985, तथा जुलाई 1986 में)। एक अ.स.दू. की, रेडियो निर्माण तथा विकास यूनिट हेतु रखे जाने का प्रस्ताव किया गया था।

बचे हुए 11 अ.स.दू. की स्थापना तथा चालू होने की स्थिति सितम्बर 1986 में निम्न प्रकार थी:—

(क) देशज आपूर्ति:

चंडीगढ़: स्थल के चारों तरफ पास के औद्योगिक क्षेत्र के अस्वीकार्य विकास के कारण मूलतः 1980 में चयनित स्थल अनुपयुक्त हो गये। मई 1985 में नये स्थल को अनुमोदित किया गया पर भूमि का अधिग्रहण अभी नहीं किया गया था।

उदयपुर: } निर्माण कार्य पूरा हो चुका था।

मिकंद्राबाद: } बिजली के कार्य प्रगति में थे।

डिब्रूगढ़: स्थल जून 1986 में अनुमोदित हुआ। भूमि अधिग्रहण अपेक्षित नहीं था पर देरी उपयुक्त स्थल की अनुपलब्धता के कारण थी।

राजकोट: निर्माण कार्य तथा बिजली संबंधी कार्यों हेतु अनुमान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से प्रतीक्षित थे।

जम्मू: स्थल की स्वीकृति नवम्बर 1983 में की गई। भूमि अधिग्रहण प्रगति पर था।

वागडोगरा: स्थल की स्वीकृति अभी की जानी थी।

(ख) आयातित आपूर्ति

गुलबर्ग: यद्यपि, अ.स.दू. हेतु भूमि का अधिग्रहण फरवरी 1982 में कर लिया गया था परन्तु वहां तक जाने वाली सड़क के लिये, भूमि का अधिग्रहण अभी किया जाना था

बडौदा: भवन निर्माण कार्य फरवरी 1984 में पूरे हो गये थे तथा उपस्कर की वास्तविक स्थापना जून 1984 में पूरा किया गया। अ.स.दू. के उड़ान परीक्षण 30 अगस्त 1986 को पूरे किये गये जिसके दौरान जनित्र, स्थाईकारी तथा वातानुकूल अस्फल रहे। मरम्मत अभी पूरी नहीं की गई थी।

बेलारी: निर्माण तथा बिजली संबंधी कार्यों मई 1984 में पूरे किये गये। अ.स.दू. का स्थापन फरवरी 1985 में पूरा किया गया। अ.स.दू. की उड़ान जांच 8 अगस्त 1986 को की गई। सहाये वाला जनित्र, वोल्टेज स्थाईकारी तथा वातानुकूल अभी अभी मरम्मत किये जाने थे।

मंगलौर: निर्माण तथा बिजली संबंधी कार्य फरवरी 1985 में पूरे किये गये थे। अ.स.दू. अगस्त 1986 में स्थापित किया गया। वह अभी चालू होना था।

मामला सरकार को अक्टूबर 1986 में भेजा गया परन्तु उनकी टिप्पणियां प्रतीक्षित थीं (जनवरी 1987)।

52. एक निगम से 1972-73 से 1977-78 की अवधि के दौरान विमान संचालन सेवा पर किए गए प्रभारों की गैर वसूली

बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास में स्थित चार अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टनों के अनुरक्षण की जिम्मेवारी नागर विमानन विभाग से (ना.वि.वि.), भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टन प्राधिकरण (भा.अ.ह.प्रा.), जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 के अनुसार की गई थी, को अप्रैल 1972 से अंतरित कर दी गई थी। यद्यपि इन हवाई पट्टनों का प्रशासनिक नियंत्रण भा.अ.ह.नि. को अन्तरित कर दिया गया था, लेकिन विमान संचालन सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य, ऊपर दिए गए अधिनियम की धारा 16 (2) के अंतर्गत लगातार ना.वि.वि. द्वारा किया जा रहा था।

1 अप्रैल 1972 से पूर्व, ना.वि.वि. द्वारा संचित अवतारण प्रभार एक मिश्रित प्रभार था जिसमें विमान संचालन तत्व के प्रभार भी शामिल थे। यद्यपि भा.अ.ह.प्रा. वायुयान परिचालनकों से अवतारण प्रभार संचित कर रहा था जिनकी दरें उसके द्वारा समय समय पर बढ़ाई गई थीं, पर विमान संचालन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ना.वि.वि. को कोई भी भुगतान नहीं किया गया था। इसको लेखा परीक्षा द्वारा 1973 में इंगित किया गया था। इस मामले पर मंत्रालय, भा.अ.ह.प्रा., महानिदेशक नागर विमानन (महा.ना.वि.) के प्रतिनिधियों द्वारा चर्चा की गई थी (दिसम्बर 1979)। भा.अ.ह.प्रा. ने तर्क दिया कि वह अधिनियम के अनुसार भा.ना.वि. द्वारा की गई सेवाओं के लिए भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि 1978 से पूर्व भा.अ.ह.प्रा. केवल अपने मूल्य के आधार पर वायुयान चालकों से प्रभार वसूल कर रहा था तथा अधिनियम में केन्द्र सरकार द्वारा की गई सेवाओं के भुगतान का प्रावधान नहीं था। दूसरी तरफ ना.वि.वि. ने तर्क दिया कि 1972-73 से 1977-78 तक ना.वि.वि. द्वारा की गई सेवाओं के मूल्य के प्रति भा.अ.ह.प्रा. को अंशदान देना चाहिए चूंकि भा.अ.ह.प्रा. को ना.वि.वि. द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं को जो कि भा.अ.ह.प्रा. के गठन के पश्चात भी जारी रही, की जानकारी होनी चाहिए थी और यह भी भा.अ.ह.प्रा. के गठन के पूर्व ना.वि.वि. समस्त राजस्व संचित कर रहा था।

बैठक में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित निर्णय भी किए गए थे:-

ग्यारह अ.स.दू. की स्थापना में देरी के परिणामस्वरूप 148.25 लाख रुपये (4 आयातित अ.स.दू., 58 लाख रुपये और 7 देशी अ.स.दू. 90.25 लाख रु. के तथा केन्द्रीय विक्री कर एवं उत्पाद शुल्क सहित) 32 माह से ऊपर के लिये अवरुद्ध रहे (सितम्बर 1986)।

विभाग द्वारा 2 अ.स.दू. के प्रायण तथा भूमि अधिग्रहण में विलम्ब के कारण उनके प्रतिस्थापन व चालू करने में 3 और 6 वर्ष की देरी के परिणामस्वरूप, निर्धियों के अवरोधन के बारे में, भारत के नियंत्रक - महालेखा परीक्षक के वर्ष 1979-80 के लिये अग्रिम प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल), के पैरा 15 में, वर्णन किया गया था। विभाग ने तब बताया था (दिसम्बर 1979) कि उपयुक्त स्थल का चयन तथा तकनीकी सहायता के लिये भूमि का अधिग्रहण, जो कि स्थल संवेदी था, एक लम्बी खींची गई प्रक्रिया थी और अक्सर एक स्थल विशेष के अधिग्रहण के लिये किये गये समस्त प्रयासों ने लाभदायक परिणाम न दिया तथा उन्हें एक वैकल्पित स्थल के लिये जाना पड़ा और समस्त प्रक्रिया को दोबारा शुरू करना पड़ा। विभाग इस प्रकार, भूमि अधिग्रहण की परेशानियों से अवगत था।

उपर्युक्त के अलावा स्थल के चयन भूमि के अधिग्रहण तथा कार्य के समापन, उपस्करके आगमन के साथ ही मेल खाते नियोजित नहीं किये गये थे। चंडीगढ़, राजकोट, डिब्रूगढ़ तथा बागडोगरा में, जिस तिथि तक इन स्थलों पर अ.स.दू. सुपुर्द किये गये थे, स्थलों का चयन नहीं किया गया था। इन 4 मामलों में (चंडीगढ़, जम्मू, उदयपुर तथा सिकंद्राबाद) जहां वैयक्तिक भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित था, अ.स.दू. के प्राप्त होने के समय तक वह पूरा नहीं किया गया था। चंडीगढ़ तथा जम्मू में भूमि अधिग्रहण अब तक (सितम्बर 1986) नहीं किया गया था।

निम्न बातें सामने आती हैं:-

- स्थलों की बड़ी संख्या में (चौदह में से ग्यारह) उपस्कर के स्थापन द्वारा व्यवधान मुक्त, नौसंचालन प्रसार उपलब्ध करने के लिये 1975 में शुरू किये गये प्रस्ताव ने उस तारीख तक (सितम्बर 1986) फल नहीं दिया है।
- प्रायण पर किया गया 148.25 लाख रुपये का व्यय 32 महीनों से ऊपर अवरुद्ध पड़ा हुआ था (सितम्बर 1986)।
- आयातित तथा देशज दोनों उपस्करों के विषय में गारंटी अवधियां पहले ही समाप्त हो चुकी हैं।
- चूंकि फर्म "क" द्वारा सुपुर्दगी, लगभग उस समय तक जब आयातित उपस्कर पहुंचे थे, शुरू हुई थी; अतः विशेष तौर पर स्थलों पर, अबसंरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था में ढील को देखते हुए, जहां उपस्कर की व्यवस्था हेतु तात्कालिकता दर्शाई गई थी, 48 लाख रुपये के दूसरे विदेशी मुद्रा विनिमय की प्रत्यक्ष रूप से कोई आवश्यकता न थी।

— वर्ष 1972-73 से 1977-78 के लिए ना.वि.वि. द्वारा भा.अ.ह.प्रा. को किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

— भा.अ.ह.प्रा., ना.वि.वि. को 2.45 करोड़ रुपये का भुगतान मार्च 1980 के मध्य तक वर्ष 1978-79 के लिए तथा 1979-80 के लिए 1980-81 में करेगा; तथा

— 1980-81 के लिए भा.अ.ह.प्रा. द्वारा ना.वि.वि. को भुगतान योग्य प्रभारों की प्रमात्रा को निर्धारित करने के लिए, भा.अ.ह.प्रा. और महा. नि.ना.वि. एक कार्यकारी दल को गठन कर सकते हैं तथा मंत्रालय द्वारा निर्धारित भुगतान भा.अ.ह.प्रा. द्वारा ना.वि.वि. को 1981-82 में किया जायेगा।

लेखा परीक्षा ने, मार्च 1986 में, 1978-79 व 1979-80 के वर्षों के लिए 2.45 करोड़ रुपयों के विमान संचालन प्रभारों को नियत करने के आधार की जानकारी प्राप्त की थी, लेकिन अभी तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। (दिसम्बर 1986)।

भा.अ.ह.प्रा. ने, 1978-79 से 1985-86 के वर्षों के लिए 2.45 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की दर से मार्च 1980 तथा अप्रैल 1986 के लिए सरकारी मांग के प्रति 19.60 करोड़ रुपये की राशि का अवतारण सहायक प्रभारों के रूप में भुगतान किया था।

चूंकि 1980-81 से भुगतान योग्य प्रभारों की मात्रा के प्रयोजन को निर्धारित करने के लिए कार्यकारी ग्रुप का गठन किया गया था जो, किसी सम्मत निर्णय पर नहीं पहुंच सका था। अतः ना.वि.वि. द्वारा अब तक प्राप्त हुए भुगतानों को अंतिम भुगतान माना गया था।

मामलों से यह पता चलता है:—

- ना.वि.वि. ने, 1972-73 से 1977-78 के लिए चार हवाई पत्तनों पर, वायु तथा विमान संचालन सेवाएं उपलब्ध कराने के

अपने दावे ठोक दिए थे, जोकि 2.45 करोड़ रु. की दर के आधार पर 1978-79 तथा 1979-80 के लिए लगभग 14.70 करोड़ रुपये आंके गये थे: तथा

- भा.अ.ह.प्रा. द्वारा ना.वि.वि. को 1980-81 और इसके आगे के भुगतान योग्य अवतारण प्रभारों की मात्रा से संबद्ध अंतिम निर्णय मंत्रालय द्वारा अभी नहीं लिया गया था चूंकि कार्यकारी ग्रुप की सिफारिशें अभी प्रतीक्षित थीं (दिसम्बर 1986)।

इस मामले की सूचना सरकार को नवम्बर 1986 में दे दी गई थी तथा टिप्पणी प्रतीक्षित थी (जनवरी 1987)।

53. बट्टे खाते डाली गई/छोड़ी गई हानियां एवं अप्राप्य राशियां तथा अनुग्रहपूर्वक दी गई अदायगियां

1985-86 के दौरान बट्टे खाते डाली गई/छोड़ी गई हानियां एवं अप्राप्य राजस्व, शुल्क, पेशगियों इत्यादि तथा अनुग्रहपूर्वक दी गई अदायगियों को दर्शाने वाला विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट vi में दिया गया है।

अध्याय-IV

निर्माण कार्य व्यय

शहरी विकास मंत्रालय

54. दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर, हैदराबाद तथा चंडीगढ़ में सामान्य समूह आवास के निर्माण के लिए द्रुतगामी गृहनिर्माण कार्यक्रम:-

54.1 प्रस्तावना:-

1977 के अन्त में सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 30,000 सामान्य समूह स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए एक द्रुतगामी कार्यक्रम की घोषणा की। क्योंकि लगभग 9,000 गृह पहले ही "सामान्य समूह" में निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में थे, मंत्रालय ने (जुलाई 1978) में 21,300 क्वार्टरों के निर्माण के लिए 68.11 करोड़ रुपये (63.06 करोड़ रुपये निर्माण खर्च के लिए तथा 5.05 करोड़ रुपये विभागीय खर्चों के लिए) की स्वीकृति प्रदान की। जैसा कि मूल रूप से नियत किया गया था क्वार्टरों का निर्माण कार्य 1978-79 में शुरू हुआ था और 1981-82 के अन्त तक, निर्माणांक अपर्याप्त प्रावधान, इस्पात, सीमेन्ट, ईंटें, स्थलों की अप्राप्ति की कमी के कारण पूरा न हो सका। इसमें लागत में ऊपर की ओर संशोधन की आवश्यकता हुई जिसके लिए मई 1980 में व्यय वित्त कमेटी को एक जापान प्रस्तुत किया गया। अन्य बातों के साथ-साथ निम्न बातें भी जापान में शामिल की गई:

(i) सीमेन्ट के नियन्त्रित मूल्य तथा इस्पात के बाजार भाव बहुत ऊंचे चले गए थे तथा कौयले के नियन्त्रित प्राप्यता के कारण विभाग के लिए विभागीय ईंटों के भट्टे उनकी अधिकतम क्षमता में चलाना संभव न था। इसलिए ईंटों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बाजार पर निर्भर होना था। इसने निर्माण की लागत के अनुमान को लगभग 22.30 करोड़ रुपये बढ़ा दिया था।

(ii) जिन छज्जों (बारजों) का पहले प्रावधान नहीं किया गया था

उनके लिए 4.33 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी।

(iii) दिल्ली में दो मंजिले क्वार्टरों के बजाय 4 मंजिले क्वार्टरों के निर्माण कार्य को हाथ में लेने के कारण भारी सेवाओं जैसे भूमिगत हौदियाँ, ऊपरी जल टैंक तथा पंप के लिए निर्माण कार्य पर व्यय 2.26 करोड़ अतिरिक्त अनुमानित व्यय की आवश्यकता थी।

व्यय वित्त कमेटी ने 21,300 क्वार्टरों के निर्माण के लिए 2 जून 1980 को 96.91 करोड़ रुपये (89.74 करोड़ रुपये निर्माण लागत जमा 7.17 करोड़ रुपये विभागीय व्यय) का संशोधित लागत अनुमान का अनुमोदन (जून 1980) किया।

बाद में (i) निर्माण कार्य के मूल्य में वृद्धि (ii) मार्च 1981 में निर्णय किया कि विशालतर कुरसी क्षेत्र वाले क्वार्टरों का निर्माण (iii) क्वार्टरों के साथ छज्जों (बारजों) का बढ़ाना, के कारण मंत्रालय ने (नवम्बर 1981) कुल क्वार्टरों की संख्या 21,300 से घटाकर 19,940 क्वार्टरों का निर्णय लिया तथा 96.91 करोड़ रुपये (89.74 करोड़ रुपये निर्माण व्यय जमा 7.17 करोड़ रुपये विभागीय व्यय) की संशोधित अनुमानों की स्वीकृति प्रदान की (नवम्बर 1981)। निर्माण कार्य में 26.68 करोड़ रुपये तक की वृद्धि के कारण अनुबंध में दिए गए हैं।

मंत्रालय ने नवम्बर 1981 में भारी सेवाएं प्रदान करने के लिए अलग से 2.60 करोड़ रुपये (2.42 करोड़ रुपये निर्माण व्यय जमा 0.18 करोड़ रुपये विभागीय व्यय) की स्वीकृति प्रदान की।

मूल स्वीकृति तथा संशोधित स्वीकृति के अनुसार विभिन्न स्थानों पर निर्माण किये जाने वाले गृहों का विवरण निम्न तालिका प्रदान करती है।

निर्माण किए जाने वाले गृहों की संख्या

नगर	टाईप ए		टाईप-1		टाईप बी		टाईप II		टाईप सी		टाईप III		टाईप V		कुल	
	मू.	सं.	मू.	सं.	मू.	सं.	मू.	सं.	मू.	सं.	मू.	सं.	मू.	सं.	मू.	सं.
दिल्ली	1,000	742	—	—	5,000	3,661	—	—	9,180	7,881	—	1,708	120	120	15,300	14,112
बम्बई	800	800	—	—	1,200	1,200	—	—	600	600	—	—	—	—	2,600	2,600
कलकत्ता	800	816	—	—	600	592	—	—	600	592	—	—	—	—	2,000	2,000
मद्रास	100	96	—	—	100	108	—	—	100	96	—	—	—	—	300	300
चंडीगढ़	100	100	—	—	50	52	—	—	150	148	—	—	—	—	300	300
हैदराबाद	125	—	—	88	225	—	—	144	150	—	—	96	—	—	500	328
बंगलौर	50	48	—	—	150	156	—	—	100	96	—	—	—	—	300	300
कुल	2,975	2,602	शून्य	88	7,325	5,769	शून्य	144	10,880	9,413	—	1,804	120	120	21,300	19,940

मू. मूल
सं. संशोधित

इस विषय में निम्न बातें पाई गईं:-

- (i) दिल्ली में स्वीकृत 14112 गृहों के समक्ष 14277 गृहों का निर्माण कार्य हाथ में लिया।
- (ii) 1975 के कुरसी क्षेत्र के मानदंड जो सितम्बर 1978 में कम कर दिए गए थे, मार्च 1981 में भविष्य के सम्पूर्ण निर्माण के लिए बढ़ा दिए गए। यद्यपि उस समय तक विभिन्न श्रेणियों के 17801 क्वाटरों (88.5 प्रतिशत) का निर्माण पहले ही शुरू हो गया था। इसलिए 1975 के मानक कुरसी क्षेत्र मानदंडों के अनुसार केवल 2304 क्वाटरों का निर्माण कार्य ही किया जा सका।

54.2. कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर व्यय:

क्योंकि दूसरी योजनाओं के व्यय के साथ द्रुतगामी गृह निर्माण कार्यक्रम

पर हुआ व्यय "483-पूँजीगत परिव्यय" में डाल दिया गया, कार्यक्रम पर किया गया वर्षानुसार व्यय उपलब्ध नहीं था। अगस्त 1986 में महानिदेशक निर्माण कार्य ने बताया कि मार्च 1986 तक कार्यक्रम पर कुल व्यय लगभग 125 करोड़ रुपये था तथा अनुमान लगाया कि योजना पर व्यय 127 करोड़ रुपये होगा। संशोधित स्वीकृति (9691 करोड़ रुपये) के ऊपर अतिरिक्त व्यय 30.09 करोड़ रुपये होगा। संशोधित अनुमानों को अभी अनुमोदित किया जाना है।

54.3. निर्माण कार्य की प्रगति:

निम्न सारणी मार्च 1986 तक स्वीकृत किए गए क्वाटर, निर्माण कार्य के लिए शुरू किए गए, क्वाटर पूर्ण कर लिए गए तथा सम्पदा निदेशालय को सौंप दिए गए क्वाटरों की संख्या प्रदान करती है।

	निर्माण के लिए स्वीकृत क्वाटर	क्वाटर जिनका निर्माण शुरू किया गया	पूर्ण किए गए क्वाटर	पूर्ण किए जाने वाले क्वाटर	क्वाटर जो सम्पदा निदेशालय को सौंप दिए गए	क्वाटर जो अभी सौंपे जाने हैं
दिल्ली	14112	14277	11238	3039	11238	—
बम्बई	2600	2600	2600	—	2600	—
कलकत्ता	2000	2000	1294*	706*	417*	767
मद्रास	300	300	300	—	300	—
चंडीगढ़	300	300	300	—	300	—
हैदराबाद	328	328	328	—	—	328
बंगलौर	300	300	300	—	300	—
कुल	19940	20105	16360	3745	15155	1095

* (जैसे कि जून 1986 में)

क्वाटरों का निर्माण 1984-85 तक पूर्ण होना प्रस्तावित था। मंत्रालय द्वारा मार्च 1986 में किए गए मूल्यांकन के आधार पर दिल्ली में पूर्ण किए जाने वाले 3039 क्वाटरों में से 2640 क्वाटर 1986-87 तक और शेष 399 क्वाटर 1987-88 तक तैयार होने की आशा थी।

(ii) भूमि की उपलब्धता:

बम्बई, चंडीगढ़ और मद्रास में क्वाटरों के निर्माण के लिए भूमि पहले ही विभाग के पास उपलब्ध थी।

दूसरे स्थानों पर भूमि की उपलब्धता की स्थिति नीचे दी गई है:-

दिल्ली

दिल्ली में मूल रूप से 15,300 क्वाटर निर्माण करने की योजना बनाई गई थी जिनमें से 6600 क्वाटरों के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध थी। शेष 8700 क्वाटरों के निर्माण के लिए 1111 पुराने क्वाटरों को गिराकर भूमि उपलब्ध करानी थी। फिर भी विभाग जून 1986 तक टुकड़ों में ठेकेदारों को गिराने के लिए 849 क्वाटर उपलब्ध करा सका। शेष 262 क्वाटरों में से

राजा बाजार (गोल मार्केट) में वर्तमान 100 क्वाटरों को गिराने के लिए निरीक्षण रिपोर्ट (28 फरवरी 1981) मुख्य अभियन्ता, निर्माण जोन ने अनुमोदित कर दी। लेकिन ये क्वाटर अभी तक (अगस्त 1986) नहीं गिराए जा सके क्योंकि ये अनधिकृत कब्जे में थे। खाली करवाए गए क्वाटरों पर दुबारा कब्जा रोकने के लिए मार्च 1986 तक विभाग द्वारा चौकीदार लगाए गए तथा उसके बाद निगरानी का काम 6930 रुपये के तिमहाही भुगतान पर प्राइवेट एजेंसी को सौंपा गया था।

कलकत्ता:

कलकत्ता में अनुमानित आवश्यकता तथा लागत क्रमशः 55.9572 एकड़ तथा 92.07 लाख रुपये के समक्ष 1978 तक 184.74 लाख रुपये मूल्य पर 55.8442 एकड़ भूमि प्राप्त की गई थी।

हैदराबाद:

मंत्रालय ने (अगस्त 1979) राज्य सरकार से 120 एकड़ भूमि की खरीद की स्वीकृति प्रदान की। दो साल बीतने के पश्चात् अक्टूबर 1981 में

विभाग राज्य सरकार से केवल 40 एकड़ जमीन का कब्जा ले सका। परिणाम स्वरूप 328 क्वाटरों के निर्माण का कार्य केवल जुलाई 1982 में दिया जा सका।

बंगलौर:

निर्माण किए जाने वाले 300 क्वाटरों में से 96 क्वाटरों के लिए भूमि उपलब्ध थी तथा शेष 204 क्वाटरों के लिए भूमि के दस मामलों में 7.50 लाख रुपये मूल्य पर बंगलौर विकास प्राधिकरण से प्राप्त की गई थी।

(iii) निर्माण में विलम्ब जिसके लिए विभाग उत्तरदायी है।

दिल्ली:

(i) दिल्ली में 8640 क्वाटरों के निर्माण के लिए ठेकेदारों को विस्तारण की अनुमति प्रदान की गई थी। 38 ठेकों की नमूना जांच से पता चला कि 29 मामलों (7,779 क्वाटरों) में विलम्ब के लिए विभाग उत्तरदायी था क्योंकि स्थलों को उपलब्ध नहीं कराया गया, सामग्री का अनापूर्ति तथा खाकों की योजनाओं के निर्णय में विलम्ब किया गया। एक मामले (60 क्वाटरों) में विलम्ब 26 दिन था, दूसरे मामले (480 क्वाटरों) में 180 दिन, 9 मामलों (2136 क्वाटरों) में 251 से 500 दिन, 7 मामलों (1882 क्वाटरों) में 501 से 750 दिन तथा 7 मामलों (1933 क्वाटरों) 751 से 1000 दिन तथा 4 मामलों (1288 क्वाटरों) में 1001 से 1500 दिन था।

(ii) जनवरी 1979 से मई 1979 की अवधि के दौरान दिल्ली में 1056 क्वाटरों के निर्माण हेतु 7 संविदाएँ (ठेके) दिए गए थे। चूंकि ठेकेदारों द्वारा इस कार्य को निर्धारित तिथि/कार्यपूर्ति हेतु बढ़ाई गई तिथियों तक पूरा नहीं किया जा सका, इसलिए मार्च 1980 से जनवरी 1981 की अवधि के दौरान विभाग से संविदाओं को निरस्त कर दिया तथा शेष बचे कार्य को मूल ठेकेदारों के जोखिम व लागत पर 52.36 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत पर निष्पादन किया गया। इस 52.36 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत की वसूली के लिए विभाग के दावों को 6 मामलों में ठेकेदारों की प्रेरणा पर तथा एक मामले में विभाग की ओर से मध्यस्थों को प्रस्तुत किए गए। इन मामलों में मध्यस्थों ने अपना निर्णय देते हुए कहा कि अतिरिक्त लागत की वसूली उचित नहीं थी, चूंकि विभाग ने निश्चित एवं बढ़ाई गई अवधि के दौरान स्थलों के अंश उपलब्ध नहीं कराए थे जिसके फलस्वरूप 52.36 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत की वसूली नहीं की जा सकी। स्थलों को उपलब्ध कराने में विलम्ब की सीमा की मात्रा को विभाग द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है।

बंगलौर

बंगलौर में सामग्री (सीमेंट, कूट इस्पात, जी.आई.पाइप आदि) की समय पर ठेकेदार को आपूर्ति करने में असफलता तथा विद्युतीय कनेक्शन लगाने में देरी कारण 204 क्वाटरों (48 टाईप "ए" तथा, 156 टाईप "बी") को पूर्ण करने में, 24 महीने का विलम्ब हुआ था। इसके अतिरिक्त 96 टाईप "सी" क्वाटरों के निर्माण में कुल 40 महीने के विलम्ब में से 9 महीने के विलम्ब का कारण विभाग द्वारा इन विषयों पर निर्णय लेने में देरी थी। (i) रंग योजना (ii) पट्टीदार डोर शटर का गद्दीदार डोर शटर द्वारा

प्रतिस्थापन (iii) कप बोर्ड फ्रेम शीशम की लकड़ी के अंशों के बोर्ड को लकड़ी के फ्रेम में बदलना।

कलकत्ता:

128 टाईप "ए" क्वाटरों के निर्माण में स्थलों को उपलब्ध न कराने (31 दिन), सीमेंट की कम आपूर्ति (26 दिन), निर्णय सम्प्रेषण में देरी (751 दिन) तथा आन्तरिक स्वच्छता, जल वितरण लाइन आदि की जांच के कारण काम बन्द होने (808 दिन) के कारण कुल 1175 दिन का विलम्ब था।

निर्धारित सामग्री की अनियमित आपूर्ति, छत का संरचनात्मक खाका, गिरल का संशोधित खाका, दरवाजे के शटर की मोटाई, छज्जे (बारजे) का निर्माण, आर.सी.सी. प्रीकास्ट शोल्फ तथा जीने की रेलिंग, रंग योजना, भूमि की संरचना, वर्षा जल पाइप, सीवर लाइन, बाहरी जी.आई.पाइप लाइन आदि आदि तकनीकी बातों के विषय में निर्णय भेजने में देरी, नमक झील विकास प्राधिकरण द्वारा परियोजना की रूपरेखा को स्वीकृत करने में देरी तथा जमीन का कब्जा प्राप्त करने में देरी के कारण 592 "बी" टाईप क्वाटरों के निर्माण में भी देरी थी।

चंडीगढ़:

सामग्री की समय पर आपूर्ति न करने तथा शीघ्रता से ऊपरी विद्युत लाइन न हटा देने व बिजली के काम पूर्ण न होने के कारण 100 टाईप "ए", 52 टाईप "बी" तथा 148 टाईप "सी" क्वाटरों के निर्माण में क्रमशः 7 महीने, 5 महीने तथा 5 महीने का विलम्ब था।

मद्रास:

96 "सी" टाईप क्वाटरों के निर्माण के लिए ठेका देने में 2 वर्ष का विलम्ब था। जनवरी 1979 में निम्नतम निविदा प्राप्त हुई जो 16.31 लाख रु. के अनुमानित मूल्य से 77.21 प्रतिशत अधिक थी और अस्वीकृत कर दी गई थी। दूसरे आह्वान करने पर (फरवरी 1979) केवल एक निविदा प्राप्त हुई जो अनुमानित मूल्य से 49.47 प्रतिशत अधिक थी तथा जो बातचीत के दौरान 47.79 प्रतिशत (मूल्य 24.10 लाख रुपये) कम कर दी गई। यद्यपि निविदा की स्वीकृति के लिए अधीक्षक अभियन्ता ने, अधिक अनुकूल दर प्राप्त करने की कोई संभावना न थी, की टिप्पणी के साथ मुख्य अभियन्ता को स्वीकार हेतु सिफारिश की थी (मई 1979)। क्योंकि अन्नानगर में इसी प्रकार निर्माण के लिए निविदा मार्च 1979 में अनुमानित मूल्य से 35.78 प्रतिशत अधिक पर प्राप्त किया था, इस कारण मुख्य अभियन्ता ने इसको स्वीकार (मई 1979) नहीं किया। बाद में चार अवसरों पर ताजा निविदाएं आह्वान की गई (निम्नतम स्वीकार्य तीसरी, चौथी व पांचवी काल के लिये 31.45 लाख रु. 31.24 लाख रु. व 33.46 लाख रु. क्रमानुसार जो भी कम हो स्वीकार्य था)। तथा छठी बार निविदा आह्वान करने पर जो अनुमानित मूल्य से 131.45 प्रतिशत अधिक थी फरवरी 1981 में स्वीकार कर ली गई। दूसरे आह्वान पर निविदा अस्वीकृत कर देने से तथा छठे आह्वान पर अनुमानित मूल्य से 131.45 प्रतिशत (मूल्य 37.74 लाख रुपये) की निविदा को स्वीकार करने के फलस्वरूप क्वाटरों के निर्माण में विलम्ब के अलावा 13.64 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

हैदराबाद

भवनों के नागरिक निर्माण कार्य (जुलाई-अगस्त 1982) के साथ-साथ बाहरी जल आपूर्ति, बाहरी मल व्यवस्था तथा जल निकास आदि से संबंधित कार्य प्रारम्भ नहीं किए गए, किन्तु जुलाई 1983 तथा मई 1984 के मध्य प्रारम्भ किए गए। परिणामस्वरूप 12 से 21 महीने का विलम्ब हुआ। अप्रैल 1983 तथा अगस्त 1983 में शुरू किए गए बिजली के कार्यों को प्रारम्भ करने में भी इसी प्रकार का विलम्ब था।

54.4 निर्माण कार्यों का निष्पादन

दिल्ली

(क) हुडको द्वारा क्वाटरों का उप-स्तर का निर्माण

कार्यक्रम के निष्पादन में विभाग के प्रयत्नों को संपूर्ण करने के विचार से तथा गृह निर्माण एवं शहरी विकास निगम (हुडको) को एक अवसर प्रदान करने हेतु, इसकी सस्ते मूल्य पर शीघ्र निर्माण की नई तकनीक की जाँच करने के लिए मंत्रालय ने (जुलाई 1979) दिल्ली में हुडको द्वारा अनुमानित 1.58 करोड़ की लागत जमा 6 प्रतिशत विभागीय व्यय तथा 12 जुलाई 1980 तक 875 गृहों (175 टाईप "ए", 350 टाईप "बी" तथा 350 टाईप "सी") के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिये बारी के आधार पर हुडको को दिया।

मंत्रालय में 1979 में तकनीकी/वित्तीय पक्षों पर उपयुक्त निरीक्षण करने के लिए तथा किए गए कार्य के लिए हुडको को भुगतान करने के लिए एक विशेष निर्माण प्रकोष्ठ स्थापित किया गया।

11 दिसम्बर 1979 को मंत्रालय तथा हुडको के प्रतिनिधियों की सभा में निर्माण की प्रगति का पुनरीक्षण किया गया जिस में यह निर्णय किया गया कि हुडको द्वारा निष्पादित निर्माण कार्य का संयुक्त निरीक्षण किया जाय। संयुक्त निरीक्षण जो 17 दिसम्बर 1979 को किया गया उस में निर्माण की प्रगति की 37 प्रतिशत की आशा के विपरीत 4 से 5 प्रतिशत पाई गई। कार्य का परिमाण भी उपस्तर का पाया गया था। अधीक्षण अभियन्ता (नागरिक) ने अपनी 20 दिसम्बर 1979 की टिप्पणी में मंत्रालय को बताया कि कार्य गैर इंजीनियरी तरीके से किया गया था। इस वास्तविकता के कारण कोई भी जिम्मेदार तकनीकी प्राधिकरण हुडको द्वारा किए गए स्तर के कार्य को स्वीकार नहीं करेगी तथा सुझाव दिया कि हुडको को आगे के निर्माण को जारी रखने के लिए अनुमति न दी जाए। तथापि हुडको को कार्य जारी रखने की अनुमति दी गई। मई 1985 में मंत्रालय ने निर्णय किया कि विभाग को शेष कार्य को स्वयं लेकर पूर्ण करना चाहिए। नवम्बर 1985 में शेष कार्य (लगभग 35 प्रतिशत) वास्तव में विभाग द्वारा ले लिया गया।

मई 1985 तक हुडको को 2.05 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका था। मई 1985 में विभाग ने शेष कार्य के मूल्य का अनुमान 1.13 करोड़ रुपये किया गया था।

कार्य प्रदान करने वाले 3 जुलाई 1979 के पत्र के अनुसार गृहों के कुरसी क्षेत्र तथा दूसरी सुविधायें सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार होने

चाहिए थे। परन्तु हुडको को फिर भी अपने ही डिजाइन व विशेषताएँ अपनाने की अनुमति प्रदान की गई थी और भवनों की इमारती सुरक्षा तथा दृढ़ता को प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता थी। मई 1985 में मुख्य अभियन्ता ने हुडको द्वारा किए गए कार्य में निम्न कमियाँ बताईं:—

(क) निर्मित गृहों के कुरसी क्षेत्र, विभाग द्वारा इमी टाईप के गृहों के लिए निर्धारित मानदंड से 6.89 प्रतिशत कम था। फलस्वरूप निर्माण कार्य व्यय में 13.76 लाख रुपये की कमी हुई।

(ख) (i) ईंट का काम विभाग द्वारा अपनाएँ 1:6 की बजाय 1:8 के सीमेन्ट मसाले में किया गया। (ii) सीमेन्ट मसाले की ओर ध्यान दिलाते हुए, आमतौर से के.लो.नि.वि. द्वारा विभिन्न किस्म का सीमेन्ट मसाला प्रयोग करने के बदले पूरे बाहरी आकार पर 1:3 का सीमेन्ट मसाला प्रयोग किया गया। (iii) प्रबलित सीमेन्ट कंक्रीट छज्जा तथा वर्षा जल पाइपों को हटा दिया गया।

हुडको द्वारा अपनाई गई इन निम्न विनिर्देशों के कारण मूल्य अन्तर कल निर्माण कार्य व्यय पर 4.84 लाख रुपये मूल्यांकित की गईं। उपरोक्त कमियों के कारण हुडको में कोई बसूली नहीं की गई थी। (सितम्बर 1986)।

भवन की इमारती सुरक्षा एवं दृढ़ता में सम्बन्धित अपेक्षित प्रमाणपत्र हुडको में प्राप्त नहीं किया गया था (सितम्बर 1986)।

कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया था (अक्टूबर 1986) और इसलिए किए गए कार्य की मात्रा को हुडको को किए गए भुगतान से सह सम्बन्ध स्थापित करना और विभाग द्वारा अधिक भुगतान का पता लगाना, यदि कोई हो, संभव नहीं था।

चूँकि हुडको द्वारा निर्मित क्वाटर अलोकप्रिय पाए गए, यह निश्चय किया गया था (जुलाई 1985) कि 2 लाख रुपये के अनुमानित मूल्य पर 250 क्वाटर 200 अस्थायी कैम्पों में बदल दिये जाय। परिवर्तन का कार्य अभी तक (सितम्बर 1986) पूर्ण नहीं किया गया था।

(ख) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा कृत कार्य

महरोली बदरपुर रोड, नई दिल्ली पर 1000 क्वाटरों (200 टाईप "ए", 400 टाईप "बी" तथा 400 टाईप "सी") क्वाटरों के निर्माण का कार्य 3 जुलाई 1979 को अधिकतम 2.78 करोड़ रुपये की लागत व 12 जुलाई 1980 को पूर्ण तिथि के साथ तैयार सौंपने के आधार पर राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को दिया गया था। रा.भ.नि.नि. के साथ कोई औपचारिक अनुबन्ध नहीं किया गया था। रा.भ.नि.नि. को सविदा देने का सरकार का अभिप्राय था कि क्वाटरों का निर्माण शीघ्र पूर्ण कर लिया जाय तथा के.लो.नि.वि. की तुलना में रा.भ.नि.नि. द्वारा नई तकनीकें अपना कर निर्माण की लागत कम की जाए।

रा.भ.नि.नि. ने 500 क्वाटरों का काम 2 जुलाई 1979, अगले 200 क्वाटरों का 13 फरवरी 1980 तथा शेष 300 क्वाटरों का कार्य 5 मार्च 1980 में शुरू किया।

उपरोक्त सविदा के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में निम्न बातें देखी गईं:-

- (i) जून जुलाई 1979 में आमन्त्रित निविदाओं के आधार पर महारौली बदरपुर रोड़ पर इसी प्रकार के कार्य के लिए के.लो.नि. विभाग द्वारा स्वीकृत दरों के समान ही राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को भुगतान किया जाना था। इसके अतिरिक्त 6 प्रतिशत विभागीय व्यय देना था। यद्यपि जुलाई 1980 में निर्माण जोन के मुख्य अभियन्ता ने बताया कि इस अवधि में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने कोई निविदाएं आमन्त्रित नहीं की थी। विभाग ने निर्णय किया (28 मार्च 1981) कि दिल्ली दर सूची (डी.एस.आर. 1977) से 31.47 प्रतिशत ऊपर, जो दर उत्तरी दिल्ली में इसी प्रकार के कार्य के लिए 18 मई 1979 को उद्धृत की गई थी तथा दिल्ली प्रशासन के एक लोक निर्माण डिवीजन द्वारा अनुमति दी गई थी, को राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को अन्तरिक विद्युतीकरण के अलावा निर्माण कार्य की लागत का भुगतान तैयार करने के लिए ध्यान में लिया जाए। तथापि यह देखा गया कि डी.एस.आर. 1977 से ऊपर 11.25 प्रतिशत से 13.90 प्रतिशत तक फैली हुई निम्न दरें महारौली बदरपुर रोड़ पर इस प्रकार के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में जनवरी 1979 और मई 1979 में विभाग द्वारा प्राप्त की गई थी। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने जून 1979 में इसी प्रकार का निर्माण कार्य (आराम बाग क्षेत्र में 112 टाईप "सी" क्वाटरों) डी.एस.आर. 1977 से 13.74 प्रतिशत ऊपर दिया था। इस प्रकार से डी.एस.आर. 1977 से 31.47 प्रतिशत ऊपर राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को कार्य प्रदान करने का निर्णय न्यायोचित नहीं था। डी.एस.आर. 1977 से 13.90 प्रतिशत ऊपर की दर से सम्बन्धित परिकल्पित करने पर विभाग ने अगस्त 1986 तक 56.75 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया। रा.भ.नि.नि. को अन्तिम देय बिल संशोधन के अन्तर्गत था; आगे भी अतिरिक्त व्यय हो सकता था।
- (ii) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के लेखों को अन्तिम रूप देने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा मंत्रालय को दिए गए (अगस्त 1985) संशोधित लागत अनुमान के अनुसार राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को देय लागत 2,83,76,982 रुपये आंकी गई (सामग्री जैसे रेत, पत्थर की रोड़ी, लकड़ी, स्वच्छता की वस्तुएं आदि जिन पर कोई वैधानिक बढ़ोतरी नहीं थी, की लागत पर वृद्धि तत्व को छोड़कर) विभाग ने अगस्त 1985 तक 2,87,50,000 रुपये निर्माणांकित कर दिए थे। अन्तिम बिल अभी तक तैयार करना था।
- (iii) जुलाई 1985 में 500 क्वाटर (100 टाईप "ए", 200 टाईप "बी" तथा 200 टाईप "सी") जो राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने तैयार किए थे मंत्रिमंडल सचिवालय (विशेष सुरक्षा ग्रुप) के निपटान के लिए दे दिए थे। महानिदेशक, निर्माण कार्य द्वारा बताया गया (जुलाई 1985)। शेष 500 क्वाटर कुछ अन्तिम मर्दों को तैयार करने को छोड़कर जून 1983 में लगभग तैयार थे,

परन्तु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा (मार्च 1986) अधिकार में नहीं लिए।

- (iv) मंत्रालय/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने 12 जुलाई 1980 को पूर्ण किये जाने वाले निर्धारित निर्माण कार्य के विलम्ब के लिए क्षतिपूर्ति की उगाही अथवा हरजाने के लिए कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की थी (अगस्त 1986)।

- (ग) मूल अनुमानों में छज्जों (बारजों) का प्रावधान न होने के कारण अतिरिक्त लागत

चूँकि दिल्ली शहरी कला आयोग ने (दिसम्बर 1979) मूल अनुमानों में बाहर सोने के बारजों (छज्जों) का प्रावधान न होने के कारण भवनों की रूपरेखा अनुमोदित नहीं की थी। इनका प्रावधान संशोधित अनुमानों (नवम्बर 1981) में, दिल्ली में कार्यों के लिए 331.84 लाख रुपये और दूसरे स्थानों पर कार्य के लिए 101.00 लाख रुपये के अनुमानित लागत पर, किया था।

विभाग ने दिल्ली में बारजों (छज्जों) के निर्माण के लिए वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान क्वाटरों के निर्माण के लिए प्रदत्त सविदाओं की दर से बहुत ऊँची दर पर कार्य प्रारम्भ किया। इसके फलस्वरूप 5120 "सी" टाईप क्वाटरों के सम्बन्ध में 116.00 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

चूँकि दिल्ली में बारजे (छज्जे) लगाने का कार्य क्वाटर पूर्ण होने के बाद था जब निर्माण प्रगति पर था प्रारम्भ किया गया, 6.23 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत पर 1982-83 के दौरान दरवाजे लगाने के लिए दीवारों के हिस्से गिराने पड़े तथा खिडकियां निकाली गईं। 5.61 लाख रुपये की गिराई गई सामग्री का अभी निपटान करना था (सितम्बर 1986)।

- (घ) सविदा पर निर्णय लेने में देरी के कारण क्षति

(i) डी.आई.जेड. क्षेत्र दिल्ली में जनवरी 1979 में 64 टाईप "ए" तथा 80 टाईप "बी" क्वाटरों के निर्माण के लिए एक ठेकेदार को ठेका दिया था जो कार्य की धीमी प्रगति के कारण जनवरी 1981 में निरस्त कर दिया गया था। शेष कार्य (अनुमानित लागत 7.63 लाख रुपये) के लिए जून 1981 में निविदाएं आमन्त्रित की गई थीं। उत्तर में निम्न निविदाएं प्राप्त हुई थीं।

विकल्प-1 (विभागीय इंटों के साथ)	विकल्प-11 (ठेकादार की इंटों के साथ)	क्वाटरों के गिराने/ विक्रय के लिए प्रस्तावित राशि	संबोधित स्थिति
"क" अनुमानित मूल्य से 47 प्रतिशत ऊपर	अनुमानित मूल्य से 64 प्रतिशत ऊपर	रु. 9000	निम्नतम
"ख" अनुमानित मूल्य से 65 प्रतिशत ऊपर	अनुमानित मूल्य से 78 प्रतिशत ऊपर	रु. 52000	दूसरा निम्नतम

ठेकेदार "क" (प्रथम निम्नतम) की दरें स्वीकृति के लिए 29 जून 1981 से 30 दिन अर्थात् 28 जुलाई 1981 तक मान्य थी। कार्यकारी अभियन्ता ने ठेकेदार "क" के पक्ष में निविदा की स्वीकृति के लिए बताये हुये सिफारिश की कि निविदा की वैध तिथि 60 दिन तक बढ़ाने के लिए ठेकेदार से प्रार्थना की गई थी, (23 जुलाई 1981)। ठेकेदार अपने ठेके की वैधता अवधि 4 महीने तक अर्थात् 28 अक्टूबर 1981 तक बढ़ाने के लिए सहमत हो गया। चूंकि विभाग निविदा पर कोई निर्णय नहीं ले सका था, ठेकेदार से (6 नवम्बर 1981) वैधता अवधि को 29 नवम्बर 1981 तक तथा पुनः (13 नवम्बर 1981) 30 नवम्बर 1981 तक बढ़ाने की प्रार्थना की गई थी। तथापि ठेकेदार ने (16 नवम्बर 1981) आगे वैधता अवधि बढ़ाने में अपनी असमर्थता सूचित की। मुख्य अभियन्ता (30 दिसम्बर 1981) ने ठेकेदार "ख" की द्वितीय निम्नतम निविदा जिसने अपनी निविदा की वैधता अवधि 31 दिसम्बर 1981 तक बढ़ा दी थी, अनुमानित मूल्य से 78 प्रतिशत ऊपर 7.63 लाख (विकल्प-11) मूल्य पर स्वीकार कर ली।

निविदाओं पर देर से निर्णय लेने के कारण विभाग को निर्माण कार्य 78 प्रतिशत ऊपर की दर पर देना पड़ा। फलस्वरूप पुराने क्वाटरों के गिराने/विक्रय से प्राप्त राशि का समायोजन करने के पश्चात् भी 0.70 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हो गया था।

(ड.) मूल तकनीकी अनुमानों में विविक्त कन्ड्यूट वायरिंग के प्रावधान व कारण 2.48 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय

चूंकि कन्ड्यूट पाइप ढालने के लिए दीवारों में न्याधार काटे जाने की आवश्यकता थी, इसलिये कार्यान्वयन के दौरान विविक्त कन्ड्यूट वायरिंग के औचित्य के विषय में सन्देह उत्पन्न हो गए थे। इसलिए पट्टीदा वायरिंग प्रदान करने के लिए पूर्व निर्णय (मार्च 1979) बदला गया था (जून 1979)। उस समय तक विभाग ने 15 निर्माण कार्य विविक्त कन्ड्यूट वायरिंग के साथ प्रदान कर दिए थे तथा कुछ मामलों में ये निर्माण कार्य चौथ मंजिल तक प्रगति में थे। इसलिए यह निश्चय किया गया था। (4 जून 1979) कि तल कन्ड्यूट में शेष के लिए उपयुक्त योजक के साथ ही विविक्त कन्ड्यूट वायरिंग को तल के वायरिंग से जोड़ने के लिए इस संयोजन सन्दूकों के प्रावधान की आवश्यकता हुई थी। 12 निर्माण कार्य (2688 क्वाटरों) का लेखा परीक्षण द्वारा नमूना जाँच करने पर पाया कि इन विषय में 2.48 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया गया था।

(च) ठेकेदारों से वसूली

निम्न मामलों में जहाँ ठेकेदार समय पर कार्य पूरा करने में असफलता व कारण संविदाएं निरस्त कर दी गई थीं, ठेकेदार के जोखिम व लागत पर शेष

कार्य पूरा कराने के लिए किये गये अतिरिक्त व्यय की वसूली नहीं की जा सकी।

कार्य का विवरण	अतिरिक्त व्यय की राशि जो वसूली नहीं की जा सकी	टिप्पणी
दिल्ली	(लाख रु. में)	
27 दिसम्बर 1978 को 288 टाईप "सी" क्वार्टरों का निर्माण प्रदान किया गया	4.62	चूँकि ठेकेदार कार्यपूर्ण करने की नियत तिथि (10 अप्रैल 1980) तक कार्यपूर्ण करने में असफल हो गया, मूल ठेकेदार को निरसन नोटिस दिए बिना ही शेष कार्य दूसरे ठेकेदार को प्रदान किया गया (15 फरवरी 1982)। अपनी अपनी पार्टी के दावों का निर्णय करने के लिए अक्टूबर 1981 में नियुक्त मध्यस्थ को अतिरिक्त व्यय की वसूली के दावे को भेजा गया, चूँकि ठेके के निरस्त करने के लिए जिन औपचारिकताओं की आवश्यकता थी पूरी नहीं की गई थी, विभाग द्वारा वापिस ले लिया गया था।
मद्रास		
1. 96 टाईप ए क्वार्टरों का निर्माण 8 फरवरी 1979 का प्रदान किया गया।	2.39	ठेकेदार को कार्यपूर्ण करने की बड़ी हुई तिथि (30 जून 1982) तक कार्य पूरा करना था किन्तु 14 जून 1982 को विभाग ने ठेका निरस्त कर दिया था तथा शेष कार्य 2.46 लाख रुपये के अतिरिक्त मूल्य पर दूसरे ठेकेदार द्वारा करवाया गया था। ठेकेदार की ओर से मध्यस्थ नियुक्त किया गया था, दोनों पार्टियों की तरफ से उल्लंघन हुआ था। इन्हीं कारणों से विभागीय दावों की अनुमति नहीं दी। (त्रुटिपूर्ण फर्श को ठीक करने तथा मलबे के हटाने के लिए 0.07 लाख रु. के सिवाय) और उनके आचरण से ऐसा मालूम होता था कि समय ठेके के सार के रूप में नियत नहीं किया गया था; इसलिए ठेकेदार की कार्य पूर्ण करने की असफलता के कारण ठेका व्यर्थनीय नहीं हो जाता था तथा सविदा का निरसन उचित नहीं था।
2. 48 टाईप "बी" क्वार्टरों का निर्माण अप्रैल 1979 में प्रदान किया गया	1.71	चूँकि ठेकेदार ने कार्य पूर्ण करने में देरी कर दी, ठेका समाप्त कर दिया गया था (14 जून 1982) और शेष कार्य 1.71 लाख रुपये के अतिरिक्त मूल्य पर कराया गया। मध्यस्थ ने, जिसको ठेकेदार की ओर से मामला भेजा गया था ऊपर 1 में उल्लिखित कारणों से ही विभाग के दावों को अनुमति नहीं दी।

54.5 दिल्ली में पुराने घरों का गिराना:-

(i) विभागीय नियमों के अनुसार गिराने तथा गिराई गई सामग्री के निपटान तथा क्वार्टरों के निर्माण के लिए अलग-अलग निविदाएं आमंत्रित की जानी थीं। तथापि विभाग ने गिराने तथा गिराई गई सामग्री का निपटान तथा क्वार्टरों के निर्माण दोनों कार्यों के लिए संयुक्त निविदाएं आमंत्रित करने के पश्चात् 15 ठेके प्रदान किए। विभागीय हिदायतों के अनुसार गिराए जाने वाले गृहों का सुरक्षित मूल्य 85.98 लाख रुपये लगाया गया था। इसके समक्ष निविदाओं में 17.28 लाख रुपये उल्लिखित किया गया था। विभाग ने 18.26 लाख रुपये की निवेद स्वीकार कर ली जो 85.98 लाख रुपये की राशि से तुलना में पर 67.72 लाख रुपये कम था।

(ii) गिराने के कार्य प्रदान करने के गलत तरीके अपनाने के कारण हानि

गिराई गई सामग्री की बिक्री के लिए प्राप्त निवेद जहां निविदाएं (5 मामले) गृहों के गिराने तथा गिराई गई सामग्री की बिक्री के लिए अलग तरह से आमंत्रित की गई थी। जहां संयुक्त निविदाएं गिराने तथा गिराई गई सामग्री के निपटान तथा नये क्वार्टरों के निर्माण के लिए आमंत्रित की गई थी के जवाब में प्राप्त निविदाओं (7 मामले) से तुलना करने पर बताती है कि पहले मामले में गिराई गई सामग्री की बिक्री के लिए उच्च निवेद प्राप्त हुई थीं। दोनों में 9.25 लाख रुपये का अन्तर था।

54.6 क्वाटरों के पूर्ण होने तथा सौंपने में देरी के कारण राजस्व की हानि

विभिन्न स्थानों पर क्वाटरों के पूर्ण होने में विलम्ब के फलस्वरूप प्रत्याशित ग्राहियों को गृह किराया भत्ते के रूप में 3.95 करोड़ रुपये का परिहार्य भुगतान तथा लाइसेंस फीस के रूप में निम्नलिखित 1.87 करोड़ रुपये की राजस्व में हानि हुई:

स्थान	समय पर पूर्ण न किए गए क्वाटरों की संख्या	गृह किराया भत्ते के भुगतान पर परिहार्य व्यय (रुपये लाखों में)	राजस्व की हानि
1. दिल्ली	13,686	310.00	138.00
2. हैदराबाद	328	7.18	4.39
3. कलकत्ता	2,000	67.35	38.44
4. मद्रास	300	4.34	2.04
5. बंगलौर	300	6.02	3.30
6. चंडीगढ़	300	0.39	0.46
		395.28	186.63

क्वाटरों के निर्माण की वास्तविक तिथियों से उनको सम्पदा निदेशालय को सौंपने की तिथियों तक राजस्व की हानि तथा मकान किराया भत्ता

54.7 पुष्प विहार (एम.बी. रोड) दिल्ली में दुकानों के निपटान में विलम्ब

तीव्रगामी गृह निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत पुष्प विहार में 12.12 लाख रुपये की लागत पर सुविधा जनक खरीददारी केन्द्र (सी.एस.सीज) बनाए

14.86 लाख रुपये तथा 28.95 लाख रुपये क्रमशः हिसाब लगाया गया जै नीचे दिखाया गया है:-

स्थान	पूर्ण किए गए क्वाटरों की संख्या जिनके सौंपने में विलम्ब हुआ	राजस्व की हानि (रुपये लाखों में)	मकान किराया भत्ते के परिहार्य भुगतान के कारण हानि
1. दिल्ली	2,197	7.58	16.90
2. हैदराबाद	328	0.56	0.91
3. कलकत्ता	767	6.37	10.31
4. मद्रास	120	0.20	0.39
5. बंगलौर	156	0.15	0.44
		14.86	28.95

टिप्पणी: उपरोक्त सारणियों में हानि क्वाटरों को सम्पदा निदेशालय सौंपने के महीने तक या जुलाई 1986 तक जहाँ ये सौंपे नहीं गए थे, का हिसाब लगाया गया है।

गए थे। निर्मित सुविधा जनक खरीददारी केन्द्रों की इकाइयों की संख्या, पूर्ण करने का महीना, निर्माण की लागत, उनके निपटान के लिए भूमि व विकास कार्यालय (एल.एण्ड डी.ओ.) को सूचना भेजने के महीनों का विवरण निम्न सारणी प्रदान करती है।

सैक्टर	सी.एस.सीज की निर्मित इकाइयाँ	पूर्ण करने का महीना	निर्माण लागत (रुपये लाखों में)		एल.एण्ड.डी.ओ. को सूचना भेजने वाला महीना
I	40	सितम्बर 1981	4.86	मार्च 1981	पूर्ण होने से पहले ही एल.एण्ड.डी.ओ. को सूचना भेजी गई थी
III-ए	8	फरवरी 1982	1.26	फरवरी 1982	एल.एण्ड.डी.ओ. को क्रमशः 4 महीने तथा 6 महीने की सूचना भेजने में विलम्ब था।
III-बी	12	अक्तूबर 1981	1.80	फरवरी 1982	
V	30	अगस्त 1982	4.20	अप्रैल 1983	

सैक्टर I में सी.एस.सी. की विभिन्न इकाइयों (40) की नीलामी के लिए निश्चित किया गया। सुरक्षित मूल्य प्रारम्भ में (जनवरी 1982) एल.एण्ड.डी.ओ. द्वारा भूमि की लागत 6000 रुपये वर्ग मीटर लगाते हुए निश्चित किया गया था। किन्तु बाद में भूमि की लागत 2,400 रुपये प्रति वर्ग मीटर लेते हुए संशोधित कर दिया था। तथापि इन इकाइयों की नीलामी नहीं की गई थी।

सैक्टर III "ए" तथा III "बी" में सी.एस.सी. की 20 इकाइयों के लिए सुरक्षित मूल्य एल.एण्ड.डी.ओ. का द्वारा दिसम्बर 1983 में भूमि की लागत 2400 रुपये प्रति वर्ग मीटर लगाते हुए निश्चित की गई थी। सरकार द्वारा जनवरी 1984 में अनुमोदन कर दिया गया। फरवरी 1984 में 6 दुकानों तथा 4 ढके हुए स्टालों की नीलामी की गई। चूँकि कोई बोली बोलने वाला नहीं था, इसलिए फरवरी 1984 में निपटान नहीं हो सका।

सैक्टर V में सी.एस.सी. की 30 इकाइयों की नीलामी नहीं हो सकी चूँकि नवम्बर 1983 में निश्चित सुरक्षित मूल्य सरकार से अनुमोदित नहीं कराया गया था।

भूमि के पूर्ण मूल्य के 25 प्रतिशत पर भूमि की लागत लेने पर सरकार द्वारा निर्णय लेने के परिणामस्वरूप सब सैक्टरों की इकाइयों का सुरक्षित मूल्य संशोधित किया गया था। स्टालों/प्लैटफार्मों को रामजी लाल मार्केट, साकेत के आबादकारों को नगर निगम, दिल्ली (न.नि.दि.) के माध्यम से सुरक्षित मूल्य पर आर्बिट्रट करने का निर्णय लिया गया था।

मार्च 1986 में नीलाम की जाने वाली 40 दुकानों (स्टालों/प्लैटफार्मों के अलावा) में से केवल 24 दुकानें नीलाम की गईं तथा शेष 16 दुकानें अभी तक निपटान के लिए प्रतीक्षित थीं। न.नि.दि. द्वारा स्टालों तथा प्लैटफार्मों के आर्बिट्रट की स्थिति उपलब्ध नहीं थी।

दुकानों स्टालों आदि की नीलामी में विलम्ब के कारण इन मार्केटों के निर्माण पर व्यय किए गए 12.12 लाख रुपये 3 से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए अवरुद्ध रहे। इसके अतिरिक्त, अगस्त 1986 तक 0.32 लाख रुपये का व्यय इन भवनों की देखभाल पर खर्च हुआ था।

54.8 अन्य रुचिकर बातें

(I) सुरक्षा पर व्यय:

कलकत्ता में निर्मित क्वाटर सरकार द्वारा भर्ती पर लगाए गए प्रतिबन्ध के कारण, रखरखाव के लिए स्टाफ की अनुपलब्धता के कारण सम्पदा निदेशालय को नहीं सौंपे जा सके। प्राइवेट अभिकरणों को देखभाल की भुगतान के लिए 1.96 लाख रुपये का व्यय किया गया था।

(II) बिजली के कार्यों को पूरा करने में विलम्ब:

चूँकि कलकत्ता में "ए" तथा "बी" क्वाटरों के निर्माण कार्य प्रगति पर थे (जुलाई 1986) स्थलों की अनुपलब्धता के कारण बिजली के कार्य रोक दिए गए थे। व्यय स्वीकृति 52.25 लाख रुपये के समक्ष 62.85 लाख रुपये राशि का मार्च 1986 तक बिजली सम्बन्धी कार्यों पर व्यय हो चुका था। कार्यों को पूर्ण करने के लिए 20.95 लाख रुपये अनुमानित अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता थी। क्वाटरों के लिए प्राप्त क्रिए गए विद्युत स्टोर स्थापना की प्रतीक्षा में थे (जुलाई 1986)। 1007 छत वाले पंखे (मूल्य 3.86 लाख रुपये) 2 केन्द्रापसारी पम्प (मूल्य 1.25 लाख रुपये), 1 टरबाइन पम्प (मूल्य 1.12 लाख रुपये तथा तीन जैनेरेटिंग सैट (मूल्य 4.35 लाख रुपये) उनमें शामिल थे।

(III) अन्तिम बिलों के पास करने में विलम्ब:

निर्माण कार्यों के अन्तिम बिल कार्यों के पूर्ण होने की तिथि से 6 महीने के अन्दर भुगतान के लिए पास किए जाने अपेक्षित होते हैं। विभाग ने 37 ठेकों के विषय में अन्तिम बिल (अगस्त 1986) पास

नहीं किए थे जहाँ नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कार्य पहले ही पूरा हो चुका था:—

	ठेकों की संख्या जिनके लेखे पूरे नहीं किए जा सके	कार्यों के पूर्ण करने की अवधि
दिल्ली	30	जुलाई 1982—दिसम्बर 1985
कलकत्ता	6	अप्रैल 1984—अप्रैल 1986
बंगलौर	1	दिसम्बर 1983
	37	

सारांश

निम्नलिखित मुख्य बातें हैं जो प्रकट होती हैं:—

- 21,300 क्वाटरों के निर्माण 68.11 करोड़ की लागत पर 1981-82 के अन्त तक पूर्ण करने की कार्य सारणी के साथ जुलाई 1978 में स्वीकृति दी गई थी।
- निर्माण की लागत में बढ़ोतरी होने, कूरसी क्षेत्र बढ़ाने तथा बारजे (छज्जे) बनाने का निर्णय लिए जाने के कारण लागत अनुमान 96.91 करोड़ रुपये (नवम्बर 1981) संशोधित कर दिए गए थे। तथापि क्वाटरों की संख्या घटा कर 19940 कर दी गई थी।
- पूर्णतया लागत लगभग 127 करोड़ होने की आशा है जिसके समक्ष 125 करोड़ रुपये का व्यय मार्च 1986 तक हो चुका था। मार्च 1986 में 16360 क्वाटर पूर्ण हो चुके थे तथा 3745 क्वाटर निर्माण की विभिन्न स्थितियों में थे। कलकत्ता में 767 क्वाटर तथा हैदराबाद में 328 क्वाटर यद्यपि पूर्ण थे लेकिन सम्पदा निदेशालय को अभी सौंपे जाने थे (जुलाई 1986)।
- स्थलों को उपलब्ध कराने, सामग्री की आपूर्ति, निविदाओं पर निर्णय योजनाओं की रूपरेखा के अनुमोदन में विलम्ब के कारण क्वाटरों के निर्माण में विलम्ब था। ये दिल्ली में 29 कार्यों के बारे में 26 दिन से 1500 दिन तक, बंगलौर में 2 कार्यों के बारे में 9 से 24 महीने तक, कलकत्ता में एक कार्य के बारे में 1175 दिन, चंडीगढ़ में, कार्यों के बारे में 5 से 7 महीने तथा हैदराबाद में, कार्यों के बारे में 12 से 21 महीने तक फैले हुए थे।
- मद्रास में एक ठेका प्रदान करने के निर्णय लेने में विलम्ब के फलस्वरूप 13.64 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ था।
- दिल्ली में 875 क्वाटरों के निर्माण के लिए हुडको (जुलाई 1979) को प्रदान किए गए ठेके के विषय में कार्य की प्रगति असन्तोषजनक और कार्य की गुणवत्ता उप स्तर की होने से शेष कार्य (लगभग 35 प्रतिशत) नवम्बर 1985 में विभाग द्वारा ले लिया गया था।

- हुडको द्वारा निर्मित क्वाटर लोकप्रिय नहीं थे, यह निर्णय किया गया था कि उनके 250 क्वाटरों को 2 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 200 परिवहन कैम्पों में बदल दिया जाय।
- महारौली-बदरपुर रोड़ नई दिल्ली में 1000 क्वाटरों के निर्माण के लिए एक ठेका (जुलाई 1979) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को दिया गया जो डी.एस.आर. 1977 से 31.47 प्रतिशत ऊपर था। यद्यपि इसी प्रकार के कार्य उस क्षेत्र में विभाग द्वारा निम्न दरों पर दिए गए थे। राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को भुगतान की जाने वाली राशि 283.77 लाख बनती थी जिसके समक्ष विभाग ने अगस्त 1985 तक 287.5 लाख रुपये निर्माता को दे दिये थे। पूर्ण करने की निश्चित तिथि 12 जुलाई 1980 के समक्ष 500 क्वाटर सौंपे गए थे (जुलाई 1985) और शेष 500 क्वाटर अभी सौंपे जाने थे (मार्च 1986) चूँकि अन्तिम पट देने का कार्य प्रगति पर था।
- दिल्ली में बारजों (छज्जों) के निर्माण कार्य 1982-83 और 1983-84 के दौरान जिस दर पर क्वाटरों के निर्माण के ठेके दिए गए थे उससे ऊँची दर पर कार्य प्रारम्भ किया गया था, फलस्वरूप 116 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ। इसके आगे बारजों (छज्जों) को जोड़ने के कारण, क्वाटरों के निर्माण के पश्चात् जो पूरे हो गए थे या प्रगति पर थे दीवारों या खिडकियों के कुछ हिस्से गिराने में 6.23 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ। 5.61 लाख रुपये मूल्य की गिराई गई सामग्री का अभी निपटान करना था।
- दिल्ली में कार्यों के सम्बन्ध में विविक्त कन्ड्यूट वायरिंग को पट्टीदार वायरिंग में बदलने के मार्च 1979 में लिए गए निर्णय के कारण 12 कार्यों के मामलों (2688 क्वाटरों) जहाँ ठेके पहले ही विविक्त कन्ड्यूट वायरिंग के लिए दिए जा चुके थे 2.48 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ था।
- अन्य ठेकेदारों के द्वारा निष्पादित कराये गये शेष निर्माण कार्य के कारण 10 निर्माण कार्यों (दिल्ली 8 निर्माण कार्यों, 56.98 लाख रु. तथा मद्रास 2 निर्माण कार्यों पर 4.10 लाख रु.) पर किया गया 61.08 लाख रु. अतिरिक्त व्यय की गई राशि — मूल ठेकेदारों से वसूल नहीं की जा सकी क्योंकि विभाग की तरफ से चूक होने के कारण मध्यस्थों द्वारा दावों की अनुमति नहीं दी गई थी।
- यद्यपि विभागीय नियमों के अनुसार गिराने के कार्य तथा निपटान के लिए अलग अलग निविदाएं आमंत्रित करनी अपेक्षित थी, दिल्ली में 15 मामलों में विभाग ने संयुक्त निविदाएं आमंत्रित कीं। 5 मामलों की तुलना करने पर जहाँ गिराने तथा बेचने के लिए अलग अलग निविदाएं आमंत्रित की गई थी सरकार द्वारा 9.25 लाख रुपये मूल्य का लाभ खोने (गंवाने) का अनुमान लगाया गया था।
- गिराई गई सामग्री की बिक्री का सुरक्षित मूल्य विभागीय हिदायतों के अनुसार लगाए गए 85.98 लाख रुपये के बजाय गलती से 17.28 लाख रुपये लगाया गया।
- विभिन्न स्थानों पर क्वाटरों के निर्माण में विलम्ब के फलस्वरूप 3.95 करोड़ रुपये का भुगतान प्रत्याशित ग्राहियों को मकान किराया भत्ते के रूप में तथा 1.87 करोड़ रुपये की पर्याप्त मात्रा में राजस्व की हानि लाइसेंस फीस के रूप में हुई।
- पूरे किए गए क्वाटरों को सम्पदा निदेशालय को सौंपने में देरी के फलस्वरूप 14.86 लाख रुपये (दिल्ली में 7.58 लाख, हैदराबाद में 0.56 लाख कलकत्ता में 6.37 लाख रुपये, मद्रास में 0.20 लाख रुपये तथा बंगलौर में 0.15 लाख रुपये) की राशि लाइसेंस फीस के रूप में राजस्व की हानि हुई।
- पुष्प विहार (एम.बी.रोड़) में कार्यक्रम के अन्तर्गत 12.12 लाख रुपये की लागत पर बनाई गई दुकानों की नीलामी में 3 से 5 वर्ष तक का विलम्ब था।
- कलकत्ता में निर्मित क्वाटर सम्पदा निदेशालय को नहीं सौंपे जा सके, फलस्वरूप इन क्वाटरों की देखभाल का प्रबन्ध करना पड़ा जिस पर 1.96 लाख रुपये का व्यय किया गया था।
- दूसरी अनियमितताएँ/कमियाँ देखी गईं वे थी छतों के पंखों, केन्द्रापसारी पम्पों, टरबाइन पम्प तथा जैनेरेटिंग सेट का न लगाना जो कलकत्ता के कार्यों के लिए 10.58 रु. की लागत पर प्राप्त किए गए थे चूँकि नागरिक कार्य प्रगति पर थे तथा 37 अन्तिम बिलों के पास करने में विलम्ब (दिल्ली में 30 मामले, कलकत्ता में 6 मामले तथा बंगलौर में एक मामला)।

अनुबन्ध

मूल अनुमान तथा संशोधित अनुमान के बीच परिवर्तन के कारण दशांते हुए विवरण:

क्र. सं.	मद का विवरण	मूल अनुमान	संशोधित अनुमान	परिवर्तन बढ़ोतरी (+) कमी (-)	परिवर्तन के मुख्य कारण	
1	2	3	4	5	6	
		(अंक करोड़ रुपयों में)				
1.	गृहों का निर्माण	52.52	74.50	(+) 21.98	के कारण (I) पहले दिए गए कार्यों के बारे में सामग्री जैसे सीमेन्ट, इस्पात ईटों के मूल्य में वृद्धि (II) दिए जाने वाले कार्यों के लिए अप्रैल 1980 में अनुमोदित मूल्य सूचांक 176 अपनाने से तथा (III) बाहर सोने वाले बारजों (छज्जों) के प्रावधान में जोड़	
2.	बीजार तथा सयन्त्र	0.12	0.12	—	—	
3.	भूमि का विकास	9.59	12.22	(+) 2.63	दिल्ली में देवनगर तथा डी आई जेड क्षेत्र में क्वाटरों के खाली न करने के कारण विकास के लिए लिए गए क्षेत्र में बढ़ोतरी के कारण कार्यों के लिए 2.68 करोड़ की तथा, मूल्य सूचांक बढ़ने के कारण मद्रास, बंगलौर, हैदराबाद तथा चंडीगढ़ के बारे में 0.26 करोड़ की बढ़ोतरी। भूमि के क्षेत्र में कमी के कारण बम्बई तथा कलकत्ता के बारे में 0.31 करोड़ रुपये की कमी।	
4.	सुविधाएँ	0.75	0.93	(+) 0.18	मूल्य सूचांक बढ़ने के कारण	
5.	अहाते की दीवार	—	0.08	(+) 0.08	संशोधित अनुमानों में नए प्रावधान करने के कारण	
6.	स्कूटर शोड	—	0.05	(+) 0.05	संशोधित अनुमानों में नए प्रावधान के कारण	
7.	ऊपर के टैंक	—	0.42	(+) 0.42	संशोधित अनुमानों में नए प्रावधान के कारण	
8.	भूमि	0.08	0.19	(+) 0.11	हैदराबाद में उच्चतर दर पर भूमि खरीदने के लिए अतिरिक्त प्रावधान के कारण तथा बंगलौर तथा चंडीगढ़ में मूल्य सूचांक बढ़ने के कारण	
9.	बिजली के कार्य गली में प्रकाश व्यवस्था	—	1.23	(+) 1.23	संशोधित अनुमान में नए प्रावधान के कारण	
		63.06	89.74	(+) 26.68		

55. नई दिल्ली नगर पालिका को किये गये भूमि के आबंटन की शर्तों का पालन न करना

नई दिल्ली नगर पालिका (न.दि.न.पा.) की प्रार्थना पर (अगस्त 1976) उस समय के निर्माण एवं आवास मंत्रालय (अब शहरी विकास मंत्रालय) ने मार्च 1977 में, बाराखम्भा सड़क पर एक होटल के निर्माण हेतु करीब 6.0485 एकड़ माप वाले एक भूखण्ड के आबंटन की स्वीकृति दी। न.दि.न.पा. के एक अर्ध-सरकारी निकाय होने से यह, उल्लिखित किया गया था कि स्थल के लिए जमीन का भाड़ा 1000 रु प्रति वर्ग गज (व.ग.) के काल्पनिक मूल्य के आधार पर होगा और जमीन का वार्षिक भाड़ा काल्पनिक मूल्य के 6.5 प्रतिशत की दर से आकलित किया जायेगा। न.दि.न.पा. ने मंत्रालय को सूचित किया (अक्टूबर 1977) कि उनका स्वयं का होटल निर्माण एवं संचालन का इरादा नहीं था और इसलिए उन्होंने लाइसेंस विलेख की कुछ धाराओं के शोधन हेतु प्रार्थना की। मंत्रालय ने न.दि.न.पा. के निवेदन को नहीं माना और स्थल का आबंटन मार्च 1978 से रद्द कर दिया गया था।

भारत सरकार द्वारा औपचारिक आबंटन के पूर्व ही, न.दि.न.पा. ने 30 जून 1976 को बाराखम्भा सड़क पर होटल स्थल हेतु 4.5 एकड़ जमीन के आबंटन के लिये प्रतिबाधन निविदा आमंत्रित की थी। फर्म "क" का 28.11 लाख रु. प्रति वर्ष लाइसेंस फीस के रूप में भुगतान का प्रस्ताव उच्चतम था। न.दि.न.पा. को 4.5 एकड़ भूमि जो कि निविदा दस्तावेज में दर्शायी गयी थी के प्रति 6.0485 एकड़ भूमि के आबंटन पर न.दि.न.पा. ने फर्म "क" के साथ समझौता किया जो निविदा में बढोत्तरी की आनुपातिक राशि के 37.78 लाख रुपये लाइसेंस फीस के रूप में प्रति वर्ष भुगतान के लिए सहमत हो गयी थी। उसने न.दि.न.पा. को 20 लाख रुपये बयाने के रूप में भुगतान किये तथा बकाया (रु. 17.78 लाख) का भुगतान स्थल के वास्तविक अधिग्रहण करने समय करने के लिए स्वीकृति मांगी।

फर्म "क" ने मार्च 1978 में सरकार से शिकायत की कि न.दि.न.पा. स्थल अधिग्रहण देने के अपने वायदे को पूरा करने में असफल रही थी जिसके परिणामस्वरूप अनावश्यक रूप से बहुत बड़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ी। अगस्त 1979 में सरकार को फर्म "क" के वकील के माध्यम से सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 80 के अन्तर्गत एक नोटिस प्राप्त हुआ था। इस पर विधि मंत्रालय के परामर्श पर विचार किया गया, जिसने अक्टूबर 1979 में बताया कि भारत संघ तथा फर्म "क" के बीच जिसकी ओर से नोटिस दिया गया था कोई गुप्त समझौता नहीं था। यह भी राय दी गई थी कि यह आवश्यक नहीं था कि नोटिस का जवाब दिया जाय और यदि संघ सरकार को लिखित मुकदमें में प्रतिवादी के रूप में फँसाया गया तो उसका उचित प्रकार से बचाव किया जाय। इसके बाद फर्म "क" ने न.दि.न.पा. और संघ सरकार के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया, यह दावा करते हुए कि या तो वे अपनी जिम्मेदारियां विशेष रूप से होटल स्थल को तुरन्त सौंपने की पूरी करे या फर्म "क" को 64.40 लाख रुपये की अदायगी, उसके पक्ष में मुकदमे की लागत और कोई अन्य सहायता जिसके लिए वह हकदार हो, दी जाये।

एशियाई खेल 1982 के लिए होटल सुविधा के लिए भूमि के विकास में तेजी लाने तथा गतिरोध को खत्म करने के दृष्टिकोण से दिल्ली प्रशासन ने

मंत्रालय को अक्टूबर 1980 में सलाह दी कि अगर फर्म "क" अपनी दीवानी मुकदमा वापिस ले तथा होटल के निर्माण के कार्य का उत्तरदायित्व ले तथा यह विश्वास दिलाये कि उसका समापन एशियाई खेल 1982 से पहले पूरा हो जायेगा, तो लाइसेंस विलेख में कुछ संशोधन करके उसे उसके क्रियान्वयन की मंजूरी दिला दी जाय। मामला विधि, न्याय एवं कम्पनी कारोबार मामले मंत्रालय द्वारा परखा गया, जिसने इसके साथ-साथ मत प्रकट किया (दिसम्बर 1980) कि जहाँ तक सरकार का सम्बन्ध था मुकदमे में सफलतापूर्वक बचाव करना सम्भव था।

तथापि निर्माण एवं आवास मंत्रालय का मत था (फरवरी 1981) कि भूमि का खंड न.दि.न.पा. को 3000 रु. प्रति वर्ग गज के प्रीमियम पर आबंटित किया जा सकता था तथा भूमि का किराया 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर के या उपर्युक्त प्रीमियम और भूमि किराया के बजाए कुल प्रीमियम के 14.35 प्रतिशत की दर से एक वार्षिक भुगतान कर सकते थे। मंत्रालय की वित्त शाखा ने कहा कि भूखंड अत्यन्त कीमती क्षेत्र में स्थित था और उच्चतम मूल्य प्राप्त करने के लिये उसकी सार्वजनिक नीलामी की जाय, और यदि सरकार का फैसला भूखंड की सार्वजनिक नीलामी पर देने का न हो करके न.दि.न.पा. को पहले से निर्धारित बाजार मूल्य पर आबंटित करने का हो तो पूर्व निर्धारित दरों व बसंतबिहार में उसे 3 से 5 तारा होटल स्थल से प्राप्त उच्चतम दर का अंतर 2417 रु. प्रतिवर्ग गज था, तथा इस गणना पर 6.0485 एकड़ भूखंड का दोनों दरों का अन्तर 7.076 करोड़ रुपये आयेगा। वित्त मंत्रालय की संस्वीकृति पर निर्माण आवास एवं आपूर्ति मंत्रालय ने फरवरी 1981 में भूखंड दोबारा न.दि.न.पा. को, 3000 रु. प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष के प्रीमियम तथा 2.5 प्रतिशत की दर पर भूमि किराया पर इस शर्त पर सौंपा दिया कि न.दि.न.पा. लिखित में यह बचन दे कि वे होटल का निर्माण पर्याप्त समय रहते नवम्बर 1982 एशियाई खेलों के आरम्भ से पूर्व कर लेगी तथा उसे चालू कर देंगे।

भूमि का अधिग्रहण करके न.दि.न.पा. ने भूखंड को फर्म "क" को 1.45 करोड़ रु. की वार्षिक लाइसेंस फीस पर उप-पट्टे पर दे दिया (मार्च 1981)।

मई 1983 में मंत्रालय ने न.दि.न.पा. को कारण बताने के लिए कहा कि भूमि का आबंटन क्यों न रद्द कर दिया जाए क्योंकि उसने निम्नलिखित उल्लंघन किये थे:-

- (क) न.दि.न.पा. ने आबंटन पत्र की धारा (v) के प्रतिरोध में भूखंड फर्म "क" को उप-पट्टे पर दिया था।
- (ख) जैसा कि पत्र की धारा (i) और (vii) में अपेक्षित था, न.दि.न.पा. ने पांच सतारा होटल को एशियाई खेल 1982 से पूर्व पूरा नहीं किया।
- (ग) न.दि.न.पा. ने प्रीमियम की बकाया किस्तें तथा उनके ब्याज का भुगतान नहीं किया था।
- (घ) न.दि.न.पा. ने तब तक समझौते के स्मारक पत्र को क्रियान्वित नहीं किया था।

न.दि.न.पा. द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब (मई 1983) सरकार को अस्वीकार्य तथा असन्तोषपूर्ण पाया गया था। तथापि जुलाई 1983 में यह नई दिल्ली नगर पालिका को नए पट्टे पर इस शर्त पर देने का निर्णय लिया गया था कि होटल 31 दिसम्बर 1984 तक पूरा तथा चालू हो जाना चाहिए। 15 जुलाई 1983 से भूमि का वार्षिक किराया सरकार द्वारा 2.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया था (फरवरी 1984)।

नया पट्टा देने के बावजूद भी न तो अभी तक (अक्टूबर 1986) होटल चालू किया गया था और न ही नई दिल्ली नगर पालिका ने प्रीमियम की किराये और भूमि के किराए का वार्षिक भुगतान किया था। नई दिल्ली नगर पालिका से कुल 16 अक्टूबर को वसूली योग्य रकम 10.92 करोड़ रुपये थी।

मामले से प्रकट हुआ कि:-

- (i) नई दिल्ली नगर पालिका को रियायती दरों पर भूमि आबंटन का उद्देश्य, जैसा कि मंत्रालय द्वारा अभिलेखित किया गया था, एशियाई खेल 82 के चालू होने से पहले होटल को पूरा करना तथा चालू करना, सुनिश्चित करना था। क्योंकि होटल अभी तक चालू नहीं किया गया था, नई दिल्ली नगर पालिका को रियायती दरों पर भूमि का आबंटन का उद्देश्य असफल रहा।
- (ii) नई दिल्ली नगर पालिका से अधिशुल्क, भूमिकर तथा ब्याज की वसूली योग्य राशि अक्टूबर 1986 तक 10.92 करोड़ रु. थी। मंत्रालय ने बताया (जनवरी 1987) कि:-
 - (i) क्योंकि नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा शर्तों का उल्लंघन किया गया था, मूल लाईसेंस को रद्द कर दिया था तथा नई लीज़ की शर्तों के अधीन वार्षिक भूमिकर 2½ प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया गया था, तथा
 - (ii) नई दिल्ली नगर पालिका से वसूली योग्य दावे केवल उसी समय स्थगित कर दिये थे तब नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया कि उन्हें होटल को 1982 से 1986 के वर्षों के लिए लाईसेंस फीस

की अदायगी के लिए होटल निर्माण को शीघ्र पूरा करने की मदद हेतु ऋणस्थगन प्रदान किया गया था क्योंकि इसमें भारी वित्तीय निवेश सम्मिलित था।

56. दिल्ली के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के भण्डार मण्डलों तथा यांत्रिक तथा बर्कशाप मण्डलों के लेखों में अनियमितताएँ/कमियाँ

56.1 प्रस्तावना:-

56.1.1 केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) निर्माण तथा रखरखाव के प्रयोग के लिये भवन सामग्रियों तथा भण्डारों जैसे सीमेन्ट, धातु, पाइप, बिजली के पंखे आदि खरीदता है। दिल्ली में भण्डार मण्डलों द्वारा संचालित भण्डार मोटे तौर से सभी के.लो.नि.वि. मण्डलों द्वारा संचालित भण्डार का 35 प्रतिशत होता है तथा दिल्ली में निर्माण कार्यों पर समग्र रूप में के.लो.नि.वि. के निर्माण कार्य के कुल परिव्यय का करीब 30 प्रतिशत बनता है।

56.1.2 दिल्ली में भवनों के निर्माण तथा रखरखाव के लिये जरूरी भण्डारों का केन्द्रीय भण्डार मण्डलों संख्या-I तथा संख्या-II (भण्डार मण्डल सं.-I सीमेन्ट तथा अन्य भण्डार के लिये तथा भण्डार मण्डल सं.-II लोहा तथा धातु के लिये) तथा बिजली भण्डार मण्डल (बिजली भण्डार) में संग्रह होता है। दिल्ली में स्थित के.लो.नि.वि. के मण्डलों द्वारा अपेक्षित विभागीय प्रयोग या ठेकेदारों को जारी करने के लिये संयंत्र और जार जैसे रोड रोलर ट्रक आदि यांत्रिक एवं बर्कशाप (या.व.) मण्डल, के.लो.नि.वि. दिल्ली द्वारा खरीदे, रखरखाव तथा जारी किये जाते हैं। दिल्ली के बाहर स्थित मण्डल अपनी जरूरतों के भण्डारों को सीधे खरीदते हैं।

56.2 दिल्ली में भण्डार मण्डलों द्वारा अपनाई गयी प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं की एक समीक्षा की थी तथा उनके परिणाम अनुवर्ती पैराग्राफों में दिये गये हैं।

56. 2.1 1985-86 के समाप्त होने पर प्रत्येक तीन वर्षों के अन्त में दिल्ली के तीन भण्डार मण्डलों द्वारा संग्रहित विभिन्न वस्तुओं के भण्डार की कीमत निम्नलिखित थी :-

	1983-84			1984-85			1985-86		
	प्राप्तियाँ	निर्गमन	अंतरेष	प्राप्तियाँ	निर्गमन	अंतरेष	प्राप्तियाँ	निर्गमन	अंतरेष
भवन									
भण्डार	1165	1804	1571	1087	1671	987	1695	1772	910
बिजली									
भण्डार	229	220	251	208	268	191	421	417	195

56.2.2 भण्डारों का अधिक संग्रह :-

31 मार्च 1986 को भण्डार मण्डल नम्बर-1 की संग्रह स्थिति की एक समीक्षा दिखाती है कि 1982 से 1986 के दौरान खरीदा हुआ जस्तेदार लोहे

की पाइपों तथा जमीन में दबाये जाने वाली लोहे की पाइपों का संग्रह 31.28 लाख रुपये की अनुमोदित अधिकतम सीमा से बढ़ गया था जैसा नीचे दिखाया गया है।

भण्डार के विवरण	मात्रा	मूल्य	अनुमोदित अधिकतम सीमा मूल्य	1982-83 से 1984-85 के दौरान औसत मूल्य का वार्षिक निर्गम	संग्रह किये हुये निर्गम के महीनों की संख्या
(लाख रुपयों में)					
जस्तेदार लोहा पाइप 40 मि.मी. परिधि	49095 मीटरी टन	20.62	10.50	9.07	28
जस्तेदार लोहा पाइप 50 मि.मी. परिधि	44542 मीटरी टन	25.95	14.56	13.15	24
जस्तेदार लोहा पाइप 65 मि.मी. परिधि	9437 मीटरी टन	6.98	3.70	3.68	23
जस्तेदार लोहा पाइप 80 मि.मी. परिधि	8421 मीटरी टन	8.59	5.10	6.89	15
मिट्टी कास्ट लोहा पाइप 100 मि.मी. परिधि 1.8 मीटर लम्बी	21679 मीटरी टन (नग)	24.28	21.28	5.46	53
		86.42	55.14		

इसी प्रकार, बिजली भण्डार मण्डल में, 31 मार्च 1985 को संग्रह किये गये 37.87 लाख रुपये की लागत के बिजली भण्डार (1980-81 से 1982-

83 तक के दौरान प्राप्त किये हुये) इन मदों द्वारा निर्धारित अधिकतम स्तर से 32.62 लाख रु० बढ़ गया था, जैसा नीचे दिखाया गया है :-

क्र. सं. भण्डार विवरण	मात्रा (संख्या में)	31 मार्च 1985 को संग्रहित सामग्री की कीमत	अनुमोदित अधिकतम सीमा	1982-83 से 1984-85 के दौरान वार्षिक निर्गम की औसत कीमत	संग्रह किये हुये निर्गम के महीनों की संख्या
(लाख रुपयों में)					
1. तेज फटने की क्षमता वाले पलीते	5,37,004	5.30	1.00	1.36	48
2. फिट काटः	2,88,483	2.74	0.25	0.56	55
3. होल्डर्स	9,39,651	10.10	1.50	2.79	44
4. स्विच (गिलास) तथा उपकरण	19,71,702	19.73	2.50	5.34	44
		37.87	5.25	10.05	

ऊपर की सारणी से यह देखा जायेगा कि वर्ष के अन्त तक रखे हुए भण्डार औसत वार्षिक निर्गमों से अधिक थे।

विभाग ने बताया (जुलाई 1986) कि ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई कि ये सामग्रियाँ क्यों खरीदी गईं तथा इन अधिकतम भण्डारों की निकासी अन्य मण्डलों तथा विभागों को निर्गम करके की जायेगी।

56.2.3 धीमी गति की वस्तुयें :

1956 से 1983 के दौरान चार मण्डलों में खरीदी गई (भण्डार मण्डल नवम्बर I तथा II, बिजली भण्डार मण्डल तथा यांत्रिक एवं वर्कशाप मण्डल) 31 अगस्त 1986 को, 26.52 लाख रु. की धीमी गति की वस्तुयें थीं जो पिछले कुछ वर्षों के दौरान निर्गम नहीं की गई थी। ब्यौरे अनुबन्ध-1 में दिए गए हैं। इसका परिणाम अधिक अपेक्षित भण्डार स्थल के कब्जे के साथ अतिरिक्त निर्धियों के अवरोध करने में हुआ। ये भण्डार सम्मिलित करते थे (i) 0.78 लाख रु. की कीमत के बिजली जुड़नार जिसमें समय के साथ खराब होने की संभावना थी (ii) 1950 से 1971 के दौरान खरीदी गई 4.45 लाख रु. की कास्ट लोहा मदों, जो मंत्रालय के अनुमोदन से (दिसम्बर 1984) स्पन कास्ट लोहा पाइप में बदल दी गई थी तथा (iii) 1.28 लाख रु. की कीमत के उन मशीनों के फालतू पुर्जे जिनका पहले ही निपटान कर दिया था। 1.43 लाख रु. की कीमत के एसवस्टस सीमेंट चादरें/कैचियों के बारे में सर्वेक्षण रिपोर्ट जून 1983 में मंजूर हुई थी तथा उनका निपटान प्रतीक्षित था (जुलाई 1986)। 20.64 लाख रु. का बकाया स्टॉक का सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा निबटान अभी होना था (जुलाई 1986)।

56.2.4 बिन कार्ड्स तथा मूल्यकृत भण्डार खाता:-

चूँकि भण्डार मण्डल नम्बर-I द्वारा रखे गये मूल्यकृत भण्डार खाता में बकायों को 1983-84 से निकाला (सीमेंट के सिवाय) नहीं गया था, बिन कार्ड के अनुसार भण्डार मदों के बकाया का मिलान मूल्यकृत भण्डार खाता के बकाया के साथ नहीं किया गया था। भण्डार मण्डल नम्बर-II में, बिन कार्ड के अनुसार बकायों का मिलान मूल्यकृत भण्डार खाता के बकायों के साथ मार्च 1984 तथा मार्च 1985 तक आंशिक रूप से किया गया था। इसके फलस्वरूप मात्रा लेखे तथा मूल्य लेखे में विसंगतियाँ बिना पता लगे पड़ी रहीं। उप-मण्डलों से प्राप्त पूर्ण बिन कार्डों की मण्डल द्वारा जांच की जानी थी। इस आवश्यकता का अनुपालन तीन मण्डलों के किसी भी मण्डल द्वारा नहीं किया जा रहा था, इसके परिणामस्वरूप विसंगतियाँ, यदि कोई, मिलान के लिये उप-मण्डलों के ध्यान में नहीं लाई जा सकीं।

लेखा परीक्षा में 66 बिन कार्डों के नमूना जांच ने (बिजली भण्डार मण्डल से 50 तथा भण्डार मण्डल नम्बर-I से 16) बिन कार्डों तथा मूल्यकृत

भण्डार खाता के शेषों में निम्नलिखित अन्तर दिखाया :-

बिन कार्ड संख्या तथा मद	* को बकाया	बिन कार्ड के अनुसार बकाया	मूल्यकृत भण्डार खाता के अनुसार बकाया
संख्या 343390 शीशे की सीट 92 x 122 x 4 एम.एम	30 दिसम्बर 1983	1193.1112 एम ²	1640.7784 एम ²
संख्या 343011 शीशे की सीट 46 x 92 x 3 एम.एम.	21 मार्च 1984	23.3864 एम ²	24.359 एम ²
संख्या 342760 प्लास्टिक बाल बाल कॉक 15 एम.एम. परिधि	1 फरवरी 1983	1253	387

* मूल्यकृत भण्डार खाता में निकाले गए बकायों की तारीख

56.2.5 माल पड़ताल :-

सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार सभी भण्डारों का प्रत्यक्ष सत्यापन कम से कम वर्ष में एक बार होना चाहिए तथा लेखा बकायों का स्थल बकायों से मिलान किया जाए। तीन भण्डार मण्डलों में भण्डारों के प्रत्यक्ष सत्यापन की स्थिति निम्नलिखित थी:-

मण्डल	कालम 3 में बर्णित से पूर्व स्टॉक लेखा	कालम 4 में बर्णित से पूर्व माल पड़ताल	अद्यतन माल पड़ताल
1	2	3	4
भण्डार मण्डल नम्बर-I	जनवरी 1982 से अक्तूबर 1982	फरवरी 1983 से अप्रैल 1983	जुलाई 1984
भण्डार मण्डल नम्बर-II	उपलब्ध नहीं	1975-76	अप्रैल 1984 में सी गई तथा मई 1984 में निर्दिष्ट की गई
बिजली भण्डार मण्डल	जुलाई 1982	जुलाई 1983	जुलाई 1984

56.2.6 विभागीय निदेशों के अनुसार, गोदाम भाड़ा, ढोने तथा अन्य प्रासंगिकों को पूरा करने हेतु एक उपयुक्त प्रतिशत निर्गम दर तय करने के उद्देश्य से प्रत्येक मण्डल के लिये वार्षिक रूप से निर्धारित करनी होती है ताकि वर्ष के दौरान सम्भावित निर्गमों से इन प्रभारों को वसूल किया जा

सके। भण्डार मण्डल नम्बर-II के बारे में नमूना जांच में यह पाया गया कि गोदाम भाड़े तथा दुलाई प्रासंगिक प्रभारों के लिये निर्धारित की गई प्रतिशत 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान खर्च की तुलना में अधिक थी जिसके परिणामस्वरूप क्रमशः 17.69 लाख रु. तथा 17.44 लाख रु. की सीमा तक भण्डारों पर लाभ तथा निर्माण कार्यों को अधिक डेबिट दिया।

56.2.7 विभागीय निदेशों के अनुसार, वर्ष के अन्त में, निर्गम दरों आदि के संशोधन के कारण मूल्यों में अन्तर को प्रदर्शित करने वाली धनराशि की वार्षिक अधिकता या कमी को प्रोफार्मा के आधार पर निकाला जाना होता है तथा यथास्थिति राजस्व को क्रेडिट अथवा स्टॉक पर हानि के रूप में प्रभारित किया जाता है। लाभ तथा स्टॉक पर हानि का यह समायोजन 1983-84 से 1985-86 के लिये भण्डार मण्डल नम्बर-I तथा भण्डार मण्डल नम्बर-II के द्वारा नहीं किया गया था। भण्डार मण्डल नम्बर-II अगस्त 1983 में 1981-82 तक 17 वर्षों के लिये स्टॉक पर 6.37 करोड़ रु. का लाभ का हिसाब लगाया था, यह संकेत करते हुये कि निर्माण कार्यों पर व्यय उस सीमा तक अधिक लगाया था। समायोजन अभी भी कार्यान्वित होना था (दिसम्बर 1986)।

56.2.8 प्राप्य राशियाँ की गैर वसूली

अन्तर मण्डलीय लेन देनों की निकासी पर ध्यान रखने के लिये निर्धारित नगद निबटान उच्चत खाता के रजिस्ट्रों से पता चला कि अक्टूबर 1985 के अन्त तक 1976-77 से 1984-85 तक इन मण्डलों द्वारा के.लो.नि.वि. के अन्य मण्डलों को दिए गए संयंत्र तथा औजारों की भंडारण लागत तथा किराया प्रभार की 2.94 करोड़ रु. की कुल लागत वसूल नहीं हुई थी, हालांकि इन मण्डलों के लेखों के बन्द होने के तुरन्त बाद भण्डारों की आपूर्तियों के समर्थन में डेबिट सूचनायें के.लो.नि.वि. मण्डलों को प्रत्येक माह भेजी जानी थी तथा के.लो.नि.वि. मण्डलों को ऐसी डेबिट सूचनाओं की प्राप्ति की तारीख से 10 दिनों की निर्धारित अवधि में चैक भेजने थे।

2.94 करोड़ रु. में से, 1.92 करोड़ रु. के वर्षवार ब्यौरे नीचे दिये हुए हैं

वर्ष	भण्डार मण्डल नम्बर -I	भण्डार मण्डल नम्बर-II	जोड़
	(लाख रु. में)		
1976-77	0.02	0.01	0.03
1978-79	0.08	—	0.08
1979-80	0.17	—	0.17
1980-81	—	0.07	0.07
1981-82	2.16	0.03	2.19
1982-83	1.01	—	1.01
1983-84	0.86	146.55	147.41
1984-85	1.65	39.77	41.42
	5.95	186.43	192.38

यांत्रिक एवं वर्क-शॉप मण्डल के मामले में, अक्टूबर 1985 के अन्त तक 1.02 करोड़ रु. अन्य मण्डलों से अभी प्राप्य थे। अवधि जिससे ये दावे सम्बन्धित थे, मण्डल में उपलब्ध नहीं थीं।

रिकार्डों की नमूना जांच से पता चला कि मार्च 1985 के दौरान भण्डार मण्डल नम्बर-II द्वारा अन्य मण्डलों से प्राप्त 106.17 लाख रु. के 36 प्रेषणों में से, 30 मामलों में, 1 माह से 15 माह तक प्रेषणों को भेजने में विलम्ब था।

छलपूर्ण अन्तरणों को दर्शाने वाले न निपटाए गए लेन-देनों की सम्भावना को हटाया नहीं जा सका। लम्बे अर्से से भण्डारों को प्राप्त करने वाले मण्डलों द्वारा भुगतान में विलम्ब पता न लगने वाले भण्डारों का दुर्विनियोग या सामग्रियों की हानि होना सम्भव हो सकती थी जिस के परिणाम स्वरूप बजट अनुमानों में तदनुसूची प्रावधान किए बिना इन मण्डलों द्वारा भण्डारों का उपयोग किया।

56.2.9 आपूर्तिकर्ताओं, रेलवे तथा अन्यो से बकाया देय

भण्डार मण्डल नं.-II, बिजली भण्डार मण्डल तथा यांत्रिक वर्कशॉप मण्डल के "विविध लोक निर्माण अग्रिमों" के रजिस्ट्रों की नमूना जांच से पता लगा कि आपूर्तिकर्ताओं, रेलवे तथा अन्यो के प्रति मार्च 1957 से नवम्बर 1985 अवधि के लिये 1.74 करोड़ रु. (260 मदों) के कुल विभागीय दावे बकाया थे जैसा कि नीचे दिये थे :-

बकाया राशि	मद	संक्षिप्त कारण
(लाख रु. में)		
132.15	7	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. (भा. इ. प्रा. लि.) द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य आवतित जापान इस्पात पर मुख्य रूप से रेलवे, भाड़ा, बन्दरगाह प्रभारों तथा यातायात प्रभारों के कारण 1.31 करोड़ रु. (5 मद)। 1980 से 1985 के दौरान भण्डार मण्डल द्वारा भेजे गये दावों को भा.इ.प्रा.लि. द्वारा पूर्ण निपटान में अन्तिम बिलों को भेजने हेतु वापिस कर दिये थे। अन्तिम बिल निकासी करने वाले एजेंट से प्राप्त नहीं हुये थे।
1.43	89	मार्च 1957- नवम्बर 1985 के दौरान भण्डारों की कम प्राप्ति या आपूर्तिकर्ताओं से क्षतिपूर्ण हालत में भण्डारों को प्राप्त किया जाना के कारण।
0.50	1	नवम्बर 1985 में सीमा शुल्क विभाग को अदा किया हुये विलम्ब शुल्कों के कारण। राशि एम.एम.टी.सी. से वसूली योग्य थी।
39.69	163	मार्च 1957 से नवम्बर 1985 के दौरान आपूर्तिकर्ताओं तथा अन्य पार्टियों द्वारा देय अन्य विविध वसूलियाँ।
173.77	260	

ब्यौरे अनुबन्ध-II में दिये हुए हैं।

56.2.10 महानिदेशालय आपूर्ति तथा निपटान (म.नि.आ.नि.) द्वारा प्रस्तुत दावों के सत्यापन में विलम्ब

चालू ठेकों/दर ठेकों के प्रति म.नि.आ.नि. के माध्यम से के.लो.नि.वि. द्वारा खरीदे गये भण्डारों के लिये आपूर्तिकर्ताओं के भुगतान प्रारम्भ में

आपूर्ति विभाग के वेतन तथा लेखा कार्यालयों (वे.लो.का.) द्वारा प्रेषणों के सबूत के संदर्भ में किया जाता है तथा बाद में के.लो.नि.वि. के सम्बद्ध वे.ले.का. से दावे लिए जाते हैं। के.लो.नि.वि. मण्डलों द्वारा इन दावों के सत्यापन तथा समायोजन को लंबित रखते हुये आपूर्ति विभाग के वे.ले.का. द्वारा उठाये गये दावों के प्रति किये गये इन भुगतानों को वे.ले.का. प्रेषण शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत करते हैं। इसके पश्चात इन लेन देनों को सत्यापन तथा प्रेषण शीर्ष का निपटान करते हुए अन्तिम लेखे शीर्षों के प्रति समायोजन के लिए सम्बद्ध के.लो.नि.वि. मण्डलों को वाउचरों सहित उनके द्वारा सूचित कर दिया जाता है।

प्रेषण शीर्ष के अन्तर्गत बकाया राशियों का समय समय पर वे.ले.का. तथा मण्डलों द्वारा पुनरीक्षण करना होता है। भण्डार मण्डलों (जनवरी 1986) के लेखों की जांच नमूना से पता चला कि वे.ले.का. द्वारा मार्च 1985 तक इन मण्डलों को सूचित किये गये 2.87 करोड़ रु. के लेन देनों का सितम्बर 1986 तक उनके द्वारा निपटान नहीं किया था। न तो गैर समायोजन के कारण और न आवधिक पुरीक्षण के परिणाम रिकार्डों में उपलब्ध थे। 2.87 करोड़ रु. के वर्षवार विवरण अनुबन्ध-III में दिये हुये हैं।

लम्बे अर्से से म.नि.आ.नि. द्वारा किये गये दावों के प्रति भण्डारों की प्राप्ति के सत्यापन में विलम्ब पता न लगना भण्डारों के दुर्विनियोग तथा सामग्री की हानि से सम्भव हो सकती थी।

56.2.11 इस्पात की प्राप्ति—अग्रिम भुगतानों का असमायोजन

अग्रिम भुगतानों के प्रति आपूर्ति की प्राप्ति की देख-रेख के लिये रखे गये अभिलेख की जांच नमूना से पता चला (जनवरी 1986) कि 1984-85 तक अदा किये गये अग्रिमों में से 5.78 करोड़ रु. आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध बकाया था। इसमें से 1980-81 से 1984-85 के दौरान किये गये 41.07 करोड़ रु. के अग्रिम भुगतानों के प्रति 2.41 करोड़ रु. (5.87 प्रतिशत) बकाया थे। विभाग ने बताया (सितम्बर 1986) कि अधिकतर मामलों में फर्म द्वारा इस्पात की आपूर्ति की गई थी तथा अग्रिमों को सामग्री की प्राप्ति के साथ योजक न करने के कारण अग्रिम बकाया थे तथा मिलान का कार्य प्रगति पर था।

56.2.12 मार्गस्थ हानि/सामग्रियों की कम प्राप्ति के कारण बकाया दावे

भण्डार मण्डल नम्बर-II में मार्गस्थ भण्डारों की हानि तथा भण्डारों की प्राप्ति में कमी के मामलों के बारे में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) 1983-84 के पैरा 30.2 ग (ix) में उल्लेख किया गया था।

भण्डार मण्डल नम्बर-I में मामलों की समीक्षा से पता चला कि जून 1978 से मार्च 1985 से सम्बन्धित 10.21 लाख रुपये के 80 दावे अगस्त 1986 तक अनिर्णीत पड़े रहे। इनमें मार्गस्थ में सामग्री की हानि के कारण

8.43 लाख रु. के 27 दावे तथा क्षतिपूर्ण हालत में कम सामग्री प्राप्त होने के कारण 0.89 लाख रु. के 25 दावे बीमा कम्पनियों को दायर किए गये थे। इसके अतिरिक्त 1.98 लाख रु. के 19 दावे 5 वर्ष से अधिक पुराने थे तथा 31 अगस्त 1986 को 7.24 लाख रु. के 44 दावे 3 वर्ष से अधिक पुराने थे।

जून 1978 से पहले दावों की बकाया स्थिति का पता नहीं चल सका क्योंकि दावे रजिस्टर जिनमें ये लेन देन लिखे हुये थे खराब हालत में पाये गये थे। परिचर्या के दौरान (जनवरी 1986) मण्डल अधिकारी ने बताया कि अभिलेख दावों की फाइलों से पुनः बनाये जायेंगे। इस सम्बन्ध में प्रगति प्रतीक्षित थी (सितम्बर 1986)।

56.2.13 20 मिली मीटर मोटाई की छड़ों में इस्पात बिलेटों को पुनः गोल करना—बकाया देयताओं की गैर वसूली

भण्डार मण्डल-II ने 1000 टन के इस्पात बिलेटों को 20 मि.मी. डाई इस्पात छड़ों के 915 टनों को फिर से गोल करने का फर्म "क" को 4.05 लाख रु. का एक ठेका दिया (अगस्त 1984)। काम के आरम्भ तथा समापन होने की निर्धारित तारीख क्रमशः 4 सितम्बर 1984 तथा 3 जनवरी 1985 थी।

तथापि, बिलेटों का वास्तविक निर्गम छड़ों के वितरण के साथ नियमन नहीं था। मण्डल ने 22 दिसम्बर 1984 तक फर्म "क" को 676.065 टनों के बिलेटों की आपूर्ति की जिसके प्रति 8.5 प्रतिशत की जलन की हानि निकालने के पश्चात 510.683 टन बिलेटों के बराबर 467.275 टन इस्पात की छड़ें फर्म से प्राप्त हुई थीं। क्योंकि फर्म ने 165.382 टन के बिलेटों की बकाया मात्रा को वापस नहीं किया था, 4500 रु. प्रति टन के प्रचलित दुगुने बाजार दर पर निकाली गई 14.88 लाख रु. की राशि ठेके की शर्तों के अनुसार उससे वसूली योग्य थी। जनवरी 1986 में लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर प्रतिभूति जमा के लिये फर्म द्वारा भेजे गये 7 लाख रु. के बैंक प्रत्याभूति 7 फरवरी 1986 को नगद कराई गई थी। 7.88 लाख रु. की बकाया राशि अभी भी फर्म से वसूल करनी थी। (सितम्बर 1986)।

56.2.14 आपूर्तिकर्ताओं से भाड़ा प्रभारों की गैर वसूली

भण्डार मण्डल नम्बर-I को दर-ठेके पर विभिन्न फर्मों से सीमेंट खरीदने का कार्य सौंपा गया है।

दर ठेके पर प्राप्त सीमेंट के परिवहन पर रेलवे भाड़ा के कम प्रभारों के कारण भण्डार मण्डल नम्बर-I ने मई 1981 से अक्टूबर 1984 के दौरान 1.15 लाख रु. के क्रेडिट रेलवे को जारी किये थे। तथापि, इन राशियों की सितम्बर 1986 तक वसूली नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त यह देखा गया कि रेलवे को अदा किये गये दर ठेके की शर्तों के अनुसार तथा आपूर्तिकर्ताओं से वसूली योग्य 0.35 लाख रु. के कम प्रभारित भाड़े के बारे में सूचनाएं रेलवे द्वारा मांगने की तारीख से दो माह की अवधि में आपूर्तिकर्ताओं को नहीं भेजी गयी थी।

56.2.15 मण्डलों द्वारा छत पंखों की सीधी प्राप्ति

केन्द्रीय बिजली भण्डार मण्डल से स्टाक स्थिति के बिना पता लगाये 1982-83 के दौरान दिल्ली में दो मण्डलों द्वारा 4762 छत पंखों (18.33 लाख रु. कीमत) की अनियमित खरीद के बारे में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन 1983-84 के पैरा 30.2 ग(vi) में उल्लेख किया गया था। लेखापरीक्षा के एक अतिरिक्त समीक्षा से पता चला कि 8304 छत पंखों (1200 मि.मी. साइज) को 33.11 लाख रु. की कीमत पर 1981-82 से 1983-84 के दौरान दो अन्य बिजली मण्डलों द्वारा मुख्यतः दर ठेके पर बिजली भण्डार मण्डल से स्टाक स्थिति के बिना पता लगाये खरीदे थे जबकि उसी नाम के 4800 से 9000 संख्या तक बिजली पंखे इस अवधि के दौरान स्टाक में थे। विभाग ने बताया (जून 1986) कि क्वार्टरों जिनमें इन छत पंखों का लगाया जाना था, की छतें कम ऊँचाई की थीं, तदनुपरान्त छत पंखों में 12 इंच नीची लोहे की छड़ के प्रति 9 इंच नीची छड़ सहित पंखों की आवश्यकता थी कि ये बिजली भण्डार मण्डल में प्रायः उपलब्ध नहीं थे, इनकी सम्बद्ध मण्डलों द्वारा सीधी खरीद की गई। तथापि, विभाग ने देखा कि कार्यकारी अभियंता को नीति मामले के रूप में, अपनी मांग रखनी चाहिये थी तथा फर्म को आदेश देने से पहले अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिये था। इस सम्बन्ध में यह देखा गया है कि इन क्वार्टरों को हस्तांतरण करने की शीघ्र जरूरत थी तथा कार्यकारी अभियंता (विद्युत) ने प्रक्रिया सम्बन्धी विलम्बों को दूर करने के लिये ऊपर का निर्णय लिया होगा। तथापि लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि मण्डलों द्वारा खरीदे गये 8304 छत पंखों में से, 2924 छत पंखों को अभी लगाया जाना था (अगस्त 1986)।

सारांश

निम्नलिखित मूल्य बातें उद्धृत होती हैं:-

- 31 मार्च 1986 को भण्डार मण्डल नम्बर-1 के तथा 31 मार्च 1985 को विद्युत भण्डार मण्डल के स्टाक स्थिति की समीक्षा से पता चला कि रखे हुये स्टाक की अनुमोदित अधिकतम सीमा जस्तेदार धातु पाइपों तथा जमीन में गढ़ने वाली लोहे पाइपों के बारे में 31.28 लाख रुपये अधिक थी तथा क्रमशः क्षमता फ्यूजेज, फिट कटर्स, होल्डर्स तथा स्विचस के बारे में 32.62 लाख रु. अधिक थी।
- 31 अगस्त 1986 को चार मण्डलों में 1956 से 1983 के दौरान खरीदी गई 26.52 लाख रु. की धीमी गति वाली वस्तुएं थीं।
- भण्डार मण्डल नम्बर-1 में बिन कार्डों के अनुसार 1983-84 से, भण्डार मदों के बकायों का मिलान मूल्यकृत भण्डार खाता के बकायों के साथ नहीं किया गया था जबकि भण्डार मण्डल नम्बर-II के मामले में, मिलान आंशिक रूप से मार्च 1984 तक तथा आंशिक रूप से मार्च 1985 तक किया गया था। 66 बिन कार्डों के नमूना जांच से बिन कार्ड द्वारा दिखाये गये बकाया की कीमत भण्डार खाता में दिखाये गये बकाया में अन्तर के दृष्टान्तों का पता चला।

- निर्धारित आवर्तन के अनुसार भण्डारों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया था।
- जारी दरों आदि के संशोधन के कारण स्टाक पर लाभ तथा हानि का समायोजन भण्डार मण्डल नम्बर-1 तथा II द्वारा 1983-8 से 1985-86 वर्षों के लिये नहीं किया गया था। भण्डार मण्डल नम्बर II ने स्टाक पर 17 वर्षों के लिए 1981-82 तक 6.3 करोड़ रुपये का लाभ निकाला था जिसके कारण निर्माण कार्यों पर अधिक व्यय प्रभावित हुआ। आवश्यक समायोजन भण्डार लेख में कार्यान्वित नहीं किये गए थे।
- अन्य के.लो.नि.वि. को आपूर्ति किया गया भण्डारों की कीमत तथा औजारों तथा संयंत्र के किराया प्रभारों के लिए 2.94 करोड़ रु. अक्टूबर 1985 के अन्त तक प्राप्ति बकाया पड़े रहे थे।
- आपूर्तिकर्त्ताओं, रेलवे तथा अन्य के प्रति मार्च 1957 तथा नवम्बर 1985 में उठाये गये 1.74 करोड़ रु. (260 मदों) के कुल विभागीय दावे बकाया थे।
- आपूर्ति विभाग द्वारा किये गये 2.87 करोड़ रु. के कुल भुगतानों के भण्डार मण्डलों द्वारा सत्यापित नहीं किया गया तथा बाद में प्रेषणा शीर्षों का निपटान नहीं किया गया।
- 1984-85 तक इस्पात की आपूर्ति के लिये आपूर्तिकर्त्ताओं के प्रति 5.78 करोड़ रु. के अग्रिम भुगतान बकाया थे (जनवरी 1986) यद्यपि यह दावा किया गया था कि आपूर्तियां अनेक मामलों में प्राप्ति की गई थीं।
- भण्डार मण्डल नम्बर-1 में बीमा कम्पनियों, रेलवे आदि के प्रति जून 1978 से मार्च 1985 की अवधि से सम्बन्धित मार्गस्थ व हानि/सामग्री की कम प्राप्ति के कारण 10.21 लाख रु. के दावे बकाया थे (अगस्त 1986)।
- 1000 टन की लोहे बिलेटों को इस्पात छड़ों में पुनः गोल करने के लिये दिये गये (अगस्त 1984) फर्म को ठेके के बारे में, परिवर्तित की गई इस्पात छड़ों की कम प्राप्ति के कारण 14.88 लाख रु. फर्म से वसूली योग्य थे जिनमें से प्रतिभूति जमा के बारे में फर्म द्वारा रकम 7 लाख रु. की बैंक गारंटी लेखापरीक्षा द्वारा बताये गये मामलों में भुनाई गई। 7.88 लाख रु. की बकाया राशि अब भी वसूली की जानी थी।
- सीमेंट के परिवहन पर 1.15 लाख रु. के कम की गई रेलवे भाड़े की राशि, जिसके लिये मई 1981 से अक्टूबर 1984 के दौरान भण्डार मण्डल-1 द्वारा क्रेडिट प्रेषण जारी किये थे तथा आपूर्तिकर्त्ताओं से वसूली योग्य थे, वसूल नहीं की गई थी।
- 33.11 लाख रु. की कीमत पर 8304 छत पंखों को 1981-82 से 1983-84 के दौरान विद्युत भण्डार मण्डल, जहां पंखे स्टाक में थे से बिना स्टाक स्थिति मालूम किये खरीदे गये।

अनुबन्ध- I

दिल्ली के के.लो.नि.वि. के भण्डार मण्डलों में धीमी/न गति करने वाली वस्तुओं के भण्डारों में पड़ा रहना

क्रं सं.	मण्डल का नाम	भण्डारों के विवरण	राशि (लाख रु. में)	खरीदने की तारीख	टिप्पणियां
1.	यांत्रिक तथा मण्डल कार्यशाला	मशीन के फालतू पूर्जे	1.28	अप्रैल 1971 से पूर्व	मशीनरी का काफी पहले निपटान हो गया
		विविध भण्डार	0.32	पता नहीं	पिछले 7 से 10 वर्षों के दौरान कोई निर्गम नहीं तथा कुछ मामलों में 1971 से
2.	भण्डार मण्डल नम्बर-1	कास्ट आयरन मर्दे	5.41	1950-71	1980 से कोई निर्गम नहीं। स्पन कास्ट आयरन पाइपों में परिवर्तित होने से
		अन्य भण्डार	1.89	1956 या ऐसे से पहले	—
		ए.सी.सीट/ए.सी.टी. सीट	1.43	पता नहीं	सर्वेक्षण प्रतिवेदन संस्वीकृत (जून 1983) लेकिन कार्य नहीं किया (जुलाई 1986)
3.	भण्डार मण्डल नम्बर-II	एम.एस. जुड़नार	0.46	1966 से पहले	पिछले 15 वर्षों से अधिक के लिये कोई निर्गम नहीं
		स्टील भण्डार	14.95	1982	पिछले 3 वर्षों के लिये अनिर्गमित पड़े रहना
4.	विद्युत भण्डार मण्डल	विद्युत जुड़नार	0.78	अप्रैल 1981 से मई 1983	उनकी प्राप्ति की तारीख से कोई निर्गम नहीं
			26.52		

अनुबन्ध-II

विविध लोक निर्माण अभिनों के अन्तर्गत 1.74 करोड़ रु. के बकायों के ब्यौरे

मदों की संख्या	राशि (रुपयों में)	अवधि
(i) गेट प्रभार तथा रेलवे भाड़ा		
1	16,101.00	जुलाई 1968
1	8,210.00	मार्च 1980
4	73,94,913.00	मार्च 1981 से दिसम्बर 1984
1	57,95,472.06	मई 1983 से दिसम्बर 1984
	<u>1,32,14,696.06</u>	
(ii) सामग्रियों की कम प्राप्ति या क्षतिपूर्ति हालत में प्राप्त की गई सामग्री		
2	63,176.00	मार्च 1967 तथा फरवरी 1968
1	5,303.75	जून 1970
86	74,409.79	मार्च 1957 से नवम्बर 1985
	<u>1,42,889.54</u>	
(iii) खनिज और धातु व्यापार निगम से वसूली योग्य विलम्ब प्रभार		
1	50,000.00	नवम्बर 1985
(iv) अन्य विविध वसूलियाँ		
163	39.69 लाख रु.	मार्च 1957 से नवम्बर 1985
योग 260	173.77 लाख रु. है। अर्थात् 1.74 करोड़ रु.	

बकाया रकम का मण्डलवार ब्यौरा

क्र.सं.	मण्डल का नाम	मदों की संख्या	रकम (लाख रुपयों में)
1.	एम.वी. मण्डल	131	4.44
2.	भण्डार मण्डल नम्बर-II	43	168.59
3.	विद्युत भण्डार मण्डल	86	0.74
		<u>260</u>	<u>173.77*</u>

* अर्थात् 1.74 करोड़ रुपये

अनुबन्ध- III

31 मार्च 1985 को बकाया वे.ले.का. के ज्ञापन लाख रु. में

यूनिट का नाम	1976-77 से										जोड़
	पूर्व (लेखों के विभागीकरण से पहले)	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	
भण्डार मण्डल नम्बर-I	—	—	—	4.50	1.20	10.19	कुछ नहीं	8.80	कुछ नहीं	11.48	36.17
भण्डार मण्डल नम्बर-II	28.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.43
विद्युत भण्डार मण्डल	4.76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.76
एम्.वी. मण्डल	5.98	0.51	1.12	1.92	7.89	1.18	4.80	33.94	124.19	35.61	217.14
जोड़	39.17	0.51	1.12	6.42	9.09	11.37	4.80	42.74	124.19	47.09	286.50

57. वैध अर्वाध के दौरान प्रत्याभूति बन्ध पत्रों को भुनाने में विफलता

सामान्य वित्तीय नियमावली में अपेक्षित व्यक्ति या फर्म द्वारा जिसका कार्य सम्पादन या भंडारों की प्रतिपूर्ति के लिए सरकार से अनुबंध होता है, सविदा के देय सम्पादन के लिए प्रतिभूति प्रस्तुत की जानी चाहिए। सरकारी विभागों को प्राधिकृत किया गया है कि वे अनुसूचित बैंकों द्वारा दिए गए प्रत्याभूति बन्ध पत्रों के प्रपत्र में प्रतिभूति स्वीकार करें। प्रतिभूति के अन्य प्रपत्रों की तरह, कार्य समापन की अनुरक्षण अर्वाध की समाप्ति के पश्चात, या अंतिम बिल तैयार किए गए हों/पास हो गए हों के पश्चात जो भी वाद में हो, बैंक प्रत्याभूति विमुक्त की जाती है। प्रत्याभूति बंध पत्र के अंतर्गत, सरकार द्वारा मांग करने पर प्रत्याभूति के अंतर्गत, बैंक देय तथा भुगतान योग्य राशि को अदा करने की जिम्मेवारी लेता है। प्रत्याभूति बंध पत्र में यह भी निर्धारित है कि जिस तारीख को या उससे पहले, प्रत्याभूति के अंतर्गत मांग या दावा बैंक को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है इसमें चूक होने पर प्रत्याभूति के अंतर्गत, बैंक सभी देयताओं से मुक्त माना जाएगा। प्राधिकृत अधिकारियों को यह अधिकार होगा कि वे जहां आवश्यक हो, प्रतिभूति जब्त कर सकते हैं।

प्रत्याभूति बंध पत्र की वैधता अर्वाध को बढ़ाना या उसका नवीनीकरण करना, केवल ठेकेदार द्वारा बैंक से प्रार्थना करने पर किया जा सकता है तथा जहां पर आवश्यक हो, अधिकृत अधिकारी द्वारा ठेकेदार को, नवीनीकरण कराने के लिए 3 माह की सूचना देनी अपेक्षित है। जहां पर ठेकेदार ऐसा करने में चूक करता है, तो मंडल अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह बैंक या ठेकेदार के साथ पत्राचार करने में समय गवाएं बिना बैंक प्रत्याभूति को भुनाने की तुरंत कार्यवाही करे।

नई दिल्ली/दिल्ली में स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) के 16 मंडलों में (एक दम चुने जाने पर) प्रत्याभूति बंध पत्रों का पुनरीक्षण किया गया था। 31 मार्च 1985 को इन मंडलों में 137 प्रत्याभूति बंध पत्र किए गए थे। 36 बंध पत्रों की वैधता समाप्त हो गई थी। इन 36 मामलों में से 26 के अंतिम बिल तैयार किए गए थे, 8 के अंतिम बिल तैयार किए जाने थे और बाकी के दो मामलों से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं थे (0.18

लाख रुपए की प्रतिभूति ली गई थी परन्तु ठेकेदारों द्वारा देय राशि का आंकलन नहीं किया गया था)।

26 मामलों में, जहां अंतिम बिल तैयार किए गए थे, पांच मामलों में कोई बसूली देय नहीं थी, दो मामलों में, बैंक प्रत्याभूति (0.64 लाख रु.) की राशि से देय राशि (0.40 लाख) कम थी तथा बाकी के मामलों में बैंक प्रत्याभूति की 6.62 लाख रुपए की धनराशि से देय राशि (31.50 लाख रु.) अधिक थी।

1982-83 से 1984-85 की अर्वाध में, 16 मामलों में, के.लो.नि.वि. से संबद्ध मंडलों ने बैंक से प्रत्याभूति बंध पत्र भुनाने का अनुरोध किया जिनमें से केवल 4 प्रत्याभूति बंध पत्र ही भुनाए जा सके थे। बाकी के 12 प्रत्याभूति बंध पत्रों (3.74 लाख रु.) में से, 10 प्रत्याभूति बंध पत्र (3.22 लाख रु.), संबंध मंडलों द्वारा निगरानी के अभाव में बैंक द्वारा नहीं भुनाए गए थे तथा दो प्रत्याभूति बंध पत्र (0.52 लाख रु.) मध्यस्थल अधिनियम की शर्तों के अनुसार जारी किए गए थे।

17 मामलों में जहां 8.04 लाख रुपये की राशि के प्रत्याभूति बंध पत्र लिए गए थे, मंडलीय अधिकारियों द्वारा, बैंकों/ठेकेदारों को वैधता अर्वाध बढ़ाने की सलाह दी गई थी। जबकि दो मामलों में 1.48 लाख रुपये की बैंक प्रत्याभूतियों मध्यस्थता अधिनियम की अनुपालनानुसार जारी की गई थी, बाकी के मामलों (15) में, न तो 6.56 लाख रु. की राशि प्रत्याभूति बंध पत्रों की अर्वाध बढ़ाई गई थी और न ही वैधता अर्वाध की समाप्ति के पूर्व इन प्रत्याभूति बंध पत्रों को भुनाने के लिए कार्यवाही की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप विभाग के संभव दावों के समायोजन के प्रति, प्रतिभूति के रूप में प्रत्याभूति बंध पत्रों की राशि अब उपलब्ध नहीं थी।

प्रत्याभूति बंध पत्र के गैर भुनाने के संबंध में, महानिदेशक (निर्माण) ने बताया (अक्टूबर 1986) कि बैंक प्रत्याभूति बंध पत्रों को वर्तमान प्रपत्र में स्वीकार करने की वर्तमान पद्धति संतोषजनक नहीं रही थी तथा बैंक प्रत्याभूति प्रपत्र को बदलने का प्रस्ताव किया गया था। तथा इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया है कि बंध पत्रों की वैधता अर्वाध को बढ़ाने में वहां

कार्यवाही क्यों नहीं की गई थी, जहां पर अंतिम बिलों को बनाने में विलम्ब था।

ऊर्जा मंत्रालय

(विद्युत विभाग)

58. विभाग की निष्क्रियता के कारण हानि

संचार मंडल ब्यास, तलबारा में, परियोजना में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे एक अनुभाग अधिकारी को, जून 1968 में उसकी उप-विभागीय अधिकारी के रूप में पदोन्नति होने पर, उसके द्वारा पिछले पद पर सम्भाले गए भण्डारों एवं भण्डारों से सम्बन्धित अभिलेखों का कार्यभार सौंपे बिना उसे उसी मण्डल में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दे दी गई। जून 1968 में पिछले पद का कार्यभार न सौंपे जाने सम्बन्धी मामले की सूचना बहुत देरी से, अप्रैल 1972, में ही अधीक्षक अभियन्ता को दी गई। विभागीय अधिकारी ने अगस्त 1973 में सामग्री की कमी का मूल्यांकन

2.27 लाख रुपये का किया। अक्टूबर 1973 में अधिकारी को उसके मूल विभाग में वापस भेज दिया गया था। नवम्बर, 1976 में अधीक्षक अभियन्ता ने, स्थल पर उपलब्ध सामग्री की संयुक्त मापतोल करने तथा अनुभाग अधिकारी के प्रभार में भण्डारों की कमी की सही राशि का पत लगाने हेतु दो उप-विभागीय अधिकारी तथा एक अनुभाग अधिकारी की एक समिति नियुक्त की। फरवरी, 1977 में, समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर उस अनुभाग अधिकारी को 1.07 लाख रु. मूल्य की सामग्री की कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। 31 अक्टूबर, 1981 को सेवानिवृत्त हुए उस अधिकारी से कोई वसूली नहीं की गयी थी।

ऊर्जा मन्त्रालय, जिसको यह मामला मई 1984 तथा पुनः सितम्बर 1985 में भेजा गया था, ने बताया (जनवरी 1986) कि यह मामला वसूली हेतु मुख्य अभियन्ता, सिचाई कार्य, पंजाब, अधीक्षक अभियन्ता लाईनिंग सर्किल अमृतसर, जहाँ अधिकारी अंतिम नौकरी कर रहा था, के पास पत्राचाराधीन था, तथा इन कमी की कोई वसूली सम्भव नहीं थी तथा हानि बट्टे खाते डालने का मामला परियोजना अधिकारियों के साथ चल रहा था

अध्याय-V

भंडारों की खरीद/बिक्री

वाणिज्य मंत्रालय (आपूर्ति विभाग)

59. कम्बल बैरक की खरीद

महानिदेशक, पूर्ति और निपटान (डी.जी.एस.डी.) ने महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के सितम्बर 1984 के मांग पत्र के प्रति 72,500 कम्बलों (विशिष्टीकरण सं. टी.सी. -12/31 के अनुरूप) की मात्रा के लिए 30 नवम्बर 1984 को निविदा पूछताछ जारी की। प्रत्युत्तर में 102 रु. से 145 रु. प्रति कम्बल की दर वाले ग्यारह प्रस्ताव जनवरी 1985 में प्राप्त हुए म.नि.पू. और नि. ने 30,000 कम्बलों जो अपेक्षित विशिष्टीकरण के अनुरूप नहीं थे, की 90 रु. प्रति कम्बल की दर पर आपूर्ति के लिए मार्च/अप्रैल 1985 में फर्म 'ख' को निविदा स्वीकृति (नि.स्वी.) दे दी।

शेष 42,500 कम्बलों के लिए जो अपेक्षित विशिष्टीकरण (अर्थात् टी.सी. 12/31) के थे, निम्नलिखित फर्मों को मई/जून 1985 में तीन निविदा स्वीकृतियां दी गईं:—

फर्म	मात्रा (सं.)	दर
"छ"	18,750	100.25 रु. प्रति कम्बल
"छ ड"	6,250	102.95 रु. प्रति कम्बल
	6,250	103.50 रु. प्रति कम्बल
"ड"	5,000	105.28 रु. प्रति कम्बल
	6,250	107.90 रु. प्रति कम्बल

यह पाया गया कि उपरोक्त प्रस्तावों (जनवरी 1985 में प्राप्त) की जांच के समय मूल विशिष्टीकरण के 10,052 कम्बल निम्नतर दरों पर तीन फर्मों को उसके सुसंगत अनुच्छेद के अधीन उनकी चालू नि.स्वी. की मात्रा बढ़ाकर दिए जा सकते थे जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:—

फर्म	सुसंगत अनुच्छेद के अधीन उपलब्ध सं०	दर प्रति कम्बल
"क"	4,325	84.00 रु. (शुल्क और कर सहित)
"त"	5,541	94.11 रु. (उत्पाद शुल्क सहित)
"ड"	186	102.00 रु. (शुल्क और कर यदि उद्ग्राह्य है)
	10,052	

जैसा कि ऊपर दिया गया है, निम्नतर दरों पर 10,052 कम्बलों को प्राप्त करने में चूक के परिणाम स्वरूप 1.71 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय हुआ।

इन मामलों से निम्नलिखित बातें प्रकट हुईं:

— निम्नतर दरों पर फर्म "क", "त" और "ड" पर नि.स्वी. के सुसंगत अनुच्छेद के अधीन उपलब्ध मांग पत्र में उल्लिखित विशिष्टीकरण के

10,052 कम्बलों को इस तथ्य के बावजूद आवृत्त नहीं किया गया कि:

उसी विशिष्टीकरण के कम्बलों के लिए निविदा खोलते समय विभाग को उच्चतर मूल्य की प्रवृत्ति ज्ञात थी क्योंकि लगभग एक मिलियन कम्बलों के लिए सितम्बर 1984 में निदेशक, आयुध सेवाएं (डी.ओ.एस.) के एक मांग पत्र के प्रति निविदादाता फर्मों ने मूल्य कम करने के लिए असमर्थता व्यक्त की थी क्योंकि ऊन की कीमत बढ़ गई थी।

लेखा परीक्षा की एक पूछताछ के उत्तर में म.नि.पू. और नि. ने बताया (फरवरी 1986) कि सुसंगत अनुच्छेद का लाभ नहीं उठाया जा सकता था क्योंकि विशिष्टीकरण 1 जनवरी 1985 से परिवर्तित हो गया था। तथापि यह देखा गया कि मई 1985 में फर्म "छ" "छ ड" और "ड" से खरीदे गए कम्बल उसी विशिष्टीकरण के थे अर्थात् टी.सी. 12/31 के। आपूर्ति विभाग ने बताया (फरवरी 1987) कि (I) निदेशों के अनुसार प्रथमतः खरीद केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से की जानी चाहिए तथा (II) निरीक्षण में विचलन था।

चूँकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने निविदा जाँच के संदर्भ में उद्धृत नहीं किये थे (निविदायें जनवरी 1985 में खोली थीं) तथा प्राप्त दरों ने उच्च शुकाव दिखाया उपलब्ध सहनशीलता निरीक्षण के लिए मांगकर्ता की स्वीकृति की जांच करने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता था, निविदा की स्वीकृति के अनुसार जिस पर सहनशीलता उपलब्ध थी। यह भी है कि उपयोगिता पर विचार या अन्यथा सहनशीलता अभिलेख में नहीं थी।

60. कास्टिक सोडा लाइ की खरीद

100 प्रतिशत सोडियम हाइड्रोक्साइड आधार के रूप में सान्द्र लाइ सहित 300 टन कास्टिक सोडा लाइ की अधिप्राप्ति के लिए मांग के प्रति महानिदेशक, पूर्ति एवं निपटान (म.नि.पू.नि.) ने 44 प्रतिशत सोडियम हाइड्रोक्साइड आधार के रूप में सान्द्र लाइ सहित 300 टन के लिए निविदा पूछताछ जारी की।

निविदा पूछताछ के उत्तर में निम्नलिखित तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए थे—

फर्म "क"	प्रथम 150 टन के लिए 3,080 रु. प्रति टन। शेष के लिए 3,150 रु. प्रति टन।
फर्म "ख"	3,645 रु. प्रति टन
फर्म "ग"	3,645 रु. प्रति टन

भण्डारों के निरीक्षण के संबंध में फर्म "क" ने यह अनुबन्ध किया था "परेषिती द्वारा गंतव्य स्थान पर सुपुदगी के समय निरीक्षण किया जाना और पारित किया जाना। हम पूर्ति के साथ अपने जांच प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि निरीक्षण निदेशालय द्वारा निरीक्षण अपेक्षित है तो लगभग 10 एम/टी क्षमता के भरे हुए सड़क टैंकरों के लिए अवरोधन प्रभार खरीददार द्वारा निरीक्षण के लिए भंडार प्रस्तुत करने की तारीख से लेकर निरीक्षण

निदेशालय द्वारा भंडारों के निर्मुक्त करने की तारीख तक 250 रु. प्रतिदिन की दर से देय होंगे।”

चूक अवरोधन प्रभारों के भुगतान के बारे में शर्त निरीक्षण विंग द्वारा स्वीकार्य नहीं थी इसलिए निविदा खरीद समिति ने फर्म “क” के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का निर्णय किया और निरीक्षण निदेशालय द्वारा निरीक्षण किये जाने के साथ फर्म “ख” को सम्पूर्ण मात्रा के लिए आदेश यह उल्लेख करते हुए दिया कि यह “बाद में परिवर्तित नहीं किया जायेगा।” तदनुसार निविदा स्वीकृति फर्म “ख” को 300 टन के लिए मई 1985 में दिया गया था जिसकी पूर्ति आदेश की प्राप्ति के 8 से 10 सप्ताह के भीतर आरंभ होनी थी और 25 टन प्रति माह की दर से 31 जुलाई 1985 तक पूरी की जानी थी।

मांगकर्ता ने म.नि.पू.नि. से 680 टन तक मात्रा बढ़ाने को कहा (10 जून 1985) जो 60 टन प्रतिमाह की दर से पूर्त की जानी थी ताकि कास्टिक लाइ की मूल मात्रा जिसकी मूलतः मांग की गई थी, अपरिवर्तित बनी रहे। तदनुसार म.नि.पू.नि. ने पूर्ति अनुसूची परिवर्तित की और गुंजाइश (टोलरेंस) शर्त के अधीन 75 टन तक निविदा स्वीकृति की मात्रा बढ़ा दी (जुलाई 1985)।

फर्म “ग” से 3,645 रु. प्रति टन की दर से 305 टन की शेष मात्रा पूरी करने का निर्णय किया गया था और इसे एक औपचारिक निविदा स्वीकृति सितम्बर 1985 में दी गई थी जिसकी पूर्ति 31 मई 1986 तक पूरी की जानी थी। फर्म “ग” के साथ निविदा स्वीकृति में निरीक्षण प्रावधान उसी के समरूप था जो फर्म “ख” के साथ निविदा स्वीकृति में था।

14 अक्टूबर 1985 को फर्म “ख” ने परेषिती द्वारा निरीक्षण करने के लिए व्यवस्था करने के लिए निरीक्षण शर्त को इस आधार पर संशोधित करने का अनुरोध किया। इसे निरीक्षण विंग द्वारा निरीक्षण में विलम्ब के कारण भारी विलम्ब शुल्क प्रभार (निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए दो टैंकरों पर 15,000 रु.) उठाने पड़े थे। निरीक्षण विंग संशोधन से सहमत था परन्तु यह सुझाव दिया कि संशोधन जारी करने से पहले “वित्तीय प्रतिघाती पहलू, यदि कोई हो, ध्यान में रखा जाना चाहिए।”

इस बात की पुष्टि प्राप्त करने के बाद कि आवश्यक परीक्षण सुविधाएं परेषिती की प्रयोगशाला में उपलब्ध थी, म.नि.पू.नि. ने इस आशय की कि भंडार निरीक्षण अधिकारी, जबलपुर द्वारा परेषिती के स्थान पर निरीक्षित किए जाएंगे, निरीक्षण शर्त संशोधित कर दी (दिसम्बर 1985)। फर्म ने इस संशोधन पर इस आधार पर आपत्ति की कि म.नि.पू.नि. का निरीक्षण अधिकारी विश्लेषणात्मक रसायनी नहीं था। निरीक्षण निदेशालय, कानपुर के प्रतिनिधियों और परेषिती द्वारा संयुक्त रूप से परेषिती के स्थान पर निरीक्षण करने और म.नि.पू.नि. के निरीक्षण अधिकारी की उपस्थिति में उनके (परेषिती के) रसायनी द्वारा परेषिती की प्रयोगशाला में भंडारों की जांच करने की व्यवस्था करने के लिए निरीक्षण विंग के परामर्श से निरीक्षण शर्त अंतिम रूप से संशोधित की गई थी (मार्च 1986)। इसी प्रकार का संशोधन फर्म “ग” के साथ निविदा स्वीकृति में भी किया गया था (अप्रैल 1986)।

इस मामले में निम्नलिखित बातें उद्भूत हुईं:

(i) एक ओर “क” और दूसरी ओर “ख” और “ग” द्वारा प्रस्तुत की गई दरों के बीच अंतर होने से सरकार का परिहार्य व्यय 4.00 लाख रु. था।

(ii) ठेके निष्पादन के दौरान फर्म “ख” और फर्म “ग” को प्रोद्भूत होने वाले वित्तीय लाभ उस समय हिसाब में नहीं लिए गये थे जब उनके निविदा स्वीकृति में निरीक्षण शर्त परिवर्तित की गई थी।

पूर्ति विभाग ने बताया (दिसम्बर 1986) कि फर्म “क” द्वारा प्रस्तुत किए दोनों विकल्प, अर्थात् (क) परेषिती द्वारा निरीक्षण या (ख) निरीक्षण में विलम्ब के कारण टैंकरों के लिए अवरोधन प्रभारों सहित निरीक्षण निदेशालय द्वारा निरीक्षण, विभाग के स्वीकार्य नहीं थे, अवरोधन प्रभारों की स्वीकृति असीमित देयत बनेगी।

तथापि, इसके संशोधन के लिए फर्म “ख” का अनुरोध प्राप्त होने पर फर्म “ख” के साथ निविदा स्वीकृति (और बाद में फर्म “ग” के साथ) के संबंध में निरीक्षण शर्त संशोधित की गई थी क्योंकि इसे भंडारों के निरीक्षण के लिए निरीक्षण निदेशालय द्वारा लिए गए समय के कारण टैंकरों के अवरोधन के लिए विलम्ब शुल्क प्रभार उठाने पड़ते थे, एक कारण था जिसे फर्म “क” द्वारा अपनी निविदा में महसूस किया गया था।

61. परेषितियों के कार्यों द्वारा संविदा भंग होने के बाद ठेके को जिन्दा रखने से अप्राप्य व्यय

जहां ठेके को रद्द करना अभिप्रेत है वहां संविदा भंग होने के बाद तुरंत इसे रद्द करना चाहिए। तथापि, यदि पूरा न किया गया ठेका सुपुर्दगी की तारीख समाप्त होने पर रद्द नहीं किया जाता है और पार्टियों के कार्य संचालन द्वारा इसे जिन्दा रखा जाता है तो ठेके को वास्तव में रद्द करने से पहले निष्पादन सह प्रभार नोटिस जारी करना अपेक्षित है। जहां निष्पादन सह प्रभार नोटिस स्वीकार कर लिया जाता है परन्तु फर्म ठेके का निष्पादन नहीं करती है तो ऐसे नोटिस में नियत की गई सुपुर्दगी की तारीख को संविदा भंग की तारीख माना जाता है। जहां निष्पादन सह प्रभार नोटिस स्वीकार नहीं किया जाता है वहां नि.स्वी. में अनुर्बाधित सुपुर्दगी तारीख को संविदा भंग की तारीख के रूप में माना जाता है। जहां पूर्ति अनेक परेषितियों को करीबी जाती है वहां संविदा भंग होने के बाद भी यदि कोई परेषिती शीघ्र पूर्ति के लिए पूर्तिकार को पत्र लिखता है तो ठेके को जिन्दा रखने के बराबर हो सकता था।

निम्नलिखित मामलों में परेषितियों द्वारा सुपुर्दगी अर्वाध के समाप्त होने के बाद ठेके जिन्दा रखे गये थे।

एक मामले में, चूकने वाली फर्म की जोखिम और लागत पर ठेके को रद्द करने में विलम्ब हुआ और वैध जोखिम खरीद विफल हुई। दूसरे मामले में निष्पादन नोटिस, यद्यपि कानूनी आवश्यकता है, जारी नहीं किया गया था

और विधि मंत्रालय जिसकी सलाह मांगी गई थी, को यह तथ्य नहीं बताया गया था कि ठेका जिन्दा रखा गया था। अतः अतिरिक्त व्यय की वसूली संदिग्ध हो गई।

आपूर्ति विभाग ने बताया (अक्टूबर 1986) कि ऐसा ठेका जिसमें बड़ी संख्या में परेषिती अंतर्ग्रस्त थे, रद्द करने के लिए म.नि.पू.नि. को समर्थ बनाने के लिए कानूनी आवश्यकताओं के बारे में कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए परेषितियों की ओर से क्रियाविधि और बेहतर जानकारी का पुनरीक्षण आवश्यक था।

मामले की नीचे चर्चा की गई है:—

(क) गत्ते की खरीद

भारत सरकार, स्टेशनरी कार्यालय (भा.स.स्टे.का.), कलकत्ता, और सरकारी प्रिंटिंग प्रेस की आवश्यकता पूरी करने के लिए "गत्ते" की पूर्ति के लिए टेंडर (नि.स्वी.) की स्वीकृति फर्म "फ" को दी गई थी। पहले (भा.स.स्टे.का.) को परेषितियों के नाम और उसके द्वारा अपेक्षित मात्रा के बारे में गत्तों का आकार और भार सूचित करना था।

भा.स.स्टे.का. ने फर्म को नवम्बर 1977 से दिसम्बर 1978 के दौरान 8,893 क्विंटल की कुल मात्रा के प्रति 8,822 क्विंटल के लिए अपेक्षित ब्यौरे प्रस्तुत किए।

फर्म ने टोलरेंस शर्त के अधीन इसको दिए गए अतिरिक्त आर्डर स्वीकार नहीं किये थे और यह आरोप लगाते हुए कि चूँकि गत्तों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किये गये थे, इसलिए मांग वापस की गई मान ली गई थी, शेष मात्रा को रद्द करने के लिए कहा (3 अक्टूबर 1978)। 8,893 क्विंटलों में से केवल 1,628 क्विंटल उस तारीख तक आपूर्ति किये गये थे।

विधि मंत्रालय ने बताया (31 जुलाई 1979) कि फर्म "फ" की जोखिम और लागत पर अनापूर्ति संविदागत मात्रा रद्द करने से पहले एक निष्पाद एवं विस्तार नोटिस फर्म को जारी करना चाहिए क्योंकि नि./स्वी. (जिसकी सुपुर्दगी अर्वाधि 31 मार्च 1979 को समाप्त हो गई थी) को एक परेषिती द्वारा फर्म को 28 मई 1979 को पत्र लिखकर जिन्दा रखा गया था। तदनुसार म.नि.पू.नि. ने 5 अक्टूबर 1979 तक सुपुर्दगी अर्वाधि को बढ़ाते हुए एक निष्पादन एवं विस्तार नोटिस जारी किया (20 अगस्त 1979) जिसकी पावती फर्म द्वारा नहीं दी गयी थी। चूँकि दूसरे परेषितों ने फर्म को 6 अक्टूबर 1979 को एक पत्र लिखा था जिसका प्रभाव ठेके को जिन्दा रखना था। इसलिए 20 मार्च 1980 तक सुपुर्दगी तारीख बढ़ाने के लिए म.नि.पू.नि. द्वारा दूसरा निष्पादन और विस्तार नोटिस 17 जनवरी 1980 को जारी किया गया था जिसकी फर्म द्वारा न तो पावती दी गई और न स्वीकार किया गया था।

संविदा भंग की तारीखों के रूप में 30 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1979 की सुपुर्दगी अर्वाधि को मानते हुए 7,265 क्विंटलों की बकाया मात्रा के संबंध में नि./स्वी. को फर्म "फ" की जोखिम और लागत पर 19 मार्च 1980 को रद्द कर दिया गया था। उस समय तक फर्म "फ" के प्रति वैध जोखिम खरीद बनाने के लिए संविदा भंग की तारीख से 6 महीने की निर्धारित अर्वाधि समाप्त हो चुकी थी।

7,265 क्विंटलों की रद्द मात्रा 10.58 लाख रुपयों के अतिरिक्त व्यय के अंतर्गत 300 रु. प्रति क्विंटल, की दर पर (बिक्री कर रहित) म.नि.आ.एवं.नि. द्वारा फर्म "ड" से पुनः खरीदी गयी थी (जून 1980)। चूँकि जोखिम खरीद भंग तिथियों से छः महीनों की अर्वाधि के बाद की गई थी, दोषी फर्म "र" 10.58 लाख रुपयों के सम्पूर्ण अतिरिक्त व्यय के बजाय केवल सामान्य हरजानों के भुगतान हेतु देनदार थी। सामान्य हरजाने दोषी फर्म "र" से वसूल नहीं किये जा सके क्योंकि म.नि.आ.एवं.नि. भंग की तिथि के आस पास भंडार का बाजार दर मालूम नहीं कर सका था।

पूर्ति विभाग ने बताया (अक्टूबर 1986) कि चूककर्ता फर्म से सामान्य हरजाने के पहलू को अभी अंतिम रूप दिया जाना था और संविदा भंग की तारीख को या उसके आस पास बाजार दर स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे।

(ख) छतरियों की खरीद

26,051 छतरियों (मूल्य 8.07 लाख रु.) के लिए फर्म "त" को नि./स्वी. 29 अक्टूबर 1984/1 दिसम्बर 1984 को प्रस्तुत किया गया था। पूर्ति डाक विभाग में चौदह परेषितियों को की जानी थी और 15 जून 1985 तक पूरी की जानी थी।

चूँकि फर्म ने जमानत जमा अदा नहीं की थी इसलिए म.नि.पू.नि. ने फर्म "त" की जोखिम और लागत पर नि./स्वी. को 15 जुलाई 1985 को रद्द कर दिया। तथापि, फर्म "त" के अधिवक्ता से एक नोटिस जुलाई 1985 में प्राप्त हुआ था जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह उल्लेख किया गया था कि ठेका संविदा भंग की तारीख अर्थात् 15 जून 1985 के बाद जिन्दा रखा गया था क्योंकि एक परेषिती ने फर्म को 25 जून 1985 को भंडारों को शीघ्र भेजने के लिए कहा था और इसलिए निष्पादन नोटिस जारी किए बिना ठेके को रद्द करना गैर कानूनी था।

यद्यपि म.नि.पू.नि. को यह पता था कि एक परेषितीने ठेका जिन्दा रखा था कानूनी नोटिस की जानकारी दिए बिना दो पेशगी जोखिम खरीद नि./स्वी. 20 अगस्त 1985 को प्रस्तुत किए गये थे और 20 तथा 24 सितम्बर 1985 को औपचारिक नि./स्वी. प्रस्तुत किए गए थे। जोखिम खरीद नि./स्वी. रद्द करने के औचित्य पर विधि मंत्रालय की सलाह लेते समय मांगकर्ता की इच्छानुसार (2 सितम्बर 1985) यह तथ्य कि फर्म "त" का ठेका एक परेषिती द्वारा जिन्दा रखा गया था, उल्लेख नहीं किया गया था। जब जोखिम खरीद नि./स्वी. का रद्द करना विधि मंत्रालय और म.नि.पू.नि. के विचाराधीन था तो जोखिम खरीद नि./स्वी. के प्रति सुपुर्दगीयां प्रभावित होनी थी (जनवरी 1986)।

इस मामले से निम्नलिखित बातें प्रकट हुईं:

- एक परेषिती द्वारा ठेका जिन्दा रखा गया था,
- जोखिम खरीद में 1.30 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय अप्राप्य रहा,
- यद्यपि संचार मंत्रालय ने जोखिम खरीद आदेश रद्द करने के लिए अनुरोध किया था फिर भी पारस्परिक मंजूरी द्वारा पेशगी नि./

स्वी. को वापसी की संभावना पर विचार किए बिना औपचारिक जोखिम खरीद नि./स्वी. 20 और 24 सितम्बर 1985 (20 अगस्त 1985 के पेशगी नि./स्वी. के अनुपालन में) को जारी किए गए थे।

आपूर्ति विभाग ने बताया (दिसम्बर 1986) कि:

- (क) परेषिती के 25 जून 1985 के पत्र की प्रतिलिपि इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई थी;
- (ख) अतिरिक्त व्यय हानि नहीं था क्योंकि अंतरिम मांग नोटिस चूककर्ता फर्म को जारी कर दिया गया था,
- (ग) ठेका 20 अगस्त 1985 को किया गया था और इसके रद्द करने के लिए अनुरोध विलम्ब से किया गया था। मांगकर्ता विभाग से मांग वापस करने के संबंध में निर्णय पर विचार करने के लिए 16/23 सितम्बर 1985 को कहा गया था।

इस संबंध में यह देखा गया है कि:

- (i) म.नि.पू.नि. ने परेषिती से यह सत्यापित नहीं किया था कि क्या विधक नोटिस में विनिर्दिष्ट सूचना उसके द्वारा भेजी गई थी, और
- (ii) जबकि अंतरिम मांग नोटिस यह उल्लेख करते हुए कि देय राशि को दर्शाने वाला औपचारिक नोटिस यथा समय प्रस्तुत किया जायेगा, सितम्बर 1985 में जारी किया गया था फिर भी औपचारिक मांग अभी जारी की जानी थी (दिसम्बर 1986)।

62. वैध जोखिम खरीद करने में चूक

भारत सरकार के केन्द्रीय क्रय संगठन (महानिदेशालय पूर्ति एवं निपटान - म.नि.पू.नि.) द्वारा दिए गये ठेके ठेका की सामान्य शर्तों द्वारा नियंत्रित होते हैं। उक्त शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि यदि कोई ठेकेदार भंडारों या उनकी कोई किस्त ऐसी सुपुर्दगी के लिए निर्धारित की गई अवधि के भीतर सुपुर्द करने में चूक करता है या ऐसी अवधि से पहले किसी समय ठेका छोड़ देता है तो सरकार ठेका या उसका कोई भाग रद्द कर सकती है और इस प्रकार सुपुर्द न किए गये भंडार चूककर्ता ठेकेदार की जोखिम और लागत पर खरीद सकती है। जोखिम खरीद करने और जोखिम खरीद ठेके के मूल्य और रद्द किए गये ठेके के मूल्य के बीच अन्तर को चूककर्ता पार्टी से वसूल करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें पूर्ण करनी पड़ती हैं। अभिप्राय यह है कि जोखिम खरीद ठेके की शर्तें मूल ठेके की शर्तों की अपेक्षा न तो अधिक भारी और न अधिक उदार हों:-

- (क) जोखिम खरीद मूल संविदा भंग होने की तारीख से छः महीने के भीतर होनी चाहिए।
- (ख) जोखिम खरीद मूल ठेके की शर्तों पर की जानी चाहिए, और
- (ग) अपंजीकृत या अपरीक्षित फर्मों से प्राप्त प्रस्तावों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और आगे परिणामस्वरूप यदि उसी पूछताछ के प्रति

हुए उच्चतर प्रस्ताव स्वीकार किये जाते हैं तो केवल सामान्य क्षति वसूली योग्य है।

जहां दूसरा ठेकेदार भी (अर्थात् वह जिसको जोखिम खरीद ठेका दिया जाता है) भंडारों की पूर्ति करने में चूकता है और जोखिम खरीद की तीसरे ठेकेदार से व्यवस्था की जाती है तो पहले ठेकेदार से केवल सामान्य क्षति वसूल की जा सकती है। जहाँ तक दूसरे ठेकेदार का संबंध है, वहां किया गया वास्तविक अतिरिक्त व्यय (अर्थात् दूसरे ठेकेदार को दिए गये ठेकों की दरों और तीसरे ठेकेदार जिससे जोखिम खरीद की गई है की दरों के बीच अन्तर) उससे वसूल करने योग्य है।

जहां जोखिम खरीद प्रभावित नहीं हो सकती है या ऊपर उल्लिखित शर्तों में से एक या अधिक पूर्ण नहीं होती है तो वहां केवल सामान्य क्षति वसूली योग्य है। सामान्य क्षति, ठेका दर और संविदा भंग की तारीख या उसके आस पास बाजार दर के बीच अन्तर के बराबर राशि की घटक है।

कुछ ऐसे मामले जहां महानिदेशालय पूर्ति एवं निपटान जोखिम खरीद को अन्तिम रूप देने और अतिरिक्त लागत वसूल करने में विफल रहा पर नीचे चर्चा की गई है। व्यक्तिगत मामलों की विशेषताओं की भी चर्चा की गई है:-

(क) सूती निवाड़ की खरीद:

- (i) 20,12,006 मीटर कॉटन टेप निवाड़ (मूल्य: 12.41 लाख रु) की 31 मई 1984 तक आपूर्ति के लिए एक निविदा की स्वीकृति (नि.स्वी.) फर्म "अ" को नवम्बर 1983 में प्रस्तुत की गई थी। बाद में सुपुर्दगी तारीख 10 अगस्त 1984 तक बढ़ा दी गई थी। चूक भंडार बढ़ाई गई सुपुर्दगी अवधि के भीतर आपूर्त नहीं किये गये थे इसलिए 31 मई 1984 को संविदा भंग की तारीख मानते हुए फर्म "अ" की जोखिम और लागत पर निविदा नि.स्वी. रद्द कर दी गई थी (सितम्बर 1984)।

20,12,006 मीटर की रद्द की गई मात्रा मई/जून 1985 में 29.57 लाख रु. में फर्म "क" से पुनः खरीदी गई थी जिसके फलस्वरूप 17.16 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय हुआ।

फर्म "अ" द्वारा प्रस्तुत की गई बैंक गारन्टी 12 मार्च 1985 को समाप्त हो गई क्योंकि इसकी वैधता अवधि बढ़वाने के लिए समय से कार्यवाही नहीं की गई थी।

- (ii) 67,562 कि.ग्रा. (मूल्य: 17.90 लाख रु) और 74,000 कि.ग्रा. (मूल्य: 19.32 लाख रु) कॉटन निवाड़ के लिए दो अन्य नि.स्वी. मार्च/अप्रैल 1984 में प्रस्तुत की गई थी जिनकी आपूर्ति क्रमशः 31 दिसम्बर 1984 और 31 अगस्त 1984 तक होनी थी।

दोनों फर्मों बढ़ाई गई अवधि के भीतर भी जमानत जमा करने में असफल रही और 10 मई 1984 को संविदा भंग की तारीख मानकर उनकी जोखिम और लागत पर नि.स्वी. अगस्त 1984 में रद्द कर दी गई थी।

फर्म "द" और "ख" के संबंध में 67,562 कि.ग्रा. और 74,000 कि.ग्रा. की रद्द की गई मात्रा 10 मई 1985 को फर्म "ट", "क" और "ज" से 31.54 लाख रु. की अतिरिक्त लागत पर पुनः खरीदी गई थी।

उपरोक्त (i) और (ii) दोनों मामलों में चूककर्ता फर्मों के प्रति जोखिम खरीद छः महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर नहीं की गई थी। फलतः फर्म पुनः खरीद में किये गये 48.67 लाख रु. के अतिरिक्त व्यय के बजाय केवल सामान्य क्षति का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार हो गई। तथापि, सामान्य हानियाँ वसूल नहीं की गई हैं क्योंकि संविदा भंग की तारीख को या उसके आस पास भंडारों की बाजार दर अभी सुनिश्चित की जानी थी।

आपूर्ति विभाग ने बताया (सितम्बर 1986) कि निविदाएं छः महीने की अवधि समाप्त होने से पहले खोली गई थी और चूंकि अनेक अपंजीकृत/अपरीक्षित फर्मों ने दोषी (डिफाल्टिड) नि.स्वी. दर की अपेक्षा न्यूनतर दरें बताई थी इसलिए जोखिम खरीद मौजूदा कार्यालय आदेश की शर्तों के अनुसार अपंजीकृत/अपरीक्षित फर्मों से नहीं की जा सकी थी और इसलिए छः महीने की अवधि से कोई प्रासंगिकता नहीं थी। विभाग के उत्तर में यह अन्तर्निहित है कि यद्यपि पुनर्खरीद छः महीने के भीतर हो गई थी फिर भी 48.67 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय वसूली योग्य नहीं हो सकता था क्योंकि अपंजीकृत/अपरीक्षित फर्मों के प्रस्ताव न्यूनतर होने पर भी छोड़े जाने थे। विभाग के तर्क से प्रणाली में दोष का पता चला जिससे प्रभावी जोखिम खरीद करने और अतिरिक्त व्ययों की वसूली करने की कार्यवाही, अपंजीकृत/अपरीक्षित फर्मों के प्रस्तावों द्वारा विफल की जा सकती थी। उसके द्वारा चूक-कलें फर्म अतिरिक्त व्यय चुकाने से बच सकते थे।

(ख) बेंट की टोकरीयों की खरीद:-

26,666 बेंट की टोकरीयों की पूर्ति के लिए 7.91 रु. प्रति टोकरी (1.5 प्रतिशत छूट कम करके और आधे प्रतिशत की और छूट यदि भुगतान सात दिनों के भीतर कर दिया जाय) फर्म "क" को 4 जुलाई 1978 को निविदा की स्वीकृति (नि.स्वी.) प्रस्तुत की गई थी जिसकी आपूर्ति 31 जुलाई 1979 तक या पहले होनी थी।

30 जुलाई 1979 को निरीक्षण के लिए दी गई 1,500 टोकरीयों में से 1,200 स्वीकृत की गई थी। फर्म द्वारा 2 अगस्त 1979 को किए गये अनुरोध पर सुपुर्दगी अवधि 31 अक्टूबर 1979 तक बढ़ा दी गई थी। फर्म "क" ने निरीक्षण के लिए और दूसरी 1350 टोकरीयों की जो 31 अक्टूबर 1979 को स्वीकृत की गई थी। फर्म ने कच्ची सामग्री, श्रम आदि के मूल्य में भारी वृद्धि के कारण 15 प्रतिशत मूल्य वृद्धि अनुमत करने का अनुरोध किया (30/31 अक्टूबर 1979)।

मांगकर्ता सुपुर्दगी अवधि बढ़ाने के निम्न महमत नहीं था जैसी कि फर्म द्वारा मांग की गई। इसलिए फर्म "क" को जोखिम और लागत पर 25 मार्च 1980 को नि.स्वी. रद्द कर दी गई थी तथापि फर्म ने सुपुर्दगी अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया (31 मार्च 1980)। मसूखी वापस ले ली गई थी (7 मई 1980) और सुपुर्दगी अवधि 10 सितम्बर 1980 तक बढ़ा दी गई थी और 12 मार्च 1981 को निष्पादन एवं विस्तार नोटिस जारी करके 30 जून

1981 तक और आगे बढ़ी दी गई थी। फर्म ने 31 अगस्त 1981 तक सुपुर्दगी अवधि बढ़ाने के लिए और ठेकागत दर भी 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए पुनः अनुरोध किया (28 अप्रैल 1981)। 10 सितम्बर 1980 को संविदा भंग की तारीख मानकर 24,116 बेंट की टोकरीयों की अनापूर्ति मात्रा के लिए नि.स्वी. 12 जून 1981 को रद्द कर दी गई थी।

इस तथ्य के होते हुए भी कि फर्म "क" नि.स्वी. निष्पादन करने में कठिनाइयां महसूस कर रही थी, 7.39 रु. प्रति टोकरी (2 प्रतिशत छूट कम करके) की दर से उसी मांगकर्ता को 31 अक्टूबर 1980 तक 19,590 बेंट की टोकरीयों की पूर्ति के लिए उसी फर्म को 5 फरवरी 1980/10 मार्च 1980 को दूसरी नि.स्वी. प्रस्तुत की गई थी जबकि अगस्त/सितम्बर 1977 के ठेके के संबंध में जोखिम खरीद पूछताछ जारी की गई थी। तथापि फर्म ने छः महीने की अवधि बढ़ाने के लिए तथा 14 रु. प्रति टोकरी तक मूल्य वृद्धि के लिए भी अनुरोध किया (29 जून 1981)। डी.एस.डी.सी. ने 31 अक्टूबर 1980 को संविदा भंग की तारीख मानकर फर्म की जोखिम और लागत पर नि.स्वी. को रद्द कर दिया (30 जुलाई 1981)। जमानत जमा के रूप में फर्म "क" द्वारा प्रस्तुत की गई 14,205 रु. की बैंक गारन्टी भुनाई नहीं जा सकी थी क्योंकि इसकी वैधता 31 अक्टूबर 1980 को समाप्त हो चुकी थी।

उपरोक्त दोनों नि.स्वी. (24,116 टोकरीयों की प्रथम और 19,590 टोकरीयों की दूसरी नि.स्वी.) के संबंध में 43,706 बेंट की टोकरीयों की रद्द की गई सम्पूर्ण मात्रा आधी प्रतिशत छूट कम करके प्रति टोकरी 15.82 रु. और 16.70 रु. के बीच उच्चतर दरों पर फर्म "ख" से 26 सितम्बर/16 अक्टूबर 1981 को खरीदी गई थी।

अवधि बढ़ाने तथा कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि के कारण मूल्य में वृद्धि के लिए फर्म "क" के अनुरोध के प्रति मूल्य वृद्धि के लिए मांग को स्वीकार किए बिना सुपुर्दगी अवधि को बढ़ाना मंजूर किया गया था। फर्म ने बिना शर्त के अवधि बढ़ाना स्वीकार नहीं किया था। फलतः नि.स्वी. के रद्द करने के समय संविदा भंग की तारीख से छः महीने की अवधि जैसा कि विधि मंत्रालय द्वारा निश्चित किया गया था, समाप्त हो चुकी थी। फलतः दोनों ठेकों की अनापूर्ति मात्राओं के लिए फर्म "क" के प्रति वैध जोखिम खरीद जिसमें 3.83 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय अन्तर्ग्रस्त था, नहीं की जा सकी थी। दिसम्बर 1984 में प्रस्तुत किए गये सामान्य हरजानों के बाबत 2.83 लाख रु. का दावा अभी कार्यान्वित किया जाना था (नवम्बर 1986)

आपूर्ति विभाग ने बताया (अक्टूबर 1986) कि मामला मध्यस्थ - निर्णय को भेजा जायेगा जैसा कि विधि मंत्रालय द्वारा सुझाव दिया गया।

(ग) एयर ब्रेक स्विच की अधिप्राप्ति

एयर ब्रेक स्विच के 30 सैटों की आपूर्ति के लिए 3,850 रु. प्रति की दर से फर्म "क" को अग्रिम निविदा की स्वीकृति (नि.स्वी.) प्रस्तुत की गई थी (28 नवम्बर 1978) और बाद में 20 दिसम्बर 1978 की औपचारिक नि.स्वी. प्रस्तुत की गई थी।

निम्नलिखित के संबंध में नि.स्वी. के अनुबन्ध, फर्म के दिनांक 2 जून

1978 के प्रस्ताव से भिन्न थे।

नि.स्वी. के अनुसार

फर्म के प्रस्ताव के अनुसार

1. फर्म को 15 जनवरी 1979 तक 5,775 रु. की जमानत जमा (ज.ज.) अदा करना अपेक्षित था। प्रस्ताव में जमानत जमा के भुगतान का अनुबन्ध नहीं था क्योंकि यह राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से रजिस्टर्ड थी।
2. सुपुर्दगी आदेश की तारीख (अर्थात् 15 जून 1979) से छः महीने के भीतर पूरी की जानी थी और ड्राइंग नि.स्वी. की तारीख से 3 सप्ताह के भीतर अनुमोदन के लिए मांगकर्ता को प्रस्तुत की जानी थी। सुपुर्दगी फर्म के आदेश की तारीख से छः महीने के भीतर पूरी की जायेगी और ड्राइंग का अनुमोदन जो फोर्स मेजर क्लॉज के अध्यक्षीन तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से यथा परिभाषित होना चाहिए।

जमानत जमा शर्त बाद में निकाल दी गयी थी और निष्पादन और विस्तार नोटिस जारी करके सुपुर्दगी की तारीख 31 अगस्त 1979 तक बढ़ी दी गई थी। 1 जुलाई 1979 को संविदा भंग की तारीख मानकर फर्म की जोखिम और लागत पर नि./स्वी. 25 अक्टूबर 1979 को रद्द कर दी गयी थी।

जारी की गई जोखिम खरीद निविदा पृछताछ के उत्तर में (24 अक्टूबर 1979) केवल फर्म "क" की निविदा विशिष्ट के अनुरूप पाई गई थी। पृछताछ के उत्तर में फर्म ने जमानत जमा धारा के बिना इसमें अन्तर्विष्ट मूल शर्तों के अध्यक्षीन नि./स्वी. के बहाल करने की स्वीकृति सूचित की (28 दिसम्बर 1979) और फर्म ने सुपुर्दगी अवधि 3 महीने तक कम करने का भी प्रस्ताव दिया, जबकि इसकी ड्राइंग्स पहले ही अनुमोदित हो चुकी थी। 30 अप्रैल 1980 तक सुपुर्दगी अवधि जो बाद में 31 मई 1980 तक बढ़ा दी गई थी, में पूर्ति में विलंब के लिए निर्धारित हरजाना लगाने के अध्यक्षीन रद्द की गयी नि./स्वी. बहाल कर दी गयी थी (25 जनवरी 1980)। तथापि, फर्म ने बहाल की गयी नि./स्वी. यह कहते हुए स्वीकार नहीं की कि नि./स्वी. को मूल शर्तों पर बहाल नहीं किया गया था। दोनों और बिना किसी वित्तीय प्रभाव के नि./स्वी. 2 जून 1980 को रद्द कर दी गयी थी क्योंकि नि./स्वी. को बहाली के रूप में ठेका पूरा नहीं हुआ था।

पूरे छः महीनों की सुपुर्दगी अवधि अनुमत करते हुए 2.11 लाख रु. की अतिरिक्त लागत पर दूसरी फर्म "ख" को 18 फरवरी 1981 को प्रस्तुत किए गये नि./स्वी. के प्रति 9,996 रु. प्रति सैट की दर से भंडारपुनः खरीदे गये थे।

पूर्ति विभाग ने बताया (अक्टूबर 1986) कि केवल फर्म "क" ने एक कारण या अन्य कारणों जो इसने अपने अभ्यावेदन में प्रारंभिक अवस्था में स्वष्टरूप से घोषित नहीं किए, पर बहाना करने की कोशिश की और अन्त में ठेका निष्पादित करने से इस आधार पर मना किया कि मूल ठेके से 15

महीने की अवधि समाप्त हो गई थी। विभाग ने यह बताया कि बड़े हुए मूल्य पर भंडार प्राप्त करने के लिए डी.एस.डी.सी द्वारा अपनाया गया उपाय केवल एक मात्र उपाय उस समय बच गया था।

जोखिम खरीद निविदा पृछताछ के उत्तर में केवल चूककर्ता फर्म "क" का प्रस्ताव विशिष्ट के अनुसार था। रद्द की गयी नि./स्वी. मूल ठेके में अनुबन्धित सुपुर्दगी अवधि से गणना करके पूर्ति में विलम्ब के लिए निर्णीत हरजाना लगाने के लिए बहाल की गयी थी। फर्म ने संशोधन पत्र यह उल्लेख करते हुए स्वीकार नहीं किया था कि नि./स्वी. मूल शर्तों पर बहाल नहीं किया गया था जैसी सहमति हुई थी। इसका ठेका पूरा नहीं हुआ और इसे किसी वित्तीय प्रभाव के बिना रद्द करना पड़ा। इससे फर्म "क" के प्रति जोखिम खरीद विफल हुई। न केवल खरीद में 6,146 रु. प्रति सैट का अतिरिक्त व्यय हुआ बल्कि सुपुर्दगी अनुसूची में भी विलम्ब हुआ था।

(घ) सैन्ड कास्ट आयरन स्पिगाट्स और साँकट सोइल और वेन्टीलेटिंग पाइप की खरीद:-

महानिदेशक पूर्ति निपटान ने फर्म "क" को भी 28 फरवरी 1980 तक 42,223 सैन्ड कास्ट आयरन स्पिगाट्स और साँकट सोइल वेस्ट और वेन्टीलेटिंग पाइप (100 मि.मी. डाय और 50 मि.मी. डाय) की आपूर्ति के लिए निविदा की स्वीकृति (नि./स्वी.) (मूल्य: बिक्री कर रहित 23.11 लाख रु.) अगस्त 1979 में प्रस्तुत की।

चूँकि फर्म ने 28 फरवरी 1980 तक केवल 550 पाइपों (100 मि.मी. डाय) की आपूर्ति की थी इसलिए महानिदेशक पूर्ति एवं निपटान ने 28 फरवरी 1980 को संविदा भंग की तारीख मानकर फर्म "क" की जोखिम और लागत पर जुलाई 1980 से नि./स्वी. की बकाया मात्रा रद्द कर दी।

शेष मात्रा प्राप्त करने के लिए महानिदेशक पूर्ति एवं निपटान ने 27 अगस्त 1980 को राज्य सरकार के एक उपक्रम फर्म "ख" को जोखिम खरीद नि./स्वी. (मूल्य: 33.32 लाख रु. उत्पादन शुल्क और बिक्री कर रहित) दी। प्रतिमाह सुपुर्दगी पर 15 फरवरी 1987 तक चलना था। तथापि, फर्म ने नि./स्वी. को स्वीकार नहीं किया और अन्य बातों के साथ साथ अक्टूबर 1980 में यह बताया और 2 जनवरी 1981 को दोहराया कि उसका प्रस्ताव 3 महीने के लिए सीमित आपूर्ति के लिए था और वह कुल आपूर्ति के लिए बचनबद्ध नहीं था।

महानिदेशक पूर्ति एवं निपटान ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय खेपों (लाट्स) के लिए क्रमशः 15 अक्टूबर 1980, 15 नवम्बर 1980 और 15 दिसम्बर 1980 को और शेष खेपों के लिए 2 जनवरी 1981 को संविदा भंग की तारीख मानकर फर्म "ख" की जोखिम और लागत पर अप्रैल 1981 में नि.स्वी. को रद्द कर दिया।

एक जोखिम खरीद नि./स्वी. फर्म "ग" को 12 जून 1981 को प्रस्तुत की गयी थी। नि./स्वी. में अन्य बातों के साथ साथ पिग आइरन के मूल्यों के आधार पर मूल्य में परिवर्तन के लिए व्यवस्था की। 50 मि.मी. डाय पाइपों की संख्या अप्रैल 1982 में 3,333 से कम करके 2,080 कर दी गई थी। फर्म "ग" ने सितम्बर 1982 तक आपूर्तियां पूरी कीं।

फर्म "ख" 2080 पाइपों (50 मि.मी. डाय) और 37,340 पाइपों (100 मि.मी. डाय) जिनके लिए वैध जोखिम खरीद की गई थी, के संबंध में 3.03 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय अदा करने तथा शेष 1000 (100 मि.मी.) पाइपों पर सामान्य हरजाने के लिए जिम्मेदार थी। विभाग ने बताया (जनवरी 1987) कि हानि का दावा फर्म "ख" से केवल तभी किया जा सकता था यदि विधि मंत्रालय वैध जोखिम खरीद नि./स्वी. के रूप में, मूल्य परिवर्तन शर्त के साथ फर्म "ग" को ठेके के स्थापन का समर्थन करेगी, जबकि फर्म "ख" पर नि./स्वी. नियत और निर्धारित मूल्यों पर थी। तथापि, विधि मंत्रालय द्वारा यह राय दी गयी थी (जून 1982) कि मान्य जोखिम खरीद छोटे मोटे परिवर्तन का ध्यान किए बिना सम्भव होगी बशर्ते कि मूल्य में परिवर्तन के साथ निम्नतर प्रस्ताव फर्म के मूल्य प्रस्ताव की अपेक्षा मंहगा नहीं था। फर्म "ग" को प्रदत्त 100 मि.मी. डाय पाइप की अन्तिम दरें प्रति संख्या 87.00 रु. से लेकर 94.16 रु. के बीच थी जबकि छोड़ी गई फर्म का प्रस्ताव 128.70 रु. था।

महानिदेशक पूर्ति एवं निपटान को फर्म "ख" से 1000 पाइपों (100 मि.मी. डाय) पर सामान्य हरजाने सहित 3.03 लाख रु. की राशि वसूल करने के लिए विधि मंत्रालय के परामर्श से अभी कार्यवाही करनी है यद्यपि फर्म "ग" से आपूर्तियों के पूरे होने के बाद 4 वर्षों से अधिक समय समाप्त हो गया है।

63. जोखिम खरीद हानि/सामान्य क्षति की वसूली के लिए अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई

विभागीय अनुदेशों के अनुसार ज्यों ही जोखिम खरीद निविदा स्वीकृति (नि.स्वी.) दी जाती है चूककर्ता ठेकेदार को यह सूचित करते हुए पत्र जारी किया जाता है कि उसके द्वारा ठेका भंग करने के कारण खरीददार उसके जोखिम और लागत पर चूक वाले भंडारों की खरीद का सहारा लेने पर बाध्य हो गया और उसे चूक वाले ठेका के ऊपर अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है। जोखिम खरीद को मूर्त रूप देने के बाद औपचारिक मांग नोटिस जारी कर देना चाहिए। तथापि जहां कानूनी रूप से मान्य जोखिम खरीद के लिए निर्धारित प्रतिमानों से हटकर पुनः खरीद की जाती है वहां सामान्य क्षतिपूर्ति की वसूली की जा सकती है अर्थात् चूक वाले ठेके में ठेका दर और ठेका भंग होने की तारीख के आस पास बाजार दर के बीच अंतर की राशि। यदि व्यय की गई अतिरिक्त राशि की बिलों से कटौती के माध्यम से तीन महीने के भीतर वसूली नहीं की जाती है तो कानूनी माध्यम-निर्णय कार्यवाही पर विचार किया जाना चाहिए।

निम्नलिखित मामलों में म.नि.पू. और नि. जोखिम खरीद हानि/सामान्य क्षति के लिए कुल 7.99 लाख रु. की वसूली के लिए पर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई करने में असफल रहा।

(क) उद्दरित लैम्पों की खरीद

फर्म "ज" को 8450 उद्दरित लैम्पों (मूल्य 9.97 लाख रु.) की 30 सितम्बर 1975 तक आपूर्ति के लिए निविदा स्वीकृति दी गई (फरवरी 1975)। बाद में यह निविदा स्वीकृति 30 सितम्बर 1975 को ठेका भंग

होने की तारीख मानते हुए फर्म की जोखिम और लागत पर रद्द कर दी गई (14 जनवरी 1976)।

31 दिसम्बर 1976 तक आपूर्ति करने के लिए फर्म "घ" को (7.25 लाख रु. की लागत पर 4450 लैम्प) और फर्म "ड" को 31 जनवरी 1977 तक (जिसे बाद में समय-समय पर बढ़ाकर 20 जून 1980 कर दिया गया) आपूर्ति करने के लिए (6.08 लाख रु. की लागत पर 4000 लैम्प) को निविदा स्वीकृति दी गई (मार्च 1976)। जबकि फर्म "घ" ने आपूर्तियां पूरी कर दीं, फर्म "ड" ने 20 जून 1980 तक केवल 2244 लैम्पों की आपूर्ति की यद्यपि समय 20 नवम्बर 1981 तक बढ़ा दिया गया था। 1756 लैम्पों की अनापूर्त मात्रा के लिए निविदा स्वीकृति 20 नवम्बर 1981 को ठेका भंग होने तारीख मानते हुए फर्म "ड" के जोखिम और लागत पर 27 फरवरी 1982 को रद्द कर दी गई।

फर्म "ड" द्वारा सुपूर्द नहीं किए गए 1756 लैम्पों की रद्द की गई मात्रा पूरी करने के लिए फर्म "घ" को 5 लाख रु. (बाद में बढ़ाकर 5.27 लाख रु. कर दिया गया) पर निविदा स्वीकृति दी गई (20/26 मई 1982)। तथापि फर्म "घ" ने निविदा स्वीकृति के मूल्य और उत्पाद शुल्क वाले अनुच्छेद में कुछ विसंगतियों का उल्लेख किया (1 जून 1982) और संशोधित निविदा स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया जो दिसम्बर 1982 और दिसम्बर 1983 में निदेशक आपूर्ति तथा निपटान कानपुर (डी.एस.डी. के) द्वारा जारी की गई। फर्म ने संशोधन पत्रों को यह बताते हुए किये अनुचित लम्बी अवधि (19 महीने) के बाद जारी की गई स्वीकार नहीं किया (15 फरवरी 1984)। फर्म "घ" की निविदा स्वीकृति समाप्त नहीं हुई थी, किसी भी पक्ष पर बिना वित्तीय प्रभाव के विधि मंत्रालय के सलाह पर उसे रद्द कर दी गई थी (सितम्बर 1984)।

इस मामले से निम्नलिखित बातें प्रकट हुईं:-

- फर्म "ज" पर 3.60 लाख रु. का प्रस्तुत किया गया (सितम्बर 1976) दावा जो नवम्बर 1979 में मध्यस्थ को भेज दिया गया था, का परिणाम ज्ञात नहीं था।
- डी.एस.डी.के. ने प्रतिभूति जमा के लिए फर्म "ड" द्वारा दी गई 30,400 रु. की बैंक गारंटी को 23 दिसम्बर 1980 के बाद पुनः वैधीकृत करने की कार्रवाई नहीं की और उसे समाप्त होने दिया।
- फर्म "घ" को दी गई 1756 लैम्पों के लिए जोखिम खरीद निविदा स्वीकृति के लिए क्रमशः मूल्य और उत्पाद शुल्क से संबंधित संशोधित पत्र जारी करने में डी.एस.डी.-के. को 6 से 18 महीने का समय लगा। इसमें निविदा स्वीकृति को अनिश्चयात्मक बना दिया और उसे वित्तीय प्रभाव के बिना रद्द करना पड़ा था।

आपूर्ति विभाग ने बताया (जनवरी 1987) कि:-

- (क) पहले के मध्यस्थ ने त्याग पत्र दे दिया था और अब नया

मध्यस्थ नियुक्त किया गया है और उसके आदेशानुसार फर्म "ज" को जुलाई 1986 में, दावा विवरण, एक बार फिर भेज दिया गया था।

(ख) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कलकत्ता को गारंटी पत्र एक वर्ष के लिए मान्य कराने अथवा फर्म "ड" के बैंक के माध्यम से सरकार के पक्ष में, 14 अगस्त 1986 को भुनाने के लिए लिखा गया था।

(ख) टखना जूतों की खरीद

18000 जोड़े टखना जूतों (5.58 लाख रु.) की आपूर्ति के लिए फर्म "त" को एक अभिन्न निविदा स्वीकृति (नि.स्वी) दी गई (15 मार्च 1979)।

25 मई 1979 तक प्रतिभूति जमा दी जानी थी और 3000 जोड़े के प्रत्येक जत्थों में आपूर्तियां जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर और नवम्बर 1979 की दसवीं तारीख तक की जानी थी।

फर्म के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई यद्यपि वह निर्धारित तारीख तक प्रतिभूति अदा नहीं कर सकी। 11 जून 1979 को ठेकागत मात्रा में 2565 जोड़ों की वृद्धि कर दी गई जिनकी आपूर्ति निविदा स्वीकृति के सुसंगत अनुच्छेद के अधीन 10 दिसम्बर 1979 तक आपूर्ति की जानी थी, इससे आर्डर का मूल्य बढ़कर 6.43 लाख रु. हो गया। चूंकि फर्म ने कोई आपूर्ति नहीं की, म.नि.पू. और नि. ने सुपुर्दगी की नियत तारीख को ठेका भंग होने की तारीख मानकर फर्म "त" की जोखिम और लागत पर 17 नवम्बर 1979 को निविदा स्वीकृति रद्द कर दी। तथापि म.नि.पू. और नि. ने इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा कि दो परेषितियों द्वारा नि.स्वी. कायम रखी गई थी और अतः नि.स्वी. रद्द करने से पहले, निर्णीत हर्जाने की वसूली के लिए प्रावधान के साथ निष्पादन तथा विस्तारण नोटिस जारी करना आवश्यक था।

चूंकि फर्म ने 2565 जोड़ों की अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति नहीं की अतः यह मात्रा भी 10 दिसम्बर 1979 को ठेका भंग होने की तारीख मानकर फर्म के जोखिम और लागत पर 18 मार्च 1980 को रद्द कर दी गई।

रद्द की गई 20,565 जोड़े टखना जूते की मात्रा की दिसम्बर 1979 में फर्म "ड" (7313 जोड़े) "घ" (10,000 जोड़े) और "घ" (687 जोड़े) से मई 1980 और फर्म "घ च" (2565 जोड़े) से बिक्री कर सहित 4.39 लाख रु. की अतिरिक्त लागत पर खरीद की गई।

इस मामले से निम्नलिखित बातें प्रकट हुईं:-

- फर्म को 2565 जोड़े अतिरिक्त मात्रा का आदेश दिया गया जबकि फर्म ने निर्धारित तारीख तक प्रतिभूति जमा न देकर नि.स्वी. में चूक की थी।
- म.नि.पू. और नि. ने 25 मई 1979 को ठेका प्रथम बार भंग करने

पर फर्म "त" के जोखिम और लागत पर नि.स्वी. रद्द करने की कोई कार्रवाई नहीं की जबकि फर्म ने प्रतिभूति जमा देने में चूक की थी।

— फर्म "त" से 4.39 लाख रु. की वसूली के लिए मांग पत्र अप्रैल 1981 में बिना सुपुर्दगी वितरण के वापस प्राप्त हो गया और लेखा नियंत्रक ने म.नि.पू. और नि. को यह सूचित किया कि वसूली संभव नहीं थी क्योंकि फर्म से बिल प्राप्त नहीं हुए थे परन्तु विभागीय अनुदेशों के अनुसार वसूली के लिए कानूनी मध्यस्थता कार्यवाहियां आरंभ करने के लिए अब तक कार्रवाई नहीं की गई थी।

— वसूली पर कार्यवाही करने में पर्याप्त समय अंतराल था। आरंभ में इस मामले पर मई 1981 में उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ कार्रवाई की गई जिस पर अगस्त 1985 में लेखापरीक्षा द्वारा चूक का उल्लेख किए जाने पर फरवरी 1986 में अनुवर्ती कार्रवाई की गई।

आपूर्ति विभाग ने बताया (फरवरी 1987) कि म.नि.आ.नि. द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारियों को किए गए संदर्भ के उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे।

64. क्रेन मोबाइल की बिक्री

महानिदेशक, आपूर्ति और निपटान (म.नि.आ.नि.) ने एक आयुध डिपो द्वारा फालतू घोषित किए गए एक क्रेन मोबाइल (जत्था सं. 5) और वाहनों के अन्य जत्थों के निपटान के लिए नवम्बर 1981 में एक विज्ञापित निविदा पृष्ठताछ जारी की। उत्तर में पांच प्रस्ताव प्राप्त हुए और क्रेन के लिए 4.15 लाख रु. का अधिकतम प्रस्ताव फर्म "ड" का था। प्रस्ताव 18 जनवरी 1982 तक मान्य था। फर्म द्वारा दी गई बयाना राशि और प्रतिभूति जमा के लिए 41,500 रु. की मांग प्राप्त की जमा रसीद (म.प्र.ज.र.) को विकृत पाया। क्योंकि पहले के एक मामले में एक विकृत मांग प्राप्त पर जमा रसीद को भुनाने में कुछ कठिनाइयां सामने आई थीं, मामला ठेका अधिकारी के सुझाव पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेजा गया था। रिजर्व बैंक के मौखिक सुझाव पर 9 दिसम्बर 1981 को यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या यह भुनाने योग्य थे मांग प्राप्त की जमा रसीद को भारतीय स्टेट बैंक को दिखाया गया था। बैंक ने 10 दिसम्बर 1981 को यह सुझाव दिया कि "इसकी प्राप्ति के बाद हम इस पर ध्यान देंगे"।

इसी बीच महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान ने फर्म "छ", "घ" और "ज" से तीन तार प्राप्त किये जिसमें फर्म "ड" द्वारा प्रस्तावित मूल्य से अधिक मूल्य के प्रस्ताव दिये गये थे और कहा गया था कि अपर्याप्त सूचना के कारण वे समय पर निविदा प्रस्तुत नहीं कर सके। एक अन्य फर्म "ख" से 23 नवम्बर 1981 को एक अभिवेदन भी प्राप्त हुआ था जिसने यह शिकायत की थी कि निविदा पृष्ठताछ में भाग लेने के लिए उसे पर्याप्त समय नहीं मिला। ठेका अधिकारी के सुझाव के विपरीत कि यदि रिजर्व बैंक द्वारा मांग प्राप्त पर जमा रसीद स्वीकार नहीं की गयी तो विभाग को

पार्टी से दूसरा ड्राफ्ट प्राप्त करना चाहिए क्योंकि बैंक के लिए अधिकतम प्रस्ताव को अनदेखा नहीं किया जा सकता और विलम्ब वाले अधिकतम प्रस्तावों की, अमान्यता के बावजूद महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान ने निर्णय लिया (18 जनवरी 1982) कि पूछताछ के अंतर्गत आने वाली सभी वस्तुओं के लिए निविदा पूछताछ रद्द कर दी जाए।

4 अप्रैल 1982 को एक नई निविदा पूछताछ जारी की गई। आठ प्रस्ताव प्राप्त हुए। फर्म "घ", "ख" और "ज" ने भाग नहीं लिया। क्रेन के लिए 3.15 लाख रु. का अधिकतम प्रस्ताव फर्म "ड" का था। नई पूछताछ के प्रति प्राप्त प्रस्तावों को जानते हुए भी फर्म "ड" ने 4.15 लाख रु. पर क्रेन की खरीद के लिए अपने प्रस्ताव को नवीनीकरण किया। इस प्रगति को ध्यान में रखते हुए म.नि.आ. एवं नि. ने उन निविदाओं को जिनके लिए विल्ट कक्ष ने अनुमति नहीं दी थी, रद्द करने का सुझाव दिया (मई 1982) अतः 29 मई 1982 को अधिकतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए निर्णय लिया था।

बिक्री पत्र के अनुसार फर्म "ड" को बिक्री मूल्य की शेष राशि और उस पर उ.प्र. बिक्री कर का भुगतान 14 जून 1982 तक करना था। तथापि, फर्म ने बिक्री मूल्य की राशि का भुगतान 3 मार्च 1983 को और बिक्री कर का भुगतान 11 अप्रैल 1983 को कर दिया। तदनुसार, फर्म को भुगतान में विलम्ब की अवधि के लिए बिक्री मूल्य के 1 प्रतिशत का 10 प्रतिशत की दर पर 0.88 लाख रु. और बिक्री कर की प्रतिदिन राशि का हरजाना प्रभार के रूप में भुगतान करना था। इसके प्रति बिक्री मूल्य के भुगतान में विलम्ब के लिए केवल 0.51 लाख रु. की राशि का उद्ग्रहण और वसूली की गई थी। यद्यपि तीन वर्षों से अधिक की अवधि बीत चुकी है, फिर भी शेष 0.37 लाख रु. की राशि बिना वसूली के रह गई। 15,750 रु. की प्रतिभूति जमा की राशि फर्म को फरवरी 1984 में वापस कर दी गई थी। म.नि.आ. एवं नि. ने बताया (अक्टूबर 1986) कि शेष राशि की वसूली वित्त मंत्रालय के परामर्श से विचारधीन थी।

मामले से प्रकट हुआ कि :—

- म.नि.आ. एवं नि. ने फर्म 'छ', 'घ' तथा 'ज' के प्रस्तावों को अनावश्यक महत्व दिया ताकि उच्चतर मूल्य प्रवृत्ति का निष्कर्ष निकाला जाए, जो अमान्य थे। अभिवेदनों को भी महत्व दिया गया कि निविदा पूछताछ में दिया गया समय अपर्याप्त था, यद्यपि नवम्बर 1981 वाली निविदा के प्रत्युत्तर में पांच फर्मों से प्रस्ताव आए थे। इसके परिणामस्वरूप सरकार को 4.15 लाख रु० पर ब्याज के अतिरिक्त यदि पहले बिक्री की गई होती, 1 लाख रु० के मूल्य के लाभ की हानि हुई।

आपूर्ति विभाग ने अन्य बातों के साथ साथ बताया (दिसम्बर 1986) कि निविदा को रद्द करने के निम्नलिखित कारण "प्रतीत होते हैं"—

- (क) विकृत मांग प्राप्त पर जमा रसीद को भुनाने के अवसर कम थे।
- (ख) इस मांग प्राप्त पर रसीद के बदले पार्टी से ड्राफ्ट प्राप्त करने के विकल्प के कारण "एक पार्टी बातचीत" मानी जा सकती थी।

उपरोक्त (क) का कथन स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अन्य मामले में एक विकृत मांग प्राप्त पर जमा रसीद अगस्त 1981 में स्वीकार कर ली गयी थी और म.नि.आ. एवं नि. द्वारा भुनायी जा चुकी थी। इसके अतिरिक्त मांग प्राप्त पर जमा रसीद को अमान्य नहीं माना जा सकता जब तक कि इसे बैंक द्वारा ऐसा घोषित न कर दिया जाए जिसने वास्तव में इसे जमा करने के लिए कहा था।

65. ट्रेलरों की बिक्री

38 ट्रेलरों की बिक्री के लिए मई 1981 में महानिदेशक, पूर्ति एवं निपटान (म.नि.पू.नि.) द्वारा जारी की गई निविदा पूछताछ के उत्तर में छः प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। 17.32 लाख रु. के लिए फर्म "न" का उच्चतम प्रस्ताव स्वीकार किया गया था और 7 सितम्बर 1981 तक बिक्री कर सहित (फर्म द्वारा बयाना/जमानत जमा के बाबत जमा किए गये 1.00 लाख रु. में से 0.50 लाख रु. के बयाना को समायोजित करने के बाद) 16.82 लाख रु. अदा करने का निर्देश देते हुए 24 अगस्त 1981 को फर्म को एक बिक्री पत्र जारी किया गया था। भुगतान करने के लिए एक महीने की अवधि बढ़ाने की स्वीकृति के लिए फर्म से दिनांक 5 सितम्बर 1981 का अनुरोध प्राप्त होने पर म.नि.पू.नि. ने फर्म को 11 सितम्बर 1981 को यह सूचित किया गया कि भुगतान की निविदा धारा के अनुसार चूक के प्रति दिन के बिक्रय मूल्य के एक प्रतिशत के 10 प्रतिशत की दर से अर्थात् 1,731.55 रु. प्रति दिन मुआवजा प्रभार 8 सितम्बर 1981 से अंतिम भुगतान की प्राप्ति की तारीख तक प्रभारित होगा। म.नि.पू.नि. ने फर्म को 21 अक्टूबर 1981 को कारण बताओ नोटिस जारी किया, क्यों न बिक्री रद्द कर दी जाए, बयाना जम्ब कर लिया जाए और भंडार उसकी जोखिम और खर्च पर पुनः बिक्रय कर दिये जाएं। 7 नवम्बर 1981 को फर्म ने बिक्री मूल्य अदा करने की अपनी असमर्थता व्यक्त की और 0.50 लाख रु. के बयाने को वापस करने के लिए अनुरोध किया जो बिक्री मूल्य के प्रति समायोजित कर लिया गया था।

विधि मंत्रालय जिसको 7 नवम्बर 1981 को मामला भेजा गया था, ने 25 नवम्बर 1981 को यह सुझाव दिया कि फर्म द्वारा प्रस्तुत की गई जमानत जमा जम्ब की जा सकती थी यदि फर्म द्वारा संविदा भंग करने के कारण विभाग को हानि या क्षति हुई थी और बयाना भी जम्ब किया जा सकता था क्योंकि फर्म अपने निविदा से मुकर गई थी। तथापि, ठेके की शर्तों के संबंध में और 21 अक्टूबर 1981 को फर्म को जारी किए गये नोटिस में जमानत जमा जम्ब करने के लिए कारण बताने के लिए क्यों नहीं कहा गया था, के बारे में भी कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे। ये स्पष्टीकरण विधि मंत्रालय को सितम्बर 1982 में दिये गये थे जिस पर इस मंत्रालय ने चूककर्ता फर्म की जोखिम और लागत पर बिक्री पत्र को रद्द करने और बयाना तथा जमानत जमा की संपूर्ण राशि रोकने की सलाह दी। 27 सितम्बर 1982 को फर्म को उसकी जोखिम और खर्च पर बिक्री के रद्द करने तथा बयाना जम्ब करने के बारे में भी सलाह दी गयी थी।

जोखिम बिक्री निविदाएं अक्टूबर 1982 में आमंत्रित की गई थी और 23 नवम्बर 1982 को खोली गई थी। फर्म "न" जिसको निविदा के लिए कहा गया था, ने ऐसा नहीं किया था। उत्तर में प्राप्त निविदाएं रद्द कर दी गई थीं क्योंकि निविदाओं को खोलने के बाद एक निविदादाता के 1,000 रु. प्रति

ट्रेलर अधिक अदा करने का प्रस्ताव किया था जो ऊर्ध्वगामी मूल्य प्रकृति का समझा गया था।

37 ट्रेलरों की पुनः बिक्री के लिए नवीन निविदा पूछताछ फरवरी 1983 (इस बीच में स्टॉक होल्डर ने एक ट्रेलर बिक्रय कर दिया) में जारी की थी। चूककर्ता फर्म "न" को नई जोखिम पुनः बिक्री निविदा पूछताछ के बारे में सूचित नहीं किया गया था, जैसा कि अपेक्षित था। चार प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और सभी 37 ट्रेलरों की बिक्री पहले तीन उच्चतम निविदादाताओं अर्थात् फर्म "ख"-"ड" और "ञ" को कुल 13.14 लाख रु. की राशि के लिए 8 मार्च 1983 को की गई थी। बिक्री अक्टूबर 1983 में पूरी हुई थी। पुनः बिक्री में विलम्ब के कारण लगभग दो वर्षों तक भंडारण पर व्यय के अतिरिक्त 38 ट्रेलरों की पुनः बिक्री पर 3.71 लाख रु. की हानि हुई थी।

28 अक्टूबर 1983 को फर्म "न" ने 50,000 रु. की वापसी के लिए कानूनी नोटिस दिया और संविदा की शर्तों के अनुसार मामला पंचाट को भेजने का अनुरोध किया।

विधि मंत्रालय जिसको मामला फरवरी 1984 में यह जांच करने के लिए पुनः भेजा गया कि यह मामला पंचाट के लिए उपयुक्त था, ने बताया कि कोई दूसरा विकल्प नहीं था। मई 1984 में मामले को पंचाट को भेजने के लिए निर्णय किया गया था परन्तु उसे अभी पंचाट को भेजा जाना है (दिसम्बर 1986)।

इस मामले से निम्नलिखित बातें प्रकट हुई कि :-

- जोखिम पुनः बिक्री मूल संविदा की चूक की तारीख से 10 सप्ताह की अवधि के भीतर नहीं की जा सकी थी जैसा कि विभागीय आदेशों में निर्धारित किया गया था।
- चूककर्ता फर्म "न" को 23 फरवरी 1983 की निविदा पूछताछ में शामिल होने का अवसर प्रदान नहीं किया गया था।
- यद्यपि जोखिम पुनः बिक्री अक्टूबर 1983 में पूरी हो गई थी और मामले को पंचाट को भेजने का निर्णय मई 1984 में लिया गया था, फिर भी मामला पंचाट को दिसम्बर 1986 तक नहीं भेजा गया है।

आपूर्ति विभाग ने बताया (दिसम्बर 1986) कि

- (क) यद्यपि विभागीय आदेशों के अंतर्गत निर्धारित समय के अंदर जोखिम पुनः बिक्री प्रभावित करने के लिए ठेके में कोई विशिष्ट शर्त नहीं थी यद्यपि विभागीय आदेशों के अंतर्गत जोखिम पुनः बिक्री हानि के अतिरिक्त 8 से 10 सप्ताह की अवधि समुचित अवधि ठहराई गई थी जिसके लिए चूककर्ता से भंडारण प्रभारों का दावा किया जा सकता था।
- (ख) प्रचलित आदेशों के अनुसार जोखिम पुनः बिक्री निविदा के बारे में चूककर्ता को सूचित करना आवश्यक नहीं था यद्यपि विधि

मंत्रालय ने यह बताया था कि दोषी फर्म को जोखिम पुनर्बिक्रय प्रभावित करने के लिए नोटिस की अनुपस्थिति एक ऐसा तथ्य हो सकता है जो फर्म के पक्ष में जा सकता है।

- (ग) नवम्बर 1986 को 4.31 लाख रु. के लिए फर्म को एक मांग नोटिस दिया गया था।

मांग नोटिस लेखापरीक्षा द्वारा मामले को मूलतः म.नि.पू.नि. की जानकारी में लाये जाने के 10 महीने बाद दिया गया था।

66. फालतू क्रेनों और ट्रेक्टरों की बिक्री

कमान्डेंट, वाहन भण्डार डिपो, मेरठ के क्रेनों और ट्रेक्टरों के ग्यारह जत्थों की बिक्री के लिए महानिदेशक, आपूर्ति और निपटान (म.नि.आ.नि.) द्वारा नवम्बर 1981 में जारी की गयी निविदा पूछताछ के प्रत्युत्तर में पन्द्रह प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। फर्म "क" का प्रस्ताव अधिकतम था जिसने जत्था 1,2,3,5 और 6 के लिए 3.24 लाख रुपये उद्धृत किये थे। यद्यपि फर्म को बिक्री मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर जमा पर मांग प्राप्त के रूप (ज.मा.प्रा.फा.) में 0.32 लाख रुपये बयाना राशि/प्रतिभूति जमा देना था इसने मात्र 0.20 लाख रुपए की एक दर्शनी हुण्डी प्रस्तुत की। चूँकि फर्म "क" का प्रस्ताव दूसरे अधिकतम प्रस्ताव से काफी अधिक था और भण्डारों के निर्धारित मूल्य से भी अधिक था अतः बयाना राशि/प्रतिभूति राशि में 0.12 लाख रुपये कम होने के बावजूद भी प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए जनवरी 1982 में आपूर्ति विभाग का अनुमोदन मांगा गया। प्रस्ताव को स्वीकार करते समय आपूर्ति विभाग ने यह कहा कि बयाना राशि/प्रतिभूति राशि की शेष राशि जमा करने के लिए बिक्री पत्र में फर्म से कहा जाए और बयाना राशि/प्रतिभूति राशि की पूरी राशि प्राप्त होने के बाद ही बिक्री मुक्ति आदेश जारी किया जाना चाहिए। तदनुसार म.नि.आ.नि. ने 16 जनवरी 1982 को बिक्री पत्र जारी कर दिया और फर्म को उस पर उद्ग्राह्य उत्तर प्रदेश (उ.प्र.) राज्य बिक्री कर और शेष बयाना/प्रतिभूति राशि के साथ 3.04 लाख रुपया बिक्री मूल्य का (3.24 लाख रुपये में से 0.20 लाख बयाना प्रतिभूति राशि कम करके) 3 फरवरी 1982 तक भुगतान करने को कहा। फर्म द्वारा उपरोक्त भुगतान के लिए 5 मार्च 1982 तक समय बढ़ाने के लिए किये गए अनुरोध पर महानिदेशक पूर्ति और निपटान सहमत नहीं हुआ। उसने फर्म को भुगतान करने तथा आय कर शोधन पत्र शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए 25 फरवरी 1982 को यह बताते हुए नोटिस जारी कर दिया कि ऐसा न करने पर बिक्री को उसके जोखिम पर रद्द कर दिया जायेगा और उसे बिक्री मूल्य के 1 प्रतिशत का 10 प्रतिशत क्षति पूर्ति प्रतिदिन के रूप में भुगतान करना होगा। प्रथम जून 1982 को फर्म ने महानिदेशक पूर्ति और निपटान को सूचित किया कि वह भुगतान करने के लिए तैयार है बशर्ते कि क्षति-पूर्ति की राशि माफ कर दी जाए और उसने उत्तर प्रदेश राज्य बिक्री कर की देय राशि के बारे में भी पूछताछ की। महानिदेशक पूर्ति और निपटान ने 8 जून 1982 को उत्तर प्रदेश राज्य बिक्री कर की दर सूचित कर दी और 25 फरवरी 1982 के अपने पत्र की और फर्म का ध्यान भी दिलाया। चूँकि फर्म यह भुगतान नहीं कर सकी अतः महानिदेशक पूर्ति और निपटान द्वारा 11 नवम्बर 1982 को फर्म "क" की जोखिम लागत पर 3 फरवरी 1982 को ठेका भंग होने की तारीख मानते हुए रद्द कर दिया गया।

पुनः बिक्री के लिए नयी निविदा पूछताछ के प्रति छः प्रस्ताव प्राप्त हुए। चूककर्ता फर्म "क" ने कोई निविदा प्रस्तुत नहीं की। दो उच्चतम दर वाले प्रस्तावों, जो ज.मा.प्रा.फा. द्वारा समर्थित नहीं थे, को अनदेखी करने के बाद 2.15 लाख रुपये के लिए फर्म "प" का तीसरा उच्चतम प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। फर्म "प" को बिक्री पत्र 20 जनवरी 1983 को जारी किया गया और आपूर्ति विभाग का कार्यान्तर अनुमोदन 9 मार्च 1983 को प्राप्त किया गया। लेखा परीक्षा द्वारा दिसम्बर 1985 में बताये जाने पर फर्म "क" से जोखिम बिक्री हानि, उसपर बिक्री कर और क्षति पूर्ति प्रभार आदि के लिए 1.23 लाख रुपए की वसूली के लिए महानिदेशक पूर्ति और निपटान द्वारा कार्रवाई की गयी। 14 जनवरी 1986 को 8 फरवरी 1986 तक 1.23 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए फर्म "क" को नोटिस जारी कर दिया गया किन्तु अभी तक वसूली नहीं हुई (नवम्बर 1986)

मामले से मालूम हुआ :—

— महानिदेशक पूर्ति और निपटान ने फर्म "क" को बिक्री मूल्य

आदि के शेष का तुरन्त भुगतान करने के लिए कहा (फरवरी 1982/जून 1982) अन्यथा क्षति पूर्ति प्रभार का उद्ग्रहण किया जायेगा परन्तु फर्म की जोखिम और लागत पर बिक्री पत्र रद्द करने की कार्रवाई केवल नवम्बर 1982 में की गयी।

— फर्म "क" के पक्ष में बिक्री पत्र नवम्बर 1982 में रद्द किया गया, परन्तु जोखिम बिक्री हानि, उस पर बिक्री कर और क्षति पूर्ति प्रभार की वसूली के लिए कुल 1.23 लाख रुपये की मांग जनवरी 1986 में, अर्थात् 3 वर्षों बाद और वह भी लेखा परीक्षा द्वारा बताये जाने पर की गयी।

आपूर्ति विभाग ने बताया (नवम्बर 1986) कि मांग नोटिस जारी करने में विभिन्न कारणों से विलम्ब हुआ जिनमें सतर्कता विभाग द्वारा फाइल मांगा जाना, निपटान निदेशालय का नये भवन में स्थानान्तरण आदि शामिल था और उपलब्ध कानूनी उपायों के माध्यम से वसूली करने की कार्रवाई आरंभ कर दी गयी थी और एक मध्यस्थ की नियुक्ति भी विचाराधीन थी।

अध्याय VI

विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम

67. सामान्य

31 मार्च 1986 को विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक और अर्द्ध-वाणिज्यिक प्रकार के 43 सरकारी उपक्रम थे।

इन उपक्रमों के वित्तीय परिणाम, सरकार के सामान्य लेखों से बाहर प्रोफार्मा लेखे तैयार करके प्रतिवर्ष तैयार किये जाते हैं। दो उपक्रमों अर्थात् प्रकाशन विभाग दिल्ली तथा भारत सरकार के मुद्रणालयों द्वारा व्यापारिक और लाभ और हानि लेखे तथा तुलन पत्र तैयार नहीं किए जाते हैं बल्कि भंडार लेखे तैयार किए जा रहे हैं। लोक लेखा समिति की सिफारिशों का

अनुसरण करते हुए सरकार, भारत सरकार के मुद्रणालयों से संबंधित विनिर्माण, लाभ और हानि लेखे तथा तुलन पत्र तैयार करने के लिए सहमत हो गयी है तथा इस प्रयोजनार्थ। अप्रैल 1983 से लागू करने के लिए लेखाओं का प्रारूप (फार्मेट) अनुमोदित कर दिया गया है।

समस्त विभागीय नवीनतम उपलब्ध लेखे के आधार पर संक्षिप्त वित्तीय परिणामों को दर्शाने वाला एक संक्षिप्त विवरण अनुबंध 'क' में दिया गया है। उससे यह देखने में आएगा कि बहुत से मामलों में प्रोफार्मा लेखे वर्षों से बकाया थे। लेखाओं के संकलन में विलम्ब संबंधी सूचना को प्रशासनिक मंत्रालयों के ध्यान में लाया गया है। केवल दो उपक्रमों से संबंधित वर्ष 1985-86 के प्रोफार्मा लेखे प्राप्त हुए हैं (फरवरी 1987)।

अनुबन्ध "क"

विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(आंकड़े हजार रुपयों में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखा अवधि	सरकारी पूंजी	ब्लॉक परिसंपत्तियां (निवल)	अब तक मूल्य पर हास	लाभ (+) हानि(-)	सरकारी पूंजी पर ब्याज	कुल प्रतिलाभ	औसत पूंजी से कुल प्रति-लाभ की प्रति-शतता	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वित्त मंत्रालय										
1.	भारतीय सुरक्षा प्रेस, नासिक रोड	1983-84	11,16,53	8,98,58	3,19,81	(+)2,18,44	2,48,56	(+)4,67,00	13.25	
2.	सुरक्षा मुद्रणालय, हैदराबाद	1984-85	5,77,51	5,18,56	55,77	(+)1,90,84	60,65	(+)2,51,49	30.93	
3.	मुद्रा नोट प्रेस, नासिक रोड	1983-84	9,00,16	5,96,33	2,92,09	(+)2,46,50	85,18	(+)3,31,68	27.45	
4.	सरकारी फैक्टरी, गाजीपुर	1982-83	63,08	18,75	15,71	(-)30,23	2,60,77	(+)2,30,54	5.89	
5.	सरकारी अफिस फैक्टरी, नीमच	1982-83	1,46,01	52,15	5,56	(-)1,56,96	1,99,96	(+)43,00	1.49	
6.	सरकारी क्षारोद कार्यशाला, नीमच	1982-83	3,12,32	2,44,87	53,60	(+)14,17	25,47	(+)1,17,64	10.37	
7.	सरकारी क्षारोद कार्यशाला, गाजीपुर	1982-83	24,56	12,20	9,17	(-)72,13	18,13	(-)5,00	..	
8.	भारत सरकार टकसाल, बम्बई	1980-81	14,85,09	4,43,30	*22,11	(+)1,26,01	1,78,93	(+)3,04,94	10.40	
9.	भारत सरकार टकसाल, कलकत्ता	1980-81	1,78,66	1,27,52	2,17,97	(+)37,39	1,23,78	(+)1,61,17	7.00	
10.	भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद	1984-85	5,96,77	1,52,19	1,00,91	(-)22,16	43,17	(+)21,01	3.63	आंकड़े अलेखापरीक्षित लेखे पर आधारित हैं।
11.	परख विभाग, बम्बई	1980-81	13,00	12,76	*32	(+)8,04	43	(+)8,47	119.89	
12.	परख विभाग, कलकत्ता	1981-82	74	47	*3	(+)19	..	(+)19	..	
13.	रजत परिष्करणशाला, कलकत्ता	1981-82	58,92	23,16	90,21	(+)2,40,83	1,61,10	(+)4,01,93	15.72	
14.	बैंक नोट प्रेस, देवास	1983-84	24,77,74	18,81,14	5,96,60	(+)2,80,39	1,80,55	(+)4,60,94	18.00	
15.	सुरक्षा पेपर कारखाना, होशंगाबाद	1973-74	10,72,07	6,85,80	3,86,31	(-)86,29	38,42	(-)47,87	..	
सूचना और प्रसारण मंत्रालय										
			पूंजीगत परिसंपत्तियां							
16.	आकाशवाणी	1977-78	50,94,53	30,73,23	19,41,14	(-)2,27,90	1,59,68	(-)68,22	..	
			राजस्व परिसंपत्तियां							
				80,16	15,08*					
17.	रेडियो प्रकाशन आकाशवाणी	1981-82	3,99,01	61	7*	(-)40,55	..	(-)40,55	..	
18.	दूरदर्शन केन्द्र									

1 अप्रैल 1976 से आकाशवाणी से पृथक किया गया। वर्ष 1976-77 से 1985-86 तक के प्रोफार्मा लेखे प्रतीक्षित हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	फिल्म प्रभाग, बम्बई	1983-84	4,16,16	2,45,14	2,46,80	(-83,20	47,61	(-35,59		(i) 1983-84 से लेखापद्धति में परिवर्तन के कारण निवल हानि क्षेत्रिय प्रचार निदेशालय को दी गई मुद्रीत सामग्री पर राजस्व तथा राज्य सरकारों के मुद्रीत सामग्री की निशुल्क आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय राजस्व (19.81 लाख रु.) के लेखे में लेने के बाद निकाली गई। (ii) निवल हानि की गणना पिछले वर्षों से संबंधित समायोजनों को निकालने के बाद की गई है।
			पूंजीगत परिसम्पत्तियां							
20.	वाणिज्य प्रसारण सेवा आकाशवाणी संचार मंत्रालय	1979-80	1,47,47	1,00,35	41,40	(+6,62,89	..	(+6,62,89		
			राजस्व परिसम्पत्तियां							
			5,72	1,52*						
	संचार मंत्रालय									
21.	विदेश संचार सेवा, बम्बई	1984-85	1,09,35,45	59,63,58	31,42,51	(+1,09,82,92	11,70,63	(+1,21,53,55	77.25	
	परिवहन मंत्रालय									
22.	दीपशाला तथा दीपपोत विभाग	1983-84	33,26,44**	26,67,03	4,79,71	(+75,10	2,42,60	3,17,70	10.32	(i) इसमें सरकारी पूंजीगत लेखे तथा संचित अधिशेष शामिल है। (ii) वर्ष के लेखे वित्त मंत्रालय के का.जा.सं. एफ 1 (35)/बी/71 दिनांक 23-1-1974 में दिये गये निर्देशों के अनुसार तैयार नहीं किये गये हैं।
23.	जहाजरानी विभाग, अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1972-73	43,58	56,80	7,89	(-80,15	4,47	(-75,68	..	
24.	नौका सेवा अंदमान	1979-80	1,50,03	1,10,12	39,91	(-59,37	2,00	(-57,37	..	
25.	समुद्री विभाग (गोदी) अंदमान निकोबार द्वीप समूह	1979-80	4,72	3,48	1,25	(-21,78	8,77	(-13,01	..	
26.	चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम, चंडीगढ़	1985-86	6,50,40	4,18,14	93,32	(-1,11,03	44,67	(-66,36	..	
27.	राज्य परिवहन सेवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह	1976-77	35,87	26,83	39,30	(-15,86	1,77	(-14,09	..	
	कृषि मंत्रालय									
28.	दिल्ली दुग्ध योजना	1982-83	10,67,37	4,25,84	6,57,28	(-11,12,14	75,78	(-10,36,36	..	
29.	वन विभाग अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1982-83	1,96,75	1,96,75	50,91	(+2,96,36	51,38	(+10,67,29	147.5	आंकड़े अलेखापरीक्षित लेखाओं पर आधारित हैं।
30.	हिम तथा हिमकरण संयंत्र अर्नाकुलम	1981-82	35,97	10,03	24,05	(-3,34	96	(-2,38		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय										
31.	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	1985-86	2,06,79	12,41	15,63	(+),4,96	15,74	(+),92,35	प्रतिभित	
32.	चिकित्सा भंडार डिपो@	1977-78	64,54	45,40	28,12	(+),43,45	₹93,87	(+),1,37,32	8.05	ई यह चिकित्सा भंडार डिपो के समेकित लाभ हानि लेखे और चिकित्सा फैक्टरियों के लाभ हानि लेखे एवं वर्कशाप लेखे में लेखाबद्ध सरकारी पूंजी पर ब्याज को दर्शाती है।
33.	केन्द्रीय मानसिक चिकित्सा संस्थान कांके, रांची का वनस्पति उद्यान	1984-85	31	27	0.4*	(-),11	2	(-),9	..	
राहरी विकास मन्त्रालय										
34.	प्रकाशन विभाग दिल्ली	1978-79	@@							@@ व्यापार एवं लाभ व हानि तथा स्थिति विवरण तैयार नहीं किये गये हैं बल्कि केवल स्टोर लेखे तैयार किये गये हैं।
35.	भारत सरकार के मुद्रणालय	1977-78	@@							
ऊर्जा मन्त्रालय										
36.	विद्युत विभाग, अंदमान@	1980-81	3,79,71	2,48,12	58,12	(-),1,15,92	22,36	(-),93,56	..	
37.	विद्युत विभाग लक्षद्वीप	1982-83	1,85,80	1,10,57	36,76	(-),64,04	8,11	(-),55,93	..	
परमाणु ऊर्जा विभाग										
38.	तारापुर परमाणु ऊर्जा केन्द्र	1984-85	84,15,01	38,61,43	38,64,85	1,28,65	10,54,09	11,82,74	6.36	
39.	विशाल जल तालिका (ऊर्जा परियोजना अभियांत्रिक प्रभाग)	1981-82	98,29,11	1,10	84	(+),1,48,10	5,50,78	6,98,88	7.99	
40.	राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन	1984-85	1,75,18,05	1,28,60,66	37,61,33	(-),18,52,66	17,36,02	(-),1,16,64		— लेखे प्रथमतः लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए थे। लेकिन 25.9.86 को
41.	मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन	1984-85	1,16,05,31	98,68,18	4,35,04	7,48,02	9,10,47	16,58,49	13.36	भेजी गई लेखापरीक्षा आपत्तियों के आधार पर विभाग द्वारा संशोधनाधीन।
										27-1-1984 से इकाई वाणिज्यिक घोषित की गई थी। लेखे महालेखा-नियंत्रक द्वारा अनुमोदित फारमेट में प्रस्तुत किए जाने हैं। फारमेट को अनुमोदन सितम्बर 1986 में महालेखा-नियंत्रक, नई दिल्ली से प्राप्त हुआ था। फारमेट को लागू करने की कार्यवाही उर्जा विभाग द्वारा की जा रही है।
										आंकड़े अलेखापरीक्षित लेखों पर आधारित हैं।
42.	नाभिकीय ईंधन कम्प्लेक्स, हैदराबाद	1984-85	22,56,72	18,81,07	91,07	(-),34,80	7,75,41	7,40,61	6.92	1-4-1984 से इकाई वाणिज्यिक घोषित की गई थी। फारमेट का अनुमोदन सितम्बर 1986 में महालेखा-नियंत्रक, नई दिल्ली से प्राप्त हुआ था। फारमेट को लागू करने की कार्यवाही उर्जा विभाग द्वारा की जा रही है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

रक्षा मन्त्रालय										
43.	कैन्टीन भंडार विभाग	1984-85	48,00	2,68,80	2,10,10	(+)12,93,24	3,33,84	(+)16,27,08	44.46	<p>(i) 1-4-77 से विभाग की निधि भारत की समेकित निधि में मिला दी गई है तथा लेनदेन रक्षा मन्त्रालय से संबंधित अनुदान में सिविल अनुमानों के माध्यम से किए जाते हैं। लेखे पुराने फायों में तैयार किए गए हैं तथा फायों का पुनर्संशोधन भारत सरकार के विचाराधीन है।</p> <p>(ii) वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ 1 (35) बी/71 दिनांक 23-1-74 में दिए गए अनुदेशों का पालन नहीं किया गया है एवं मीन पूंजी लेखे में नहीं दिखाई गई है। अतः मीन पूंजी पर प्रतिमान के उद्देश्य से (क) पूंजी (ख) निधियों तथा विशिष्ट आरक्षित निधियां एवं (ग) नियंत्रण सामान्य प्रयोजन निधि बोर्ड के अंश शेषों के औसत को अपनाया गया है।</p>

⊙ प्रोफार्मा लेखे वित्त कार्यालय ज्ञाप संख्या एफ (1) 35-बी/71 दिनांक 23.1.1974 में विहित क्रिया विधि के अनुसार तैयार नहीं किए गए हैं।

* मूल्य हास केवल इस वर्ष के लिए।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय

68. किराए के आवास पर 3.50 लाख रु. का परिहार्य व्यय

दक्षिण क्षेत्रीय केन्द्र, फिल्म विभाग, बंगलौर ने एक वैयक्तिक भवन में 18,880 रु. माहवार किराए पर 23 मई 1983 से लगभग 6000 वर्ग फुट जगह मुख्यतः आर.सी. रिकार्डिंग एवं पूर्व निरीक्षण कक्ष के निर्माण हेतु पट्टे पर ली। आकाशवाणी, बंगलौर के निर्माण खंड ने मई 1983 में प्रस्तावित निर्माण के लिए 10.55 लाख रु. की राशि का अनुमान दिया। अक्टूबर 1983 तक यह पता चल गया कि मन्त्रालय एक निजी भवन में सिविल कार्य कराने के लिए इतनी बड़ी राशि संस्वीकृत करने के पक्ष में नहीं था। तब भी पट्टे पर लिए गए स्थान पर कब्जा जारी रखा गया। इसी बीच, 26 अगस्त 1984 से लगभग 2,000 वर्गफुट स्थान में एक अन्य कार्यालय के साझेदारी कर ली गई। अन्ततः 15 जनवरी 1985 को पूरा स्थान पट्टेदार को सौंप दिया गया।

किराए के स्थान पर सिविल कार्य कराने का अप्रामाणिक प्रस्ताव एवं यह जान लेने के बाद, कि इस प्रस्ताव को मन्त्रालय की स्वीकृति मिलने की सम्भावना नहीं है, भी जगह को खाली करने में एक वर्ष तीन माह से अधिक की देरी होने के फलस्वरूप भवन के किराए पर लगभग 3.50 लाख रु. का परिहार्य व्यय हुआ।

मन्त्रालय ने बताया (अप्रैल 1986) कि यह विषय, प्रशासकीय निर्णय पर निर्भर था और किराए के स्थान को खाली करने में जान बूझकर कोई देरी नहीं हुई थी।

परिवहन मन्त्रालय

69. प्रकाश स्तम्भ तथा दीप नौका विभाग के कार्य चालन

69.1. प्रस्तावनात्मक

परिवहन मन्त्रालय के अन्तर्गत (इसके बाद जो विभाग कहलायेगा) प्रकाश स्तम्भ तथा दीप नौका विभाग को देश की 8000 किमी. लम्बी समुद्रीय सीमा के साथ, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में स्थित द्वीपों के साथ नाविकों की सुरक्षा को सम्मिलित करते हुए प्रकाश स्तम्भों के प्रावधान, रखरखाव तथा नियंत्रण से सम्बन्धित कार्य सौंपा गया है। जबकि 'सामान्य' प्रकाश स्तम्भों का प्रावधान निरीक्षण तथा प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है, स्थानीय प्रकाश स्तम्भों के बारे में जिम्मेदारी अलग अलग स्थानीय प्राधिकरणों जैसे राज्य सरकारों, पोर्ट ट्रस्टों तथा दूसरों की है।

69.1.1. जब देश स्वतंत्र हुआ तो विभाग के पास 17 सामान्य प्रकाश स्तम्भ थे। जहाज रानी सम्बन्धी साधनों की संख्या बढ़ कर 254 हो

गई थी (30.9.1986 को), जिस में 152 प्रकाश स्तम्भ, 1 प्रकाश पोत, 13 कोहरा संकेत, 14 रेडिओ संकेत दीप 12 डेका मार्ग निर्देशक, जंजीर (डी एन सी) स्टेकन, 11 रैकन, 12 लाइटबोया तथा 39 प्रकाश स्तम्भों के साथ संचार व्यवस्था कायम रखने के लिए अति उच्च आवृत्ति के रेडियो टेलीफोन सैट शामिल हैं। विभाग प्रकाश स्तम्भों की देख रेख के लिए 11 पोत भी रखता है जिन में से दो विशाल समुद्र में चलने वाले पोत हैं, एम वी सागर दीप तथा एम वी प्रदीप।

69.1.2 रखरखाव, मरम्मत तथा अतिरिक्त पुर्जों तथा उपकरण के छोटे हिस्सों के सूक्ष्म निर्माण के लिए विभाग के पास बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, जामनगर तथा पोर्ट ब्लेयर में पांच प्रकाश स्तम्भ वर्कशाप है। कलकत्ता में विभाग की प्रकाशीय अनुसंधान तथा जांच प्रयोगशाला प्रकाशीय उपकरण के मूल अनुसंधान तथा निष्पादन मूल्यांकन के हेतु है। लाइटकीपर के रूप में सेवा के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने हेतु तथा कार्यरत कर्मचारियों को पुनश्चर्चा प्रदान करने के लिए भी, कलकत्ता में एक प्रशिक्षण केन्द्र भी चलाया जाता है।

69.1.3 छः प्रकाश स्तम्भ जिले हैं, जिनके मुख्यालय जामनगर, बम्बई, कोचीन, मद्रास, कलकत्ता तथा पोर्ट ब्लेयर में हैं तथा प्रत्येक का पदभार एक निदेशक के नीचे होता है।

69.1.4 1927 में बनाए गए प्रकाशस्तम्भ कानून के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को प्रकाश स्तम्भ प्रदान करने, रखरखाव करने के उद्देश्य से प्रकाश शुल्क लगाने व संग्रह करने का अधिकार दिया गया है। राजस्व लेखे पर कार्य प्रणाली तथा दूसरे खर्चों पर व्यय वहन करने के पश्चात फालतू को केन्द्रीय सुरक्षित निधि में डाल दिया जाता है तथा विभाग की विकास योजनाओं को वित्त प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पीछे 1978 में प्रकाश शुल्क दरें समुद्र में जाने वाले जहाजों के 1.50 रुपये प्रति टन चलने वाले पोतों के अतिरिक्त तथा चलने वाले पोतों के लिए 6 पैसे प्रति टन संशोधित की गई थी। ये 5.3.1986 से क्रमशः 4.00 रुपये प्रति टन तथा 10 पैसे प्रति टन बढ़ा दी गई थी।

69.2. 1975-76 से 1985-86 की अवधि के दौरान प्रकाश स्तम्भ तथा दीप नौका विभाग की कार्य प्रणाली का पुनर्वालीकन किया गया था तथा देखी गई मुख्य बातें अनुवर्ती अनुच्छेदों में दी हुई हैं।

69.2.1 विभाग की परियोजनाओं में प्रकाश स्तम्भों कार्यालय तथा आवास भवनों का निर्माण रेडियों संकेत दीपों, रैकनों, लाइटबोया की प्राप्ति तथा स्थापना, और डी एन सी स्टेशनों की स्थापना शामिल है। संस्वीकृत योजनाओं के ब्यौरे पांचवीं, छठी तथा सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं में किये गये प्रावधान लागत वास्तव में खर्च की गई राशि, तथा वास्तव में निष्पादित

की गई एक अगली पंचवर्षीय योजना में ले जाई गई परियोजनाएं निम्न प्रकार है:-

योजना का संदर्भ	हाथ में ली गई योजनाओं की संख्या	लागत (लाख रुपयों में)	पूरी की गई योजनाएं	योजना के अन्त तक व्यय की गई राशि (लाख रुपयों में)	परियोजनाएं जो अगली योजना में ले जाई गई
पांचवी योजना					
(1) चौथी योजना तक ली गई/फैली हुई परियोजनाएं	46		17		29
(ii) नई परियोजनाएं	10	1200.00	1	935.92	9
	<u>56</u>	<u>1200.00</u>	<u>18</u>	<u>935.92</u>	<u>38*</u>
* इन 38 परियोजनाओं में से 3 परियोजनाएं छठी योजना की अवधि के दौरान निधियों की कमी के कारण निकाल दी गई थी					
छठी योजना					
(i) फैली हुई परियोजनाएं	35	829.77	27	1068.00	8
(ii) नई परियोजनाएं	19	370.68	9		10
	<u>54</u>	<u>1200.45</u>	<u>36</u>	<u>1068.00</u>	<u>18</u>
सातवी योजना					
(i) फैली हुई परियोजनाएं	18	245.00	10	—(क)	8
(ii) नई परियोजनाएं	13	2755.00	—	—(क)	2(ख)
	<u>31</u>	<u>3000.00</u>	<u>10</u>		<u>10</u>

(क) व्यय आंकड़े उपलब्ध नहीं

(ख) 13 परियोजनाओं में से केवल 2 परियोजनाएं अब तक स्वीकृत हुई हैं तथा शुरू की गई हैं।

यह देखा जायेगा कि विभाग दोनों पांचवी तथा छठी पंचवर्षीय योजनाओं में प्रावधित लागत को व्यय करने में असमर्थ था। पांचवी तथा छठी पंचवर्षीय योजनाओं में शुरू की गई 110 परियोजनाओं में से 54 परियोजनाएं वास्तक में पूर्ण की गई थी तथा 18 अपूर्ण परियोजनाएं सातवी पंचवर्षीय योजना में ले जाई गई थी जिन में चौथी योजना की चार परियोजनाएं, पांचवी योजना की चार परियोजनाएं तथा छठी योजना की 10 परियोजनाएं शामिल थीं। फैली हुई तथा नई परियोजनाओं के लिए व्यय का ब्यौरा उपलब्ध नहीं था।

18 परियोजनाओं में से 8 परियोजनाएं अभी भी प्रगति में थीं (अगस्त 1986) जिसमें दिसम्बर 1973 तथा जनवरी 1976 में संस्वीकृत की गई दो परियोजनाएं शामिल थीं। उन में से पिछली होजीमाता में एक प्रकाश स्तम्भ की स्थापना से सम्बन्धित थी (जनवरी 1976 में संस्वीकृत) जिस पर कार्य अभी शुरू करना था (अक्टूबर 1986) क्योंकि प्रकाश स्तम्भ के एक स्थल का चुनाव केवल 8.4.1986 को ही किया गया था।

69.2.2 जहाज रानी सम्बन्धी साधनों के बारे में आठ परियोजनाएं लेखापरीक्षण में विस्तृत विश्लेषण के लिए चुनी गई थी। इन परियोजनाओं के विवरण परिशिष्ट VII में दिये गये हैं। निम्न विशेषताएं देखी गई थीं:-

- (i) इनकी स्वीकृति के समय परियोजनाओं के प्रारम्भ तथा पूर्ण होने की निर्धारित तिथि निश्चित नहीं की गई थी। किन्हीं समय

सूचियों के अभाव में परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति विभाग द्वारा जांच नहीं की जा सकी।

- (ii) परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब 5 से 15 वर्षों तक का रहा था।
- (iii) बहुत सी परियोजनाओं के पूर्ण होने के लिये विलम्ब के कारण बताए गए थे:
- कर्मचारियों व सामग्री को ले जाने के लिए माल पोत की अनुपलब्धता,
 - लेवी सीमेन्ट, सामग्री तथा श्रमिक की अनुपलब्धता,
 - प्राकृतिक आपदाएं जैसे तूफान, भारी मौनसून, आदि, तथा
 - उपकरण की प्राप्ति में विलम्ब,
- (iv) परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब के कारण सात परियोजनाओं (जो पूर्ण हो चुकी थी) का वास्तविक व्यय अनुमानित लागत 137.20 लाख रुपये (अनुबन्ध-VII) में 260.54 लाख रुपये (अनुमानित लागत का 190 प्रतिशत) बढ़ गया था।

विभाग ने बताया (अगस्त 1984) कि स्थिर रूप से ली गई परियोजनाओं में प्रकाश स्तम्भों के निर्माण के लिए भूमि पर कब्जा भी शामिल था और जब तक यह भूमि प्राकृतिक रूप से ली गई, कार्य प्रारम्भ करने की निश्चित तिथि निर्धारित नहीं की जा सकी। जहां तक पूर्ण करने की निश्चित तिथियां

का सम्बन्ध है, यह बताया गया था कि ये भूतकाल में दर्शायी नहीं गई थी, परियोजनाओं के सम्बन्ध में व्यय को प्रायः चरणों में बांटा गया था तथा परियोजनाओं को पूर्ण करने के लक्ष्य व तिथियों को निश्चित करना अब शुरू कर दिया गया था।

यह देखा गया था कि परिशिष्ट VII में सूचिबद्ध किए गए क्र.स. 1 से 7 तक के मामलों में कोई भूमि अधिग्रहण का मामला अन्तर्ग्रस्त नहीं था तथा रचना में परिवर्तन, पोत के मूल्य में वृद्धि का निश्चय न कर पाना (लगभग 10 वर्ष तक) स्थल को खोलने में विलम्ब, बिजली आपूर्ति प्राप्त करने, आदि के कारण विलम्ब था।

69.3. कार्यक्रम का आधुनिकीकरण

विभाग ने पुरानी तकनीकी पर आधारित वर्तमान सब इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए निश्चित तिथि/वर्ष के अन्त तक एक शृंखलाबद्ध कार्यक्रम तैयार नहीं किया है। जहाज रानी सम्बन्धी इकाइयों (प्रकाश स्तम्भों, रैकनों, संकेत दीपों डी एन सी आदि) का आधुनिकीकरण जैसे ही जब भी आवश्यकता हुई प्रारम्भ किया गया था।

छठी योजना (1.4.1980 से 31.3.1985) के दौरान प्रकाश स्तम्भों का सुधार किया गया था तथा 23 प्रकाशस्तम्भ, 6 रैकन, 7 मोल्लिड स्टेट रेडियो संकेत दीप और 11 बाइ शामिल किए गए थे। तथापि 152 प्रकाश स्तम्भों में से अब तक 84 गैस से/मिट्टी-तेल से चलाए जाते थे।

69.4 संचालन दक्षता

69.4.1 13 कोहरा संकेत तथा 152 द्वीप प्रकाश स्तम्भों/ मुख्य भूमि प्रकाश स्तम्भों में से 3 कोहरा संकेत तथा 14 प्रकाश स्टेशन/प्रकाश स्तम्भ विभिन्न कारणों हेतु जैसे उपकरणों में मशीनी कर्मियां या इसका भंग होना, स्टाफ की अनुपलब्धता, आदि जैसे परिशिष्ट VIII में दिये गये 1977-78 से 1984-85 के दौरान 30 दिन से 403 दिन तक की लम्बी अवधियों के लिये असक्रिय रहे थे।

मामले जिनमें प्रकाश स्तम्भ 200 दिन से अधिक असक्रिय रहे थे जांच किये गये थे तथा इसको निम्न प्रकार पाया गया था:—

(i) समियानी प्रकाश स्तम्भ

उप महानिदेशक (डी डी जी) (सिविल) जामनगर ने प्रकाश स्तम्भ का 29 जून 1982 को दौरा किया तथा पाया कि प्रकाश स्तम्भ में प्रयोग की जाने वाली लालटेन 1881 में निर्मित की गई थी, जो 100 वर्ष से अधिक पुरानी व दयनीय स्थिति में थी, तथा बदली की आवश्यकता में थी। इसके ठीक एक महीने बाद, 24 जुलाई 1982 को प्रकाश स्तम्भ बुझा हुआ सूचित किया गया था और 28 फरवरी 1983 अर्थात् 219 दिन के बाद दोबारा जलाया गया था।

पुरानी लालटेन (1881 में निर्मित) अन्त में 30.1.1986 का नई लालटेन से बदल दी गई थी।

(ii) पीरम कोहरा संकेत

पीरम में कोहरा संकेत ने दोनों प्रत्यावर्तियों में देखी गई कर्मियों के कारण सितम्बर 1977 से कार्य नहीं किया। तथापि, अगस्त 1978 में केवल लगभग 12 महीनों पश्चात् एक यंत्रविद नियुक्त किया गया जिसने बताया कि कमी ट्रांजिस्टराइन्ड ऊर्जन करन्ट में थी जिसके लिए कुछ हिस्से बदलने की आवश्यकता थी। 29 सितम्बर 1978 को यह महाविदेशक (डी.जी.) को बताया गया था कि किसी यंत्रविद (विद्युतीय) को नियुक्त करना संभव नहीं था चूंकि सभी यंत्रविद सलाया डी एन सी कार्य में व्यस्त थे। अन्त में, कोहरा संकेत 21 अक्टूबर 1978 को फिर चालू कर दिया गया। मंत्रालय ने बताया (मार्च 1986) कि मौनसून के दौरान द्वीप प्रकाश स्तम्भ पर कोई नाव या पोत नहीं जा सका और खराब हो जाने की स्थिति में वह केवल साफ मौसम के शुरू हो जाने के बाद ही ठीक किया जा सका तथा इस प्रकार से ये खराबियां अपरिहार्य थीं।

69.4.2 मरम्मत कार्य को करने के विलम्ब के लिए निम्न कारण उत्तरदायी हो सकते थे:

— मरम्मत कार्यों के करवाने के लिये क्षेत्रीय निदेशकों को प्रदत्त अधिकारी की अपर्याप्तता।

— तकनीशियनों तथा उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण तालिका का अनुपालन न करना जैसा कि अनुवर्ती अनुच्छेदों में विचार किया गया है।

69.4.3 समय समय पर विभाग द्वारा जारी किये गये आदेशों के अन्तर्गत तकनीशियनों द्वारा (वार्षिक, अर्धवार्षिक या त्रैमासिक) जिला अधिकारियों द्वारा (त्रैमासिक) (जिले के निदेशकों द्वारा) (वार्षिक) तथा उप महा निदेशक द्वारा (दो साल में एक बार) रखरखाव के लिए सांवाधि जांच तथा विभिन्न प्रकार के प्रकाश स्तम्भ उपकरणों के निरीक्षण पर विचार करना था।

1983, 1984 तथा 1985 के दौरान जिले के बारे में अनुपालन स्टाफ (तकनीशियनों) द्वारा तथा जिला अधिकारियों (निदेशकों) के अतिरिक्त द्वारा विभाग के सभी प्रतिष्ठानों के मामले में निदेशकों तथा उप महानिदेशकों द्वारा की गयी नमूना जांच से निम्न बातें प्रकट हुई:—

(क) 1985 कैलेन्डर वर्ष के दौरान कुल 29 प्रकाश स्तम्भों में से तकनीशियनों द्वारा आठ प्रकाश स्तम्भों का निरीक्षण नहीं हुआ। पिछली बार जिन तिथियों पर निरीक्षण किया गया था पता नहीं लगाया जा सका चूंकि पूर्व वर्षों से सम्बन्धित फाईल लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

(ख) जिल अधिकारियों (निदेशकों के अतिरिक्त) ने अधिकतम मामलों में प्रकाश स्तम्भों के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण वर्ष में एक या दो बार किया तथा वर्ष में चार बार नहीं, जैसा कि निर्धारित था। इसके अतिरिक्त 1983, 1984 एवं 1985 के दौरान 14 प्रकाश स्तम्भों का निरीक्षण तीन वर्ष तक (6), दो वर्ष तक (5) तथा एक वर्ष तक (3) नहीं किया गया था।

(ग) 1983, 1984 एवं 1985 में विद्यमान 139,144 तथा 146 स्टेशनों/प्रतिष्ठानों में से केवल 53 (38.1 प्रतिशत) 65 (45.1 प्रतिशत) तथा 68 (46.6) प्रतिशत स्टेशन/प्रतिष्ठान क्षेत्रीय निदेशकों द्वारा 100 प्रतिशत की आवश्यकता के प्रति निरीक्षण किये गये थे। जहां निरीक्षण दो या अधिक वर्षों के बाद किया गया उनकी संख्या दर्शायी गई है:-

क्षेत्र	इतने अधिक वर्षों के पश्चात		
	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष
मौराष्ट्र	9	2	6
कोचीन	11	4	
बम्बई		4	
कलकत्ता			9

टिप्पणी:- पोर्ट ब्लेयर क्षेत्र की सूचना उपलब्ध नहीं थी।

1982, 1983 तथा 1984 के दौरान (1985 की सूचना उपलब्ध नहीं थी) उप महानिदेशक ने कुल स्टेशनों/प्रतिष्ठानों के 50 प्रतिशत होने के नाते 64, 69 तथा 72 की आवश्यकता के प्रति केवल 18 (28.1 प्रतिशत) 21 (30.4 प्रतिशत), तथा 11 (15.3 प्रतिशत) स्टेशनों/प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया था।

विचार विमर्श के दौरान यह बताया गया था कि जबकि 1975 में संस्वीकृत किए गए तकनीशियनों (105) के पद अब तक जारी हैं, प्रतिष्ठानों की संख्या 1975 में 128 से बढ़कर 1986 में 215 हो गई थी। अतः तकनीकी स्टाफ कार्यों को पूर्ण करने में समर्थ नहीं था। अक्टूबर 1985 में अतिरिक्त स्टाफ के लिए प्रस्ताव मंत्रालय को भेजे गये थे। कार्मिक विभाग सिद्धान्त रूप से स्टाफ बढ़ाने हेतु सहमत हो गया था तथा मामला अब वित्त मंत्रालय के विचाराधीन था।

69.4.4 पोतों/लांचों का संचालन विभाग के पास 11 पोत/लांच हैं। इन लांचों/पोतों का पूर्ण नियन्त्रण महानिदेशक के अधिकार में है। अभिलेखों की नमूना जांच में निम्न बातें सामने आयीं:-

(क) मोटर लांच फाल्स पोइन्ट

96,353 रुपयों की लागत पर मार्च 1957 में खरीदी गई मोटर लांच फाल्स पोइन्ट अप्रैल 1970 में पूर्ण जीर्णोद्धार के लिए कलकत्ता लाई गई थी। सिविल इंजिनियर (प्रकाश स्तम्भ तथा प्रकाश पोत) कलकत्ता ने बताया (सितम्बर 1970) कि पुरानी लांच को मरम्मत करना आर्थिक रूप से सम्भव नहीं होगा तथा इसका निपटारा कर दिया जाए। इसके बावजूद 1972 में 1.28 लाख रुपये के व्यय पर लांच की मरम्मत की गई थी। लांच पुनः 18 दिसम्बर 1973 को खराब हो गई तथा 1975 में 15,500 रुपयों की लागत पर मरम्मत करवाई गई थी। लांच (मार्च 1976 में पुस्तांकन मूल्य 16,163 रुपये) 1976 से बेकार पड़ी थी। इस लांच की अनुपस्थिति में कार्य नावों को किराए पर लेकर किया गया था तथा 1976 से मार्च 1983 तक 7

वर्षों में 11,640 रुपये का व्यय किया गया था। चूँकि नावों को किराए पर लेना अधिक किफायती था 1972 तथा 1975 में मोटर लांच की मरम्मत पर किए गए 1.43 लाख रुपये व्यय के औचित्य की आवश्यकता थी इसके अतिरिक्त, विभाग ने कर्मिंदल के 4 सदस्यों के वेतन एवं भत्तों पर 3.20 लाख रुपयों का व्यय भी किया जब कि लांच दिसम्बर 1975 से मार्च 1986 तक बेकार रही।

मरकनटाइल मैरिन डिपार्टमेंट सर्वेयर (जिसने 26 अक्टूबर 1983 को लांच का निरीक्षण किया था) की सिफारिश पर एम.एल. फाल्स पोइन्ट आपूर्ति एवं निपटान के महानिदेशक (आ.नि.म.नि.) के सुझाव पर विभाग द्वारा निर्मित कमेटी द्वारा इंजन व उपकरणों के बिना फरवरी 1986 में हुई नीलामी में 1,500 रु. के लिये निपटान कर दी गयी थी।

(ख) एम.वी.दीप स्तम्भ (40 वर्ष के अनुमानित जीवन के साथ 7.96 लाख रुपये के मूल्य पर 1963 में खरीदी गयी) अप्रैल 1977 से नवम्बर 1977 तक तथा पुनः अप्रैल 1978 से अप्रैल 1980 तक (कुल 3 महीने) पोत के लिए मास्टर तथा चोक उपलब्ध न होने के कारण असंचालित रही।

जुलाई 1981 में इस पोत की आवरण व टारफेल्ट की ताम्बे की प्लेटें तथा प्लेटों के बीच लगी हुई आवरणों की बदली की आवश्यकता थी। (अनुमानित व्यय 2 लाख रुपये)। मरम्मत के आर्थिक पहलुओं पर अध्ययन करने के पश्चात अर्थात् पोत के निपटान, पोत के जैनेरेटर की मरम्मत करने का निश्चय किया गया था (जुलाई 1982), पूछताछ करने पर (जुलाई 1982), यह पाया गया था कि मरम्मत कार्य करने के लिए कोई फर्म राजी नहीं थी।

अगस्त 1983 में (अर्थात्, जब पोत का आधा अनुमानित जीवन पूरा हो गया था) पोत को फालतू घोषित कर दिया गया था तथा इसको म. नि. आ. एवं नि. के माध्यम से निपटारा करने हेतु निश्चय किया गया था। तथापि इसका कार्यान्वयन नहीं किया गया था तथा अक्टूबर 1984 में उम समय की पुस्तांकन मूल्य (अर्थात् 4.58 लाख रुपये) से सम्बन्धित मरम्मत की संभावना जीवन क्षमता जांच करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की गई थी, अर्थात् इसका निपटान जैसा है जहां है के आधार पर तथा कमेटी ने (अक्टूबर 1985) सिफारिश की कि इसी प्रकार के नए पोत प्राप्त करने की लागत को ध्यान में रखते हुए कमेटी का विचार है कि केवल मरम्मत के मूल्य के कारण एम वी दीप स्तम्भ को हटाने के लिए परामर्श देने की स्थिति में नहीं है। इसी प्रकार के पोत की नई प्रगति की लागत पर विचार करते हुए एक नए निर्माण प्राप्त करने के लिये समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मरम्मतें अमितव्ययी नहीं लगती हैं।

सितम्बर 1986 में विभाग ने एम.वी. दीप स्तम्भ की मरम्मत तथा रखरखाव के लिए संस्वीकृति प्रदान की (4.05 लाख रुपये)।

विभाग की ओर से इतने लम्बे समय तक निर्णय न लिये जाने के कारण जुलाई 1981 से दिसम्बर 1985 के दौरान पोत पर लगाए गए स्टाफ के वेतन एवं भत्तों के लिये 1.44 लाख रु. तथा 1977-78 से 1984-85 के दौरान नावों के लिए किराए पर लेने के लिये 2.88 लाख रु. व्यय किए गए थे।

(ग) एम.एल. वेंगुरला के लिए इंजनों की बदली

मार्च 1975 में मझगांव डोक्स लिमिटेड, बम्बई (एम.डी.एल.) ने एम.एल. वेंगुरला के दो इंजनों की बदली की सिफारिश की (1950 में 2.18 लाख रुपयों की लागत पर खरीदी गई) पोत अगस्त 1977 में एम.डी.एल. को सौंप दिया गया था। नवम्बर 1977 में किलोस्कर बनावट के इंजनों के प्रतिस्थापन की लागत 3.66 लाख रुपये निर्धारित की गई थी। विभाग, ने बाद में (जून 1978) इंजन का प्रतिस्थापन अशोक लीयलैंड इंजन (मूल्य 3.02 लाख रुपये) से करने के लिये विचार किया तथा बाद में दुबारा (नवम्बर 1978) मेसर्स रुस्तन एण्ड होरन्वाई द्वारा निर्मित 6 टाईप इंजन वाई डी ए द्वारा प्रतिस्थापन करने पर विचार किया। अन्ततः जुलाई 1980 में 4.60 लाख रु. की अनुमानित लागत पर डेविट ब्राउन एम-300 गियर बोक्सीज को लिए जाने का निश्चय किया था।

31.12.1984 को एम.एल.डी. द्वारा पोत समुद्रीय योग्यता हेतु प्रमाणित कर दिया गया था तथा 28.5.1985 को जामनगर स्थानान्तरित कर दिया गया था। विभाग ने प्रतिस्थापन हेतु इंजन के प्रकार का निर्णय करने के लिए 5 वर्ष (मार्च 1975 से जुलाई 1980) लिए जिसके फलस्वरूप लांच अगस्त 1977 से दिसम्बर 1984 तक (89 महीने) मरम्मत के अन्तर्गत रहा तथा उस अवधि के लिए 9 कर्मियों के वेतन एवं भत्तों पर 3.81 लाख रुपये का व्यय किया गया था।

मंत्रालय ने बताया (मार्च 1986) कि पोत की सुरक्षा को सुनिश्चित रखने के लिए बोर्ड पर चौबीस घंटे लगातार देखभाल करना जरूरी था तथा इसलिए यद्यपि पोतन निष्क्रिय रहा कर्मियों के वेतन एवं भत्तों पर व्यय अपरिहार्य था।

69.5. कोहरा संकेतों के रखरखाव पर परिहार्य व्यय

क्षेत्रीय निदेशक, जामनगर द्वारा 11 दो दशक पुराने कोहरा संकेतों (ध्वनि संकेतों) को बन्द करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था (मई 1985)। विभाग द्वारा सी.ए.सी.एल. प्रस्तुत की गई (दिसम्बर 1985) टिप्पणी में यह उल्लेख किया गया था कि प्रतिस्थापन के ऊँचे मूल्य को तथा आधुनिक इलक्ट्रॉनिक जहाज रानी सम्बन्धी सामग्री प्रचलित हो चुकी थी के तथ्य को दृष्टि में रखते हुए पुराने उपकरणों के बदले नया उपकरण प्राप्त करना तथा 13 कोहरा संकेतों को आगे चालू रखना अब जरूरी नहीं थी। सी.ए.सी.एल. ने महसूस किया कि कोहरा संकेतों को बन्द करने की संभावना को जांच करने के लिए सम्बन्धित विभाग का परामर्श आवश्यक होगा।

भारत सरकार के मुख्य समुद्री सलाहकार ने 13 कोहरा संकेतों को बन्द करने के लिये अपनी संस्वीकृत प्रदान की, जब कि मुख्य जलसर्वेक्षक, देहरादून ने 26 जुलाई 1984 को पीरम द्वीप, सवाइवेठ, हुमानी पोइन्ट आंलग नविनाल पोइन्ट तथा वेरावल पर 6 संकेतों को रखने तथा मांडवी जाफराबाद, जागरी द्वीप, द्वारका पोइन्ट, दीपू हैड भक्तल तथा वागापुर पर बाकी 7 संकेतों को बन्द करने का सुझाव दिया। अब तक कोहरा संकेतों को बन्द करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। (सितम्बर 1986) तथा जिसके रखरखाव के लिए 42,900 रुपये का व्यय प्रतिमास लगातार किया जा रहा था।

69.6. क्षतिग्रस्त रैक मार्कवाली बाइज की स्वीकृति के कारण हानि

1963 में प्रस्तुत किये गए मांग पत्रों के प्रति (निविदा स्वीकृति का पत्र अक्टूबर 1965 में जारी किया गया) 6 रैक मार्कवाली बाइज महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान के माध्यम से 24.72 लाख रुपये की लागत पर आयात की गई थी (फरवरी 1970)। आपूर्ति की शर्तों में यह प्रावधान किया गया था कि उपकरण के स्थल पर प्रतिस्थापित करने के 12 कैलेन्डर महीनों के बाद संभरक ठीक प्रयोग में आयी गई कमियों के लिये जिम्मेदार होगा तथा वे ऐसी कमियों को अपने मूल्य पर दूर करेंगे। इन में चार बाइज मद्रास रख ली गई थी तथा दो को जामनगर भेज दिया गया था। मई 1971 में एक बाई जो सैकरामांटो शोल पर स्थित की गई थी, टेल तथा बलस्ट वेट गुम हुई बाद में उल्टी तैरती पाई गई थी। दूसरी बाई जो अगस्त 1973 में उसी स्थिति में लगाई गई थी एक महीने अन्दर ही बह गई। बाइज में कमियाँ 24.8.1972 को विभाग द्वारा संभरकों (पेरित में स्थित फर्म) को तथा 16 अक्टूबर 1973 को महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान द्वारा सूचित की गयी थी। डिजाइन निहित कमियों के कारण शेष बाइजों को उपयोग में नहीं जा सका। सब बाइज (4 मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के अहाते में तथा 2 कांडला) में पड़ी हुई इन सब वर्षों में अपने विशाल आकार (3.6 मीटर व्यास) तथा भार (8/9 टन) के कारण खुले में पड़ी हुई थी। जनवरी 1986 में विभाग ने आपूर्ति विभाग को बताया कि बाइजों को लम्बी अवधि तक खुले में भंडारण करने तथा हल्की इस्पात प्लेटों में अपघर्षण में हुई कुदरती कमी के कारण इन बाइजों के लिए आगे की मरम्मत/संशोधन किफायती सिद्ध नहीं होंगे।

मंत्रालय द्वारा यह बताया गया था (मार्च 1986) कि विदेशी फर्म द्वारा संभारित उपकरणों के बारे में जिस में रैक मार्कवाली बाइज भी शामिल थी, महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान द्वारा शुरू किया गया एक विवाद दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन था। वर्तमान संकेतों के अनुसार भारत में विदेशी संभरक मरम्मतों (क्षतिग्रस्त उपकरण की) का प्रबन्ध करेंगे। बाइज में क्षतियों के संशोधन फर्म के पास विचाराधीन होने के कारण महा निदेशक आपूर्ति एवं निपटान ने कुछ भुगतान (3.80 लाख फ्रेंच फ्रैंक) रोक दिये। तथातः अभी तक (सितम्बर 1986) कोई मरम्मत कार्य नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि शायद फर्म मरम्मत कार्य न करें क्योंकि विभाग, मई 1971 में इसके स्थल पर स्थापना के 12 महीनों के अन्दर बाइज में कमियों को सूचित करने में असमर्थ रहा था। जुलाई 1985 में केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ने सम्बन्धित फाइलें/दस्तावेज कब्जे में ले लिए थे क्योंकि विभागीय अधिकारी बैंक गारन्टी की मान्यता के अन्दर क्षतिग्रस्त उपकरण के लिए दावे के आवेदन करने में असमर्थ रहे थे।

अगस्त 1986 में विभाग ने महानिदेशक संभरण एवं निपटान को बताया कि बाइज की मरम्मतों के लिए जब विभागीय अधिकारियों ने पोर्ट ट्रस्ट, मद्रास के अहाते का दौरा किया (अप्रैल 1986 में) तो वहां कोई भी संग्रह की गई सामग्री नहीं मिली थी तथा यह मालूम हुआ था कि पोर्ट ट्रस्ट अधिकारियों ने बाइजों को विना दावे का स्टोर समझ कर मार्च 1985 में नीलाम कर दिया था। बाइजों को वापिस प्राप्त करने के लिए विभाग की प्रार्थना पर उनको नीलाम की गई वस्तुओं को वापिस करने हेतु खरीदारों के विरुद्ध पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकारियों ने एक मुकदमा दायर किया (मई 1985)

विभाग ने मद्रास में चार बाइजों के भंडारण के लिए जून 1974 से मार्च 1985 की अवधि के लिए मद्रास पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकारियों को 1.18 लाख रुपये तक की राशि का किराए के रूप में भुगतान किया था।

25.90 लाख रुपयों का व्यय (24.72 लाख रुपये बाइजों का मूल्य जमा 1.18 लाख रुपये बाइजों के भंडारण के लिये किराया का भुगतान) बेकार सिद्ध हुआ था क्योंकि बाइजों का उपयोग अब तक न हो सका (सितम्बर 1986)।

69.7. संचालन परिणाम

विभाग के आर्थिक परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1983-84 हेतु तैयार किए गए प्रोफार्मा लेखों की जांच से निम्न कमियां प्रकट हुईं:-

- (क) 1977-78 से 1983-84 के लिए विभाग के प्रोफार्मा लेखों ने 1977-78 में 48.68 लाख रु. की शुद्ध बचत दर्शायी, जो 1982-83 में धीरे धीरे 277.71 लाख रुपये हो गई थी। 1983-84 में यह अचानक 75.10 लाख रुपये गिर गई थी।

1983-84 में आकस्मिक गिरावट के कारणों का विश्लेषण करने पर यह पाया गया था कि 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 वर्षों के लिये पूंजी पर व्याज जो क्रमशः 106.25 लाख रुपये, 118.88 लाख रुपये, 129.66 लाख रुपये, 148.51 लाख रुपये, 168.46 लाख रुपये तथा 189.56 लाख रुपये बना था, प्रोफार्मा लेखों में क्रमशः 64.25 लाख रुपये, 68.88 लाख रुपये, 63.66 लाख रुपये, 88.08 लाख रुपये, 119.99 लाख रुपये तथा 144.10 लाख रुपये कम दर्शाया गया था। प्रोफार्मा लेखों में 1982-83 में किए गए 43.94 लाख रुपये के प्रति 1983-84 में 242.60 लाख रुपयों के प्रावधान के परिणामस्वरूप 1983-84 में शुद्ध बचत में गिरावट आई थी। मंत्रालय ने बताया (मार्च 1986) कि पिछले ढेर को 1983-84 में शुरू करके 10 वर्षों में समाप्त करने का निर्णय किया गया था।

पूर्व वर्षों में सरकारी पूंजी पर व्याज के कम प्रावधान ने विभाग के कार्य विवरण की भ्रामक तस्वीर प्रदान की थी। इसके परिणामस्वरूप विभाग पहले से ही देय प्रकाश की दरें बढ़ाने पर विचार नहीं कर सका। विभाग के मई 1984 में किए गए वित्तीय पुनर्वालोकन के पश्चात यह जून 1984 में किया गया था (5.3.86 से लागू बढी हुई दरें फरवरी 1986 में अनुमोदित की गई थीं)।

- (ख) अवमूल्यनसम्पत्ति के स्थापित करने के वर्ष से प्रदान नहीं किया गया था बल्कि अनुवर्ती वर्ष से इसके फलस्वरूप, 3.23 लाख रुपये तक अवमूल्यन के रूप में कम प्रावधान हुआ।

- (ग) डी एन सी सहायकों पर अवमूल्यन 2 प्रतिशत की दर से प्रदान किया गया है (अर्थात्, अनुमानित जीवन 50 वर्ष मानते हुए), जबकि प्रकाश स्तम्भ लेखा नियमों के अनुसार इन उपकरणों का जीवन 15 वर्ष है, इस प्रकार से बचत को 151 लाख रुपये बढ़ा

दिया (31.3.1982 तक)। मंत्रालय ने बताया (मार्च 1986) कि निम्न प्रभारित अवमूल्यन 1985-86 से 5 वर्ष की अवधि में पूरा कर लिया जाएगा।

अचल सम्पत्ति रजिस्टर की जांच से निम्न त्रुटियां प्रकट हुईं:-

- (क) 31.3.1984 को प्रगतिरत विभिन्न कार्यों के मूल्य अचल सम्पत्ति रजिस्टर में दिखाये गये थे। कार्य के पूर्ण होने तक प्रगतिरत कार्यों को अचल सम्पत्ति रजिस्टर में नहीं दिखाया जाना चाहिए।

- (ख) अचल सम्पत्ति रजिस्टर में विभिन्न खाने अर्थात् खरीदने की तिथि, निर्माण, मूल लागत, नई सम्पत्ति के चालू होने की तिथि को मूल्य, किस से खरीदी गई अथवा किस के द्वारा निर्माण की गई बहुत से मामलों में, भरे नहीं गए थे।

- (ग) 1983-84 के दौरान मांडवी-टावर (ए-204) में 1.07 लाख रुपये का परिवर्धन था। 1,07,234.00 रुपये की सम्पूर्ण राशि (234.00 रुपये की शेष सहित) सम्पत्ति के सम्भावी जीवन पर राशि का प्रसार करने के बजाय उसी वर्ष में अवमूल्यन के रूप में बट्टे खाने में डाल दी गई थी।

- (घ) लोहवी-शोल-सारस टावर (इस्पात) जो 1976-77 में स्थापित किया गया था 1977-78 के दौरान समुद्री जल में बह गया था। सम्पत्ति का मूल्य (31.3.1984 को 7.10 लाख रुपये) बट्टे खाते में नहीं डाला गया था (अक्टूबर 1986)।

69.8. प्रशिक्षण केन्द्र

प्रकाश स्तम्भों पर जटिल उपकरणों को प्रयोग करने के लिए तथा तीव्र विकास के साथ चलने के लिए प्रकाश स्तम्भ के विभिन्न श्रेणियों के कार्मिकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु, 1960 से कलकत्ता में एक प्रशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहा था।

2250 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए पूर्व अनुमानित 75 कोर्सों के प्रति 1960 से सितम्बर 1986 तक 250 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए केवल 37 कोर्स किये गये थे। प्रत्येक कोर्स में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या अपेक्षित 30 के प्रति केवल 7 की औसत थी।

प्रशिक्षण के लिए व्यक्तियों को कार्यमुक्त करने हेतु क्षेत्रीय निदेशकों को सहायता देने के लिए प्रशिक्षण केन्द्र की स्टाफ आवश्यकता को द्वारा भरने तथा अतिरिक्त सुरक्षित पदों के सृजन करने का एक मामला अप्रैल 1983 में मंत्रालय को भेजा गया था। मंत्रालय के वित्त खंड ने पदों के सृजन पर अवरोध आदेश निहित होने के कारण इसको वापिस लिये जाने तक प्रस्ताव को विचाराधीन रखे जाने पर टिप्पणी करते हुए मामले को वापिस कर दिया (जनवरी 1984)।

उसके बाद मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है।

69.9. कार्यशालाओं का निष्पादन

69.9.01 विभाग की प्रत्येक पांच कार्यशालाओं में प्राप्त किए गए तथा निष्पादित हुए कार्यों की संख्या से सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि कुछ विशेष कार्यों को निष्पादन करने में कार्यशालाओं द्वारा विशेष समय लिया गया था। मद्रास कार्यशाला में तीन कार्य (अनुमानित लागत 1.27 लाख रुपये), 1975-76 में भेजा गया, एक कार्य (लागत 43,320 रुपये) तथा 1977-78 में भेजे गए दो कार्य (मूल्य 83550 रुपये) 1984-85 में पूर्ण हो गये थे। 1978-79 में भेजा गया दूसरा कार्य (लागत 53,740 रुपये) अभी पूरा किया जाना था (जून 1986)।

मंत्रालय ने बताया (मार्च 1986) कि क्योंकि तकनिशियनों को खराबी/सावधि/निवारक रखरखाव हेतु को दूर करने के लिए प्रायः भ्रमण पर जाना होता था, आरम्भ किए गए उत्पादन कार्यों को जारी नहीं रखा जा सका और इसलिए उनके पूर्ण करने में विलम्ब हुआ। यह भी आगे बताया गया था कि यद्यपि मद्रास कार्यशाला में तकनिशियनों तथा कनिष्ठ तकनिशियनों की संख्या अपरिवर्तित रही थी कार्यशाला का कार्यभार बढ़ गया था तथा वर्तमान स्थल पर नए कार्यालय सह-कार्यशाला भवन के निर्माण के कारण जून 1982 से मई 1985 तक इसका कार्य अवरुद्ध रहा था।

69.9.02 कार्यशालाओं की क्षमता का निर्धारण नहीं किया गया था। कार्यों में प्रयोग किये गये श्रम तथा सामग्री के मानदंड निश्चित नहीं किये गये थे। प्रबन्ध ने बताया (अगस्त 1984) कि एक वाणिज्यिक कार्यशाला के मामले में उपयोग में लाए गए श्रम तथा मशीनी घंटे विश्लेषणात्मक अध्ययन का विषय नहीं बन सके, क्योंकि तकनिशियनों, जिनको प्रायः भ्रमण पर जाने की आवश्यकता रहती थी, की उपलब्धता के आधारों पर कार्यों को केवल आन्तर्णयिकता से हाथ में लिया जा सका।

69.10. सम्पत्ति-सूची नियंत्रण

69.10.01 मद्रास कार्यशाला में रखा गया भंडार (कुल भंडार की 66 प्रतिशत गणना की गई) अधिशेष था। 31 मार्च 1985 को सम्पत्ति सूची का अन्तिम मूल्य 12.49 लाख रुपये था जिसमें 2.20 लाख रुपये मूल्य के आयातित अतिरिक्त पुर्जे भी शामिल थे जो पिछले 4 साल के दौरान वितरित नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त, जनवरी 1980 में अधिक मात्राएं आयातित की गई थी तथा 8.13 लाख रुपये के अतिरिक्त पुर्जे मार्च 1985 के दौरान प्राप्त किए गए थे जिसके फलस्वरूप निधियां अवरुद्ध हो गईं।

मंत्रालय ने बताया (मार्च 1986) प्रकाश स्तम्भों के अविच्छिन्न परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए आयातित पुर्जों सहित पर्याप्त अतिरिक्त पुर्जों का होना अनिवार्य था तथा आयातित पुर्जे जारी करने की प्रक्रिया में निहित विलम्ब के कारण अतिरिक्त भंडारण आवश्यक था क्योंकि प्रकाश स्तम्भों पर उपस्करों की खराबी का पूर्वानुमान असंभव था।

69.10.02 नमूना जांच के दौरान निम्नलिखित और बातें ध्यान में आईं:-

- (क) 31 मार्च 1978 से भंडारों के मूल्य में भंडारों की 385 वस्तुएं शामिल नहीं थीं क्योंकि इन भंडारों के मूल्य उपलब्ध नहीं थे,

क्योंकि सम्बन्धित भंडार लेजर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (कलकत्ता जिला) द्वारा कब्जे में ले लिए गए हैं।

(ख) मद्रास जिले में विभागीय निर्मित अतिरिक्त पुर्जों की सावधिक प्रत्यक्ष सत्यापन अभी तक नहीं की गई थी (मार्च 1986)।

(ग) कलकत्ता जिले में 1977-78 से 1983-84 वर्षों के लिये भंडारों की प्रत्यक्ष सत्यापन जांच की गई वस्तुओं की संख्या कम या फालतू पाई गई वस्तुएं उन पर की गई कार्यवाही आदि को दर्शाने वाले ब्योरे लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

(घ) कोचीन जिले में 1984-85 तक 14 में से केवल दो प्रकाश स्तम्भों में भंडारों की प्रत्यक्ष सत्यापन जांच की गई थी। मंत्रालय ने बताया (मार्च 1986) कि अगस्त 1984 में निदेशक, प्रकाश स्तम्भ व प्रकाश पोत, कोचीन को पूरे प्रकाश स्तम्भों के भंडारों की प्रत्यक्ष सत्यापन हर साल करने के लिये निर्देश जारी कर दिए गए थे।

69.10.03 जिला अधिकारियों द्वारा रखे गए भंडार लेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित मुख्य कमियां प्रकट हुई हैं:-

(क) प्राप्तियों का मासिक सारांश एवं पूंजी भंडारों का निर्गम यद्यपि, प्रकाश स्तम्भों के नियम 48 के अन्तर्गत इसकी आवश्यकता होते हुए भी प्रकाश स्तम्भों के मुख्य प्रकाश रक्षकों द्वारा जिला कार्यालयों में प्राप्त नहीं हो रहे थे। जिला कार्यालयों में लेखा नियम तथा पूंजी भंडारों के मूल्यांकित भंडार लेजर नहीं रखे गए थे। (मद्रास तथा कोचीन)

मंत्रालय ने बताया (मार्च 1986) कि "एक प्रकाश स्तम्भ के निर्माण स्तर के दौरान संचालन स्टाफ उपलब्ध नहीं है। प्रतिवेदन केवल निर्माण कार्य पूरा होने तथा उपकरण की स्थापना कार्य आरम्भ होने पर ही भरा जाता है। चूँकि सम्पत्ति भंडार लम्बी अवधि तक भंडार में नहीं रहे तथा निर्माण स्तर के दौरान कोई मुख्य प्रकाश रक्षक उपलब्ध नहीं है, मूल्य भंडार लेजरों का रखना संभव नहीं है।

(ख) भंडार सम्पत्ति सूचियां निदेशक कार्यालय तथा प्रत्येक प्रकाश स्तम्भ द्वारा रखी जाती हैं। यद्यपि, निदेशक कार्यालय द्वारा प्रकाश स्तम्भों तथा प्रकाश पोतों को निर्गम की सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता थी, ऐसा सामंजस्य अभी स्थापित नहीं किया गया था (बम्बई जिला)। प्रबन्ध ने बताया (अगस्त 1984) कि प्रकाश स्तम्भ तथा प्रकाश पोत बम्बई के निदेशक को उपयुक्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

69.11. आन्तरिक लेखा परीक्षण

जनवरी 1973 में स्थापित एक आन्तरिक लेखा परीक्षा की इकाई ने जिसको विभाग की अधीनस्थ इकाइयों की 100 प्रतिशत लेखा परीक्षा करने की अपेक्षा थी, 1981 तक केवल तीन इकाइयों की लेखा परीक्षा की थी।

तथापि, इकाई का स्टाफ दूसरे कार्यों के लिए उपयोग में लाया जा रहा था। मंत्रालय ने बताया (मार्च 1986) कि प्रकाश शुल्कों के संग्रहण को केन्द्रीयकरण करने के कारण कार्य भार बढ़ जाने से आन्तरिक लेखा परीक्षा करना संभव नहीं हो पाया था। आन्तरिक लेखा परीक्षा अभी तक दुबारा शुरू नहीं की गई थी (अक्टूबर 1986)।

69.12. अन्य सूचक बातें

69.12.01 त्रुटिपूर्ण उपकरण की प्राप्ति के कारण हानि

माइक्रोटेक्नीका गायरो कम्पाम सिरियस एम के II टाईप एम जी-3 का एक सेट 1.68 लाख रुपये की लागत वाला मेमज शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया बम्बई (एम.सी.आई) के माध्यम से आयात किया गया था (अक्टूबर 1979)। अक्टूबर 1979 में प्रेषित माल की निकासी होने पर पांच पेटियों में से 2 पेटियां गुम पाई गई थीं। बम्बई पोर्ट ट्रस्ट (बी.पी.टी.) प्राधिकारियों द्वारा दिसम्बर 1979 में एक पेटि तथा मार्च 1982 दूसरी दृढ़ नी गई थी तथा जून 1982 में एम.सी.आई को मुफ्त कर दी गई थी। उपकरण के बाद में अगस्त 1982 में एम.वी.सागरदीप पर स्थित कर दिया गया था तथा त्रुटिपूर्ण पाया गया था।

फर्म के स्थानीय एजेंटों ने जिनको त्रुटिपूर्ण उपकरण को बदलने के लिए एम.सी.आई. द्वारा 25.8.1982 को उल्लेख किया गया था, इस कारण से उपकरण को बदलने में अपनी अक्षमता के लिये खेद व्यक्त किया कि शायद उपकरण बी.पी.टी. द्वारा जहां वह दो वर्ष से भी अधिक से गुम था, खराब कर दिया है। उपकरण पुनः 1,34,500 रुपयों (जुलाई 1983 के दौरान प्राप्त किया) में आयात किया तथा स्थापित किया गया। अक्टूबर 1979 में आयात किया गया 1.68 लाख रुपयों की लागत का उपकरण खराब होने के कारण बिना उपयोग के पड़ा था, जिसके लिए बी.पी.टी. बीमा कम्पनी या एम.सी.आई. के सामने कोई दावा पेश नहीं किया गया था।

69.12.02 सीमा शुल्क का दावा करने/वापिस निकालने में विलम्ब के कारण हानि

दिसम्बर 1978 तथा जनवरी 1979 के दौरान विभाग ने वापिस निकालने के आधार पर सीमा शुल्क के रूप में 1.08 लाख रुपयों का भुगतान करने के बाद सलाया (गुजरात) डेका चेन के अंशशोधन के लिए कार्य तथा वापसी के आधार पर एक विदेशी फर्म से उपकरण की 20 पेटियां आयात कीं। मार्च 1979 में अंशशोधन कार्य पूर्ण होने पर उपकरण को पुनः निर्यात किया गया था।

आन्तरिक प्रेषित माल पर भुगतान की गई सीमा शुल्क की वापसी के लिए विभाग हकदार था।

सितम्बर 1980 अर्थात् 1½ वर्ष के पश्चात् सीमा शुल्क की वापसी के लिए किया गया दावा 9.7.1984 को समय निकल जाने के कारण सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। इस आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई थी क्योंकि मूल जहाज रानी दस्तावेजों, प्रवेश बिल, आदि सेहर एयर कार्गो कम्पलैक्स बम्बई की आग में जल गये सूचित किये गये थे।

69.12.03 एक सविदा के अनुच्छेद के संशोधन के कारण हानि

कच्छ की खाड़ी में गरुड़ शोअल (जो बाद में बीबीशोअल में बदल गया) में एक सारस प्रकाश टावर स्थापित करने हेतु 19 फरवरी 1975 को 70,500 आस्ट्रेलियन डालर के मूल्य पर एक विदेशी फर्म को दिये गये एक ठेके में अन्य बातों के साथ साथ संभरको को स्थापना के बाद 5 वर्षों की अवधि के लिए प्राधिकरण अवधि दशाति हुये सब भुगतानों के लिये एक बैंक (भारत में कार्य कर रहे) से स्वीकृत फार्म पर एक बैंक गारन्टी देने का प्रावधान था। बैंक गारन्टी अनुच्छेद विभाग द्वारा (क्रमशः न्याय तथा कम्पनी मामलों के मंत्रालय के परामर्श के बिना), संभरको को आस्ट्रेलिया में भारतीय उच्च आयोग के माध्यम से मैसर्ज आस्ट्रेलियन तथा न्यूजीलैन्ड बैंकिंग ग्रुप लिमिटेड के साथ विभाग को देय एक अपरिवर्तनीय आकलन पत्र खोल सकने का प्रावधान करते हुए (अक्टूबर 1975 में) संशोधित किया गया था। आकलन पत्र भारत में किसी बैंक से पुष्टि नहीं करवाया गया था। टावर बोबी शोल में 10 अक्टूबर 1976 को स्थापित किया गया था।

5 जुलाई 1977 को सारस टावर गुम हुआ पाया गया था तथा 70,500 आस्ट्रेलियन डालर के लिये एक दावा बैंकरों को प्रस्तुत किया गया था जिन्होंने राशि भुगतान करने से मना कर दिया चूंकि संभरका दोष स्थापित नहीं हुआ था। क्योंकि संभरको ने राशि का भुगतान नहीं किया, मामला अगस्त 1979 में एक मात्र मध्यस्थ को पेश किया गया था, जिसने 31,000 आस्ट्रेलियन डालर तथा निर्णय की तारीख से 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज सहित 4,21,700 रु. को वापसी का दिसम्बर 1982 में विभाग के पक्ष में निर्णय दिया था।

चूंकि विदेशी फर्म 19 नवम्बर 1981 को समापन में चली गई थी तथा कोई वैध बैंक गारन्टी नहीं थी, केवल 12,667.61 आस्ट्रेलियन डालर की राशि ही सरकारी परिसमापक से वसूल की जा सकी तथा जिसके परिणामस्वरूप 57,832.39 आस्ट्रेलियन डालर की हानि हुई। 26.4.1978 को कानून, न्याय तथा कम्पनी मामले के मंत्रालय ने व्यक्त किया कि आकलन पत्र बैंक गारन्टी भारत में किसी बैंक से इस शर्त पर पक्की करवायी जानी चाहिये थी कि मांगने पर भुगतान बिना किसी आपत्ति तथा ठेकेदारों के बिना पूछे हो जाये।

सारांश

निम्न मुख्य बातें हैं जो प्रकट होती हैं:-

— प्रकाश स्तम्भ तथा दीप पोत विभाग जिसको देश में प्रकाश स्तम्भों के प्रावधान, अनुरक्षण तथा नियंत्रण सम्बन्धित कार्य सौंपा गया था, 1947 में अनुरक्षित 17 सामान्य प्रकाश स्तम्भों के प्रति 30.9.1986 को 254 जहाजरानी सम्बन्धी सहायक सामग्री का अनुरक्षण तथा नियंत्रण करता है।

पांचवीं व छठी पंचवर्षीय योजना में क्रमशः 1200 लाख रुपये तथा 1200.45 लाख रुपये प्रावधान किए व्यय के प्रति विभाग क्रमशः 935.92 लाख रुपये तथा 1068 लाख रुपये व्यय कर, सका, 396.53 लाख रुपये अव्ययित छोड़ दिये।

- प्रारम्भ की गई 110 योजनाओं में से वास्तव में 54 योजनाएं पूर्ण की गई थीं। 46 अपूर्ण योजनाएं चौथी से पांचवीं योजना में, 35 पांचवीं से छठी योजना में तथा 18 छठी से सातवीं योजना में ले जाई गई। सातवीं योजना में ले जाई गई योजनाओं में चार योजनाएं चौथी योजना की, चार पांचवीं योजना की तथा दस छठी योजना की शामिल थी। फैंलो हुई योजनाओं तथा नई योजनाओं पर किए गए व्यय का विघटन उपलब्ध नहीं था।
- सातवीं योजना में ले जाई गई 18 योजनाएं (अनुमानित मूल्य 340.21 लाख रुपये) अभी तक प्रगति पर थीं (अगस्त 1986) जिन में दिसम्बर 1973 तथा जनवरी 1976 में स्वीकृत की गई दो योजनाएं शामिल थीं। पिछला कार्य अभी शुरू किया जाना था (अक्तूबर 1986)।
- लेखा परीक्षा में आठ योजनाओं का नमूना जांच प्रकट करता था कि स्वीकृति के समय योजनाओं के प्रारम्भ तथा पूर्ण करने की निर्धारित तिथियां निश्चित नहीं की गई थी तथा योजनाओं के पूर्ण करने में 5 से 15 वर्ष का विलम्ब हो गया था।
- विभाग ने आधुनिकीकरण का चरणवार कार्यक्रम तैयार नहीं किया था। 152 प्रकाश स्तम्भों में से 84 गैस/मिट्टी के तेल से अब तक चलाये जाते थे।
- कुछ कोहरा संकेत/प्रकाश स्तम्भ मशीनी त्रुटि, खराबी तथा तकनीशियनों की अनुपलब्धता के कारण 1977-78 से 1984-85 के दौरान 30 से 403 दिन तक असंचालित रहे।
- तकनीशियनों, जिला अधिकारियों, निदेशकों तथा उप-महा-निदेशकों द्वारा प्रकाश स्तम्भों की सावधी जांच/निरीक्षण के कार्यक्रम का पालन नहीं किया गया था। कुछ प्रतिष्ठानों की एक वर्ष से अधिक तक तकनीशियनों द्वारा जांच नहीं की गई, न ही 2 से 4 वर्ष तक निदेशकों/उप-महा-निदेशकों द्वारा निरीक्षण किया गया।
- मरम्मत में विलम्ब के कारण तीन मोटर लांच 5 से 10 वर्ष तक बेकार रहे परिणामस्वरूप अन्य बातों के साथ साथ कर्मि दल के सदस्यों के वेतन एवं भत्तों पर 8.45 लाख रुपये का निरर्थक व्यय हुआ जो इस अवधि के दौरान कार्यहीन रहे।
- जहां कार्य संचालन जरूरी नहीं समझा गया था कोहरा संकेतों के अनुरक्षण पर 0.43 लाख रुपये प्रतिमास परिहार्य व्यय किया गया था।
- 1970 में आयात की गई छः रैंक मार्किंग बयोज में से जब उनको कार्य स्थिति में लाया गया तो दो त्रुटिपूर्ण पाए गए तथा शेष भी मौलिक डिजाइन त्रुटियों के कारण उपयोग में नहीं लाए गए थे। विभाग बैंक गारन्टी की वैधता अर्वाध के अन्तर्गत बयोज की बदली के लिए दावा करने में असफल हो गया था फलस्वरूप बयोज की लागत तथा उनके भंडारण के लिए किराए पर 25.90 लाख रुपये की हानि हुई। यह बताया गया था कि मार्च 1985 में लावारिस भंडार के रूप में मद्रास पत्तनन्यास प्राधिकारियों ने चार बयोज को नीलाम कर दिया था।
- विभाग के प्रोफार्मा लेखा की संवीक्षा से प्रतीत हुआ कि पूंजी पर ब्याज 1977-78 से 1982-83 वर्षों के दौरान 548.96 लाख रुपये तक कम लगाया गया था जिसके फलस्वरूप लेखाओं ने अधिक लाभदायक शुद्ध बचत दिखाते हुए कार्य चालन के परिणाम की भ्रामक तस्वीर दर्शाई। विभाग ने जैसे ही उचित कारण प्रतीत हुआ, प्रकाश शुल्क दरों की बढ़ोत्तरी पर विचार नहीं किया।
- डी.एन.सी. सहायक सामग्री के विषय में ठीक दरें तथा वर्ष में चालू की गई परिसम्पत्तियों के विषय में ठीक अर्वाध के लिए अवमूल्यन का प्रावधान नहीं किया गया था।
- बोब्बी शोल सारस टावर (1983-84 में 7.10 लाख रुपये मूल्य) जो 1977-78 में बह गया था अब तक (अक्तूबर 1986) बट्टे खाते नहीं डाला गया था।
- उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधा का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया था। 2250 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए 75 कोर्सों की अनुमानित संख्या के प्रति 1960 से सितम्बर 1986 तक 37 कोर्स हुए तथा 250 कर्मचारी प्रशिक्षित किए गए।

- कार्यशालाओं में प्राप्त किए गए तथा कार्यान्वित किए गए कार्यों की संख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। कुछ मामलों में कार्यों को पूर्ण करने में 6 से 7 वर्ष का समय लिया गया था।
- भंडार सम्पत्ति सूची उच्चतर पक्ष में थी। मद्रास में 31.3.1985 को सम्पत्ति सूची का अन्तिम मूल्य 12.49 लाख रुपये था जिसमें 2.20 लाख रुपये के आयात किए गए फालतू पुर्जे शामिल थे जो पिछले 4 वर्षों के दौरान वितरित नहीं किए गए थे।
- जनवरी 1973 में स्थापित आन्तरिक लेखा परीक्षण इकाई ने

1981 में आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्य बन्द कर दिया तथा इसके स्टाफ को दूसरे कार्यों के लिए उपयोग किया जा रहा था।

- त्रुटिपूर्ण उपकरण के प्राप्त करने, सीमाशुल्क वापिस लेने के दावा करने में विलम्ब तथा भारत में किसी बैंक द्वारा जमा पत्र की पुष्टि किए बिना ठेका अनुच्छेद में संशोधन के कारण विदेशी फर्म से देय दावे की बसूली न करने के कारण विभाग ने क्रमशः 1.68 लाख रुपये, 1.08 लाख रुपये तथा आस्ट्रेलियन पौंड 57,832.59 की हानि उठाई।

श्रीनिवास माधव पाटणकर

नई दिल्ली

दिनांक - 4 मई 1987
MAY

(श्रीनिवास माधव पाटणकर)

निदेशक लेखा परीक्षा I, केन्द्रीय राजस्व

प्रतिहस्ताक्षरित

त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी

नई दिल्ली

दिनांक 1-4 मई 1987
MAY

(त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट I

(पैराग्राफ 3.2 देखिये)

अनुपूरक अनुदानों/विनियोगों के उपयोग की सीमा

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग	मूल	अनुदान/विनियोग की राशि अनुपूरक	वास्तविक व्यय	बचत
1	2	3	4	5	6
विषय जिसमें पूरक अनुदान/विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुए राजस्व © दत्तमत्त					
(लाख रुपयों में)					
	कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय				
1.1	कृषि एवं सहकारिता विभाग	471.42	6.43	451.87	25.98
2.2	कृषि	24915.42	859.61	21940.06	3834.97
3.4	पशुपालन एवं डेरी विकास	13643.61	557.00	13495.20	705.41
	वाणिज्य एवं आपूर्ति मंत्रालय				
4.11	विदेश व्यापार व निर्यात उत्पादन	82185.07	10.12	79394.95	2800.24
5.13	आपूर्ति एवं निपटान	1524.33	35.00	1448.71	110.62
	वित्त मंत्रालय				
6.29	वित्त मंत्रालय	1313.41	104.14	1296.84	120.71
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय				
7.43	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	199.89	1.75	197.44	4.20
8.44	शिक्षित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य	31607.29	300.06	30285.21	1622.14
	उद्योग एवं कंपनी कार्य मंत्रालय				
9.57	उद्योग एवं कंपनी मंत्रालय	1115.51	3.00	1031.58	86.93
	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय				
10.61	सूचना एवं प्रचार	4633.19	32.95	4408.05	258.09
	विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय				
11.76	विज्ञानिक एवं उद्योग अनुसंधान विभाग	15823.50	36.00	15752.37	107.13
	इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग				
12.99	इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग	5730.00	277.67	5664.80	342.87
	लोकसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सचिवालय तथा संघ लोक सेवा आयोग				
13.105	राज्य सभा	398.98	22.50	385.67	35.81
	पूंजी-दत्तमत्त				
	वाणिज्य एवं आपूर्ति मंत्रालय				
14.11	विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन	10973.51	345.80	3115.10	8204.21
	विदेश मंत्रालय				
15.28	विदेश मंत्रालय	4268.00	2083.00	4766.07	1584.93
	वित्त मंत्रालय				
16.30	कस्टम	4150.00	29.50	3936.49	243.01
	गृह मंत्रालय				
17.51	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	18698.54	1027.23	18486.68	1239.09

1	2	3	4	5	6
		जहाज रानी व परिवहन मंत्रालय			
18.79	सड़कें	27299.69	411.82	24566.91	3144.60
		आवास एवं निर्माण मंत्रालय			
19.92	आवास तथा शहरी विकास	8681.09	1500.03	8173.17	2007.94
		राजस्व-प्रभारित विदेश मंत्रालय			
20.28	विदेश मंत्रालय	0.25	0.08	..	0.33
		वित्त मंत्रालय			
21.36	पेंशने	546.10	24.96	349.00	222.06
		विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय			
22.73	विज्ञान व तकनीकी विभाग		3.50	..	3.50
		कार्मिक एवं प्रशासन सुधार विभाग			
23.101	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	0.05	0.05	0.05	0.05
		पूँजी-प्रभावित गृह मंत्रालय			
24.48	पुलिस	501.00	2.56	500.74	2.82
		आवास एवं निर्माण मंत्रालय			
25.90	सार्वजनिक कार्य	12.00	13.00	10.66	14.34

परिशिष्ट II

(पैराग्राफ 3.4 देखिए)

दत्तमत्त अनुदानों के अंतर्गत बचत

कुल अनुदानों के 20 प्रतिशत से अधिक बचतों (प्रत्येक मामले में 5 लाख रु. से अधिक) वाले दत्तमत्त अनुदान दिये गये हैं:-

क्र. सं.	अनुदान	कुल अनुदान	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
		राजस्व		(लाख रुपयों में)	
1	81 सड़क एवं अंतर्देशीय जल परिवहन	1351.66	226.93	1124.73	83.2
2	5 सहकारिता	1634.80	557.21	1077.59	65.9
3	100 समुद्री विकास विभाग	2819.60	1412.25	1407.35	49.9
4	106 उपराष्ट्रपति का सचिवालय	25.86	14.38	11.48	44.4
5	42 नागरिक आपूर्ति विभाग	650.39	373.59	276.80	42.6
6	3 मत्स्य	2686.84	1748.99	937.85	34.9
7	39 वित्त मंत्रालय के अन्य व्यय	101970.25	70634.57	31335.68	30.7
8	26 पर्यावरण विभाग	4132.76	2953.52	1179.24	28.5
9	104 लोक सभा	1103.21	836.64	266.57	24.2
10	73 विज्ञान एवं तकनीकी विभाग	7703.03	6108.03	1595.00	20.7
		पूँजीगत			
11	100 समुद्री विकास विभाग	70.00	..	70.00	100.0
12	74 भारत का सर्वेक्षण	10.00	..	10.00	100.0
13	66 श्रम एवं रोजगार	112.01	1.09	110.92	99.0
14	8 ग्रामीण विकास विभाग	45.15	1.68	43.47	96.3
15	11 विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन	11319.31	3115.10	8204.21	72.5
16	37 अफीम एवं श्रावण कारखाने	332.63	158.68	173.95	52.3
17	14 संचार मंत्रालय	4274.00	2052.00	2222.00	52.0
18	73 विज्ञान और तकनीकी विभाग	34.50	18.34	16.16	46.8
19	15 विदेश संचार सेवा	1400.00	880.47	519.53	37.1
20	90 सार्वजनिक कार्य	6943.38	4676.21	2267.17	32.7
21	33 टिकटें	676.50	460.51	215.99	31.9
22	28 विदेश मंत्रालय	6351.00	4766.07	1584.93	25.0
23	54 अंडमान एवं निकोबार द्वीप	3711.62	2823.72	887.90	23.9
24	5 सहकारिता	23587.01	18076.07	5510.94	23.4
25	61 सूचना एवं प्रचार	244.23	188.65	55.58	22.8
26	63 सिचाई विभाग	1823.05	1419.83	403.22	22.1
27	48 पुलिस	3841.95	3012.97	828.98	21.6

परिशिष्ट III

(पैराग्राफ 6 देखिए)

31.12.85 तक जारी की गयी लेखापरीक्षा रिपोर्टों का वर्षवार व्यौरा जो 30.6.86 को कार्यवाही बिना पड़े रहे (कृषि विभाग)

वर्ष	कृषि एवं सह.वि.		विस्तारण निदेशा		पशु संगरोध का प्रमाणीकरण		कृषि विमानन निदेशालय		अर्थ एवं आंकडा निदेशालय		अखिल भारतीय भूमि एवं भू प्रयोग सर्वेक्षण		वे.एवं ले.अ. विस्तारण निदेशालय		वे.एवं ले.प. दि.वु.यो.		वे.एवं ले.प. कृषि सचिव		उर्वरक मंडल		मूल्य कृषि आयोग		कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग		अन्य महालेखाकार		कुल योग						
	नि.रि.	पैरा	नि.रि.	पैरा	नि.रि.	पैरा	नि.रि.	पैरा	नि.रि.	पैरा	नि.रि.	पैरा	नि.रि.	पैरा	नि.रि.	पैरा	नि.रि.	पैरा	नि.रि.	पैरा	नि.रि.	पैरा	नि.रि.	पैरा	नि.रि.	पैरा	नि.रि.	पैरा					
1967-68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
1968-69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
1969-70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1				
1970-71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1				
1971-72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	3				
1972-73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	4				
1973-74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8	4	8				
1974-75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	9	5	9				
1975-76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	7	5	7				
1976-77	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	25	13	27				
1977-78	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	11	9	14				
1978-79	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	12	9	17				
1979-80	—	—	—	—	—	—	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	35	15	44				
1980-81	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	58	18	60				
1981-82	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	36	18	40				
1982-83	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	27	88	31	96		
1983-84	1	21	1	2	—	—	1	1	1	1	1	1	1	3	1	2	1	2	1	1	—	—	—	—	—	37	122	46	156				
1984-85	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1	14	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	36	89	41	119
1985-86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	122	29	122			
	4	29	3	4	1	1	5	14	2	5	1	1	4	19	3	11	1	2	3	5	1	2	2	4	221	635	251	732					

परिशिष्ट IV

(पैराग्राफ 6 देखिए)

31.12.86 तक जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन/पैरा का वर्षवार व्यौरा जो 30.6.86 को कार्यवाही बिना बकाया पड़े रहे (ग्रामीण विकास विभाग)

वर्ष	ग्रामीण विकास विभाग		वे एवं ले. अ. ग्रामीण विकास		ग्रामीण तकनीकी विकास हेतु कौंसिल		वरिष्ठ विपणन अधिकारी		कुल	
	नि.रि.	पैरा	नि.रि.	पैरा	नि.रि.	पैरा	नि.रि.	पैरा	नि.रि.	पैरा
1977-78	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
1978-79	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
1980-81	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
1982-83	1	4	—	—	—	—	—	—	1	4
1983-84	1	9	1	6	—	—	1	2	3	17
1984-85	—	—	1	14	—	—	1	6	2	20
1985-86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	14	3	21	—	—	3	9	9	44

परिशिष्ट V

(पैराग्राफ 41 देखिए)

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं पैराग्राफों की स्थिति

वर्ष	मुख्य मंत्रालय निरीक्षण प्रतिवेदन		सूचना एवं प्रचार निरीक्षण प्रतिवेदन		प्रसारण निरीक्षण प्रतिवेदन		कुल निरीक्षण प्रतिवेदन	
	पैरे	पैरे	पैरे	पैरे	पैरे	पैरे	पैरे	पैरे
1968-69	—	—	1	1	—	—	1	1
1969-70	—	—	1	2	—	—	1	2
1970-71	—	—	5	11	—	—	5	11
1971-72	—	—	2	7	—	—	2	7
1972-73	1	2	—	—	2	6	3	8
1973-74	—	—	4	30	1	4	5	34
1974-75	1	1	3	9	2	6	6	16
			(1)	(2)			(1)	(2)
1975-76	—	—	4	17	1	2	5	19
1976-77	—	—	6	34	2	3	8	37
			(1)	(13)	(1)	(2)	(2)	(15)
1977-78	5	10	6	41	3	7	14	58
					(1)	(2)	(1)	(2)
1978-79	1	2	6	29	8	33	15	64
			(1)	(8)	(1)	(6)	(2)	(14)
1979-80	2	8	8	62	9	37	19	107
					(2)	(11)	(2)	(11)
1980-81	3	6	6	26	9	29	18	61
					(1)	(5)	(1)	(5)
1981-82	1	5	4	15	4	9	9	29
1982-83	3	7	10	38	11	65	24	110
			(1)	(2)			(1)	(2)
1983-84	1	1	11	60	15	62	27	123
			(1)	(15)			(1)	(15)
1984-85	1	6	16	134	21	112	38	252
					(7)	(42)	(7)	(42)
1985-86	—	—	13	71	32	197	45	268
			(2)	(6)	(22)	(134)	(24)	(140)
योग	19	48	106	587	120	572	245	1207
			(7)	(46)	(35)	(202)	(42)	(248)

(1) इसमें महालेखाकार (ऑडिट) नागालैंड (कोहिमा) के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

(2) छोटे कोष्ठकों में आंकड़े बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों को दर्शाते हैं तथा पैराग्राफ जिनके केवल प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए थे।

परिशिष्ट VI
(पैराग्राफ 53 देखिए)

वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाली गई/छोड़ी गई हानियां, अप्राप्य राजस्व, शुल्क, पेशागियां इत्यादि तथा अनुग्रहपूर्वक दी गई अदायगियों को दर्शाने वाला विवरण
जैसा कि नीचे दिया गया है वर्ष 1985-86 के दौरान 50 मामलों में मुख्यतः चोरी, आगजनी इत्यादि के कारण हुई हानियों तथा अप्राप्य राजस्व, शुल्क, पेशागियों इत्यादि का
निरूपण करते हुए 10.48 लाख रु. बट्टे खाते डाले गए थे/छोड़े गये थे और 690 मामलों में कुल 173.12 लाख रुपयों
के अनुग्रहपूर्वक भुगतान किये गये थे।

बट्टे खाते डाली गई हानियों, अप्राप्य राजस्व, शुल्क, पेशागियां इत्यादि

मन्त्रालय विभाग	प्रणाली की विफलता के कारण		अलग-अलग सरकारी कर्मचारियों की ओर उपेक्षा घोखा इत्यादि के कारण		अन्य कारणों से		बसूली को छोड़ दिया		अनुग्रहपूर्वक भुगतान	
	मामलों की संख्या	धनराशि (रु.)	मामलों की संख्या	धनराशि (रु.)	मामलों की संख्या	धनराशि (रु.)	मामलों की संख्या	धनराशि (रु.)	मामलों की संख्या	धन राशि (रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कृषि	—	—	—	—	1	5,145	—	—	—	—
परमाणु ऊर्जा	—	—	—	—	8	46,753	—	—	—	—
रसायन व उर्वरक	—	—	—	—	1	7,469	—	—	—	—
बाणिज्य	—	—	—	—	—	—	—	—	690	1,73,12,329
ऊर्जा	2	40,854	4	8,554	4	27,130	—	—	—	—
विदेशी मामले	—	—	—	—	1	3,219	4	33,644	—	—
वित्त	—	—	—	—	2	19,073	—	—	—	—
गृह मामले	—	—	5	109,654	4	12,62,150	1	70,589	—	—
विधि व न्याय	—	—	—	—	1	43,224	—	—	—	—
अंतरिक्ष	—	—	—	—	7	57,647	—	—	—	—
इस्पात व खान	—	—	—	—	3	93,278	—	—	—	—
परिवहन	—	—	—	—	2	19,390	—	—	—	—
योग	2	40,854	9	1,18,208	34	15,84,478	5	1,04,233	690	1,73,12,329

टिप्पणी:— महालेखाकार (लेखा परीक्षा) आसाम (शिलांग), उड़ीसा (भुवनेश्वर) व निदेशक लेखा परीक्षा रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली तथा 10 लेखा नियंत्रकों जिनमें अभी सूचना अपेक्षित थी को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

परिशिष्ट VII

(पैराग्राफ 69.2.2 देखिये)

नौसंचालन उपकरणों के बारे में योजनाओं के ब्यौरे का विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	मूल अनुदान		संशोधित अनुमान		कार्य प्रारम्भ करने की तिथि		कार्य पूर्ण करने की तिथि		वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	पूर्ण करने में लिया गया समय	मूल्य अधिक हुआ (लाख रुपयों में)	टिप्पणी
		संस्वीकृति की तिथि	राशि (लाख रुपयों में)	संस्वीकृति की तिथि	राशि (लाख रुपयों में)	निर्धारित	वास्तविक	निर्धारित	वास्तविक				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लिये, पोत की खरीद	6.1.1969	61.25			जून 1969		पोत आदेश की निर्गमन की तिथि से 15 महीने के अन्दर या मेसर्स कोटन ग्रीन, कलकत्ता द्वारा इंजन के वितरण छ महीने बाद पोत प्रदान किया जाना था (वास्तव में नवम्बर 1970 में वितरण किया)	1.2.1984	283.00 31.3.1983 तक	15 वर्ष (लगभग)	221.75	पोत के लिए इंजन नवम्बर 1970 में प्राप्त किया गया उसके बाद पोत को 6 महीने में प्राप्त करना था किन्तु 1.2.84 को प्राप्त किया क्योंकि मूल्य वृद्धि का निर्णय नवम्बर 1978 तक नहीं हो सका जब एक कमेटी नियुक्त की गई जिसने फरवरी 1980 में मंत्रालय को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
2.	पांडियान थिव में प्रथम स्तम्भ का निर्माण	अप्रैल, 1969	15.25	(i) अक्तूबर 1972 (ii) 16.11.1981	18.55 20.96	—	जनवरी, 1973		अप्रैल 1980	26.10 मार्च 1982 तक	11 वर्ष (लगभग)	10.85	विलम्ब के कारण थे (i) निविदा पूछताछ के लिये कमजोर उत्तर (ii) भूमि विश्लेषण नए स्थलों पर किए जाने पड़े थे। (iii) निर्माण के लिए अल्प संभरण के प्राप्त करने तथा इसको दीप गृह तक ले जाने में विलम्ब
3.	परियार में प्रकाश स्तम्भ का निर्माण	21.5.1971	10.996	16.1.1983	14.53	—	20.8.1972		अप्रैल 1981 (उपस्कर की स्थापना के बाद अप्रैल 1982 में चालू किया गया)	14.53 31.3.1983 तक	10 वर्ष (लगभग)	3.53	विलम्ब निम्न कारणों से था (i) बिजली काटने से दक्षिण में सीमेंट के उत्पादन में कमी (ii) बुनियादी दीवारों के खिसकने से टावर की रूपरेखा में परिवर्तन


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	परियार में रेडियो बीकन	8.6.1972	7.21	13.2.1981	11.58	—	28.4.1975	—	14.9.1981	11.22 31.3.1983 तक	9 वर्ष (लगभग)	4.01	कार्य तथा स्थल पुनः खोजने में विलम्ब
5.	कार निकोबार में रेडियो बीकन	8.6.1972	8.613	13.2.1981	13.40	—	12.4.1974	31.3.1980	26.6.1982	13.48 31.3.1983 तक	10 वर्ष (लगभग)	4.87	विलम्ब इनके कारण था (i) मजदूर सामग्री तथा पोत की अनुपलब्धता तथा इसके डिजाइन में परिवर्तन के कारण था (ii) मई 1977 में एम एफ डी तेल टैंकर की प्राप्ति में देरी तथा कार्य 1977 के अन्त में शुरू किया गया (iii) टावर के डिजाइन में परिवर्तन
6.	पोर्ट द्वीप के रेडियो बीकन	8.6.1972	8.61	13.2.1981	14.316	—	17.11.1974	28.4.1982	1.2.1983	13.52	10 वर्ष (लगभग)	4.91	
7.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हट बे प्रकाश स्तम्भ	21.11.1972	16.44	15.2.1983	30.196	—	जून 1976	31.12.1983	9.6.1986	24.95 2/1986 तक	13½ वर्ष (लगभग)	—	
8.	कसार वाड (केरल) में प्रकाश स्तम्भ का निर्माण	16.7.1976	25.27	31.12.1983	35.02	—	26.8.1981	30.6.1984	15.9.1984	35.89 मार्च 1985 तक	5 वर्ष (लगभग)	10.62	भूमि नवम्बर 1982 में अधिग्रहण की गई यद्यपि उसका कुछ भाग अक्तूबर 1980 में ले लिया गया था।

परिशिष्ट VIII

(पैराग्राफ 69.4.1 देखिए)

पिछले 5 वर्ष में असंचालित रहे दीप स्तम्भों का विवरण

क. दीप गृह इकाई का नाम सं.	जिला	अवधि/वर्ष	दिनों की सं.	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1. मांडवी कोहरा संकेत	जामनगर	1978-79	43	वाइबरेटर कोयल फट गया
2. जाफराबाद कोहरा संकेत	"	"	78	कोर्डिंग मीटर में त्रुटि
3. पीरम द्वीप कोहरा संकेत	"	सितम्बर 1977 से 25 अक्टूबर 1978	403	आल्टरनेटर में त्रुटि के कारण
4. समैयानी (एल.एच.)	"	24.7.1982 से 28.2.1983	219	कनिष्ठ अभियंता (सिबि) की अनुपलब्धता के कारण
5. कारम्बेर प्रकाश स्तम्भ	"	1982-83, 1983-84	63 96	त्रुटिपूर्ण उपकरण —वही—
6. चौकाडा	बम्बई	1978-79 1983-84 1984-85	32 32 46	} मौनसून के कारण स्टेशन अगम्य विभाग द्वारा कारणों का विश्लेषण न करना
7. रेडियो बीकन बेंगरला	"	1979-80	97	
8. सीजार्ज	"	1982-83	169	ट्रांसफारमर में त्रुटि
9. आरामगांव	मद्रास	1984-85	63	स्टेशन अगम्य
10. स्थलपुर	कोचीन	1981-82 1984-85	30 49 47	नवम्बर 1984 के तूफान में उपकरण में त्रुटि गैस का रिसाव
11. बितरा	"	1981-82	78	फ्लैशर में दोष
12. किल्टन उत्तर प्रकाश स्तम्भ	"	18.2.1983 से 28.4.1983 27.2.1985 से 30.9.1985	70 215	कैरेक्टर त्रुटि उपकरण विस्फोट
13. आन्दरोठ पूर्व प्रकाश स्तम्भ	"	1984-85	54	फ्लैशर त्रुटि
14. चेतलाब बीकन	"	1984-85	151	गैस रिसाव
15. काडलपुर फोउन्ट प्रकाश स्तम्भ	"	1984-85	89	कैरेक्टर त्रुटि
16. कोचीन में रीकन	"	1982-83	124	पखितर्क संभरक इकाई जल गई
17. रेडियो बीकन पुरी	कलकत्ता	1981-82	113	उपलब्ध नहीं



To the Hon. Secy